सप्तम माला, खंड 46, अंक 24, संसमकार, 27 मार्च, 1984/7 चैत्र, 1906 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(चौदहवां सत्र)

7th Lok Sabha



(खंड 46 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय,
नई दिल्ली।

मूल्य : चार रुपये

पृष्ठ 221, पंक्ति 21, "महेया" के स्थान पर "मुहेया" पढ़िये।

पृष्ठ 226, नीचे से पंक्ति 3, "ग्रामण" के स्थान पर "ग्रामीण" पढ़िये।

पृष्ठ 236, पंक्ति 5, "श्री अन्नत रामुलु" के स्थान पर "श्री अनन्त रामुलु मल्लु पढ़िये।

पृष्ठ 247, पंक्ति 8, "फागासिटिकल" के स्थान पर "फार्मास्युटिकल" पढ़िये।

पृष्ठ 247, पंक्ति 22, "तौलक म होना" के स्थान पर "तोल में कम होना" पढ़िये।

पृष्ठ 255, पंक्ति 2, "श्री के0वी0मणि" के स्थान पर "श्री के0बी0एस0मणि" पढ़िये।

पृष्ठ 280, पंक्ति 18, "रखे गयी" के स्थान पर "रखी गयी" पढ़िये।

पृष्ठ 290, पंक्ति 7 और 8 के बीच "ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल0 टी0 8006/84" पढ़िये।

पृष्ठ 290, पंक्ति 14, के पश्चात् "12·0म0प0" के स्थान पर "12·06म0प0" पढ़िये।

पृष्ठ 291, नीचे से पंक्ति 4, "संसद कार्य" के स्थान पर "संसदीय कार्य" पढ़िये

पृष्ठ 293, पंक्ति 2, "श्री विरेन्द्र पाटिल" के स्थान पर "श्री वीरेन्द्र पाटिल" पढ़िये।

पृष्ठ 312, पंक्ति 3, "श्री इबाहोम सुलेभान लठ" के स्थान पर "श्री इब्राहीम सुलेमान सेट" पढ़िये।

पृष्ठ 349, पंक्ति 9, "गिरफ्तारी" के स्थान पर "गिरफ्तारी" पढ़िये।

पृष्ठ 355, नीचे से पंक्ति 3, "मिनिदम वेज" के स्थान पर "मिनीमम वेज" पढ़िये।

पृष्ठ 400, नीचे से पंक्ति 2, "1905 (शक)" के स्थान पर "1906 (शक)" पढ़िये।

अंक 24, मंगलवार 27 मार्च, 1984/7 चैत 1906 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		2—20
*तारांकित प्रश्न संख्या : 425, 429, 432 से 434 और 438		2—19
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		21—287
तारांकित प्रश्न संख्या :	426 से 428, 430, 431, 436, 437, 439 से 444 और 224	21—31
अतारांकित प्रश्न संख्या :	4896 से 5019, 5021 से 5034, 5036 से 5073, 5075 से 5094, और 5096 से 5127	31—287
सभापटल पर रखे गये पत्र		289—290
राज्य-सभा से संदेश		290
कर्मकार प्रतिकार (संशोधन) विधेयक—		290
राज्य सभा द्वारा यथापारित		290—292
उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित		293
नियम 377 के अधीन मामले		293—298
(एक) मध्य प्रदेश में शिक्षित युवकों को ऋण देने तथा उनको प्रशिक्षण देने के लिए उस राज्य में बैंकों को और अधिक धन देने की आवश्यकता		
श्री प्रताप भानु शर्मा		293
(दो) स्वतंत्रता सेनानी, श्री सुरेन्द्र भाई, की याद में एक स्मृति डाक टिकट जारी करने, राजधानी में उनके नाम पर एक सड़क का नाम रखने तथा उनकी एक मूर्ति स्थापित करने की आवश्यकता		
डा० कृपा सिन्धु भोई		294

*किसी नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(तीन) बिहार में हथकरघा उद्योग का विकास करने की आवश्यकता	
श्री विजय कुमार यादव	294—295
(चार) मध्य प्रदेश में सारंगपुर तथा रुथियाई में साबरमती एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रोकने की आवश्यकता	
डा० वसंत कुमार पंडित	295—296
(पांच) बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड, रानीगंज, की ऊष्मसह और मृत्तिका इकाइयों को बंद करने का कथित निर्णय	
श्री अजीत बाग	296
(छः) विदर्भ क्षेत्र के त्वरित तथा शीघ्र औद्योगिक विकास के लिए अकोला तथा यवतमाल जिलों में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के सर्वेक्षण कार्य को शीघ्र पूरा कराने की आवश्यकता	
श्री मधुसूदन बैराले	296—297
(सात) पटना और पूर्णिया (बिहार) के बीच वायुदूत सेवा आरम्भ करने की आवश्यकता	
श्रीमती माधुरी सिंह	297
(आठ) आंध्र प्रदेश विधान परिषद् को समाप्त करने के लिए संसद द्वारा विधान बनाने की आवश्यकता	
श्री चित्त बसु	297—298
अनुदानों की मांगें (सामान्य)—1984-85	298—347
गृह मंत्रालय	
श्री उत्तम राठौर	298
श्री नगनगोम मोहेन्द्रा	302
श्री दलबीर सिंह	306
श्री के० प्रधानी	309
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट	312

श्री बालकृष्ण वासनिक 316

श्री राम नगीना मिश्र 320

श्री एस०टी०के० जक्कायन 325

श्री सुन्दर सिंह 328

श्री आर०एन० राकेश 332

श्री पी० शनमुगम 336

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति 339

श्री चित्त बसु 343

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर निरन्तर हो रहे अत्याचारों के बारे में चर्चा 347—400

श्री राम विलास पासवान 347

श्री अनन्त रामुलु मल्लु 357

श्री अजीत कुमार साहा 362

श्री चन्द्रपाल शैलानी 365

श्री मनीराम बागड़ी 367

श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी 371

श्री सूरजभान 375

श्री रामस्वरूप राम 378

श्री रामावतार शास्त्री 382

श्री भीखा भाई 385

श्री राम लाल राही 388

श्री हीरालाल आर० परमार 391

श्री सुन्दर सिंह 393

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी 396

लोक सभा

मंगलवार, 27 मार्च, 1984/7 चैत्र, 1606 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : नमस्कार जी ।

अध्यक्ष महोदय : आज आप पीछे की पंक्ति में बैठे हैं ।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने इन्हें 'इल्लस्ट्रेटिड वीकली' में ऊपर एक लेख दिखाया था जिसमें यह उल्लेख था कि 1942 में साम्यवादियों ने राष्ट्र को कैसे धोखा दिया और वह इस बात को नहीं मान रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आपने ऐसा किया ।

(व्यवधान)

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप श्री अरुण शौरी के सी. आई. ए. एजेन्ट होने की बात कर रहे हैं (व्यवधान) वे श्री अरुण शौरी को सी. आई. ए. का एजेन्ट नहीं कह सकते । वे तो उसकी प्रशंसा किया करते थे ।

श्री जेवियर अराकल : मैंने उनसे कहा है कि आज हम प्रश्न काल स्थगित कर सकते हैं और उस पर चर्चा कर सकते हैं ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : वह तो ऐसा बन रहा है जैसे अजायबघर की कोई दुर्लभ कलाकृति होती है । (व्यवधान)

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं आशा करता हूं कि आप एक जांच आयोग नियुक्त करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री वृद्धि चन्द्र जैन।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यदि आप इतने अधिक उत्सुक हैं तो मैं इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं। कोई आयोग नहीं होगा। इस पर वाद-विवाद हो जाये।

एक माननीय सदस्य : यह प्रश्न काल के बाद होगा।

अध्यक्ष महोदय : बाजपेयी जी इस पर सभा का समय नष्ट न किया जाये। इस पर चर्चा मेरे कक्ष में हो।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बाड़मेर हस्तचालित टेलीफोन एक्सचेंज को इलैक्ट्रॉनिक स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज में बदलना

*425. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के सीमावर्ती जिले बाड़मेर के जिला मुख्यालय बाड़मेर नगर में हस्तचालित टेलीफोन एक्सचेंज को इलैक्ट्रॉनिक स्वचालित एक्सचेंज में बदलने की एक योजना थी;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) बाड़मेर नगर में इलैक्ट्रॉनिक स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज कब तक स्थापित किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) जी हां। बाड़मेर एक्सचेंज को इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज में परिवर्तित करने का कार्य उस योजना का एक भाग है जिसके अंतर्गत देश के 20 जिलों में समन्वित अंकित परिपथजाल आरंभ किया जाना है।

(ख) इस योजना को डाक-तार बोर्ड ने मार्च, 1983 में मंजूरी प्रदान की थी। देश में यह उपस्कर उपलब्ध नहीं है। उपस्कर का आयात करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) ऐसी संभावना है कि यह स्कीम सातवीं योजना के आरंभ में पूरी हो जाएगी।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : मैं जानना चाहता हूं कि उपकरण किस देश से कब तक इम्पोर्ट किए जाएंगे और क्या इस सम्बन्ध में कोई एग्रीमेंट कर के कार्यवाही की गई है। दूसरे, बाड़मेर नगर में इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज कब तक स्थापित कर दिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी. एन. गाडगिल) : महोदय ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार के विकास के लिए हमने एक तद्उद्देश्यीय दल नियुक्त किया है और उसके द्वारा सुझायी गई योजनाओं में से एक है जिसे तकनीकी दृष्टि से समेकित अंकीय तंत्र इन्टेगरेटिड डिजिटल नेटवर्क) योजना कहते हैं। अब आर्थिक कार्य विभाग नोर्वे की सरकार से इस आशय की बात-चीत कर रहा कि क्या उस कार्यक्रम के अन्तर्गत इस किस्म के उपकरण प्राप्त हो सकते हैं। बात-चीत का दौर पूरा हो गया है और करार शीघ्र ही होने वाला है। इसके बाद उपकरण उपलब्ध हो जायेंगे और उन्हें कुछ स्थानों को प्रेषित किया जायेगा माननीय सदस्य को यह जानकर खुशी होगी कि परीक्षणार्थ परियोजना के लिए हमने जिन पांच जिलों को चुना है उनमें से एक बाड़मेर है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : आज तो राजस्थान वालों के पौ-बारह हैं।

श्री साहा : आप बाड़मेर के बारे में ही पूछिये। और जगहों को लेकर छक्के लगाना न शुरू कर दें।

श्री अजीत कुमार साहा : महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि क्या पश्चिम बंगाल का बांकुरा जिला भी उस सूची में है जहां इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की व्यवस्था की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि उपकरण आयेंगे।

श्री वी० एन० गाडगिल : मैंने 20 जिलों की एक सूची तैयार की है। मैं उसे उपलब्ध कर सकता हूं।

श्री प्रताप भानु शर्मा : इन्होंने 20 जिलों के बारे में जानकारी दी है। मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप "420" चाहते हैं।

श्री प्रताप भानु शर्मा : मेरा प्रश्न यह है। माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि

इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज समेकित अंकीय तंत्र की व्यवस्था करना इस योजना का अंग है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस योजना के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों के अतिरिक्त अन्य क्या प्रणालियां भी प्रारम्भ की जायेंगी ? क्या वह 'टेक्स' प्रणाली भी प्रारम्भ करेंगे ? क्या वह वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंजों में किसी उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग करेंगे ?

श्री बी० एन० गाडगिल : जैसा कि मैंने सभा में कई बार कहा है कि तीन या चार प्रणालियां विकल्प रूप में उपलब्ध हैं : माइक्रो-वेव प्रणाली है। वी० एच० एफ० है, यू० एच० एफ० है, उपग्रह-संचार प्रणाली भी है। इन सभी पर विचार किया जा रहा है। उदाहरणार्थ, दुर्गम क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों में आप भूमिगत केबिल नहीं बिछा सकते। वहां पर खुले तार भी नहीं लगाये जा सकते। अत: वहां पर आपके सूक्ष्म-तरंग या वी० एच० एफ० प्रणाली या नई उपग्रह-संचार प्रणाली अपनानी होगी। अत: स्थान विशेष, भूप्रदेश आदि पहलुओं पर विचार करने के बाद इस बारे में निर्णय लिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : 426—श्री मोहन लाल पटेल, श्री सन्तोष मोहन देव।

427—श्री रीति लाल प्रसाद वर्मा। माननीय सदस्य हाउस में नहीं है। मेरे ख्याल में सब थक गये हैं।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मेरा सुझाव है कि अभी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा शुरू की जाये।

प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग लेने की योजना में संशोधन

*429. **श्री सुनील मैत्रा**+
श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन } : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग लेने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा हाल ही में अधिसूचित योजना में, देश में मजदूर संघों ने अनेक संशोधनों की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो मजदूर संघों द्वारा किन मुख्य मुद्दों पर असहमति व्यक्त की गई है;

(ग) क्या उन मुद्दों पर मजदूर संघों के साथ विचार-विमर्श किया जायेगा;

(घ) यदि हां, तो कब विचार-विमर्श किया जायेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ङ) सरकार ने फरवरी, 1984 को ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई थी, ताकि प्रबन्ध में कर्मचारी सहभागिता की उस योजना के कार्यान्वयन पर विचार-विमर्श किया जा सके जो भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग 1, खंड 1 में 30 दिसम्बर, 1983 को प्रकाशित श्रम और पुनर्वास मंत्रालय के संकल्प संख्या एल-56011/1/83-डेस्क -I (बी) द्वारा भारत सरकार ने अधिसूचित की थी। विचार-विमर्श के दौरान, कुछ ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों ने नई योजना के बारे में कतिपय प्वाइंट उठाए। इस बैठक में विचार-विमर्श पूरे नहीं हो सके और यह निर्णय लिया गया कि 7 अप्रैल, 1984 को होने वाली अगली बैठक में इन विचार-विमर्शों को जारी रखा जाये।

श्री सुनील मैत्रा : महोदय, हमें सभा का माननीय सदस्य माना जाता है परन्तु मंत्री हमारे साथ जो अनादरपूर्ण व्यवहार करते हैं वह निन्दनीय है। जब तक मेरे मूल प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाता तब तक मैं अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रश्न यह था :

"(क) क्या प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग लेने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा हाल ही में अधिसूचित योजना में देश में मजदूर संघों ने अनेक संशोधनों की मांग की है"

मंत्री महोदय ने इसका उत्तर नहीं दिया है। इसके बाद दूसरे भाग में मैंने पूछा था :

"(ख) यदि हां, तो मजदूरों संघों द्वारा किन मुख्य मुद्दों पर असहमति व्यक्त की गई है"

इसका भी उत्तर माननीय मंत्री ने नहीं दिया है। पहले मंत्री महोदय इन दोनों बातों के उत्तर दें तब मैं आगे अनुपूरक प्रश्न पूछूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी विनिर्णय दिया गया था कि जहां तक सम्भव हो, मंत्री प्रश्न के सभी भागों का उत्तर अलग-अलग दें।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने यह पूछा था कि क्या ट्रेड यूनियनों ने 'प्रबन्ध में कर्मचारी सहभागिता' योजना में कुछ संशोधनों की मांग की है। यदि उन्होंने उन संशोधनों की मांग की होती, तो मैं वह ब्यौरा भी देता। किन्तु जब उन्होंने ऐसी मांग की ही नहीं, तो फिर मैं वह ब्यौरा किस प्रकार देता। इसलिए मैंने अपने उत्तर में यह कहा है कि उन्होंने संशोधनों की मांग नहीं की थी बल्कि उन्होंने कुछ अन्य मुद्दे उठाये थे जिनका कि वह स्पष्टीकरण चाहते थे। यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि उन्होंने क्या मुद्दे उठाये और किन बातों पर स्पष्टीकरण मांगा तो मैं इस सम्बन्ध में भी ब्यौरा दे सकता हूं।

श्री सुनील मैत्रा : प्रश्न (क) और भाग (ख) में आपने यह क्यों नहीं कहा था कि उन्होंने संशोधनों की मांग नहीं की थी। ऐसा कहने से आपको कौन रोकता था। इस प्रकार मंत्री प्रश्न के उत्तर देने की जिम्मेदारी से नहीं बच सकता।

अध्यक्ष महोदय : हम मंत्री को प्रश्न का उत्तर देने की जिम्मेदारी से नहीं बचने देंगे। अब आप अपने अनुपूरक प्रश्न पूछिये।

श्री सुनील मैत्रा : वर्तमान परिस्थितियों में जो बातें कही गई हैं वे मामूली बातें हैं- पहले 20-सूत्री कार्यक्रम में प्रबन्ध में कर्मचारी सहभागिता का प्रावधान था और दूसरे 20-सूत्री कार्यक्रम में, जैसे भी हो, यह बात छोड़ दी गई। लेकिन जब कलकत्ता में कांग्रेस में सत्र चल रहा था तब यह बात अचानक याद आ गई कि प्रबन्ध में कर्मचारियों की भागिता अवश्य होनी चाहिए और उन्होंने एक अधिसूचना जारी की तथा अधिसूचना में उन्होंने निम्न-लिखित बातों का उल्लेख किया :—उत्पादन सम्बन्धी सुविधायें, दुकान में भण्डारण करने की सुविधायें सामग्री की बचत, संचालनगत समस्यायें, बरबादी को रोकना, खतरों को रोकना, सुरक्षा सम्बन्धी उपाय आदि, आदि और यह कहा गया कि इन क्षेत्रों में श्रमिकों की सहभागिता होगी।

यदि सक्रिय प्रबन्ध में श्रमिकों की भागिता प्राप्त की जाती है तो क्या नीति निर्धारण करने में श्रमिकों की बात सुनी जायेगी जैसे कि जब सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों को स्वीकार करती है तो क्या इस बात पर भी विचार किया जायेगा कि किसी कारखाना विशेष के उत्पादन पर उन शर्तों का क्या प्रभाव पड़ेगा; उस कारखाने के उत्पादन के विपणन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आयात उदार बनाने की योजना पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण के लिए कहा जा सकता है कि जब आप इस्पात का आयात करते हैं और उसका विपुल भण्डार एकत्र हो जाता है तो उसका स्वयं श्रमिकों पर प्रभाव पड़ता है। क्या नीति सम्बन्धी इन मामलों पर श्रमिकों की बातों को गौर से सुना जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : सरकारी राजपत्र में इस सम्बन्ध में एक बृहद योजना प्रकाशित की गई है। माननीय सदस्य राजपत्र में उसे पढ़ सकते हैं और ब्यौरा जान सकते हैं। श्रमिकों की सहभागिता तीन स्तरों पर है। एक दुकान के स्तर पर, दूसरी कारखाने के स्तर पर और तीसरी बोर्ड के स्तर पर। योजना में यह बताया गया है कि प्रारम्भ में सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों में एक वर्ष के भीतर ही दुकान स्तर और संयंत्र स्तर पर श्रमिकों की सहभागिता की योजना को लागू कर दिया जायेगा। हमने सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों से ऐसे सरकारी उपक्रमों की एक सूची तैयार करने के लिए कहा है, जहां पर इस योजना को बोर्ड स्तर पर लागू किया जा सके।

यह एक ऐसी योजना है जो विभिन्न स्तरों पर लागू होती है। इस योजना को तैयार किया गया है और इसका ब्योरा भी तैयार कर लिया गया है। इस बारे में हमारा मंत्रालय ट्रेड यूनियन नेताओं के विचार जानना चाहता था। इसलिए हमने चर्चा के लिए ट्रेड यूनियनों की एक बैठक बुलाई थी जिसमें विचार-विमर्श किया गया था। ट्रेड यूनियनों के नेता कुछ मुद्दों के बारे में स्पष्टीकरण चाहते थे। वे इस बात पर सहमत हो गये थे कि अप्रैल में दूसरी बैठक हो। अप्रैल में इस बात पर दोबारा विचार-विमर्श होगा और तब इस बारे में श्रमिक संघ के नेताओं के विचार-विमर्श से अन्तिम निर्णय किया जायेगा।

श्री सुनील मैत्रा : (क) सरकार ने इस योजना में से विभागीय उपक्रमों को क्यों निकाल दिया है ? (ख) दूसरी बात यह है कि क्या ट्रेड यूनियनों के इस सुझाव को मानने के लिए तैयार है कि प्रबन्ध बोर्ड में श्रमिकों के जो प्रतिनिधि हों, वे श्रमिकों द्वारा गुप्त मतदान द्वारा चुने जायें ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जहां तक विभागीय उपक्रमों को बाहर रखने का सम्बंध है, इस मामले पर कार्मिक संघ नेताओं से विचार-विमर्श किया गया था और उन्होंने पूछा कि विभागीय उपक्रमों को नई योजना से बाहर क्यों रखा गया है। समिति के सभापति हमारे सचिव हैं जिन्होंने उन्हें बताया कि विभागीय उपक्रमों को इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि सभी सरकारी उपक्रमों में संयुक्त सलाहकार तंत्र हैं जिनमें इन उपक्रमों में कर्मचारियों की सहभागिता की उचित व्यवस्था है।

कार्मिक संघों के प्रतिनिधियों के चयन के बारे में योजना में ही कहा गया है कि प्रबंध सम्बन्धित कार्मिक संघ नेताओं के साथ भी परामर्श करेगा और मजदूरों के प्रतिनिधित्व के बारे में सभी स्तरों पर सर्वसम्मति से तरीका निकालेगा जहां यह योजना लागू की जाएगी। अतः यह तरीका प्रबन्ध कार्मिक संघ नेताओं के साथ परामर्श करके निकालेगा।

श्री एस. ए. दोराई सेबस्तियान : प्रश्न के उत्तर में माननीय मन्त्री ने कहा कि कार्मिक संघ प्रतिनिधियों और प्रबन्ध के बीच विचार-विमर्श हुआ।

मैं जानना चाहता हूं कि प्रबन्ध में कर्मचारियों की सहभागिता की मांगी गई प्रतिशतता क्या है ?

क्या पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों और सरकारी उपक्रमों में भी कर्मचारी प्रबन्ध में भाग लेते हैं ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : कर्मचारियों की सहभागिता केवल सरकारी उपक्रमों में ही है। विभागीय उपक्रमों को इससे बाहर रखा गया है।

यह योजना सरकारी उपक्रमों के लिए ही है और इसमें प्रबन्ध और कर्मचारियों के लिए समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है।

प्रो० मधु दण्डवते : कर्मचारियों की सहभागिता की एक विशेषता यह है कि निदेशक-मण्डल में कर्मचारियों और अधिकारियों दोनों के प्रतिनिधि होंगे। निदेशक-मण्डल में कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति के बारे में क्या सरकार ने कोई निश्चित सिद्धान्त बनाए हैं ?

क्या वे प्रतिनिधियों का चयन अधिकारियों के बहुमत प्राप्त संघों से या कर्मचारियों के बहुमत प्राप्त संघों से करेंगे या इस सिद्धान्त की परवाह किए बिना स्वेच्छा से करेंगे ?

क्या यह सच है कि बैंकों के मामले में यह मामला अदालत में ले जाया गया है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या रवैया होगा ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : सरकार की इस सम्बन्ध में नीति योजना को शॉपफ्लोर (दुकान) स्तर और संचय स्तर पर सीधे लागू करने की है।

मैं यह बात स्पष्ट कर चुका हूं कि जहां तक बोर्ड में सहभागिता का सम्बन्ध है, हमें ब्यौरा तैयार करना होगा और हमने सभी मन्त्रालयों से कहा है कि ऐसे सरकारी उपक्रमों की सूची तैयार करें जहां वे बोर्ड स्तरों पर योजना को लागू कर सकेंगे। उस चरण में इन बातों पर विचार होगा।

प्रो० मधु दण्डवते : चूंकि बैंकों और अन्य संस्थाओं में इस मामले की जो स्थिति है उसका आपको पता है, इसलिए क्या आप इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

प्रो० मधु दण्डवते : अगला प्रश्न लेने से पहले मंत्री महोदय सिर हिला रहे हैं। कृपया उन्हें बोलने दीजिये।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं केवल यह जानता हूँ बैंकों में बोर्ड स्तर पर कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। परन्तु इस योजना के अन्तर्गत नहीं है। उनके अधिनियम में अलग उपबन्ध हैं। उसके अनुसार वे बोर्ड स्तर पर प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। चूंकि मुझे पूरे ब्यौरे का पता नहीं है इसलिए मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता।

श्री आर० आर० भोले : सरकार ने बम्बई में 13 कपड़ा मिलें अपने हाथ में ली हैं। कर्मकारों की सहभागिता की योजना क्या इन मिलों पर भी लागू होगी ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : हां यह योजना सभी सरकारी उपक्रमों पर लागू होगी। वाणिज्य मन्त्रालय इस योजना को बड़े उत्साह के साथ लागू कर रहा है।

दण्डकारण्य परियोजना को समाप्त करना

*432. **श्री के. प्रधानी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दण्डकारण्य पुनर्वास परियोजना को समाप्त करने का अन्तिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी विस्तृत रूपरेखा क्या है और उक्त योजना के अन्तिम रूप से कब तक समाप्त किये जाने की संभावना है, और इस संदर्भ में यदि उड़ीसा राज्य सरकार से किसी भूमिका की अपेक्षा की गई है तो वह क्या है, और क्या इसके लिए उसको कोई धन उपलब्ध कराया जाएगा;

(ग) क्या दण्डकारण्य के उमरकोट क्षेत्र के लोगों ने उमरकोट स्थित अस्पताल को राज्य सरकार को न सौंपने के लिए उन्हें अभ्यावेदन दिया है, यदि हां, तो इस मामले में उन्होंने क्या निर्णय लिया है; और

(घ) परलकोट स्थित अस्पताल के कार्य के सम्बन्ध में स्थिति क्या है और उसमें किस प्रकार कार्य चल रहा है तथा उसका वित्तीय और प्रशासनिक नियन्त्रण किसके पास है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण को समाप्त करने के लिए अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) उमरकोट जोन के निवासियों ने यह अनुरोध किया था कि उमरकोट जोन के अस्पताल का प्रबन्ध राज्य सरकार को सौंपे जाने की बजाए भारत सरकार द्वारा अपने हाथ में रखा जाए। यह अस्पताल औषधालयों, प्राथमिक सहायता केन्द्रों और स्वास्थ्य उपकेन्द्रों जैसे अन्य चिकित्सा संस्थानों से सम्बद्ध है जिन्हें अन्त में दण्डकारण्य परियोजना की अन्य परिसम्पत्तियों/संस्थानों सहित उड़ीसा सरकार को हस्तान्तरित किया जाना है। तद्नुसार, उमरकोट जोन का सामान्यीकरण किए जाने पर उमरकोट के अस्पताल को भी राज्य सरकार को हस्तान्तरित करने का प्रस्ताव है।

(घ) परलकोट अस्पताल का कार्य सन्तोषजनक चल रहा है और यह तब तक दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण के अधीन कार्य करता रहेगा जब तक कि उमरकोट जोन का सामान्यीकरण नहीं कर दिया जाता है।

श्री के० प्रधानी : सरकार ने दण्डकारण्य परियोजना को समाप्त करने का कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है, इसके लिए मैं माननीय मन्त्री को बधाई देता हूं। इस परियोजना के अन्तर्गत पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों का पुनर्वास ही नहीं करना है बल्कि कुछ क्षेत्र-विकास-कार्य भी करना है। इस पुनर्वास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करते समय सरकार ने निम्नलिखित विकास परियोजनायें भी पूरी करने का वचन दिया था, (1) मास्कौ बांध परियोजना को पूरा करना; (2) अमरकोट में एक मक्का फैक्ट्री; और (3) मल्कानगिरि में एक कालेज भवन का निर्माण हाल ही में उन्होंने इन प्रस्तावों का त्याग कर दिया है क्योंकि वे कह रहे हैं कि वे इस परियोजना को ही समाप्त कर रहे हैं। क्या सरकार उपर्युक्त कार्यों को पूरा करने का काम यथाशीघ्र पुनः चालू करेगी ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जो भी कार्य आरम्भ किए गए हैं उन्हें पूरा किया जायेगा। जहां तक सामान्यीकरण का प्रश्न है, यद्यपि सरकार ने निर्णय ले लिया था, पश्चिम बंगाल के कुछ प्रतिनिधि और संसद के कुछ प्रतिनिधि प्रधान मन्त्री से मिले थे जिसके फलस्वरूप पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्रियों के साथ गृह मन्त्री के सभापति में एक उच्चस्तरीय बैठक होगी। यह बैठक यद्यपि दो बार निश्चित हुई थी तथापि अभी तक नहीं हो पाई है। उस बैठक में दण्डकारन्य परियोजना के तीनों जोनों के सामान्यीकरण के प्रश्न को हल किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने आपको वह निर्णय न लेने के लिये बधाई दी थी। है ना ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : इसलिए मैंने कहा कि इस प्रश्न पर विचार करने और इस सामान्यीकरण के बारे में फैसला करने के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक होगी।

श्री के० प्रधानी: उमरकोट के निकट मासकल नाम की एक सिंचाई परियोजना है। इसका निर्माण दण्डकारण्य परियोजना द्वारा किया गया तथा यह विस्थापितों एवं जनजाति के लोगों के लिए थी। इस परियोजना का आयकट लगभग 13000 एकड़ है। परन्तु खेद का विषय है कि इससे 3000 एकड़ की सिंचाई भी उचित रूप से नही हो पाती तथा दण्डकारण्य परियोजना ने रख-रखाव के लिए इस परियोजना को राज्य सरकार को सौंप दिया है। क्या मैं मन्त्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या वह इसे पूरा करेंगे अथवा राज्य सरकार से इसे वापिस ले लेंगे तथा यथापेक्षित सिंचाई के लिए जैसा कि वे चाहते थे, उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मासकल बांध के वापिस लेने का प्रहन नहीं है क्योंकि इसका उड़ीसा सरकार को स्थानान्तरण बिना मूल्य 1.९.1973 को किया गया था। अब 1984 है। ग्यारह वर्ष के बाद भी वह मांग कर रहे हैं कि इसे वापिस लिया जाए। मैं समझता हूं कि बेहतर होगा यदि वह उड़ीसा सरकार से सम्पर्क करें ताकि अधूरे कार्य को पूरा किया जा सके।

श्री के० प्रधानी: मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं ?

श्री के० प्रधानी : यह बात स्पष्ट नहीं है कि क्या वह अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए धन देंगे।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मेरी जानकारी के अनुसार यह बांध उड़ीसा सरकार को 1973 में ही स्थानान्तरित कर दिया गया था·····

श्री चित्त बसु : बिना उसे पूरा किये।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : अब माननीय सदस्य बता रहे हैं कि बांध पूरा नहीं हुआ है। मैं नहीं जानता कि 1973 में स्थानान्तरण के ग्यारह वर्ष बाद भी यह अधूरा क्यों है ?

श्री समर मुखर्जी : वास्तविक समस्या यही है। इस प्रश्न से पता चलता है कि सिंचाई का लक्ष्य 13000 एकड़ था परन्तु केवल 3000 एकड़ की सिंचाई की जा रही है। इसलिए दण्डकारण्य परियोजना के सभी शरणार्थी इस परियोजना के समाप्त किए जाने के विरुद्ध हैं। बिना पूरा किये वह विकास कार्य को राज्य सरकारों को स्थानान्तरित करती जा रही है। यह कार्य बिना अपेक्षित धन की व्यवस्था किये तथा इस दण्डकारण्य परियोजना प्राधिकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को दी गई विशेषज्ञ तकनीक की व्यवस्था के बिना किया जा रहा है। उसे वापिस लिया जा रहा है। अतः कुल मिलाकर सम्पूर्ण स्थिति बहुत गम्भीर है। इसलिए राज्य सरकार ने दण्डकारण्य परियोजना के समाप्त किये जाने का विरोध किया है। मैंने कई बार उनके साथ विचार-विमर्श किया है। वह समस्या से परिचित हैं। अब वह इस तर्क के आधार पर कि इसे 11 वर्ष पूर्व 1973 में स्थानान्तरित कर दिया गया था। अपनी असमर्थता जता रहे हैं। परन्तु आपको समस्या का सामना करना है। केवल 3000 एकड़ की सिंचाई हो रही है·····

अध्यक्ष महोदय : समस्या का मुकाबिला वह करेंगे अथवा उड़ीसा सरकार करेगी ?

श्री समर मुखर्जी : उड़ीसा सरकार का कोई उत्तर दायित्व नहीं है। उनके पास कोई विशेषज्ञ नहीं हैं। उन्हें धन की आवश्यकता है। केन्द्रीय सरकार का कहना है कि वह और धन नहीं देगी। राज्य सरकार के पास धन की कमी है। मध्य प्रदेश की भी यही स्थिति है— परल कोट क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रों की उड़ीसा की जैसी ही स्थिति है। इसलिए पश्चिम बंगाल से हमने बार-बार मांग की थी कि कार्य सम्पन्न किए बिना योजना को ठप्प नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए प्रधान मन्त्री को भी अभ्यावेदन किया गया था। उन्हें पूरा विवरण मालूम है, मैं भी उस चर्चा में सम्मिलित था। मैं कहना चाहता हूं कि एक-एक करके परियोजनाओं को त्यागा जा रहा है जबकि औपचारिक निर्णय लिया जाना है। तथ्य यही है। मैंने दण्डकारण्य क्षेत्र का दौरा किया है। उनकी यह शिकायत है। अतः क्या अब वास्तविक अन्तरण रोक दिया जायेगा ? एक-एक करके उन्हें बन्द किया जा रहा है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि दण्डकारण्य परियोजना बन्द नहीं की जायेगी। दण्डकारण्य परियोजना के चार क्षेत्र हैं। चार क्षेत्रों में से तीन क्षेत्रों में कार्य लगभग सम्पन्न हो गया है। अतः सरकार उसे मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा राज्य सरकारों को अन्तरित करने का विचार कर रही है। इस बीच अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं तथा सरकारी स्तर पर निर्णय लिया

गया कि संबंधित मुख्य मंत्रियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई जाए तथा सामान्यकरण के इस प्रश्न पर निर्णय लिया जाए। जब तक इस मामले पर निर्णय नहीं लिया जाता, हम चल रहे सभी क्रिया-कलापों को जारी रखेंगे। राज्य सरकार को कुछ भी अन्तरित करने का कोई प्रश्न नहीं है।

तदर्थ आधार पर की गई पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के अनुदेश

*433. **श्री डूमर लाल बैठा :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1983 में कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग ने तदर्थ आधार पर की गई पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण उपलब्ध कराने के अनुदेश जारी किए थे;

(ख) यदि हां, तो डाक एवं तार विभाग की दूरसंचार शाखा में इन अनुदेशों के अब तक कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) इन अनुदेशों के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है; और

(घ) अनुदेशों को क्रियान्वित न करने पर क्या कार्यवाही की गई है, किए जाने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (विजय एन० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) डाक-तार विभाग की दूरसंचार शाखा में कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का पालन किया गया है।

(ग) और (घ) उपरोक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री डूमर लाल बैठा : प्रश्न संख्या 433 (ख) के उत्तर में बताया गया है कि अनुदेशों का पालन किया गया है। मैं ऐसे बहुत से उदाहरण दे सकता हूं जहां इन अनुदेशों की अवज्ञा हुई है। यदि आप पदोन्नति के मामलों को ही लें तो अक्तूबर, 1983 में टी० इ० एस० ग्रुप 'बी' तथा आई० टी० ई० ग्रुप-'ए' के अधिकारियों के चार रिक्त स्थान ही भरे गए जबकि रिक्त स्थानों की संख्या 25 थी तथा अनुसूचित जातियों को कोई पदोन्नति नहीं दी गई। अनुसूचित जातियों के आरक्षण नहीं दिये गये। उसी प्रकार अनुसूचित जनजातियों के मामले में, दिसम्बर, 1983 में 25 स्थान रिक्त थे। चार स्थान भरे गये। पर न तो अनुसूचित जातियों के और न ही अनुसूचित जन-जातियों के आरक्षण भरे गये। यह मामला है। सभी अनुदेशों एवं सरकार की नीति के बावजूद ये अधिकारी उन अनुदेशों का पालन पूरी तरह से नहीं करते तथा फलस्वरूप सर्वत्र असन्तोष विद्यमान है। क्या सरकार बता सकती है कि आरक्षण सम्बन्धी अनुदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया।

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : माननीय सदस्य ने दो मामलों की ओर ध्यान दिलाया है। ऐसे प्रत्येक मामले का अध्ययन किया जाता है। तदर्थ पदोन्नति के मामलों में कमियां हो सकती हैं परन्तु स्थानापन्न पदों के बारे में मामले ग्रह मंत्रालय को स्पष्टीकरण के लिए भेजे जाते हैं। जहां तक माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित उदाहरणों का प्रश्न है, मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं कि हम उनकी जांच करेंगे तथा सुनिश्चित करेंगे कि नीति का पालन किया जाए।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए डाक विभाग के विभागेतर कर्मचारियों के लिए कोई अनुदेश हैं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के आवेदकों को पृथक न जाये, यदि ऐसा कोई अनुदेश है तो क्या उसका अधिकारियों द्वारा पालन किया जाता है। मेरे पास मेरे राज्य से बहुत सी शिकायतें आई हैं कि जिन मामलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवार समान अर्हता प्राप्त अथवा किन्ही मामलों में अधिक अर्हता प्राप्त भी होते है, तो भी उनकी उपेक्षा की जाती है। ऐसी शिकायत मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है।

फिर श्रीमान, कुछ समय पूर्व आपने हमें आश्वासन दिया था कि इन विभागोत्तर कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में सुधार किया जाएगा तथा आप इस बारे में कार्यवाही करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने अपना निर्णय ले लिया है। यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री वी० एन० गाडगिल : महोदय यह प्रश्न मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि विभागोत्तर ऐजेंट सरकारी कर्मचारी नहीं होते। अतः ये नियम उन पर लागू नहीं होते। जैसा कि आप जानते हैं वे अन्य व्यवसायों से उनमें से अधिकांश गावों में शिक्षक आदि होते हैं तथा उन्हें अंशकालिक कार्य के रूप में काम दिया जाता है।

विभागेत्तर ऐजेंटों के मामले में सरकार का सदा यही मत रहा है कि वे सरकारी कर्मचारी नही हैं।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है वे है उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं से इसका मूल उत्तर से कोई सम्बन्ध नहीं है। फिर भी मैं कहना चाहता हूं। पिछली बार जब वेतन आयोग की नियुक्ति की गई थी तो विभागेत्तर एजेंटों के मामले का अध्ययन करने के लिए एक पृथक समिति गठित की गई। ताकि वह विभागोत्तर ऐजेंटों के मामले का अध्ययन कर सके।

प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या विभागोत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति के मामले में अनुसूचित जातियों/जन जातियों के लिए कोई अनुदेश जारी किए गए हैं। यदि कोई अनुदेश हैं तो क्या उनका पालन होता है।

श्री वी० एन० गाडगिल : श्रीमान, संभवतः मेरी जानकारी सही न हो—ऐसा कोई अनुदेश जारी नहीं किया गया है। वे विभागेत्तर ऐजेंट हैं।

श्री बालकृष्ण वासनिक : कई बार ऐसा देखा गया है कि आरक्षणों की नीति की अवहेलना करने तथा चहेतों को लाभ पहुंचाने के निमित्त तदर्थ नियुक्तियां की जाती हैं। क्या मन्त्री महोदय के ध्यान में ऐसे कोई मामले आये हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह परिकल्पित प्रश्न है।

श्री वी० एन० गाडगिल : छः लाख कर्मचारी हैं। उन में से 3 लाख विभागीय हैं। जो मामले मेरी जानकारी में आते हैं, वे अखिल भारतीय केडर के होते हैं।

श्री हीरालाल आर परमार : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि चौथी श्रेणी में स्वीपरों की भर्ती में सौ प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोगों को लिया जाता है। इसमें एक ही जाति के लोगों को क्यों लिया जाता है। क्या स्वीपरों की भर्ती को आरक्षण के कोटे में से निकाला जाएगा या नहीं निकाला जाएगा ?

श्री वी० एन० गाडगिल : यह मामला पहली बार मेरी जानकारी में आया है। मैं निश्चय ही इस पर विचार करूंगा।

चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान पेट्रोरसायन एककों की स्थापना

*434. **श्री अमर राय प्रधान**
श्री सत्यगोपाल मिश्र } : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में अब तक कितने पेट्रो-रसायन एकक स्थापित किए गए हैं;

(ख) चालू पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान कितने पेट्रो-रसायन एकक स्थापित किए जाएंगे और इन एककों को किन-किन स्थानों पर स्थापित किया जाना है; और

(ग) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) छः नये मुख्य पेट्रो-रसायन यूनिटों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त चार मौजूदा यूनिटों ने अपनी क्षमताओं में काफी विस्तार किया है।

(ख) और (ग) अतिरिक्त चार और मुख्य पेट्रो-रसायन संयंत्र-2 असम (बोंगाईगांव) और गुजरात (बड़ौदा) और महाराष्ट्र (रायगढ़) में एक-एक, पूरा होने की अन्तिम अवस्था में हैं। इन्हें चालू पंचवर्षीय योजना की बकाया अवधि के दौरान पूरा करने का कार्यक्रम है।

श्री अमर राय प्रधान : सभापति महोदय, मन्त्री महोदय ने बड़ी चतुराई तथा बुद्धिमत्ता से प्रश्न का उत्तर दिया है। मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि इन छः संयंत्रों में जिन दो का उल्लेख

नहीं किया गया है—केवल चार का उल्लेख किया गया है : उनमें हाल्दिया पेट्रो-रसायन यूनिट भी शामिल है ? यदि हां, तो हाल्दिया पेट्रो-रसायन यूनिट की प्रगति क्या है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री पी० शिव शंकर : महोदय, हाल्दिया के सम्बन्ध में हम इस सदन में बहुत विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं।

वास्तव में हाल्दिया पेट्रो-रसायन समूह के सम्बन्ध में सहायता प्रतिवेदन केवल फरवरी, 1984 में प्राप्त हुआ। उसे पर्यावरण विभाग के पास भेजा गया है। उसके बाद आवश्यक कार्यवाही की जायेगी जिसमें 5-6 महीने लग सकते हैं।

अतः, स्थिति यह है।

मैं हाल्दिया पेट्रो-रसायन समूह के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करना नहीं चाहूँगा क्योंकि इस मामले पर इस सभा में एक से अधिक बार चर्चा हो चुकी है।

शुरू में 1977 में एक आशय-पत्र जारी किया गया था। बाद में आशय-पत्र में संशोधन करना पड़ा था। इसके बाद 1981 में राज्य से संयुक्त उद्यम के लिए सुझाव प्राप्त हुआ था जिसे मैं समय-समय पर इस सभा में स्पष्ट रूप से बता चुका हूं। वर्तमान स्थिति यह है। उत्पाद मिश्रण के सम्बन्ध में संशोधित साध्यता प्रतिवेदन फरवरी, 1984 में प्राप्त हुआ है और इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री अमर राय प्रधान : जी हां, इस विषय पर इस सम्मानित सदन में काफी अधिक चर्चा हो चुकी है। मैं इससे सहमत हूं। इस पर यहां सभा में तथा बाहर भी कई बार चर्चा की जा चुकी है। जब कभी माननीय मन्त्री जी अथवा उनका कोई भी मन्त्रिमण्डलीय सहयोगी कलकत्ता या पश्चिम बंगाल जाये, तो वह स्वयं ही देख लेगा कि हाल्दिया पेट्रो-रसायन समूह अनिवार्य है। इस विषय पर बहुत अधिक आश्वासन दिये जा चुके हैं।

माननीय प्रधान मंत्री ने कहा है :—

'हाल्दिया पेट्रो-रसायन समूह अनिवार्य है।'

आप से पूर्ववर्ती मंत्री श्री प्रकाश चन्द्र सेठी ने 29 नवम्बर, 1984 को यह कहा था :—

"हाल्दिया पेट्रो-रसायन यूनिट के लिए लाईसेंस शीघ्र जारी कर दिया जायेगा।"

8वें दशक में पेट्रो-रसायन यूनिटों सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी का उद्घाटन करते समय उन्होंने यह बात कही थी।

बाद में आपके कनिष्ठ सहयोगी, श्री गार्गी शंकर मिश्र ने 5 दिसम्बर, 1983 को राज्य सभा में यह कहा था :

"इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड इस पर विचार कर रहा है । साध्यता प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।"

पश्चिम बंगाल के लोगों को इस परियोजना के लिए और कितने समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ? कितने समय तक आप स्वयं तथा प्रधान मंत्री सहित आपके मंत्रिमण्डलीय सहयोगी इसे राजनीति का खिलवाड़ बनाते रहेंगे ?

श्री पी० शिव शंकर : मैं उस आरोप के बारे में चर्चा नहीं करूँगा जो मेरे मित्र ने लगाने का प्रयास किया है। सच बात यह है। मैंने इसे स्पष्ट कर दिया है और यदि आवश्यक हुआ तो मैं इसे पुन: स्पष्ट कर दूंगा।

इस बात के बावजूद कि आशय-पत्र 1977 में जारी किया गया था, पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम ने नये प्रस्ताव रखे थे।

जैसा कि मैंने कहा है कि आखिरकार उन्होंने केवल 1981 में कहा कि वे इसके लिए वित्त देने में समर्थ नहीं होंगे और वे चाहते थे कि केन्द्रीय सरकार अनिवार्य रूप से अपने आपको अधिक प्रभावी ढंग से इसमें सम्मिलित करे जिसमें केन्द्रीय सरकार का अंश अवश्य ही 40 प्रतिशत हो; राज्य सरकार का अंश 40 प्रतिशत हो और वित्तीय संस्थाओं द्वारा 20 प्रतिशत योगदान हो। बाद में यह महसूस किया गया था कि उत्पाद-पैटर्न के आधार पर यह साध्य नहीं होगा। इसलिए उनसे पूछा गया था कि क्या उत्पाद-पैटर्न के आधार पर व्यवहार्य होगा इसके बाद उन्होंने एक भिन्न उत्पाद-पैटर्न प्रस्तुत किया और फिर जब हमने इस पर विचार किया तो 800 करोड़ रुपये की राशि का अनुमान लगाया गया जिसे खर्च किया जाना था। जैसाकि मैं पहले बता चुका हूं कि यह संशोधित प्रतिवेदन फरवरी, 1984 में प्राप्त हुआ है। यह उचित नहीं है कि मैं आप पर दोष लगाऊँ अथवा राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार को दोषी ठहराये। वर्तमान स्थिति यह है कि संशोधित साध्यता प्रतिवेदन, जो अब प्राप्त हुआ है, विचाराधीन है। मैंने बताया है कि पर्यावरण दृष्टि से मंजूरी सहित प्रारम्भिक कार्य पूरा करने के अभिप्राय तथा उसके बाद इसे पी० आई० बी० के समक्ष प्रस्तुत करने तथा इसके पश्चात इसे मन्त्रिमण्डल के समक्ष रखने आदि में लगभग छ: महीने का समय लग जायेगा। अत:, इन औपचारिकताओं के पूरा हो जाने पर इसके बारे में आगे कार्यवाही की जा सकती है। जहाँ तक हाल्दिया में पेट्रो-रसायन समूह के सम्बन्ध में, जैसा कि माननीय सदस्य कहने का प्रयास कर रहे हैं, यह अनिवार्य है, चाहे इसे राज्य करे, अथवा यह संयुक्त उद्यम के रूप में हो या कि चाहे किसी अन्य रूप में। किसी भी समय हमने यह नहीं कहा है कि इसे स्थापित नहीं किया जाना चाहिये। किन्तु तब बात यह है कि यदि आप पैटर्न को बदलते जायेंगे, तो इसमें विलम्ब होता जायेगा। मेरा कथन यह है कि यदि मान लिया जाये कि यह व्यवहार्य नहीं है, यदि उसके आधार पर मुझे यह सुझाव देना पड़े, और यदि इसमें समय लग जाये, तो आप इसके लिए केन्द्र को दोषी नहीं ठहरा

सकते अथवा मैं राज्य पर दोष नहीं लगा सकता। यह उचित नहीं है। यदि इस प्रकार की कोई बात आप करते हैं, तो किसी प्रकार का विकास नहीं हो सकता है।

प्रो० अजित कुमार मेहता : 6 इकाइयों की बात कही गई है और यह कहा गया कि 4 इकाई अभी कम्प्लीट होने को हैं। बिहार में बरौनी रिफाइनरी बहुत पहले स्थापित हो गई थी और 10,12 साल पहले परिकल्पना की गई थी कि यहां पेट्रो केमिकल काम्प्लेक्स स्थापित होगा जिसके लिये केन्द्रीय दल ने सर्वे करके अनुशंसा भी की। पिछले दिनों यह भी आश्वासन मिला कि यहां बनने जा रहा है। लेकिन क्या कारण है कि प्रश्नोत्तर में इसकी कोई चर्चा नहीं है? क्या बिहार को इसी तरह पीछे धकेलते रहेंगे औद्योगीकरण में भी?

श्री पी० शिव शंकर : महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य बरौनी में पेट्रो-रसायन समूह का उल्लेख कर रहे हैं। एक गैर-सरकारी कम्पनी, अर्थात् मैसर्स बी० ए० एस० एफ०, बिहार में बरौनी के पास 50,000 टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले केपटोलेक्टिम संयंत्र की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन था। किन्तु, इस समय स्थिति यह है कि यह कम्पनी उसकी स्थापना करने से मुकर गयी है। मैं केपटोलेक्टिम संयंत्र के बारे में कह रहा हूं। अब वह कम्पनी यह कहती है कि उसके लिए बरौनी में केपटोलेक्टिम संयंत्र स्थापित करना सम्भव नहीं होगा। अब प्रश्न यह है कि हमें कोई पार्टी ढूंढनी होगी। वास्तव में मैं पहले ही मुख्य मन्त्री से अनुरोध कर चुका हूं कि उनका औद्योगिक विकास निगम किसी पार्टी को ढूंढ निकाले जो इन कार्य को करा सकें।

प्रो० एन० जी० रंगा : किसी अन्य स्थान पर इसकी स्थापना क्यों नहीं की जाती?

श्री पी० शिव शंकर : महोदय, प्रो० रंगा मेरे प्रश्न का उत्तर देते दिखाई देते हैं। अतः, मैं बैठ जाता हूं।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मैं बरौनी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूं और हमारे इतने वृद्ध सदस्य ने कहा कि सीम्स ढाबी होपलैस। यह कहना मुनासिब नहीं लगता क्योंकि अगर होपलैस रहता तो वहां रिफाइनरी नहीं बनती, बरौनी में। मन्त्री महोदय ने कहा कि बी० ए० एस० एफ० पार्टी बैक आउट कर गई है। 1980 से यह बातें चल रहीं हैं और कोई भी कम्पनी को अगर 3 4 साल तक सरकार फाइनल आर्डर नहीं देती है कि क्या करना है तो नैचुरली वह कम्पनी बैक आउट करेगी। कितने दिनों तक कोई प्रतीक्षा करे। उस कम्पनी ने 2-3 बार जाकर बरौनी में स्थल का निरीक्षण किया, सरकार को प्रतिवेदन किया कि वह वहां काम करने को तैयार है। लेकिन सरकार की ओर से कोई स्पष्ट उत्तर उसे नहीं मिला। तो इतने दिन तक कोई प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मैं मन्त्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या कारण है जिसकी वजह से वह कम्पनी बैक आउट कर गई? क्यों नहीं वहां काम करना चाहती? हमारे बिहार के मुख्य मन्त्री बार-बार आते हैं और अनुरोध करते हैं, बिहार विधान सभा में भी दो, दो बार रिजोल्यूशन पास हुआ है और उसकी

प्रतिलिपि भी यहां आपके मन्त्रालय में आयी है। इसलिए क्या कारण है वह बैंक आउट कर गये हैं, और क्यों नहीं लगाना चाहते हैं ?

श्री पी० शिव शंकर : यह बात सच है कि वे लोग वहां गए थे तथा उन्होंने निर्धारित स्थल का निरीक्षण किया था। उस स्थल का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा कि उस स्थान पर आर्थिक रूप से साध्य एक कार्य की स्थापना करना उनके लिए सम्भव नहीं है। वैसा उनका अपना विचार था। उस दृष्टिकोण से ही वे यह कह रहे थे कि उन्हें कोई अन्य स्थान पर इस प्रकार के संयंत्र की स्थापना करने का अवसर दिया जाये। उन्होंने पारादीपुर के लिए कहा। किन्तु, उस सम्बन्ध में अभी अन्तिम रूप से निर्णय नहीं किया गया है।

डा० सुब्राह्मण्यम स्वामी : मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया कि महाराष्ट्र में यह इकायी अग्रिम चरण में है। मैं यह पूछना चाहूंगा कि इस चरण की वास्तविक स्थिति क्या है और क्या महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री ने हाल में उन्हें कुछ लिखा है।

अध्यक्ष महोदय : आप अग्रिम चरण को नही समझते हैं।

डा० सुब्राह्मण्यम स्वामी : जी, नहीं। क्या यह प्रसूति पीड़ा के मामले में हैं ? उन्हें सभी स्थानों पर श्रमिकों सम्बन्धी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री ने उन्हें लिखा था। कि उरां के निकट उद्योग समूह के लिए जितनी धनराशि का नियतन किया गया है वह भूमि को अर्जित करने हेतु अधिग्रहण सम्बन्धी कार्यवाही करने के लिए अपर्याप्त है। क्या यह बात सच है ? महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री ने मुझे स्वयं एक नोट भेजा है जिसमें कहा गया है कि सरकार इस बारे में कुछ भी नहीं कर रही है। वह अग्रिम चरण क्या है ? क्या उन्हें श्रमिक सम्बन्धी समस्याओं अथवा किन्हीं अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ?

श्री पी० शिव शंकर : यह एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत ही जटिल है। ऐसा लगता है कि मेरे मित्र ने इन दोनों बातों को उलझा दिया है। जब मैं कह रहा था कि चार पेट्रो-रसायन समूह अग्रिम चरण पर हैं, उन्हें छठी योजना में चालू किया जाएगा तो महाराष्ट्र के संदर्भ में मैं पता लगाऊंगा, महाराष्ट्र में 60,000 टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले बाम्बे डाइंग डी० एम० टी० परियोजना का उल्लेख कर रहा था। मुख्य मन्त्री ने उस बारे में कभी नहीं लिखा है। यह एक भिन्न बात है। मुख्य मन्त्री ने महाराष्ट्र गैस क्रेकर समूह के बारे में लिखा है जो कि डी० एम० टी० परियोजना से पूर्णतया भिन्न है। इस परियोजना को जिला रायगढ़ में नागो थाने में स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। हम परियोजना की अनुमानित लागत 1167 करोड़ रुपये है। परियोजना प्रस्ताव को पी० आई० बी० के पास विचारार्थ भेजा गया है। जब इसे वहां से मंजूरी मिल जायेगी, तो इसे मंत्रिमण्डल के समक्ष रखा जायेगा। बेशक इसे छठी योजना के केन्द्रीय क्षेत्र में शामिल किया गया है और यह मामूली सी राशि है जिसका प्रावधान 1984-85 के बजट में किया गया है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं बहुत प्रसन्न हूं कि मंत्री महोदय ने कहा है कि हाल्दिया पेट्रो-रसायन समूह पश्चिम बंगाल के लिए अनिवार्य है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह व्यक्तिगत रूप से इसे पर्यावरण विभाग से मंजूरी दिलवाने की पहल करेंगे ताकि और अधिक समय न लगे और परियोजना को शीघ्र शुरू किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने आप के सुझाव को नोट कर लिया है।

श्री पी० शिव शंकर : केन्द्रीय सरकार इस परियोजना के बारे में उत्सुक रही है, किन्तु कई बार पूरी तरह चाहते हुए भी काम नहीं हो पाता है और यही कुछ इस उद्योग समूह के साथ हुआ है। हाल में पश्चिम बंगाल के वित्त मन्त्री को मेरे साथ विस्तृत रूप से बातचीत हुई है और वह तो कम से कम यह चाहते थे कि इसे शुरू किया जाना चाहिए ताकि 7वीं योजना में इसे सम्मिलित किया जा सके। मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि जहां तक केन्द्र का सम्बन्ध है, वह भरसक प्रयास करेगा ? मैं इसके इतिहास के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं किन्तु, इस उद्योग समूह की स्थापना करनी होगी क्योंकि अन्यथा हम वहां के तेल शोधक कारखाने की कच्ची सामग्री का उपयोग नहीं कर पायेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसे 7वीं योजना में स्थापित किया जायेगा।

खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों का आयात

*438. **श्री छोटू भाई गामित** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में गैस सिलेंडरों की बढ़ती हुई कमी को ध्यान में रखकर ब्राजील से 8 लाख सिलेंडरों के आयात का निर्णय लिया है ; और

(ख) राज्यों की मांग के अनुरूप इन आयातित सिलेंडरों के वितरण के लिए सरकार ने क्या मानदण्ड निर्धारित किये हैं।

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) आयातित सिलेंडरों के वितरण के लिए कोई अलग प्रक्रिया नहीं है। इन्हें देश के अंदर से प्राप्त किये गए सिलेंडरों के साथ ही वितरण प्रणाली में शामिल किया जायेगा।

श्री छोटू भाई गामित : अध्यक्ष महोदय, देश में दिन-प्रतिदिन ईंधन गैस की समस्या जटिल होती जा रही है और लोगों को ईंधन की समस्या का कड़ा सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ हमारे देश में प्राकृतिक गैस का विपुल भण्डार मिला है और गुजरात में अंकलेश्वर आदि जगहों पर गैस को निकम्मा जलाया जा रहा है क्योंकि इस गैस को भरने के लिए सिलिंडर नहीं हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि हमारे देश में कुल कितने सिलिंडरों की मांग है और आयातित तथा देश

में उत्पादित किए गए सिलिंडरों की संख्या क्या है। बाकी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से क्या कार्यवाही की जा रही है ?···(व्यवधान)···

श्री पी० शिव शंकर : इम्पोर्ट तो इस साल किया गया है। योजना के अनुसार हमने इस वर्ष 16 लाख कनैक्शन देने हैं किन्तु मैं आशा करता हूं कि हम लगभग 14 लाख तक कनैक्शन दे पायेंगे। वास्तव में हमें लगभग 50 से 55 लाख सिलिंडरों की आवश्यकता होगी और आज की स्थिति के अनुसार चालू वर्ष में यद्यपि स्थापित क्षमता 55.35 लाख सिलिंडरों की है, तो भी हमें 50 लाख सिलिंडरों की आवश्यकता होगी। हम विभिन्न विनिर्माण इकाइयों को प्रोत्साहित करते रहे हैं। विनिर्माण के उद्देश्य से डी० जी० टी० डी० ने सभी ओर की इकाइयों को पंजीकृत किया है कि हम यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में देशीय क्षमता का शत-प्रतिशत विकास हो।

श्री छीतूभाई गामित : क्या यह बात सच है कि गुजरात सरकार और अन्य प्राइवेट कम्पनियों ने सिलिण्डर बनाने के लिए इरादा पत्र की मांग की है ? यदि हां, तो उनके बारे में ब्यौरा देने की कृपा करें।

श्री पी० शिव शंकर : गुजरात की कम्पनी सहित विभिन्न कम्पनियों के प्रस्ताव आते रहे हैं। मैं उन कम्पनियों के ब्यौरे नहीं जानता हूँ जिन्होंने लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्र भेजे हैं, किन्तु सच तो यह है कि जहां तक मेरे मंत्रालय तथा उद्योग मंत्रालय का सम्बन्ध है, जैसा कि मैंने कहा है कि हम इन सिलिंडरों के विनिर्माताओं को प्रोत्साहित करते रहे हैं।

श्री दलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जो आदिवासी और हरिजनों को गैस-एजेंसीज दी गई हैं उन्हें समय पर गैस सिलिंडर का कोटा नहीं मिल पाता है इसलिए उपभोक्ताओं को भी कठिनाई होती है, तो क्या मंत्री महोदय सम्बन्धित विभाग को निर्देश देंगे कि उन्हें समय पर कोटा दिया जाय ताकि उपभोक्ताओं को कोई कठिनाई न हो ?

श्री पी० शिव शंकर : मुझे मालूम नहीं है कि उन आदिवासियों के साथ भेद-भाव बरता गया है जिनकी एजेंसियां सिलिंडरों की सप्लाई के बिना चल रही हैं। किन्तु यदि किसी ऐसी शिकायत को मेरे नोटिस में लाया जाता है, तो मैं इसकी ओर निश्चित रूप से ध्यान दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : अब सब कुछ ठीक हो गया है।

श्री डूमर लाल बैठा : सरकार ने बताया है कि 50 लाख गैस सिलिंडरों की रिक्वायरमेंट है, जिसके अगेंस्ट 35 लाख मैनुफैक्चर होते हैं···

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अशोधित तेल पर रायल्टी की दर

*426. श्री मोहन लाल पटेल
श्री सन्तोष मोहन देव } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से राज्य तेल का उत्पादन कर रहे हैं;

(ख) अशोधित तेल पर उनको भुगतान की जा रही रायल्टी की वर्तमान दर क्या है;

(ग) रायल्टी निश्चित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं;

(घ) क्या यह सच है कि तेल का उत्पादन करने वाले सभी राज्य रायल्टी की दर बढ़ाने हेतु केन्द्र से अभ्यावेदन कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उनकी मांगों का क्या ब्यौरा है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है।

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) कच्चे तेल का उत्पादन गुजरात, असम, नागालैंड और संघ क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है।

(ख) 61 रुपये प्रति मी० टन।

(ग) रायल्टी का सम्बन्ध कच्चे तेल के कूप-शीर्ष मूल्य से होता है और इसका निर्धारण उन राज्यों को, जहां तेल पैदा होता है, उचित राजस्व दिये जाने की वांछनीयता, तथा इस के साथ-साथ पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में इस से होने वाली वृद्धि की सीमा लगाये जाने को ध्यान में रख कर किया जाता है। इसे कच्चे तेल के कूप-शीर्ष मूल्य के 20% से अधिक नहीं रखा जा सकता है।

(घ) जी, हां।

(ङ) रायल्टी की दरों में संशोधन करने की कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है और सम्बद्ध राज्य सरकारों से इस सम्बन्ध में विचार मांगे गये हैं।

सी०सी०एल० और बी०सी०सी०एल० की धोवनशालाओं (कोलवाशरी) के ठेकेदारों द्वारा रूलरी अथवा स्लाइम से हार्ड कोक का पुनः उत्पादन किया जाना

*427. श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के कठारा, कारगली, स्वांग एवं गिदशी और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की मोनूडीह, सुदामडीह एवं दुग्धा कोयला धोवनशालाओं के स्लरी पौंडों से ठेकेदारों द्वारा प्रति वर्ष कई लाख टन स्लरी अथवा स्लाइम निकाल लिया जाता है और इससे कोयला ब्रिकेट बना कर पुन: हार्ड कोक बनाया जाता है;

(ख) क्या कोयले के चूरे से बड़े पैमाने पर हार्ड कोक बना कर ठेकेदारों द्वारा करोड़ों रुपये की अनियमितताएं की जा रही हैं; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर सकारात्मक हों, तो सरकार द्वारा कोयले के चूरे से ब्रिकेट बनाने और उसे ईंधन के रूप में आम जनता को बेचने के लिए ठेके उठाए जाने के क्या कारण हैं, जिससे सरकार को करोड़ों रुपये की आय होगी और हजारों लोगों को रोजगार के नए आयाम उपलब्ध होंगे ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी नहीं। इन सभी वाशरियों में इस्तेमाल होने वाली प्रक्रियाओं में अधिकतम मात्रा में कोयला मिलने की व्यवस्था है। इन सभी वाशरियों में पानी की कुछ मात्रा वाशरी से बाहर बह जाती है जिसमें 0.5 मि. मी. ठोस पदार्थ रहता है जिसे स्लरी कहते हैं। इस ठोस पदार्थ का जो भाग स्लरी से बाहर आ जाता है उसे सयत्र में ही निकाल लिया जाता है और जो भाग धुलाई/निकासी की यांत्रिक प्रक्रिया से बचकर निकल जाता है उसे तह में बैठाने के लिए बनाए गए अनेक तालाबों और पोखरों में तह में बैठने दिया जाता है और बाद में मजदूरों या मशीनों के जरिए निकाल लिया जाता है। इस प्रकार निकाले गए कोयला-चूर्ण को वाशरी में वापस ले जाया जाता है और धुले कोयले या मिड्लिंग्स में मिला दिया जाता है। सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की केवल कठारा और स्वांग वाशरियों में जो मात्रा पोखरों से नहीं निकाली जा पाती है उसे एक कच्चे पोखर में पहुँचाया जाता है। इन कच्चे पोखरों से कोयला-धूल निकालने और घरेलू कामों के लिए जनसाधारण को बेचने के लिए कोयले-ईंटें बनाने के लिए खुली निविदाओं (टेंडरों) के आधार पर सबसे अधिक बोली बोलने वाले को ठेके दिए जाते हैं। कोयला-धूल से कोई हार्ड कोक नहीं बनाया जाता है।

(ख) ऐसा कोई मामला पता नहीं चला है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

1000 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार की प्रोजेक्ट रिपोर्ट

*428. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने रिवर्सीबिल पम्प टर्बाइन लगाने तथा श्रीशैलम के निकट लगभग 1000 मेगावाट बिजली पैदा करने पर विचार करने के लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रोजेक्ट रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) राज्य प्राधिकारियों से एक प्रस्ताव की रूपरेखा प्राप्त हुई है जिसमें 110-110 मेगावाट के 9 पम्प टर्बाइन यूनिट प्रतिष्ठापित करके, श्रीशैलम के बाएं तट पर एक भूमिगत बिजलीघर विकसित करने की संभाव्यता का विचार व्यक्त किया गया है। इस प्रस्ताव में अपेक्षित तकनीकी ब्यौरे, लागत अनुमान आदि शामिल नहीं हैं। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अभी तैयार की जानी है।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा स्कीम की तकनीकी आर्थिक व्यवहारिकता सुनिश्चित हो जाने के बाद ही केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्कीम पर विचार किया जा सकता है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के कल्याण के लिए नियम तैयार करना

*430. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के कल्याण हेतु कर्मचारी भविष्य निधि (कर्मचारी और सेवा शर्त) विनियम, 1962 की धारा 5 (घ) की उपधारा (7) के अनुसार भर्ती/पदोन्नति नीति अब तक नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का ऐसी सेवा शर्तों/विनियमों को तैयार न करने पर क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ऐसे नियम कब तक तैयार कर लेगा ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) कर्मचारी भविष्य निधि (कर्मचारी और सेवा की शर्त) विनियमन, 1962 के विनियम 29 में **अन्य बातों के साथ साथ** यह व्यवस्था है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति सम्बन्धी मामलों के बारे में वही नियम लागू होंगे, जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समरूपी वर्ग को समय-समय पर लागू होते हैं। विनियमन 33 में यह भी व्यवस्था है कि विनियमन में कोई भी बात केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए दिए जाने वाले आरक्षण और अन्य सुविधाओं पर प्रभाव नहीं डालेगी। इन उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए, भर्ती, पदोन्नति आदि के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पदों के आरक्षण सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश/अनुदेश कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों पर लागू होते हैं और इस उद्देश्य हेतु किसी पृथक विनियमन के बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

कवास में गैस पर आधारित ताप ऊर्जा केन्द्र

*431. **श्री अमर सिंह राठवा**
श्री नवीन रावणी } : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजकल देश में ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि को जो 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल है, अधिक महत्व दिया जा रहा है ;

(ख) क्या गुजरात राज्य ऊर्जा उत्पादन के मामले में कमी वाले राज्यों में से एक है;

(ग) यदि हां, तो क्या गुजरात सरकार ने सूरत जिले में कवास में गैस पर आधारित ताप ऊर्जा केन्द्र की स्थापना के लिए केन्द्र को एक प्रस्ताव भेजा है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर कितना व्यय होने का अनुमान है;

(ङ) उसका यह प्रस्ताव कब से सरकार के पास लम्बित पड़ा है;

(च) क्या यह सच है कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने इस संबंध में प्रधानमन्त्री और ऊर्जा मंत्री को कई पत्र लिखे हैं; और

(छ) यदि हां, तो सरकार ने उक्त प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां ।

(ख) गुजरात की ऊर्जा की आवश्यकता कुल मिलाकर पूरी की जा रही है ।

(ग) से (छ) गुजरात बिजली बोर्ड ने सूरत के समीप कवास में 273.67 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की 3×130 मेगावाट क्षमता की संयुक्त साइकिल गैस टर्बाइन संयंत्र की प्रतिष्ठापना का एक प्रस्ताव अगस्त, 1982 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुत किया था । परियोजना में बम्बई हाई से अपतटीय गैस के समुपयोजन की परिकल्पना है लेकिन परियोजना के लिए गैस की सुनिश्चित उपलब्धता की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है । केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने भूमि, सड़क, रेलवे लाइन, भू-अन्वेषण, पारेषण तार-जाल तथा सिविल कार्यों के लागत अनुमान आदि के संबंध में गुजरात बिजली बोर्ड से स्पष्टीकरण भी मांगे हैं । गुजरात के मुख्यमंत्री को उनके पत्रों उत्तर में स्थिति से अवगत करा दिया गया है ।

उत्तर प्रदेश में उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जाना

436* **श्री दया राम शाक्य** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में किन स्थानों पर गैस अथवा नेप्था पर आधारित उर्वरक फैक्ट्रियां स्थापित करने की योजना की मंजूरी दी गई है,

(ख) इस संबंध में स्थानों के चयन हेतु क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं; और

(ग) राज्य के किन जिलों में उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग होता है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) यह निर्णय किया गया है कि उत्तर प्रदेश में गैस पर आधारित चार नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएं जिनमें से एक-एक संयंत्र बरेली, बदा. शाहजहांपुर और सुलतानपुर जिलों में होगा।

(ख) उर्वरक संयंत्रों के स्थान के सम्बन्ध में विभिन्न तकनीकी आर्थिक-पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय किया है कि :

गैस पाइप लाइन का रास्ता,

उर्वरकों की परिवहन लागत,

भूमि, जल, बिजली की तरह की इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं की उपलब्धता,

निर्माण के संतोषजनक निपटान सम्बन्धी सुविधाओं सहित, पर्यावरण संबंधी पहलू, और

उद्योगों के स्थान के बारे में सरकार की नीति ।

(ग) 1982-83 के लिए उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर बुलन्दशहर, मेरठ, मुरादाबाद तथा सहारनपुर उत्तर प्रदेश में नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का उपभोग करने वाले प्रमुख जिले थे।

जिला भरतपुर (राजस्थान) के कुम्हेर और अन्य क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधा

*436. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के भरतपुर जिले के कुम्हेर और अन्य क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में 1983 में उनके मंत्रालय में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उस पर अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने में कितना समय लगेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) यह प्रतिवेदन कुम्हेर में ट्रंक स्वचल एक्सचेंज सर्किट पुनः स्थापित करने तथा कुम्हेर से आगरा, जयपुर एवं दिल्ली के लिए सीधा ट्रंक सर्किट प्रदान करने के बारे में है। इसके अतिरिक्त, छः ग्रामों में सार्वजनिक टेलीफोनघर खोलने के लिए भी अनुरोध किया गया है।

अनजाने में उत्पन्न तकनीकी खराबी के कारण कुम्हेर एक्सचेंज के टेलीफोन आपरेटर को जयपुर स्थित ट्रंक ऑटोमैटिक एक्सचेंज के लिए सर्किट मिल गया था और फलस्वरूप उसके लिए जयपुर ट्रंक ऑटोमैटिक एक्सचेंज से जुड़े सभी स्थानों के लिए कॉल करना सुलभ हो गया था। इस भूल को ठीक कर लिया गया ताकि ट्रंक परिचालन का दुरुपयोग न हो सके। कुम्हेर में, जहाँ कि

छोटे हस्तचल एक्सचेंज द्वारा सेवा प्रदान की जाती है, एक श्रेणीबद्ध परिपथशाल की सुविधा का औचित्य नहीं बनता है। कुम्हेर से आगरा, जयपुर तथा दिल्ली के लिए सीधे ट्रंक सर्किटों का औचित्य नहीं बनता क्योंकि इस समय ट्रंक परियात बहुत कम है। छः ग्रामों में से केवल तीन ग्रामों अर्थात् अष्टवन, पपरेरा एवं सिनसिनी में सार्वजनिक टेलीफोनघर/संयुक्त डाक-तारघर खोलने का औचित्य बनता है। यह सुविधा सातवीं पंचवर्षीय योजना में उत्तरोत्तर प्रदान की जाएगी। शेष तीन ग्रामों अर्थात अबार, पागोर तथा आकरू का मामला विचाराधीन है।

(ख) तीन चुनिंदे ग्रामों अर्थात अष्टवन, पपरेरा एवं सिनसिनी में टेलीफोन सुविधा सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के दौरान प्रदान किए जाने की संभावना है।

कोल इंडिया लिमिटेड के नागपुर कार्यालय को मध्य प्रदेश स्थानान्तरित करना

*439. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोल इंडिया लिमिटेड के नागपुर कार्यालय को मध्य प्रदेश स्थानान्तरित करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इसे क्रियान्वित करने के लिए कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) इसके पहले गत वर्षों में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० का मुख्यालय नागपुर से हटाकर मध्य प्रदेश में बिलासपुर छिंदवाडा/जबलपुर लाने के सम्बन्ध में अनुरोध प्राप्त होते रहे थे। इस मामले पर सरकार ने विचार किया था और यह निर्णय किया गया था कि कंम्पनी का मुख्यालय नागपुर में ही रखा जाए क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से नागपुर की स्थिति ऐसी है कि यह कंपनी के मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में दूर-दूर तक स्थित कोयला क्षेत्रों से भलीभांति जुड़ा हुआ है और देश के सभी भागों से इसके रेल, हवाई जहाज और सड़क द्वारा सीधे और सुविधाजनक सम्बन्ध हैं। साथ ही, नागपुर में सुविकसित दूर संचार सुविधाएं भी हैं जिनके कारण यहां से केन्द्रीय सरकार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों, रेलवे, कोल इंडिया लि० के कलकत्ता मुख्यालय आदि के निकट सम्पर्क रखने में सहायता मिलती है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण कार्यालय भी नागपुर में ही हैं जैसे खान सुरक्षा महानिदेशक, रेलवे, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के प्रादेशिक मुख्यालय, केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान के कोयला सर्वेक्षण स्टेशन, खनिज समन्वेषण निगम, मुख्य विस्फोटक पदार्थ नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो के मुख्यालय, आदि। इसलिए मुख्य रूप से प्रशासनिक सुविधा को ही ध्यान में रखते हुए वे०को०लि० का मुख्यालय नागपुर में ही बनाए रखना ठीक समझा गया है।

कंपनी के दो प्रभागों में से एक प्रभाग का मुख्यालय मध्य प्रदेश के बिलासपुर में है जहां तक पूर्णकालिक निवासी निदेशक रहता है। दूसरा प्रभाग नागपुर में है। बिलासपुर प्रभाग में कोरबा, सोहागपुर, चिरीमिरी, बैठकपुर, झगराखांड और इब घाटी के कोयला क्षेत्र हैं।

फिर भी, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० का एक प्रादेशिक कार्यालय 1980 में छिंदवाडा में खोला गया था। यह कार्यालय इस क्षेत्र में कोयले के विकास और साथ ही कोयले बिक्री आदि से सम्बन्धित कार्रवाई करता है और इस क्षेत्र के पिछड़े हुए लोगों के लिए लाभदायक है।

खाना बनाने की गैस के सिलेंडरों की उपलब्धता

*440. **श्री सज्जन कुमार**
श्री कृष्ण चन्द्र पांडे } : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों का उत्पादन करने के लिए और लाइसेंस जारी न करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका कारण यह है कि सरकार के पास सिलेंडरों का एक बड़ा भण्डार जमा हो गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं।

ऊर्जा मत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) एल० पी० जी० सिलेण्डरों के निर्माण के लिए लाइसेंस देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए केवल तकनीकी विकास के महानिदेशक और राज्यों के उद्योग निदेशालयों के पास नाम रजिस्टर कराने की आवश्यकता होती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) आवश्यकताओं की तुलना में वास्तविक उत्पादन काफी कम है।

पांच करोड़ रूपए तक की लागत वाली विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी

*441. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति**
श्री बी० वी० देसाई } : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांच करोड़ रु० तक की लागत वाली विद्युत परियोजनाओं के लिए अब योजना आयोग की मंजूरी की आवश्यकता नहीं रहेगी;

(ख) क्या यह भी निर्णय किया गया हैं कि ऐसी परियोजनाओं के लिए अंतिम मंजूरी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दी जायेगी;

(ग) यदि हां, तो क्या छोटी परियोजनाओं की जिनकी इस समय केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा योजना आयोग द्वारा जांच-पड़ताल की जाती है; मंजूरी में विलम्ब को समाप्त करने के लिये यह निर्णय लिया गया है; और

(घ) ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में इससे कितनी सहायता मिलेगी, जो योजना आयोग की मंजूरी के इंतजार में अब तक रुकी पड़ी हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (घ) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक स्कीम जिसमें 1 करोड़ रु० से अधिक पूंजीगत व्यय होने का अनुमान है केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। जिस समय यह वित्तीय सीमा निर्धारित की गई थी उस समय से लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इस सीमा को 1 करोड़ रु० से बढ़ा कर 5 करोड़ रु० करने का एक प्रस्ताव तैयार किया गया है जिससे लघु स्कीमें प्राधिकरण को भेजने की आवश्यकता न रहे। इससे कुछ प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं समाप्त हो जायेंगी और लघु परियोजनाओं को शीघ्र हाथ में लेने में सहायता मिलेगी। तथापि, योजना आयोग से निवेश सम्बन्धी अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित बना रहेगा जैसाकि पहले योजना में शामिल करने के लिए सभी स्कीमों के सम्बन्ध में था। निवेश सम्बन्धी अनुमोदन प्रदान करते समय योजना आयोग को योजना में संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होती है।

कन्याकुमारी में ताप बिजली संयंत्र

*442. **श्री एन० डेनिस** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्याकुमारी में एक ताप बिजली संयंत्र लगाये जाने की संभावना पर विचार किया गया है;

(ख) यदि हां; तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रस्ताव की जांच करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) कन्याकुमारी में ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना करने के लिए तमिलनाडु बिजली बोर्ड से कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य में विद्युत आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्य क्षेत्र में ताप विद्युत केन्द्रों की स्थापना करने हेतु नए स्थलों की जांच करना तथा इनके लिए प्रस्ताव करना सम्बन्धित राज्य सरकार/राज्य बिजली बोर्ड का कार्य है।

मुफ्त ट्रंककाल सेवा उपलब्ध कराने वाले कर्मचारी

*443. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या संचार मन्त्री उड़ीसा में भद्रक टेलीफोन एक्सचेंज के एक कर्मचारी पर मुफ्त ट्रंककाल सेवा उपलब्ध कराये जाने के आरोप के बारे में 22 नवम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1177 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक जांच कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो चुने हुए ग्राहकों को मुफ्त ट्रंककाल सेवा उपलब्ध कराने के लिए दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी०एन० गाडगिल) : (क) जी हां।

(ख) भद्रक से टेलीफोन नम्बर 283 एवं 49 से विजाग एवं रायपुर के लिए क्रमश: 10.2.1983 एवं 25.2.1983 को दो निःशुल्क ट्रंककाल लगाने वाले एक टेलीफोन ऑपरेटर के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाही पूरी कर ली गई है। एक मामले में दो वर्ष के लिए वेतन वृद्धि रोक दी गई है तथा दूसरे मामले में दोषी कर्मचारी को निंदा पत्र दिया गया है।

जगदीशपुर, शाहजांहपुर तथा आंवला उत्तर प्रदेश में उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

*414. **श्री हरीश रावत** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में शाहजांपुर, जगदीशपुर और ओवला में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने हेतु इस बीच भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो इन संयंत्रों से सम्बद्ध कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है तथा इस संयंत्रों पर कितनी धनराशि खर्च होगी और इन संयंत्रों का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) जगदीशपुरा, शाहजांहपुर आवंला में स्थापना के लिए प्रस्तावित तीन उर्वरक संयंत्रों में से केवल जगदीशपुर परियोजना के संबध में भूमि अधिग्रहण करने के लिए प्रबन्धों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

प्रत्येक की अनुमानित लागत जो परियोजना प्राधिकारियों द्वारा दर्शाई गई है और कार्य प्रारम्भ होने और उसके पूरा होने का पूर्वानुमानित समय संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

परियोजना का स्थान	कार्य प्रारम्भ का पूर्वानुमानित	अनुमानित लागत (करोड़ रु०)
जगदीशपुर, उत्तर प्रदेश	मध्य 1984	662.6
शाहजांहपुर, उत्तर प्रदेश	1984	741·99
आवंला, उत्तर प्रदेश	1984 की अन्तिम तिमाही	699.5

इनमें से प्रत्येक परियोजना जीरो डेट से लगभग 42 महीनों में चालू होने की सम्भावना है।

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में पूंजीनिवेश

*224 **प्रो० रूपचन्द पाल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम पर लगभग 946 करोड़ रुपये खर्च किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त धनराशि के राज्यवार आबंटन का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री श्री पी० शिव शंकर (क) और (ख) : छठीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान योजना आयोग द्वारा किए गए 945.74 करोड़ रुपए के आवंटन की तुलना में सभी राज्यों और संघशासित क्षेत्रों ग्राम विद्युतीकरण कार्यों पर किया गया व्यय 981.03 करोड़ रुपये था। 1980-83 अवधि में किए व्यय का राज्यवार ब्यौरा दिखाने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

करोड़ रुपए में

क्रम सं०	राज्य का नाम	1980-81	1981-82	1982-83	जोड़
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	29.32	16.00	25.00(क)	70.9
2.	असम	7.55(ख)	11.22(ख)	11.5	30.31
3.	बिहार	20.09	18.89(0)	21.59	60.57
4.	गुजरात	17.39	12.42	6.46	36.27
5.	हरियाणा	22.55	24.39	19.72	66.66
6.	हिमाचल प्रदेश	6.97	5.88	9.50	22.35
7.	जम्मू व कश्मीर	3.41	3.85	4.38	11.64
8.	कर्नाटक	10.09	13.97	9.91(क)	33.97
9.	केरल	2.43(0)	3.45	6.93(ख)	12.81
10.	मध्य प्रदेश	34.85	25.09	30.53	90.47
11.	महाराष्ट्र	36.49	32.06	38.00(क)	106.55
12.	मणिपुर	0.96	0.89	1.29	3.14
13.	मेघालय	1.18	1.17	1.44	3.79
14.	नागालैण्ड	1.75	1.75	3.01	6.51
15.	उड़ीसा	11.97	14.20	12.99	39.16
16.	पंजाब	17.46	13.84	7.20	38.50

1	2	3	4	5	6
17.	राजस्थान	22.34	21.88	17.36	61.58
18.	सिक्किम	0.41	0.40	0.49	1.30
19.	तमिलनाडु	34.59	38.14	34.79	107.82
20.	त्रिपुरा	2.00	2.30	2.90	7.2
21.	उत्तर प्रदेश	31.98	38.44	35.00(क)	105.42
22.	प० बंगाल	17.21	16.71	17.42(क)	51.34
	जोड़ (राज्य)	332.99	317.84	317.45	968.28
	जोड़ (संघ शासित क्षेत्र)	4.69(0)	3.76(0)	4·30	12.75
	जोड़(अखिल भारत)	347.68	321.60	321.75	981.03

(क)—प्रत्तवृत्तियां अथवा अनुमोदित परिव्यय के आधार पर प्रत्याशित ।

(0)—परिव्यय के आंकड़ों पर आधिारित हैं क्योंकि आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं ।

धनबाद में ग्रामीण विद्युतीकरण

4896. **श्री ए० के० राय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के धनबाद जिले में ग्रामीण विकास के कार्यक्रम के भाग के रूप में एक विशाल ग्रामीण विद्युतीकरण अभियान आरम्भ किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजना में धनबाद जिले के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और 1 जनवरी, 1984 तक कितना लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ; तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि 1983 में अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है और अनेक स्थानों में खम्बे खेतों में पड़े हुए हैं जिससे खेती में रूकावट पैदा हो रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री श्री आरीफ मोहम्मद खां : (क) से (घ) बिहार राज्य बिजली बोर्ड से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

उत्तर प्रदेश में तेल की खोज

4897. **श्री जैनुल बशर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में तेल की खोज की गई है;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहाँ तेल की खोज का कार्य किया गया था और जहाँ का न चल रहा है ;

(ग) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहाँ छिद्रण कार्य किया गया था; और

(घ) उन स्थानों और क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां तेल मिलने की सम्भावना है ।

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी हाँ ।

(ख) यमुना तथा गंडक नदियों के बीच पर्वतो की तराईया तथा गंगा घाटी ।

(ग) सहारनपुर जिले मे मोहन्द, बदाऊ जिले में कासगंज तथा उजहानी, शाहजहांपुर जिले में तिलहार तथा पीलीभीत जिले में पूरनपुर।

(घ) इस समय उपलब्ध भू वैज्ञानिक सूचना के आधार पर, हिमालय की तराइयों तथा निकटवर्ती गंगा के मैदानों को हाइड्रोकार्बनों की खोज के लिये संभावी समझा गया है ।

आयात शुल्क में वृद्धि के कारण कपूर निर्माण कंपनियों का संकटग्रस्त होना

4898. **श्री एन० ई० होरो** : क्या रसायन और उर्वरक मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मूल कच्चे आइसोबारनिल एसीटेट पर आयात शुल्क को दस प्रतिशत से 125.5 प्रतिशत बढ़ाने के सरकार के फैसले के कारण महाराष्ट्र, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और बिहार में लघु क्षेत्र में कपूर का निर्माण करने वाले आठ एककों में से छः एकक संकट में पड़ गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है यदि सरकार ने कपूर के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल पर आयात शुल्क में कमी करने का कोई फैसला नहीं किया तो निकट भविष्य में शायद ये एकक बंद हो जायेंगे; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम चन्द्र रथ) : (क) सरकार को लघु उद्योग क्षेत्र में कपूर के उत्पादकों से इसोबोरनील एसिटेट पर से आयात शुल्क को 125.5 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) इसोबोरनील एसिटेट पर आयात शल्क 31.1.1983 को दस प्रतिशत से बढ़ाकर 125.5 किया गया ताकि इसोबोरनील एस्टेट कपूर के उत्पादन में एक मध्यवर्ती उत्पाद' पर शुल्क की दर को अल्फाबीनीन, कपूर के उत्पादन के लिए एक मूल कच्चा माल, के साथ

समीकृत किया जा सके तथा आयातित इमोबोरनील का उपयोग करने वाले कपूर के उत्पादकों को होने वाले अवांछित लाभ से बचा जा सके ।

लघु एककों उद्योग क्षेत्र में कपूर के उत्पादकों द्वारा किए गए अभ्यावेदनों पर निर्णय लेने के विचार से सरकार ने उत्पादकों से विस्तृत उत्पादन तथा लागत आंकड़े प्रस्तुत करने को कहा है, जो उन्होंने अभी तक प्रस्तुत नहीं किए हैं ।

1982 और 1983 के दौरान बिजली की प्रति व्यक्ति खपत

4899. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1982 और 1983 के दौरान प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में प्रति व्यक्ति बिजली की कितनी खपत हुई; और

(ख) आन्ध्र प्रदेश में विद्युत की कमी के कारण खाद्यान्न में कितने प्रतिशत कमी हुई ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) वर्ष 1981-82 और 1982-83 के दौरान देश में तथा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत विवरण में दी गई है ।

(ख) चालू वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश राज्य में कृषि उपभोक्ताओं की ऊर्जा आवश्यकताओं को समग्र रूप से पूरा किया गया है ।

विवरण

वर्ष 1981-82 और 1982-83 के दौरान राज्यवार बिजली की प्रति व्यक्ति खपत (यूटीलिटिज)

क्षेत्र/राज्य	(यूनिट)* 1981-82	(यूनिट)** 1982-83
1	2	3
उत्तरी क्षेत्र :		
हरियाणा	237.69	256.59
हिमाचल प्रदेश	66.06	74.78
जम्मू व कश्मीर	81.63	105.64
पंजाब	297.58	336.52
राजस्थान	101.88	102.77

1	2	3
उत्तर प्रदेश	87.02	96.72
चण्डीगढ़	386.49	392.89
दिल्ली	417.15	440.73
जोड़ (उत्तरी क्षेत्र)	129.06	141.32
पश्चिमी क्षेत्र :		
गुजरात	245.06	252.32
मध्य प्रदेश	106.86	121.09
महाराष्ट्र	248.49	230.60
गोवा, दमन व दीव	223.94	243.59
दादर और नागर हवेली	70.09	80.55
जोड़ (पश्चिमी क्षेत्र	197.94	205.91
पूर्वी क्षेत्र :		
बिहार	83.21	84.59
उड़ीसा	126.29	118.18
प० बगाल	123.85	124.88
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	50.53	56.90
सिक्किम	60.56	48.47
जोड़ (पूर्वी क्षेत्र)	105.25	104.76
दक्षिणी क्षेत्र :		
आन्ध्र प्रदेश	116.25	133.82
कर्नाटक	167.82	166.30
केरल	117.16	120.72
तमिल नाड	194.10	179.59
पांडिचेरी	260.97	238.67
लक्षद्वीप	30.00	44.50
जोड़ (दक्षिणी क्षेत्र)	151.27	152.8t

	2	3
उत्तर पूर्वी क्षेत्र :		
असम	39.77	38.39
मणिपुर	9.24	13 33
मेघालय	45.75	52.06
नागालैण्ड	36.22	35 10
त्रिपुरा	16.12	17.44
अरुणाचल प्रदेश	20.02	22.94
मिजोरम	12.31	19.30
जोड़ (उ० पू० क्षेत्र)	35.53	35.30
जोड़ (अखिल भारत)	140.65	145.95

**अनुमानित

अलग-अलग पड़े छोटे-छोटे क्षेत्रों में कोयले की खुदाई का काम चलाने के लिए जी० एम० डी० सी० को अनुमति देने का प्रस्ताव

4900. **श्री दौलत सिंह जी जदेजा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार को अलग-अलग पड़े छोटे-छोटे क्षेत्रों में कोयले की खुदाई का काम करने के लिए जी०एम०डी०सी० को अनुमति देने और इस बारे में रखी गई शर्तों को मंजूर करने हेतु एक प्रस्ताव भेजा था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सच है कि गुजरात सरकार जी०एम०डी०सी०के नेशनल कोल बेजिज एग्रीमेंट को लागू करने संबंधी स्थिति पर पुनर्विचार करने और जी०एम०डी०सी० के कोयला दामों में छूट हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) गुजरात सरकार ने अग्नि-मिट्टी, बालू पत्थर और कोयले के खनन पट्टे प्रदान करने के लिया दो प्रस्ताव भेजे हैं ।जनमें से एक गुजरात के सुरेन्द्र नगर जिले के लिए और दूसराकच्छ जिले के लिए है ।

(ग) और (घ) गुजरात सरकार ने यह अनुरोध किया था कि गुजरात खनिज विकास निगम जिस कोयले का उत्पादन करे उसकी कीमत तय करने में रियायत दी जाए और कोयला खान श्रमिकों को केन्द्रीय सरकार के मजदूरी समझौते के अनुसार मजदूरी के भुगतान से छूट दी जाए। सरकार कोयले की कीमतें कोलियरी नियंत्रण आदेश के अधीन तय करती है और इस संबंध में कोल इंडिया लि० और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० द्वारा उत्पादित कोयले का लागत अध्ययन कर लिया जाता है, इसलिए गुजरात सरकार से यह अनुरोध किया गया था कि वह गुजरात खनिज विकास निगम द्वारा उत्पादित कोयले का विस्तृत लागत विश्लेषण केन्द्रीय सरकार के पास भेजे। यह विवरण अभी तक नहीं मिले हैं। राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता गुजरात खनिज विकास निगम पर लागू नहीं होता।

बेतिया, बिहार के उपभोक्ताओं को खाना पकाने की गैस के लिए सिलेंडरों की सप्लाई न होना

4901. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बेतिया बिहार के उपभोक्ताओं को खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों की सप्लाई न होने के बारे में कोई शिकायत मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ।

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) फरवरी, 1984 मास में सप्लाई में बरौनी से सिलेंडरों की सीमित उपलब्धता के कारण कुछ कमी थी । इस बाजार में सप्लाई में वृद्धि करने के उपाय किये जा रहे हैं और आशा है मार्च, 1984 के अन्त तक स्थिति सामान्य हो जायेगी ।

प्रजीडेंट, कोल्हापुर सराफ व्यापारी संघ से अभ्यावेदन

4902. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय और डाक तार महानिदेशक, दिल्ली और महाडाक पाल, बम्बई आदि को प्रेजीडेंट, कोल्हापुर सराफ व्यापारी संघ, कोल्हापुर (महाराष्ट्र) से दिनांक 22 अगस्त, 1983 का विस्तृत अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें आभूषण विक्रेताओं द्वारा वी०पी०पी०/बीमाकृत डाक पार्सल से सामान भेजने में इस समय महसूस की जा रही कठिनाइयों के बारे में बताया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उस संघ ने किस प्रकार की कठिनाई के बारे में लिखा है;

(ग) क्या सरकार ने उनके प्रस्ताव का कोई उत्तर दिया है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) कोल्हापुर सर्राफ व्यापार संघ का मुख्य सुझाव डाक से भेजी जाने वाली बीमाकृत मदों की मूल्य सीमा बढ़ाने की आवश्यकता से संबंधित था । उन्होंने बीमाकृत मदों के गुम हो जाने के मामलों में दावों के शीघ्र निपटान की आवश्यकता का भी उल्लेख किया है । हालांकि 22 अगस्त, 1983 के पत्र का उत्तर नहीं दिया गया है तथापि डाक से भेजी जाने वाली बीमाकृत मदों की मूल्य सीमा बढ़ाने के बारे में संघ से प्राप्त इसी प्रकार के एक सुझाव की जांच की गई तथा विभाग ने इसे स्वीकार करने में अपनी असमर्थता दिसम्बर, 1982 में व्यक्त कर दी थी ।

हिमाचल प्रदेश में डाकघर खोलने के मापदंडों में छूट

4903 **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय और पिछड़े राज्य में डाकघर खोलने के माप-दण्डों में छूट देने हेतु नीति में कोई परिवर्तन किया गया है और अब (यदि नीति में कोई परिवर्तन किया गया है तो उसके बाद) ग्रामीण क्षेत्रों में नए शाखा डाकघर खोलने की स्वीकृति देते समय केवल एक ही स्थान की जनसंख्या को ध्यान में रखा जाता है, जबकि डाकतार महा-निदेशालय के दिनांक 17/20-8-1 79 के परिपत्र संख्या 40-3/79 पी०आर०पी० के अंतर्गत डाकघर खोलने के स्थान के आस पास की 1.5 किलोमीटर की परिधि में आने वाले गांवों की जनसंख्या को भी ध्यान में रखा जाता था ;

(ख) यदि हां, तो यह परिवर्तन किस तारीख से किया किया गया और वास्तव में क्या संशोधन किया गया तथा जिस आदेश के अंर्गत यह संशोधन किया गया है उसका ब्यौरा क्या है और इस संशोधन के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी तथा " ग्राम समूह " वाला मापदंड अपनाने की अनुमति देगी ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता

केरल में बिज्हिनजाम टेलीफोन एक्सचेंज का विस्तार

4904. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार वर्षों के दौरान केरल में कितने टेलीफोन एक्सचेंज का विस्तार किया गया है; और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) केरल के विज्हिनजाम टेलीफोन एक्सचेंज का विस्तार किये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार विज्हिनजाम टेलीफोन एक्सचेंज का विस्तार करने का है; तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) उपकरण की सप्लाई न हो पाना।

(ग) विज्हिनजाम टेलीफोन एक्सचेंज के लिए 1983-84 के दौरान 2१0 लाइनों के एम० ए० एक्स०-II टाइप का आबंटन किया गया है। उपकरण प्राप्त होते ही विस्तार कार्यक्रम पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

विवरण

1900-91 के दौरान विस्तार किये गये एक्सचेंज

एक्सचेंज का नाम	से	तक
		(लाइनों में)
1	2	3
एम० ए० एक्स० (स्ट्रोजर) :		
1. कालीकट	0100	0700
2. पालघाट	2100	2700
3. अलप्पी	2100	2400
4. कन्नानोर	2400	2700
एम०ए०एक्स०-I क्रासबार :		
1. त्रिचुर	4000	2000
2. त्रिवेंद्रम	7000	0000
एम०ए०एक्स०-II :		
1. शेरतल्ला	400 सी०वी०एम०	500 एम०ए०एक्स०
2. तिरुवल्ला	700	000

1	2	3
3. थोडयुजहा	480 सी०बी०एम०	600 सी०बी०एम०
4. चेंगानूर	700	500
एम०ए०एस०-III :		
1. मुनरो द्वीप	25	35
2. नूरानाव	35	45
3. त्रिपला	35	45
4. वन्दनमेदु	45	90
5. पलसेरी	35	45
6. एलापुल्ली	35	45
7. पानमेरी	35	45
8. पजहायानूर	35	45
9. रमनथाली	10	25/35
10. पुलपल्ली	45	90
11. एलांजी	35	45
12. चेम्पू	35	45
13. वदास्सेरिकारा	45	90
14. काइपट्टूर	45	90
15. मुन्नार	200 सी.बी.एन.एम.	200 आर.ए.एक्स.
16. मुंदुर सी०एच०एन०	90	180 आर.ए.एक्स.
17. मत्तुल	35	45
18. मलयालपुजहा	25	35
19. पेरदला	25	35
20. अयरूर	45	90
21. मुथलमडा	25	35
22. कोडुमन	25	
23. मेप्पायुर	25	35
24. एजडूमत्तूर		
25. मणापल्ली		

1	2	3
26. मेजहूवेली	25	30
27. मुथुकुलम	35	45
28. रमनकारी	45	90
29. रामापुरम	45	90
30. कुडावेचूर	25	35
31. चेंगलम	45	90
32. करीमकुष्णम	25	35
33. पडुआपुरम	25	35
34. वलयांचिरंगारा	25	35
35. चेंगामनाड	25	35
36. वेल्लाथूवल	35	25
37. करीमन्नूर	35	25
38. कावतंगड	90	45
39 वेल्लांगाल्लूर	45	90
40. पेरिगौत्तुकुरीस्सी	25	35
41. वनियमकुलम	25	35
42. तिरवम्बादी	45	90
43. कूराचंद	25	35
44. केनीचिरा	35	45
45. राजपुरम	25	35
46. पनामाराम	90	45
सी०बी०एन०एम० :		
1. चांदीरूर	150 सी०बी०एन०एम०	100
2. मनन्तटोदी	150	200
3. वडक्कांपेरी	150	200
4. कत्तापाना	150	200
5. एस०एल० पुरम	150	200

1	2	3
6. पांडालम	170	200
7. शोरनूर	250	270
8. नेदूसांगड	150	200
सी०बी०एम० :		
1. कोझेनचेरी	250 सी०बी०एन०एम०	290 सी००बी०एम
2. चंगानाचेरी	1200	1320
3. तेल्लीचेरी	1440	1660
	1981-82 के दौरान	
एम०ए०एक्स०-I स्ट्रोजर :		
1. पालघाट	2300	2400
2. कोट्टायम	3300	3600
3. अल्वई	1500	1800
4. क्विलोन	1200 एम	
एम०ए०एक्स-II :		
1. अडूर	200	300
2. ओलवाकोट	200	300
3. तिरुवल्ला	800	900
4. कुन्नमकुलम	700	800
5. चलकुडी	600	700
6. गांधीनगर	300	400
7. कोटमंगलम	400	500
8. उल्लूर	400	500
9. गुरुवायूर	200	300
10. मवेलीकारा	300	400
11. नेयात्तिकारा	200	300
12. रांची	200	300
13. बडागाडा	600	900
14. कांजीरापल्ली	500	600

1	2	3
15. कत्तुर	200	300
16. संझेरी	300	400
17. अंगामली	400	500
18. कावारत्ती	90 लाइनों वाला एम ए एक्स III	200 लाइन वाला एम० ए० एक्स०-III
19. अंतिगल	290 सी० बी० एम० एन०	300 लाइन वाला एम० एक्स०-II

एम० ए० एक्स० III

1. कोरत्ती	25	35
2. वेल्लामुंडा	10	25
3. मूनीलावू	35	45
4. मरंगात्तुपल्ली	45	90
5. कुवापाड्डी	35	45
6. मूलियर	25	35
7. मलयंकिल	35	45
8. पथीरीपलई	35	45
9. इस्मापेट्टी	35	45
10. एरियाकोड	35	45
11. मंगलम	25	35
12. मकरापरम्बा	25	35
13. पुलामंतोल	25	45
14. परिंगातोर	25	90
15. मेवाल्लोर	45	90
16. कल्लादीकोडे	45	45
17. पेरिंगलम	35	45
18. कोभूवनाल	45	90
19. पोथीनाकाड	45	90
20. चेंगामानाड	35	45

1	2	3
21. मुनरो द्वीप	35	45
22. त्रिकुन्नापुझा	35	45
23. वेल्लीकुलंगरा	35	48
24. कुलाशावू	10	25
25. कुम्बला	45	90
26. पल्लीकारा	45	90
27. चित्तरीकल	45	90
28. चेरुपूझा	45	90
29. कोलासेरी	45	90
30. थियोदीकाल	35	90
31. वरायायूर	45	90
32. एझुमत्तूर	30	35
33. मेझुवेल्ली	30	35
34. कारालाद	25	30
35. कोलाकान्डावू	45	90
36. मत्थुकुलम	45	90
37. नूरनाड	45	90
38. कांजावेल	45	90
39. कदम्बनाड	45	90
40. कुलाकाडा	45	90
41. तेनमाला	35	45
42. भारलीपुरम	25	35
43. पुनाला	25	35
44. कुन्नीकोडे	45	90
45. एलनत्तूर	35	45
46. कूवापल्ली	48	90
47. कांगझा	35	45
48. कइनाकारी	45	90
49. कलमकांचेरी	45	90

1	2	3
50. मंगलम	45	45
51. नाडवानूर	45	90
52. कसवाराकुंडू	45	90
57. पुतेनवेलीकारा	25	35
54. कंडावूर	25	35
25. करीमान्नूर	25	35
56. मुल्तोम	45	90
57. एलांजी	45	90
सी०बी०एम० :		
1. कयामकुल	480	600
	600	720
2. चंगानाचेरी	1320	1440
	1440	1560
3. कोझनचेरी	270	360
4. कसारागोडे	840	960
5. पुनालूर	480	600
6. पयानूर	360	480
सी०बी०एन०एम०:		
1. पथानापुरम	150	200
	200	250
2. वडक्कांचेरी	150	160
3. मुंडाक्कायम	200	240
4. अम्लापुझा	150	170
5. पोनानी	200	250
6. तिरूरंगाडी	150	200
7. मुलमथुस्ती	150	170
8. कत्तापाना	200	250

1	2	3
	1982-83 के दौरान	
एस०ए०एक्स०1-स्ट्रोजर :		
1. कालीकट	8700	9100
2. क्विलोन (चिन्नाकाडा)	1200	1500
3. क्विलोन यूनिट-II	1500	2100
4. पालघाट	2400	2700
5. एर्नाकुलम	3900	4200
कासबार :		
1. त्रिचर	5000	6000
2. त्रिवेन्द्रम	8000	9000
एम०ए०एक्स० :		
1. पोखुन्नम	200	300
2. शेरतल्ली	500	600
3. कुंवरा	300	400
4- तिरवल्ला	900	1000
5. करंगानोर	500	600
6. चौघाट	500	600
7. कुन्नमकुलम	800	900
8. पेरीथालामन	300	400
9. तिरुर	500	600
10. बेलियापत्तम	600	700
11. माहे	300	400
12. पिरावोम	90 एम०ए०एक्स०-III	200एस०ए० एक्स-II
13. मुवात्तपुझा	700	800
14. कोलनचेरी	200	300
15. पेरम्बवूर	700	800
16. कोट्टाराकारा	300	400

1	2	3
17. चेंगानूर	500	600
18. पथान्मतिट्टा	300	400
19. कालपेट्टा	250 सी०बी०एन०एम०	400 एम०ए० एक्स०-II
20. मुन्नार	90 एम० ए० एक्स०-II	200 ,,
21. इडुक्की-वेझाथोपू	90 एम०ए०एक्स०-III	
इडुक्की-पैनावू	45 ,,	200 एम०ए० एक्स-III
22. कांजीकुझी	700	1000
23. इरिजालाकुडा	700	900
24. माला	90 एम०ए०एक्स०III	200 एम०ए० एक्स०-II
25. पतानमथिट्टा	400	500
26. कुम्बानाड	90 एम०एक्स०III	200 एम० ए० एक्स० II
27. कुरुनागापल्ली	300	400
28. एडायुवा	90 एम०ए०एक्स०III	200 एम० ए० एक्स-II

एम० ए० एक्स०-III :

1. कांजीरामकुलम	35	45
2. मिंगापल्ली	25	35
3. केचेरी	45	90
4. एडाक्कारा	45	90
5. मदनविलापेरुमथुरा	35	45
6. कावारती	45	90
7. मदाबूरपल्लीवल	25	35
8. थूवाकुन्नू	25	35
	35	45

1	2	3
9. मोनीपल्ली	35	45
10. चेल्लान्नूर	35	45
11. अघोली	45	90
12 मुल्लूकारा	25	35
13. एझानकुलम	45	90
14. कालूपारा	35	45
15. मिनीकाय	45	90
16. त्रिथला	45	90
17. नाडुवाथुनगर	35	45
18. मुलेरिया	35	45
19. चंगारांकुआलम	45	90
20. मंगलम	45	90
21. तवान्नूर	35	45
22. किलियनथारा	35	90
23. चोम्बाला	45	90
24. पेरयर·	25	35
25. वेलाथोवल	25	35
26. वांवीथवालम	35	45
27. मूंडूर	35	45
28. कोगाड	35	45
29. केलाकम	35	45
30. वल्लीकुन्नम	35	45
31. करींकुन्नम	35	45
32. राममंगलम	35	45
33. कुवापाटी	45	90
34. नेल्लीमत्तम	45	90
35. पडुवापुरम	25	45
36 पूकोतुमपाडम	25	45

1	2	3
37. पत्तनाकाड	45	90
सी०बी०एन०एम० :		
1. कोडुवयूर	150	170
2. मुलमतुरीती	170	200
3. वडक्कनचेरी	160	180
4. एत्तुमनूर	299सी०बी०एन० एम०	360 सी०बी० एम०
5. मुंडाक्कयम	240	250
6. कोल्लनकोडे	150	160
7. शोरनूर	270	290
8. अम्बालापुझा	170	200
सी० बी० एम०		
1. एरात्तुपेटा	360	480
2. तेल्लीचेरी	1560	1800
3. कयामकुलम	720	840
4. केसरगोडे	960	1880
5. कान्डनगढ़	360	480
6. पय्यानूर	480	600
	1983-84 के दौरान	
एम०ए०एक्स०-I :		
1. कालीकट	9100	9900
2. एर्नाकुलम-कलामासरी	1500 एम	
3. एर्नाकुलम-द्वीप	900	1200
4. कन्नानूर	2700	3000
कासबार :		
8. एर्नाकुलम	8000	9000

1	2	3
एम० ए०एक्स-II :		
1. एलगप्पानगर	300	400
2. चेरुयू	300	400
3. शाल्लूर	500	600
4. थोडूपुझा	600	700
5 पारूर	600	700
6. कांदासांकाडवू	400	500
7. पलाई	600	800
8. इरिंजलकुडा	900	1000
एम० ए० एक्स०-III :		
1i पैवालिका	25	35
2. कादम्बाझीपुरम	25	35
3. परियारम	35	45
4. पाल्लीकुन्नू	25	35
5. एनामंगद	25	35
6. उदुम्बानूर	25	35
7. अलापाड	35	45
8. कटाकंपल	35	45
9. पुलामंथोलें	35	45
10. तिखाया	45	90
11. एडाचेरी	35	45
12. अराकुन्नम	35	45
13. कन्जारा	45	90
14. थुवाकुन्नू	45	90
15. कराकाड	30	35
16 एग्गोटूकारा	25	35
17. पेरावूर	45	90
18. केरीवेल्लूर	25	35
19. परडाला	35	45

मजदूर संघों को मान्यता देने के संबंध में मार्ग निर्देश

4905. **अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मजदूर संघों को मान्यता देने के संबंध में कोई मार्ग-निर्देश निर्धारित किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) और (ख) जी, नहीं। ट्रेड यूनियनों की मान्यता उद्योग में उस अनुशासन संहिता द्वारा विनियमित होती है जिसे मई, 1958 में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन के 16वें अधिवेशन में सभी केन्द्रीय नियोजक और श्रमिक संगठनों ने स्वीकार किया था तथा अनुसमर्थित किया था। यह संहिता पहली जून, 1958 से लागू हुई। एक विवरण संलग्न है, जिसमें यूनियनों को मान्यता प्रदान करने के संबंध में निर्धारित किए मानदण्डों का उल्लेख है।

विवरण

यूनियनों को मान्यता देने के लिए [illegible]

1. जहां कहीं एक से अधिक यूनियनें हैं, वहां मान्यता का दावा करने वाली यूनियन को पंजीकरण के पश्चात कम से कम एक वर्ष कार्यरत होना चाहिए। जहां कहीं केवल एक यूनियन है, वहां यह शर्त लागू नहीं होगी।

2. सम्बन्धित प्रतिष्ठान में यूनियन की सदस्य संख्या कम से कम 15 प्रतिशत होनी चाहिए। सदस्य संख्या में केवल उन व्यक्तियों की गणना की जाएगी, जिन्होंने गणना के पूर्व तत्काल छः मास की अवधि के दौरान कम से कम तीन मास के लिए अपना चंदा दिया है।

3. एक यूनियन स्थानीय क्षेत्र में किसी उद्योग के लिए प्रतिनिधि यूनियन के रूप में मान्यता प्राप्त करने का दावा कर सकती है, यदि उसकी उस क्षेत्र में उस उद्योग में कम से कम 15 प्रतिशत संख्या हो।

4. जब एक यूनियन को मान्यता दी गई है, तब उसकी स्थिति में दो वर्ष की अवधि के लिए कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

5. जहां कहीं किसी उद्योग या प्रतिष्ठान में अनेक यूनियनें हैं, वहां सबसे अधिक सदस्य संख्या वाली यूनियन को मान्यता दी जानी चाहिए।

6. किसी क्षेत्र के किसी उद्योग के लिए प्रतिनिधित्व यूनियन को उद्योग में सभी प्रतिष्ठानों में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है, परन्तु यदि किसी विशेष

प्रतिष्ठान में श्रमिकों की यूनियन की सदस्य संख्या उस प्रतिष्ठान के श्रमिकों की संख्या का 50 प्रतिशत या इससे अधिक है, तो उसे बिल्कुल स्थानीय हित के मामलों में, अर्थात, इसके अपने सदस्यों से संबंधित शिकायतों के बारे में कार्यवाही करने का अधिकार होना चाहिए। अन्य सभी श्रमिक, जो उस यूनियन के सदस्य नहीं हैं, उद्योग के लिए प्रतिनिधि यूनियन के माध्यम से या सीधे रूप से अपनी शिकायतें दूर करवा सकते हैं।

7. ऐसे ट्रेड यूनियन फैडरेशनों के मामलों में, जो श्रमिकों के चार केन्द्रीय संगठनों से संबधित नहीं हैं, मान्यता देने के प्रश्न पर अलग से कार्यवाही की जाएगी।

8. केवल वे ही यूनियनें मान्यता की पात्र होंगी, जो अनुशासन संहिता का पालन करती हैं।

तारों का पारेषण और वितरण

4906. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या संचार मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि तार-विभाग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाने वाले तार आमतौर पर साधारण डाक की प्राप्ति के भी बाद मिलते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए भेजे जाने वाले तार कई बार चंडीगढ़ से विशेष डाक द्वारा भेजे गए हैं;

(ग) ऐसा कितनी बार किया गया और उसके क्या कारण थे; और

(घ) यदि नहीं, तो तारों के इस प्रकार के वितरण का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां; इस सम्बन्ध में यदा-कदा शिकायतें मिली हैं।

(ख) जी नहीं। विशेष डाक द्वारा कोई तार नहीं भेजा गया। तथापि, कुछ अवसरों पर तार भेजने के लिए हरकारों का प्रयोग किया गया।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जैसा की उपर्युक्त (ख) में बताया गया है 1983 के दौरान लाइनों के खराब होने और स्टाफ की अनुपस्थिति के फलस्वरूप 20 बार हरकारों के माध्यम से तार भेजे गए।

आकाशवाणी में अनुभवी विद्वान प्रोड्यूसरों की नियुक्ति

4907. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी मथुरा के विकास तथा वहां के कार्यक्रमों में सुधार लाने के लिए प्रस्तावित योजनाएं क्या हैं;

(ख) क्या कार्यक्रमों का स्तर उठाने के लिए इस केन्द्र पर तथा अन्य केन्द्रों पर ऐसे प्रोड्यूसरों की नियुक्ति की जा रही है जो भाषा विशेषज्ञ हैं;

(ग) हिन्दी कार्यक्रम तैयार करने के लिए आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों पर कितने प्रोड्यूसर कार्य कर रहे हैं और प्रोड्यूसरों के कितने पद खाली पड़े हुए हैं;

(घ) क्या आकाशवाणी के सभी केन्द्रों पर प्रोड्यूसरों के रूप में अनुभवी विद्वानों की नियुक्ति करने का सरकार का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में योजना का क्या ब्यौरा है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना में, मथुरा में वार्ता स्टूडियो, संगीत स्टूडियो, रिकार्डिंग, डबिंग कक्ष, पूर्वाभ्यास कक्ष, इत्यादि की सुविधाओं के साथ स्थाई स्टूडियो उपलब्ध करने की एक अनुमोदित योजना है। इन सुविधाओं के चालू हो जाने पर कार्यक्रम निर्माण/प्रस्तुतीकरण के लिए अधिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

(ख) प्रोड्यूसरों/कार्यक्रम एक्जीक्यूटिवों जैसे कार्यक्रम अधिकारियों के पदों, जिनके लिए एक भाषा में विशेषज्ञता आवश्यक है, का चयन मानकों और कार्यक्रम आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। इन पदों को सीमित चयन/पदोन्नति/सीधी भर्ती के आधार पर, अपेक्षित अर्हता वाले पाए गए व्यक्तियों में से केन्द्र वार भरा जाता है।

(ग) विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों में मंजूर हिन्दी कार्यक्रमों के लिए प्रोड्यूसरों (भाषित शब्द) के 16 पदों में से 3 पद खाली हैं। खाली पदों को भरने की कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है।

(घ) कार्य की आवश्यकताओं के अनुसार अपेक्षित विशेषता और अर्हताएं रखने वाले व्यक्ति अब भी प्रोड्यूसर के रूप में आकाशवाणी केन्द्रों में कार्य कर रहे हैं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बल्क ड्रग्स प्रोडक्शन एण्ड फार्मूलेशन्स के बीच अनुपात पर नियंत्रण के लिए कदम

4908. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा बल्क ड्रग्स प्रोडेक्शन (बेसिक ड्रग्स) एण्ड फार्मूलेशन्स के बीच अनुपात के सम्बन्ध में अपने निर्णय को भारत की भेषज कंम्पनियों द्वारा कार्यान्वियन के लिए कोई नियंत्रण लगाया गया है; और

(ख) दोषी कम्पनियों के विरुद्ध यदि कोई है, क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) औषध कम्पनियों द्वारा सूचित किए गए हैं और उनके सनदी लेखापाल द्वारा यथा प्रमाणित, बल्क औषधों और फार्मूलेशनों के कारखाने से बाहर मूल्यों को नये फार्मूलेशनों के लिए आवेदन पत्रों पर विचार करते समय और स्थापित क्षमता को मान्यता देते समय और क्षमता के पुनः पृष्ठांकन के लिए विचार करते समय ध्यान में रखा जाता है। यदि बल्क औषधों और फार्मूलेशनों के मूल्यों के बीच निर्धारित अनुपात पूरा नहीं तो नये फार्मूलेशनों के लिए अतिरिक्त अनुमोदन प्रदान नहीं किया जाता। निर्धारित अनुपात पूरा न करने वाली कम्पनियों को केवल इस विशिष्ट शर्त के साथ क्षमता के पुनः पृष्ठांकन अथवा स्थापित क्षमता के विनियमन की अनुमति दी जाती है कि यदि दो वर्ष की अवधि के अन्तर्गत अनुपात पूरा नहीं किया गया तो उन्हें फार्मूलेशनों के अतिरिक्त उत्पादन का निर्यात करना पड़ेगा।

मध्य प्रदेश में कोयले का भण्डार

4909. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले के भण्डारों का अनुमान लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश में कोयले का कितना भंडार होने का अनुमान है;

(ख) क्या इन कोयला भंडारों पर आधारित कोई ताप विद्युत उत्पादन योजना क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो योजना की रूपरेखा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) हाल ही में हुए निर्धारणों के अनुसार मध्य प्रदेश में कोयले के कुल भंडार लगभग 18,690 मिलियन टन होने का अनुमान है।

(ख) और (ग) इन कोयला भंडारों के उपयोग पर आधारित जो ताप बिजली घर परियोजनाएं चालू हो गई हैं अथवा कार्यान्वियन/विचार के अधीन हैं उनकी सूची नीचे दी गई है :

(1) मध्य प्रदेश में विंध्याचल, बांधव, अमरकंटक, कोरबा, सतपुड़ा, वीरसिंहपुर और मांड,

(2) उत्तर प्रदेश में ओबरा, रेणुसागर, सिंगरौली, रिहंड, अन्नापारा,

(3) वानाकाबोराई, गुजरात,

(4) महाराष्ट्र में ट्राम्बे, और

(5) राजस्थान में कोटा ।

माधोपुर ग्राम पंचायत में शाखा डाकघर खोलना

4910. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मधुबनी डाक डिवीजन के खुतौना ब्लाक के अधीन माधोपुर ग्राम पचायत में कोई शाखा डाकघर नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त पंचायत के बोराह गांव में माध्यमिक स्कूल, संस्कृत हाईस्कूल और सहकारी बैंक हैं किन्तु वहां की पांच मील की परिधि में कोई शाखा डाकघर नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो क्या वहां जल्दी ही एक शाखा डाकघर खोलने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ग) जी नहीं ।

(ख) और (घ) शाखा डाकघर खोलने सम्बन्धी एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

राष्ट्रीय ताप-विद्युत निगम की नई विद्युत योजनायें तथा प्रदूषण रोकने सम्बन्धी उपाय

4911. **श्री अरुण कुमार नेहरू** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम वर्ष 1995 तक राष्ट्र की ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कोयले से बिजली बनाने के चार बड़े बिजलीघरों के अतिरिक्त दिल्ली में एक बिजलीघर सहित सात और बड़े बिजलीघर स्थापित करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो घनी आबादी वाले शहरी इलाकों में प्रदूषण को रोकने के लिए क्या सावधानी बरतने का विचार किया गया है, चूंकि अवशिष्ट हानिकारक गंदगी वातावरण में से होकर दूर-दूर तक जाती है;

(ग) क्या इसका वनस्पति और जन्तुओ पर पड़ने वाले सम्भावित अनिष्टकारी प्रभाव का कोई अध्ययन किया गया है;

(घ) क्या सुपर ताप संयन्त्रों में "फ्लाई-ऐश" सम्बन्धी बचाव के लिए कोई प्रभावशाली

प्रणाली अपनाई गई है क्योंकि भारतीय कोयले में "पलाई-ऐश" नामक राख-तत्व बहुत अधिक होते हैं; जिनमें लम्बे समय तक सक्रिय रहने वाले कार्बन-14 जैसे रेडियो एक्टिव तत्व विद्यमान रहने बताए जाते हैं; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि भारी पूंजी से लगाए जाने वाले ये बिजलीघर स्थानीय निवासियों के लिए बहुत ही कम रोजगार के अवसर प्रदान कर पाएंगे ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम इस समय छः सुपर ताप विद्युत परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है दिल्ली के समीप एक केन्द्र समेत, कई अन्य सुपर ताप विद्युत केन्द्रों की स्थापना करने का भी प्रस्ताव है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, परियोजना क्षेत्रों में पारिस्थितिक और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए कदम उठा रहा है। पलाई ऐश के निकलने से रोकने के लिए कारगर प्रणाली की व्यवस्था करने के लिए विद्युत केन्द्रों पर 99.5 प्रतिशत से अधिक की कार्यक्षमता वाले इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटरों की स्थापना की गई है, ताकि धूल के कणों के निकलने को न्यूनतम किया जा सके। 200 से 220 मीटर ऊंची चिमनियों का निर्माण किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रदूषण पदार्थों की गहनता को स्वीकार्य सीमा तक कम किया जा सके। इन उपायों से उत्सर्जन का स्तर स्वीकार्य स्तर से बहुत कम स्तर तक सुनिश्चित हो गया है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की सभी परियोजनाओं के लिए पर्यावरण विभाग तथा अन्य सम्बन्धित एजेंसियों की भी पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जाती है ताकि उनकी अपेक्षाओं का पता लगाया जा सके और उनका पालन किया जा सके। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने मुरादनगर के समीप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परियोजना सहित अपनी प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करने के लिय भी कदम उठाए हैं। इन अध्ययनों में परियोजना क्षेत्रों में वनस्पति और जीव-जन्तुओं को यदि कोई खतरा है तो उसका मूल्यांकन करना शामिल है।

(ङ) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की सुपर ताप विद्युत परियोजनाओं में परिष्कृत और जटिल प्रौद्योगिकी प्रयोग की गई है और इसलिए उनके प्रचालन के लिए अधिक योग्य तथा कुशल तकनीकी व्यक्तियों की आवश्यकता है। समुचित योग्यता प्राप्त स्थानीय निवासियों को, जहां तक संभव होता है, विभिन्न श्रेणियों में रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। तथापि, विद्युत केन्द्र स्वतः बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान नहीं करते, परन्तु ये अन्यत्र रोजगार के ऐसे अवसर सृजित करते हैं, क्योंकि विद्युत औद्योगिक तथा कृषि दोनों के विकास के लिए एक आधारभूत निवेश है।

औषधि कम्पनियों द्वारा मल्टी विटामिनों की कीमतों में वृद्धि करना

4912. **श्री के० मालन्ना** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औषधि कम्पनियों ने हाल में विटामिन फार्मूलेशन्स के दामों में भारी वृद्धि की है;

(ख) क्या औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत मूल्य निर्धारित करना सरकार का दायित्व है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) जी नहीं। औषध एवं प्रसाधन अधिनियम की अनुसूची 1 के अनुसार निर्मित मल्टिविटामिन फार्मूलेशनों के मूल्य औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के अन्तर्गत 12 अगस्त, 1983 से निर्धारित किए गए थे। तथापि, कुछ उत्पादकों ने न्यायालय में रिट याचिका दायर की और सरकार द्वारा यथा निर्धारित मूल्यों के कार्यान्वयन पर रोक प्राप्त की।

उद्योगों के प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी

4913. **श्री भोखा भाई** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार और उद्योगपति औद्योगिक एककों के प्रबंध कार्य में श्रमिकों की भागीदारी से सहमत है;

(ख) यदि हाँ, तो त्रिमुखी भागीदारी प्रबंध योजना की मुख्य विशेषतायें क्या हैं; और

(ग) क्या यह योजना गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों पर भी लागू होगी ?

श्रम और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) से (ग) सरकार ने प्रबंध में कर्मचारियों की सहभागिता सम्बन्धी एक नई व्यापक योजना, श्रम और पुनर्वास मंत्रालय के संकल्प संख्या एल-56011/1/83-डैस्क-1 (बी) द्वारा हाल ही में शुरु की है, जो 30 दिसम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग-1, खंड-1 में प्रकाशित किया है। यह योजना सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (उन उपक्रमों को छोड़कर, जिन्हें विशेष रूप से छूट दी गई है) में शॉप फ्लोर और प्लाट स्तरों दोनों पर लागू किया जायेगा। जहाँ तक बोर्ड स्तर पर सहभागिता का सम्बन्ध है, सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग (उपक्रम के प्रभारी) श्रम विभाग के परामर्श से ऐसे उपक्रमों की सूची तैयार करेंगे, जिनके सम्बन्ध में यह समझते हैं कि इनमें बोर्ड स्तर पर भी योजना को प्रारंभ करना उचित होगा। सभी राज्य सरकारों संघ/राज्य क्षेत्रों को लिखा गया है कि वे निजी क्षेत्र में भी योजना के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करें।

मध्य प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों का शोषण

4914. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या श्रम और पुर्नवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि मध्य प्रदेश, बिहार तथा उड़िसा के आदि-

वासी क्षेत्रों में गैर कानूनी खनन कार्यों में संलग्न खान मालिकों द्वारा आदिवासियों का लगातार शोषण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां तो सरकार द्वारा आदिवासी कामगारों को शोषण से बचाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और वह यथा समय सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

राजस्थान के जालोर जिले के भीनमल कस्बे में डाकघर भवन का निर्माण

4915. **श्री बिरदा राम फुलवारिया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जालोर जिले के भीनमल कस्बे में डाकघर के लिए प्रस्तावित भवन का निर्माण नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) फिलहाल जालोर जिले के भीनमल कस्बे में डाकघर भवन का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। नगरपालिका से डाकघर भवन के लिए भूमि खरीदी जा रही है।

आसनसोल और रानीगंज कोयला क्षेत्र में अनधिकृत खनन और अपराध

4916. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसनसोल और रानीगंज कोयला क्षेत्र में अनधिकृत खनन और अपराधों में वृद्धि हुई है जिससे चिन्ताजनक स्थिति पैदा हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) राज्य सरकार से मिली रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में कोयले के गैर-कानूनी खनन और अपराध में बहुत वृद्धि नहीं हुई है। फिर भी, कोयला कम्पनियों ने राज्य सरकार के प्राधिकारियों के सहयोग से कोयले का गैर-कानूनी खनन रोकने के लिए जो कदम उठाए हैं उनमें से कुछ नीचे दिए जा रहे हैं :

(1) कम्पनियों के कर्मचारी राज्य की पुलिस के साथ अपराधियों को पकड़ने के लिए नियमित रूप से अचानक छापे मारते रहते हैं।

(२) कोयले का गैर-कानूनी खनन रोकने के लिए उपाय निश्चित करने की दृष्टि से राज्य पुलिस और सिविल प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से समन्वय बैठकें की जाती हैं।

(3) जहां कहीं संभव है कोयला कम्पनियां गैर-कानूनी खनन स्थलों और रैट होलों को सील कर देती हैं।

(4) कोलियरी के प्रबंध मंडल को जब कभी गैर-कानूनी खनन का पता चलता है तो उसकी रिपोर्ट स्थानीय पुलिस को कर दी जाती है।

(5) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को तैनात करके कोयला कम्पनियों के सुरक्षा बल को अधिक मजबूत किया जा रहा है।

मंत्रालय में कार्यरत नैमित्तिक श्रमिकों को नियमिकत करना

4917. **श्री के०वी० एस० मणि** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय/अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत नैमित्तक श्रमिकों को कुछ दिन कार्य करने के बाद में स्वयंमेव नियमित कर दिया जाता है, यदि हाँ, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उनके मंत्रालय/अधीनस्थ कार्यालयों में गत एक वर्ष में कितने नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित किया गया है;

(ग) ऐसे नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या कितनी है जो दो वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं और नियमित नहीं किये गए हैं तथा उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने उन्हें नियमित करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है; यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) । (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी वास-सुविधा का अधिभोग करने वाले उन कर्मचारियों का ब्यौरा जिन्हें गृह निर्माण के लिए अग्रिम धन दिया गया है

4918. **श्री मनोहर लाल सैनी**
डा० ए० यू० आजमी } : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय और दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित उसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में सरकारी वास-सुविधा के पात्र कितने सरकारी कर्मचारियों को पिछले तीन वर्षों के

दौरान गृह निर्माण के लिए अग्रिम धन मंजूर किया गया है और कितने मामलों में उनके मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारियों को सरकारी वास-सुविधा आवंटित की गयी है और कितने कर्मचारी आवंटित सरकारी वास-सुविधा को खाली करके अपने मकानों में चले गये हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सुसंगत नियमों और विनियमों का उल्लंघन करने के दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी क्वार्टरों में रहने वाले कर्मचारियों को गृह निर्माण के लिए दी गई ऋण-राशि का ब्यौरा

4919. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली/दिल्ली में स्थित उनके मंत्रालय और अधीनस्थ कार्यालयों में सरकारी आवास के आबंटन के पात्र कितने सरकारी कर्मचारियों को गत तीन वर्षों में गृह निर्माण के लिए कितनी ऋण-राशि मंजूर की गई है और उनमें से कितने कर्मचारियों के मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारियों के पास सरकारी आवास था और उनमें से कितने अपने घरों में चले गये हैं और उन्होंने सरकारी आवास खाली कर दिया है; और

(ग) उक्त विषय से सम्बन्धित नियमों का उल्लंघन करने के दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी आवास में रहने वाले उन कर्मचारियों का ब्यौरा जिनको भवन निर्माण अग्रिम धनराशि मंजूर की गई

4920. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी आवास के पात्र दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित उनके मंत्रालय तथा उससे सम्बन्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के कितने सरकारी कर्मचारियों को पिछले तीन वर्षों के दौरान

मकान बनाने के लिए अग्रिम धनराशि स्वीकृत की गई तथा कितने मामलों में उनके मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारियों को सरकारी आवास आबंटित किये गये हैं तथा उनमें से कितने कर्मचारी आबंटित सरकारी मकानों को खाली कर अपने मकानों में चले गये हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में संगत नियमों तथा विनियमों का उल्लंघन करने के दोषी पाये गये कितने कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क)

कर्मचारियों की संख्या, जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान भवन निर्माण अग्रिम (ऋण) मंजूर किया गया।	449
उन मामलों की संख्या, जिनमें भवन-निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।	335
(ख) ऐसे कर्मचारियों की संख्या जिन्हें सरकारी आवास मिला है।	89
उन कर्मचारियों की संख्या, जिन्होंने सरकारी आवास खाली कर दिया है।	7

(ग) मौजूदा अनुदेशों के अनुसार ऐसे कर्मचारी भी सरकारी आवास के आबंटन के पात्र हैं/जिनके अपने मकान हैं।

"डेसू" के अधिकारियों द्वारा बिजली के उत्पादन और वितरण की प्रक्रिया का अध्ययन

4921. **श्री के० ए० राजन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अधिकारियों ने देश के विभिन्न भागों का दौरा किया था और बिजली के उत्पादन और वितरण आदि की प्रक्रिया का अध्ययन किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है; किन-किन अधिकारियों ने उक्त दौरा किया था तथा उनके दौरे पर कितनी धनराशि खर्च हुई ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों/उपक्रमों आदि

के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय समिति के निम्नलिखित चार सदस्य 11-1-1984 से 24-1-1984 तक दौरे पर गए थे :

1. श्री नारायण सिंह	अध्यक्ष
2. श्री के० एस० गुजराल	उपाध्यक्ष
3. श्री निहाल सिंह	सदस्य
4. श्री वाई० डी० अहूजा	सदस्य

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के निम्नलिखित अधिकारी भी उनके साथ थे :

1. श्री के० एल० भाटिया	अपर महाप्रबन्धक
2 श्री एम० के० आहूजा	अपर मुख्य इंजीनियर
3 श्री जे० सी० मलिक	अध्यक्ष के सचिव

श्री ए० के० जैन, वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी और श्री पी० पी० श्रीवास्तव, महाप्रबन्धक क्रमशः 13-1-1984 से 15-1-1985 तक और 17-1-1984 से 21-1-1984 तक थोड़े-थोड़े समय के लिए उनके साथ थे।

दल ने बम्बई इलैक्ट्रिक सप्लाई तथा परिवहन संस्थान, बम्बई उप शहरी इलैक्ट्रिक सप्लाई लि०, बम्बई, राजकीय बिजली विभाग, गोवा, कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई निगम, कलकत्ता की कार्य-प्रणालियों का अध्ययन किया तथा विद्युत उपस्करों आदि के कुछ विख्यात निर्माताओं के कार्य-स्थलों का दौरा किया।

उपर्युक्त दौरे पर किया गया कुल व्यय लगभग 42,000/- रुपये था।

दूरदर्शन द्वारा पुरस्कारों का वितरण

4922. **श्री रामलाल राही** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 फरवरी, 1984 के दैनिक "जनसत्ता" में "घोषणा के तीन साल बाद टी० वी० ने पुरस्कार बांटे", शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां तो इतने समय बाद पुरस्कार वितरित करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री

(श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) जी हां। वर्ष 1981 और 1982 के लिए दूरदर्शन डाकुमेंट्रियों के निर्माण में उत्कृष्टता के लिए वार्षिक जानकी नाथ गौड़ पुरस्कार को क्रमशः नियमों को अन्तिम रूप न दिए जाने तथा दूरदर्शन के एशियाई खेलों में व्यस्त रहने के कारण नहीं दिया जा सका। तथापि वर्ष 1983 के लिए पुरस्कार हाल ही में दे दिये गये हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता दिया जाना

4623. **श्री के० लक्कप्पा** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आल इंडिया ई०पी०एफ० स्टाफ फैडरेशन (मान्यता प्राप्त) नई दिल्ली ने सरकार से बड़े पैमाने पर चिकित्सा सुविधा का दुरुपयोग रोकने के लिए चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति किए जाने के स्थान पर कर्मचारियों को निश्चित चिकित्सा भत्ता मंजूर करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों को निश्चित चिकित्सा भत्ता लेने की मंजूरी पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं जबकि अन्य मंत्रालयों ने यह प्रस्ताव पहले ही मंजूर कर लिया है; और

(घ) सरकार इस मुद्दों का फैसला कब तक कर देगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) इस मामले पर सक्रिय विचार किया जा रहा है और कुछ निर्णय शीघ्र लिए जाने की आशा है।

कोयला उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य

4924. **श्रीमती कृष्णा शाही** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आधुनिक कोयला उद्योग में श्रमिकों की सुरक्षा के बारे में उचित प्रशिक्षण और शक्षणिक कार्यक्रम भी चलाये जाते हैं; और

(ख) कोयला उद्योग में नये श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की बेहतरी के लिऐ सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) कामगारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए

गए हैं :

(1) खान अधिनियम, नियमावली और विनियमावली के अंतर्गत सांविधानिक प्रावधानों का कार्यान्वयन।

(2) खानों में सुरक्षा सम्बन्धी समिति तथा खानों में सुरक्षा पर पांचवें सम्मेलन की सिफारिशों का कार्यान्वयन।

(3) खनिकों की सुरक्षा की देख-भाल के लिए कोलियरी, एरिया और सहायक कम्पनी स्तर पर आन्तरिक सुरक्षा संगठन काम कर रहे हैं।

(4) ओपेनकास्ट खनन प्रणाली को क्रमशः अधिक मात्रा में अपनाया जा रहा है क्योंकि इसकी प्रौद्योगिकी भूमिगत खनन प्रौद्योगिकी की तुलना में अधिक सुरक्षित है।

(5) भूमिगत खानों से कोयला निकालने के लिए ऐसी उपयुक्त प्रौद्योगिकी शुरू करने से खतरनाक परिस्थितियों में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या कम हो जाएगी जिसके साथ समुचित स्तर पर यंत्रीकरण भी किया गया हो जैसे लांगवाल प्रणाली रोड-हेडरों, शियरर, आदि का प्रयोग।

(6) भूमिगत खानों में विशेषतः लांगवाल फेस पर रूफ सपोर्ट की आधुनिक और सक्षम प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है।

(7) विद्यमान कार्य-स्थलों और बेहतर उत्पादकता के लिए उत्पादन और प्रेषण की सारी प्रणाली को युक्तिपूर्ण बनाया जा रहा है ताकि खतरनाक परिस्थितियों में काम करने के लिए अपेक्षित व्यक्तियों की संख्या में काफी कमी की जा सके।

(8) कोल इंडिया लि० द्वारा कामगारों को चिकित्सा-सुविधाएं देने के लिए 427 औषधालय, 64 अस्पताल और 384 रोगी वाहनों की व्यवस्था की गई है। इनके अलावा, कोयला खान कल्याण संगठन 3 केन्द्रीय अस्पताल, 30 आयुर्वेदिक औषधालय, 1 ऐलोपैथिक औषधालय और तपेदिक यूनिट चलाता है।

(9) कोल इंडिया लि० और उसकी सहायक कम्पनियों के कर्मचारियों की काफी बड़ी जनसंख्या को अब छने हुए पानी की सप्लाई की जा रही है।

फैक्ट केरल में अप्रचलित प्रौद्योगिकि

4925. **श्री बी० एस० विजयराघवन** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि केरल में फैक्ट अप्रचलित प्रौद्योगिकी के प्रयोग के कारण हानि उठा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए विशाखन की किसी योजना पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) फैक्ट का उद्योगमंडल एक पुराने उर्वरक कारखानों में से एक है जिसे 1943 में स्थापित किया गया था। इस एकक में अनेक संयंत्रों ने आर्थिक दृष्टि से अपनी मिल से ज्यादा कार्य कर लिया है। सरकार ने इस संयंत्र के विविधीकरण की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने 50,000 टन प्रति वर्ष की क्षमता वाले एक केप्रोलेक्टम संयंत्र की स्थापना की सिफारिश की है। सरकार ने परियोजना को अप्रैल, 1982 में 147.94 करोड़ रुपये की लागत पर अनुमोदित कर दिया है। विदेशी परामर्शदाताओं के साथ सहयोग करार अनुमोदित कर दिया गया है और परियोजना पर कार्यान्वयन के लिए कार्य आरंभ कर दिया गया है।

देश में संवाददाताओं/सम्पादकों पर हमले

4926. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1981, 1982, 1983 में और फरवरी, 198 तक कुल कितने संवाददाताओं और सम्पादकों पर हमले किए गये और कितने मुकदमें दर्ज किए गए और इस सम्बन्ध में कितने मामले चल रहे हैं;

(ख) इन हमलों में कुल कितने सम्पादक और संवाददाता मारे गये हैं; और

(ग) सम्पादकों और संवाददाताओं के जीवन की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है, उसको यथा समय सदन पर रख दिया जायेगा।

महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि

4927. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से उनके लिए नौकरियों का आरक्षण करने का है;

(ख) क्या यह सच है कि कपड़ा उद्योग में काम करने वाली महिलाओं की संख्या बीस प्रतिशत से कम होकर पांच प्रतिशत रह गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) महिलाओं के लिए नौकरियों का आरक्षण संविधान के वर्तमान उपबन्धों के अधीन कानूनी रूप से संभव नहीं है ।

(ख) श्रम विभाग के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार टैक्सटाइल उद्योग में महिलाओं के रोजगार में किसी प्रकार की कमी दिखाई नहीं देती ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बम्बई की कपड़ा मिलों के श्रमिकों और मिल मालिकों के बीच विवाद का निपटारा

4928. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई की कपड़ा मिलों के श्रमिकों और मिल मालिकों के बीच विवाद का निपटारा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जिन विभिन्न मिलों का अधिग्रहण कर लिया गया है उनमें कितने श्रमिकों को काम पर वापस ले लिया गया है और उन मिलों के नाम क्या हैं जिनमें उत्पादन शुरू हो गया है ।

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, नहीं । इस विवाद में, जो विद्यमान है, विधित: कार्रवाई नहीं हो सकती ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) अधिग्रहण की गई 13 मिलों में 1.10.1981 की स्थिति के अनुसार कुल 31,727 नियोजित श्रमिकों में से, उन 12 मिलों ने 8,902 श्रमिकों को वापस ले लिया है जिन्होंने उत्पादन शुरू कर दिया है । अधिग्रहण की गई एक मिल, अर्थात् कोहिनूर नम्बर-3 अभी पुन: चालू नहीं हुई है जिसमें 1,135 श्रमिक नियोजित थे जिन 12 मिलों ने उत्पादन शुरू कर दिया है, उनके नाम निम्न प्रकार से हैं :

1. इल्फिनस्टोन मिल
2. जाम मिल

3. न्यू सिटी मिल

4. पोद्दार मिल

5. पोद्दार प्रोसेसर्स

6. कोहिनूर मिल नम्बर-1

7. कोहिनूर मिल नम्बर-2

8. फिन्ले मिल

9. गोल्ड मोहर मिल

10. टाटा मिल

11. मधुसूदन मिल

12. सीताराम मिल

फिल्मों का निर्यात और आयात

4629. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने चालू वित्तीय वर्ष में कितनी फिल्मों का आयात और निर्यात किया;

(ख) किन देशों को इन फिल्मों का आयात किया गया और किन देशों को फिल्मों का निर्यात किया गया;

(ग) फिल्मों के निर्यात से कुल कितनी आय हुई;

(घ) क्या यह सच है कि वर्तमान आयात-निर्यात नीति के अनुसार राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का विचार फिल्मों के सभी प्रकार के आयात और निर्यात के लिए एजेंट नियुक्त करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो अन्य देशों के साथ फिल्मों के सांस्कृतिक आदान-प्रदान को किस सीमा तक बढ़ाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के एल० भगत) : (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान फरवरी, 1984 के अन्त तक भारत द्वारा 94 विदेशी फिल्में आयात की गई तथा 1253 फिल्में निर्यात की गई।

(ख) फिल्में अमरीका, सोवियत संघ, इंगलैंड, हांगकांग तथा इटली से आयात की गई। जिन देशों को भारतीय फिल्में निर्यात की गई उनके नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) उपरोक्त "क" मे उल्लिखित फिल्मों के केनेलाइज्ड निर्यात से अर्जित होने योग्य कुल आय 1048.91 लाख रुपये है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ड़) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

उन देशों के नाम जिन्हें अप्रैल, 1983 से जनवरी, 1984 तक की अवधी के दौरान भारतीय फिल्में निर्यात की गई

1. फिजी
2. सन्ना
3. मिस्र
4. इंडोनेशिया
4. गाम्बिया
6. त्रिनीडाड़
7. मोरक्को
8. दुबई
9. दिजीवाऊटी
10. पश्चिम जर्मनी
11. इरान
12. हंगरी
13. श्रीलंका
14. तंजानिया
15. अमरीका
16. सीरिया
17. मालदीव
18. कनाडा
19. जार्डन
20. सिंगापुर
21. मलयेशिया
22. लीबीया
23. मोरिशस
24. नाइजीरिया
25. जापान
26. इंगलैंड
27. जिब्राल्टर
28. सुल्तान-ए-ओमन
29. मस्कट
30. पेरू
31. अबुधौबी
32. लेबनान
33. सोवियत संघ
34. बर्मा
35. स्वीट्जरलैंड
36. हांगकांग
37. इराक
38. जंजीबार
39. सुडान
40. अल्जीरिया
41. लाइबेरिया
42. टर्की

43. बारबाडोस
44. बहरीन
45. सूरीनाम
46. यमन
47. बल्गारिया
48. घाना
49. आस्ट्रेलिया
50. चीन
51. फ्रांस

नवीनतम कुंजी-पटल को बोर्ड टाइपराटरों पर प्रशिक्षण के लिए आशुलिपि विशेषज्ञ समिति द्वारा पाठ्य पुस्तक निर्धारित करना

4930. **श्री केशवराव पारधी** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा 1981 में गठित आशुलिपि विशेषज्ञ समिति ने नवीनतम कुंजी-पटल के टाइपराटरों पर प्रशिक्षण देने के लिए जो पुस्तक निर्धारित की है वह 1976 से पहले के कुंजी-पटल के आधार पर तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या नवीनतम कुंजी-पटल पर आधारित कोई पुस्तक महानिदेशालय को स्वीकृति हेतु नहीं भेजी गयी थी ;

(घ) क्या यह कदम नवीनतम और अपतन प्रशिक्षण देने के लिए उठाया गया था ; और

(ङ) क्या महानिदेशालय इस निर्णय पर फिर से विचार कर रहा है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा हिन्दी आशुलिपि पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित पुस्तकों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) इन पुस्तकों को जिन्हें राष्ट्रीय व्यासायिक प्रशिक्षण परिषद् द्वारा स्वीकृत किया गया था व्यवसाय समिति द्वारा निर्धारित किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) व्यवसाय समिति प्रक्षिणार्थियों को कुशल सैद्धान्तिक प्रशिक्षण प्रदान करने संबंधी आवश्यकताओं के बारे में विचार करती है। इस समिति द्वारा अद्यतन प्रशिक्षण प्रदान करने की दृष्टि से, आवश्यक संदर्भ पुस्तकों की सिफारिश की जाती है और उन्हें बाद में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

(ङ) जी, हां।

विवरण

पुस्तकालय हेतु संस्तुत पुस्तकें

1. मानस आशुलिपि	राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भारत सरकार
2. मानक आशुलिपि की कुन्जी	"
3. मानक उच्च गति अभ्यास	"
4. देवनागरी टाइराइटिंग प्रशिक्षण	

संदर्भीय पुस्तकें

1. विशिष्ट आशुलिपि कुन्जी सहित	गोपाल दत्त बिष्ट
2. नवीन आशुलिपि कुन्जी सहित	पिटमैन शार्टहैण्ड स्कूल
3. हिन्दी टाइपराइटिंग प्रशिक्षक एव कार्यालय सहायिक	गोपाल दत्त बिष्ट
4. नवीन देवनागरी टंकण कला एवं टंकण कलागत वर्धक अभ्यास	आर० सी० कुव्याला
5. टंकण कालगति एवं परिशुद्धता	पिटमैन शार्टहैंड स्कूल
6. हिन्दी शार्टहैण्ड शब्दकोश (यदि कोई हो)	
7. हिन्दी शार्ट हैण्ड मैनुअल एवं कुन्जी	प्री० एम०पी०सिंह
8. हिन्दी संकेत लिपि एवं कुन्जी	प्री० ऋषि लाल अग्रवाल
9 पिटमैन त्वरा लेखन	पिटमन हाउस, लन्दन
10. रिपोर्टिंग ऐक्सापडियंट्स इन हिन्दी शार्टहैण्ड, लोक सभा सचिवालय	
11. अन्य कोई पुस्तक जो अनुदेशकगण संस्तुत करना चाहें	
12. हिन्दी शब्द कोश	
13. अंग्रेजी-हिन्दी शब्द कोष	
14. प्रशासन एवं तकनीकी शब्दावली	
15. कार्यालय सहायिका (केन्द्रीय हिन्दी परिषद्)	
16 हिन्दी के डिबेट	
17. गणमान्य व्यक्तियों के भाषण	

क्षेत्रीय भविष्य निधि, आयुक्त, पटना द्वारा विष्णु शूगर मिल्स, लिमिटेड, गोपालगंज पर जुर्माना करना

4931. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार, पटना द्वारा विष्णु शूगर मिल्स लिमिटेड, गोपाल गंजफैक्ट्री (कोड नं० बी० आर०-192) के प्रबन्धकों पर कम्पनी के अंशदान सहित कर्मचारियों के अंशदान को सरकार के पास जमा कराने में असफल रहने के कारण जुर्माना किया गया था;

(ख) यदि हां; तो क्या किए गए जुर्माने का भुगतान इस बीच कर दिया गया है तथा मूल अंशदान तथा नियोक्ताओं के अंशदान को सरकार के पास जमा कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा इस चूक के लिए कानून के अंतर्गत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकरणों के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 14-ख के अधीन मैसर्स विष्णु शुगर मिल्स लिमिटेड, गोपाल गंज, को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि भविष्य निधि की बकाया राशि का विलम्ब से भुगतान करने के लिए उनपर हरजाना क्यों न लगाया जाए । तथापि, प्रबन्धतंत्र ने कलकत्ता उच्च न्यायालय से रोधनादेश प्राप्त किया जिसमें उसे जारी किए गए नोटिस के बारे में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को आगे कार्यवाही करने से रोका गया है । अत: हरजाना लगाने के लिए कोईअन्तिम आदेश अभी तक मंजूर नहीं किया गया है। इस बीच, यह सूचित किया गया है कि प्रबंधतंत्र ने सितम्बर, 1983 तक भविष्य निधि के कर्मचारियों और नियोजकों के अंशदानों को जमा करा दिया है । बाद की अवधि के लिए अदायगी की स्थिति की जांच की जा रही है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्य बिजली बोर्डों की कार्यकुशलता बढ़ाने के उपाय

4932. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य विद्युत बोर्डों की कार्यकुशलता बढ़ाने के उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कौन से विभिन्न उपाय किए हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) राज्य सरकारें, राज्य बिजली बोर्डों के समग्र कार्य निष्पादन के लिए मुख्य रुप से उत्तरदायी हैं । केन्द्रीय सरकार भी राज्य बिजली बोर्डों के कार्य-निष्पादन की आवधिक रुप से समीक्षा करती रहती है । राज्य बिजली बोर्डों के कार्य नित्पादन में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) राज्य बिजली बोर्डों के प्रबन्ध, जिसमें परियोजना प्रबन्ध प्रक्रियाएं, वित्तीय और प्रचलनात्मक कार्य निष्पादन, कार्मिकों को प्रशिक्षण आदि शामिल हैं, में सुधार लाने के लिए राज्य बिजली बोर्डों को उपयुक्त मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं ।

(2) नई परियोजनाओं को शीघ्र चालू करने के लिए विद्युत परियोजनाओं के मानिटरिंग संबंधी कार्य में काफी बढ़ोतरी की गई है।

(3) पारेषण और वितरण हानियों को कम करने के लिए बोर्डों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं।

(4) राज्य बिजली बोर्डों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी मालसूची नियंत्रण में सुधार करें।

(5) राज्य बिजली बोर्डों से अनुरोध किया गया है कि वे ईंधन लागत समायोजन धारा को अपनी टैरिफ में शामिल करें।

(6) ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं इनमें ये शामिल हैं :

(क) संयंत्रों और उपस्करों में कमियों का पता लगाने के लिए राज्य बिजली बोर्डों की सहायता करना और संयंत्र सुधार कार्यक्रमों को तैयार करने तथा हाथ में लेने के लिए सहायता करना।

(ख) सुरक्षात्मक अनुरक्षण तकनीकें अपनाना।

(ग) फालतू पूर्जों की समयानुसार सप्लाई करने के लिए प्रबन्ध करना।

(घ) उपयुक्त गुणवत्ता और पर्याप्त मात्रा में कोयले का प्रबन्ध करना।

(ङ) प्रचालन और अनुरक्षण कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण।

(च) कार्य-निष्पादन की मानोटरिंग करने और सलाह देने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से प्रचालन और अनुरक्षण विशेषज्ञों के भ्रमणशील दलों के दौरों का प्रबन्ध करना।

(छ) 200/210 मेगावाट के यूनिटों तथा 100/120 मेगावाट की यूनिटों में कमियों का पता लगाने और कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए कार्यक्रम तैयार करने के लिए कृतिक बल का गठन करना।

(ज) एक प्रोत्साहन स्कीम लागू करना जिसके अन्तर्गत ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार के लिए प्रोत्साहन देना।

(7) राज्य बिजली बोर्डों को अपनी टैरिफों को स्वयं निर्धारित करने के लिए समर्थ बनाने हेतु विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1983 के जरिए विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1948 को सशक्त बनाया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लेखे के किसी भी वर्ष में कुल राजस्व में प्रचालन, अनुरक्षण तथा प्रबन्ध व्यय, आय तथा लाभ पर करों (यदि कोई हो) मूल्यह्रास तथा सभी डिबेन्चरों, बांडों तथा ऋणों पर दिए जाने वाले ब्याज सहित राजस्व पर उचित रूप से प्रभावित सभी व्यय को पूरा करने के पश्चात् इतना अधिशेष बाकी रहे कि वह 3 प्रतिशत या उस वर्ष के आरम्भ में बोर्ड की कार्यरत स्थायी परिसम्पत्तियों के मूल्य के आधार पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई ऐसी उच्च प्रतिशतता से कम न हो।

विभागीय उद्यमों के प्रबन्ध कार्य में श्रमिकों की भागीदारी

4933. **श्री नीरेन घोष** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रबन्ध कार्य में श्रमिकों की भागीदारी की योजना को विभागीय उद्यमों पर भी लागू किया जाएगा;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा विभागीय उद्यमों के लिए तैयार कि जा रहे प्रबन्ध ढांचे का ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धमवीर) : (क) से (ग) सरकार ने प्रबन्ध में कर्मचारियों की सहभागिता संबंधी एक नई व्यापक योजना, श्रम और पुनर्वास मंत्रालय के संकल्प सख्या एल-56011/1/83-डैस्क-1 (बी) द्वारा अभी हाल ही में शुरू की है, जो 30 दिसम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग-1, खंड-1 में प्रकाशित किया गया है। यह योजना केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों पर लागू होती है। तथापि केन्द्रीय सरकार का कोई भी उपक्रम, जो विभागीय रूप से चलाया जाता है, इस योजना से बाहर रखा जाएगा। इसका कारण यह है ऐसे सभी विभागीय उपक्रमों में संयुक्त सलाहकारी मशीनरी की व्यवस्था होती है जो प्रबन्ध में कर्मचारियों की सहभागिता को पर्याप्त रूप से सुनिश्चित करती हैं।

देश में विद्युत शक्ति के प्रभाव के बारे में अध्ययन

4934. **श्रीमती मधुरी सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण विद्युतीकरण से ग्रामीण निर्धनों को कोई लाभ नहीं पहुंचा था केवल समृद्ध कृषकों द्वारा ही इससे लाभ उठाया गया था;

(ख) क्या इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा कोई अध्ययन किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में विद्युत शक्ति के प्रभाव के बारे में भारत में कोई अध्ययन किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं तथा ग्रामीण विद्युतीकरण से निर्धनों को लाभ पहुचाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री आरिफ मोहम्मद खां : (क) जी, नहीं।

(ख) 5 मार्च, 1984 के फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक समाचार प्रकाशित हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने "विकासशील देशों में ग्राम विद्युतीकरण के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव" के बारे में एक अध्ययन किया है। समाचार-पत्र की रिपोर्ट से देखा गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अध्ययन केवल भारत से सम्बन्धित नहीं है बल्कि विश्व के सभी विकासशील देशों से सम्बन्धित है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्ययन की प्रतियां अभी भारत में उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ) : विद्युत शक्ति के प्रभाव के बारे में कुछ अध्ययन ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा प्रायोजित किए गए हैं जिनमें निम्न पहलू विस्तृत रूप से शामिल हैं :

(1) विकेन्द्रीकृत उद्योगों पर विद्युतीकरण का प्रभाव;

(2) ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों पर लागत लाभ अध्ययन;

(3) रोजगार के बारे में ग्राम विद्युतीकरण का प्रभाव;

(4) ग्राम विद्युतीकरण सहकारिताओं के प्रभावपूर्ण अध्ययन; और

(5) सूखा-प्रवण क्षेत्रों में ग्राम विद्युतीकरण के प्रभाव के बारे में अध्ययन।

इन अध्ययनों में कमजोर वर्गों द्वारा बसे हुए पिछड़े तथा अविकसित क्षेत्रों के विकास। विद्युत पहुंचाने के बारे में सम्पेक्षण और तथ्य दिए गए हैं और उनका पहले ही कार्यान्वियन हो रहा है।

योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने भी ग्राम विद्युतीकरण पर एक अध्ययन किया है। ग्राम विद्युतीकरण पर इस अध्ययन से यह पता चलता है कि ग्राम विद्युतीकरण के परिणामस्वरूप (1) पम्पसेटों की संख्या में और सिंचाई वाले क्षेत्र में, (2) अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के सुधरे हुए बीजों को अपनाने में, (3) केमिकल फर्टिलाइजरों आदि के व्यापक प्रयोग में, (4) संयंत्र सुरक्षा उपायों आदि में वृद्धि हुई। अध्ययन से यह भी पता चलता है कि विश्वसनीय सिंचाई सुविधाओं के कारण फसलों का स्वरूप अधिक आमदनी वाली फसलों में परिवर्तित हो गया है। इससे यह भी पता चलता है कि ग्राम विद्युतीकरण से महिलाओं के घटिया कार्यों को कम करने के अतिरिक्त पढ़ने की आदतों, मनोरंजनों, खेलों तथा रुचिपूर्ण कार्यों को करने में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है तथा इससे ग्रामीण क्षेत्रों से नवयुवकों के बाहर जाने में भी रुकावट आई है।

विद्युत केन्द इंजीनियरी के क्षेत्र में प्रवृत्तियां सम्बन्धी विचारगोष्ठी

4935. **श्री के. टी. कौशलराम** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 13 फरवरी, 1984 को नई दिल्ली में हुई विद्युत केन्द्र इंजीनियरी के क्षेत्र में "प्रवृत्तियां" सम्बन्धी विचारगोष्ठी में क्या प्रमुख सुझाव दिये गये ; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) (क) विद्युत संयंत्र इंजीनियरी में भावी प्रवृत्तियों से सम्बन्धित मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए विभिन्न संगठनों के तकनीकी विशेषज्ञों के एकत्र होने के लिए, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया था। सेमिनार में विचार किए गए मुख्य विषयों में ये शामिल थे : 500 मेगावाट और इससे अधिक क्षमता वाले ताप विद्युत संयन्त्रों के लिए अति दुर्लभ प्रौद्योगिकी के तकनीकी, गुण और दोष, ताप विद्युत का दो संयंत्रों में प्रचालन, ताप विद्युत संयंत्रों का यूनिट साइज, संयुक्त साइकल विद्युत संयंत्रों की प्रतिष्ठापना के विभिन्न पहलू तथा विद्युत केन्द्रों में डाटा अधिग्रहण प्रणालियों को शामिल करना।

(ख) भावी विद्युत विकास कार्यक्रम तैयार करने में ये विचार-विमर्श लाभदायक होंगे।

कश्मौटा लाट बागान डाकघर हुगली में सार्वजनिक टेलीफोन लगाना

4936. **प्रो. रूपचन्द पाल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हुगली के स्थानीय लोगों की ओर से कश्मौटा लाट बागान डाकघर, हुगली में एक सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के बारे में कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) जी हाँ।

(ख) एक सार्वजनिक टेलीफोन की मंजूरी दे दी गई है और इसे शीघ्र ही स्थापित कर दिया जाएगा।

कम्पनी कानून के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाली सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों का ब्यौरा

4937. **श्री के. राममूर्ति** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र की कितनी कम्पनियों ने कम्पनी कानून के उपबन्धों का उल्लंघन किया है उनके नाम क्या-क्या हैं; और

(ख) इस प्रकार के उल्लन्घनों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) तथा (ख) क्रमश: 31-3-1981, 31-3-1982 और 31-3-1983 तक 851, 894 और 943 सरकारी कम्पनियां कार्यरत थीं। उन सरकारी कम्पनियों के नामों का पता लगाना, अगर कोई ऐसी है, जिन्होंने कम्पनी अधिनियम, 1956 से उपबन्धों का उल्लंघन किया है, उनकी रिपोर्ट कम्पनी रजिस्ट्रारों के कार्यालयों से जो सारे देश में फैले हुए हैं, प्राप्त करनी आवश्यक होगी। इस प्रकार की सूचना एकत्र करने में

निहित समय और श्रम सम्भावित उपलब्ध किए जाने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं हो सकेगा। तथापि अगर माननीय सदस्य महोदय किसी विशेष सरकारी कम्पनी/कम्पनियों के सम्बन्ध में जानने के इच्छुक हैं, तो अपेक्षित सूचना एकत्र की जाएगी और उनको प्रस्तुत कर दी जाएगी।

पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत उत्पादन के लिए रखा गया निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धियां

4938. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम से छठी योजनाओं के दौरान प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में विद्युत उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे तथा वर्ष 1983 के अन्त तक योजनावार तथा क्षेत्रवार (उन बिजली तथा परमाणु बिजली घरों) कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया और कितना नहीं किया जा सका;

(ख) विद्युत उत्पादन के लिए हमारे देश की पन-बिजली क्षमता का किस सीमा तक उपयोग किया गया है; और

(ग) हमारी पन बिजली क्षमता के उपयोग को प्राथमिकता न देने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खाँ) : (क) पहली से छठी पंचवर्षीय योजनाओं तक वर्ष 1982-83 के अन्त तक प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता में अभिवृद्धि के बारे में लक्ष्य और उपलब्धियां विवरण में दी गई हैं।

(ख) देश में जल विद्युत शक्यता 60% भार अनुपात पर 75,000 मेगावाट से अधिक आंकी गयी है जिसमें लगभग 20% शक्यता का या तो विकास किया जा चुका है या क्रियान्वयनाधीन है।

(ग) जल विद्युत शक्यता के समुपयोजन को समुचित प्राथमिकता प्रदान की जाती है। तथापि, इसका विकास वित्तीय साधनों की कठिनाई, अन्तर्राज्यीय मामले, पर्यावरण पुनर्वास संबंधी समस्याएं, दीर्घकालिक निर्माण अवधि और मानसून परिस्थितियों पर विद्युत उत्पादन की निर्भरता आदि जैसे पहलुओं पर निर्भर करती है।

विवरण

योजनावार लक्ष्य तथा उपलब्धियां

योजना	अवधि	विद्युत की किस्म	विद्युत उत्पादन क्षमता (मेगा.) के लक्ष्यों का कार्यक्रम	प्राप्त की गई उत्पादन क्षमता (मेगा में)	पिछड़ना (मेगा.)
1	2	3	4	5	6
पहली (1951-56)		जल विद्युत ताप विद्युत			

1	2	3	4	5	6
		न्यूक्लीय विद्युत			
		जोड़ :	1300	1100	200
दूसरी					
(1956-61)	—	जल विद्युत			
		ताप विद्युत			
		न्यूक्लीय विद्युत			
		जोड़ :	3500	2250	1250
तीसरी					
(1961-66)	—	जल विद्युत	3200	2180	1020
		ताप विद्युत	3650	2340	1310
		न्यूक्लीय विद्युत	190	—	190
		जोड़ :	7040	4520	2520
वार्षिक योजना					
(1966-69)	—	जल विद्युत		1810	
		ताप विद्युत		2310	
		न्यूक्लीय विद्युत		—	
		जोड़ :	5430	4120	1310
चौथी					
(1969-74)	—	जल विद्युत	3518	1057	2461
		ताप विद्युत	4766	2942	1824
		न्यूक्लीय विद्युत	980	580	400
		जोड़ :	9264	4579	4685
पांचमी					
(1974-79)	—	जल विद्युत	4654	3812	852
		ताप विद्युत	7390	6390	1000
		न्यूक्लीय विद्युत	465	—	455
		जोड़ :	12499	10202	2297

1	2	3	4	5	6
वार्षिक योजना					
(1979-80)	—	जल विद्युत	548	549	[+1]
		ताप विद्युत	2045	1250	795
		न्यूक्लीय विद्युत	220	—	220
		जोड़ :	2813	1799	1014
छठी					
(1980-81)*	—	जल विद्युत	407	407	—
		ताप विद्युत	1825	1196	629
		न्यूक्लीय विद्युत	455	220	235
		जोड़:	2687	1823	864
1981-82	—	जल विद्युत	725	380	345
		ताप विद्युत	2252	1795	457
		न्यूक्लीय विद्युत	235	—	235
		जोड़:	3212	2175	1037
1982-83	—	जल विद्युत	4045	870	175
		ताप विद्युत	2437	2190	247
		न्यूक्लीय विद्युत	—	—	—
		जोड़:	3482	3060	422

टिप्पणी : पहली और दूसरी योजना के बारे में लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। 1966-69 की वार्षिक योजनाओं का ब्यौरा भी उपलब्ध नहीं है।

तेल और गैस के निश्चित हुए भण्डार

4939. **डा० कृपा सिंधु भोई :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में तट-दूर और तटवर्ती ऐसे तेल/गैस भण्डारों का कुल कितनी मात्रा है जिसके बारे में उनकी क्षमता का निश्चय किया जा चुका है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी संकर मिश्र) : 1 जनवरी, 1983 की स्थिति के अनुसार हाईड्रोकार्बनों के प्रमाणित और बताये गए शेष भण्डार कच्चे तेल के लिए 527 मि. मी. टन और गैस के लिए 475 बिलियन घन मीटर थे।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा उपभोक्ताओं को बोगस बिलों का भेजा जाना

4940. **श्री रामविलास पासवान**
श्री निहाल सिंह } क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 फरवरी, 1984 के "नवभारत टाइम्स" में "राजधानी

में चार लाख उपभोक्ताओं को बोगस बिल" शीर्षक के अन्तर्गत ऐसे समाचार की ओर आकर्षित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपभोक्ताओं को दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा परेशान किये जाने से बचाने के लिए सरकार द्वारा कोई उपाय/कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बी ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री : श्री आरिफ मोहम्मद खां (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

ऊर्जा संरक्षण के लिए चुने गये क्षेत्र

4941. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन विशिष्ट क्षेत्रों को ऊर्जा संरक्षण के लिए चुना गया है ;

(ख) ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सरकारी और अर्द्ध-सरकारी स्तर पर क्या कदम उठाये गए हैं ;

(ग) सरकार ऊर्जा-प्रयोग की क्षमता में सुधार और प्रौद्योगिकी सुधार के लिए क्या वित्तीय प्रोत्साहन दे रही है; और

(घ) इस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या उपलब्धि हुई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री आरिफ मोहम्मद खां (क) से (घ) ऊर्जा के समुपयोजन कार्यकारी दल नेन्तमन्त्रालीय और संरक्षण पर अहाल ही में अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें औद्योगिक, परिवहन और कृषिसेक्टर में उन विभिन्न क्षेत्रों का पता लगाया है जहां पर ऊर्जा संरक्षण की गुन्जाइश है। ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाना शुरू किया है। कार्यक्रमों में ये शामिल हैं—अकुशल और अप्रचलित वायलरों की प्रतिस्थापनाकरना, ऊर्जा की खपत वाले उपस्कर के डिजाइन पैरामीटरों में सुधार लाना, बहू एक्सल तथा टर्बो पर प्रभावित परिवहन गाड़ियों के उत्पादन का तेज करना तथा कृषि पम्पसेटों की कार्यकुशलता में सुधार लाना, अधिक कुशल मिट्टी के तेल वाले स्टोवों तथा लकड़ी से जलने वाले स्टोवों आदि की कार्यकुशलता में सुधार लाना आदि। अधिसूचित ऊर्जा संरक्षण उपस्करों और प्रक्रियाओं पर अधिक मूल्य ह्रास को भी अनुमति दी गई है। ऊर्जा संरक्षण के लिए सुनिश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में हुई ऊर्जा की बचत की मात्रा का सही-सही मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है।

चित्तौड़गढ़ में दूरदर्शन सुविधाएं

4942. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 80 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां तो राजस्थान के उन भागों तथा शहरों के नाम क्या हैं जिनमें इस योजना के अन्तर्गत दूरदर्शन सेवा उपलब्ध कराने की सम्भावना है तथा उनमें से प्रत्येक की ट्रांसमीशन की क्षमता कितनी होगी ;

(ग) क्या सरकार का ऐतिहासिक शहर चित्तौड़गढ़ को दूरदर्शन सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां तो इस सुविधा को चित्तौड़गढ़ के निवासियों को कब तक उपलब्ध कराने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) अल्प शक्ति वाले (100 वाट क्षमता के) ट्रांसमीटर जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अलवर, गंगानगर, भीलवाड़ा, खेतरी, जैसलमेर और बाड़मेर में लगाए जा रहे हैं । इनके अलावा, सूरतगढ़ में अल्प शक्ति वाला ट्रांसमीटर पहले ही काम कर रहा है ।

(ग) से (ङ) दूरदर्शन संजाल का विस्तार चरणबद्ध ढंग से किया जा रहा है । चित्तौड़-गढ़ शहर में दूरदर्शन सुविधाओं की व्यवस्था करने के बारे में विचार संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए भावी योजनाओं में किया जाएगा ।

लघु माइक्रो पन बिजली योजनाओं के लिए विशेष आबंटन

4943. **प्रो० पी० जे० कुरियन** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में लघु/माइक्रो पन बिजली योजनाओं के वित्तीय पोषण के लिए कोई विशेष आबंटन किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस राशि के आबंटन के लिए कोई मार्ग निर्देश निर्धारित किए गए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां : (क) जी, नहीं ।

(ख) से घ प्रश्न ही नहीं उठते ।

उड़ीसा राज्य में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यलयों में डाकघर

4944. **श्री रामविलास बहेरा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में उन ग्राम पंचायत मुख्यलयों के नाम क्या है जहां पर डाकघर नहीं है, और इस संबंध में जिला-वार सूचना क्या है;

(ख) प्रत्येक ग्राम-पंचायत मुख्यालयों में डाकघर खोलने का क्या कार्यक्रम है और वहां की तक डाकघर खोल दिए जाएंगे; और

(ग) इस कार्य के लिए कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जानकारी विवरण 1 में दी गई है।

(ख) ग्राम पंचायत मुख्यालय वाले गांवों में डाकघर विवरण 2 में दिए गए मानदंडों के पूरा होने पर चरणबद्ध रूप में खोले जाते हैं।

(ग) प्रति माह प्रति डाकघर 350/- रु० का औसत खर्चा आता है। प्रति वर्ष लगभग 49,000 की कुल राशि की आवश्यकता पड़ेगी।

विवरण-2

अनुबध "क'।

(बालासोर जिला)

ग्राम पचायत मुख्यालय वाले गांव	ग्राम पंचायत मुख्यालय वाले गांव
1. खांडीपिप्पल	10. बालीकुटी
2. महारा	11. ब्रह्मंडा
3. वंडरशाह	12. गैंसिपटना
4. कुडीमजीसाही	13. गोपीनाथपुर
5. घाकलपहाराजपुर	14. पत्रपाड़ा
6. सरदार बन्ध	15. केपिपाड़ा
7. पाईकथा	16. कल्याणपुर
8. बनियादेह	17. पत्रीपहल
9. जगतीपुर	18. चिटोल

ग्राम पंचायत मुख्यालय वाले गांव	ग्राम पंचायत मुख्यालय वाले गांव
19. बारीपाड़ा	33. भट्टापाड़ा
20. मधुसूदनपुर	34. श्याम सुन्दर पुर
21. मानित्री	35. बड़शहर
22. चांदी घर	36. राजनगर
23. गगन धूलि	37. खण्डविनायकपुर
24. अम्बूते	38. सुदर्शनपुर
25. एरिइन	39. लक्ष्मीदासपुर
26. नामी	40. अयोध्या
27. बेली पोखरी	41. कमरपुर लखराज
28. राजेन्द्रपुर	42. जुड़िडा
29. पालंगा	43. नरसिंहपुर
30. कराडा	44. निजगढ़
31. भगवानपुर	45. तलकिका
32. जाशिपुर	46. गढ़साही

कटक जिला

1. नहानी	14. महाकालपाडा
2. सियापाडा	15. गजराजपुर
3. डिमरीपल	16. कालीकट
4. मणिकुडा	17. बारापुट
5. देवलखा	18. सिमलीपुर
6. बंगरकुटा	19. गोपालपुर
7. उत्तरप्रताप	20. भागीरपुर
8. गौपुरा	21. जोरंदा
9. मलंदपुर	22. कन्सारपुर
10. झाईकुटी	23. दाधिबावानपुर
11. कमरडिह	24. नगारी
12. दुधजुरी	25. संरथपूर
13. सौरी	26. बगादिया

ग्राम पंचायत मुख्यालय वाले गांव	गांव ग्राम पंचायत मुख्यालय वाले गांव
27. मालमाही	56. सादकपुर
28. बलरामपुर	57. तिलिया
29. दुहलीमुर	58. दौरंजा
30. नौडिड	59. अकरपाड़ा
31. जनकादियापुर	60. बिहारी
32. नरेन्द्रपुर	61. कोशिया
33. अतियापाल	62. बालीसजी पटना
34. बनतोला	63. बंघपाड़ा
35. नागेशपुर	64. चंदीबौंसमल
36. रामपाडा	65. कातेरवहल
37. जोदबन	66. चरपाड़ा
38. गोबरधनपुर	67. कोरंदा
39. रंगांडी	68. पधानपुर
40. बेड़ागादिया	69. ग्राम नन्दीपुर
41. चरमुह'न	70. एन्डेरे
42. हंका	71. कौपाड़ा
43. राघादियापुर	72. जामपुर
44. चक्रधरपुर	73. रातादिया
45. अवयापुर	74. अलनपुर
46. चरमुहान	75. गंगारामपुर
47. नत्थूवाड	76. सांगीद
48. दादाकांची	77. देसाही
49. नरसिंहपुर	78. गोविन्दपुर
50. विचित्रपुर	79. पेरकुला
51. अरबैंक	80. पाटलीपंक
52. अपरबन्दहान	81. बरदांग
53. महेश्वरपुर	82. नानाकंडा
54. कालुपल	83. एंग्विसपुर
55. खमन	

ग्राम पंचायत मुख्यालय वाले गांव	ग्राम पंचायत मुख्यालय वाले गांव

धेनकनाल जिला

1. गुरजगांगली
2. हंडीदुहा
3. बन्तोल
4. कंकालेट
5. कांजरा
6. बरसाही
7. कदुआ
8. वासुना
9. कामरचन्द साही
10. जारदा
11. गिरधारी प्रसाद
12. करन्तियागढ़
13. नुमकपोशी
14. धोरापल्ली
15. बालिम्बा
16. रत्नपुर
17. कांडबंधरा
18. मन्धापुर

गंजम जिला

1. तालंग
2. सतकुटिया
3. पृथापल्ली
4. रामचन्द्रपुर
5. बागमाड़ी
6. दयानिधिपुर
7. काईसाफा
8. पोदादिगी
9. सनरामचन्द्रपुर
10. कंचापुर
11. रामगुडा
12. कमवोई
13. कामलक्षियापुर
14. अन्तीगांव
15. वड़ागोरेगांव
16. चतरपुर
17. गोपापुर
18. मतीना
19. सावलिया
20. मनिसिगोई
21. वरपाली
22. शासन
23. खरदाबदी
24. नरेन्द्रपुर
25. झारारी

जिला कालाहांडी

1. तुगसाहीपटना
2. धानिकसर
3. लेगदा
4. भावसियार

ग्राम पंचायत मुख्यालय वाले गांव	ग्राम पंचायत मुख्यालय वाले गांव
5. उदरसिंह	7. सरियार
6. वारगांव	8. वानेश्वर

क्योंझर जिला

1. शहरपाड़ा	3. शिवनारायणपुर
2. गोनासिका	4. वड़ामटना
5. सलादेई	

कोरापुट जिला

1. चोड़ावेडा	13. अन्दरहटी
2. मालपाड़ा	14. मंजगेना
3. वीजापुर	15 कुप्पमालीगांव
4. कुमलीपट	16. किमाकाली
5. वेनियागुडा	17. इन्दुपुर
6. दोनागेरपोस्ट	18. अनलुवहाटा
7. अदादुरंग	19. दानगुवाड़ी
8. चिलीवेडा	20. अतिशखाल
9. सिवापदार	21. मन्ती
10. अंगुला	22. पिंडापाडर
11. बड़ापल्ली	23. मंडीग्राम
12. अनौली	24. संतोषपुर
	25. कामारा

मयूरभंज जिला

1. गडियालबंध	7. झारडिह
2. बनगोविंदपुर	8. कांकी
3. बाइकपासा	9. बुदोध
4. पलासमुंडली	10. तालपट्टी
5. कुलसिला	11. धानगड़िया
6. रिंधाहटिया	12. झारदा

ग्राम पंचायत मुख्यायय वाले गांव	ग्राम पंचायत मुख्यालय वाले गांव
13. जयपुरा	21. पलबिला
14. मयुदांडू	22. बदबिसोले
15. बधामनंद	23. जयंतीपट
16. बंकीकोला	24. दलिपाड़ा
17. केुन्ता	25. कुचलडिह
18. वडाहरना	26. ब्रह्मणगांव
19. केशहंदिहा	27. उमादियापुर
20. पानपलारिया	

फुलबनी जिला

1. मंडागुडा	3. कनवरिया
2. अंदागुवा	

पुरी जिला

1. रायबिधार	17. बडाला
2. क्रान्तीपल्ली	18. कन्द्रपती
3. सुमनसासन	18. नईधान
4. मालतीपटना	20. जलादा
5. गोदखेड़ा	21. नेतीपुर
6. नवस्वामीश्वरपुर	22. सईसासन
7. दसविधाधूरंपुर	23. पाटापुर
8. कुड्डु	24. देंदुआ
9. रायखांडी	25. बनखंडी
10. महुआ	26. सूतान
11. पेंधापाड़ा	27. बड़ातारा
12. सुवरिया	28. दुमाला
13. चानीपुर	29. पापटनागा
14. दिमीसरना	30. हतासाही
15. गोडाबडपुट	31. पमसारा
16. दाकंदा	32. बसुसाही

ग्राम पंचायत मुख्यालय वाले गाव	ग्राम पंचायत मुख्यालय वाले गांव
33. गुडुकाना	56. देवगांव
34. अमोमा	57. दुर्गापुर
35. किजपुर	58. कंगुरिया
36. प्रताप सासन	59. दलाईसाई
37. कुर्जीपुर	60. पसियोड़ा
38. धापुर	61. बकोईदेश
30. संपलपभो	62. कुंताबाचा
40. पादनपुर	63. दुर्दोडुरा
41. प्रधानसाही	64. मैंचली
42. जनियापाडू	65. फोकड़ा
43. चेन्नागढ़	66. बेलपाड़ा पटना
44. बनपारीगड़ी	67. गोपीबल्लागड़
45. मालीपूर	68. वारीचोली
46. जांगीपाडू	69. पल्हारचोंडा
47. पलाटोटपाड़ा	70. देगवापट्टी
48. ब्राह्मणपुर	71. रबीगुडाला
49. कानापुर	72. पंतीकारी
50. नुआगढ़	73. खमारशाही
51. कोलालबाई	74. जगदेवपटना
52. सोनामढ़ी	75. कुजबानगड़
53. नीमखस्तां	76. मन्नूलागंडे
54. नंदनपुर	77. कंधाई
55. तुरुआपुट	

सम्बलपुर

1. कररोली	5. काकूडापल्ली
2. रामगोपालपूर	6. बसियापाड़ा कैंप
3. अनीतपुर शासन	7. कुलोईपाड़ां
4. धामूपल्ली	8. दोबादेही

ग्राम पंचायत मुख्यालय वाले गांव	ग्राम पंचायत मुख्यालय वाले गांव
9. सांमदादा	18. सौबेड
10. कुभारबंदा	19. डिमरीमुंडा
11. समारबगा	20. हालूपल्ली
12. भुपेता	21. लरासारा
13. कुंडापल्ली	22. बदाहीरी कैंप
14. अन्नापतेरा	23. अमलापल्ली
15. लेंडा	24. कुडूदानगढ़
16. बुढ्ढोपाल	25. सृजुरखेमर
17. गोडाकुड्डा	

सुंदर गढ़

1. सोला	3. बंधाकेशी
2. पुरुखाल्ली	

विवरण-2

सामान्य ग्रमीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत मुख्यालय वाले गांवों में डाकघर के लिए मानदंड

(क) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे में कोई दूसरा डाकघर न हो, और

(ख) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 10 प्रतिशत तक की आय होने की संभावना हो।

जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में ग्राम पंचायत मुख्यालय वाले गांवों में डाकघर खोलना।

(क) प्रस्तावित डाकचर से 3 किलोमीटर की अरीय दूरी के भीतर कोई दूसरा डाक घर न हो, और

(ख) प्रस्तावित डाकघर से उनकी अनुमानित लागत को कम से कम 25 प्रतिशत तक की आय होने की सम्भावना हो।

सरकारी क्षेत्र के कोयला उपक्रमों के साथ सहयोग के लिए विदेशी कम्पनियों की ओर से प्रस्ताव

4945 : **श्री चित्त बसु :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को विदेशी कम्पनियों की ओर से सरकारी क्षेत्र के कोयला उपक्रमों के साथ सहयोग करने के लिए अनेक प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या फैसला किया ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) कुछ विदेशी राष्ट्रों के साथ संबंधित संयुक्त आयोगों के अधीन कोयले पर कार्यकारी ग्रुप स्थापित किए गए हैं। इन ग्रुपों की स्थापना का उद्देश्य ऐसे मंच उपलब्ध कराना है जिसमें भारतीय कोयला खनन उद्योग को आधुनिक बनाने की दृष्टि से तकनालाजी के हस्तांतरण के लिए चर्चा की जा सके। ऐसे ग्रुप सोवियत रूस, पोलैंड, यू०के०, फ्रांस और संघीय जर्मन गणराज्य के साथ बनाए गए हैं। इन कार्यकारी ग्रुपों में विस्तृत चर्चा की जाती है और वह क्रियाविधि तैयार की जाती है जिसके जरिए विदेशी तकनालाजी भारतीय कोयला खानों में लाई जानी है। कुछ देशों के मामले में—जैसे सोवियत रूस और पोलैंड—तकनालाजी का हस्तांतरण इन देशों की सरकारी कम्पनियों के जरिए होता है। अन्य देशों के मामले में तकनालाजी का हस्तांतरण कंपनियों के जरिए होता है, जैसे शार्बोनाजे द फ्रांस, सोफ्रामाइने द फ्रांस और यू०के० की ब्रिटिश माईनिंग कंसल्टेंट्स।

इन देशों के साथ वहां उपलब्ध विशेषज्ञता के आधार पर सहयोग समझौते किए जाते हैं। उदाहरण के लिए उल्लेखनीय है कि विभिन्न देशों से सामान्यतया इस प्रकार सहयोग समझौते किए जाते हैं—सोवियत रूस के साथ कठिन खानों की साध्यता रिपोर्ट तैयार करने और उपकरण की सप्लाई के लिए, पोलैंड के साथ शाफ्ट पैंक्ती और लांगवाल उपकरल प्रणाली के परिचालन में सहायता के लिए; फ्रांस के साथ खनन की कैविंग प्रणाली में सहायता के लिए; यू०के० के साथ लांगवाल उपकरण की सप्लाई, साध्यता रिपोर्ट तैयार करने और अमलोरी ओपनकास्ट कोयला खान के विकास के लिए तथा संघीय जर्मन गणराज्य के साथ खनन की शीघ्र प्लाउइंग पद्धति की तकनालाजी के लिए।

प्रकाशन विभाग के प्रकाशन

•4946. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा 1982-83 के दौरान प्रकाशित किए गए प्रकाशनों का, उनकी प्रकाशन की तारीखों और उन प्रकाशनों के उद्देश्यों का, भाषा-वार ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक प्रकाशन की कितनी प्रतियां प्रकाशित की गईं और प्रत्येक प्रकाशन पर कितना खर्चा हुआ; और

(ख) उक्त प्रकाशनों की कितनी प्रतियां बिकी और उससे सरकार को कितनी आय हुई तथा कितनी प्रतियां बेकार चली गई और उसके परिणामस्वरूप सरकार को कितनी हानि हुई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग के राज्य मंत्री (श्री एच०के०एल०भगत) : (क) और (ख) सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 1982-8

के दौरान प्रकाशित प्रकाशनों का भाषा-वार ब्यौरा, जिसमें प्रत्येक प्रकाशन को रिलीज करने की तारीख, उसकी मुद्रित/बिक्री प्रतियों की संख्या तथा उस पर हुआ व्यय निर्दिष्ट किया गया है परिशिष्ट 1 और 2 में दिया गया है।[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०—8015/84]

पुस्तक वार राजस्व आंकड़े नहीं रखे जाते। तथापि, पुस्तकों और पत्रिकाओं की बिक्री से वार्षिक प्राप्तियां तथा एम्पलायमेंट न्यूज की बिक्री और उसमें विज्ञापनों तथा आकाशवाणी पत्रिका समूह की बिक्री से अर्जित राजस्व के वार्षिक आंकड़े परिशिष्ट-3 में दिए गए हैं [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी—8015/84] परिशिष्ट 1 में उल्लिखित प्रकाशन बिक्री के लिए अपेक्षाकृत कम समय के लिए रहे। इसलिए उनकी बिक्री का आकलन/उनसे हुई हानि का आकलन करना इस अवस्था पर संभाव्य नहीं है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित प्रकाशनों का उद्देश्य है :

(1) राष्ट्रीय गतिविधि के विभिन्न क्षेत्रों में देश के बारे में सूचना का प्रसार करना;

(2) लोगों में विभिन्न क्षेत्रों तथा विभिन्न मतों और विश्वासों के अनुयाइयों के बारे में अधिक जागरूकता तथा समझ-बूझ को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय एकीकरण के कार्य में सहायता देना; और

(3) भारत के जीवन और संस्कृति के रंग बिरंगे ढांचे के प्रति रूचि बढ़ाना और उसके प्रति आदर और सम्मान उत्पन्न करना।

मध्य प्रदेश में नई ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं

4947. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए नई योजनाएं भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितनी योजनाएं मंजूर की गई हैं; और

(घ) उनका जिला-वार ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने 1983-84 के दौरान वित्तीय सहायता हेतु ग्राम विद्युतीकरण निगम को 273 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें प्रस्तुत की है। इनमें से ग्राम विद्युतीकरण निगम ने 1983-84 के दौरान 153 स्कीमें अनुमोदित की हैं। चूंकि 1983-84 के दौरान मध्य प्रदेश में नई स्कीमों के संबंध में ऋण की पहली किस्त के रूप मे वितरण के लिए उपलब्ध पूरी निधियां अनुमोदित 153 स्कीमों के अन्तर्गत दे दी गई हैं, अतः शेष 120 स्कीमें वित्तीय सहायता की स्वीकृति के लिए हाथ में नहीं

ली जा सकी। 153 स्वीकृत स्कीमों का तथा ग्राम विद्युतीकरण निगम के पास लम्बित 120 स्कीमों का श्रेणीवार ब्यौरा उपाबन्ध एक से सात में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल टी-8016/84]

पटना में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

4948. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना शहर में टेलीफोन प्रणाली संतोषजनक रूप से काम नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि शहर के अनेक टेलीफोन एक्सचेंजों का नवीकरण करने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या राय है;

(ङ) क्या सरकार का विचार पटना में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन प्रणाली चालू करने का है;

(च) यदि हां, तो किस तारीख से और कितने टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है; और

(छ) वहां पर इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किये जाने में विलंब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को मद्‌नजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) एवं (घ) पटना मुख्य एक्सचेंज (यूनिट-1) के उपस्कर की कार्य अवधि समाप्त होने से उसको बदलने की मंजूरी दे दी गई हैं और उसके स्थान पर इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाया जायगा।

(ङ) जी, हां।

(च) पटना एम०ए०एक्स०-यूनिट 1 तथा पाटलीपुत्र एल०ए०एक्स०-II के मौजूदा उपस्करों को बदलकर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाने का प्रस्ताव है। इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज उपस्कर का आबंटन वर्ष 1984-85 के दौरान किया गया है। उपस्कर प्राप्त होने के बाद संस्थापन कार्य शुरू किया जाएगा।

(छ) इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों का संस्थापन उपस्कर की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के मद्रास में कार्यरत कर्मचारियों को विशाखापतनम स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव

4949. **श्री आर० प्रभु** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के मद्रास में कार्यरत कर्मचारियों को विशाखापतनम स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं और इससे कितने व्यक्तियों के प्रभावित होने की संभावना है।'

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर शंकर मिश्र) : (क) और (ख) संचालन सम्बन्धी सुविधा और किफायत के कारणों से तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का अपतटीय संचालनों से संबंधित कार्य से सम्बद्ध स्टाफ के लगभग 80 सदस्यों और कृष्णा-गोदावरी बेसिन में सहायक सेवाओं को मद्रास से विशाखापतनम स्थानान्तरित करने का विचार है।

टेलीफोनों का स्थानान्तरण

4950. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यदि कोई टेलीफोन पुरानी जगह पर कम से कम तीन वर्षों तक काम नहीं करता तब तक ग्राहक किसी अन्य जगह पर अपना मकान बदलने पर टेलीफोन को स्थानान्तरण नहीं करवा सकता;

(ख) क्या उनको इस कारण उन प्रयोक्ताओं की जो असुविधा होती है, की जानकारी है जो सरकारी सेवा से निवृत्त होते हैं और अपना मकान बदलते हैं अथवा किन्हीं अन्य कारणों से किसी अन्य जगह पर जाना चाहते हैं और पुरानी जगह पर तीन वर्ष पूरे होने से पहले उनके नाम का टेलीफोन कनेक्शन स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता तथा उसे लौटाना (सरेन्डर) है; और

(ग) पुराने निवास पर कम से कम तीन वर्ष काम किये होते हुये भी ग्राहकों के नये निवास पर उनका टेलीफोन स्थानान्तरित करना सुनिश्चित करने के लिये, सरकार का विचार क्या उपाय करने करने का है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जब टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रारंभिक आवेदन की तारीख, शिफ्ट किए जाने वाले एक्सचेंज में उस श्रेणी के नए टेलीफोन जारी करने के भीतर पड़े या फिर टेलीफोन ने उस एक्सचेंज में, जहां से इसे शिफ्ट किया जाना है कम से कम तीन वर्ष तक कार्य किया हो, दोनों में जो भी पहले पड़े, उसके अनुसार ही मल्टी एक्सचेंज क्षेत्रों में टेलीफोन शिफ्ट करने की अनुमति दी जाती है।

(ख) उपरोक्त नियम सेवानिवृत्त अधिकारियों पर भी लागू होता है ।

(ग) विशेष मामलों में, दूरसंचार सर्किलों और टेलीफोन जिलों के अध्यक्षों को टेलीफोन शिफ्ट करने के लिए इजाजत देने का अधिकार प्राप्त है ।

मौलाना आजाद के जीवन पर वृत्तचित्र

4951. **प्रो० संफुद्दीन सोज :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय मौलाना आजाद के जीवन पर एक वृत्तचित्र बनाने पर विचार कर रहा है;

(ख) मंत्रालय वृत्तचित्र के निर्माण के लिए किन स्रोतों का उपयोग करेगा; और

(ग) वृत्त चित्र किस भाषा में बनाया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) जी, नहीं । तथापि, फिल्म प्रभाग द्वारा मौलाना अबुल कलाम आजाद के जीवन और गतिविधियों का चित्रण करने वाली फिल्म दिसम्बर, 1982 में पहले ही बनाई जा चुकी है । इस फिल्म को उनकी पुण्य तिथि से मेल खाते हुए 17-2-84 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था ।

फिल्म का मूल रूपान्तर अंग्रेजी में है । तथापि, इसको देश की विभिन्न भाषाओं में डब किया गया है ।

देश की मुख्य भूमि और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बीच डाक संचार सेवा

4952. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश की मुख्य भूमि और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बीच डाक संचार के बारे में शिकायतें हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसे डाक संचार सेवा में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) मौजूदा परिस्थितियों में देश की मुख्य भूमि और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच डाक सेवाएं संतोषजनक हैं । तथापि, एक रजिस्टर्ड पार्सल का वितरण न होने के बारे में शिकायत मिली थी । इसके बारे में की गई जांच से पता चला है कि उचित प्राप्तकर्ता को समय से इसका वितरण कर दिया गया ।

देश की मुख्य भूमि और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच डाक सेवाएं मुख्यतः पहले दर्जे की डाक वस्तुओं के लिए हवाई सेवा पर और दूसरे दर्जे की डाक वस्तुओं के लिए स्टीमर सेवा की उपलब्धता पर निर्भर करती है। कुछ समय पूर्व हवाई सेवा के आवागमन में हुई वृद्धि का डाक सेवा को सुधारने के लिए पूरा-पूरा उपयोग किया गया। ज्यों ही हवाई और स्टीमर सेवा में वृद्धि होगी, बेहतर डाक सुविधाएं उपलब्ध कराना संभव होगा।

कलकत्ता में फिल्म प्रभाग के पूर्वी क्षेत्र कार्यालय का बन्द किया जाना

4953. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म प्रभाग, कलकत्ता में अपने पूर्वी क्षेत्र कार्यालय को बन्द करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि वर्तमान सुविधा को इस प्रकार वापस लेने पर फिल्म जगत में असंतोष है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) से (ग) पूर्वी क्षेत्रीय निर्माण केन्द्र, कलकत्ता और बंगलौर के कार्यकरण का मूल्यांकन किया जा रहा है तथा इन केन्द्रों को बंद करने का अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

सरकारी क्षेत्र में औषध निर्माण कारखानों को हुआ कुल घाटा

4954. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के अधीन ऐसे औषध निर्माण कारखानों के नाम क्या हैं जो रुग्ण एककों के रूप में अधिग्रहण किए जाने के समय से ही घाटे में चल रहे हैं;

(ख) इन एककों को घाटा होने के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या इन एककों के उत्पादन को बढ़ाने अथवा उनमें विविधता लाने के लिए कोई कदम उठाने की योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) सरकार द्वारा अधिग्रहण किए गए तीन रुग्ण भेषज एकक, अर्थात् स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मेस्यूटिकल्स लि०, बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लि० और बंगाल इम्युनिटी कम्पनी लि० निरन्तर हानि उठा रहे हैं।

(ख) उपर्युक्त एककों द्वारा अभी भी हानि उठाने के मुख्य कारण बाजार प्रतिबन्ध, पावर की कमी और मशीनरी के नवीकरण और प्रतिस्थापना की आवश्यकता जैसे विभिन्न पहलुओं के कारण स्थापित क्षमता का आंशिक उपयोग करना है।

(ग) और (घ) ये कम्पनियां अपने उत्पादन और बिक्री को बढ़ाने और नानाविध करने और स्थापित क्षमताओं के उपयोग तथा बिक्री प्रवर्धन में होने वाली बाधाओं को हटाने के प्रयास कर रही है

बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लि० ने सल्फ्यूरिक एसिड, एनम, डेपसाने तथा कैफीन की स्थापित क्षमता के विस्तार का कार्य आरम्भ किया है।

बंगाल इम्युनिटी कम्पनी लि० 80 टन प्रतिवर्ष क्लोरोक्विन फास्फेट की परियोजना स्थापित कर रही हैं।

गुड़गांव में गैस एजेंसियों के पास भरे गैस सिलेंडरों के लिए प्रतीक्षा सूची

4955. **श्री छांगुर राम** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुड़गांव में कार्यरत तीन गैस एजेंसियों के पास अक्तूबर, 1983 के बाद से भरे गैस सिलेडरों के लिए प्रतीक्षा सूची का माह-वार विवरण क्या है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान इन एजेंसियों के पास भरे गैस सिलेंडरों की सप्लाई/मांग और बकाया स्टाक का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या गुड़गांव के उपभोक्ताओं की बढ़ती हुई परेशानियों को ध्यान में रखते हुए गुड़गांव में एक शिकायत कक्ष स्थापित करना जरूरी नहीं है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

(ग) घरेलू गैस का वितरण करने वाले अनेक स्थानों में से प्रत्येक स्थान पर, शिकायत कक्ष स्थापित करना प्रशासनिक रूप से संभव नहीं है। फिर भी तेल कम्पनियों के सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत शिकायतों पर नियमित आधार पर कार्यवाही की जाती है। इसके अलावा, दिल्ली में ग्राहक सेवा कक्ष भी कार्य कर रहे हैं, जहां शिकायतें दर्ज करायी जा सकती हैं।

विवरण-1

गुड़गांव में कार्य कर रही तीन गैस एजेंसियों के पास, गैस रिफिलों के लिए, अक्तूबर, 1983 से मार्च, 1984 तक, महीने-वार प्रतीक्षा-सूची इस प्रकार है :-

मास	रघु गैस	आनन्द इन्टरप्राइजिज	राज आटोवेज
अक्तूबर, 1983	2605	1553	147
नवम्बर, 1983	2769	1125	985
दिसम्बर, 1983	1652	255	1166
जनवरी, 1984	31	69	1554
फरवरी, 1984	827	474	914
मार्च, 1984	1298	336	अनुपलब्ध

विवरण-2

अक्तूबर, 1983 से फरवरी, 1984 की अवधि के दौरान, इन तीन वितरकों के पास गुड़गांव में बक्लॉग सहितसप्लाई/मांग तथा रिफिलों के बकाया स्टॉक के ब्यौरे इस प्रकार हैं

मास	रघु गैस		आनन्द एन्टरप्राइजिज		राज आटोवेज	
	बैक्लाग सहित प्राप्ति/मांग	महीने की पहली तारीख को स्टाक	बैक्लॉग सहित प्राप्ति/मांग	महीने की पहली तारीख को स्टाक	बैक्लॉग सहित प्राप्ति/मांग	महीने की पहली तारीख को स्टाक
अक्तूबर, 83	2350 4725	450	1550 2337	293	2124 2283	12
नवम्बर, 83	4000 4870	5	1950 2320	9	1813 2651	49
दिसम्बर, 83	4400 4700	160	2587 2200	4	2353 2534	96
जनवरी, 84	3168 4300	350	1148 2210	327	1956 2344	230
फरवरी, 84	3456 4520	27	2581 2250	2	2918 2278	124

उर्वरकों का निर्यात

4956. **श्री जी० वाई० कृष्णन** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने सम्बन्धी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या सरकार को हाल के वर्षों में उर्वरकों की घटती हुई मांग की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उर्वरकों का निर्यात करने का भी सरकार का विचार है और यदि हां, तो कितना ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ग) उर्वरकों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए उर्वरक उत्पादन की स्वदेशी क्षमता में वृद्धि करने हेतु एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया है। पहले से ही स्थापित की जा रही पर्याप्त अतिरियत उर्वरक क्षमता के अतिरिक्त, छः बडे आकार के नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

(ख) उर्वरकों की मांग (खपत) में कोई कमी नहीं हुई है। इसके विपरीत वर्तमान वर्ष के दौरान मांग में बहुत वृद्धि हुई है।

(घ) उर्वरकों का स्वदेशी उत्पादन मांग को पूरा करने के लिए अभी पर्याप्त नहीं है। अत: उर्वरकों के निर्यात करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

रांची में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

4957 **श्री शिव प्रसाद साहू** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रांची में 3 जनवरी, 1984 से एक अस्थायी दूरदर्शन केन्द्र के स्थापित किये जाने की संभावना है लेकिन इस प्रयोजन हेतु टांसमीशन मशीन को आसनसोल भेज दिया गया था; और

(ख) रांची में एक स्थायी केन्द्र कब तक स्थापित कर दिया जायेगा और वह कब तक कार्य आरम्भ कर देगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) रांची के उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर के 1984-85 के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है।

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में असंगति

4958. **श्री विष्णु प्रसाद** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को देश में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में असंगति की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) मुख्य पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य सभी रिफाइनरियों में एक समान हैं। देश के विभिन्न स्थानों में अन्तर परिवहन लागत, स्थानीय करों आदि के कारण होते हैं।

खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी विषय पर संगोष्ठी

4959. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हुई अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की संगोष्ठी में कृषि क्षेत्र में मजदूरी के संरक्षण की आवश्यकता का जोरदार आह्वान किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया/नीतियां/कार्यक्रम क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) और श्रम विभाग ने अंतर-ष्ट्रीय श्रम संगठन के श्रम प्रशासन के लिए एशियन क्षेत्रीय परियोजना और राष्ट्रीय श्रम संस्थान के सहयोग से कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों को लागू करने संबंधी राष्ट्रीय गविचार गोष्ठी का फरवरी, 1984 में नई दिल्ली में आयोजन किया। इसमें राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों, इस क्षेत्र में प्रतिष्ठित शिक्षा विद्वान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सेमिनार में कृषि श्रमिकों की मजदूरी के संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया गया। विचार-गोष्ठी के निष्कर्षों की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है। विचार गोष्ठी में हुए निष्कर्षों को आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के ध्यान में लाया गया है।

विवरण

1. कृषि में न्यूनतम मजदूरी का प्रशासन एक नियामक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक विकास प्रक्रिया है और यह ग्रामीण विकास के विस्तृत और समेकित प्रयास का एक भाग है।

2. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि-इतर, विशेषकर बेमौसमी समय में रोजगार पैदा करने वाले कार्य-कलाप इन प्रयासों के आवश्यक सहायक तत्व है।

3. कृषि में न्यूनतम मजदूरी के स्तर में सुधार करने के लिए एक प्रमुख कारक है कृषि क्षेत्र का ही विकास।

4. अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजन करने और कृषि क्षेत्र के कार्य में सुधार लाने के लिए कम मजदूरी वाले एवं खेती-बाड़ी की दृष्टि से कमजोर क्षेत्रों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

5. जिन राज्यों में न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन किया जाना हैं, उनसे अनुरोध किया गया है कि वे संशोधित दरों को अधिसूचित करने के लिए तुरन्त कार्रवाई करें।

6. न्यूनतम मजदूरी दरों का निर्धारण करते समय या इनमें संशोधन करते समय श्रमिक और उसके परिवार के जीवन निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए ताकि वह गरीबी की रेखा से ऊपर आ सके। मजदूरी के विद्यमान स्तरों को भी ध्यान में रखना होगा ताकि निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों और विद्यमान मजदूरी दरों में बहुत अधिक अन्तर न हो।

मजदूरी के कम से कम कुछ भाग की जिन्स के रूप में, विशेषकर खाद्यानों के रूप में अदायगी को बढ़ावा देना चाहिए। फिर भी, यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखना होगा कि श्रमिकों को जिन्स के रूप में मजदूरी निर्धारित मात्रा में तथा ठीक क्वालिटी की मिले। जिन्स के रूप में ऐसी अदायगी सदा श्रमिक के विकल्प के अनुसार होनी चाहिए।

7. पुरुषों और महिलाओं की मजदूरी दरों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भेद भाव नहीं होना चाहिए।

8. व्यवसायों के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए तथा इस तथ्य का भी ख्याल करते हुए कि ग्रामीण श्रमिकों की आवश्यक समस्याएं एक सी हैं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन कृषि और अन्य अनुषंगी अनुसूचित रोजगारों के संबंध में मजदूरी की अलग-अलग दरें निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। इनके लिए दरों का एक ही सैट पर्याप्त होगा।

न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करते समय कबायली क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों, आसंचित क्षेत्रों जैसे विशेष क्षेत्रों की आवयकताओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए और उन्हें उचित महत्व दिया जाना चाहिए।

9. रोजगार सृजन करने संबंधी योजनाओं तथा अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए निर्धारित और भुगतान की गई मजदूरी दरें कृषि और अन्य अनुसूचित रोजगारों के सम्बन्ध में अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी दरों के अनुरूप होनी चाहिए। सरकारी विभागों को विशेषकर ऐसी मजदूरी की अविलंब और पूरी अदायगी सुनिश्चित करनी चाहिए।

10. रोजगार सृजन करने संबंधी योजनाओं तथा अन्य सार्वजनिक कार्यों में भी मजदूरी अदायगी को उत्पादकता से सम्बद्ध करने के प्रयासों का यह परिणाम नहीं होना

चाहिए कि ऐसी मजदूरी समय दर न्यूनतम मजदूरी से कम हो जाय; इस उद्देश्य के लिए, यदि आवश्यक हो तो, काल्पनिक समय-दर मजदूरी निर्धारित करनी चाहिए जहां अदायगी उजरती-दर आधार से भिन्न हैं।

11. न्यूनतम मजदूरी को लागू करने के लिए केवल, सरकारी तंत्र पर ही निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है।

12. कार्यान्वयन के उद्देश्य से सरकारी तंत्र की घोर अपर्याप्तता को देखते हुए और इस कार्य के साथ सक्रिय रूप में स्वयं को लगाने में सम्बद्ध विभागों की विफलता के कारण, निरीक्षण तंत्र को दृढ़ करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए अलग संवर्ग बनाना वांछनीय है। कम से कम सातवीं योजना में इन प्रस्तावों को "प्लान-स्कीम" के रूप में समाविष्ट करने की व्यवहार्यता पर विचार किया जाना चाहिए।

कृषि श्रमिकों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने, उनके बीच मजदूरी की न्यूनतम दरों और अन्य उपबन्धों का प्रचार करने, तथा सहभागिता की कुशलता बढ़ाने, और श्रमिकों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने एवं उनको स्वयं ही संगठित होने में सहायता करने के लिए पर्याप्त निधियों की व्यवस्था करनी चाहिए। मजदूरी दरों का प्रचार मुनादी, पोस्टरों, सिनेमा स्लाइडों, रेडियो, टेलीविजन आदि के माध्यम से किया जा सकता है तथा स्थानीय लोक साधनों (फोक मीडिया) का भी प्रयोग किया जाना चाहिए।

13. न्यूनतम मजदूरी-दरों को लागू करने तथा अधिनियम के अन्य उपबंधों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए गांव, ब्लाक और उच्च स्तरों पर चौकसी (वाचडाग) समितियों का गठन किया जाना चाहिए न्यूनतम मजदूरी दरों के कार्यान्वयन पर समय-समय पर निगरानी करेंगी। कृषि श्रमिकों तथा अन्य ग्रामीण गरीबों को संगठित करने के प्रयासों के साथ इन समितियों तथा स्वैच्छिक संगठनों और सामाजिक कार्य दलों की सहायता को सहयोजित करना चाहिए।

14. अन्ततोगत्वा यह श्रमिकों के संगठन की अन्तर्निहित शक्ति ही है जिससे न केवल न्यूनतम मजदूरी का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सकता है बल्कि समय-समय पर मजदूरी के न्यूनतम स्तर में बढ़ोत्तरी करवाने की कार्रवाई जा सकती है।

अधिसूचित मजदूरी की अदायगी की मांग के समर्थन में श्रमिकों द्वारा प्रकट किए गए विरोध को कानून और व्यवस्था के रख-रखाव से सम्बन्धित समस्याओं के रूप में नहीं लेना चाहिए।

15. कृषि श्रमिकों सम्बन्धी जैसा विधान केरल में बनाया गया है वैसा ही विधान सभी राज्यों द्वारा बनाया जाना चाहिए।

16. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए जुर्माना को सख्त बनाया जाना चाहिए, विशेषकर जबकि दूसरी बार और उसके बाद दोहराए गये अपराध के लिए। कानून में दावा याचिकाओं तथा अभियोजन चलाने के लिए उपबन्धों को सरल बनाया जाना चाहिए। न्यूनतम मजदूरी की समय से तथा पूरी अदायगी की गई है, यह सिद्ध करने का भार नियोजक के ऊपर होना चाहिए। ऐसे सबूत की अनुपस्थिति मे यह मान लिया जाना चाहिए कि अवश्यक ही नियोजक दोषी है।

17. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के कार्यान्वयन संबन्धित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन अवश्य किया जाना चाहिए।

18. मजदूरी दरों के संशोधन हेतु समायोजन के साथ-साथ आवधिक मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके न्यूनतम मजदूरी वा भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है, वहां इसका ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है. कौन सी बराबर की शक्तियां अर्थव्यवस्था में कार्य कर रही हैं तथा उन्हें कैसे निष्प्रभावी किया जा सकता हैं।

19. सांख्यिकीय सूचना आधार को सुधारने के प्रयास भी किए जाने चाहिएं तथा ऐसे आँकडों की शीघ्र तथा पूर्ण सूचना देने के प्रयास भी किए जाने चाहिएं, जिनका अर्थ-पूर्ण नीति बनाने के लिए संग्रहण तथा विश्लेषण किया जा सकता है।

20. जिन्स में मजदूरी के भुगतान के तरीकों पर सही तथा पूर्ण सूचना एकत्र की जानी चाहिए।

21. अगली ग्रामीण श्रम जांच शुरू करने के लिए शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए, क्योंकि पिछला सर्वेक्षण 1974-75 से संबधित था। ऐसे सर्वेक्षणों को अधिमान्यतः प्रत्येक पांच वर्षों के बाद दुबारा किया जाना चाहिए। मजदूरी वितरण के बारे में आंकड़े सतत् आधार पर प्राप्त करने के लिए अध्ययन शुरु किये जाने चाहिएं, क्योंकि जिला तथा राज्य स्तरों के उन श्रमिकों की प्रतिशतता नहीं दर्शायेंगे; जो अधिसूचित स्तरों से कम और अधिक मजदूरी प्राप्त करते हैं तथा उनसे यह भी पता नही लगेगा कि मजदूरी में ऐसी विभिन्नताएं किस सीमा तक हैं।

22. चूंकि न्यूनतम मजदूरी दरों का निर्धारण श्रमिकों की मूल आवश्तकताओं से सम्बन्धित होगा, इसलिए इन आवश्यकताओं का पता लगाना और उनका परिमाण निर्धारण करना होगा और संगत मद्दों के संबंध में मूल्यों को एकत्र करने के लिए व्यवस्थाएं करनी होंगी। विस्तृत जांच के होने तक, एक सुझाव दिया गया था कि कृषि श्रमिकों के सूचकांक को तैयार करने के लिए अपनाई गई "बास्केट" तथा पांच के परिवार में दो श्रमिकों के औसत को अपनाया जाएं। चूंकि जनसंख्या के निम्न तब के द्वारा किए जा रहे उपयोग व्यय से पता चलता है कि उनका 50 प्रतिशत व्यय अनाज पर होता है, इसलिए न्यूनतम मजदूरी

आवश्यक क्लोरिफिक मूल्य प्राप्त करने के लिए अपेक्षित अनाज की उपयुक्त भाग के मूल्य से दुगनी पर निर्धारित की जा सकती है।

23. ग्रामीण लोगो में उनके अधिकारों और दायित्वों के बारे में सामाजिक जागरुकता उत्पन्न करना न्यूनतम मजदूरी के प्रशासन में एक महत्वपूर्ण घटक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के विभिन्न तरीके हो सकते हैं जैसे ग्रामीण शिविर, श्रमिक शिक्षा, जन संचार साधनों, आदि के माध्यम से प्रचार ये तरीके परस्पर अपवर्जन नहीं है और इन्हें साथ-साथ विकसित किया जा सकता है। तथापि, यह महत्वपूर्ण है कि ये कार्यक्रम तब तक प्रभावी नहीं हो सकते जब तक कि उचित तरीकों और तकनीकों को अपनाया नहीं जाता है। थ्यूरी संबंधी अभ्यासों तथा प्रयोगिक परियोजनाओं के माध्यम से उपयुक्त तरीकों और तकनीकों के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए और इन कार्यकलापों में कार्यरत कार्यकर्ताओं को इनका उचित रूप से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

गुजरात में कालोल के नजदीक 20 कि०मी० लम्बी ट्रंक पाइप लाइन में दरार पड़ना और रिसना

4960. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने 25 जनवरी, 1984 को या उसके आस-पास गुजरात में कालोल के नजदीक 20 कि०मी० लम्बी ट्रंक लाइन के रिसने और उसमें पड़ी दरारों का पता लगाया था;

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रकार लगभग 300 टन कच्चा तेल नष्ट हो गया था;

(ग) इस प्रकार चोरी हुए और रिस गए कच्चे तेल की अनुमानित लागत रुपयों में कितनी है;

(घ) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के उत्पादन और सुरक्षा कर्मचारियों और तेल चोरों के अन्तर्ग्रस्त होने के बारे में जांच की है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(च) वर्ष 1980, 1981, 1982 और 1984 के दौरान तेल चोरी होने पर पाइपलाइनों में दरार पड़ने के कितने मामलों की सूचना मिली थी और दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई थी; और

(छ) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग पाइप लाइनों की सुरक्षा, और भविष्य में चोरी रोकने तथा पाइप लाइनों में दरारें न पड़ने देने हेतु क्या कार्यवाही करेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गर्गी शंकर मिश्र) (क) 26 जनवरी, 1984 को रात तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को कालोल क्षेत्र में तेल पाइप लाइन के रिसने के बारे में संदेश प्राप्त हुआ था।

(ख) रिसाव के कारण लगभग 50 घन मीटर तेल बह गया था जिसमें से 27 घन मीटर तेल प्राप्त कर लिया गया था।

(ग) पाइप लाइन में रिसाव के कारण लगभग 18,850 रुपये की हानि हुई थी।

(घ) और (ङ) मामले की सूचना पुलिस को दे दी गयी थी तथा जाँच-पड़ताल की जा रही है।

(च) पुलिस में तेल की चोरी के दर्ज किये गये मामलों की वर्षवार संख्या नीचे दी गयी है :

वर्ष	तेल की चोरी के दर्ज किए गए मामलों की संख्या
1980	13
1981	50
1982	31
1983	20
योग	114

इन मामलों में से 14 मामलों में अपराधी छूट गये हैं, 12 को सजा दी गई है, 44 मामले अदालतों में चलाया है, 4 मामलों को पुलिस ने बन्द कर दिया है तथा शेष 10 मामलों की जांच की जा रही है।

(छ) उठाये गये कुछ कदम इस प्रकार हैं :

(1) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, सीमा सुरक्षा बल, गुजरात पुलिस द्वारा क्षेत्र में गश्त तेज करना।

(2) ग्राम रक्षा दलों जैसे ग्राम रक्षक दलों की सेवाओं का उपयोग

(3) जंक्शनों पर तथा तेल क्षेत्रों को जाने वाली सड़कों पर वाहनों की जांच के लिये एस.आर.पी. को लगाया जाना।

(4) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के कार्य-संचालन क्षेत्रों में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को लगाने का निर्णय।

राजस्थान में भरतपुर जिले के कुम्हार टेलीफोन एक्सचेंज में टी.ए.एक्स सुविधा पुनः उपलब्ध करना

4961. श्री दलबीर सिह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में भरतपुर जिले के कुम्हार टेलीफोन एक्सचेंज में टी.ए.एक्स. सुविधा पुनः उपलब्ध करा दी गई है जिसे समाप्त कर दिया गया था; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के उपमंत्री (विजय एन०पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) कुम्हर से भरतपुर के लिए आपरेटर डायलिंग सर्किट है और ऐसे मामलों में जयपुर टी०एक्स० के लिए भरतपुर के माध्यम संपर्क की अनुमति नहीं दी जा सकती। कुम्हर मैनुअल एक्सचेंज से परियात मुख्य रूप से भरतपुर एवं इसके आसपास क्षेत्रों के लिए होता है और परियात के आधार पर जयपुर टी०ए०एक्स० के लिए कनेक्शन का औचित्य सिद्ध नहीं होता है।

औषध कम्पनियों की संस्थापित क्षमता के पुन: पृष्ठांकन की मान्यता

4962. **श्री तारिक अनवर :** क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध कम्पनियों की संस्थापित क्षमता की मान्यता देने पर सहमति के समय तकनीकी विकास महानिदेशालय के प्रतिनिधियों ने इस बात की खास तौर पर पुष्टि की थी कि संस्थापित क्षमता अनधिकृत और अवैध नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनके मंत्रालय द्वारा इनके उत्पादन की निगरानी की जाती है और यदि हां, तो तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा पूंजीगत व तुलों के आयात की मंजूरी दिए जाने की उक्त संस्थापित क्षमताओं की मान्यता के साथ परस्पर क्या सम्बन्ध है; और

(ग) उन मामलों की संख्या कितनी है जिनमें 1980 की नीती के अंतर्गत अस्वीकृत कर दिए गए अथवा बंद कर दिए गए 29 आवेदनों के सम्बन्ध में, 1982 और 1983 की नीतियों में क्षमता के पुन: पृष्ठांकन की अनुमति दी गई और 1980, 1982/83 की नीतियों के अंतर्गत आवेदन की नई मदों का क्या ब्यौरा है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) : अगस्त, 1980 की योजना के अनुसार स्थापित क्षमता को मान्यता देने की योजना के अधीन संयंत्र और मशीनों का सत्यापन का प्रयोपजन उत्पादक स्थापित क्षमता का मूल्यांकन करना है। अगस्त, 1980 की योजना के अधीन प्राप्त आवेदनपत्रों के जांच कार्य में डी.जी.टी.डी. के प्रतिनिधि को सम्मिलित किया गया था क्योंकि डी.जी.टी.डी. संगठित क्षेत्र में उत्पादन को मानीटर करता है तथा पूंजीगत माल के आयात के आवेदनपत्रों की जांच करता है। उत्पादक स्थापित क्षमता पर पूंजीगत माल के आयात का भी प्रभाव पड़ता है।

(ग) अगस्त, 1980 की नीति के अन्तर्गत 27 कम्पनियों से प्राप्त 29 रद्द किए गए/बन्द किए गए आवेदनपत्रों में से, 15 मामलों में क्षमताओं को पुन: पृष्ठांकित करने की सुविधा अप्रैल, 1982 की नीति के अन्तर्गत और दो मामलों में अप्रैल, 1983 की नीति के अन्तर्गत प्रदान की गई। ये 17 मामले उन 15 कम्पनियों के हैं जिनके नाम विवरण में दिए गए हैं। इन कम्पनियों ने औषधों के क्षेत्र में अपने कुल उत्पादन कार्यकलापों के सम्बन्ध में स्थापित क्षमताओं को मान्यता देने के लिए 1980 की योजना के अन्तर्गत आवेदन किए थे। इन कम्पनियों को अप्रैल, 1982 तथा अप्रैल, 1983 की स्कीमों के अधीन जिन मदों के सम्बन्ध में क्षमताओं को पुन: पृष्ठांकन स्वीकृत किए गए हैं उनके ब्यौरे 28 फरवरी, 1984 को लोक सभा के अता. प्र.सं. 675 के उत्तर में पहले ही दिए जा चुके हैं।

विवरण

क्रमांक	कम्पनी का नाम
1.	मै. थैमिस कैमिकल्स लि.
2.	मैसर्स सिबाटुल लि.
3.	मै. हैक्स फार्मेस्युटिकल्स लि.
4.	मै. यूनि सांक्यो लि.
5.	मै. अलकली कैमिकल्स कार्पो. आफ इंडिया लि.
6.	मै. फेयरडील कार्पो.
7.	मै. फार्मेस्युटिकल्स कैपसूल्स
8.	मै. अबोट लि.
9.	मै. जर्मन रिमेडीज लि.
10.	मै. रेनबेक्सी लेब्स
11.	मै. सर्ले (इंडिया) लि.
12.	मै. सिनोबायोटिक्स लि.
13.	मै. रेकिट एण्ड कोलमैन लि.
14.	मै. सिपला
15.	मै. स्टैण्डर्ड फार्मा

उड़ीसा में लौह अयस्क खानों में श्रमिकों में असंतोष

4963. **श्री मनमोहन टुडु :** क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उड़ीसा के मयूरभंज जिले में गोरू महिसनी, सोलीपट और बादाम पहाड़ लौह अयस्क खानों के श्रमिकों में भारी असंतोष व्याप्त है ;

(ख) यदि हां, तो लौह अयस्क की इन खानों के श्रमिकों के असंतोष के क्या कारण हैं ; और

(ग) विवादों के समाधान के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्म वीर) : (क) सम्बन्धित श्रमिकों या यूनियनों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

चाय, खताली और अभ्रक के बदले में ताप ऊर्जा संयंत्र देने का पोलैंड का प्रस्ताव

4964. **श्री हरिहर सोरन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलैंड ने चाय, खताली और अभ्रक जैसी परम्परागत वस्तुओं के बदले में ताप ऊर्जा संयंत्र देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो पोलैंड द्वारा रखे गए ताप ऊर्जा संयंत्र के प्रस्ताव के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उपरोक्त मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) पोलैण्ड ने मेजिया ताप विद्युत केन्द्र के लिए वस्तु विनिमय के आधार पर विद्युत उपस्कर सप्लाई करने का प्रस्ताव किया है। मदों के बारे में आपस में सहमति होगी, मेजिया ताप विद्युत केन्द्र को अभी स्वीकृति नहीं दी गई है। भारत में विद्युत उपस्करों का निर्माण करने की पर्याप्त क्षमता है। पोलैण्ड से इस उपस्कर को आयात करने के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

गुजरात में खाना पकाने की गैस की सप्लाई

4965. **श्री आर. पी. गायकवाड़** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने जुलाई, 1983 के दौरान किसी समय उनके राज्य की 7500 सिलेंडरों की दैनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयाली शोधन कारखाने को पर्याप्त संख्या में सिलेंडरों की सप्लाई करने के लिए अभ्यावेदन किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्य सरकार द्वारा बार-बार अनुरोध करने के बावजूद गुजरात को अक्तूबर, 1983 से जनवरी, 1984 तक सिलेंडरों की मासिक आवश्यकता के 60 प्रतिशत से अधिक सिलेंडर नहीं मिल सके जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को सिलेंडर भरवाने के लिए तीन से चार सप्ताह तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है ; और

(ग) यदि हां, तो आगामी महीनों में गुजरात की ईंधन की आवश्यकताओं को पूरा करने

के लिए गुजरात को खाना बनाने की गैस के भरे हुए सिलेंडरों की सप्लाई की बिगड़ती हुई स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठायेंगे ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) मई, 1983 में शकूरबस्ती में लगी विनाशकारी आग, कोयाली वाटलिंग संयंत्र में प्रारम्भिक कठिनाई तथा स्थानीय औद्योगिक सम्बन्धों की स्थानीय समस्याओं के कारण, गुजरात में कुछ स्थानों में बेकलांग था । गुजरात के बाजारों की सप्लाई बढ़ाने के लिए कदम उठाये गये हैं और फरवरी, 1984 में प्रतिदिन 8775 सिलेंडर सप्लाई किये गये थे । सप्लाई को और अधिक बढ़ाने तथा आवश्यकता को पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं ।

एम्पिसिलिन और इथाम्बूटोल की पुन: अनुमोदित क्षमता

4966. **श्री कुम्भा राम आर्य** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एम्पिसिलिन और इथाम्बूटोल की पुन: अनुमोदित क्षमता की, पिछले तीन वर्षों के दौरान न तो मौके पर जांच की गई है और न ही लेखा-परीक्षा की गई है;

(ख) वित्त के स्त्रोत तथा खरीदी और लगाई गई, अतिरिक्त मशीनों जिसके परिणाम-स्वरूप पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक मामले में अतिरिक्त क्षमता का विनिमयन हुआ है का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अतिरिक्त क्षमता के विनियमन का देश में उपयुक्त उत्पाद बनाने वाले लघु क्षेत्र के यूनिटों पर क्या प्रभाव पड़ा; और

(घ) संगठित क्षेत्र के एककों को उनके द्वारा बनाए गए फार्मूलेशनों की प्रत्येक मद पर इन उत्पादों के वर्तमान बाजार मूल्यों की तुलना में मूल्य की दृष्टि कितना लाभ हुआ है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (घ) पुन: पृष्ठांकन की सुविधा लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों के लिए उपलब्ध नहीं है । चूंकि एम्पिसिलिन और इथम्बूटोल लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं संगठित क्षेत्र में इन दो उत्पादों का निर्माण करने वाले एकक पुन: पृष्ठांकन के लिये पात्र है । एम्पिसिलिन और इथम्बूटोल के सम्बन्ध में क्षमताओं के पुन: पृष्ठांकन की अनुमति अप्रैल, 1982 और अप्रैल, 1983 की नीतियों के अधीन दी गई है जिसमें उत्पादन निष्पादन के आधार पर क्षमताओं के पुन: पृष्ठांकन की व्यवस्था है किन्तु स्थापित संयंत्र और मशीनरी के पूर्व सत्यापन की व्यवस्था नहीं है । इसलिए, वित्त आदि के स्रोत के

बारे में ब्यौरे उपलब्ध नहीं है। गत 2-3 वर्षों के दौरान लघु क्षेत्र में इन दो औषधों के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

केन्द्रीय दलों को उन क्षेत्रों में तैनात करना जहां पर प्रवासी श्रमिकों को सुविधाएं नहीं दी जाती

4967. **श्री एम. एम. लारस** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय दलों को उन क्षेत्रों में तैनात करने का कोई प्रस्ताव है जहां पर कानून द्वारा अपेक्षित सुविधाओं से प्रवासी श्रमिकों को वंचित रखा जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्म वीर) : (क) और (ख) सरकार ने उन प्रवासी श्रमिकों की जिनके सम्बन्ध में विशिष्ट शिकायतें प्राप्त हुई हैं, समस्याओं का स्थल अध्ययन करने, और उनकी अन्य समस्याओं, यदि कोई हों, का मौके पर निवारण करने के उद्देश्य से सामान्य निरीक्षण करने के लिए दो अध्ययन दल नवम्बर, 1982 में गठित किए हैं, जिनमें केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि हैं। इनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

संयुक्त अध्ययन दल नम्बर-1 का गठन

1.	क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), बम्बई	सदस्य-संयोजक
2.	आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
3.	महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
4.	गुजरात सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य

संयुक्त अध्ययन दल नम्बर-2 का गठन

1.	क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), चण्डीगढ़	सदस्य-संयोजक
2.	बिहार सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
3.	उड़ीसा सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
4.	राजस्थान सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
5.	पंजाब सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य

6.	हरियाणा सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
7.	हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
8.	जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
9.	पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
10.	मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
11.	दिल्ली प्रशासन द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य

महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले के गुहर ताल्लुक में संचार सुविधाएं

4968. **श्री बापू साहिब परुलेकर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले के गुहर ताल्लुक में पी०सी० ओ०, उप डाकघरों, शाखा डाकघर जैसी संचार सुविधाओं की अत्यधिक कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस ताल्लुक में अधिक संचार सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) गुहार तालुका के जिन तीन श्रेणीगत स्थानों पर आर्थिक सहायता के आधार पर लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने हैं, वहां अभी यह सुविधा प्रदान की जानी है। तथापि, डाक सुविधाएं पर्याप्त हैं।

(ख) तीन श्रेणीगत स्थानों अर्थात (1) पेवे (2) तवासल (3) अडूर में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर। संयुक्त डाक-तारघर की सुविधा 1984-85 में उपलब्ध कराने की योजना है 15 किलोमीटर षड्भुजाकार संशोधित नीति के अन्तर्गत गुहार तालुका में 8 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर उत्तरोत्तर रूप से 1990 तक खोले जाने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड भटिंडा और पानीपत में सफाई कर्मचारियों को स्थाई करने के बारे में रिपोर्ट

4969. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, भटिंडा और पानीपत में सफाई कर्मचारियों को स्थाई करने के बारे में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड में सफाई कर्मचारियों को कब तक स्थाई कर दिया जाएगा; और

(घ) श्रम मन्त्रालय की 8/9 दिसम्बर, 1976 की अधिसूचना सं० 9-23013 (7) 76 को लागू न करने के क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (ग) नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० (एन०एफ०एल०) ने सूचित किया है कि हरियाणा की राज्य सरकार ने पानीपत एकक के मामले को राज्य ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड को भेजा है कि ठेका श्रम पर प्रतिबन्ध लगाया जाए या नहीं। इस समय बोर्ड इस मामले पर विचार कर रहा है। पानीपत के श्रमिक संघ ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है जिस में ठेका श्रमिकों को नियमित करने की मांग की है तथा याचिका लम्बित पड़ी है। उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए एन०एफ० एल० द्वारा नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति के निष्कर्षों को आस्थगित रखा गया है।

(घ) पहली मार्च, 1977 को और उसके बाद से ठेका श्रमिकों के नियोजन पर प्रतिबन्ध लगाने से सम्बन्धित श्रम मन्त्रालय की दिनांक 8/9 दिसम्बर, 1976 की अधिसूचना एन० एफ०एल० के भटिन्डा एवं पानीपत एककों के मामले में लागू नहीं होती, जहां हरियाणा और पंजाब की राज्य सरकारों ने ठेका श्रमिकों के नियोजन पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया है।

पेट्रोल में मिलावट

4970 **श्री डी०एस०ए० शिवप्रकाशम** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पेट्रोल पम्पों द्वारा मिट्टी का तेल तथा अन्य तेल मिलाकर पेट्रोल में मिलावट की जाती है ; और

(ख) यदि हा, तो मिलावट को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) मिलावट को रोकने के लिए कई उपाय किये गए हैं। इनमें ये शामिल हैं :

(1) सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों के प्रशासनों को हिदायतें दी गई हैं कि वे अपने-अपने राज्यों में पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट की रोकथाम के कार्य को तेज कर दें।

(2) तेल उद्योग ने फुटकर बिक्री केन्द्रों में विपणन अनुशासन के विषय पर आवश्यक मार्गदर्शी सिद्धांत पहले ही अपना लिये हैं, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ

उत्पादों के किस्म नियन्त्रण से संबद्ध मामले, मिलावट रोकने के लिए किये जाने वाले उपाय तथा दोषी फुटकर बिक्री केन्द्रों/वितरकों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई शामिल हैं।

(3) तेल कम्पनियों में सतर्कता व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। इस प्रयोजन के लिए एक पेट्रोलियम आसूचना और सतर्कता कक्ष का भी गठन किया गया है।

(4) राज्य प्रशासन के सहयोग से संदिग्ध अनियमित तेल गोदामों आदि पर नियमित रूप से छापे मारे जा रहे हैं।

मध्य प्रदेश में कोयला उत्पादन बढ़ाने की योजना

4971. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में कोयला उत्पादन बढ़ाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मध्य प्रदेश में समाचार-पत्रों को अखबारी कागज की सप्लाई न करना

4972. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में समाचार-पत्रों को अखबारी कागज की कमी के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और वे ऊंची कीमतों पर काला बाजार से अखबारी कागज खरीदने को बाध्य हैं ;

(ख) छोटे समाचार-पत्रों को इस समय अखबारी कागज का कोटा सप्लाई न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) मध्य प्रदेश के 89 आवेदनपत्रों में से 72 को चालू लाईसेंसिंग वर्ष अर्थात् 1.83-84 के दौरान 10289.30 मीट्रिक टन अखबारी कागज (आयातित 6684.49+देशी 3604.81) का आवंटन किया गया है। शेष 17 आवेदन-पत्रों के बारे में पत्र व्यवहार चल रहा है क्योंकि उन्होंने वर्ष 1983-84 की अखबारी कागज आवंटन नीति के अन्तर्गत अपेक्षित सूचना नहीं भेजी है।

(ग) अखबारी कागज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(1) चालू वर्ष 1983-84 के लिए अखबारी कागज के आयात को 1,60,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1,80,000 मीट्रिक टन कर दिया गया था।

(2) समाचार-पत्रों की सहायता के उपाय के रूप में, हाल ही में यह निर्णय लिया गया था कि जब भी किसी समाचार-पत्र को राज्य व्यापार निगम के डिपों से सप्लाई हासिल करने में कठिनाई महसूस हो तो वैध अधिकार-पत्र पर स्वदेशी मिलों से उतनी ही मात्रा प्राप्त की जा सकती है।

(3) लघु और मझौले समाचार-पत्रों के सम्बन्ध में अखबारी कागज की हकदारी की पूर्ण रूप से पूर्ति करना सुनिश्चित करने के लिए राज्य व्यापार निगम के विभिन्न डिपों में अखबारी कागज के स्टाक पर निगरानी रखी जा रही है।

(4) राज्य व्यापार निगम से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि 10,000 टन आयातित अखबारी कागज, जिसके अगले वर्ष मिलने की संभावना थी, को मार्च, 1984 से पहले ही प्राप्त कर लिया जाए।

(5) 1984-85 के शुरू के महीनों के दौरान आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए 54,000 टन अखबारी कागज के आयात के लिए विदेशी मुद्रा का अग्रिम आवंटन स्वीकृत कर दिया गया है और तदनुसार राज्य व्यापार निगम को सप्लाई की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है।

मानकपुर में इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज का औद्योगिक एकक

4973. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज का एक औद्योगिक एकक मानकपुर में स्थापित किया जा रहा है ;

(ख) परियोजना कब तक उत्पादन करने के लिए तैयार हो जायेगी ;

(ग) क्या सरकार इस प्रकार की परियोजनाओं को किसी अन्य स्थान पर स्थापित करने पर भी विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) आशा है इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड का मनकापुर कारखाना वर्ष 1985 के शुरू में उत्पादन करने लगेगा और इसकी निर्धारित उत्पादन क्षमता जो 5 लाख समतुल्य लाइनों के उत्पादन की है, वर्ष 1989-90 के दौरान प्राप्त किए जाने की आशा है।

(ग) और (घ) सरकार ने, आई०टी०आई० के अधीन बगलौर में प्रतिवर्ष 5 लाख समतुल्य लाइनों की क्षमता वाला एक दूसरा कारखाना स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह कारखाना फ्रांस की फर्म मैसर्स सी०आई०टी० अलकेटल के तकनीकी सहयोग से स्थापित किया जाएगा। आई०टी०आई० ने मनकापुर के कारखाने के लिए सहयोग का करार इसी फर्म के साथ किया है।

धरनधरा कैमिकल वर्क्स लिमिटेड द्वारा सोडा-ऐश के मूल्य में वृद्धि करना

4974. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान सोडा-ऐश की मांग में यदि कोई कमी हुई है, तो कितनी कमी हुई है;

(ख) क्या सरकार यह समझती है कि सोडा-ऐश की मांग में कमी होने से मूल्यों में अपेक्षाकृत गिरावट आनी चाहिए, या कम से कम मूल्य स्थिर रहने चाहिएं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को यह जानकारी है कि मैसर्स धरनधरा केमिकल वर्क्स लिमिटेड ने सोडा-ऐश के मूल्य में दिनांक 15 जनवरी, 1984 से 25/- रु. प्रति मीटरिक टन की वृद्धि अधिसूचित की है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) से (ख) सोडा-ऐश की मांग में कमी होने की सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार मैसर्स धरनधरा कैमिकल वर्क्स लिमिटेड ने सोडा-ऐश का मुल्य 15.1.1984 और 25.1.1984 से क्रमश: 2020/- रुपये से 2,045/- रुपये प्रति मी०टन तक और 2545/- रुपये से 2,175/- रुपये प्रति मी०टन (मूल कारखाने से

बाहर मूल्य) तक बढ़ा दिया है। उन्होंने इन वृद्धियों का कारण मैकिंग सामग्रियों की लागत, कोल/हार्ड कोक और रेल भाड़े में वृद्धि बताया है। सोडा-ऐश के अन्य स्वदेशी निर्माताओं ने भी मुख्यत: इन्हीं कारणों का सहारा लेते हुए अपने मूल्यों में वृद्धि कर दी है।

यद्यपि सोडा-ऐश के मूल्यों पर कोई कानूनी मूल्य नियन्त्रण नहीं है, फिर भी उत्पादक जब भी मूल्यों में वृद्धि करते हैं तो सरकार को सूचित कर देते हैं। उत्पादकों से मूल्य वृद्धियों के ब्यौरे देने के लिए कहा गया है ताकि सरकार यह पता लगा सके कि मुल्यों में की गई वृद्धि कोयला तथा अन्य उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के अनुरूप है या नहीं।

बिहार में लघु एककों द्वारा बिजली संकट का सामना किया जाना

4975. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने औद्योगिक कम्पनियों पर 4000 मेगावाट विद्युत भार की न्यूनतम गारन्टी निर्धारित की है, जबकि बिहार विद्युत बोर्ड की उत्पादन क्षमता दो-तीन सौ मेगावाट से अधिक नहीं है;

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि इस प्रणाली से बिहार में लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों के विकास में बाधा पड़ रही है ; और

(ग) यदि हां, तो बिहार जैसे राज्य में, जहां लघु उद्योगों को संकट का सामना करना पड़ रहा है, इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार क्या उपाय करने के बारे में विचार कर रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं। बिहार राज्य बिजली बोर्ड ने न्यूनतम गारन्टी प्रभार निर्धारित किया है, जिनका हिसाब ऊर्जा की यूनिटों के आधार पर लगाया जाता है तथा मेगावाट के आधार पर नहीं लगाया जाता है। निम्न वोल्टता औद्योगिक सेवा उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम गारन्टी प्रभार का हिसाब 67 यूनिट प्रति हार्स पावर प्रतिमाह की दर से लगाया जाता है। न्यूनतम गारन्टी प्रभार का हिसाब लगाने की प्रक्रिया परिसर में प्रतिष्ठानों की संख्या पर भी निर्भर करती है।

(ख) और (ग) 67 यूनिट प्रति हार्स पावर प्रति माह का न्यूनतम प्रभार किसी भी उद्योग द्वारा पूरा किया जा सकता है जो औसतन 2.5 घंटे प्रतिदिन चलता हो। जो जीवित रहने के लिए किसी भी उद्योग के लिए न्यूनतम प्रचालन घण्टे होने चाहिएं। इसके अलावा बोर्ड लघु उद्योगों को अधिकतम मात्रा में विद्युत उपलब्ध कराने के लिए दामोदर घाटी निगम, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड से विद्युत खरीद रहा है।

पवन ऊर्जा से ऊर्जा संकट का निवारण

4976. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पवन चक्कियों की सहायता से ऊर्जा संकट का निवारण हो सकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऊर्जा के इस स्त्रोत के विकास के लिए कोई ठोस योजना तैयार की है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) ऊर्जा के वैकल्पिक संसाधनों के विकास की तुलनात्मक स्थिति क्या है ; और

(ङ) ऊर्जा के विभिन्न उत्पादित बिजली की पृथक-पृथक प्रति इकाई स्थिति क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) देश के अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोतों के साथ ही साथ पवन चक्कियों का भी भविष्य में एक महत्वपूर्ण स्थान होगा । पवन ऊर्जा के साजोसामान के लिए सर्वेक्षण अनुसंधान एवं विकास, प्रदर्शन और विस्तार क्षेत्री कार्यकलापों को सम्मिलित किया गया है । सर्वेक्षण द्वारा हाल ही में पवन ऊर्जा गुटका का संकलन किया गया है । सातवीं योजना के लिए अनुसंधान एवं विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पता लगाया जा रहा है । जल पंपन पवन चक्कियों का विकास कर लिया गया है और लगभग 500 चक्कियों को प्रदर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले ही स्थापित किया जा चुका है। जल पंपन पवन चक्कियों के लिए एक प्रायोगिक विस्तार कार्यक्रम का विकास किया जा रहा है। सातवीं योजना के लिए पवन ऊर्जा के साजोसामान के लिए अधिक व्यापक कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है ।

(घ) और (ङ) ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों के विकास की तुलनात्मक स्थिति विभिन्न घटकों पर निर्भर करती है जैसे क्षेत्र, फीडस्टाक की उपलब्धता एवं लागत प्रौधोगिकी का प्रकार एवं मापन और अन्त तक प्रयोग । इस प्रकार ऊर्जा के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न विद्युत की प्रति यूनिट लागत क्षेत्र स्थिति के साथ अलग-अलग होती है, सामान्यत: इनकी लागत पारंपरिक स्त्रोतों से अधिक होती है फिर भी आशा है कि आगे अनुसंधान और विकास तथा बाजार के विस्तार से ये प्रतिस्पर्धात्मक बन जाएंगी ।

बंगलौर में असंतोषजनक टेलीफोन सेवा

4977. **श्री टी० आर० शरन्ना** (रामन्ना) : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह पता चला है कि बंगलौर में टेलीफोन की असंतोषजनक सेवा के अतिरिक्त (संसद सदस्यों सहित) अनेक मामलों में अधिक राशि के बिल भेजे जा रहे हैं ; और

(ख) बिल बनाने संबंधी दोषों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) बंगलूर में टेलीफोन सेवा आमतौर से संतोषजनक है । उपभोक्ताओं से ज्यादा राशि के बिल प्राप्त होने के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुइ थीं और जितनी बड़ी संख्या में टेलीफोन बिल जारी किए गए थे उसकी

तुलना में इन शिकायतों की संख्या अधिक नहीं है। 1982-83 के दौरान अधिक राशि के बिल के बारे में संसद सदस्यों से केवल दो शिकायतें प्राप्त हुईं जिनका उनके गुणावगुण के आधार पर निपटान किया गया।

(ख) ज्यादा राशि के बिलों से संबंधित शिकायतों की जांच, मीटर में जरूरत से ज्यादा कालें दर्ज होने के परिप्रेक्ष्य में की जाती हैं इनके सही पाये जाने पर छूट दी जाती है और सही न पाए जाने वाले मामलों को अस्वीकार कर दिया जाता है।

महानदी बेसिन में तेल की खोज

4978. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानदी बेसिन में तेल की खोज का कार्य किस वर्ष शुरू किया गया था ;

(ख) इस बेसिन में कितनी मात्रा में तेल निकाला गया ; और

(ग) अब तक किये गये उत्पादन का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने 1958 में महानदी बेसिन के तटवर्ती क्षेत्रों में भू-भौतिकीय सर्वेक्षण और शरू किये तथा ये इस क्षेत्र में प्रारम्भिक गुरुत्व और चुम्बकीय सर्वेक्षण कार्य किये थे। 1974-75 तक तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने 1311 लाइन किलोमीटर के टोह लगाने के लिए इकहरी परत के भूकम्पीय सर्वेक्षण और 312 लाइन किलोमीटर के 6 परत के भूकम्पीय सी०डी०पी० सर्वेक्षण पूरे कर लिये थे। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा एकत्र किये गये आंकड़े बाद में आयल इंडिया लिमिटेड को दे दिये गये थे। आयल इंडिया लिमिटेड ने मार्च-अप्रैल, 1978 में हवाई-चुम्बकीय सर्वेक्षण किये थे। 3814 लाइन किलोमीटर के क्षेत्र के लिए भूकम्पीय सर्वेक्षण कार्य सितम्बर, 1983 तक पूरा किया गया था। आंकड़े तैयार किये जा रहे हैं और खुदाई करने के लिए स्थानों का पता लगाने के लिए उनकी व्याख्या की जा रही है।

महानदी बेसिन में अपतटीय भागों में आयल इंडिया लिमिटेड ने हवाई-चुम्बकीय और समुद्री सर्वेक्षण कार्यों को 1978 में पूरा कर लिया था। अभी तक चार अन्वेषी कुओं की खुदाई की जा चुकी है और पांचवें अन्वेषी कुएं की खुदाई का काम चल रहा है। 4451 लाइन किलोमीटर के भूकम्पीय सर्वेक्षण को पूरा कर लिया गया है। इस समय आंकड़े तैयार किये जा रहे हैं और खुदाई के लिए और अधिक स्थानों का पता लगाने के लिए उनकी व्याख्या की जा रही है।

(ग) अभी तक वाणिज्यिक रूप से उत्पादन किये जाने योग्य हाइड्रोकार्बनों का कोई संकेत नहीं मिला है।

रामगुंडम परियोजना में कर्मचारियों की भर्ती

4979. श्री जी० भूपति : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, रामगुंडम के विभिन्न संवर्गों में काम कर रहे व्यक्तियों की संख्या कितनी है और कर्मचारियों की कुल संख्या की तुलना में कितने स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है ;

(ख) इस यूनिट में विभिन्न संवर्गों में कर्मचारियों को भर्ती करने के लिए क्या प्रणाली और प्रक्रिया अपनाई जाती है ; और

(ग) क्या मृत उम्मीदवारों के नाम पर नकली लोगों को नौकरी दिलाने वाला एक संगठित गिरोह होने और रोजगार प्राप्त करने में अन्य कदाचारों के आरोपों की कोई जांच कराई गई थी और उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की रामागुंडम सुपर ताप विद्युत परियोजना में नियोजित किए गए स्थानीय व्यक्तियों (आंध्र प्रदेश के) की संख्या 1175 है। इसकी तुलना में कर्मचारियों की कुल संख्या 1447 है। उनका संवर्ग-वार ब्यौरा निम्नानुसार है।

संवर्ग	कर्मचारियों की कुल संख्या	स्थानीय कर्मचारियों की संख्या
कामगार	8400	821
पर्यवेक्षक	246	217
कार्यपालक	361	137
जोड़	1447	1175

(ख) भारत सरकार के निदेशों के अनुसार, ऐसे पदों पर नियुक्तियां जिनका अधिकतम वेतनमान 1250/- रुपये से अधिक नहीं है, स्थानीय रोजगार कार्यालय द्वारा भेजे गए अभ्यर्थियों में से की जाती है, उन मामलों को छोड़कर जब रोजगार कार्यालय उपयुक्त अभ्यार्थियों के नाम भेजने में असमर्थ हो। जहां तक कार्यपालक पदों के अतिरिक्त श्रेणियों के पदों का संबंध है, जो उपर्युक्त प्रक्रिया के क्षेत्राधिकार में नहीं आते तथा जिन पदों के लिए रोजगार कार्यालयों से उपयुक्त अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं होते हैं ऐसे पद भारत सरकार द्वारा प्रकाशित रोजगार समाचार सहित राज्य/क्षेत्रीय समाचारपत्रों में अधिसूचित किए जाते हैं और जो व्यक्ति इन विज्ञापनों के आधार पर आवेदन करते हैं उनमें से नियुक्तियां की जाती हैं। कार्यपालक श्रेणी के पदों पर

नियुक्तियां खुले अखिल भारतीय चयन के माध्यम से की जाती हैं जिनके लिए रिक्त स्थान अखिल भारतीय आधार पर प्रमुख समाचार-पत्रों में अधिसूचित किए जाते हैं।

(ग) मृत उम्मीदवारों के नाम पर रोजगार प्राप्त करने वाले बोगस व्यक्तियों तथा रोजगार में अन्य अनाचारों से संबंधित किसी संगठित गिरोह के बारे में सरकार/राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की जानकारी नहीं है।

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में निलम्बनाधीन कर्मचारी

4980. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में निलम्बनाधीन कर्मचारियों के बारे में 4 अगस्त, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2772 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसे सभा-पटल पर रखा जाएगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) श्रम विभाग के बारे में 9 अगस्त, 1983 के प्रश्न संख्या 2772 के सम्बन्ध में दिए गए आश्वासन को 19 जनवरी, 1984 को पूरा किया गया था। पुनर्वास विभाग से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

कोटा जिले के कस्बा पुलिस थाने में सार्वजनिक टेलीफोन

4981. **श्री चतुर्भुज :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा जिले की शाहबाद तहसील में कस्बा पुलिस थाने में एक सार्वजनिक टेलीफोन लगा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र पर टेलीफोन ठीक से काम कर रहा है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या करण हैं ; और

(घ) वहां टेलीफोन कब तक लगा दिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजव एन० पाटिल) : (क) जी, नहीं। तथापि, कस्बा स्थित डाक-तारघर में ट्रंक कॉल और तार भेजने व प्राप्त करने की सुविधा सहित एक टेलीफोन कार्य कर रहा है।

(ख) और (ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) थाने पर टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के प्रस्ताव पर राजस्थान दूरसंचार सर्किल में विचार किया जा रहा है तथा इसके मार्च, 1985 तक खोले जाने की संभावना है।

छठी योजना के दौरान विद्युत उत्पादन का राज्यवार हिस्सा

4982. **श्री ईरा अनबारासु :** क्या **उर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अनुमानित विद्युत उत्पादन में तमिलनाडु और अन्य राज्यों का कितना हिस्सा था ?

उर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : तमिलनाडु तथा अन्य राज्यों में छठी पंचर्षीय योजना अवधि के दौरान जोड़े जाने वाली विद्युत उत्पादन क्षमता विवरण में दी गई हैं।

विवरण

छठी पंचवर्षीय योजना में राज्य-वार जोड़े जाने वाली उत्पादन क्षमता।

	लक्ष्य (मेगावाट)	प्राप्त होने के लिए संभावित (मेगावाट)
1	2	3
उत्तरी क्षेत्र :		
हरियाणा	454	186
हिमाचल प्रदेश	38	21
जम्मू और कश्मीर	—	—
पंजाब	672	837
राजस्थान	496	356
उत्तर प्रदेश	1972	1112
चण्डीगढ़	—	—
दिल्ली	—	—
केन्द्रीय	1540	1540
उत्तरी क्षेत्र (जोड़)	5172	4052

1	2	3
पश्चिमी क्षेत्र :		
गुजरात	1175	950
मध्य प्रदेश	1488	1170
महाराष्ट्र	2644	2662
केन्द्रीय	630	630
पश्चिमी क्षेत्र (जोड़)	5937	5412
दक्षिणी क्षेत्र :		
आन्ध्र प्रदेश	1095	1235
कर्नाटक	1195	835
केरल	125	—
तमिलनाडु	630	210
लक्षद्वीप	—	—
केन्द्रीय	1520	1100
दक्षिणी क्षेत्र (जोड़)	4565	3430
पूर्वी क्षेत्र :		
बिहार	725	615
उड़ीसा	560	270
पश्चिम बंगाल	1368	898
दामोदर घाटी निगम	460	210
सिक्किम	—	—
अण्डमान तथा निकोबार	—	—

1	2	3
केन्द्रीय	210	210
पूर्वी क्षेत्र (जोड़)	3323	2203
उत्तर पूर्वी क्षेत्र :		
असम	408	328
अरुणाचल प्रदेश	—	—
मणिपुर	--	—
मेघालय	—	—
मिजोरम	—	—
नागालैण्ड	1	—
त्रिपुरा	5	10
केन्द्रीय/एनo ईo सीo	255	155
उत्तर पूर्वी क्षेत्र (जोड़)	669	493
अखिल भारत (जोड़)	19666	155'0*

*इसमें 1750 मगावाट की क्षमता शामिल है जो कि छठी योजना अवधि के संदर्भ में सीमा रेखा पर है।

समाचारपत्रों, फिल्मों, रेडियो और दूरदर्शन में दहेज प्रथा को प्रोत्साहित करने वाले विज्ञापन

4983. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि समाचार पत्र जैसे विभिन्न प्रचार माध्यम,

विशेष कर फिल्मों आदि में विज्ञापन, ऐसी बातों का प्रकाशन और प्रदर्शन कर रहे हैं जिनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दहेज प्रथा को भी बढ़ावा मिलता है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि सरकारी क्षेत्र के विज्ञापन और रेडियो और दूरदर्शन भी उस बीमारी से मुक्त नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच करवाएगी और सरकार के नियन्त्रणाधीन प्रचार माध्यमों से उन्हें समाप्त करने के उपाय करेगी और गैर-सरकारी माध्यम को भी नियन्त्रित करेगी ताकि इनमें इस प्रथा को हतोत्साहित किया जा सके ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) जहां तक सरकारी माध्यमों पर विज्ञापनों का सम्बन्ध है, आकाशवाणी और दूरदर्शन को विशिष्ट रूप से ये निर्देश दे दिए गए हैं कि वे किसी भी ऐसे विज्ञापन, जिसमें दहेज शब्द या दहेज देने/लेने वालों का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संदर्भ निहित हो, को बिल्कुल स्वीकार न करें। ये माध्यम सभी विज्ञापन प्रतियों की सावधानीपूर्वक जांच-पड़ताल करने तथा प्रसारण/टेलीकास्ट करने से पहले उपयुक्त परिवर्तन सुझाने के लिये वाणिज्यिक प्रसारण संहिता तथा वाणिज्यिक विज्ञापन संहिता का भी सहारा लेते हैं।

इसके अलावा, आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित सभी सरकारी माध्यम दहेज प्रथा की बुराइयों के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए विभिन्न फार्मेटों में अनेक कार्यक्रम अर्थात् फिल्मों, नाटकों, इंटरव्यू, वार्ताओं, परिचर्चाओं, गीतों, इत्यादि का नियोजन कर उन्हें प्रस्तुत करते हैं।

गैर-सरकारी विज्ञापनदाताओं द्वारा समाचारपत्रों को रिलीज किए जाने वाले विज्ञापनों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।

(ग) सरकार का यह विचार है कि मुद्रण माध्यमों में इस प्रकार की प्रवृत्तियों से निपटने के लिए विज्ञापन समुदाय द्वारा स्व: विनियमन, अधिक सामाजिक जागरूकता और व्यवसायिक स्तरों और आचारों का अनुपालन अधिक प्रभावी होगा।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति

4984. **श्री स्वामी इन्द्रवेश** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय में किस वर्ष (सहायक के रूप में नियुक्ति की तारीख) तक के सहायकों को अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति मिल चुकी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : सहायकों की अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियमित आधार पर

पदोन्नति कार्मिक और प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा जारी चयनसूची में शामिल स्थायी सहायकों के आधार पर की जाती है। इस मंत्रालय में, इस प्रकार पदोन्नत अंतिम सहायक, सामान्य श्रेणी में वर्ष 1972 वर्ष से तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में वर्ष 1978 से सम्बन्धित है।

पटना टेलीफोन एक्सचेंज में महिला टेलीफोन आपरेटरों की नियुक्ति

4985. **श्री राम लाल राही** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना टेलीफोन एक्सचेंज की 34 महिला टेलीफोन आपरेटरों को प्रतिदिन केवल 4.15 रु० का भुगतान किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनको "आरक्षित प्रशिक्षित पूल" में रखा गया था और उन्हें यह बताया गया था कि नये आदेशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने और नियुक्तियां करना बन्द कर दिया है;

(ग) क्या सरकार ने यह आदेश जारी किये हैं कि इन 34 महिलाओं की उनके प्रशिक्षण के पश्चात् नियुक्ति न की जाये; और

(घ) यदि आदेश बाद में जारी किए गए थे, तो उन्हें नियुक्त न करने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, नहीं। उन्हें 2.75 रु० प्रति घंटा की दर से भुगतान किया जाता है।

(ख) जी, हां। उनकी भर्ती 'आरक्षित प्रशिक्षित पूल' में की गई थी। इन टेलीफोन आपरेटरों की नियुक्ति भविष्य में रिक्त होने वाले पदों पर नियमित आधार पर कर दी जाएगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

गाजीपुर जिले में शाखा और उपडाकघरों का खोला जाना

4986. **श्री जैनुल बशर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिक संख्या में उप-डाकघर और शाखा-डाकघर स्थापित करने हेतु पिछड़े जिलों का चयन करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की उपर्युक्त मानदण्डों के अन्तर्गत पूर्णतः शामिल किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त जिले में अधिक शाखा डाकघर और उप-डाकघर खोलने के लिये क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) (i) डाक की सुविधा की दृष्टि से पिछड़ा इलाका घोषित करके, शाखा डाकघर खोलने के लिए निर्धारित मानदण्ड इस प्रकार हैं :

(एक) ऐसे इलाकों में जहां एक डाकघर द्वारा सेवा प्राप्त औसत क्षेत्र/आबादी अखिल भारतीय औसत की तुलना में शत-प्रतिशत कम हो।

(दो) जब जनसंख्या/सेवित क्षेत्र के आधार पर अखिल भारतीय/सर्किल औसत की तुलना में डाक सर्किल के किसी इलाके की स्थिति गिरी हुई होती है तथा इसके अलावा सर्किल के अन्य इलाकों में डाकघर वाले गांवों का प्रतिशत अधिक होता है।

(ii) उप-डाकघर खोलने के लिए कोई विशेष मानदण्ड नहीं हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जिले में सामान्य डाक क्षेत्रों के लिए लागू मानदंडों के आधार पर ही डाकघर खोले जाते हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया धनराशि

4987. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया धनराशि लगभग 98.84 करोड़ रुपया तक देय हो जाने के समाचार है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा इस निधि में धनराशि जमा कराने पर जोर देने के लिए दण्डात्मक कार्यवाही क्यों नहीं की गई है ;

(ग) इसके लिए बड़े-बड़े दोषी निकायों के नाम हैं जिन की ओर 10 लाख रुपये से अधिक की धनराशि बकाया है; और

(घ) उपर्युक्त बकाया धनराशि को "भू-राजस्व" के रूप में वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है तथा इन मामलों को ठीक करने तथा ऐसे बेईमान नियोक्ताओं को सही राह पर लाने और दण्डित करने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं जो इस बकाया राशि की हेराफेरी करके अपने व्यापार में लगा रहे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) जी, हां। 31 मार्च, 1983 को 98.84 करोड़ रुपयों की बकाया राशि थी।

(ख) ये बकाया राशियां मुख्यतः उन प्रतिष्ठानों से सम्बन्धित हैं जो या तो बन्द हो चुके हैं या जो कामबन्दी, परिसमापन की स्थिति में थे या जिनके सम्बन्ध में, वसूलियों पर न्यायालयों द्वारा रोक लगा दी गई थी या जो रूग्ण हो गए और जिनका प्रबन्ध करने के लिए नियन्त्रण में ले लिया गया है। कानून के अनुसार वसूली और दाण्डिक कार्यवाही की गई है जैसा कि नीचे भाग (घ) में उल्लेख है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) यह सूचित किया गया है कि 30 सितम्बर, 1983 की स्थिति के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने 63,168 प्रतिष्ठानों के खिलाफ 1,02,717 राजस्व वसूली प्रमाणपत्र दायर किए हैं। इसके अतिरिक्त यह सूचित किया गया है कि उन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम की धारा 14क के अधीन 22,644 प्रतिष्ठानों के खिलाफ 1,10,365 अभियोजन मामले और भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अधीन 2047 प्रतिष्ठानों के खिलाफ 2604 अभियोजन दायर किए हैं। छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों द्वारा चूक करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम की धारा 14(2क) और भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अधीन अभियोजन दायर किए गए हैं।

विवरण

ऐसे छूट प्राप्त/छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों का ब्यौरा, जिन्होंने 31-12-1983 की स्थिति के अनुसार दस लाख और इससे अधिक की भविष्य निधि बकाया राशि (जिसमें भविष्य अंशदान, प्रशासनिक प्रभार, दांण्डिक हर्जाने, आदि की बकाया राशि शामिल है) का भुगतान करना था।

क्रमांक	प्रतिष्ठान का नाम	भविष्य निधि की बकाया राशि (रुपये लाखों में)
1	2	3
	छूट न प्राप्त प्रतिष्ठान	
	आन्ध्र प्रदेश	
1.	मैसर्स आजम जाही मिल्स लि०	27.76
2.	मैसर्स नेलीमारला जूट मिल्स	11.56
	बिहार	
1.	मैसर्स कटिहार जूट मिल्स, कटिहार	62.21
2.	मैसर्स बिहार शूगर वर्क्स, पचूही	11.40
3.	मैसर्स रेलिएन्स फायरब्रिक्स एण्ड पॉटरी कं० लि०, धनबाद,	18.89

1	2	3
4.	मैसर्स बिहार स्टेट को-आपरेटिव बैंक लि०, पटना	50 10
5.	मैसर्स आर०बी०एच०एम० जूट मिल्स	44.25
	दिल्ली	
1.	मैसर्स एसोसिएटेड जर्नल्स लि० (नेशनल हेरल्ड), नई दिल्ली	14.55
2.	मैसर्स हिन्दुस्तान समाचार को-आप० सोसाइटी लि०	10.70
3.	मैसर्स साउथ इण्डिया टेलरिंग हाउस	10.09
	गुजरात	
1.	मैसर्स केशरिया इन्वेस्टमेन्ट लि०, बड़ौदा (प्रिया लक्ष्मी लि०) बड़ौदा	22.07
2.	मैसर्स दि मानेकचौक एण्ड अहमदाबाद मेन्युफैक्चरिंग कं० लि०, अहमदाबाद	18.68
3.	मैसर्स दि सेण्ट्रल पल्प मिल्स लि०, सोंगाध	13.56
	हरियाणा	
1.	मैसर्स हिन्दुस्तान पेरेस्ट्रेस्ड कॉनक्रेट स्ट्रक्चर प्रा० लि०	27.18
2.	मैसर्स गेडोर टूल्स इण्डिया लि०, फरीदाबाद	19.73
3.	ऊषा स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, फरीदाबाद	13.20
	कर्नाटक	
1.	मैसर्स शंकर टेक्सटाईल्स मिल्स, देवांगेर	14.99
	मध्य प्रदेश	
1.	मैसर्स इन्दौर मालवा यूनाईटेड मिल्स, इन्दौर	99.17
2.	मैसर्स कल्याणमल मिल्स, इन्दौर	33.80
3.	मैसर्स स्वदेशी काटन एण्ड फ्लोर मिल्स, इन्दौर	47.18
4.	मैसर्स हीरा मिल्स, उज्जैन	29.79
5.	मैसर्स बंगाल नागपुर काटन मिल्स, राजनन्दगांव	16.92

1	2	3
6.	मैसर्स न्यू भोपाल टैक्सटाईल्स, भोपाल	23.64
7.	मैसर्स इन्दौर टैक्सटाईल्स लि०, उज्जैन	35.76
8.	मैसर्स राजकुमार मिल्स लि०, इन्दौर	13.61
9.	मैसर्स होप टैक्सटाईल्स लि०, इन्दौर	555.98
10.	मैसर्स बिनोद मिल्स कं० लि०, उज्जैन	594.53
11.	मैसर्स विमल मिल्स कं० लि०, उज्जैन	94.73
12.	मैसर्स जे०बी० मंगाराम एण्ड कं० प्रा० लि०, ग्वालियर	10.79
13.	मैसर्स श्री सज्जन टैक्सटाईल्स मिल्स लि०, रतलाम	28.51
14.	मैसर्स बिलासपुर स्पिनिंग टैक्सटाईल्स मिल्स लि०, बिलासपुर	13.34
	महाराष्ट्र	
1.	मैसर्स हिन्द साइकिल लि०	108.27
2.	मैसर्स ओगले ग्लास वर्क्स, सतारा	33.16
3.	मैसर्स जैफाबस टैक्सटाईल्स, बम्बई	10.25
4.	मैसर्स सोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, सोलापुर	40.16
5.	मैसर्स ज़क्साारिया काटन मिल्स	18.12
6.	मैसर्स न्यू कलसेर-इ-हिन्द मिल्स	20.63
7.	मैसर्स दिगविजय टैक्सटाईल मिल्स	13.55
8.	मैसर्स इण्डिया यूनाइटेड मिल्स	218.80
9.	मैसर्स भारत टैक्सटाईल मिल्स	19.65
10.	मैसर्स ब्राडबुरी मिल्स लि०, बम्बई-11	257.08
11.	मैसर्स फाईनैक्स मिल्स लि०, बम्बई-13	59.86

2	3
12. मैसर्स न्यू इंडिया रेयन्स मिल्स लि०, बम्बई-13	27.97
13. मैसर्स श्री सीताराम मिल्स लि०, बम्बई	120.22
14. मैसर्स ईल्लौरा सिल्क मिल्स	12.67
15. शिलांग फाईन आर्ट लिथो वर्क्स	11.24
16. मैसर्स जौर मेन्यूफेक्चरिंग कं० लि०,	11.46
17. मैसर्स तिम्बुल प्रा० लि०,	14.12
उड़ीसा	
1. मैसर्स बिसरा स्टोन एण्ड लाईम कं० लि०, सून्दरगढ़	29.78
पंजाब	
1. मैसर्स पोस्ट ग्रेजुएट इनस्टीच्यूट आफ मेडिकल एजूकेशन एण्ड रिसर्च, चण्डीगढ़	204.15
राजस्थान	
1. मैसर्स जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०, जयपुर	17.44
2. मैसर्स मेवाड़ टैक्सटाईल मिल्स लि०, भीलवाड़ा	18.03
तमिलनाडु	
1. मैसर्स कालीश्वरण मिल्स लि०, कोइम्बतूर	13.36
2. मैसर्स सोमासुन्दरम मिल्स (प्रा०) लि०, कोयम्बतूर	26.60
3. मैसर्स दि भारती मिल्स लि०, पांडिचेरी	21.62
4. मैसर्स दि वसन्त मिल्स लि०, कोयम्बतूर	22.55
5. मैसर्स श्री महालक्ष्मी टैक्सटाईल मिल्स, मदुराई	48.27
6. मैसर्स जनार्धन मिल्स (प्रा०) लि०, कोयम्बतूर	13.32
7. मैसर्स पाइलेट पेन कं० (इण्डिया) प्रा०, मद्रास	12.18
8. मैसर्स टैक्सटूल एण्ड कं० लि०, कोयम्बतूर	11.36
9. मैसर्स तमिलनाडु मैंगनेसाईट प्राडक्ट्स लि०, सलेम-7	17.38
10. मैसर्स सुदर्शन फाइनेन्स कारपोरेशन, मद्रास-26	15.83

1	2	3
11.	मैसर्स श्री हरि मिल्स लि०, कोयम्बतूर	11.67
12.	मैसर्स एग्लो फ्रैन्च टैक्सटाईल्स लि०, पांडिचेरी	31.20
13.	मैसर्स इन्फील्ड इण्डिया लि०, मद्रास	10.44
	उत्तर प्रदेश	
1.	मैसर्स सेक्सारिया शूगर मिल्स, गोण्डा	17.17
2.	मैसर्स लक्ष्मी देवी शूगर मिल्स, देवरिया	28.12
3.	मैसर्स महावीर शूगर मिल्स, गोरखपुर	19.85
4.	मैसर्स उ० प्र० स्टेट शूगर कारपोरेशन, बेहराइच	19.96
5.	मैसर्स उ०प्र० स्टेट शूगर कारपोरेशन, बाराबंकी	10.41
6.	मैसर्स न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर	36.02
7.	मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर	44.45
8.	मैसर्स लक्ष्मी रत्तन काटन मिल्स, कानपुर	43.35
9	मैसर्स अथोर्टन वेस्ट एण्ड कं०, कानपुर	34.70
10.	मैसर्स बिजली काटन मिल्स, हाथरस, अलीगढ़	15.93
11.	मैसर्स एच०आर० शूगर फैक्ट्री, बरेली	31.89
12.	मैसर्स अजुधिया शूगर मिल्स, मोरादाबाद	10.53
13.	मैसर्स टाईगर हार्डवेयर एण्ड टूल्स लि०, अलीगढ़	210.58
14.	मैसर्स जसवन्त शूगर मिल्स, मेरठ	25.97
15.	मैसर्स पानीजी शूगर एण्ड जनरल मिल्स, बुलन्दशहर	18.52
16.	मैसर्स नवाबगंज शूगर मिल्स, गोण्डा	82.42
17.	मैसर्स इलैक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन, पौड़ी-गढ़वाल	23.28
18.	मैसर्स पंजाब शूगर मिल्स, गोरखपुर	55.32
19.	मैसर्स लक्ष्मी शूगर एण्ड आयल मिल्स, हरदोई	33.27

1	2	3
20.	मैसर्स ईल्गी मिल्स नं० 1, कानपुर	22.73
21.	मैसर्स ईल्गी मिल्स नं० 2, कानपुर	35.57
22.	मैसर्स मुईर मिल्स कं० लि०, कानपुर	15.08
23.	मैसर्स बी० आई० कारपोरेशन	20.31
24.	मैसर्स एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड	15.85
25.	मैसर्स उ०प्र० इन्स्ट्रूमेन्ट लि०, लखनऊ	20.86
	पश्चिम बंगाल	
1.	मैसर्स बर्टराम्स सूट्ट, 24-परगना	18.77
2.	मैसर्स केण्टोन कारपेन्ट्री वर्क्स, कलकत्ता	15.28
3.	मैसर्स पोर्ट इंजीनियरिंग वर्क्स, हावड़ा	11.50
4.	मैसर्स बंगाल फाईन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, हुगली	11.99
5.	मैसर्स बंगाल लक्ष्मी काटन मिल्स, हुगली	32.67
6.	मैसर्स बंगदिया काटन मिल्स, 24-परगना	16.03
7.	मैसर्स लक्ष्मी नारायण काटन मिल्स, हुगली	29.94
8.	मैसर्स रामपुरिया काटन मिल्स, हुगली	83.78
9.	मैसर्स श्री महालक्ष्मी काटन मिल्स	13.72
10.	मैसर्स सेण्ट्रल काटन मिल्स	11.40
11.	मैसर्स सरूगाँव टी एस्टेट, जलसाईगुड़ी	10.50
12.	मैसर्स नेशनल आयरन एण्ड स्टील कं० लि०, हावड़ा	28.24
13.	मैसर्स भारत जूट मिल्स, हावड़ा	35.71
14.	मैसर्स ईस्टर्न पेपर मिल्स	16.91

छूट प्राप्त प्रतिष्ठान :

1	2	3
	बिहार	
1.	मैसर्स दि मोतीपुर शूगर फैक्ट्री एण्ड केन फार्म	30.43
2.	मैसर्स रोहतास इण्डस्ट्री, डालमिया नगर	107.00
3.	मैसर्स फर्टिलाईजर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०	11.43
	केरल	
1.	मैसर्स ट्रावनकोर रेयन्स लिमिटेड	54.01
2.	मैसर्स के०एस०आर०टी०सी०	52.65
	महाराष्ट्र	
1.	मैसर्स वेस्टर्न इण्डिया स्पिनिंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि०	20.73
2.	मैसर्स मोडल मिल्स लि०	10.47
3.	मैसर्स फिनलेय मिल्स लि०	18.34
4.	मैसर्स गोल्ड मोहर मिल्स लि०	20.01
	उत्तर प्रदेश	
1.	मैसर्स मोदी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कं० लि०	92.00
	पश्चिम बंगाल	
1.	मैसर्स सामनीग्गार जूट एफ० वाई० कं० लि०	99.89
2.	मैसर्स विक्टोरिया जूट कं० लि०	60.00
3.	मैसर्स अंगुस जूट कं० लि०	80.53
4.	मैसर्स टीटागढ़ जूट कं० लि०	143.22
5.	मैसर्स नैहाती जूट कं० लि०	32.62
6.	मैसर्स हावड़ा मिल कं० लि०	104.30
7.	मैसर्स कनकीनाराह कं० लि०	72.55
8.	मैसर्स बारानगर जूट फाई० कं० लि०	89. 2
9.	मैसर्स नूड्डीया मिल्स लि०	148.60

1 2	3
10. मैसर्स केलविन जूट कं० लि०	205.00
11. मैसर्स मेग्ना मिल्स लि०	250.00
12. मैसर्स गौरीपोर कं० लि०	264.87
13. मैसर्स श्री गौरीशंकर जूट मिल्स कं० लि०	76.00
14. मैसर्स ईस्टर्न मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि०	85.18
15. मैसर्स गंगेश मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि०	49.55
16. मैसर्स श्री अम्बिका जूट मिल्स लि०	147.97
17. मैसर्स अगरपारा कं० लि०	34.64
18. मैसर्स कमरहाट्टी कं० लि०	49.56
19. मैसर्स इम्पायर जूट कं० लि०	158.00
20. मैसर्स डलहौजी जूट कं० लि०	66.76
21. मैसर्स बलवज कं० लि०	65.50
22. मैसर्स नार्थ ब्रुक जूट कं० लि०	115.02
23. मैसर्स खर्दाह कं० लि०	33.32
24. मैसर्स न्यू सेन्ट्रल जूट मिल्स लि०	207.82
25. मैसर्स बंगाल पौटरीज लि०	94.76
26. मैसर्स बर्न एण्ड कं० लि०	58.70
27. मैसर्स इण्डियन स्टैण्डर्ड वेगन कं० लि०	27.12
28. मैसर्स हुगली डाकिंग एण्ड कं० लि०	45.75
29. मैसर्स इण्डिया पेपर पुल्प कं० लि०	77.34
30. मैसर्स मोहिनी मिल्स लि०	54.21

1	2	3
31.	मैसर्स कल्याणी स्पिनिंग मिल्स लि०	45.90
32.	मैसर्स मोहनिंग एण्ड एलाईड मशीनरी कं० लि०	82.24
33.	मैसर्स एल्म्यूनियम मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि०	19.15
34.	मैसर्स रामलुगार केन एण्ड शूगर लि०	14.12
35.	मैसर्स वेनी लि०	19.14
36.	मैसर्स बर्न एण्ड कं०	11.11
37.	मैसर्स बी०बी०जे० कन्स्ट्रक्शन कं० लि०	20.70
38.	मैसर्स डेट्रा जूट कं०	50.00
39.	मैसर्स एंग्लो इण्डिया जूट मिल्स लि०	44.00
40.	मैसर्स नफार चा० जूट मिल्स लि०	36.30
41.	मैसर्स अमृत बाजार पत्रिका लिमिटेड	13.00

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अपनी सहायक इकाइयों के पुनर्गठन का प्रस्ताव

4988. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने सरकार को अपनी वर्तमान सहायक इकाइयों का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव किया है ताकि उनकी कार्य-प्रणाली बेहतर बन सके तथा यानों की ओर अधिक प्रभावकारी ढंग से देख-रेख की जा सके ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या इसके अन्तर्गत पश्चिम बंगाल के वर्तमान कोयला खानों को विखंडित करने का प्रावधान है ;

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक तथा क्या-क्या परिवर्तन करने का प्रस्ताव है ;

(ङ) क्या उक्त प्रस्ताव उड़ीसा की किसी खान पर लागू होता है ; और

(च) यदि हां, तो किस खान पर लागू होता है तथा इसके ढांचे और कार्य प्रणाली में किस सीमा तक परिवर्तन करने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न ही नहीं उठते।

आन्ध्र प्रदेश में नई विद्युतीकरण योजनाएं

4989. **श्री सुभाष चंद्र बोस अल्लूरी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत ऋण के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश में कोई नई विद्युतीकरण योजनाएं चलाने का विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने 1983-84 के दौरान आंध्र प्रदेश में 124 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें अनुमोदित की हैं। अनुमोदित स्कीमों में 87 विशिष्ट परियोजना कृषि स्कीमें हैं, 26 सामान्य स्कीमें हैं तथा 11 हरिजन बस्ती स्कीमें हैं। स्वीकृत स्कीमों का श्रेणीवार ब्यौरा विवरण एक, दो और तीन में दिया गया है।

विवरण एक

1983-84 के दौरान आंध्र प्रदेश के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत विशिष्ट कृषि परियोजना स्कीमों का ब्यौरा

क्रम सं०	स्कीम का नाम	जिला	पम्पसैट	ऋण राशि (लाख रुपयों में) ग्राम विद्युत निगम+बैंक
1	2	3	4	5
1.	कमलापुरम	कुडपा	400	39.06
2.	पुलीचेरला	चित्तूर	600	59.84
3.	नन्दयाला और आत्माकुर	कुरनूल	575	49.20

1	2	3	4	5
4.	पेथीकोन्डा	कुरनूल	420	62.92
5.	अडोनी येमीगानर	कुरनूल	490	60.20
6.	सुलतानाबाद (एस)	करीमनगर	650	52.998
7.	सुलतानाबाद (एन)	करीमनगर	500	43.675
8.	पेडापल्ली (एस)	करीमनगर	500	59.7.1
9.	गारा	सिरकाकुलम	440	58.38
10.	नेकेरकाल (एन)	नालगोन्डा	500	58.71
11.	थोटमबादू	चित्तूर	500	59.03
12.	श्रीकलाशती	चित्तूर	500	57.20
13.	पेडापाली (एन)	करीमनगर	500	55.97
14.	रेपाली	गुनतूर	225+2 एल.आई.	47.68
15.	पाडाबूरा	नालगोन्डा	400+6 एल.आई	59.630
16.	रेपुर	नेल्लोर	600	49.64
17.	सिंगनामाला	अन्नतपुर	700	59.510
18.	चनाकोठापाले	अन्नतपुर	450	62.11
19.	धर्मावरम	अन्नतपुर	650	58.450
20.	चन्द्रगीरी	चित्तूर	350	39.31
21.	कामारेड्डी	निजामाबाद	800+1 एल.आई.	59.694
22.	डोमाकोन्डा	निजामाबाद	700	59.886
23.	कपिलेश्वरपुरम	ईंगोदावरी	300	30.71
24.	कारवेतिगंवाम	चित्तूर	5.0	59.99

1	2	3	4	5
25.	आरमूर (तीसरी)	निजामाबाद	900	59.91
26.	निजामाबाद	निजामाबाद	800	59.51
27.	गाजवेल	मेडक	800	49.53
28.	राममपेट (दूसरी)	मेडक	500	21.23
29.	दुबाक (दूसरी)	मेडक	750	61.16
30.	भीमगल	निजामाबाद	1000	58.84
31.	चेलमचिली	विशाखापट्नम	505	45.82
32.	मंगारेड्डी (ई)	मेडक	500	39.54
33.	सिद्दीपेट	मेडक	800	60.24
34.	जी. नेल्लोर	चित्तूर	600	53.24
35.	नारीसपदट्टम और कोआरटला	विशाखापट्नम	250	23.76
36.	चित्तूर	चित्तूर	500	47.87
37.	वेन्कटाचलम	नेल्लोर	497+3 एल.आई.	40.93
38.	केवूर	नेल्लोर	700	60.76
39.	कोडूर	कुड्डपा	600	50.89
40.	राजमपेट	कोडापा	600	50.95
41.	भीमावरम	पश्चिमी गोदावरी	575	57.12
42.	चेनागोतीगल्लू (डब्लू)	चित्तूर	500	59.20
43.	चोदेपाली	चित्तूर	500	57.05
44.	पुनगनुर	चित्तूर	500	57.66
45.	चेनागोतीगल्लू (ई)	चित्तूर	500	59.17
46.	ताडीपत्री	अन्नतपुर	1000	59.10

1	2	3	4	5
47.	मिरायलागुडा	नालगोन्डा	500+3 एल. आई.	59.66
48.	नालागोन्डा	नालागोन्डा	550	58.66
49.	महेश्वरम्	रंगारेड्डी	500	39.98
50.	कोयनगुडम	पश्चिम गोदावरी	300	31.92
51.	बतियागुडम और पोलावरम	पश्चिम गोदावरी	300	28.194
52.	हयातनगर	रंगारेड्डी	250	21.72
53.	इबराहिमपतनम	रंगारेडडी	500	38.75
54.	माधिरा	खम्मान	400	39.99
55.	खम्माम	खम्माम	580	59.95
56.	कुडापा	कुडापा	600	49.39
57.	करीमगर (पूर्वी)	करीमनगर	750	60.45
58.	करीमनगर (पश्चिम)	करीमनगर	750	61.30
59.	गंगधारा (दूसरी)	करीमनगर	650	60.47
60.	मंगलागीरी एस०डी० टेडीकोन्डा	गुन्तूर	400	48.97
61.	सेवेला (दूसरी)	रंगारेड्डी	650	61.26
62.	उदयगीरी	नेल्लोर	650	59.83
63.	कोथारु	सिरकाकुलम	350	28.38
64.	नकरेकाल (एस)	नालगोन्डा	550	59.96
65.	नरसपुर	मेडक	950	59.62
66.	टाडीकोडमडा आदि गुन्तूर रुरल सब डिवीजन	गुन्तूर	160	15.942

1	2	3	4	5
	(4 ब्लाक)			
67.	बोधान	निजामाबाद	1000	58.578
68.	येल्लारेड्डी	निजामाबाद	700	59.654
69.	भीमाडोले	पश्चिमी गोदावरी	300	36.50
70.	चिन्तलपुड़ी (पूर्वी)	पश्चिम गोदावरी	400	58.19
71.	चिन्तलपुड़ी (एन)	पश्चिम गोदावरी	400	60.87
72.	चिन्तलपुड़ी (एस)	पश्चिम गोदावरी	400	44.34
73.	थिरुमलयापालम	खम्माम	550	59.54
74.	कनगिरी	परकासम	500	60.29
75.	सत्यारेड्डू और पिचातूर	चित्तूर	650	49.39
76.	पिथापुरम	पूर्वी गोदावरी	300	31.35
77.	रामनापेट	नालगोंडा	580	56.85
78.	कन्डुकूर	परकासम	400	48.38
79.	वेलीमंडला	परकासम	500	60.07
80.	तुंगाथुरुथी	नालगोंडा	615	58.52
81.	पुल्लीवेंडला (एस)	कुडापा	400	53.20
82.	थालारेवु और सामलकोट	पूर्वी गोदावरी	250	27.32
83.	मोथुकुर (दूसरी)	नालगोंडा	560	57.06
84.	मेदचाल	रंगारेड्डी	500	38.63
85.	घनपुर (पश्चिमी)	वारंगल	600	60.56
86.	एलुरु	पश्चिमी गोदावरी	300	38.53
87.	हुसनाबाद	करीमनगर	650	60.96

एल. आई.—लिफ्ट सिंचाई

विवरण दो

आंध्र प्रदेश में 1983-84 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत सामान्य स्कीमों का ब्यौरा

क्रम सं०	स्कीम को कोड संख्या	श्रेणी	ऋण राशि (लाख रु. में)	गांव	शामिल पम्पसैट
1	2	3	4	5	6
1.	010496	ओ बी	37.22	7+60 (एच)	27
2.	010501	ओ ए	46.63	—	60
3.	010502	ओ ए	55.20	1	250
4.	010503	ओ ए	52.43	1	140
5.	010504	ओ ए	34.95	0+31 (एच)	70
6.	010505	ओ ए	76.92	—	80
7.	010506	ओ ए	54.93	—	60
8.	010507	ओ बी	22.36	12	60
9.	010508	ओ बी	44.56	28	80
10.	010509	ओ बी	88.41	41	400
11.	010510	एस यू	69.448	31+34 (एच)	250
12.	010511	एस यू (टी)	71.94	93	
13.	010512	एस यू (ट)	32.77	49	30
14.	010521	ओ ए	46.14	25	40
15.	010522	एस यू-(टी)	40.30	52	—
16.	010520	ओ बी	35.67	15	60
17.	010523	ओ ए	81.47	—	127

1	2	3	4	5	6
18.	010524	ओ ए	82.70	—	156
19.	010525	ओ ए	74.30	—	91
20.	010552	एस पी आई (II)	49.73	—	—
21.	010554	ओ बी	22.92	—	50
22.	010555	ओ बी	33.30	—	50
23.	010556	ओ बी	69.39	—	200
24.	010557	ओ बी	66.00	15+66 (एच)	400
25.	010558	एस यू (टी)	15.87	17+57 (एच)	5
26.	010592	ओ ए	84.49	—	21
		जोड़	1390.048	387+248(एच)	2721

ओ बी—साधारणत: पिछड़े क्षेत्र

ओ ए—साधारणत: प्रोन्नत क्षेत्र

एस यू टी—अविकसित (आदिवासी) क्षेत्र

एस पी आई (II)—विशिष्ट परियोजना उद्योग (1 तथा 2)

एच—पुरवे

विवरण-तीन

आंध्र प्रदेश में 1983-84 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत हरिजन बस्ती स्कीमों का ब्यौरा

क्रम सं०	स्कीम की को संख्या	ऋण राशि (लाख रु० में)	हरिजन बस्तियों की संख्या
1	2	3	4
1.	017072	3.69	33 हरिजन बस्तियां
2.	017073	9.08	68 हरिजन बस्तियां

1	2	3	4
3.	017074	5.59	32 हरिजन बस्तियां
4.	017075	5.881	45 हरिजन बस्तियां
5.	017076	7·9406	62 हरिजन बस्तियां
6.	017077	9.76	46 हरिजन बस्तियां
7.	017078	9.84	43 हरिजन बस्तियां
8.	017079	9.89	—
9.	017080	5.1	
10.	017081	6.14	30 हरिजन बस्तियां
11.	017082	9.71	50 हरिजन बस्तियां
	जोड़	82.2216	409 हरिजन बस्तियां

आंध्र प्रदेश में वर्ष 1983 तक स्थापित गोबर गैस संयंत्र

4990. **श्री सुभाष चंद्र बोस अल्लूरी :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1983 के अन्त तक आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में, जिलेवार कुल कितने गोबर गैस संयंत्र स्थापित किए गए थे; ओर

(ख) इस वर्ष 1984-85 के दौरान कितने संयंत्र स्थापित किए जाएंगे ?

उर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) वर्ष 1983-84 में दिसम्बर, 1983 तक आंध्र प्रदेश मे 2959 बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए। जिलेवार सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना के अन्तर्गत देश में वर्ष 1984-85 में 1,50,000 बायोगैस संयन्त्रों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

दंडकारण्य परियोजना की स्थापना पर अव्यय हुआ तथा इसके समापन के बाद इसके भवन आदि का उपयोग

4991. **श्री के० प्रधानी :** क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य परियोजना की स्थापना, आधारभूत ढांचे के भवन और इसके रख-रखाव पर आज तक कुल कितनी धनराशि खर्च हुई ;

(ख) इसके लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं ;

(ग) किस तरीके से इस परियोजना का समापन किया जा रहा है और परियोजना के विभिन्न भवनों, संस्थानों, अस्पतालों तथा अन्य सुविधाओं तथा उनके पूंजी परिव्यय को किस तरह उपयोग में लाने का विचार है ; और

(घ) इस परियोजना में कितने शरणार्थी स्थाई रूप से बस गए हैं और इस परियोजना के समापन के बाद की अवधि में उनके कल्याण की देख-भाल के लिए किस तंत्र की व्यवस्था की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) मूलभूत सुविधाओं सहित दण्डकारण्य परियोजना पर अब तक 215.86 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।

(ख) दण्डकारण्य क्षेत्र में 25087 विस्थापित व्यक्ति परिवार और 4061 आदिवासी परिवार बसाए गए हैं। मध्य प्रदेश में परलकोट और कोंडागांव जोन और उड़ीसा में उमरकोट जोन में पुनर्वास कार्य प्राय: पूरा हो गया हैं। भूमि उद्धार, आवास, सड़क, परिवहन, सिंचाई, शिक्षा और चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। मलकानगिरि जोन, उड़ीसा में प्रवासियों के पुनर्वास और विकास कार्य प्रगति पर हैं। आदिवासियों को बसाने का कार्य राज्य सरकार की एजेन्सियों द्वारा निष्पादित किया जा रहा है।

(ग) दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण को बन्द करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है। फिर भी, दण्डकारण्य परियोजना के तीन जोनों, अर्थात् मध्य प्रदेश में परलकोट और कोंडागांव और उड़ीसा में उमरकोट जोन, में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास से सम्बन्धित अधिकांश कार्य पूरा हो जाने के कारण यह निर्णय किया गया था कि इन जोनों का प्रशासन सामान्य बनाया जाए और सम्बन्धित राज्य सरकारों की सम्पत्तियाँ नि:शुल्क हस्तान्तरित की जाएं। उड़ीसा स्थित चौथा जोन मलकानगिरि और कुछ अन्य संस्थान केन्द्रीय सरकार के प्रशासन में बने रहेंगे। इन तीनों जोनों का सामान्यीकरण उस समय तक के लिये स्थगित कर दिया गया है जब तक कि पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के मुख्यमन्त्रियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक में इस विषय पर बातचीत नहीं हो जाती है।

(घ) तीनों जोनों का सामान्यीकरण हो जाने की अवस्था में परियोजना में बसाये गये 25087 परिवार जन जीवन की मुख्यधारा में मिल जाएंगे और सम्बन्धित राज्य सरकारें उनकी देख-भाल करेंगी।

देश में कोयले के स्टाक-यार्डों की स्थापना किया जाना

992. **श्री के० प्रधानी** : क्या **उर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इण्डिया लिमिटेड ने देश में विभिन्न स्थानों पर कोयले के स्टाक-यार्डों की स्थापना करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की विस्तृत रूप-रेखा क्या है और इन भंडारों में कोयला कैसे पहुंचाया जाएगा और उपभोक्ताओं को, बल्कि और थोड़ी मात्रा में, कोयला कैसे दिया जायगा ;

(ग) ये इस समय खानों के मुहाने पर जमा भंडारों को कम करने और देश के विभिन्न भागों में उपभोक्ता केन्द्रों को कोयले की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करने में कहां तक सहायक होंगे ; और

(घ) ढुलाई में अथवा भंडारों से कोयले की चोरी रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। अथवा किए जाने का विचार है ?

उर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) उपभोक्ताओं को विशेषत: लघु उपभोक्ताओं को कोयले की उपलब्धि बढ़ाने की दृष्टि से कोल इंडिया लि० ने देश के विभिन्न भागों के प्रमुख उपभोक्ता केन्द्रों में कोयले के स्टाकयार्ड खोले हैं। स्टाकयार्डों से कोयले का वितरण नियमित उपभोक्ताओं को अग्रता के आधार पर तथा उपलब्ध मात्रा के अनुसार किया जाता है।

चूंकि स्टाकयार्ड से कोयले का वितरण उपभोक्ताओं को रेल/सड़क द्वारा सीधे कोयला प्रेषण के अलावा है इसलिए ऐसे वितरण से खान मुहानों पर स्टाक कम करने में सहायता मिलेगी । इसके अलावा, चूंकि कोयला उपभोक्ता केन्द्रों के निकट आ जाएगा इसलिए कोयले की उपलब्धि की स्थिति भी बेहतर हो जाएगी। देश के विभिन्न भागों में काफी संख्या में स्टाकयार्ड खोलने का लाभकारी प्रभाव स्पष्ट हो चुका है ।

(घ) वैगनों में उनकी कोयला ले जाने की क्षमता तथा स्वीकार्य सीमा तक लदान करने के लिए सावधानी बरती जाती है स्टाकयार्डों पर उचित सुरक्षा प्रबंध किए जाते हैं तथा नियम अवधि पर स्टाक की माप की जाती है। रास्ते में कोयले में कमी हो जाने पर और स्टाकयार्ड से कोयले की चोरी के संबंध में नियुक्त एजेंसियों पर जिम्मेदारी डाली जाती है ।

हिमाचल प्रदेश में डाकघर खोलने के लिए कोटा

4993. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए चालू वित्त वर्ष (1983-84) सहित पिछले

तीन वर्षों हेतु प्रतिवर्ष शाखा डाकघर खोलने के लिए जिलावार कोई कोटा निर्धारित किया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; उपरोक्त अवधि में जिला-वार खोले गए डाकघरों के नाम क्या हैं; प्रत्येक जिले से डाकघर खोलने में कितने प्रस्ताव मिले हैं; कितने प्रस्ताव युक्तिसंगत पाए गए हैं किन्तु अपेक्षित कोटे के अभाव में जहां पर डाकघर नहीं खोले जा सके;

(ग) क्या विलासपुर जिले के कुछ भाग चंडीगढ़ डाक डिवीजन के अन्तर्गत भी आता है;

(घ) यदि हां, तो क्या उपरोक्त अवधि के दौरान इस डाक डिवीजन में नए शाखा डाकघरों को खोलने के कोई प्रस्ताव मिले हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं और उपरोक्त अवधि के दौरान मंजूरशुदा शाखा डाकघरों और चंडीगढ़ डाक डिवीजन के क्षेत्र के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के विलासपुर जिले में खोले गए डाकघरों के नाम क्या हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जानकारी विवरण-1 में दी गई है।

(ख) जानकारी विवरण-2 एवं 3 में दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

(ङ) मझारी में शाखा डाकघर खोलने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और 27.6.83 को वहां एक डाकघर खोल दिया गया है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण-1

गत तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में डाकघर खोलने के लिए जिलेवार स्टाफ की संख्या दर्शाने वाला विवरण।

जिले का नाम	1981-82	1982-83	1983 84
1 2	3	4	5
1. मंडी	1	6	4
2. हमीरपुर	7	3	2

1	2	3	4	5
3.	धर्मशाला	3	3	—
4.	कांगड़ा	—	—	6
5.	चंबा	5	1	3
6.	सोलन	10	2	3
7.	देहरा	2	1	—
8.	शिमला	12	7	5
9.	लाहौल स्फीती	—	—	2
10.	किन्नौर	—	—	2
11.	बिलासपुर	—	—	1
12.	उना	—	—	1
13.	कुल्लु	—	—	4
14.	सिरमोर	—	—	2

विवरण-2

खोले गए डाकघर

जिला	1981-82	1982-83	1983-84
1	2	3	4.
1. लाहौल एवं स्फीती	1. घनकारा 2. देमूल	1. कोरडंड	1. मूलिंग 2. मूरिंग 3. सिक्किम
2. किन्नौर	1. चारंग	1. चन्सू 2. शलखार 3. यूइलकं	1. रोपा

1	2	3	4
3. चंबा	1. ग्रीमा 2. कुलेठ 3. परागला 4. सिवरा 5. हंडाह	1. परछोर	1. गाहर 2. जटरुत 3. न्याग्रां
4. मंडी	शून्य	1. बन्धी	1. बाल्ट 2. बालग 3. उपरेली-बेहिल 4. शरहन-सुकेल
5. कुल्लु	1. खोखन	1. खोखनल 2. पनागन 3. शारची 4. तुंग	1. शिरार 2. सोजा 3. शालवर 4. अनाहन
6. काँगड़ा	1. लिल्ली 2. नाहलना 3. थेहार 4. ककरेन 5. नान	1. कावरी 2. राजखासा 3. श्री चागुँडा मन्दिर 4. गडराली	1. बियारा 2. अगहार 3. कोठी 4. डिग्गर 5. खोली 6. खाबली
7. शिमला	1. गेहन 2. जाहू 3. झोकर 4. कियारवी 5. कंडाबरनोह 6. डबान 7. सैन्ज 8. सीमा 9. तुरन	1. डोफ्डा 2. झालता 3. रतनारी 4. सामरा	1. रानोल 2. कडिवान 3. जार 4. मुन्हु

1	2	3	4
8. बिलासपुर	1. कोटला ब्राह्मण 2. रुईन सुरहाल 3. हरनोरा	1. हरलोग 2. हम्बोली	1. दोबडा
9. हमीरपुर	1. बलहट्टप 2. डुंगेरी 3. जाख्योल	1. नरेली	1. मानसई 2. अम्मान
10. ऊना	1. बाबेहर	शून्य	1. समुरकलां
11. सोलन	1. भारती 2. बवाहीघाट 3. सुरजपुर 4. किल्लीयां 5. रतवारी 6. बडोकरी 7. टुंडल	1. भरतियां	1. कावरी 2. क्वारंग 3. भीयूंजरी
12. सिरमोर	1. जारग 2. कोटरिव्यास 3. शरिया	1. कंगाहू 2. सामरा	1. बाडोल 2. कोटलापंजोला

विवरण-3

वर्ष 1981-82, 1982-83 एवं 1983-84 के दौरान प्राप्त प्रस्तावों की संख्या

क्र०सं०	जिले का नाम	प्राप्त प्रस्ताव	औचित्य पाए गए प्रस्ताव	औचित्य पाए गए लेकिन अभी तक नहीं खोले गए
1	2	3	4	5
1.	लाहौल स्पीति	10	6	—
2.	किन्नौर	6	1	—

1 2	3	4	5
3. चंबा	16	11	2
4. मण्डी	25	9	4
5. कुल्लु	12	6	1
6. कांगड़ा	70	39	25
7. शिमला	40	21	4
8. बिलासपुर	29	8	2
9. हमीरपुर	35	5	—
10. ऊना	19	3	1
11. सोलन	30	20	9
12. सिरमोर	25	7	1
कुल	317	135	50

हिमाचल प्रदेश में शाखा डाकघर खोलना

4994. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में जो एक पहाड़ी और पिछडा राज्य है और जहां ग्राम पंचायत गांवों में एक भी शाखा डाकघर नहीं है चालू वित्त वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान शाखा डाव घर खोले जाने सम्बन्धी कुछ प्रस्ताव केवल इसलिए अस्वीकृत कर दिए गए हैं कि इसके लिए एकल समूह गांव की जनसंख्या पर विचार किया गया और शाखा डाकघर के प्रस्तावित स्थल के चारों ओर 1-5 किलोमीटर के व्यास में स्थित गांवों के समूह की जनसंख्या पर विचार नहीं किया गया जैसाकि डाक और तार महानिदेशक के दिनांक 17/20 अगस्त, 1979 के परिपत्र संख्या 40-3/7 प्र—पी० आर० पी० में उल्लिखित है;

(ख) यदि हां, तो अस्वीकृत किए गए मामलों का ब्योरा क्या है और जिला-वार गांवों के समूह की जनसंख्या को आधार न मानने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उपर्युक्त परिपत्र को ध्यान में रखते हुए ऐसे सभी मामलों पर पुनर्विचार किया जायेगा और आवश्यक धन राशि मंजूर की जायेगी ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) निर्धारित

मान दण्डों के अनुसार, 1.5 किलोमीटर के भीतर ग्रामों के समूह की जनसंख्या संबंधी मानदंड सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू न होकर केवल जनजातीय एवं डाक सुविधा में पिछड़े क्षेत्रों पर ही लागू होती है।

जनसंख्या मानदण्डों के अनुसार जिन प्रस्तावों का औचित्य सिद्ध नहीं होता है उनकी जिले-वार संख्या इस प्रकार है :

हमीरपुर जिला	22
बिलासपुर	18
ऊना जिला	08
कांगड़ा जिला	22
शिमला जिला	10
कुल्लु जिला	03

(ग) जी, नहीं ।

हिमाचल प्रदेश में दूर संचार ट्रंक सेवाओं का कार्यकरण

4995. **श्री प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रंक सेवाओं में भारी गिरावट के कारण नई दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर तथा अन्य जिला मुख्यालयों को बुक कराई गई ट्रंककालें सामान्यतः नहीं मिल पाती है जैसे कि दिनांक 4 मार्च, 1984 को टिकट संख्या डी-332 (फोन 388140) पर उपायुक्त हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) को बुक कराई गई ट्रंक कॉल नहीं मिल पाई तथा उसे रद्द कराना पड़ा ;

(ख) यदि हां, हिमाचल प्रदेश के जिला मुख्यालयों के लिए सामान्य रूप से तथा हमीरपुर जिले के लिए विशेष रूप से ट्रंक सेवाओं में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ग) इस क्षेत्र में दूरसंचार ट्रंक सेवाओं के कार्यकरण को संतोषजनक ढंग से कब तक बहाल किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) यह सच नहीं है कि नई दिल्ली से हमीरपुर और हिमाचल प्रदेश के अन्य जिला मुख्यालयों के लिए बुक की गई कॉल आमतौर पर लग नहीं पातीं। नई दिल्ली के टेलीफोन नम्बर 388140 से टिकट नं० डी-332 के

अधीन 3.3.1984 को बुक की गई ट्रंक कॉल जालंधर-हमीरपुर सेक्शन के सर्किट से कोई उत्तर न मिलने के कारण नहीं लग पाई। दिल्ली के ट्रंक आपरेटर द्वारा इस कॉल को लगाने के लिए 21.00 और 21.15 बजे प्रयास किए गए थे। इस कॉल को वैकल्पिक मार्ग, अर्थात बरास्ता पठानकोट, द्वारा भी लगाने के प्रयास किए गए थे परन्तु गैर-वाणिज्यिक (नान-कमर्शियल) कॉल (स्पीच) होने के कारण उपभोक्ता ने उसे रद्द करवा दिया।

(ख) हमीरपुर में 300 लाइनों की क्षमता का मैनुअल एक्सचेंज है। हमीरपुर एक्सचेंज की ट्रंक कॉलों का प्रभावी प्रतिशत लगभग 74 प्रतिशत है, जो काफी संतोषजनक है। दूरसंचार सेवाओं में आगे और सुधार करने के लिए ऊना—हमीरपुर—नाहन—चम्बा के बीच एक रेडियो प्रणाली मंजूर की गई है।

(ग) कुल मिलाकर दूरसंचार ट्रंक सेवाएं संन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रही हैं।

मैसर्स गुजरात डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड को कोयले के खनन का पट्टा दिया जाना

4996. **श्री नवीन रावणी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार के एक सरकारी उपक्रम मैसर्स गुजरात डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ने गुजरात राज्य के सुरेन्द्र नगर जिले में कोयले के खनन के पट्टे के लिए आवेदन किया था;

(ख) यदि हां, तो आवेदन कब किया गया था;

(ग) इसे स्वीकृति न दिए जाए जाने के कारण क्या हैं ; और

(घ) इसे स्वीकृति देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से 7.2.80 को यह अनुरोध किया था कि गुजरात के सुरेन्द्र नगर जिले के कुछ गांवों में कोयले के खनन का पट्टा गुजरात खनिज विकास निगम प्रदान कर दिया जाए।

(ग) और (घ) गुजरात सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह अपने प्रस्ताव पर विचार के सम्बन्ध में कुछ विवरण प्रस्तुत करें। यह विवरण अभी राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं।

महानगरों में नए टेलीफोन लगाने के लिए लम्बित आवेदन-पत्र

4997. **श्री नवीन रावणी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नए टेलीफोन लगाने के लिए 1982 और 1983 के अन्त में कितने लोग प्रतीक्षा सूची में थे;

(ख) वर्ष 1983 के दौरान कितने नए टेलीफोन लगाने की स्वीकृति दी गई अथवा टेलीफोन लगाए गए;

(ग) वर्ष 1983 के दौरान नए टेलीफोन लगवाने के लिए कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(घ) देश में तथा विशेषकर महानगरों में नए टेलीफोन लगवाने के लिए लम्बित बकाया आवेदन-पत्रों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) वर्ष 1982 और 1983 के अंत में नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची क्रमश: 6.60 लाख और 7.50 लाख थी।

(ख) 1983 के दौरान प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 1.5 लाख थी।

(ग) 1983 के दौरान नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या 2.36 लाख थी।

(घ) उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत स्विचन और संचारण उपस्कर, केबिल लाइन सामग्री टेलीफोन आदि के उत्पादन में वृद्धि की दृष्टि से अतिरिक्त क्षमता की व्यवस्था की जा रही है। नए टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाएंगे और वर्तमान एक्सचेंजों का उपलब्ध उपस्करों द्वारा विस्तार किया गया है। ताकि 7वीं योजना के अन्त तक वर्तमान प्रतीक्षा सूची उत्तरोत्तर निपटाई जाएगी।

1984-85 में सौर उर्जा का विकास

4998. **श्री नवीन रावणी** : क्या **उर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1984-85 के दौरान शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का विकास करने के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है; और

(ख) 1984-85 के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई ?

उर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) (क) सौर ऊर्जा के निम्नलिखित तीन क्षेत्र हैं :

(1) सौर तापीय ऊर्जा।

(2) सौर कुकर।

(3) सौर प्रकाशवोल्टीय ऊर्जा।

(1) सौर तापीय उर्जा

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों सौर तापीय ऊर्जा के सम्बन्ध में सरकार की नीति में अनुसंधान एवं विकास, प्रदर्शन और विस्तार क्षेत्र सम्मिलित हैं।

विद्यमान प्रणालियों की कुशलता बढ़ाने एवं लागत कम करने और नई युक्तियों के विकास के लिए सौर कुकरों सहित सौर तापीय पर ठीक प्रकार से निश्चित की गई परियोजनाएं प्रारम्भ की जाएंगी। प्रदर्शन क्षेत्र में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

(1) प्रायोगिक प्रदर्शन प्रणालियां जिनको तकनीकी-आर्थिक रूप में स्थापित किया जाना है;

(2) उन नए क्षेत्रों में स्थापित प्रणालियों का प्रदर्शन जहां पर कि ये प्रणालियाँ अभी नहीं हुई हैं; और

(3) प्राचीन (प्रूवन) प्रणालियों का उनकी तकनीकी-आर्थिक योग्यता सिद्ध करने के लिए वाणिज्यिक और औद्योगिक क्रियाकलापों में नए प्रकार से प्रदर्शन।

विस्तार के लिए सरकार सौर तापीय युक्तियों के व्यक्तिगत इस्तेमालकर्त्ताओं और नैगम क्षेत्रों को प्रोत्साहन प्रदान करती है। इसके अलावा सौर तापीय युक्तियों की स्थापना के लिए लागत अंश को राज्य सरकार के विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तक विस्तारित किया जा रहा है। राज्यों में पूर्व स्थापित नोडल एजेंसियों को मजबूत करने और जहां पर अभी तक नहीं हैं वहाँ पर नोडल एजेंसियों को स्थापित करने की सरकार की नीति को जारी रखना।

सौर तापीय ऊर्जा केन्द्र (स्टेक) को, विद्यान प्रोद्योगिकियो, आदिरूप विकास और निर्माण, प्रणाली इंजीनियरी, प्रदर्शन और क्षेत्र परीक्षण को आधुनिक बनाने के लिए मजबूत बनाया जा रहा है।

(2) सौर कुकर

कई छोटी एवं मध्यम निर्माणकर्त्ताओं ने सौर कुकर बनाने आरंभ कर दिए हैं। सापेक्ष उद्यमियों को ड्राइंग सहिम तकनीकी जानकारी सप्लाई की गई है। सौर कुकरों को लोकप्रिय बनाने के लिए महिला संगठनों, स्वैच्छिक अभिकरणों शैक्षणिक संस्थाओं के गहरे सम्बन्ध स्थापित करने के प्रयास किए गए हैं। शैक्षणिक संस्थाओं में पोषण कार्यक्रम के लिए सौर कुकरों को प्रारंभ करने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में सौर कुकरों को जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों और कृषि विस्तार कार्यकर्त्ताओं के माध्यम से लोकप्रिय बनाया जा रहा है।

सरकार कुकिंग पैन सहित सौर कुकर की लागत का 33-1/3 प्रतिशत और अधिकतम

150/- रुपए राजसहायता के रूप में देती है। कुछ राज्य सरकारें तो अतिरिक्त राजसहायता प्रदान करती हैं। ये विकासात्मक प्रोत्साहन वर्ष 1984-85 में भी जारी रखे जाएंगे।

(3) सौर प्रकाशवोल्टीय उर्जा :

सरकार सौर प्रकाशवोल्टीय अनुसंधान एवं विकास के विस्तृत कार्यक्रम के विकास, प्रदर्शन और प्रायोगिक स्तर के क्रियाकलापों पर विचार कर रही है। सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों के प्रदर्शन को, सरकार के राष्ट्रीय सौर प्रकाशवोल्टीय ऊर्जा प्रदर्शन कार्यक्रम (नासपेड) के अंतर्गत, प्रारम्भ किया गया है। यह कार्यक्रम सौर सैलों के उत्पादन और विभिन्न प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों के प्रदर्शन और विकास की भारतीय विकसित प्रौद्योगिकी को आधुनिक बनाता है। बहुत सी प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां देश के विभिन्न भागों में स्थापित की गई हैं। वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन एवं व्यापक अनुप्रयोग सहित भविष्य के क्रियाकलापों की सरकार योजना बना रही है। सरकार सौर सौर प्रकाशवोल्टीय पंपों और प्रकाशवोल्टीय पैनलों के इस्तेमाल पर राजसहायता प्रदान करती है।

(ख) वर्ष 1984-85 का अनुमानित बजट प्रावधान निम्नलिखित है :

मद/शीर्ष	1984-85 का अनुमानित बजट (करोड़ रुपयों में)
1	2
1. सौर तापीय उर्जा :	
(क) अनुसंधान एवं विकास	0.40
(ख) प्रदर्शन	1.25
(ग) विस्तार	1.00
(घ) परिसंवाद/कार्यशाला मूल्यांकन सहित प्रशिक्षण	0.05
(ङ) सौर तापीय ऊर्जा केन्द्र	0.40
(च) सौर कुकर राजसहायता	0.25
	3.35

1	2
2. सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम :	
(क) नासपेड कार्यक्रम	2.00
(ख) अनुसंधान एवं विकास	0.85
(ग) प्रदर्शन	0.05
	2.90

केरल के आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधायें

4959. **श्री ए० नीलालोहित दसन नाडार** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधायें प्रदान करने के लिए सरकार की कोई व्यापक योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है तथा इसे किस हद तक कार्यान्वित किया गया है;

(ग) केरल में गत चार वर्षों के दौरान आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाये प्रदान करने सम्बन्धी कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) केरल में निकट भविष्य में कार्यान्वित किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) विवरण 1 और 2 में दी गई नीति के अनुसार टेलीफोन सुविधायें प्रदान किए जाने की योजना बनाई गई है। 15-1-1984 तक चालू छठी पंचवर्षीय योजना अवधि 1980-85 के दौरान सात हजार दो सौ पचहत्तर लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए गए।

(ग) केरल सर्किल के जनजातीय और पिछड़े इलाकों में विगत चार वर्षों के दौरान लम्बी दूरी के तीस सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए गए।

(घ) अगले वित्तीय वर्ष 1984-85 के दौरान लम्बी दूरी के तीस सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।

विवरण-1

हानि पर सार्वजनिक टेलीफोन घर प्रदान करने की नीति :

स्थानों की श्रेणियां

(1) जिला मुख्यालय

(2) उप-मंडलीय मुख्यालय

(3) तहसील मुख्यालय

(4) उप-तहसील मुख्यालय

(5) ब्लॉक मुख्यालय

(6) ऐसे स्थान जिनकी जनसंख्या साधारण क्षेत्रों में 5000 या अधिक तथा पिछड़े एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 2500 या अधिक हो।

2

सार्वजनिक टेलीफोनघर खोलने के लिए शर्तें	संयुक्त डाक-तारघ खोलने के लिए शर्तें
घाटे का ध्यान न करके भी न्यूनतम राजस्व की शर्त के बगैर उत्तरोत्तर व्यवस्था की जाएगी।	घाटे का ध्यान न देकर भी न्यूनतम राजस्व की शर्त के बगैर उत्तरोत्तर व्यवस्था की जाएगी।
(7) वे स्थान जहां पर ऐसे पुलिस स्टेशन स्थित हों जिनका इंचार्ज पुलिस उप-निरीक्षक या इससे ऊपर के पद का पुलिस अधिकारी हो।	
सार्वजनिक टेलीफोनघर खोलने के लिए शर्तें	संयुक्त डाक-तारघर खोलने के लिए शर्तें
साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत, पिछड़े इलाकों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।	साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत तथा पिछड़े इलाकों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।
(8) आम रास्ते से दूर के स्थान :	
सार्वजनिक टेलीफोनघर खोलने के लिए शर्तें	संयुक्त डाक-तारघर खोलने के लिए शर्तें
(क) मौजूदा एक्सचेंज से 40 कि०मी० से	(क) मौजूदा तारघर से 20 कि० मी० से

1	2
अधिक (अरीय दूरी) होनी चाहिए।	बाहर (अरीय दूरी) होना चाहिए।
(ख) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत पिछड़े इलाकों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय इलाकों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।	(ख) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती प्रत्याशित राजस्व का प्रतिशत, पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।
	(ग) साधारण इलाकों में प्रत्याशित घाटा 2000 रुपये वार्षिक तथा पिछड़े/पर्वतीय इलाकों में 5000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

(9) पर्यटन/तीर्थ केन्द्र/कृषि/सिंचाई/पावर परियोजना स्थल/नगर क्षेत्र :

सार्वजनिक टेलीफोनघर खोलने के लिए शर्तें	संयुक्त डाक-तारघर खोलने के लिए शर्तें
(क) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 2 प्रतिशत, पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।	(क) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व कम से कम 25 प्रतिशत, पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।
	(ख) साधारण इलाकों में प्रत्याशित घाटा 2000 रुपये वार्षिक तथा पिछड़े/पर्वतीय इलाकों में 5000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

(10) सभी अन्य स्थान :

सार्वजनिक टेलीफोनघर खोलने के लिए शर्तें	संयुक्त डाक-तारघर खोलने के लिए शर्तें
वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर या हानि की दशा में किराए और गारन्टी के आधार पर।	वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर या हानि की दशा में किराए और गारन्टी के आधार पर।

टिप्पणी :—1. (क) जनसंख्या सम्बन्धी आंकड़ों पर विचार करते समय, जनजातीय क्षेत्रों के मामलों को छोड़कर जहाँ किसी केन्द्रीय ग्राम से 10 कि०मी० के घेरे के अन्तर्गत आने वाले ग्राम समूह की जनसंख्या पर विचार किया जा सकता है, केवल एक ही नगर या ग्राम की जनसंख्या पर ही विचार किया जाना चाहिए न कि नगरों अथवा ग्रामों के समूह की जनसंख्या पर। छूट की इस शर्त के अन्तर्गत एक दूसरे से 10 कि०मी० की दूरी के भीतर दो सार्वजनिक टेलीफोन नहीं खोले जा सकते।

(ख) सार्वजनिक टेलीफोनों की व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण केन्द्रीय ग्राम निर्धारित करने के लिए निम्न क्रम में वरीयता दी जाएगी।

(एक) जनजातीय विकास खंड मुख्यालय।

(दो) जिन स्थानों पर एल०ए०एम०सी० (स० (बड़े आकार की बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ) स्थापित हैं; और

(तीन) ग्रामीण उद्योगों और/अथवा व्यापक कृषि विकास हेतु सिंचाई परियोजनाओं के लिए स्थानीय जनजाति विकास विभागों द्वारा निर्धारित केन्द्र।

2. यदि प्रस्तावित तारघर के 8 कि०मी० के भीतर कोई अन्य तारघर कार्य करता हो तो घाटे पर कोई भी तारघर नहीं खोला जाना चाहिए।

विवरण-2

ग्रामीण क्षेत्रों में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर/संयुक्त डाक तार घर खोलने से संबंधित संशोधित नीति

छठी योजना अवधि (अनुबन्ध-एक) के दौरान घाटे पर लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर/संयुक्त डाक तार घर खोलने से सम्बन्धित मौजूदा नीति पर डाक तार बोर्ड कुछ समय से विचार कर रहा था। इस सम्बन्ध में किये गए अध्ययन से पता चला है कि यदि हम जनसंख्या के आधार पर न्यूनतम राजस्व की शर्त का निर्धारण किए बगैर लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने की नीति को अपनायेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर देश के पहाड़ी और बिखरी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में इस सुविधा को बढ़ाने में असमानता की स्थिति पैदा होगी। मौजूदा नीति की सावधानीपूर्वक पुनरीक्षा करने के पश्चात तथा सेवा की विश्वसनीयता पर अत्यधिक बल देते हुए सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं का समान रूप से विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डाक तार बोर्ड ने जो निर्णय लिए हैं, वह इस प्रकार हैं :

(एक) अनुबन्ध-एक में बतायी गई मौजूदा नीति तो जारी रहेगी, परन्तु इसके साथ ही देश के आबादी वाले अधिकांश स्थानों में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन 5 कि०मी० के घेरे में सुलभ कराने की नीति को एक नीति लक्ष्य के बतौर अपनाया जाएगा और इस लक्ष्य को चालू वर्ष में आरम्भ करके 1990 तक उत्तरोत्तर प्राप्त किया जाएगा। स्थानिक वितरण के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लम्बी दूरी के जो सार्वजनिक टेलीफोन घर आवश्यक होंगे उन पर से न्यूनतम राजस्व की पूर्व शर्त को हटा दिया जायेगा।

(दो) इस क्षेत्र में सेवा की विश्वसनीयता और उपलब्धता में सुधार लाने के लिए मल्टी-एक्सेस रेडियो टेलीफोन प्रणाली की प्रौद्योगिकी को अपनाया जाए और इसी प्रणाली के तहत पहाड़ी, तटीय, वन्य एवं रेगिस्तानी इलाकों तथा जनजातीय और अनुसूचित क्षेत्रों व ऐसे अन्य क्षेत्रों में जहां विद्युत प्रेरण (पावर इंडक्शन) के कारण खुली तार लाइनें इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं होती तथा मैदानी क्षेत्रों के उन स्थानों में जो सड़क मार्ग से 20 कि० मी० (मार्ग की लम्बाई) से भी अधिक दूरी पर स्थित है और ऐसे अन्य सभी मामलों में जहां मल्टी-एक्सेस रेडियो प्रणाली अपनी लागत के अनुसार कारगर साबित होती है, लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर स्थापित किए जाएं।

(तीन) गैर-विभागीय एल० डी० पी० टी० एजेंट, डाकघरों के उपलब्ध न होने अथवा जहां डाकघर के कार्य घंटे अपर्याप्त हैं, जहां आवश्यक होगा नियुक्त किए जायेंगे। गैर-विभागीय एल० डी० पी० टी० एजेंटों का चयन क्षेत्रीय सर्किल के महाप्रबंधक, दूर-संचार द्वारा किया जाएगा।

(चार) गैर-विभागीय एल० डी० पी० टी० एजेंट का पारिश्रमिक 40 (चालीस) पैसे प्रति काल होगा लेकिन प्रतिमाह 250/-रु० (दो सौ पचास) से अधिक नहीं होगा और एल० डी० पी० टी० के कार्य घंटे कम से कम 8 घंटे होंगे। विकलांग व्यक्ति के मामले को छोड़कर, इस प्रकार प्राप्त पारिश्रमिक ही, एल० डी० पी० टी० एजेंट की आय का मुख्य स्रोत नहीं होगा।

डाक-तार बोर्ड ने यह भी निर्देश दिए हैं कि समूचे देश के विभिन्न ग्राम समूहों को षड् भुजाकार के क्षेत्रों (5 कि० मी० के समान भुजा वाले षडभुज क्षेत्र) में विभाजित किया जाए। हां, ऐसा करते समय वे स्थान छोड़ दिए जायेंगे जो निर्जन हैं जैसे पर्वतीय क्षेत्र नदियां, झीलें, रेगिस्तान आदि। प्रत्येक ग्राम-समूह में केन्द्र स्थल के बतौर एक ऐसे ग्राम का पता लगाया जाएगा जहां की लम्बी दूरी का सार्वजनिक टेलीफोन घर स्थापित किया जा सके। इस सेवा को 5 कि० मी० के भीतर सुलभ कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर स्थापित करने के

लिए ग्राम-समूहों का पता लगाने का कार्य राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद (एन०सी० एण्ड आर०) को सौंपा गया है, जिनकी रिपोर्ट विस्तृत नक्शों सहित योजना उद्देश्यों के लिए सर्किलों को उपलब्ध करा दी जाएगी

उक्त अनुसन्धान परिषद् द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार ग्राम-समूहों में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर स्थापित करने के लिए स्थान-निर्धारण के उद्देश्य से अपेक्षित आंकड़ों के साथ ब्यौरे वार नक्शे प्राप्त हो जाने पर सर्किलों के अध्यक्ष डाक-तार बोर्ड के उपर्युक्त निर्णयों को लागू करने के उद्देश्य से खुली-तार प्रणाली और मल्टी-एक्सेस रेडियो प्रणाली दोनों पर भविष्य में खोले जाने वाले लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों के लिए ब्यौरेवार वार्षिक कार्यक्रम तैयार करने की व्यवस्था करेंगे।

हालांकि मल्टी-एक्सेस रेडियो प्रणाली के अन्तर्गत लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए परियोजना प्राक्कलन, उपस्कर आदि का आबंटन करने के उद्देश्य से निदेशालय को भेजे जाते रहेंगे।

केरल दूरसंचार सर्किल द्वारा अतिरिक्त धनराशि की मांग

5000. **श्री ए० नीलालो हितदसन नाडार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल दूरसंचार सर्किल ने वर्ष 1983-84 के दौरान अनिवार्य कार्यों को जारी रखने के लिए डाक और तार महानिदेशालय से कितनी अतिरिक्त राशि की मांग की है; और

(ख) क्या डाक और तार महानिदेशालय ने कुछ अतिरिक्त आबंटन किया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या वह वर्ष 1983-84 का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होगा ?

संचार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) केरल सर्किल ने 972 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग की है, जो इस प्रकार है :—

योजना	राशि (लाख रुपयों में)
	2
ओपन वायर टेलीग्राफ	50
स्थानीय टेलीफोन प्रणाली	667
लम्बी दूरी की स्विचन प्रणाली	49
लम्बी दूरी की संचारण प्रणाली	13

1	2
सहायक प्रणाली	13
अन्य भूमि एवं भवन	49
छुट-पुट कार्य	131
	कुल 972

(ख) जनवरी, 1984 तक हुए वास्तविक व्यय और फरवरी और मार्च, 1984 के दौरान उपस्कर एवं भंडार की प्रत्याशित प्राप्ति को मद्देनजर रखते हुए इस सर्किल को निम्नलिखित अतिरिक्त निधि का आबंटन किया गया है :

योजना	राशि (लाख रुपयों में)
ओपन वायर और टेलीग्राफ	—
स्थानीय टेलीफोन प्रणाली	460
लम्बी दूरी की स्विचन प्रणाली	20
लम्बी दूरी की संचारण प्रणाली	13
सहायक प्रणाली	13
अन्य भूमि एवं भवन	20
छुट-पुट कार्य	131
	कुल 657

केरल में ट्रंक सेवा के लिए स्वचालित एक्सचेंजों की व्यवस्था

5001. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में 1982-83 और 1983-84 के दौरान कितने टेलीफोन केन्द्रों को ट्रंक सेवा के स्वचालित एक्सचेंजों के अन्तर्गत लाया गया;

(ख) इस अवधि के दौरान केरल में कितने एक्सचेंजों को ट्रंक सेवा के स्वचालित एक्सचेंजों की व्यवस्था के अन्तर्गत लाया गया और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) केरल में कितने और एक्सचेंजों को ट्रंक सेवा के स्वचालित एक्सचेंजों के अन्तर्गत लाए जाने का विचार है तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या केरल के नेडूमानगाड्डू एक्सचेंज को इस व्यवस्था के अंतर्गत लाए जाने का विचार है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क)

(एक) 1982-83 के दौरान	—	29
(दो) 1983-84 के दौरान	—	24

(ख) केरल राज्य में निम्नलिखित चार एक्सचेंजों को ट्रंक स्वचल एक्सचेंज परिपथजाल के अन्तर्गत लाया गया है :

1982-83	—	मालापुरम् एवं मंजेरी
1983-84	—	आदूर एवं कुंदरा

(ग) केरल के दो और स्टेशनों यानी इव्दीकी एवं चिंगवानम को चालू योजना के दौरान ट्रंक स्वचल एक्सचेंज परिपथजाल से जोड़ने का प्रस्ताव है ।

(घ) जी, नहीं ।

दिल्ली में नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

5002. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितनी टेलीफोन एक्सचेंज कार्यरत हैं और उनमें प्रत्येक में कितने लाइनों की क्षमता है;

(ख) टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने के लिए प्रत्येक एक्सचेंज की प्रतीक्षा-सूची में दिसम्बर, 1 1983 की तारीख को कितने लोगों के नाम दर्ज थे;

(ग) क्या सरकार ने प्रत्येक एक्सचेंज की लाइन क्षमता में वृद्धि करने की कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इन प्रतीक्षा सूचियों में दर्ज लोगों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन मिल जाने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) जानकारी विवरण "एक" में दी गई है।

(ग) और (घ) जी हां। 1984-85 एवं 1985-86 में दिल्ली में एक्सचेंजों के विस्तार का कार्यक्रम विवरण "दो" में दिया गया है। प्रतीक्षा-सूची में आवेदकों को आगामी पांच वर्षों में उत्तरोत्तर कनेक्शन प्रदान किये जायेंगे।

विवरण-एक

क्रम सं०	एक्सचेंज	कोड	31.12.83 को क्षमता	31.12.83 को प्रतीक्षा सूची
1	2	3	4	5
1.	तीस हजारी-I	22	9000	
2.	तीस हजारी-II	23	10000	8234
3.	तीस हजारी-III	251/252	10000	
4.	शक्ति नगर-I	711/712	20000	1558
5.	शक्ति नगर-II	74	3600	
6.	अलीपुर	801	200	
7.	बादली	802	400	366
8.	नरेला	89	600	186
9.	शाहदरा (ई)	20	4000	4366
10.	शाहदरा-I	21	2100	
11.	लक्ष्मी नगर	24	1200	7880
12.	दिल्ली गेट-II	26	9900	6377
13.	दिल्ली गेट-I	27	9600	
14.	ईदगाह-I	51	9000	
15.	ईदगाह-II	52	10000	10773
16.	गाजियाबाद-II	84	4000	334
17.	गाजियाबाद-I	85	2100	971
18.	शाहदरा ई-II	86	1000	195

1	2	3	4	5
19.	ओखला	63	7000	4507
20.	नेहरु प्लेस-I	68	2400	4938
21.	नेहरु प्लेस-II	64	10000	
22.	हौज खास-I	65	7600	8249
23.	हौज खास-II	66	10000	
24.	चाणक्यपुरी	67	7400	2855
25.	फरीदाबाद	81	4800	2497
26.	बदरपुर	82	700	99
27.	बल्लभगढ़	88	500	1180
28.	दिल्ली कैंट	39	3000	137
29.	राजौरी गार्डन-I	59	5000	16560
30.	राजौरी गार्डन-II	50	6000	
31.	राजौरी गार्डन-III	53	10000	
32.	जनकपुरी	55	2400	2458
33.	करोल बाग-I	56	10000	
34.	करोलबाग-II	58	9000	4544
35.	करोल बाग-III	57	10000	
36.	बहादुरगढ़ मंडी	83	400	234
37.	नजफगढ़	806	300	154
38.	नांगलोई	87	500	436
39.	जनपथ-I	31	3000	
40.	जनपथ-II	32	5000	1626
41.	जनपथ-III	32	2500	

1	2	3	4	5
42.	जनपथ-IV	35	2600	
43.	सचिवालय	37	6000	950
44.	राजपथ	48	8500	1838
45.	कनॉट प्लेस	4	4200	269
46.	जोरबाग-I	61/69	12600	
47.	जोरबाग-II	62	6000	4406
48.	प्रगति मैदान	604	400	शून्य
		योग	264900	110184

विवरण-दो

1984-85 का संस्थापन कार्यक्रम :

क्रम सं०	एक्सचेंज का नाम	
1.	ईदगाह	20 के
2.	नेहरु प्लेस	10 के
3.	तीस हजारी	10 के
4.	बदरपुर	10 के
5.	सेनाभवन	10 के
6.	राजौरी गार्डन	10 के
7.	जनपथ	1 के
8.	शाहदरा	1 के
9.	चाणक्यपुरी	1 के
10.	नरेला	0.1 के
11.	नजफगढ़	0.1 के
12.	बादली	0.2 के
13.	कैन्ट	0.6 के
14.	जनकपुरी	0. के
15.	बल्लभगढ़	0.5 के
	योग :	76.5 के

1985-86 :

क्रम सं०	एक्सचेंज का नाम	
1.	शाहदरा दक्षिण	15 के
2.	ओखला	10 के
3.	शक्ति नगर	10 के
4.	राजौरी गार्डन	10 के
5.	नेहरू प्लेस	10 के
6.	तीस हजारी	10 के
7.	बल्लभगढ़	0.3 के
		65.3 के

पिछले दस वर्षों के दौरान उद्योग और घरेलू कार्यों के लिए प्रयोग किया गया कोयला

5003. **श्री ए० के० राय** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दस वर्षों के दौरान उद्योग और घरेलू कार्यों के लिए कोयले के उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग प्रयोग किया गया है;

(ख) देश में विभिन्न क्षेत्रों में, अर्थात् वाणिज्यिक ऊर्जा, गैर-वाणिज्यिक ऊर्जा, पशु ऊर्जा में, ऊर्जा की खपत का स्वरूप क्या है और नवीनतम स्थिति संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या पिछले दस वर्षों में वाणिज्यिक ऊर्जा के पक्ष में कोई सराहनीय परिवर्तन लाया जा सका है और तथ्यों का वर्षवार अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) और (ग) पिछले दस वर्षों में व्यापारिक ऊर्जा के उपयोग में पूर्ण अंको में तथा प्रतिशत में भी वृद्धि की प्रवृत्ति रही है । इसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

वर्ष 1970-71 से 1992-83 तक ऊर्जा के व्यापारिक और गैर-व्यापारिक रूपों में उपभोग

ऊर्जा उपभोग का स्वरूप

(कोयला प्रति-स्थापन के मिलियन टन)

(प्रतिशत में)

अवधि	व्यापारिक	गैर-व्यापारिक	कुल	व्यापारिक	गैर-व्यापारिक
1970-71	197.3	172.2	369.5	53.4	47.6
1975-76	252.7	194.6	447.3	56.5	43.5
1978-79	294.3	198.0	492.3	59.7	40.3
1982-83	390.2	204.1	594.3	63.6	34.4

बिहार के धनबाद में कोयला डिपो

5004. **श्री ए० के० राय** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के धनबाद जिले में घरेलू उपभोग के लिए कोयले की सप्लाई करने के लिए स्थापित कोयला डिपुओं की संख्या और स्थान क्या है; और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कोयला उत्पादक धनबाद जिले के ग्रामीण क्षेत्र, विशेषकर तुन्ड्री ब्लाक में पालभा गोविन्दपुर ब्लाक में आशना बरदही, निरसा ब्लाक में अंकदुआरा पंचायत और चन्दनकेसरी ब्लाक के बारामासिया क्षेत्र में कोई कोयला डिपो चल रहा है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या यह सच है कि वहां पर ग्रामीण जनता को कोयला उपलब्ध नहीं हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप जंगल काटे जा रहे हैं और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारत कोकिंग कोल लि० गोल्फ ग्राउंड, धनबाद में इस इलाके की घरेलू ईंधन की मांग पूरी करने के लिए कोयले का स्टाकयार्ड चला रहा है। धनबाद के जिला प्रशासन ने भी इस इलाके की ईंधन की जरूरतों को पूरा करने के लिए 19 डिपो होल्डर प्रायोजित किए हैं। यह डिपो धनबाद, बोकारो स्टील सिटी, टुंडी, सिंदरी, बलियापुर और गोविन्दपुर में है।

(ग) भारत कोकिंग कोल लि० जिला प्रशासन द्वारा जारी प्रायोजनों के आधार पर साफ्ट कोक की सारी मांग पूरी कर रहा है। परन्तु मांग के निर्धारण और इस ईंधन के वितरण पर जिला प्रशासन, धनबाद का नियंत्रण है।

भारत कोकिंग कोल लि० में "शेल पिकर्स"

5005. **श्री ए० के० राय** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लि० (शेल पिकर्सों) की संख्या कितनी है तथा उसके 1 जनवरी, 1984 के क्षेत्रवार आंकड़े क्या हैं;

(ख) गत पांच वर्षों के तत्सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि अनेक "शेल पिकर्सों" में तेजी से गिरावट आई है जिसके परिणाम-स्वरूप प्रयोक्ताओं को कोयले के साथ पत्थर की भी सप्लाई हो रही है;

(घ) क्या यह सच है कि सुदामडीह और मूनीडीह जैसी मशीनीकृत कोयला-खानों में "शेल पिकर्स" बिल्कुल नहीं हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन खानों से कोयले से पत्थर को अलग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

देश में नये डाकघर खोलना

5006. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 (दिसम्बर, 1983 तक) के दौरान राज्य-वार खोले गए नए डाकघरों की संख्या कितनी है;

(ख) उपर्युक्त अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में और विशेषरूप से आदिवासी क्षेत्रों में खोले गए नए-नए डाकघरों की संख्या क्या है; और

(ग) उन सभी आदिवासी क्षेत्रों में, जहां पर अब तक ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, इन्हें उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) सर्किल-वार जानकारी विवरण-एक में दी गई है।

(ग) मौजूदा मानदन्ड विवरण दो के अनुसार औचित्य पाए जाने पर जनजातीय क्षेत्रों में नए डाकघर खोले जा रहे हैं। यह कार्य चरणबद्ध रूप में किया जाता है बशर्ते कि इसके लिए कोष उपलब्ध हो।

विवरण-एक

डाक सर्किल का नाम	1982-83 डाकघर			1983-84 में डाकघर (दिसम्बर 83 तक)		
	खोले गए	शहरी इलाकों के अलावा ग्रामीण इलाकों में खोले गये डाकघर	जनजातीय इलाकों में खोले गये डाकघर	खोले गए	ग्रामीण इलाकों में खोले गए	जनजातीय इलाकों में खोले गए
1. आन्ध्र	71	35	14	139	95	18
2. बिहार	135	91	30	218	175	43
3. दिल्ली	16	3	—	8	—	—
4. गुजरात	45	35	10	83	45	38
5. जम्मू व कश्मीर	25	25	—	28	23	—
6. कर्नाटक	53	40	10	59	38	5
7. केरल	29	12	3	64	57	4
8. मध्य प्रदेश	105	85	15	217	121	91
9. महाराष्ट्र	107	70	10	209	148	36
10. उत्तर पूर्वी	108	101	—	74	42	31
11. उत्तर पश्चिम	66	45	4	103	83	5
12. उड़ीसा	73	18	27	125	44	61
13. राजस्थान	56	40	15	127	97	30
14. तमिलनाडु	64	35	5	75	64	10
15. उत्तर प्रदेश	165	156	5	301	234	3
16. पश्चिमी बंगाल	94	45	16	99	74	16

विवरण-दो

डाकघर खोलने के मानदंड :

(क) देहाती इलाकों में डाकघर खोलने के लिए मानदंड :

ग्रामीण इलाकों में खोले जाने वाले डाकघरों को अब तो मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया गया है :

1. सामान्य ग्रामीण इलाकों में डाकघर; और

2. आदिवासी या पिछड़े इलाकों में डाकघर।

(1) सामान्य ग्रामीण इलाकों में डाकघर खोलना :

(एक) (1) निम्नलिखित शर्तों के अधीन ग्राम पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :

(क) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे में कोई दूसरा डाकघर न हो; और

(ख) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 25 प्रतिशत की आय होने की संभावना हो।

(दो) निम्नलिखित शर्तों के अधीन गैर-ग्राम पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :

(क) उस गांव की आबादी 2000 या इससे अधिक होनी चाहिए।

(ख) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे में कोई दूसरा डाकघर न हो ; और

(ग) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 25 प्रतिशत तक की आय होने की आशा हो।

(2) आदिवासी और पिछड़े इलाकों में डाकघर खोलना :

(एक) निम्नलिखित शर्तों के अधीन ग्राम पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :

(क) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे में कोई दूसरा डाकघर न हो; और

(ख) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 10 प्रतिशत तक की आय होने की आशा हो।

(दो) निम्नलिखित शर्तों के अधीन गैर-पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :

(क) गांव (अथवा 1.5 किलोमीटर के घेरे में गांवों के समूह) की जनसंख्या 1000 या अधिक हो ;

(ख) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे के अन्दर कोई अन्य डाकघर न हो ; और

(ग) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत को कम से कम 10 प्रतिशत आय होने की संभावना हो।

नोट : ग्रामीण डाकघर इस श्रेणी में आते हैं :

(एक) सामान्य ग्रामीण क्षेत्र और (दो) पिछड़े और जनजाति क्षेत्र। जनजातीय क्षेत्रों को गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया गया है। डाक सुविधाओं के विकास की दृष्टि से पिछड़े इलाकों का निर्धारण करते समय यह देखा जाता है कि क्या उन इलाकों के विकास की अवस्था जनसंख्या या प्रति डाकघर सेवाधीन क्षेत्र से संबंधित अखिल भारतीय औसत के हिसाब से सौ फीसदी गिरी हुई हालत में है या नहीं।

(दो) दूसरे, जब जनसंख्या/सेवित क्षेत्र के आधार पर अखिल भारतीय औसत और सर्किल औसत की तुलना में जब किसी क्षेत्र की स्थिति गिरी हुई होती है, इसके अलावा डाकघर प्रदान किए जाने वाले गांवों के प्रतिशत के सम्बन्ध में समूचे सर्किल के साथ तुलना करके जब स्थिति प्रतिकूल होती है, तब उस क्षेत्र को पिछड़े क्षेत्र का दर्जा दिया जाता है।

(तीन) प्रति डाकघर अखिल भारतीय औसत 23.10 किलोमीटर और जनसंख्या 4,805 है। पिछड़े और जनजाति क्षेत्रों में डाक सुविधाओं का तेजी से विस्तार करने के लिए अधिक आर्थिक सहायता दी जाती है।

(चार) पहाड़ी क्षेत्र की अवधारणा को छोड़ दिया गया है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र, जो जनजाति क्षेत्र भी हैं, स्वयं ही जनजाति क्षेत्रों की श्रेणी में आ जाते हैं।

(ख) **शहरी क्षेत्रों में डाकघर खोलने हेतु मानदंड :**

शहरी क्षेत्रों में डाकघर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर खोले जा सकते हैं :

(एक) डाकघर को वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर होना चाहिए; और

(दो) 20 लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में दो डाकघरों के बीच की दूरी कम से कम 1 किलोमीटर होनी चाहिए। अन्य शहरों में, दो डाकघरों के बीच कम से कम दूरी 1.5 किलोमीटर होनी चाहिए।

सर्किलों के अध्यक्ष प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत मामलों में दूरी की शर्तों में छूट दे सकते हैं।

बांधवा में विद्युत परियोजना

5007. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात और मध्य प्रदेश ने मध्य प्रदेश में बांधवा और मांड में विद्युत केन्द्र की स्थापना के लिए केन्द्र को एक संयुक्त प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) गुजरात और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारें संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश में निम्नलिखित ताप विद्युत केन्द्रों की स्थापना करने के लिए सहमत हो गई हैं :

(1) सीधी जिले में बान्धव ताप विद्युत केन्द्र जिसकी प्रारम्भिक क्षमता 2 × 500 मेगावाट और चरम क्षमता 4 × 500 मेगावाट है।

(2) रायगढ़ जिले में माण्ड ताप विद्युत केन्द्र जिसकी प्रारम्भिक क्षमता 2 × 210 मेगावाट और चरम क्षमता 6 × 210 मेगावाट है।

बान्धव स्कीम की अनुमानित लागत 990.60 करोड़ रुपए है, और माण्ड ताप विद्युत केन्द्र (2 × 210 मेगावाट) की अनुमानित लागत 370 करोड़ रुपए है। तकनीकी-आर्थिक अनुमोदन प्रदान करने से पूर्व, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने तथा आवश्यक निवेश सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ मामले उठाए हैं।

देश में उपलब्ध पेट्रोलियम गैस

5008. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1 मार्च, 1984 को कुल कितनी पेट्रोलियम गैस उपलब्ध थी और इसमें से कितनी गैस का किसी काम के लिए प्रयोग नहीं हो रहा था; और

(ख) इस अप्रयुक्त गैस का प्रयोग खाना पकाने की गैस के रूप में करने के लिए इससे प्रतिदिन कितने एल० पी० जी० गैस सिलेंडरों के भरे जाने की सम्भावना है और उसका मूल्य कितना होगा।

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) 1.1.1983 को सम्बद्ध तथा खुली गैस, दोनों के रूप में, प्राकृतिक गैस का प्राप्त किया जाने वाला कुल बकाया भंडार 475 बिलियन घन मीटर का था (1.1.1984 के भंडारों का अभी अनुमान

लगाया जाना है)। इस समय उपयोग में न लायी जा रही गैस की मात्रा लगभग 7.5 एम० एम० सी० एम० डी० है।

(ख) प्राकृतिक गैस को इस रूप में एल० पी० जी० गैस सिलेंडरों में नहीं भरा जा सकता है।

दिल्ली दूरदर्शन से हिन्दी तथा अंग्रेजी में किया गया प्रसारण

5009. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दूरदर्शन से किए जाने वाले कुल प्रसारणों में हिन्दी तथा अंग्रेजी दूरदर्शन प्रसारणों के लिए कितनी समयावधि निर्धारित की गई है;

(ख) दिल्ली दूरदर्शन प्रसारण के क्षेत्र के अन्तर्गत पुन: प्रसारण सहित आने वाली कुल जनसंख्या कितनी है; और

(ग) उनमें अंग्रेजी जानने वालों की संख्या कितनी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री च० के० एल० भगत) : (क) दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली हिन्दी भाषी क्षेत्र में स्थित होने के कारण अधिकांश कार्यक्रम हिन्दी में टेलीकास्ट करता है। इसके अलावा, यह अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। हिन्दी और अंग्रेजी में टेलीकास्ट करने के लिए कोई निश्चित समयावधि नहीं है। यह कार्यक्रमों की आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए भिन्न-भिन्न होती है।

(ख) दिल्ली के ट्रांसमीटर तथा अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटरों द्वारा कवर की जाने वाली जनसंख्या को दर्शाने वाला **विवरण संलग्न है।**

(ग) जनसंख्या में अंग्रेजी जानने वाले व्यक्तियों की संख्या जानने के लिए दूरदर्शन द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

विवरण

कवर की जाने वाली जनसंख्या लाखों में

क्रम सं०	केन्द्र का नाम	शहरी	ग्रामीण	कुल
1	2	3	4	5
1.	दिल्ली	88.52	108.82	197. 4
2.	मसूरी	36.46	104.42	140.88

1 2	3	4	5
3. पणजी	2.60	4.66	7.26
4. इलाहाबाद	2.56	12.85	19.41
5. अहमदाबाद	26.95	3.00	29.95
6. जम्मू	2.32	3.78	6.10
7. शिमला	0.70	1 65	2.35
8. देवरिया	0.55	11.42	11.97
9. सूरतगढ़	0.29	1.60	1.89
10. गोहाटी	2·00	5.10	7.10
11. इटानगर	0.24	0.84	1.08
12. गंगतोक	0.37	0.66	1.03
13. शिलांग	1.73	1.09	2.82
14. कोहिमा	0.36	0.80	1.16
15. इम्फाल	1.55	1.03	2.58
16. ऐजवाल	0.76	0.36	1.12
17. अगरतल्ला	1.31	2.00	3.31
18. माल्दा	0.94	9.49	10.43
19· पटना	10.34	13.61	23.95
20. भुवनेश्वर	2.19	4.95	7.14
21. पोर्टब्लेयर	0·50	0.03	0.53
22. काकीनाडा	3.40	3.74	7.14
23. त्रिवेन्द्रम	5.91	11.61	17.52
24. इन्दौर	8.27	4.24	12.51
25. भोपाल	6.72	1.56	8.28
26. ग्वालियर	5.73	2.00	7.73
27. आसनसोल	7.31	10.46	17.77
28. विजयवाड़ा	12.38	14.40	26.78

श्रीलंका से लौटे भारतीयों का पुनर्वास

5010. **श्री चिंतामणि जैना** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 और 1983 के दौरान कितने लोग श्रीलंका से भारत आये;

(ख) उनमें से कितने लोगों का पुनर्वास किया गया और उनका पुनर्वास कहां-कहां किया गया है;

(ग) उन्हें दी गई अन्य सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 1984 के दौरान कितने लोगों के लिए पुनर्वास व्यवस्था किए जाने की संभावना है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्म वीर) : (क) वर्ष 1982-83 और 1983-84 (10.3.84 तक) के दौरान क्रमश: 28,215 श्रीलंका प्रत्यावासियों के 7,576 परिवार और 23,410 श्रीलंका प्रत्यावासियों के 6,272 परिवार श्रीलंका से भारत आए हैं।

(ख) वर्ष 1982-83 और 1983-84 (जनवरी, 1984 के अन्त तक) के दौरान क्रमश: 8,578 और 5,558 प्रत्यावासी परिवारों को चार दक्षिणी राज्यों में विभिन्न योजनाओं में पुनर्वास प्रदान किया गया है।

(ग) उन्हें नकद बेकारी अनुदान, निःशुल्क भोजन, सस्ती दरों पर राशन, यात्रा रियायतों इत्यादि जैसी विभिन्न राहत सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

(घ) वर्ष 1984-85 के दौरान, 8000 प्रत्यावासी परिवारों को पुनर्वास सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है।

दण्डकारण्य परियोजना के उमरकोट जोन के अतिरिक्त कर्मचारियों का खपाया जाना

5011. **श्री चिंतामणि जैना** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य परियोजना के अधीन उड़ीसा में उमरकोट जोन में पुनर्वास कार्य पूरा किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो पुनर्वास कार्य में कितने व्यक्ति नियुक्त किए गये और कितने फालतू हो गये हैं; और

(ग) उन्हें खपाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्म वीर) : (क) दण्डकारण्य परियोजना के उमरकोट जोन में पुनर्वास कार्य लगभग पूरा हो गया है।

(ख) और (ग) स्टाफ को जोन-वार फालतू घोषित नहीं किया जाता है। दण्डकारण्य परियोजना में सम्पूर्ण स्टाफ स्थिति की समीक्षा के परिणामस्वरूप, 467 कर्मचारी फालतू घोषित किए गए हैं। इनमें से 4.7 कर्मचारियों को पहले ही रोजगार पर लगाया जा चुका है और चार कर्मचारियों ने स्वेच्छा से सेवा निवृत्ति ले ली है। शेष कर्मचारियों को उपयुक्त रोजगार दिलाने के लिए प्रयत्न जारी हैं।

न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न उद्योगों में श्रमिकों को दी जा रही मजूरी

5012. **श्री के० मालन्ना** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न उद्योगों के श्रमिकों को दी जा रही मजदूरी वर्तमान दरों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : एक विवरण संलग्न है जिसमें विभिन्न राज्यों/प्रशासनों में अनेक अनुसूचित रोजगारों में अकुशल वर्गों के श्रमिकों के बारे में निर्धारित की गई न्यूनतम मजदूरी दरें दिखाई गई हैं। [ग्रंथालय में रखा गया/**देखिए** संख्या एल० टी०—8017/84]

क्षय निरोधक औषधियों के मूल्यों में कमी करने सम्बन्धी नीति की समीक्षा

5013. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इथैमबटोल, रिफैम्पीसिन, माइरेजीनेमाइड और मारेफाजीनेमाइड जैसी क्षय-निरोधक औषधियों के मूल्यों को कम करने का है;

(ख) क्या देश में उत्पादित क्षय-निरोधक बल्क औषधियों तथा फार्मूलेशनों के केवल 40 प्रतिशत मार्क (अप) तक की अनुमति दी गई है, और यदि हां, तो रिफैम्पीसिन और पाइरेजीनेमाइड जैसी आयातित क्षय-निरोधक बल्क औषधियों पर आधारित दवाइयों के लिए 100 प्रतिशत मार्क अप की अनुमति देने की आवश्यकता और औचित्य क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि आयातित क्षय निरोधक औषधियों पर आधारित फार्मूलेशनों की सरकार द्वारा अधिक मार्क अप की अनुमति देने जाने के कारण देश में उत्पादित क्षय-निरोधक औषधियों के उत्पादन को भारी धक्का लगा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार क्षय-निरोधक औषधि के सम्बन्ध में नीति की समीक्षा करने का है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) रिफैम्पिसिन फार्मूलेशनों के मूल्यों में फरवरी 1984 में कमी की गई थी। जनवरी से मार्च, 1984 तक के दौरान भारित औसत आयात मूल्य के आधार पर अप्रैल के प्रथम सप्ताह में इन फार्मूलेशनों के मूल्यों की दुबारा पुनरीक्षा की जाएगी। इथैम्बूटोल और पाइराजिनामाइड बल्क के मूल्यों में कमी, यदि कोई हो, करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए मूल्यों की अलग से पुनरीक्षा की जा रही है। मार्फाजिनामाइड पूर्ण रूप से आयातित है फार्मूलेशन मूल्य मार्फाजिनामाइड के समय-समय पर आयात की अवरित लागत पर निर्भर करते हैं।

(ख) औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश 1979 के अनुसार पी० ए० एस० और आई०एन०एच० जैसी पुरानी टी० बी० औषधों को 40 प्रतिशत के मार्क-अप के साथ श्रेणी-I के अन्तर्गत स्पिशिप्ट रूप से सूचीबद्ध किया गया है। इसी प्रकार कैल्शियम बी० पी० ए० एस० का उल्लेख 55 प्रतिशत मार्क-अप के साथ श्रेणी-II के अन्तर्गत किया गया है। टी० बी० निरोधी औषधों को समूह के रूप में (अलग-अलग नामों से नहीं) डी० पी० सी० ओ० 1979 के अधीन श्रेणी-III में रखा गया है। इनमें से इथैम्बूटोल और पाइराजिनामाइड का अब स्वदेशी रूप से निर्माण किया जाता है और रिफेम्पिसीन का आयात किया जाता है। फार्मूलेशनों पर शिनाख्त किए गए लीडर्स के लिए 100 प्रतिशत मार्क-अप और नोन-कनफर्मिंग पैकों के लिए 60 प्रतिशत मार्क-अप हैं।

(ग) टी० बी० के मरीजों द्वारा टी० बी० निरोधी औषधों का प्रयोग थेराप्यूटिक क्षमता, उपचार की अवधि और तुलनात्मक मूल्य पर निर्भर करता है। टी० बी० निरोधी नई औषधों उपचार की अवधि को कम करती है और इसलिए परम्परागत टी० बी० निरोधी औषधों की तुलना में अधिक प्रचलित है।

(घ) राष्ट्रीय औषध और भेषज विकास परिषद् के परामर्श से समग्र औषध नीति की पुनरीक्षा की जा रही है।

अनधिकृत फार्मूलेशन तथा बल्क ड्रग तैयार करने वाली कम्पनियों के मामलों पर विचार करने के लिए कार्य दल का गठन

5014. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 भारतीय और विदेशी ड्रग कम्पनियों के पास जो 300 से अधिक फार्मूलेशन तथा चार बल्क ड्रग तैयार कर रही है, उपयुक्त औद्योगिक लाइसेंस नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका मन्त्रालय उनकी वैधता को सन्देहास्पद मानता है और इन मामलों में संभावित-कार्यवाही का सुझाव देने के लिए एक कार्य-दल का गठन किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या कार्य दल से अपनी रिपोर्ट जनवरी, 1984 के मध्य तक प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या कार्य दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ङ) अनधिकृत उत्पादन में लगी कम्पनियों के नाम क्या हैं; और

(च) उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) इस समय 29 औषध कम्पनियों, भारतीय और विदेशी, दोनों, द्वारा निर्मित 432 मदों को सदेहास्पद औद्योगिक अनुमोदनों वाला समझा गया है। इन कम्पनियों के नाम विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (च) सरकार ने सभी पहलुओं की जांच करने और की जा सकने वाली सम्भावित कार्यवाही का सुझाव देने के लिए एक अंतर-मन्त्रालय कार्यकारी दल गठित किया है। कार्यकारी दल 23 फरवरी, 1984 को अपनी अंतिम बैठक कर चुका है और रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत किए जाने की आशा है।

राष्ट्रीय औषध विकास परिषद के औद्योगिक अनुमोदनों से संबंधित कार्यकारी दल द्वारा इस समस्या पर भी विचार किया गया था।

राष्ट्रीय औषध विकास परिषद अपने कार्यकारी दल और उल्लिखित अंतर मन्त्रालय कार्यकारी दल की रिपोर्टों पर पुन: विचार करेगा। राष्ट्रीय औषध विकास परिषद की रिफारिशों के आधार पर सरकार उपयुक्त कार्यवाही करेगी।

विवरण

क्र० सं०	कम्पनी का नाम
1	2
1.	मै० हिन्दुस्तान सीबा गेगी लि०
2.	मै० फाइजर लि०
3.	मै० बुरोज वेलकम एण्ड कम्पनी (इण्डिया) प्रा० लि०
4.	मै० जोनसन एण्ड जोनसन आफ इण्डिया लि०

1	2

5. मैं० रिचर्डसन हिन्दुस्तान लि०
6. मैं० स्मिथ केलाइन एण्ड फ्रेंच (इण्डिया) लि०
7. मैं० बूट्स कम्पनी (इण्डिया) लि०
8. मैं० बेयर इण्डिया लि०
9. मैं० वेयथ लेबोरेटरीज लि०
10. मैं० सेन्डोज (इण्डिया) लि०
11. मैं० एलकली एण्ड कैमिकल्स कार्पो० आफ इण्डिया लि०
12. मैं० रोचे प्रोडक्ट्स लि०
13. मैं० सिनामिड इण्डिया लि०
14. मैं० पार्क डेविस (इण्डिया) लि०
15. मैं० यूनी चैम० लेबोरेटरीज लि०
16. मैं० अबोट लेबोरेटरीज लि०
17. मैं० रेलिस (इण्डिया) लि०
18. मैं० स्टेण्डर्ड फार्मास्युटिकल्स लि०
19. मैं० एस० जी० कैमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०
20. मैं० सारा भाई कैमिकल्स
21. मैं० बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०
22. मैं० ईस्ट इण्डिया फार्मास्युटिकल्स लि०
23. मैं० डाबर (डा० एस० के० बरमन) प्रा० लि०
24. मैं० सिनबायोटिक्स लि०
25. मैं० बोहरिंगर नील इण्डिया लि०
26. मैं० भण्डु फार्मास्युटिकल्स वर्क्स लि०
27. मैं० धुफर इन्टरफ्रान लि०
28. मैं० एस्ट्रा आई०डी०एल लि०
29. मैं० इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०

तेल का आयात

5015. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्षों के दौरान प्रत्येक देश से वर्षवार कितना तेल आयात किया गया; और

(ख) उसकी कीमत कितनी है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में आयात किए गए कच्चे तेल की मात्रा और उसकी लागत नीचे दी गई है :

मात्रा : मिलियन मी० टनों में
मूल्य : करोड़ रुपयों में

देश	1981		1982		1983*	
कच्चे तेल का कुल आयात	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
ईरान	6.0	1488.74	3.7	837.27	3.5	793.57
इराक	0.8	202.89	3.4	882.55	3.0	654.48
सऊदी अरब	2.9	622.38	6.8	1575.51	4.5	969.15
यू०एस०एस०आर०	2.3	563.72	1.9	442.26	3.5	793.81
यू०ए०ई०	1.8	452.81	1.3	329.68	0.9	210.14
वेनेजुएला	0.4	113.88	0.2	49.62	—	—
कुवैत	0.2	38.19	—	—	—	—
अल्जीरिया	1.0	278.82	—	—	—	—
मलेशिया	0.02	4.02	—	—	—	—
मेकिसको	0.1	28.38	—	—	—	—
जोड़	15.5	3793.83	17.3	4116.89	15.4	3421.15

*अस्थायी ।

उड़ीसा डाक तार विभाग के कर्मचारी संघ द्वारा ज्ञापन

5016. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने जनवरी, 1984 में उड़ीसा की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा डाक तथा तार विभाग के कर्मचारी संघ ने उनको कोई ज्ञापन दिया था;

(ग) यदि हां, तो उनको दिए गए ज्ञापन में क्या मांग की गई है; और

(घ) उनकी मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। डाक तार कर्मचारियों की अनेक शाखा यूनियनों से ज्ञापन प्राप्त हुए थे।

(ग) उनकी मांग दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) इनकी जांच की जा रही है।

विवरण

मांगों की सूची :

1. मंडल अधीक्षक, डाकघर भद्रक (श्री जगन्नाथ मांझी) के विरुद्ध (बालासोर, उड़ीसा) शिकायत।
2. उड़ीसा सर्किल में पोस्टमास्टर जनरल की नियुक्ति करना जो कार्यभार ग्रहण-कर कार्य देखें।
3. श्री बी० एस० बी० पटनायक के तारीख 17-12-83 के स्थानान्तरण आदेशों के कार्यान्वयन के लिए आदेश देना।
4. इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज संघटकों के उत्पादन के लिए टेलीफोन उद्योग की संस्थापना।
5. डाक-तार कालोनियों में सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।
6. उडीसा दूर-संचार सर्किल उड़ीसा में अलग स्टाक डिपो।
7. दूर-संचार सर्किल कार्यालय भुवनेश्वर में खाली पदों पर विचार करना।
8. सर्किल कार्यालयों में राजपत्रित काडरों में लिपिकीय स्टाफ के लिए पदोन्नति लाभ प्रदान करना।
9. उड़ीसा दूरसंचार सर्किल कार्यालय भुवनेश्वर में कर्मचारियों की मकी।
10. भर्ती समस्यायें।
11. सर्किल कार्यालय में विभागीय पुस्तकालय की स्थापना।
12. भुवनेश्वर में रेल डाक सेवा मंडल मुख्यालय के लिए स्थान तय करना।
13. काला हांडी जिले में डाक मंडल।
14. भुवनेश्वर नगर को बी-2 श्रेणी का नगर घोषित करना।
15. वेतनमान में संशोधन।

16. सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा ।

17. क्वार्टर उपलब्ध कराना ।

18. राज्य में विकास कार्य ।

19. कटक में 1000 लाइनों का अंकीय इलेक्ट्रानिक टी० एक्स० की संस्थापना ।

20. भुवनेश्वर में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन उद्योग ।

21. आवास ।

22. सुविधाएं जैसे—स्टाफ डोरमीटरी, रेस्ट रूम, क्लब, कैंटीन और शौचालय आदि ।

23. **अन्य समस्याएं** : (कर्मचारियों की कमी, विभागीय मानका का उल्लंघन, और साइकिल अग्रिम, स्कूटर अग्रिम, मकान अग्रिम आदि की रकम में वृद्धि करना) ।

24. **क्लैरिकल पदों के मानकों की परिगणना :**
तारघरों में तार सहायक के पद ।

25 गैर सिगनलिंग जोनल डी० टी० ओ० खोलना ।

26. छोटे डी० टी० ओ० को अलग-अलग करना ।

27. क्लैरिकल पदों को भरना ।

28. डाक-तार सर्किल कार्यालयों में पदों के सृजन पर लगी रोक हटाना ।

29. भुवनेश्वर स्थित यूनिट-4, डाक-तार कालोनी में आडोटेरिम सहित कम्युनिटी हल की व्यवस्था करना ।

30. भुवनेश्वर स्थित यूनिट-4, डाक-तारकालोनी में "चिल्ड्रेन पार्क" बनाना ।

31. डाक-तार औषधालयों में विशेषज्ञों की सेवा उपलब्ध करना ।

32. दूरसंचार सर्किल, उडीसा के लिए अलग स्टोर डिपो बनाना ।

33. भुवनेश्वर फोन मंडल का सृजन ।

34. स्टील एथारिटी आफ इंडिया द्वारा संचालित राउरकेला के विद्यालयों में वहां तैनात डाक-तार कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा की सुविधा न प्रदान कराना ।

35. पुरी में डी० टी० ओ० खोलना ।

36. उड़ीसा में डी० ई० टी० कार्यालय के लिए विभागीय इमारत का निर्माण ।

37. संयुक्त सलाहकार तंत्र में बी० पी० टी० ई० को प्रतिनिधि की मंजूरी ।

38. कार्य क्षमता में सुधार की दृष्टि से तकनीशियनों के काडर में औचित्यपूर्ण पदों का भरना ।

39. उड़ीसा सर्किल में सभी डाक-तार कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों का निर्माण।

40. एक्सचेंजों में कार्यभारी तकनीशियनों को उनके पदों से सम्बद्ध क्वार्टरों की व्यवस्था।

41. सर्किल दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र, भुवनेश्वर का आवास सुविधा सहित विस्तार कर राज्य के प्रशिक्षार्थियों को बाहर जाने से रोकना।

42. डाक-तार सिविल विंग से अनुरक्षण कार्य सर्किल अध्यक्षों को सौंपना।

43. सर्किल कार्यालयों में पदों के सृजन पर लगी रोक हटाना।

44. जोनल आफिसों से भर्ती कार्य सर्किल अध्यक्षों को अन्तरित करना।

45. डाक-तार कालोनी भुवनेश्वर में कम्यूनिटी हाल का निर्माण।

46. भुवनेश्वर में अविवाहितों के लिए हास्टल का निर्माण।

47. आई० पी० ओ० काडर से ए० एस० पी० ओ० काडर में पदोन्नति।

48. पदोन्नति के अवसर।

49. नये एच० पी० ओ० खोलना तथा इसका एस० बी० सी० ओ० पर प्रभाव।

50. स्थानान्तरण दायित्व।

51. निजी मामले।

52. एस० बी० सी० ओ० के लिए स्थान।

53. एस० बी० सी० ओ० में ग्रेड "डी" पदों का सृजन।

54. एस० बी० सी० ओ० के लिए लोहे की अलमारियों और जमा और सूची तैयार करने वाली मशीनों की आवश्यकता।

55. उड़ीसा राज्य के सीमा क्षेत्र में अतिरिक्त पदों का सृजन।

56. बार इंजीनियरी सेवा ग्रुप "ख" से भारतीय तार सेवा ग्रुप "क" में पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति सीमित।

57. तार इंजीनियरों सेवा ग्रुप "ख" के अधिकारियों को भारतीय तार सेवा ग्रुप "क" में पदोन्नति देते समय महत्त्व प्रदान करना।

58. तार इंजीनियरी सेवा ग्रुप के लिए सेलेक्शन ग्रेड।

59. मंडल इंजीनियरों के वाहनों की जांच।

60. आवास के लिए टाइप आवास की व्यवहार्यता।

61. मंडल इंजीनियरों के अधीन सर्किल दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र और तार स्टोर डिपो बनाना।

बेहतर राष्ट्रीय अल्कोहल नीति अपनाने के लिए उपाय

5017. **श्री के० मालन्ना :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्यनिषेध नीति में छूट देने तथा उद्योगों में और पेयों के लिए प्रयोग किये जाने वाले अल्कोहल पर एक समान शुल्क लगाने के कारण अल्कोहल पर आधारित रासायनिक उद्योगों पर उसका प्रतिकूल प्रभाव हुआ है;

(ख) क्या सरकार ने बेहतर राष्ट्रीय अल्कोहल नीति अपनाने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) से (ग) : यद्यपि पेय प्रयोजनार्थ अल्कोहल की मांग में वृद्धि की प्रवृत्ति है गत दो अल्कोहल वर्षों के दौरान अल्कोहल की उपलब्धता औद्योगिक और पेय प्रयोजनार्थ मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त रही है। अल्कोहल पर उपकरों की उच्च दरें जैसे कुछ पहलुओं के कारण औद्योगिक प्रयोजनार्थ अल्कोहल का उठान सन्तोषप्रद नहीं है।

वर्तमान अल्कोहल वर्ष 1983-84 (दिसम्बर-नवम्बर) के लिए अधिकता वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों को अल्कोहल का अन्तर-राज्य आवंटन करते समय औद्योगिक प्रयोजनार्थ पूरी मांग को ध्यान में रखा गया है जबकि पेय प्रयोजनार्थ मांग को गत अल्कोहल वर्ष की वास्तविक खपत तक सीमित रखा गया है।

अल्कोहल उद्योग और अल्कोहल पर आधारित उद्योग के विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर भारत सरकार, राज्य सरकार तथा प्रयोगकर्ता उद्योगों के बीच सुस्थिर अन्तर-कार्यवाही के माध्यम से एक सहयोगात्मक आधार तैयार करने के लिए भारत सरकार ने फरवरी, 1983 में निम्नलिखित पर तीन कार्यकारी दलों की स्थापना की थी :

(क) उपकर और शुल्क;

(ख) शीरे का भण्डारण; और

(ग) क्षमता उपयोग।

दो कार्यकारी दल अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर चुके हैं और उन पर केन्द्रीय शीरा बोर्ड द्वारा दिनांक 6-1-1984 को अपनी बैठक में विचार किया जा चुका है। तीसरे कार्यकारी दल द्वारा शीघ्र ही रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की आशा है।

गुट निरपेक्ष देशों के सूचना मंत्रीयों के जाकार्ता सम्मेलन में किए गए विषयों पर चर्चा

5018. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 फरवरी, 1984 के दैनिक "हिन्दुस्तान" में "नई सूचना व संचार व्यवस्था के लिए प्रयास होंगे" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन मुद्दों का ब्यौरा क्या है जिन पर जकार्ता सम्मेलन में विचार विमर्श किया गया तथा इस बारे में निष्कर्ष क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्यमंत्री (श्री एच०के०एल० भगत): (क) जी, हाँ।

(ख) गुट-निरपेक्ष देशों के बीच सूचना और संचार के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा दूरसंचार शुल्कों को कम करना, गुट-निरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल तथा गुट-निरपेक्ष देशों के प्रसारण संगठन (बी०ओ० एन०ए० सी०) के कार्यकरण की समीक्षा और गुट-निरपेक्ष देशों के बीच समन्वय के लिए अन्तः सरकारी परिषद के लिए मानदंड निर्धारित करना, सम्मेलन की कार्य-सूची के मुख्य विषय थे।

सम्मेलन ने सूचना के अन्तर्राष्ट्रीय प्रवाह में असंतुलनों और संचार क्षमताओं में असमानताओं को ठीक करने हेतु ठोस योगदान के लिए गुट-निरपेक्ष देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता और पारस्परिक सहयोग के सिद्धान्तों के महत्व पर बल दिया। सम्मेलन ने, अन्य बातों के साथ-साथ, समाचार एजेंसी पूल, गुट-निरपेक्ष देशों के प्रसारण संगठन, दूर संचार शुल्क कम करने तथा मुद्रण माध्यमों और फिल्मों में सहयोग से संबंधित कार्यवाई कार्यक्रम भी पारित किया। इसने यह भी सिफारिश कि जो देश गुट-निरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल के लिए पुनर्वितरण केन्द्रों के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनके संचार और सूचना मंत्री दूरसंचार शुल्क कम करने संबंधी व्यवहारिक प्रस्तावों को तैयार करने के लिए इस वर्ष अपनी बैठक करें। सम्मेलन में सूचना और संचार के क्षेत्र में गुट-निरपेक्ष देशों के बीच गतिविधियों का समन्वय करने के लिए अन्तः सरकारी परिषद के लिए मानदंडों को भी अंतिम रूप दिया। इसने युनेस्को के समर्थन में और गुट-निरपेक्ष देशों के विरूद्ध विरोधी प्रसारणों के साधन के रूप में रेडियो के उपयोग के विरूद्ध भी संकल्प पारित किए। सम्मेलन ने जनसम्पर्क माध्यमों के लिए जकारता अपील भी पारित की जिसमें इस बात के लिए सहमति प्रतिविम्बित की गई है कि माध्यम गतिविधि मानवता के सामान्य हित के लिए होनी चाहिए।

विदेशी कम्पनीयों द्वारा अपने काम-काज में विविधता लाना

5019. **श्री बी०वी० वेसाई** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग सभी विदेशी औषध कम्पनियां "फेरा" जाल से बाहर निकलने के लिए स्वयं अपनी इक्विटी को कम करके 40 प्रतिशत तक कर सकती है और व्यापारिक और वाणिज्यिक काम-काज में विविधता ला सकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उन पर प्रतिबन्धीत "लाइसेंसिंग" निर्यात दायित्वों और मूल्य नियंत्रण के जरिए डाले जा रहे दबाव के कारण ये कम्पनियां "फेरा" से बाहर निकलना अधिक उपयुक्त समझती हैं;

(ग) क्या भारतीय औषध कम्पनियों ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि चालीस प्रतिशत विदेशी इक्विटी वाली कम्पनियों को उनके समक्ष न समझा जाए;

(घ) क्या यह भी सच है कि विद्यमान चालीस प्रतिशत विदेशी इक्विटी कम्पनी को व्यापारिक और वाणिज्यिक कार्य-कलापों में विविधता लाने से रोकने वाला कोई कानून नहीं है; और]

(ड़) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या अन्य उपाय किए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) (क) तथा (ख), (घ) और (ड) कुछ विदेशी औषध कम्पनियों ने स्वैच्छिक रूप से अपनी प्रत्यक्ष विदेशी साम्य पूंजी को 40 प्रतिशत या उस से कम कर दिया है कुछ अन्यों द्वारा भी ऐसा ही करने की संभावना हैं।; 40 प्रतिशत तक की प्रत्यक्ष विदेशी साम्य पूंजी वाली कम्पनियां विदेशी पूंजी विनियम अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नहीं आती और इस प्रकार वे, वर्तमान नियमों एवं विनियमों के अधीन, व्यापारिक और वाणिज्यिक काम-काज में विविधता ला सकती है।

(ग) दि इंडियन ड्रग्स मैन्यू फेक्चरर्स एसोएशियन ने इन सम्बन्ध में अभ्यावेदन दिया है।

एकाधिकार गृह का उनके पूंजि निवेश सहित ब्यौरा

5021. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक एकाधिकार गृह तथा उनके कुल पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है ?

विधि, याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) उन कम्पनियों की प्रदत्त पूंजी (औद्योगिक घरानों के अनुसार) जो 31-12-1982 तक एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं, संलग्न विवरण में प्रदर्शित की जाती हैं।

विवरण

उन कम्पनियों की प्रदत्त पूंजी को दर्शाता हुआ विवरण-पत्र (औद्यवोगिक घरानों के अनुसार) जो एकाधिकार तथा अवरोधक

व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत 31-12-1982 तक पंजीकृत हैं।

(करोड़ रु० में)

1	2	3	4
औद्योगिक घराने का नाम	प्रदत्त पूंजी	औद्यमोगिक घराने का नाम	प्रदत्त पूंजी
टाटा	248.33	एस्कोर्टस	23.24
बिड़ला	174.25	युनाइटेड ब्रेबरीज	18.35

1	2	3	4
जे०के० सिघानिया	52.43	फिलिप्स	22.15
मफतलाल	86.80	जी०के०डब्ल्यू०	17.67
रिलियान्स टेक्सटाईल	25.22	गोदरेज	10.91
ए०सी०सी०	416.19	अहमदाबाद इलैक्ट्रिसिटी	12.16
थापर	58.65	नाइडू जी०वी०	20.66
आई०सी०आई०	64.13	वी०रामाकृष्णा	12.36
साराभाई	31.26	यूनियन कार्बाइड	32.58
मोदी	34.75	गरवारे	19.26
किर्लोस्कर	37.80	मेंकनील एण्ड मैगर	14.36
बांगुर	27.2	ई०आइ०डी० पैरी	16.51
बजाज	22.66	आत्रराय(एम०एस०)	14.83
श्रीराम	31.19	रौनक सिंह	15.99
लार्सेन एण्ड टोब्रो	30.75	मैटल बाक्स	9.48
अशोक लेलैण्ड	19.33	सालगावकर	15.02
हिन्दुस्तान लीवर	33.52	नौरोजी वाडिया	12.82
टी०वी०एस० आर्यगर	36.21	वी०एस०डेम्पो	7.56
वालचन्द	19.33	ब्रुक बांड	20.29
महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा	22.87	गोइन्का के०पी०	7.97
आई०टी०सी०	33.78	श्री अम्बिका	8.60
डनलप	15.84	कमानी	5.58
सिंधिया	19.27	मुरूगप्पा चैटिट्यार	9.82
खटाऊ	22.31	कोठारी	8.10
चौगुले	25.71	जी०ई०सी०	12.34
कस्तुर भाई लाल भाई	19.77	मदुरा कोट्स	11.80
भिवन्डीवाला (ए०एच०)	26.19	गोल्डन टोबाकु	5.31
सिम्पसन	1.515	शाइ जैन	6.56
एम०ए० चिदम्बरम	7.07	जार्डेन हेन्डरसन	6.13
थिया	11.67	सोमानी	4.51

1	2	3	4
एपीजे	4.86	आन्ध्र शुगर	7.06
वजीर सुलतान	7.37	शेशा शायी	5.79
किलाचन्द	10.93	बैस्ट एण्ड क्राम्पटन	3.87
रैलिस	8.79	ठाकरसी	4.14
सोमाइया	5.44	क्लोराइड इंडिया	8.31
सूरजमल नागरमल	4.79	सेन्ट्रल पल्प	5.01
शा वालेस	12.39	एस्बेस्टो सीमेन्ट	4.95
बर्ड	9.42	धरमसी मोरारजी	6.96
स्वीडिश मैच	9.33	टीटागढ़ जूट	6.38
भीलवाड़ा	10.40	मोहन मीकिन	4.25
एन०आर०सी०	7.86	नायडू वी०आर०	7.09
उड़ीसा सीमेन्ट	3.13	पीरामल	4.44
फेरो अलायज	4.02	दवे आशमोरे	2.38
भारत विजय मिल्स	2.25	गोकाक पटेल	3.77
गुजरात स्टील टयूब	4.20	वर्धमान ओसवाल	1.52
ओसवाल वूलेन मिल्स	1.48	सरस्वती इण्डस्ट्रियल सिंडीकेट	2.26
मद्रास सीमेन्ट	5.55	बी०डी० सोमानी	4.98
प्रताप लाल भोगीलाल	4.41	गिलेन्डर्स अर्बुथान्ट	3.94
फाइजर	11.72	आई०एम०एफ०ए०	0.90
ऊषा मार्टिन ब्लैक	4.49	गोइल्का आर०एन०	1.16
साहनी	2.85	डब्यु०जी० फोराज	3.91
ज्योती	3.70	अमर डाई कैम	4.17
एस०पी०जैन	7.43	सनदुर मैगनीज	2.30
ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन	4.68	मैकलीड रसल	4.76
श्वान मिल्स	2.56	मलयालम प्लान्टेशन	3.25
पंजाब ट्रैक्टर	1.84		

हिन्दी टंकण (टाइपराइटिंग) प्रशिक्षण के सम्बन्ध में संदर्भ पुस्तक

5022. **श्री केशवराव पारधी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के सहयोग से हिन्दी टंकण प्रशिक्षण के संबंध में प्रकाशित एक पुस्तक रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को भेजी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो संदर्भ पुस्तक के रूप में इस पुस्तक को स्वीकृत करने के क्या कार हैं;

(ग) क्या नवीनतम "की बोर्ड" वाले टाइपराइटरों पर प्रशिक्षण हेतु कोई पाठ्यपुस्तक निर्धारित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या प्रशिक्षण को अद्यतन बनाने की दृष्टि से यह कदम उठाया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा प्राप्त की गई और व्यवसाय समिति की सिफारिशों पर निर्धारित पुस्तकों की एक सूची, जिसे राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा स्वीकृत किया गया था, संलग्न है।

(ख) इन पुस्तकों को, जिन्हें राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा स्वीकृत किया गया था, व्यवसाय समिति द्वारा निर्धारित किया गया।

(ग) संलग्न विवरण में देखी जाए।

(घ) जैसा कि, उपर्युक्त "ख" में निर्दिष्ट है।

(ङ) व्यवसाय समिति, प्रशिक्षणार्थियों को कुशल और सैद्धान्तिक प्रशिक्षण प्रदान करने संबंधी आवश्यकताओं के बारे में विचार करती है। इस समिति द्वारा अद्यतन प्रशिक्षण प्रदान करने की दृष्टि से आवश्यक पुस्तकों की सिफारिश की जाती है और उन्हें राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

विवरण

पुस्तकालय हेतु संस्तुत पुस्तकें

1. मानक आशुलिपि	राजभाषा विभाग, गृह मन्त्रालय, भारत सरकार,
2. मानक आशुलिपि की कुंजी	,,
3. मानक उच्च गति अभ्यास	,,
4. देवनागरी टाइपराटिंग प्रशिक्षक	,,

संदर्भीय पुस्तकें

1. विशिष्ट आशुलिपि कुन्जी सहित	गोपाल दत्त बिष्ट
2. नवीन आशुलिपि कुन्जी सहित	पिटमैन शार्टहैण्ड स्कूल
3. हिन्दी टाइपराटिंग प्रशिक्षक एवं कार्यालय सहायिका	गोपाल दत्त बिष्ट
4. नवीन देवनागरी टंकण कला एवं टंकण कालागति वर्धक अभ्यास	आर० सी० कुठियाला
5. टंकण कलागति एवं परिशुद्धता	पिटमैन शार्टहैंड स्कूल
6. हिन्दी शार्टहैंड शब्दकोश (यदि कोई हो)	
7. हिन्दी शार्टहैंड मैनुअल एवं कुन्जी	प्रो० एम० पी० सिंह
8. हिन्दी संकेत लिपि एवं कुन्जी	प्रो० ऋषि लाल अग्रवाल
9. पिटमैन त्वरा लेवन	पिटमैन हाउस, लन्दन

10. रिपोर्टिंग ऐक्सपिडियेंट्स इन हिन्दी शार्टहैंड लोक सभा सचिवालय

11. अन्य कोई पुस्तक जो अनुदेशकगण संस्तुत करना चाहें।

12. हिन्दी शब्द-कोश

13. अंग्रेजी-हिन्दी शब्द-कोश

14. प्रशासनिक एवं तकनीकी शब्दावली

15. कार्यालय सहायिका (केन्द्रीय हिन्दी परिषद)

16. हिन्दी के डिबेट

17. गणमान्य व्यक्तियों के भाषण

राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में सूचना केन्द्र स्थापित करना

1023. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान राज्य में स्थापित सूचना केन्द्रों का कार्य क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र जो कि विशाल सीमावर्ती क्षेत्र हैं, में कोई सूचना केन्द्र नहीं है;

(ग) यदि हां, तो उसकी उपेक्षा करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन क्षेत्रों में कब तक सूचना केन्द्र खोले जाएंगे और वहां के निवासियों को देश की जागृति के बारे में सूचना उपलब्ध कराई जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) पत्र सूचना कार्यालय का राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में कोई सूचना केन्द्र नहीं है । तथापि, जोधपुर में सूचना कार्यालय-त्र-केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) देश के विभिन्न स्थानों पर सूचना केन्द्रों की स्थापना प्रचालन आवश्यकताओं और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है । इस कसौटी की पूर्ति अधिकांशतया न तो बाडमेर द्वारा की जाती है और न ही जैसलमेर द्वारा।

दिल्ली और राजस्थान के जिला मुख्यालयों के बीच टेलीफोन सेवा

5024. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में जयपुर, जोधपुर और अलवर जिलों को छोड़कर दिल्ली से शेष 27 जिलों में से किसी भी एक जिले के लिए टेलीफोन संपर्क स्थापित करने में 8 से 20 घंटे लग जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप राजस्थान के संसद सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों से संपर्क स्थापित करने में बड़ी कठिनाई होती है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए डाक-तार विभाग द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय० एन० पाटिल) ; (क) जी नहीं। दिल्ली में राजस्थान के 24 जिलों के लिए प्राथमिकता ट्रंक कालें आधा घंटे के भीतर मिल जाती हैं । तत्काल तथा सामान्य ट्रंक कालों में औसत विलम्ब क्रमशः 2 से 3.45 घंटे तथा 2 से 5 घंटे तक है।

(ख) उपर्युक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए यह लागू नहीं होता।

देवघर बिहार में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करना

5025. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय प्रसारण के विस्तार के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बिहार के संथाल परगना प्रमंडल के अन्तर्गत ऐतिहासिक एवं धार्मिक जिला मुख्यालय देवधर (वैद्यधाम) में एक दूरदर्शन केन्द्र (ग्रहण एवं विस्तारण) शीघ्र स्थापित किया जाएगा ;

(ख) क्या दूरदर्शन के इन कार्यक्रमों से गिरिडीह, जामताड़ा, डुमका और जमुई अनुमंडल के लाखों ग्रामीण किसानों को दूरदर्शन सेवाओं का लाभ मिलेगा क्योंकि ये स्थान प्रस्तावित केन्द्र से 30-70 कि० मी० की परिधि में आ जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या देवधर जैसे प्रसिद्ध स्थान पर आदिवासियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लाभ के लिए शीघ्र एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) सन्थाल परगना जिले के बड़े भाग को आसनसोल और मुर्शिदाबाद में लगाए जा रहे उच्च शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटरों द्वारा कवर किए जाने की उम्मीद है।

(ग) चालू योजना की स्कीमों के कार्यान्वित हो जाने पर, बिहार की लगभग 75 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन सेवा प्राप्त होने की उम्मीद है। देवधर सहित बिहार में दूरदर्शन सेवा का और विस्तार करने के बारे में विचार संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए भावी योजनाओं में किया जायेगा।

1982-83 और 1983-84 के दौरान भारत कोकिंग कोल लि० और सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० में शुरू की गयी सामुदायिक विकास योजनाएं

5026. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान भारत कोकिंग कोल लि० और सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० में शुरू की गई सामुदायिक विकास योजनाओं के (क्षेत्र विकास कार्यक्रम) स्थान-वार नाम क्या हैं, और क्या ये योजनाएं पूरी हो गई हैं, यदि नहीं, तो उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजनाओं में 8 किलोमीटर की परिधि में आने वाले क्षेत्र को ले लिया गया है और जो धनराशि उस पर खर्च की जा रही है वह सर्वथा अनुचित तथा अपर्याप्त है; और

(ग) क्या निर्धारित परिधि में पिछड़े गांवों के विकास के लिए कुल परियोजना परिव्यय का 2 प्रतिशत उस महत्वपूर्ण अपेक्षित सामुदायिक कार्यक्रम के लिए निर्धारित करके गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों के साथ न्याय किया जाएगा ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० के 11 क्षेत्रों में निम्नलिखित सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किए गए थे और कार्यान्वित किए गए थे :

(1) स्वयं रोजगार योजना और प्रशिक्षण

(2) पीने के जल की सुविधा।

(3) प्राथमिक शिक्षा।

(4) स्वास्थ्य देखभाल।

(5) गांवों को सड़कों से जोड़ना।

कम्पनी की संस्थापनाओं के चारों ओर 8 कि० मी० की परिधि में आने वाले 112 गांवों (संलग्न विवरण के अनुसार) में विस्तृत भौतिक सर्वेक्षण और अग्रता निश्चित करने के बाद सामुदायिक विकास योजना के अधीन विकास कार्य शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम में अ० जा०/अ० ज० जा० परिवारों की 80% से अधिक जनसंख्या आ जाती है। वर्ष 1982-83 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर लगभग रु० 48 लाख खर्च किया गया। कम्पनी ने 1982-83 के रु० 50 लाख के आवंटन को बढ़ाकर 1983-84 में रु० 55 लाख कर दिया है। चूंकि कम्पनी पर पहली जिम्मेदारी तो कोयला उत्पादन की है, इसलिए वह इस स्थिति में नहीं है कि परियोजना के आस-पास के गांवों के विकास की सारी जिम्मेदारी ले सके।

भा० को० को० लि० के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० में सामुदायिक/ग्रामीण विकास के लिए निर्दिष्ट गांवों की सूची :

(1) कुजु	(2) अरगदा	(3) हजारीबाग	(4) बरकाना
खेरा जोरा	डी० डी० ए०	इद राजरवा	बलुदरा
बोंगाहारा	सिरका	बहेरा	जयनगर
कुमरिया	मांझीटोला	तापिन	मठगामा
केरीबांडा	दारी	केडला	देवरिया
चैनपुर	मिशराइन मोरहा	पराशेरा	शाकुल
(5) तालचेर	टोंगी	नवडीह	उरिमारी
डेरा	बुद्ध बाजार	परेज	चिकोरा
हांडीधुआ	(6) राजरप्पा	रहवन	पतुरातु
बादसिंगदा	सउदी	पछमी	कुरसे

गोबरा
देउलबेरा
गोपीनाथपुर
बलकंडा
बादाजोरदा

भुपुनडीह
माउल
लारे
चित्रापुर
चालीटोला
पोना

सुरदाग
लेहकडीह
लाइयो
धोसी

(7) सिंगरौली

चिलकाटांड
खडिया
कोसा
परसवारराजा
जोगीचूरा
भैरमा
मरहोली
झींगुरदा

(8) बी० एण्ड के०

अनवाली
झुंगको
चलकारी
पिचरी
अमलो
कारो
जारीडीह
बेरमो
घीवीडीह
केडोमीखुर्द
खुटबाचब
भूरियाडीह
नदमाडीह
सिंगरबेरा
परताडीह
जितीयाटांड
कपराटांड
सरमपुर

(9) एन० के०

भैंसालांग
कुटकी
बछेरा
कोरेगोरा
चापर
लोहरा
चरिस्थान
बैठरवा
लोनका
रहनिया टर्नी
लोपरा
नवडीह

(10) घोरी

घोरी
चामरी
नवादीन
मोकोली
अमीलो
गुजरडीह
तामरी
तुरिया
पिचरिया
बारुलवेरा
कल्याणी

(11) कठारा

बोरिया
कठारा
मोहलीबांध
बंदबस्ती
भिरकी
असनापानी
खेटको
चम्पी
चापरगाडा
हजारी
होसिर
सायुवेरा
नैनातारिस
खुदगहडा

पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रिक्त स्थानों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और महिला उम्मीदवारों से भरा जाना

5027. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना/रांची उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के 15 रिक्त स्थानों में से बारह को भर दिया गया है और अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षित तीन रिक्त स्थानों को नहीं भरा गया है ;

(ख) क्या इन आरक्षित रिक्त स्थानों के लिए पटना उच्च न्यायालय में पिछले सोलह वर्षों से प्रेक्टिस कर रही पिछड़े वर्गों की अनेक सुविख्यात महिला अधिवक्ता उपलभ्य हैं ;

(ग) क्या पारिवारिक न्यायालय स्थापित न किए जाने के परिणामस्वरूप दहेज और महिलाओं की अन्य समस्याओं सम्बन्धी मामलों को निपटाने में विलंब हो रहा है ; और

(घ) यदि भाग (क), (ख) और (ग) के उत्तर सकारात्मक हों, तो क्या सरकार का न्यायाधीशों के इन तीन रिक्त स्थानों को मार्च, 1984 तक भरने का विचार है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगनाथ कौशल) : (क), (ख) और (घ) पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या 35 है। 26.3.84 को 34 न्यायाधीश पदासीन थे और 1 रिक्त पद भरा जाना था। सरकार संविधानिक प्राधिकारियों से परामर्श करके विद्यमान रिक्त पद को भरने के विषय में विचार कर रही है।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियां संविधान के सुसंगत उपबंधों के अनुसार की जाती हैं। इनमें किसी वर्ग, जाति या समुदाय के आरक्षण के लिए कोई उपबंध नहीं है।

(ग) अपेक्षित जानकारी अभी बिहार सरकार से प्राप्त होनी है और प्राप्त होते ही वह सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

काकीनाडा में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का कार्यालय खोलने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार का अनुरोध

5028. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से आंध्र प्रदेश में काकीनाडा में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का कार्यालय खोलने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्यालय कब तक खोला जाएगा।

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, क्षेत्र में अपने परिचालनों का प्रबन्ध करने के लिए एक उपयुक्त आधार स्थान का चुनाव कर रहा है। इस आधार की स्थापना कब तक की जाएगी, यह निश्चित रूप से बताना संभव नहीं है।

1000 मेगावाट के "पिटहैड" ताप केन्द्रों की स्थापना में ब्रिटेन की भागीदारी

5029. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने भारत में 1000 मेगावाट के एक पिटहैड सुपर ताप केन्द्र की स्थापना में भाग लेने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब स्थापित किया जाएगा ?

उर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की रिहन्द सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-एक (2×500 मेगावाट) ब्रिटिश सहायता से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थापित की जा रही है।

सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्मों को मंजूरी दिया जाना

5030. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लुरी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड बम्बई ने वर्ष 1981, 1982, 1983 के दौरान और फरवरी, 1984 तक कितनी फिल्मों को स्वीकृति देने से मना किया और प्रत्येक फिल्म के मामले में स्वीकृति देने से मना करने के क्या कारण रहे ;

(ख) केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के पास कितनी अपीलें लम्बित हैं ; और

(ग) उन फिल्मों को कब तक स्वीकृति मिल जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) चलचित्र अधिनियम, 1952 के अनुसार, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध अपील फिल्म प्रमाणन अपील ट्रिब्यूनल के पास की जा सकती है जिसका गठन 21-3-1984 को कर दिया गया है। पहले प्राप्त दो अपीलें पैंडिंग हैं और उनका निपटान यथाशीघ्र कर दिया जाएगा।

विवरण

कैलेन्डर वर्ष 1981, 1982 और 1983 के दौरान तथा फरवरी, 1984 तक केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा जिन फिल्मों को पास करने से मना कर दिया गया उनकी सूची।

क्रम सं.	फिल्म का शीर्षक	पास करने से मना करने के कारण	कैफियत
1	2	3	4
वर्ष 1981 :			
भारतीय फीचर फिल्म :			
1.	ओवम (तमिल)	अशिष्टता, अश्लीलता और भ्रष्टता।	काट-छांट के साथ संशोधित रूपांतर को "ए" प्रमाणपत्र प्रदान किया गया।
भारतीय लघु फिल्म :			
2.	दि चेंजिंग फैजिज (अंग्रेजी)	फिल्म में विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों से सम्बन्धित उपबन्धों का उल्लंघन है।	—
विदेशी फीचर फिल्में :			
3.	हार्डकोर (संशोधित) (अंग्रेजी)	अशिष्टता, अश्लीलता और अनैतिकता।	—
4.	एक्जिट दि ड्रेगन, ऐन्टर दि टाइगर (संशोधित) (अंग्रेजी)	हिंसा, नृशंसता, क्रूरता और कामुकता।	1982 के अन्तर्गत क्रम संख्या 10 के सामने की टिप्पणी देखी जाए।
5.	ओरियंट बाई नाईट (संशोधित) (अंग्रेजी)	अशिष्टता और अनैतिकता।	—
6.	दि होमकिमग (अंग्रेजी)	अश्लीलता, अशिष्टता और भ्रष्टता।	—
7.	विडोज (अंग्रेजी)	अश्लीलता और अनैतिकता।	—

1	2	3	4
8.	आपरेशन भंडार बोल्ट (अंग्रेजी)	फिल्म में विदेशों के साथ मैत्री पूर्ण सम्बन्धों से सम्बन्धित उपबन्धों का उल्लंघन।	आवेदनपत्र वापस ले लिया गया था
9.	दि विजिटर (अंग्रेजी)	अलौकिक तत्वों सहित आतंक और हिंसा।	—
10.	दि स्टार आफ होप (अंग्रेजी)	फिल्म में विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों से सम्बन्धित उपबन्धों का उल्लंघन।	—
11.	पेरिस आफ डैथ (अंग्रेजी)	हिंसा, क्रूरता और आतंक	काट-छांट के साथ संशोधित रूपांतर को "ए" प्रमाणपत्र प्रदान किया गया।
12.	जरनी टु दि स्काई (अंग्रेजी)	फिल्म से भारत के कुछ धार्मिक समूहों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की सम्भावना है जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है।	—
13.	इल फेमडो जुबिली 5 (रूपांतर)	फिल्म में विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों से सम्बन्धित उपबन्धों का उल्लंघन है।	—
14.	कोलुजन (7 रूपांतर)	—तथैव	—
15.	राबरी अमेरिकन स्टाईल ओग्राबलेनी पो अमेरिकंस्की) (अंग्रेजी)	—तथैव	—
16.	फ्राम रेड स्क्वेयर टु रेड रिवर (अंग्रेजी)	—तथैव	—

1	2	3	4
वर्ष 1982 :			
भारतीय फीचर फिल्में :			
1.	नान सूतिया मलार (तमिल)	कालेज छात्रों का महिलाओं के साथ छेड़छाड़, मद्यपान, वैश्यावृत्ति और अपमान करने में रत होना।	काट-छांट के साथ संशोधित रूपांतर को "ए" प्रमाणपत्र प्रदान किया गया।
2.	चम्बलकाड़ (मलयालम)	हिंसा, नृशंस्ता, क्रूरता अश्लीलता और अशिष्टता।	काट-छांट के साथ संशोधित रूपांतर को "ए" प्रमाणपत्र प्रदान किया गया।
3.	तीरथ विल यत्तु पिल्लै (तमिल)	अशिष्टता, अश्लीलता और भ्रष्टता।	काट-छांट के साथ संशोधित रूपांतर को "ए" प्रमाणपत्र प्रदान किया गया।
4.	लीना मीना रीना (तमिल)	अपराध, अशिष्टता, अश्लीलता और भ्रष्टता।	पुन: संशोधित रूपांतर को "ए" प्रमाण प्रदान किया गया।
5.	सुगंध (हिन्दी)	अश्लीलता, अनैतिकता और अपराध करने के लिए उकसाना।	काट-छांट के साथ संशोधित रूपांतर को "ए" प्रमाणपत्र प्रदान किया गया।
विदेशी फीचर फिल्में :			
6.	जैबरा फोर्स (अंग्रेजी)	हिंसा, नृशंस्ता, पीड़ा और भय।	संशोधित रूपांतर को "ए" प्रमाणपत्र प्रदान किया गया।
7.	शोगुन्ज़ निंजा (अंग्रेजी)	हिंसा, क्रूरता और आतंक।	संशोधित रूपांतर को "ए" प्रमाणपत्र प्रदान किया गया।
8.	दि फाग (अंग्रेजी)	ध्वंसात्मक प्रभाग, हिंसा और आतंक सहित दैवी तत्व।	—

1	2	3	4
9.	इनफैर्नो (अंग्रेजी)	हिंसा और आतंक।	—
10.	एक्जिट दि ड्रेगन ऐन्टर दि टाइगर (पुनः संशोधित)	हिंसा, नृशंस्ता और कामुकता।	पुनः संशोधित किए गए रूपांतर के प्रमाणन के लिए आवेदनपत्र बोर्ड के पास पैंडिग हैं।
11.	हेयर (अंग्रेजी)	नशीली वस्तुओं का सेवन, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना और अश्लीलता।	—
12.	वायलेंट स्ट्रीट्स (अंग्रेजी)	हिंसा, और अपराध।	—
13.	फिस्ट आफ फ्यूरी भाग-2 (अंग्रेजी)	हिंसा और क्रूरता।	—
14.	हाई रिस्क (अंग्रेजी)	हिंसा, और अपराध।	—
15.	चाकू मास्टर (अंग्रेजी)	हिंसा, नृशंस्ता और हत्याएं।	काट-छांट के साथ संशोधित रूपांतर को "ए" प्रमाणपत्र प्रदान किया गया।
16.	नं० 1 आफ दि सीक्रेट सर्विस (संशोधित) (अंग्रेजी)	हिंसा, नृशंस्ता और हत्याएं।	पुनः संशोधित रूपांतर को "ए" प्रमाणपत्र प्रदान किया गया।
17.	फेसेज आफ डैथ 2 (अंग्रेजी)	हत्याओं का घिनौना और वीभत्स चित्रण, तबाही, आदि से हिंसा का होना और अपराध करने के लिए उकसाना।	—
विदेशी लघु फिल्में :			
18.	अबोरशनः ए वुमैल्टु डिसीज़न (अंग्रेजी)	यह गर्भपात विरोधी फिल्म है और सामाजिक परिवर्तन के अनुरूप नहीं है।	—

1	2	3	4
वर्ष 1983 तथा फरवरी, 1984 तक			
भारतीय फीचर फिल्में :			
1.	कयामत (हिन्दी)	हिंसा, अपराध की कार्य-प्रणाली और अशिष्टता।	का-टछांट के अधीन संशोधित रूपांतर को "ए" प्रमाणपत्र प्रदान किया गया।
2.	मफिया सरदार (मराठी)	अपराध की कार्यप्रणाली और अपराध का उद्दीपन।	—
विदेशी फीचर फिल्में :			
3.	डैथ विश II (अंग्रेजी)	हिंसा, अपराध की कार्य प्रणाली, क्रूरता और अभद्रता।	—
4.	स्प्रिंग ब्रेक (अंग्रेजी)	मद्यपान की प्रशंसा, अशिष्ट हंसी, मजाक, अनुमति और अभद्रता।	पास करने से मना करने का अन्तिम निर्णय पहले 1983 में लिया गया था। तथापि पास करने से मना करने का अन्तिम निर्णय फरवरी, 1984 में सूचित किया गया।
5.	पोर्कीज़ (अंग्रेजी)	मद्यपान की प्रशंसा, अशिष्टता, अश्लीलता और अभ्रष्टता।	—

उच्चतम न्यायालय का विभाजन

5031. **श्री के० प्रधानी :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने सरकार को सुझाव दिया है कि उच्चतम न्यायालय का विभाजन किया जाए और अनन्य रूप से सांविधानिक मामलों में कार्यवाही करने के लिए एक न्यायालय

स्थापित किया जाए और सांविधानिक मामलों से भिन्न मामलों का विनिश्चय अपील न्यायालय द्वारा किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) विधि आयोग ने 3 मार्च, 1984 को अपनी पचानवेवीं रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो "उच्चतम न्यायालय में ही सांविधानिक विभाजन के लिए प्रस्ताव" विषय पर है, न कि उच्चतम न्यायालय का विभाजन करने के लिए और अनन्यतः सांविधानिक मामलों पर कार्यवाही करने के लिए एक पृथक् न्यायालय स्थापित किए जाने के लिए अथवा सांविधानिक विधि से भिन्न विषयों का अपील न्यायालय द्वारा विनिश्चय किए जाने के लिए ।

रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है और न्यायपीठ, बार और अन्य सम्बन्धित वर्गों के विचार प्राप्त हो जाने के पश्चात् उसके सभी पहलुओं की समीक्षा कर लेने के पश्चात् ही सरकार अपनी प्रतिक्रिया को अन्तिम रूप देगी ।

टी० ई० एस० ग्रुप "ख" में रिक्त पद

5032. **श्री डूमर लाल बैठा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टी० ई० एस० ग्रुप "ख" में वर्ष 1979,1980,1981, 1982 और 1983 के दौरान, प्रत्येक वर्ष के लिए अलग-अलग, मृत्यु, सेवा निवृत्ति, इस्तीफा, पदोन्नति, पदों का दर्जा बढ़ाने, अतिरिक्त नए पदों के गठन, एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति आदि के कारण, कुल कितने नियमित/स्पष्ट पद रिक्त हुए हैं; और

(ख) वर्ष 1979 से 1983 के दौरान टी० ई० एस० ग्रुप "ख" में प्रतिवर्ष कनिष्ठ अभियन्ता संवर्ग से पदोन्नति द्वारा तथा ए० डी० ई० टी० से सीधी भर्ती द्वारा अलग-अलग कितने रिक्त पदों को भरा गया है ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

पश्चिमी बंगाल में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के कार्य में प्रगति

5033. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में दूरदर्शन रिले केन्द्र के निर्माण कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) इन केन्द्रों के कब तक चालू होने की सम्भावना है;

(ग) क्या पूरे पश्चिम बंगाल को इन केन्द्रों से दूरदर्शन की सुविधा प्राप्त हो जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो कौन से क्षेत्रों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और उन क्षेत्रों को दूरदर्शन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) मुर्शिदाबाद और कुर्सियांग के उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों तथा खड़गपुर वर्धमान, सिलीगुड़ी, बालुरघाट और शांतिनिकेतन के अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटरों के 1984-85 के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है। स्थानों का चयन/पता कर लिया गया है और उपकरणों के लिए आर्डर दे दिए गए हैं। आसनसोल में अन्तरिम ढाँचा चालू हो चुका है।

(ग) और (घ) पश्चिम दिनाजपुर, मदिनीपुर और मालदा के कुछ भागों को छोड़कर, पश्चिम बंगाल की लगभग 95 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन सेवा उपलब्ध हो जाने की उम्मीद है। जिन क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध नहीं है उनमें दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करने के बारे में विचार संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए भावी योजनाओं में किया जायेगा।

आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों का कार्यकरण

5034. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों की नीति निर्धारित करने और उनके कार्यकरण में राज्य सरकारें अन्तग्रस्त नहीं होती हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रीय सरकार के कार्यालय हैं। तथापि, अपने वास्तविक दैनिक कार्य संचालन में आकाशवाणी केन्द्र और दूरदर्शन केन्द्र राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के साथ घनिष्ठ और निरन्तर सम्पर्क बनाए रखते हैं। योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों के बारे में राज्य सरकारों के सूचना विभाग और अन्य विभागों द्वारा भेजी गई सामग्री को आकाशवाणी केन्द्रों/दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सम्बन्धित राज्य सरकारों के प्रतिनिधि आकाशवाणी केन्द्रों/दूरदर्शन केन्द्रों से सम्बद्ध कार्यक्रम सलाहकार समितियों के भी सदस्य हैं। शैक्षणिक प्रसारणों तथा कृषकों के लिए कार्यक्रमों जैसे कार्यक्रमों को अनिवार्य रूप से सम्बन्धित राज्य सरकारों के विभागों के प्रतिनिधियों के घनिष्ठ परामर्श से तैयार किया जाता है। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा आकाशवाणी और दूरदर्शन के बीच घनिष्ठ और सतत् सहयोजन है।

गैस एजेंसियों द्वारा गैस के सिलेंडरों की सप्लाई में अनियमितताएं

5036. **श्री दयाराम शाक्य** : : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गैस एजेंसियों द्वारा गैस के सिलेंडरों की सप्लाई में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं की जा रही हैं; और

(ख) क्या सरकार प्रत्येक एजेंसी को अनिवार्य रूप से यह आदेश देगी कि सिलेंडर बुक कराने पर रसीद एवं बुकिंग क्रमांक दिया जाये और बिल्कुल उसी क्रम से गैस सिलेंडर की सप्लाई सुनिश्चित की जाए ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) गैस सिलेंडरों की सप्लाई के मामले में अनियमितताओं को रोकने के लिए वितरकों को पहले ही हिदायतें दी गई हैं कि वे सिलेंडर के अनुरोध को सूचना रजिस्टर में बुकिंग के क्रमानुसार दर्ज करें और उनकी सप्लाई तद्नुसार करें। रसीद जारी करने की कोई प्रणाली नहीं है परन्तु यदि उपभोक्ता चाहें तो वह बुकिंग क्रमांक जान सकते हैं।

गैस एजेंसियों और पेट्रोल पम्पों का आबंटन

5037. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैस एजेंसियों और पेट्रोल पम्पों के आबंटन के मामले में व्याप्त अनियमितताओं को रोकने के सम्बन्ध में अभ्यावेदनों के परीक्षण के बाद क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार उनके आबंटन में लाटरी प्रणाली शुरू करने का है।

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन में अनियमितताओं की सम्भावनाओं को दूर करने के लिए क्षेत्रीय आधार पर स्वतन्त्र तेल चयन बोर्डों का गठन किया गया है जिसमें प्रत्येक का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवा निवृत न्यायाधीश है। इन डीलरशिपों/डिस्ट्री ब्यूटरशिपों का न्यायसंगत आबंटन करने के लिए हर प्रकार की सावधानी बरती जाती है।

(ख) जी, नहीं।

राष्ट्रीय पन-बिजली निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाएं

5038. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या ऊर्जा मंत्री राष्ट्रीय पन-बिजली निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं की प्रगति को दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं की प्रगति दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

राष्ट्रीय जल विद्युत निगम को निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण का कार्य सौंपा गया है :

(1) हिमाचल प्रदेश में बैरा-स्यूल जल विद्युत परियोजना (180 मेगा०)

(2) मणिपुर में लोकतक जल विद्युत परियोजना (105 मेगा०)

(3) जम्मू और कश्मीर में सलाल जल विद्युत परियोजना (345 मेगा०)

(4) बिहार में कोयल-कारो जल विद्युत परियोजना (710 मेगा०)

(5) जम्मू और कश्मीर में दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना (390 मेगा०)

(6) नेपाल में देवीघाट जल विद्युत परियोजना (14.1 मेगा०)

बैरा-स्यूल जल विद्युत परियोजना : यह परियोजना 1.4.1982 से वाणिज्यिक उत्पादन में है।

लोकतक जल विद्युत परियोजना : परियोजना ने 1.6.1983 से वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ कर दिया था। 26 जुलाई, 1983 को एक बड़ा भू-स्खलन होने के कारण, सुरंग का एक भाग गिर गया और विद्युत का उत्पादन बन्द करना पड़ा। सुरंग के गिरे हुए भाग का पुनः निर्माण किया जा रहा है और जुलाई, 1984 के अन्त तक यह कार्य पूरा हो जाने की संभावना है तथा परियोजना को जुलाई, 1984 में पुनः चालू करने की सम्भावना है।

सलाल जल विद्युत परियोजना : परियोजना को चालू करने के कार्यक्रम को लगभग 20 महीने कम कर दिया गया है तथा परियोजना के प्रथम यूनिट को अब दिसम्बर, 1985 तक चालू किए जाने का कार्यक्रम है। परियोजना के दूसरे तथा तीसरे यूनिट के क्रमशः मई और अक्तूबर, 1986 में पूरा करने का कार्यक्रम है। परियोजना पर कार्य चालू करने सम्बन्धी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। 18 फरवरी, 1984 को, अनुप्रवाह डाइक में दरार आ गई जिसके परिणाम-स्वरूप प्लंज पूल, पेतस्टाक पिट बिजली घर में और टेल-रेस सुरंग (प्रवेश मार्ग) में पानी भर गया। परियोजना को पूरा करने के कार्यक्रम पर पड़ने वाले इसके प्रभाव के बारे में, इस सम्बन्ध में विस्तृत मूल्यांकन करने के बाद पता चलेगा।

कोयल कारो जल विद्युत परियोजना : राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध कराने की तारीख से परियोजना को 8 वर्षों की अवधि में पूरा करने का कार्यक्रम है। भूमि के अधिग्रहण तथा परियोजना स्थल पर परियोजना कर्मचारियों को पहुंचने के लिए पहुंचमार्ग उपलब्ध कराने में स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किए जाने के कारण परियोजना पर अभी तक कोई प्रगति करना सम्भव नहीं हो सका है। तथापि, सतत् प्रयासों के कारण स्थिति में शीघ्र ही सुधार होने की आशा है।

दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना : यह परियोजना 1990-91 तक पूरा करने का कार्यक्रम है। प्रारम्भिक सर्वेक्षण, अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग और ड्रिफ्टिंग, पहुंच सड़कों, भवनों आदि जैसे अन्य संरचनात्मक कार्य परियोजना पर चल रहे हैं।

देवी घाट जल विद्युत परियोजना : परियोजना को अक्तूबर, 1985 तक पूरा करने का कार्यक्रम था। परियोजना को कार्यक्रम से लगभग दो वर्ष पहले चालू किया गया है।

राष्ट्रीय जल विद्युत निगम को निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं के अन्वेषण का कार्य भी सौंपा गया है :

1. हिमाचल प्रदेश में चमेरा जल विद्युत परियोजना चरण-1 (540 मेगावाट)।
2. मिजोरम में धालेश्वरी जल विद्युत परियोजना (120 मेगावाट)।
3. उत्तर प्रदेश में धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना चरण-1 (300 मेगावाट)।
4. उत्तर प्रदेश में टनकपुर जल विद्युत परियोजना (120 मेगावाट)।

चमेरा जल विद्युत परियोजना तथा टनकपुर जल विद्युत परियोजना पर अन्वेषण कार्य पूरे कर लिए गए हैं। धालेश्वरी जल विद्युत परियोजना के अधिकांश अन्वेषण कार्य पूरे हो गए हैं तथा परियोजना रिपोर्ट मार्च, 1984 तक तैयार होने की सम्भावना है। धौलीगंगा परियोजना पर अन्वेषण कार्य सितम्बर, 1984 तक पूरा होने की सम्भावना है।

पारेषण लाइनें : राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ने निम्नलिखित पारेषण लाइनों पर कार्य पूरा कर लिया है :

1. (क) 66 के०वी० डबल सर्किट गंगटोक से कालिमपोंग तक।

   (ख) 66 के०वी० सिंगल सर्किट गंगटोक से दिकचु तक।

2. 132 के०वी० सिंगल सर्किट रामनगर-गंडक।
3. 132 के०वी० सिंगल सर्किट लीमा टेक-जीरी बाम।
4. 220 के०वी० सिंगल सर्किट डी०सी० टावरों पर सरना-दसूवा।
5. 220 के०वी० सिंगल सर्किट जम्मू-सरना।
6. 400 के०वी० सिंगल सर्किट सिंगरौली-ओबरा तथा सिंगरौली-कानपुर।
7. 66 के०वी० डबल सर्किट देवीघाट-चबेल स्कीम।

राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा इस समय निम्नलिखित पारेषण लाइनों का निर्माण किया जा रहा है :

क्रम सं०	पारेषण लाइन का नाम	सर्किट किलोमीटर	कार्य पूरा होने की निर्धारित तारीख
1.	220 के०वी० चूखा पारेषण प्रणाली (भारत का भाग)	1275	मार्च, 1985
2.	220 के०वी० सिंगल सर्किट सलाल-जम्मू	56	अप्रैल, 1985
3.	220 के०वी० डबल सर्किट सलाल-उधमपुर	104	
4.	400 के०वी० सिंगल सर्किट जेपोर-तलचेर	430	मार्च, 1987

इन लाइनों पर कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है ।

रसायनों के खतरों से श्रमिकों की सुरक्षा

5039. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ ओक्यूपेशनल हैल्थ अहमदाबाद द्वारा पांच कीटनाशी फोर्मूलेशन युनिटस के सम्बन्ध में किए गए अध्ययन के निष्कर्षों की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि कीटनाशी उद्योग में कार्यरत श्रमिकों द्वारा रसायनों के भारी मात्रा में निर्माण करने तथा वितरण करने से उनके स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होती है ; और

(ख) यदि हां, तो श्रमिकों की इस प्रकार के खतरों से रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

दिल्ली में खाना पकाने की गैस की पाइप द्वारा सप्लाई

5040. श्री सज्जन कुमार
श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के कुछ भागों में खाना पकाने की गैस का पाइप द्वारा सप्लाई किया जाता है तथा प्रत्येक घर में बिजली की तरह ही गैस के लिए मीटर लगे हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने दिल्ली के शेष भागों में भी घरों में खाना पकाने की गैस की सप्लाई करने के लिए कोई योजना तैयार की है ; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1984-85 के दौरान जिन कालोनियों में खाना पकाने की गैस पाइप द्वारा सप्लाई किए जाने की संभावना है उनके नाम क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) दिल्ली में पाइप लाइनों के द्वारा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एल० पी० जी०) की सप्लाई नहीं की जाती है। फिर भी, इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड इस समय नौएडा (न्यू ओखला इंडस्ट्रीयल डिवेलपमेंट क्षेत्र) में घरेलू काम्पलेक्स को पाइप लाइनों के द्वारा एल० पी० जी० की सप्लाई करने की संभावना की जाँच कर रहा है।

उड़ीसा में उपडाकघरों और मुख्य डाकघरों के लिए विभागीय भवन

5041. श्री अर्जुन सेठी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा पोस्टल सर्किल में कितने उपडाकघरों और मुख्य डाकघरों के अपने विभागीय भवन हो जायेंगे ;

(ख) इन उपडाकघरों और मुख्य डाक घरों के नाम क्या हैं ;

(ग) इन डाकघरों के नाम क्या हैं जिनके भवन अब तक पूरे हो चुके हैं ; और

(घ) क्या बालासौर जिले में बटे उप डाकघर भी उनमें से एक है !

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) 46 (छियालीस)।

(ख) (एक) 12 प्रधान डाकघर इस प्रकार हैं :

(1) कोरापुट, मुख्य डाकघर (2) पारालखेमुंडी, मुख्य डाकघर (3) बन्जा नगर, मुख्य डाकघर (4) सुन्दरगढ़ मुख्य डाकघर (5) क्याझरगढ़ डाकघर (6) बोलनगीर डाकघर (7) चांदनी चौक (8) खुर्दा डाकघर (9) वेनकानाल डाकघर (10) झारसुगुडा डाकघर (11) रैरंगपुर डाकघर (12) नयागढ़ डाकघर।

(दो) 34 डाकघर इस प्रकार हैं :

(1) बारबिल डाकघर (2) चम्मुआ डाकघर (3) कोरई डाकघर (4) बलियापल डाकघर (5) राजबोरसम्बर डाकघर (6) तयान्दकुरा डाकघर (7) वैलाकुंठा डाकघर (8) कामाख्या नगर डाकघर (9) महंगा डाकघर (10) बस्ता डाकघर (11) राजकणिका डाकघर (12) आर० उदयगिरि डाकघर (13) कालपत्थर डाकघर (14) पोतंग डाकघर (15) लथिकाटा डाकघर (16) जोड़ा डाकघर (17) ब्रह्मबरादा डाकघर (18) सदला डाकघर (19) करांजिया डाकघर (20) राजगंगपुर डाकघर (21) पारादीप डाकघर (22) चिलका डाकघर (23) राजनीलगिरि डाकघर (24) कुचिंडा डाकघर (25) आनंदपुर डाकघर (26) गांधी चौक डाकघर (27) गोलंतरा

डाकघर (28) रायलखोल डाकघर (29) जनला डाकघर (30) पिछली डाकघर (31) निल्ली डाकघर (32) तालचेर डाकघर (33) जूनागढ़ डाकघर (34) पंत उप डाकघर।

(ग) जिन नौ डाकघरों के लिए भवन तैयार कर लिए गए हैं वे इस प्रकार हैं ?

(1) गोलंतरा डाकघर (2) रायल खोली डाकघर (3) मेंघा डाकघर (4) राजबोरासम्बर डाकघर (5) नियाली डाकघर (6) तालचेर डाकघर (7) जूनागढ़ डाकघर (8) पिपली, (9) निरामेपका।

(घ) बालासौर जिले के बांट उप डाकघर से सम्बन्धित कार्य छठी पंचवर्षीय योजना में अतिरिक्त कार्य के रूप में शामिल किया गया है।

इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज नैनी, इलाहाबाद को हुआ नुकसान

5042. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान (वर्षवार) इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, नैनी, इलाहाबाद को यदि कोई नुकसान हुआ है, तो वह कितना है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि समयोपरि भत्ते के रूप में अदा का गई है ; और

(ग) सरकार ने इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के कार्यकरण में सुधार करने और समयोपरि भत्ते पर किए जा रहे व्यय को कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आई० टी० आई०) के नैनी एकक को पिछले तीन वर्षों में लाभ हुआ है।

(ख) आई० टी० आई० के नैनी एकक द्वारा पिछले तीन वर्षों में दिए गए समयोपरि भत्ते की राशि नीचे दी है :

वर्ष	राशि
1980-81	68 लाख रुपए
1981-82	86 लाख रुपए
1982-83	111.60 लाख रुपए

(ग) उत्पादन पर प्रोत्साहन देने की एक नई योजना और उत्पादन सामग्री के आयोजन की ज्यादा अच्छी पद्धति लागू की गई है।

उत्तर-प्रदेश में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में डाकघर, उप-डाकघर आदि खोलना

5043. श्री हरीश रावत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 के दौरान अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ (उत्तर प्रदेश) के लिए कितने और कहां-कहां डाकघर, उप डाकघर और अतिरिक्त विभागीय डाकघर या शाखा डाकघर मन्जूर किए गए हैं ;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां के उक्त एककों के अतिरिक्त सम्बन्धित दलों से उक्त डाकघर खोलने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) इन पर उनके मंत्रालय से क्या कार्यवाही की है ?

संचार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) जानकारी विवरण में दी गई है।

(ग) औचित्य पाए गए प्रस्तावों का चरणबद्ध रूप से क्रियान्वयन किया जाएगा।

विवरण

(क) 1983-84 के दौरान अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में डाकघर खोलने के प्रस्तावों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण।

(एक) खोले गए अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर

अल्मोड़ा	पिथौरागढ़
1. सोरग	1. कोट कुंडरी
2. नाली	2. थार्प
3. बागेश्वर	3. मेलडुंगरी
4. कफलानी	4. सेलुवनी
5. उजरार	5. मऊ
6. तपनी	6. बाजनी
7. नल्ला	7. डुंगरा
8. टिमटा	8. कोट गढ़ी गहरजारी
9. जाख	9. गुडौली
10. झारकेड	10. सिनी
11. घुघुड़ी	11. कोटेश्वर

अल्मोड़ा	पिथौरागढ़
12. खटियारी	12. डंगीगांव
13. बडियार	13. गागर
14. रडोली	14. चिनकाना
15. लिली	

(दो) उप-डाकघर —शून्य

(ख) उन स्थानों के नाम जहां प्रस्तावों के अनुसार डाकघर खोलने का औचित्य पाया गया है परन्तु अभी डाकघर खोले नहीं गए हैं :

अल्मोड़ा		पिथौरागढ़
1. खितीदनपुर	1. उपरारा	8. सिनलेक
2. चौवरा	2. झालनदेव	9. सेरा
3. हिदाम	3. नैनीताल	10. कुशैल
4. चागेतर	4. पालसोन	11. सुगरखल
5. गुलार	5. बोयल	12. बालतीढ़
5. पारकोट	6. दूरे	13. बाना
7. सनानई	7. गुनरा	
8. मनेला		

(ग) डाकघर खोलने सम्बन्धी ऐसे प्रस्ताव, जिनका औचित्य नहीं पाया गया :

अल्मोड़ा	पिथौरागढ़
1. राजा	1. मंगललेख
2. विनायक	2. सिप्पी
3. पपली कोठार	3. कुडी
4. सईउनानी	4. मयराल
5. शानकैथल	5. बारैईयागांव
6. कडावरी	6. डेंडी
7. कठाईगांव	7. गईचेरा
8. डिगा	8. सेराघाट
9. झाल डुंगरा	9. सतगल
10. घवयान	10. मारे

अल्मोड़ा	पिथौरागढ़
11. टिटोली	11. बिरोली
12. कभारा	12. सिरडंग
13. कासन	13. कूटा
14. भिखार	14. कोहार गांव
15. पोली	15. असकोडी
16. बाजार खेरिया	16. भंडारेगांव
17. पथकूरा	17. भिगचार
18. हरे नगरी	18. बकोरा
19. कोट दोई	19. लालवोवापानी
20. सिताली	20. काबेती
21. अरतोला	21. अगार
22. सिलेरी	22. गोबतरी
23. मोहन्नारी	23. पुनावे
24. निगरोल	
25. गुलना	

(घ) **विचाराधीन प्रस्ताव :**

1. फारिक	1. मूमदारी
2. डवानी	
3. कीना	
4. शाधरशाह	
5. बैनिया	
6. चलकाना	
7. बडुरा	

चलचित्र प्रमाणपत्र नियम, 1983 में संशोधन

5044. **श्री नवीन रावणी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "सेंट्रल बोर्ड आफ फिल्म सर्टीफिकेट्स" द्वारा चलचित्र प्रमाणपत्र नियम, 1983 में संशोधन करने वाली अलग से एक अधिसूचना जारी की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि देश में बहुत बड़ी संख्या में वीडियो फिल्मों का आयात किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो देश में फिल्मों के अवैध आयात किए जाने को बन्द करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं और इस सम्बन्ध में यह अधिसूचना कितनी सहायक होगी।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) और (ख) सरकार ने 1-3-84 से वीडियो फिल्मों को अलग से सेंसर करने की व्यवस्था करने के लिए चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 में संशोधन करने वाली एक अधिसूचना 28-2-1984 को जारी की है। वीडियो फिल्मों के लिए अलग आवेदनपत्र फार्म और अलग सेंसर प्रमाणपत्र फार्म भी निर्धारित किए गए हैं।

(ग) और (घ) ऐसा हो सकता है कि विदेशों से आने वाले यात्री अपने निजी सामान में पूर्व रिकार्डिड वीडियो कैसेट ला रहे हों। तथापि, संशोधित चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 के अन्तर्गत 1-3-1984 से लोक प्रदर्शन के लिए अभिप्रेत सभी वीडियो फिल्मों के लिए अलग सेंसर प्रमाणपत्र आवश्यक होंगे। आशा है कि नया नियम अनधिकृत वीडियो कैसेटों के लोक प्रदर्शन को रोक सकेगा।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र में कोयला भंडारों का उपयोग

5045. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के काम के साथ-साथ महाराष्ट्र के विशाल कोयला भंडारों से कोयला निकालने के लिए राज्य सरकार को अनुमति देने के लिए केन्द्रीय सरकार से अभ्यावेदन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नागपुर में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा निगम के क्षेत्रीय निदेशालय की स्थापना

5046. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा निगम का क्षेत्रीय निदेशालय स्थापित करने के लिए कोई अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदिहां, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) जी, हां। एक उप महाप्रबंधक पद स्थापित कर दिया गया है और उसने नागपुर में अपना कार्यालय स्थापित करने के लिए कार्यभार संभाल लिया है।

फार्मास्यूटिकल इन्डस्ट्रीज डेवलपमेंट सेन्टर की स्थापना

5047. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इण्डियन ड्रग्स मैन्युफैक्चर्स एसोसियन के सहयोग से फार्मास्यूटिकल इण्डस्ट्री डेवलपमेंट सेन्टरों की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उपरोक्त सेन्टरों की स्थापना के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) उपरोक्त सेन्टरों के मुख्य कृत्य क्या होंगे ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) इण्डियन ड्रग मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन (आई० डी० एम० ए०) ने भारत सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से एक भेषज उद्योग अनुसंधान एवं विकास केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। केन्द्र के प्रस्तुत उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

1. देश में प्रौद्योगिकी की कमी को पूरा करना, विशेषकर लघु उद्योग एककों के मामले में ;
2. स्वदेशी स्रोतों पर आधारित बेहतर औषध विकसित करना;
3. आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्धन को प्रोत्साहन देना; और
4. प्रशिक्षण एवं विकास के लिए सुविधा प्रदान करना;

परियोजना में भूमि, भवन, सेवाओं तथा उपयोगिताओं के लिए आई० डी० एम० ए० तथा भारत सरकार के 75-75 लाख रुपये के अंशदान तथा उपस्कर प्रशिक्षण एवं विशेषज्ञ परामर्श के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 1.662 मिलियन अमेरिकी डालर के अंशदान की परिकल्पना की गई है।

दिल्ली और विष्णु प्रयाग पन बिजली परियोजनाओं का केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिग्रहण किये जाने की सम्भावना

5048. **श्री जैनुल बशर** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह प्रस्ताव किया है कि टिहरी और विष्णु प्रयाग पन बिजली परियोजनाओं का केन्द्र द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाना चाहिए;

(ख) क्या यह भी सच है इन परियोनाओं की बढ़ती हुई लागत का भार वहन करना राज्य सरकार के वश से बाहर है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) टिहरी परियोजना का भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वियन करने के लिए उत्तर-प्रदेश सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा है तथा इसकी जांच की जा रही है। विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना के बारे में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

जोरबाग टेलीफोन एक्सचेंज, नई दिल्ली की सेवाएं

5049. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में "62" (जोरबाग) एक्सचेंज छः महीने से खराब पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उपभोक्ताओं को अच्छी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) उपभोक्ताओं को अच्छी सेवा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

(एक) नए जंक्शन और प्राथमिक केबिलों को डक्टों में बिछाना।
(दो) मुख्य केबिलों का दाबीकरण और नई दाबीकृत केबिलें बिछाना।
(तीन) केबिल ट्रंचों को बंद करने से पूर्व पानी भरके जांचना।
(चार) वितरण परिपर्थ जाल में जैली भरे केबिलों का इस्तेमाल करना।
(पांच) एक्सचेंजों के आंतरिक उपस्करों की विशेष जांच करना।
(छः) उपभोक्ता के अहातों पर लगी फिटिंग और डी० पी० बॉक्सों को बदलना।

उड़ीसा में क्रियान्वित की जा रही बिजली परियोजनाएं

5050. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में, इस समय कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के नाम क्या हैं और उनकी संख्या कितनी है;

(ख) क्या योजना आयोग ने उड़ीसा में क्रियान्वित की जाने वाली कुछ बिजली परियोजनाओं के पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो उन बिजली परियोजनाओं में से प्रत्येक का ब्यौरा क्या है, उनका मूल प्राक्कलन और पुनरीक्षित प्राक्कलन क्या था तथा इन बिजली परियोजनाओं में कब तक उत्पादन शुरू हो जायेगा; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) उड़ीसा में इस समय निम्नलिखित चार विद्युत परियोजनाएं प्रतिष्ठापित की जा रही ? :

(1) रेंगाली जल-विद्युत परियोजना (2× 50 मेगावाट)

(2) अपर कोलाब जल विद्युत परियोजना (3 × 80 मेगावाट)

(3) हीराकुड चरण-तीन जल विद्युत परियोजना (1 × 37.5 मेगावाट)

(4) अपर इन्द्रावती जल विद्युत परियोजना (4 × 150 मेगावाट)

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

तेल की खोज सम्बन्धी वर्तमान कार्य नीति

5051. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल की खोज सम्बन्धी वर्तमान कार्य नीति में ऐसे सभी तेलों में जहाँ भरपूर मात्रा में हाइड्रोकार्बन्स मिले हैं और ऐसे भी तेलों में जहां अच्छी सफलता मिली है, उनका बड़े पैमाने पर और एक साथ अनुसन्धान करना शामिल है;

(ख) क्या सरकार द्वारा उक्त कार्य के लिए कोई दीर्घावधि योजना बनाई गई है; और

(ग) हाइड्रो-कार्बन्स की खोज तेल करने के लिए अब तक क्या अन्य खोज प्रयास किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इण्डिया लिमिटेड दोनों ने 1980-90 की अवधि के लिए खोज सम्बन्धी 10 वर्षीय सम्भावी योजना तैयार की थी।

(ग) तेल की खोज के क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग/आयल इण्डिया लिमिटेड के अधिकतम प्रयासों में सहायता देने के लिए कुप्रसिद्ध विदेशी कम्पनियों को चुने हुए ब्लाक खण्डों में

हाइड्रोकार्बनों की खोज ओर उनका दोहन करने के लिए आमन्त्रित किया गया था। एक ऐसी कम्पनी सौराष्ट्र के अपतटीय क्षेत्र में काम कर रही है।

रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा सौर उर्जा

5052. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **उर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा सौर ऊर्जा तैयार करने के लिए प्रयास किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किस सीमा तक सफलता प्राप्त की गई है; और

(ग) उपर्युक्त मामले में सरकार के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

उर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) रसायनिक प्रक्रिया द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करना अभी भी अनुसंधान एवं विकास स्तर पर है। विभिन्न संस्थानों में कार्यान्वित की जा रही अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

(1) सौर ऊर्जा द्वारा जल का, प्रकाश सहायता प्राप्त विद्युत अपघटन से हाइड्रोजन का उत्पादन।

(2) सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रकाश वैद्युत रासायनिक रूपान्तरण तकनीकी।

इसके अतिरिक्त कई अनुसंधान एवं विकास परियोजनायें, योजना स्तर पर हैं जैसे (1) उच्च दक्षता वाले तरल संयोजन प्रकाशवोल्टीय सैल (2) पुनः आरोपणीय प्रकाशवोल्टीय-प्रकाश-गैल्वैनी सैल (3) हाइब्रिड ड्राइवेट प्रकाशवोल्टीय-प्रकाशगैल्वैनिक भन्डारण प्रणाली (4) मूल्य योजित उत्पाद और बायोमिमेरिज्म के क्षेत्र के उत्पादन के लिए प्रकाश वैद्युत संश्लेषण व इलैक्ट्रोकैटेलिटिक प्रणालियां।

इस क्षेत्र में सातवीं योजना के प्रस्तावों के निरूपण के समय उन्नत अनुसन्धान एवं विकास प्रयासों को ध्यान में रखा जाएगा।

खाना पकाने की गैस की उपलब्धता

5053. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या **उर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाना पकाने की गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के बाद भी उपभोक्ताओं को यह गैस समय पर न मिलने के क्या कारण हैं;

(ख) गैस सिलेंडरों की कमी को पूरा करने और इसकी सप्लाई नियमित बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जाने का विचार है;

(ग) खाना पकाने की गैस के नए कनेक्शन देने में होने वाली देरी के मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार वन-सम्पदा को नष्ट होने से बचाने के उद्देश्य से देश में खाना पकाने की गैस की माँग के अनुसार उसका वितरण करने का प्रबन्ध करेंगे; और

(ङ) यदि हां, तो यह प्रबन्ध कब तक दिये जायेंगी।

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) उपकरणों की अपर्याप्त उपलब्धता, "एफ" टाइप को "एस सी" टाइप के वाल्वों में बदलने में लगने वाला समय, कुछ बाटलिंग संयंत्रों में प्रारम्भिक कठिनाइयों और औद्योगिक सम्बन्धों का स्थानीय समस्याएं ऐसे कुछ कारण हैं।

(ख) देश में सिलेण्डरों, वाल्वों और रेगूलेटरों का निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उपाय किये गये हैं। थोड़ी मात्रा में उनका आयात भी किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) पंजीकरण के चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार नये गैस कनेक्शन देने के लिए उपाय किए गए हैं। तेल उद्योग द्वारा अधिक बाटलिंग क्षमता की व्यवस्था भण्डारण और परिवहन प्रणाली में सुधार पर्याप्त उपकरणों की प्राप्ति जैसी आधारभूत ढांचे की सुविधाएं मुहैया की जा रही हैं। आशा है, इस समय प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों को 2/3 वर्षों के अन्दर कनेक्शन दे दिए जायेंगे।

राजस्थान में विद्युत की कमी के कारण फसलों को नुकसान

5054. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान में विद्युत की भारी कमी है और विद्युत की कमी और शीत लहर के कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ है; और

(ख) विद्युत की कमी के कारण फसलों को नष्ट होने से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) राजस्थान में विद्युत की कमी है। तथापि, विद्युत की सप्लाई में कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाती है और खेती को क्षति होने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। पिछले कुछ महीनों के दौरान कृषि को विद्युत की सप्लाई 9 घंटे से 20 घंटे प्रति दिन बनाए रखने की रिपोर्ट मिली है।

एल० एल० बी० का पांचवर्षीय पाठ्यक्रम

5055. **प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विधिज्ञ परिषद ने एल० एल० बी० के केवल पांचवर्षीय पाठ्यक्रम को ही मान्यता देने का विनिश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या एल० एल० बी० का विद्यमान तीन-वर्षीय पाठ्यक्रम समाप्त कर दिया जायेगा या उसे केवल शैक्षणिक पाठ्यक्रम बना दिया जायेगा ;

(ग) कितने विश्वविद्यालयों ने विधिज्ञ परिषद के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ; और

(घ) इस विषय में सरकार का विनिश्चय क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन जो नियम बनाए हैं उनमें अन्य बातों के साथ 1 जून, 1982 से अधिवक्ता के रूप में नामांकन के प्रयोजन के लिए पांच-वर्षीय विधि स्नातक पाठ्यक्रम को मान्यता देने का उपबन्ध है। किन्तु तीन-वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश वर्ष 1985-86 से बन्द कर दिया जाएगा ताकि 1982-83 से पाठ्यक्रम में पहले से पढ़ रहे विद्यार्थियों का कोई अहित न हो। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय यदि शैक्षणिक पाठ्यक्रम के रूप में तीन-वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम ही चलाना चाहते हों तो वे ऐसा कर सकते हैं।

(ग) भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने जो रिपोर्ट दी है उसके अनुसार दस विश्वविद्यालयों ने यह पाठ्यक्रम पहले ही आरम्भ कर दिया है और सैंतीस विश्वविद्यालयों ने 1984 से पांच-वर्षीय विधि स्नातक पाठ्यक्रम आरम्भ करने के प्रस्ताव को स्वीकर कर लिया है।

(घ) यह विषय सरकार के विचाराधीन हैं और इस बारे में यथा सम्भव शीघ्र विनिश्चय कर लिया जाएगा।

केरल के तटदूर क्षेत्र में तेल की खोज का कार्य

5056. **प्रो० पी० जे० कुरियन**
श्री वी० एस० विजयराघवन } : **क्या ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के तटदूर क्षेत्र में तेल की खोज का काम शुरू करने की कोई योजना सरकार के विचारधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) जी, हां। 1984-85 के दौरान अपतटीय केरल कोनकन क्षेत्रों में एक अन्वेषी कुआं खोदने का प्रस्ताव है।

एकाधिकार तथा व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अधीन आने वाली कम्पनियों का परिसम्पत्तियां देवताएं बिक्री और लाभ

5057. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री एकाधिकार

तथा व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अधीन आने वाली कम्पनियों को परिसम्पत्ति, देयताएं, बिक्री और लाभ के बारे में 28 फरवरी, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 585 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न सम्बन्ध औद्योगिक गृहों के परिशेष में दिये गये ब्यौरे में उल्लिखित परिसम्पत्तियों, देयताओं, बिक्री तथा कर पूर्व लाभ से सम्बन्धित आंकड़ों का विवरण क्या है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक मामले में हुई वृद्धि की प्रतिशता क्या है;

(ग) बम्बई के अम्बानी रिलायन्स ग्रुप ने कितनी इक्विटी-पूंजी से कारोबार शुरू किया था ; कुछ ही समय में किस वर्ष में और कैसे यह पाँचवे स्थान पर पहुंच गई; और

(घ) क्या सरकार ने कुछ बरानों के ऐसे चमत्कारिक विकास के बारे में कोई जांच की है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक मामले में क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल में तट से दूर किया जा रहा छिद्रण कार्य

5058. **श्री चित्त बसु** : क्या **उर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने पश्चिम बंगाल में सुन्दर वन तटीय क्षेत्र से दूर छिद्रण कार्य शुरू कर दिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है।

उर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल को लम्बित विद्युत परियोजनायें

5059. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **उर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल के लम्बित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को मंजूरी देने के बारे में निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

समाचार-लेखन में वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता

5060. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए समाचारों की श्रेष्ठता पर एक राष्ट्रीय चर्चा का आह्वान किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उन्होंने यह कहा था कि गुट-निरपेक्ष देशों के सूचना और प्रसारण मन्त्रियों के जकार्ता सम्मेलन ने खेद प्रकट किया था कि कुछ पत्रकार राष्ट्र-हित के विरुद्ध केवल एक तरफा समाचार लेखन करते हैं ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या समाचार-पत्रों में वस्तुनिष्ठ समाचार-लेखन पर चर्चा करने के लिए ऐसा कोई सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या इसका स्वागत किया गया है; और

(ङ) इसके कब तक आयोजित किए जाने की सम्भावना है ?

सूचन और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) जी, हां। सूचना और प्रसारण राज्य मन्त्री ने सोमवार, 6 फरवरी, 1984 को नई दिल्ली में हुए एक संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए, एक संवाददाता के प्रश्न के उत्तर में यह कहा था कि समाचारों में किसको प्रमुखता मिलनी चाहिए, इसके बारे में वे राष्ट्रीय बहस का स्वागत करेंगे। उन्होंने गुट-निरपेक्ष देशों के सूचना मन्त्रियों के 26 से 30 जनवरी, 1984 तक जकार्ता में हुए सम्मेलन (जिसमें उन्होंने भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व किया था) का उल्लेख करते हुए यह कहा था कि सम्मेलन में भाग लेने वाले अनेक सूचना मन्त्रियों का यह विचार था कि बहु-राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों द्वारा गुट-निरपेक्ष देशों का कवरेज उचित नहीं है। जकार्ता सम्मेलन द्वारा पारित घोषणा में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह कहा गया है कि "गुट-निरपेक्ष और अन्य विकासशील देश इस बात से बुरी तरह प्रभावित हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय जन-संचार माध्यमों पर ट्रांस-राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों और कोरपोरेट ढांचों का प्रभुत्व है जो विश्व के मुख्य संचार माध्यमों पर एकाधिकार किए हुए हैं और इसके परिणामस्वरूप समाचारों के अन्तर्राष्ट्रीय वितरण पर एकाधिकार किए हुए हैं।"

(ग) से (ङ) यह प्रेस, जन संगठनों तथा अन्यों, जो इस प्रकार की बहस से सहमत हों, पर निर्भर करता है। मन्त्री महोदय ने सुझाव सामान्य रूप में दिया था ।

तेल सम्बन्धी भारत-रूस कार्य दल

5061. श्री वी० बी० देसाई : क्या उर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल के सम्बन्ध में भारत-रूस कार्य दल की प्रथम बैठक नई दिल्ली में जनवरी, 1984 को हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्य दल ने करनाल में 60 लाख टन तेल की क्षमता वाले शोध कारखाने की स्थापना करने सहित, तेल उद्योग में सहयोग से सम्बन्धित सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा की थी ।

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सरकार ने राजघाट, जागुली तथा पश्चिम बंगाल में कृष्णनगर में होने वाले कार्य की प्रगति पर और पश्चिम बंगाल के ही बोदरा-टू में खुदाई कार्य पर अपना सन्तोष व्यक्त किया है;

(घ) भारत और रूस अब तक कौन-कौन से क्षेत्रों में सहयोग करते आ रहे हैं ; और

(ङ) वर्ष 1984 के दौरान भारत और रूस तेल क्षेत्र में किस हद तक और सहयोग बढ़ाने में सहमत हो गए हैं ?

उर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) कार्यकारी दल में चर्चा तेल की खोज और तेल के उत्पादन के क्षेत्र में सहयोग तक ही सीमित थी ।

(ग) जी, हां ।

(घ) तेल की खोज के क्षेत्र में भारत और सोवियत संघ अभी तक थाला (बेसिन) मूल्यांकन, भूकम्पनीय सर्वेक्षण, आंकड़े तैयार करने और उनकी व्याख्या करने, तटीय क्षेत्रों के लिए विकास योजनाएं तैयार करने, तटीय कुओं के वर्क-ओवर संचालनों के लिए उपकरण और सेवाएं महैया करने, खुदाई प्रौद्योगिकी तथा तरताशय (रिजर्वायर) अध्ययनों के लिए संस्थानों की स्थापना में तकनीकी सहायता देने, खुदाई कार्यों आदि में सहायता देने सम्बन्धी सहयोग कर रहे हैं ।

(ङ) दोनों पक्ष भूकम्पीय आंकड़े एकत्र करने और उन्हें तैयार करने, पेट्रोलियम भू-विज्ञान वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थानों के बीच आदान-प्रदान, भारत में सोवियत विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति और भारतीय विशेषज्ञों की सोवियत संघ में प्रतिनियुक्ति और भारतीय इंजीनियरों और भू-वैज्ञानिकों को सोवियत संघ में सम्बद्ध क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने आदि में और अधिक सहयोग बढ़ाने के लिए सहमत हो गये हैं ।

राजस्थान सर्किल में डाकघर, तारघर और टेलीफोन एक्सचेंज खोलना

5062. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सर्किल में जिलेवार (1) डाकघर, (2) तारघर, (3) टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के कितने प्रस्ताव लम्बित पड़े हैं;

(ख) उपरोक्त प्रस्तावों में से ऐसे प्रस्तावों की जिलावर संख्या कितनी हैं जो कल्याण-योजनाओं के विस्तार अन्तर्गत जनता को सेवाएं और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के सामान्य आदेशों में छूट देकर कार्यालय खोलने के आदेशों के अन्तर्गत आते हैं; और

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित कार्यालय अन्तिम रूप से कब तक खुल जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) जानकारी विवरण में दी जा रही है ।

(ग) डाकघर व तारघर चरणबद्ध रूप में खोले जायेंगे बशर्ते कि निधि एवं अन्य उपस्कर उपलब्ध रहें ।

विवरण

राजस्थान में बकाया पड़े प्रस्तावों की जिलावार संख्या

क्र० सं०	जिले का नाम	डाकघर	संयुक्त डाक तारघर	विभागीय तारघर	टेलीफोन एक्सचेंज
1	2	3	4	5	6
1.	भीलवाड़ा	1	—	—	—
2.	बांसावाडा	1	12	1	1
3.	चितौडगढ़	4	—	1	1
4.	धौलपुर	1	—	—	—
5.	कोटा	4	—	—	2
6.	टोंक	1	1	—	—
7.	नागौर	1	1	—	5
8.	श्री गंगानगर	5	—	—	2
9.	झुंझनू	—	2	1	—

1 2	3	4	5	6
10. जालोर	—	6	1	3
11. सीकर	—	4	—	1
12. डूंगरपुर	—	10	—	1
13. सिरोही	—	2	—	3
14. उदयपुर	—	11	—	—
15. बाड़मेर	—	13	—	5
16. जोधपुर	—	12	—	2
17. जैसलमेर	—	1	—	—
18. चूरू	—	—	—	1
19. अलवर	—	—	—	2
20. भरतपुर	—	—	—	1
21. जयपुर	—	—	—	2
22. अजमेर	—	—	—	2
23. पाली	—	—	—	7
24. बूंदी	—	—	—	1
25. बीकानेर	—	—	—	1

टोंक एवं नागौर जिले में प्रत्येक में एक डाकघर व उपर्युक्त सभी संयुक्त डाकतार घर व टेलीफोन एक्सचेंज सामान्य आदेशों में छूट के अन्तर्गत आते हैं।

बिना बिके उर्वरकों के कारण हुई हानि

5063. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उर्वरक एककों के पास 1982-83 और 1983-84 के दौरान कितने और कितने मूल्य के उर्वरक बिना बिके पड़े रहे और उसके परिणामस्वरूप सरकार को कितनी हानि हुई ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : इस मन्त्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन उर्वरक कम्पनियों के पास 1982-83 और 1983-84 के दौरान पड़ी हुई उरर्वक की मात्रा और मूल्य निम्न प्रकार हैं :

	1982-83 को अन्तिम स्टाक मूल्य	31.3.83	1983-84 29.2.84 को अन्तिम स्टाक	
	मात्रा (टनों में)	मूल्य (रु० करोड़ों में)	मात्रा (टनों में)	मूल्य (रु० करोड़ों में)
फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड	1,80,471	57.58	61,842	21.57
नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०	2,33,051	61,86	10,332	2.57
मद्रास फर्टिलाइजर्स लि०	1.47,240	35.40	49,262*	10.70*
राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०	2,26,572	67,07	91,343	17.58
हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि०	1,56,031	35,18	83,434	20.03
फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि०	1,73,000	21.10	1,03,000	21.10

*ये आंकड़े 15.3.84 के हैं।

यद्यपि उर्वरक का उत्पादन पूरे वर्ष चलता है, इसकी मांग मौसमी स्वरूप की है । इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक माह की वस्तु सूची भिन्न-भिन्न होती है। उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस कारण कोई हानि नहीं हुई थी।

विदिशा और रायसेन में विद्युतीकृत गांव

5064. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले चार वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के विदिशा और रायसेन जिलों में कितने गांवों को ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) निर्धारित लक्ष्य की तुलना में वास्तव में विद्युतीकृत किए गए गांवों का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन जिलों में उक्त अवधि के दौरान बिजली के कितने पम्पों को बिजली दी गई है;

(घ) क्या यह सच है कि ग्रामीण विद्युतीकरण और पम्पों को बिजली देने का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है;

(ङ) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं; और

(च) कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) पिछले 4 वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के विदिशा और रायसेन जिले में विद्युतीकृत गांवों और उर्जित किए गए सिंचाई पम्पसेटों/ट्यूबवैलों की संख्या नीचे दिए अनुसार है :

जिला विदिशा	विद्युतीकृत गांव	उर्जित पम्पसेट
वर्ष		
1979-80	42	279
1980-81	64	569
1981-82	78	
1982-83	88	265
जोड़	272	1113

जिला रायसेन	विद्युतीकृत गांव	उर्जित पम्पसेट
वर्ष		
1979-80	38	188
1980-81	53	606
1981-82	74	
1982-83	57	302
जोड़	222	1096

योजना आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजनाओं में गांव के विद्युतीकरण और पम्पसेटों के ऊर्जा का जिलेवार लक्ष्य नहीं दिखाया जाता है। तथापि, पिछले चार वर्षों के दौरान समग्र राज्य का वर्षवार लक्ष्य और उपलब्धियां नीचे दिए अनुसार हैं :

वर्ष	गांव का विद्युतीकरण		ऊर्जित पम्पसेट	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1979-80	2,120	2,700	41,000	34,578
1980-81	3,255	3,350	41,000	37,557
1981-82	4,000	3,620	58,000	37,657
1982-83	2,800	3,818	32,000	38,478
जोड़	12,175	13,488	172,000	148,270

यद्यपि राज्य के लिए गांव विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है, तथापि पम्पसेटों को उर्जित करने के लक्ष्य को पूरा करने में कुछ कमी रही है।

(ङ) पम्पसेटों के ऊर्जन की उपलब्धि में मामूली सी कमी के मुख्य कारण ये हैं : लागत में वृद्धि, राज्य बिजली बोर्ड तथा राज्य की अन्य विकास एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी तथा संस्थागत एजेंसियों से उपभोक्ताओं को ऋण का अपर्याप्त सहयोग।

(च) ऊर्जा मंत्रालय तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम की प्रगति में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों के साथ कार्रवाई करते रहे हैं। राज्य सरकार और राज्य बिजली बोर्डों के अधिकारियों के साथ उच्चतम स्तर पर समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। ग्राम विद्युतीकरण निगम ने भी मध्य प्रदेश राज्य में ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम की प्रगति में तेजी लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। राज्य बिजली बोर्ड को सुझाव दिया गया है कि अन्य एजेंसियों और ऋण संस्थानों के साथ सम्पर्क करने के लिए एक पूर्ण भार विकास स्कंध स्थापित किया जाना चाहिए। निगम ने प्रगति की सतत् समुचित मानीटरिंग करने की एक प्रणाली भी शुरू की है, जिसका उद्देश्य बाधाओं का पता लगाना तथा समय पर उपचारात्मक उपायों का सुझाव देना है।

कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए किए गए कारगर उपायों के परिणामस्वरूप वर्ष 1983-84 के दौरान पम्पसेटों के ऊर्जन के लिए निर्धारित 32,270 का लक्ष्य फरवरी, 1984 के अन्त तक 33,565 पम्पसेट ऊर्जित करके पार कर लिया गया है। 3,333 गांवों के लक्ष्य की तुलना में फरवरी, 1984 के अन्त तक 3,100 गांवों का विद्युतीकरण हो जाने के परिणामस्वरूप गांव के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में उपलब्धि भी काफी संतोषजनक है और लक्ष्यों को पूरा कर लिए जाने की आशा है।

विदिशा के ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा भेजी गई योजनायें

5065. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या उर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने चालू वर्ष के दौरान विदिशा जिले के ग्रामीण विद्युतीकरण की कुल योजनाएं ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली को भेजी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली द्वारा मंजूर की गई तथा उसके समक्ष लम्बित योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने चालू वर्ष के दौरान वित्तीय सहायता के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम को राज्य के विदिशा जिले के लिए आठ ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें प्रस्तुत की हैं। स्कीमों का ब्यौरा विवरण में दे दिया गया है। आठ स्कीमों में से उपाबन्ध में क्रम सं० 1 से 7 पर दी गई सात स्कीमें स्वीकृत कर दी गई हैं तथा एक स्कीम क्रम सं० 8 का जबलपुर में निगम के परियोजना कार्यालय द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है।

विवरण

मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा वर्ष 1983-84 के दौरान विदिशा जिले के लिए वित्तीय सहायता हेतु प्रस्तुत की गई ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें दिखाने वाला विवरण।

क्रम सं०	स्कीम का नाम	श्रेणी	ऋण की राशि (लाख रु० में)	शामिल किए गए गांव	शामिल किए गए पम्पसेट
1.	लतेरी-2	संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	60.51	54	100
2.	—वही—	—वही—	45.98	52	100
3.	बसोदा-1	—वही—	54.53	67	150
4.	कुरवाई	—वही—	85.31	105	200
5.	सिरोंज	—वही—	62.35	80	120
6.	बसोदा-2	—वही—	55.58	70	150
7.	विदिशा	विशिष्ट परियोजना कृषि	12.78	—	150
8.	लतेरी और सिरोंज	—वही—	13.65 (अनुमानित)	—	150

विदिशा और भोपाल के बीच माइक्रोवेव एस०टी०डी० सम्पर्क

5066. **श्री प्रताप भानु शर्मा :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 100 लाइन वाले टेलीफोन एक्सचेंज के विस्तार और विदिशा और भोपाल के बीच माइक्रोवेव एस०टी०डी० सम्पर्क सम्बन्धी कार्य की प्रगति बहुत धीमी है;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन कार्यों को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, नहीं। एक्सचेंज का 100 लाइनों में विस्तार करने से सम्बन्धित कार्य काफी अधिक हो चुका है और सूक्ष्मतरंग सम्पर्क में कार्यक्रमानुसार प्रगति हो रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) (एक) विदिशा का 100 लाइनों द्वारा विस्तार 1983-84 में पूरा होने की सम्भावना है।

(दो) विदिशा-भोपाल सूक्ष्मतरंग एस०टी०डी० सम्पर्क के चालू योजना अवधि में पूरा हो जाने की सम्भावना है।

भोपाल में नये ट्रंक ऑटो एक्सचेंज की स्थापना

5067. **श्री प्रताप भानु शर्मा :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ उपकरण न मिलने के कारण मध्य-प्रदेश में भोपाल एक नया ट्रंक आटो एक्सचेंज स्थापित किए जाने सम्बन्धी कार्य बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं।

(ग) यदि नहीं, तो इस परियोजना में क्या विस्तृत प्रगति हुई है;

(घ) इस नये ट्रंक आटो एक्सचेंज सिस्टम की कुल लागत कितनी है; और

(ङ) इस पर अब तक कुल कितना व्यय किया जा चुका है ?

संचार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस कार्य के लिए परियोजना प्राक्कलन को मंजूरी दी जा चुकी है और योजना बजट में

निधि का आबंटन कर दिया गया है। फ्रांस के मैं० सी०आई०टी० अलकातेल के साथ किए गए करार में भोपाल के डिजीटल ट्रंक ऑटो एक्सचेंज के लिए उपस्कर को शामिल कर लिया गया है।

(घ) इस नई टी०ए०एक्स० प्रणाली की अनुमानित लागत 3 करोड़ रुपए है।

(ङ) 21.61 लाख रुपये।

कोयले का उत्पादन और मांग

5068. **श्री ए०के० राय** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी दस वर्षों में अलग-अलग श्रेणियों और अलग-अलग किस्म के कोयले का अनुमानित उत्पादन और मांग का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि सप्लाई की तुलना में मांग हमेशा अधिक रहेगी; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) योजना आयोग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कोयले और लिग्नाइट पर एक कार्यकारी दल बनाया है। इस कार्यकारी दल को सातवीं योजना की अवधि में तथा 1994-95 में कोयले की मांग का निर्धारण करना है और वर्ष 1989-90 तक अपेक्षित उत्पादन का भी निर्धारण करना है। इस कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

पाइराइट्स फास्फेट एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड अमझौर जिला रोहतास (बिहार)

5069. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रोहतास (बिहार) जिले में अमझौर स्थित पाइराइट्स फास्फेट्स एंड कैमिकल्स लि० ने पिछले वर्षों में प्रगति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रगति के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह बात सच है कि वहां काम करने वाले कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार कर लेने से उसकी प्रगति और अधिक हो सकती है; और

(ङ) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार ने कौन-सी कार्यवाही की है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) अमझोर स्थित पाइराइट्स खान संतोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रही है क्योंकि भारतीय उर्वरक निगम का सिन्दरी एकक पाइराइट्स को उठा नहीं रहा है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारतीय तेल निगम में कार्यात्मक (फंक्शनल) निदेशक

5070. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **उर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम में कार्यात्मक निदेशक नियुक्त करने के क्या मानदण्ड हैं;

(ख) इस समय भारतीय तेल निगम में कितने कार्यात्मक निदेशक हैं और उनकी नियुक्ति कब हुई थी ;

(ग) उनकी वर्तमान नियुक्ति की अवधि कितनी है और उनका कार्यकाल कब पूरा हो जायेगा; और

(घ) क्या कार्यात्मक निदेशकों का स्थानान्तरण एक उपक्रम से दूसरे उपक्रम में हो सकता है ?

उर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) भारतीय तेल निगम में बोर्ड स्तर की अर्थात् कार्यकारी/कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्तियां, सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय के सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड (पी० ई० एस० बी०) की सिफारिशों पर की जाती है, जो संगठन के उम्मीदवारों सहित विभिन्न उम्मीदवारों पर विचार करता है और पद की आवश्यकताओं के संदर्भ में उनकी उपयुक्तता पर निर्णय देता है और पेट्रोलियम विभाग के विचारार्थ नामों का एक पैनल प्रस्तुत करता है। पैनल में से, पेट्रोलियम विभाग उम्मीदवार का चयन कर लेता है और मन्त्रिमण्डल की नियुक्ति समिति (ए० सी० सी०) का अनुमोदन प्राप्त करके उसे नियुक्त कर दिया जाता है।

(ख) और (ग) : भारतीय तेल निगम में कार्यात्मक निदेशकों की संख्या, उनकी नियुक्ति की तिथि, नियुक्ति की वर्तमान अवधि और उनका कार्यकाल पूरा होने की तिथि इस प्रकार है :

क्र०सं०	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	वर्तमान कार्यकाल	वर्तमान कार्यकाल पूरा होने की तिथि
1	2	3	4	5	5
1.	श्री ए० जे० ए० तारो	अध्यक्ष	12.4.82	2 वर्ष	11.4.1984

1	2	3	4	5	6
2.	श्री टी०के०सिन्हा	प्रबन्ध निदेशक (रिफाइनरीज) तथा पाइप-लाइन प्रभाग)	27.3.79	5 वर्ष	26.3.1984
3.	श्री बी०के०बक्शी	निदेशक (विपणन)	1.2.84	2 वर्ष	31.1.1986
4.	श्री पी०के०मुखोपाध्याय	निदेशक (अनुसंधान तथा विकास)	1.12.83	2 वर्ष	30.11.1985
5.	श्री एस०के०कोमल	निदेशक (वित्त)	8.12.83	2 वर्ष	7.12.1985
6.	श्री बिमल कपूर	निदेशक (कार्मिक)	3.2.82	2 वर्ष	2.2.1984 *

*निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इनके कार्यकाल को बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(घ) यदि पी० ई० एस० बी० द्वारा सिफारिश किया जाता है और उसका अनुमोदन ए०सी०सी० द्वारा कर दिया जाता है, तब एक सार्वजनिक उपक्रम के बोर्ड स्तर के निदेशक अन्य सार्वजनिक उपक्रम में उसी वेतनमान में अथवा उसमें उच्च वेतनमान में, बोर्ड स्तर के निदेशक पदों को ग्रहण कर सकते हैं।

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का कार्यान्वयन

5071. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) में उल्लिखित 14 नुक्तों को क, ख और ग तीनों क्षेत्रों के राज्यों के लिए द्विभाषी रूप में क्रियान्वित करने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो उनके मन्त्रालय, विभागों और क, ख और ग क्षेत्रों में स्थित राज्यों में उनके सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों एवं उपक्रमों में सन् 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में धारा 3(3) की क्रियान्विति की प्रतिशतता का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) तीनों क्षेत्रों के राज्यों में उक्त सभी चौदह कार्यों को शतप्रतिशत द्विभाषी करने में क्या कठिनाई है; और

(घ) सरकार ने उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है जिसे लोक सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

उन कम्पनियों का ब्यौरा जिनका कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षण किया गया

5072. **श्री आर० प्रभु** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनमें जनवरी, 1983 से कम्पनी अधिनियम की धारा 209 के अन्तर्गत निरीक्षण किये जाने के आदेश दिए गए हैं;

(ख) ऐसी जांच के आदेश दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सभी जांच कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ग) 1 जनवरी, 1983 से 20 मार्च, 1984 तक, कम्पनी अधिनियम की धारा 209 क के अन्तर्गत निरीक्षण करने के लिए लगभग 430 कम्पनियों को सूचीबद्ध किया जा सका है। इनमें से लगभग 300 मामले अभी अनिर्णीत हैं और उनके निरीक्षण 12 से 18 महीनों की अवधि के अन्दर समाप्त किए जाने की सम्भावना है।

निरीक्षणों का उद्देश्य मुख्यत: कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन और कुछ मामलों में शिकायतों आदि के संबंध में पूछताछ करने के अतिरिक्त सामान्य उपलब्धियों पर चौकसी के उपाय के रूप में हैं।

प्रश्न में निहित कम्पनियों की बहुत बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए उनके नामों की सूची तैयार करने में बहुत ज्यादा लिपिकीय कार्य करना पड़ेगा, जिसके परिणाम समय, प्रयास और इसमें किये जाने वाला व्यय शायद इसके अनुरूप नहीं होगा। तथापि अगर किसी विशेष कम्पनी संबंध में सूचना अपेक्षित हो तो वह उपलब्ध कराई जा सकती है।

हाइड्रो-कार्बन की खोज और उत्पादन की योजना

5073. **श्री एन०ई० होरो** : क्या **उर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में सरकार ने देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में आयल

इंडिया लिमिटेड की पहल पर हाइड्रोकार्बन की व्यापक खोज और उत्पादन के लिए महत्वाकांक्षी योजना परिव्यय निर्धारित किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) हाइड्रोकार्बनों की खोज और उत्पादन के लिए यद्यपि आयल इंडिया लिमिटेड के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है, आयल इण्डिया लिमिटेड के 1984-85 के वर्ग के लिए 185.30 करोड़ रुपये की योजना परिव्यय को अंतिम रूप दिया जा चुका है, जबकि 1983-84 के लिये पूर्वानुमानित व्यय 120 करोड़ रुपये का था।

वर्ष 1984-85 के लिए खोज कार्यक्रम की कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

अन्वेषी खुदाई	—	44,000 मीटर
विकास संबंधी खुदाई	—	76,000 मीटर
खुदाई किए जाने वाले कुओं की संख्या	—	39

इण्डियन ट्यूब कम्पनी लिमिटेड का टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के साथ विलय

5075. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ट्यूब कम्पनी लिमिटेड का टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के साथ विलय के लिये स्वीकृति देने का सरकार से अनुरोध किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रकार के विलय का अन्य सभी भारतीय इस्पात ट्यूब उत्पादकों जिनकी संख्या 60 एककों से अधिक है पर पड़ने वाले प्रभावों का गहराई से विचार किया है ; और

(ग) क्या प्रस्तावित विलय से टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को इस्पात ट्यूब बाजार में हावी प्रभुत्व जमाने तथा समकरण निधि में देय राशि तथा बिक्री कर के भुगतान से बचने में बहुत सहायता मिलेगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) हां, श्रीमान जी।

(ख) तथा (ग) विलयन की प्रस्तावित योजना, सरकार के विचाराधीन है।

हिमाचल प्रदेश को भाखड़ा परियोजना काम्पलैक्स में सहभागी राज्य बनाना

5076. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश को भाखड़ा परियोजना काम्लैक्स में एक सहभागी राज्य बनाना स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख को यह निर्णय किया गया है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश को होने वाली आय संबंधी "फायदे" और उसकी शक्तियों, उत्तरदायित्वों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) भारत सरकार ने 16 अगस्त, 1983 को भाखड़ा तथा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड को हिमाचल प्रदेश के साथ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के समान व्यवहार करने के निर्देश दिये हैं।

(ग) भाखड़ा परियोजना काम्पलैक्स से इस समय लाभों की मात्रा का आबंटन हिमाचल प्रदेश सहित विभिन्न लाभ प्राप्त करने वालों को तदर्थ आधार पर किया जाता है और परियोजना में सभी परवर्ती राज्यों के अधिकारों और दायित्वों के बंटवारे पर अंतिम निर्णय लिए जाने तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तथापि, उपर्युक्त परिवर्तन के परिणामस्वरूप, हिमाचल प्रदेश को उतनी मात्रा में लाभ मिलेगा जिसके लिये भाखड़ा विद्युत में 2.5 प्रतिशत तदर्थ हिस्से के लिए केवल प्रचालन और अनुरक्षण प्रभार देने होंगे, जिसके लिये भाखड़ा परियोजना के सामान्य पुल केउपभोक्ता के रूप में टैरिफ के स्थान पर भूतपूर्व राज्य के परवर्ती राज्य के रूप में वह हकदार है।

भुवनेश्वर में टेलीफोन सेवा

5077. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की कोई शिकायतें मिली हैं कि भुवनेश्वर उड़ीसा में सीधे डायल करने की प्रणाली के अन्तर्गत आने वाले टेलीफोन केन्द्र और भुवनेश्वर तथा अन्य जिलों के बीच सीधी टेलीफोन सेवा सामान्यत: खराब रहती हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उसे ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) भुवनेश्वर-भवानीपटना ट्रंक सेवा के सम्बन्ध में अगस्त, 83 में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। यह शिकायत भारी वर्षा के कारण ऊपरी लाइनें खराब होने के कारण प्राप्त हुई थी।

सर्किट की खराबी तुरन्त ठीक कर दी गई थी और उसके बाद से सेवा सामान्यतया सन्तोषजनक है।

देश के विभिन्न तेल शोधन कारखानों में पेट्रोलियम का उत्पादन

5078. **श्री के० मालन्ना** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न तेल शोधन कारखानों में इस समय प्रतिवर्ष पेट्रोलियम का वास्तविक उत्पादन कितना है ;

(ख) देश में पेट्रोलियम की प्रति वर्ष अनुमानित माँग कितनी है ; और

(ग) इस समय कितने प्रतिशत तेल शोधन क्षमता का उपयोग किया जा रहा है तथा क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) वर्ष 1983 के दौरान देश में विभिन्न तेल शोधन कारखानों में पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन का एक विवरण संलग्न है।

(ख) वर्ष 1983 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों (शोधनशाला ईंधन को छोड़कर) की कुल खपत लगभग 35.1 मि० मी० टन थी।

(ग) वर्ष 1983 के दौरान क्षमता उपयोग की प्रतिशतता लगभग 91% थी। तत्कालिक सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए निरन्तर आधार पर तेल शोधक कारखानों के कार्य-निष्पादन की निगरानी की जाती है।

विवरण

(मि० मी० टनों में)

क्र० सं०	तेलशोधन कारखाने का नाम	पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन (1983)
1		2
1.	आई० ओ० सी०, दिग्बोई	0.51
2.	आई० ओ० सी०, गोहाटी	0.77
3.	आई० ओ० सी०, बरौनी	2.65
4.	आई० ओ० सी०, गुजरात	6.76
5.	आई० ओ० सी०, हल्दिया	2.39
6.	आई० ओ० सी०, मथुरा	4.65
7.	एच० पी० सी० एल०, बम्बई	3.04
8.	बी० पी० सी० एल० बम्बई	4.77
9.	एच० पी० सी० एल० विजाग	0.95
10.	सी० आर० एल० कोचीन	2.95

1	2
11. एम० आर० एल०, मद्रास	2.33
12. बी० आर० पी० एल० असम	0.50
जोड़	32.27

आन्ध्र प्रदेश में गोबर गैस संयंत्र

5079. **श्री अनन्त रामुलु** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि आन्ध्र प्रदेश राज्य में कुछ अधिकारी गोबर गैस संयंत्रों का प्रचार करने में सक्रिय नहीं हैं अथवा उत्साह नहीं दर्शा रहे हैं ;

(ख) 1981, 1982 और 1983 में पश्चिमी गोदावरी जिले में कितने गोबर गैस संयंत्र लगाए गए ;

(ग) आन्ध्र प्रदेश के कृषि जिलों में गोबर गैस संयंत्रों के प्रसार की धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या आन्ध्र प्रदेश में इस प्रयोजन के लिए किसी निगरानी तन्त्र की स्थापना की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) आन्ध्र प्रदेश में, केन्द्रीय क्षेत्र की योजना "बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना" राज्य सरकार की नोडल एजेंसी द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। ये ऐजेंसियां कृषि पम्परोट्स एवं औजार लिमिटेड तथा खादी ग्रामोद्योग आयोग हैं। सरकार को 1983-84 के दौरान कार्यान्वित एजेंन्सियों से ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है जिसमें राज्य में बायोगैस वार्यक्रम के प्रचार-प्रसार के लिए अधिकाधिक रूप से उत्साह में कमी आई हो।

(ख) पश्चिमी गोदावरी जिले में नोडल ऐजेंसी के तत्वाधान के अन्तर्गत विभिन्नि वर्षों के दौरान निम्नलिखित बायोगैस संयंत्रों को स्थापित किया गया है :

वर्ष	संपंत्र की संख्या
1981-82	52
1982-83	129
1983-84	225 (फरवरी, 84 तक)

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग से सूचना एकत्रित की जा रही है जिसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ग) राज्य में 1983-84 के दौरान वायोगैस कार्यक्रम की प्रगति अब तक सन्तोषजनक रही है ।

(घ) और (ङ) राज्य में नोडल ऐजेंसी को वायोगैस कार्यक्रम की निगरानी एवं मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है । अन्य बातों के साथ-साथ इसने लाभार्थियों को, जब कभी आवश्यक हो, रख-रखाव सेवायें प्राप्त करने के लिए पोस्टकार्ड डाक प्रणाली का विकास किया है ।

केरल में टेलीफोन के नए कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची

5030. **श्री ए० नीलालोहित दसन नाडार** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में समग्र रूप से इस समय टेलीफोन क्षमता कुल कितनी है इसके लिए प्रतीक्षा सूची में कितने लोग हैं;

(ख) प्रत्येक सर्किल में टेलीफोन क्षमता कितनी है और प्रत्येक सर्किल में कितने लोग प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ग) केरल सर्किल में टेलीफोन क्षमता कितनी है और कितने लोग प्रतीक्षा सूची में हैं;

(घ) नए कनेक्शन के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं; तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या भविष्य में नए आवंटन के लिए प्रतीक्षा सूची की प्रतिशतता को मुख्य आधार माना जाएगा, यदि हां, तो सत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) देश में 31.1.1984 को टेलीफोनों की सज्जित क्षमता और प्रतीक्षा सूची क्रमशः 29.5 लाख और 7.5 लाख है ।

(ख) विवरण के अनुसार ।

(ग) केरल में 31.1.1984 को टेलीफोनों की सज्जित क्षमता और प्रतीक्षा क्रमशः 91,010 और 30,954 है ।

(घ) विभिन्न सर्किलों को उपस्कर का आवंटन इस आधार पर किया जाता है :

(एक) टेलीफोन के लिए पंजीकृत मांग, अर्थात् प्रतीक्षा सूची ।

(दो) ओ० वाई० टी० और विशेष श्रेणी की मांग की अधिकता ।

(तीन) एक्सचेंज उपस्कर स्थापित करने के लिए भूमि और भवन की उपलब्धता ।

(चार) बड़ी विकास परियोजनाओं, औद्योगिक क्षेत्र, विकास केन्द्र आदि का होना ।

(पांच) सरकार के सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों के अनुसार पिछड़े, पहाड़ी और जनजातीय इलाकों को विकास के लिए विशेष प्राथमिकता ।

(छ) क्षेत्रीय असंलतुन को दूर करना।

(ङ) जी हां। अब तक टेलीफोन की मांग ही आवंटन का मुख्य मानदण्ड है। इसके अलावा उपर्युक्त मानदण्डों पर भी विचार किया जाता है।

विवरण

क्र० सं०	सर्किल का नाम	31.1.1984 को सज्जित क्षमता	31.1.1984 को प्रतीक्षा सूची
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,41,485	14,200
2.	बिहार	57,070	5,351
3.	गुजरात	1,31,050	16,246
4.	जम्मू और कश्मीर	19,245	4,905
5.	कर्नाटक	1,07,188	14,206
6.	केरल	91,010	30,954
7.	मध्य प्रदेश	78,784	13,310
8.	महाराष्ट्र	1,54,067	41,086
9.	उत्तर पूर्व (असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश को मिलाकर)	38,494	3,159
10.	उत्तर पश्चिम (पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश को मिलाकर)	1,19,178	17,499
11.	उड़ीसा	36,380	4,107
12.	राजस्थान	74,220	11,188
13.	तमिलनाडु	1,37,609	18,131
14.	उत्तर प्रदेश	1,09,073	18,638
15.	पश्चिम बंगाल	50,435	3,228
	योग	13,45,288	2,16,208

पंजाब मेज प्राडक्टस लिमिटेड संगरूर का बन्द होना

5081. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० डी० पी० एल० की एक सहायक कम्पनी पंजाब मेज प्राडक्टस लिमिटेड संगरूर पिछले 11 महीनों से वास्तव में बन्द पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो इसमें उत्पादन बन्द होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके मजदूर संघ के अनुसार, प्रबन्धकों द्वारा वित्तीय तथा अन्य प्रकार के कदाचार किए जाने के कारण ऐसा हुआ है; और

(घ) क्या इस एकक को स्थायी रूप से बन्द कर दिया जाएगा अथवा सरकारी कार्यवाही करके, इसे फिर चालू किया जाएगा ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) पंजाब मेज प्रोडक्ट्स लिमिटेड में उत्पादन जून, 1983 में बन्द किया गया था क्योंकि कच्चे माल के उच्चतर मूल्यों तथा लागत के बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण कार्य संचालन अलाभकर हो गया था ।

(ग) ट्रेड यूनियन कौंसिल, संगरूर से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ।

(घ) कम्पनी द्वारा इस एकक को पुन: चालू करने की एक योजना तैयार की गई है ।

केन्द्रीय सूचना सेवा में सम्पादकीय स्टाफ को शामिल किया जाना

5082. **श्री बी० डी० सिंह**
श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव } : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय विकास के लिए तैयार किये गये 20-सूत्री कार्यक्रम सम्बन्धी जानकारी देने तथा कार्यक्रम की उपलब्धियों के प्रचार-प्रसार के लिए की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस सम्बन्ध में 1983-84 के दौरान कितने प्रकाशन तथा प्रचार साहित्य उपलब्ध कराए गए;

(ग) क्या यह बात सच है कि सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है किन्तु सिंचाई तथा विद्युत की पत्रिका "भागीरथ" और अन्य सम्बद्ध प्रकाशनों का काम शिथिल है तथा वहां वर्षों से अनेक पद रिक्त रखे गए हैं और इन प्रकाशनों को उचित सुविधाएं नहीं दी गई है;

(घ) इन पत्रिकाओं और प्रसार साहित्य के कर्मचारियों को केन्द्रीय सूचना सेवा में शामिल न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सम्पादकीय स्टाफ को केन्द्रीय सूचना सेवा संवर्ग में शामिल करने के लिए तथा इन

प्रकाशनों के लिए समुचित व्यवस्था करने के लिए कब तक कार्यवाही पूरी की जायेगी तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) (क) नए 20-सूत्री कार्यक्रम को प्रधानमन्त्री ने 14 जनवरी, 1982 को राष्ट्र के नाम अपने प्रसारण में घोषित किया था। संशोधित 20-सूत्री कार्यक्रम का प्रचार करने के लिए, अनेक संचार माध्यमों यथा प्रदर्शिनियों, प्रेस विज्ञापनों, रेडियो और दूरदर्शन विज्ञापनों, पेंटिंग, होर्डिंगों, किवोस्कों तथा सिनेमा स्लाइडों जैसे बाह्य माध्यमों तथा मुद्रित प्रचार सामग्री अर्थात् पोस्टरों, फोल्डरों तथा ब्रोचरों का उपयोग किया जा रहा है । व्यापक कवरेज के लिए, इस राष्ट्रीय अभियान के लिए प्रचार अंग्रेजी और हिन्दी के अलावा, देश की सभी मुख्य क्षेत्रीय भाषाओं में किया जा रहा है।

योजना आयोग का 20-सूत्री कार्यक्रम सैल 20-सूत्री कार्यक्रम के प्रचार पर विशेष निगरानी रखता है।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) यह सही है कि 20-सूत्री कार्यक्रम में सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है । "भगीरथ" नामक पत्रिका का प्रकाशन तथा संबंधित प्रशासनिक मामलों का उत्तरदायित्व केन्द्रीय जल आयोग, सिंचाई मन्त्रालय का है । "भगीरथ" (अंग्रेजी) का नियमित रूप से प्रकाशन हो रहा है। "भगीरथ" (हिन्दी) के प्रकाशन में कभी-कभी कुछ विलम्ब हुआ है। "भगीरथ" (अंग्रेजी) के सम्पादक का पद 1.1.1984 को ही खाली हुआ है और संघ लोक सेवा आयोग से इस पद को भरने के लिए अनुरोध किया गया है। "भगीरथ" (हिन्दी) के सम्पादक, उप सम्पादक तथा आर्टिस्ट के पद खाली पड़े हैं क्योंकि इन पदों के भर्ती नियमों को सिंचाई मन्त्रालय द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया है। यह बताया गया है कि नियमों के शीघ्र ही अधिसूचित कर दिए जाने की उम्मीद है और भर्ती नियमों के अधिसूचित हो जाने के बाद इन पदों को शीघ्र भर लिया जाएगा।

(घ) और (ङ) इन पदों को केन्द्रीय सूचना सेवा में शामिल करने के प्रश्न को उठाया गया है और यह उम्मीद की जाती है कि मामले में उपयुक्त निर्णय शीघ्र ही ले लिया जाएगा।

विवरण

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय :

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय कार्यक्रम का प्रचार विभिन्न जन संचार माध्यमों यथा प्रदर्शनियों, दीवारी पेंटिंग, प्रेस विज्ञापनों तथा पोस्टरों, फोल्डरों तथा ब्रोचरों सहित मुद्रित प्रचार सामग्री के जरिए करता है।

प्रधानमन्त्री के 14 जनवरी, 1982 को राष्ट्र के नाम प्रसारण को "एजेंडा फार दि नेशन" शीर्षक के अन्तर्गत अंग्रेजी, हिन्दी और सभी क्षेत्रीय भाषाओं में फोल्डर के रूप में प्रकाशित किया गया था। योजना आयोग के अनुरोध पर 1982-83 में 20-सूत्री कार्यक्रम में अन्तर्गत प्राप्त किए जाने वाले वास्तविक लक्ष्यों पर 80 पृष्ठ की एक पुस्तक प्रकाशित की गई थी। एक बहु रंगीन कार्टून पुस्तिका, एक सरल पुस्तिका, जिसमें ड्राइंग और पाठ शामिल थे, एक छोटा पोस्टर तथा एक खेल कार्ड भी प्रकाशित किए गए थे। सतत प्रचार के लिए इसमें से कुछ सामग्री का पुनः मुद्रण किया जा रहा है।

अप्रैल में हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य एक्जीक्यूटिवों के सम्मेलन में प्रधान मन्त्री के भाषणों को "प्राइम मिनिस्टर स्पीक्स" पुस्तक-माला में प्रकाशित किया गया था।

1983-84 में जन अभियान के रूप में 20-सूत्री कार्यक्रम पर प्रेस विज्ञापन अभियान जारी है।

1982-83 के दौरान, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने देश भर में 352 प्रदर्शनियां लगाईं। 1983-84 में अक्टूबर, 1983 तक तीन सौ और प्रदर्शनियां लगाई गई हैं। 4 अप्रैल, 1983 को मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन के अवसर पर विज्ञान भवन में "एजेंडा फार दि नेशन" नामक विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई।

कार्यक्रम के अन्तर्गत हुई उपलब्धियों अन्य रूप से एक चलती-फिरती प्रदर्शनी भी मीटरगेज रेल कोच पर लगाई गई है। कोच पहले ही चल रही है और उसने उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कुछ स्थानों को कवर किया है।

26 होर्डिंगें जिसमें 20-सूत्री कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं को कवर किया गया है, देश के विभिन्न स्थाओं पर लगाई जा रही है। इसके अलावा, प्रथमतया 5 राज्यों में दीवारी पेंटिंग का काम भी हाथ में लिया जा रहा है। इस काम को बाद में अन्य राज्यों में भी हाथ में लिया जाएगा। 20-सूत्री कार्यक्रम पर सिनेमा स्लाइडें बनाने तथा उन्हें रिलीज करने का प्रस्ताव भी है।

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय गवेषणा और संदर्भ प्रभाग द्वारा जारी बैक-ग्राउंडरों को पुस्तिकाओं के रूप में भी मुद्रित कर रहा है। अब तक, इस प्रकार की 16 पुस्तिकायें मुद्रित की गई हैं। तीन और पुस्तिकाओं को मुद्रित करने का काम हाथ में लिया गया है।

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने अक्टूबर, 1983 में "फिजीकल टारगेट्स 1983-84 20-प्वाइंट प्रोग्राम" नामक पुस्तिका प्रकाशित की।

प्रकाशन विभाग :

प्रकाशन विभाग अंग्रेजी, हिन्दी और अनेक क्षेत्रीय भाषाओं की अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से समय-समय पर प्रकाशित लेखों, कहानियों तथा नारों के जरिए कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं को प्रतिबिम्बित करता है। पाक्षिक "योजना" के अंग्रेजी, हिन्दी और भाषाई संस्करणों में संशोधित 20-सूत्री कार्यक्रम के विभिन्न रूपों पर अनेक लेख छपते हैं। "कुरुक्षेत्र" नामक पत्रिका में भी 20-सूत्री कार्यक्रम के लिए काफी स्थान दिया जाता है।

विभाग की पत्रिकाओं द्वारा जनवरी और फरवरी, 1984 में छापे गये कुछ लेख :

जनवरी, 1984 :

1. सम्पादकीय लेख (आजकल ऊर्दू)।
2. हरियाणा में 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम-लेख (योजना : हिन्दी)।
3. बायोगैस स्कीम्स इन कृष्णा डिस्ट्रीक्ट्स एचिवमेंट्स-लेख (योजना : तेलुगु)।
4. "न्यू 20-प्वाइन्ट प्रोग्राम-हाईवे टू प्रोग्रेस"—लेख (योजना : तेलुगु)।
5. "शेल्टर फार दैम"— फीचर (योजना : बंगला)।

फरवरी 1984 :

1. "कन्जरवेशन आफ फोरेस्ट्स"—लेख (योजना : अंग्रेजी)।
2. "न्यू 20-प्वाइंट प्रोग्राम"-हाईवे टू प्रोग्रेस"—लेख (योजना : तेलुगु)।
3. "एड फार वीकर सेक्सन्स"—सफल कहानियां और एक लघु विषय (योजना : तमिल)।
4. "गांव की दलहीज पर नई सुबह"—लेख (कुरुक्षेत्र : हिन्दी)।
5. "आयल्स एण्ड प्लसिस—राइट अप (योजना : उर्दू)।

गीत और नाटक प्रभाग :

गीत और नाटक प्रभाग जीवन्त मनोरंजन माध्यमों का उपयोग करता है। यह 41 विभागीय मण्डलियों और लगभग 500 पंजीकृत मण्डलियों और कलाकारों के माध्यम से काम करता है। प्रभाग ने वर्ष 1983 के दौरान लगभग 16,000 कार्यक्रम प्रस्तुत किए (यह दिसम्बर, 1983 की समीक्षा बैठक के लिए पहले के नोट में दिए गए 10,000 कार्यक्रमों की तुलना में है)।

गीत और नाटक प्रभाग ने परिवार कल्याण के विषय पर "सहर होगी" नामक ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम भी विशेष रूप से बनाया है। अब तक, इस कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में किया जा चुका है और यह लोकप्रिय रहा है।

पत्र सूचना कार्यालय :

पत्र सूचना कार्यालय प्रेस के माध्यम से लोगों को सूचित रखने के लिए भारत सरकार की केन्द्रीय एजेन्सी है। विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों के लिए प्रचार सम्पर्क का कार्य करने वाले सभी प्रचार अधिकारी नए 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का प्रचार करने के लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं। मुख्यालय में कार्यक्रम का प्रचार करने के लिए एक सूचना अधिकारी को पूरे समय के लिए लगाया हुआ है। वह योजना आयोग के "कार्यक्रम सैल" की आवधिक समीक्षाओं को मानिटर करता है और उन पर आधारित प्रेस रिलीज जारी करता है । विशेष लेख भी नियमित आधार पर जारी किए जाते हैं। पत्र सूचना कार्यालय के क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों के अधिकारी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के उत्तरदायी राज्य प्राधिकारियों के साथ घनिष्ट सम्पर्क बनाये रखते हैं। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली स्थित चार सूचना अधिकारी अनन्य रूप से क्षेत्र आधारित कहानियां भेजते हैं।

पत्र सूचना कार्यालय की लेख यूनिट बीस-सूत्री कार्यक्रम पर नियमित रूप से लेख जारी करती है। दिसम्बर, 1983 में, इसने नए बीस-सूत्री कार्यक्रम पर 16 लेख तथा 6 हैंड आउट रिलीज किए। जनवरी, और फरवरी, 1984 के दौरान, इस यूनिट ने 77 लेख तथा 12 समाचार मदें जारी कीं। "हमारा देश" पत्र सूचना कार्यालय द्वारा अंग्रेजी, हिन्दी तथा 11 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित किए जाने वाला एक पाक्षिक भित्ती समाचार पत्र है। यह नए 20-सूत्री कार्यक्रम के फलस्वरूप लोगों की जीवन शैली की बेहतरी के लिए परिवर्तन को ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में सरल भाषा में प्रस्तुत करता है। एक विशेष सेवा, "ग्रामीण पत्र सेवा" अपनी 90% से अधिक कहानियां 20-सूत्री कार्यक्रम से लेती है।

"हमारा देश" के मुद्रण आर्डर को 55,750 से बढ़ाकर 73,400 कर दिया गया है।

गवेषणा और संदर्भ प्रभाग :

इस प्रभाग को 20-सूत्री कार्यक्रम पर सभी सामग्री संकलन कर उसे एक साथ रखने के लिए केन्द्रीय स्थान बनवा दिया गया था। इस कार्य के लिए प्रभाग के अन्दर एक छोटा दल बनाया गया था। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों द्वारा सप्लाई की गई सामग्री के आधार पर गवेषण और संदर्भ प्रभाग ने कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर 35 प्रबन्ध जारी किए हैं। इनमें से लगभग 20 विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा जनता में वितरण के लिये "एजेन्डा फार दि नेशन" श्रृंखला के अन्तर्गत, पुस्तिकाओं के रूप में मुद्रित किये गये हैं।

राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम

5083. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के 28,600 वर्ग मील के रेगिस्तानी क्षेत्र में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम विद्यमान होने के संकेत हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र में गैस के भण्डार विद्यमान होने की पहले भी पुष्टि हुई थी ; और

(ग) यदि हां, तो वहां पर कितनी मात्रा में गैस और पेट्रोलियम पाये जाने की संभावना है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) 1967 में राजस्थान में मनहेरा टिब्बा संरचना में गैस मिली थी। बाद में 1983 में घोटारू संरचना में भी गैस के संकेत मिले थे ।

(ग) मिलने वाली संभावित गैस और पेट्रोलियम की मात्रा का अनुमान और आगे खोज करने के बाद ही लगाया जा सकता है ।

राजस्थानी भाषा में निर्मित फिल्में

5084. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984-84 में राजस्थानी भाषा में कितनी फिल्में बनाई गईं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच०के०एल० भगत) : केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पास यह जानकारी नहीं है कि भारत में कितनी फिल्में निर्मित की गई । तथापि, यह उन भारतीय फीचर फिल्मों के बारे में भाषा-वार आंकड़े रखता है जिन्हें यह लोक प्रदर्शन के लिए प्रमाणीकृत करता है । यह सूचना कलेंडर वर्ष के आधार पर रखी जाती है। 1983 के दौरान बोर्ड द्वारा राजस्थानी भाषा में प्रमाणीकृत फीचर फिल्मों की संख्या 4 है ।

राजस्थान में एस०टी०डी० द्वारा पंचायत समितियों का जिला मुख्यालय के साथ सम्पर्क स्थापित करना

5085. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पंचायत समितियों की संख्या क्या है, जिनका एस० टी० डी० के माध्यम से जिला मुख्यालय से सम्पर्क स्थापित है;

(ख) क्या प्रत्येक पंचायत समिति का एस०टी०डी० के माध्यम से जिला मुख्यालय से सम्पर्क स्थ पित करने की सरकार की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) शून्य ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राजस्थान के भीनमल कस्बे को सीधी टेलीफोन सेवा के द्वारा बम्बई से जोड़ना

5086. **श्री विरदा राम फुलश्रारिया** : क्या संवार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे क :

(क) क्या राजस्थान के भीनमल कस्बे को सीधी टेलीफोन सेवा के द्वारा बम्बई से जोड़ा गया है;

(ख) क्या भीनमल-सूमेरपुर और भीनमल-जयपुर को सीधी टेलीफोन सेवा के द्वारा जोड़ने की सरकार की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो यह कार्य कितने समय में हो जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के उपमन्त्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) इस समय अपनाई जा रही प्राथमिकताओं के अनुसार इन मार्गों पर एस.टी.डी. सेवा प्रदान करने का औचित्य नहीं बनता । ये प्राथमिकताएं इस प्रकार हैं :

(एक) राज्यों की राजधानी को दिल्ली से जोड़ना ।

(दो) जिला मुख्यालयों को सम्बन्धित राज्य की राजधानी के साथ जोड़ना ।

(तीन) दिल्ली से 300 किलो मीटर और बम्बई, कलकत्ता एवं मद्रस से 200 किलो-मीटर के घेरे में आने वाले जिला मुख्यालयों को सम्बन्धित महानगर के साथ जोड़ना ।

(चार) ऐसे अन्य मार्ग जहां पर परियात द्वारा औचित्य बनता हो (हर तरफ कम-से-कम 100 मैनुअल कॉलें प्रतिदिन)।

खाना बनाने की गैस के स्टोव निर्माताओं की अवांछनीय गतिविधियां

5087. **डा. ए. यू. आजमी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 मार्च, 1984 के इण्डियन एक्सप्रेस में "मिसलीडिंग एड्स बाई एल.पी.जी. स्टोव यूनिट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो खाना बनाने की गैस के स्टोव निर्माताओं की उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाली अवांछनीय गतिविधियों को रोकने के किए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि गैस स्टोवों पर उपभोक्ताओं को ज्यादा मुनाफा न अदा करना पड़े, उनके मंत्रालय का विचार गैस डीलरों द्वारा एल.पी.जी. स्टोव की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि नया गैस कनेक्शन प्राप्त करते समय उपभोक्ता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह एल.पी.जी. स्टोव, वितरक से खरीदे। फिर भी, सुरक्षा तथा ताप कुशलता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, उपभोक्ता को यह प्रमाणित करना होता है कि जो एल.पी.जी. स्टोव वह अन्य स्त्रोत से खरीद रहा है, वह भारतीय मानक संस्थान (आई.एस.आई.) द्वारा प्रमाणीकृत है। ऐसा प्रतीत होता है कि समाचार एल.पी जी. स्टोव निर्माताओं के सामान्य वाणिज्यिक कार्यकलाप का एक भाग है और इस कारण सरकार द्वारा कोई कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) एल.पी.जी. वितरकों द्वारा आई.एस.आई. द्वारा प्रमाणीकृत स्टोवों को बेचने पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कोल इंडिया लि० द्वारा उत्पादन में कमी करना

5088. **श्री हरिहर सोरन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि. ने अपने उत्पादन में कमी करना शुरू कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) वर्ष 1983-84 के लिए कोयला उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 1983-84 (अप्रैल, 1983—फरवरी, 1984) में कोल इण्डिया लि. का कोयले का उत्पादन 107.97 मिलियन टन रहा है जब कि दर अनुसार उत्पादन लक्ष्य 109.61 मिलियन टन था और 1982-83 की इसी अवधि में उत्पादन 100.99 मिनियन टन रहा था।

अफ्रीकी देशों के साथ फार्मासिटिकल/कैमिकल व्यापार शुरू करने के प्रयास

5089. **श्री हरिहर सोरन** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफ्रीकी देशों के साथ फार्मासिटिकल और कैमिकल व्यापार समझौता करने क कोई प्रयास किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए क्या विशिष्ट प्रयास किए गए हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (ग) जी, हां। जनवरी, 1984 में रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद् के शिष्टमण्डल के कुछ पश्चिमी अफ्रीकी देशों के दौरे के दौरान औषधों और भेषजों के निर्यात की सम्भावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया था। इन देशों ने इन उत्पादों के आयात में रूचि प्रकट की। ठोस प्रस्ताव तैयार करने और उन्हें कार्यान्वित करने से पूर्व और विचार-विमर्श एवं सूचना का आदान-प्रदान करना आवश्यक है। इस समय कैन्या, नाइजेरिया, इथोपिया आदि जैसे देशों को औषधों एवं रसायनों का निर्यात किया जा रहा है।

वैगनों में मिले कोयले का तोलक म होना

5090. **श्री आर.पी. गायकवाड़** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वैगनों से प्राप्त हुए कोयले के तोल में कमी की कोई शिकायतें मिली है जिससे कि उपभोक्ता को न केवल कोयले की हानि होती है अपितु उन्हें वास्तविक रवती आर्डर की तुलना में कम पाए गए कोयले का भी मालभाड़ा देना होता है ;

(ख) यदि हां, तो माल की वास्तविक हानि और मालभाड़ा प्रभारों जो कि उपभोक्ताओं को वहन करने पड़ते हैं, की क्षतिपूर्ति करने का सरकार का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और वर्ष 1982 तथा 1983 के दौरान कम कोयला प्राप्त होने के लिए उपभोक्ताओं को यदि कोई क्षतिपूर्ति दी जाएगी तो कितनी ; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त मामले में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) गंतव्य स्थानों और विशेष रूप से बाक्स "एन" टाइप वैगनों में कोयला कम पहुँचने के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं। शिकायतें मुख्य रूप से रेलवे द्वारा निश्चित ढुलाई क्षमता के सम्बन्ध में रहती हैं। विभिन्न उपभोक्ताओं के अभिवेदनों के आधार पर रेलवे ने "एन" टाइप वैगनों की ढुलाई क्षमता स्टीम कोयले के सम्बन्ध में 58.6 मीट्रिक टन के स्थान पर 54 मीट्रिक टन और स्लैक कोयले के मामले में 55 मी. टन कर दी है। उपभोक्ता इतनी मात्रा को भी नहीं मान रहे हैं। अन्य टाइपों के अधिकांश वैगनों की तौल या तो कोलियरी साइडिंगों के वे-ब्रिजों में या फिर रेलवे यार्डों के वे-ब्रिजों में की जाती है। कभी-कभी परिचालन सम्बन्धी समस्याओं के कारण रेलवे इन वैगनों को ढुलाई क्षमता आधार पर पास कर देती है।

(ख) : कोयले की बिक्री एफ.ओ.आर. कोलियरी आधार पर की जाती है इसलिए कोल इण्डिया लि. गंतव्य स्थान पर होने वाली कमी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। कोयले के बिल रेलवे रसीद में दिए गए वजट के आधार पर अर्थात् उस मात्रा के आधार पर बनाए जाते हैं जो रेलवे लदान के समय स्वीकार कर लेती हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

खनिज तेल पर रायल्टी

5091. **श्री आर.पी. गायकवाड़** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिज तेल के मूल्य में संशोधन करने के फलस्वरूप तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को वर्ष 1980-81 से 1981-82 के बीच लगभग आठ गुना लाभ हो सकेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह जानकारी है कि गुजरात जैसे तेल उत्पादक राज्यों को उसी दर से रायल्टी मिलती रहेगी, जो खनिज तेल मूल्यों को संशोधित करने से पूर्व निर्धारित की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या रायल्टी को पिछली बार संशोधित करने के तीन वर्ष पूरे होने पर सरकार द्वारा वर्तमान खनिज तेल मूल्य अर्थात् 1182 रुपये प्रति टन के आधार पर रायल्टी को 1 अप्रैल, 1984 से बढ़ाया जायेगा और उसको जुलाई, 1981 से पूर्व प्रभावी किया जाएगा जबकि खनिज तेल मूल्य को पिछली बार संशोधित किया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) 1980-81 और 1981-82 के बीच तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कर के बाद लाभ लगभग 8 गुणा हो गये थे। वृद्धि न केवल कच्चे तेल के मूल्यों में संशोधन के कारण हुई है बल्कि तेल और गैस की बिक्री के लगभग 50% की वृद्धि भी इसका कारण है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) संसद द्वारा तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 1983 के पारित किये जाने के परिणामस्वरूप, जिसके द्वारा 1 अप्रैल, 1984 के बाद रायल्टी की दरों में संशोधन करना सम्भव हो सकेगा, राज्य सरकार को कहा गया है कि रायल्टी के संशोधन के सम्बन्ध में अपने विचार भेजें। रायल्टी की दर में संशोधन पर विचार करते समय रायल्टी में संशोधन को पूर्व प्रभावी करने की मांग पर भी ध्यान रखा जाएगा।

गुजरात को कोरबा ताप बिजली केन्द्र से बिजली की सप्लाई

5092. **श्री आर. पी. गायकवाड** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात बिजली बोर्ड को कोरबा सुपर ताप बिजली केन्द्र से कितनी बिजली का आबंटन किया गया है ;

(ख) क्या पारेषण लाइनें तैयार हो गई हैं ; और

(ग) गुजरात बिजली बोर्ड को कोरबा ताप बिजली केन्द्र से कब बिजली मिलने लगेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र की 2100 मेगावाट चरम क्षमता में गुजरात का हिस्सा 360 मेगावाट है। कोरबा से भिलाई तक 400 के.वी. पारेषण लाइनों (दो सर्किट) को ऊर्जित किया गया है। भिलाई-कोराडी लाइन को शीघ्र ही ऊर्जित किए जाने की सम्भावना है और गुजरात में कोराडी से असोज तक पारेषण लाइन पर कार्य चल रहा है। नवम्बर, 1986 में 400 के.वी. लाइन के पूरा होने तक मध्य प्रदेश से गुजरात को विद्युत की सप्लाई महाराष्ट्र के जरिए की जा सकती है।

पटना में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

5093. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इस बीच पटना में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ग) इसका निर्माण करने में विलंब के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच.के एल. भगत) : (क) और (ख) जी, हां। पटना में उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर स्थापित किया जा रहा है।

(ग) कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। केन्द्र के 1984-85 के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है।

कोयले के दामों में वृद्धि

5094. **श्री एन.ई. होरो** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वाणिज्य मण्डल, कलकत्ता ने केन्द्रीय सरकार के इस दावे का खंडन किया है कि कोयले के दामों में जनवरी में केवल 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय वाणिज्य मण्डल ने दावा किया है कि वास्तविक मूल्य वृद्धि विशेष रूप से अच्छे किस्म के कोयले के मामले में लगभग 50 प्रतिशत थी और जब राज्य सरकारों के उपकरों और अन्य करों को शामिल किया जाएगा तो यह काफी अधिक होगी ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को मालूम है कि यह मुद्रा स्फीति पर नियन्त्रण रखने और मूल्य स्तर को पर्याप्त कम रखने की सरकार की नीति के बिल्कुल विपरीत है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) इंडियन चैम्बर आफ कामर्स, कलकत्ता ने एक प्रैस विज्ञप्ति में यह कहा है कि अच्छे किस्म के कोयले की कीमत में हाल ही में की गई वृद्धि 25% से अधिक है।

कोयले की कीमतों में 8.1.1984 से जो संशोधन किया गया है उसके सम्बन्ध में औद्योगिक लागत और कीमत ब्यौरों की सिफारिशों का तथा अन्य संगत तथ्यों का ध्यान रखा गया था। अन्य संगत तथ्य हैं जैसे उत्पादन सामग्री की लागत में वृद्धि के कारण उत्पादन

लागत में वृद्धि, राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता-III के आर्थिक भार सहित श्रम सम्बन्धी अन्य लागतें, मूल्यह्रास और ब्याज का अधिक भार; आदि। फिर भी, इस बात के लिए पूरी सावधानी बरती गई है कि कीमतों में वृद्धि यथासंभव कम से कम की जाए और इसीलिए लागत में होने वाली सारी वृद्धि को पूरा नहीं किया गया है और निवेश की गई पूंजी पर किसी लाभ की व्यवस्था नहीं की गई है। कीमतों में इस संशोधन के बाद भी कोयले की सारी उत्पादन लागत पूरी नहीं होती और इसीलिए सरकार कोयले के उत्पादन के लिए राज-सहायता दे रही है।

कोल इंडिया लि. और सिंगरैनी कोलिय ी लि. द्वारा उत्पादित कोयले की औसत खान मुहाना कीमत क्रमशः रु० 145.90 प्रति टन से बढ़ाकर रु० 183.00 प्रति टन और रु० 154.75 प्रति टन से बढ़ाकर रु० 192.00 प्रति टन कर दी गई है और इस प्रकार यह वृद्धि औसतन लगभग 25% बनती है।

कोयले की कीमतों में हाल ही में की गई वृद्धि पर विचार करते समय देश की अर्थ-व्यवस्था पर तथा प्रमुख उपभोक्ता उद्योगों पर इसके संभावित भार पर भी विभिन्न ग्रेडों के कोयले के सम्बन्ध में अलग-अलग है और उसके उपयोगी ऊष्मा मूल्य पर निर्भर करता है। बढ़िया ग्रेडों का जो कोयला अधिक कीमत के उत्पादन बनाने वाले उद्योग सामान्यतया इस्तेमाल करते हैं उसके सम्बन्ध में वृद्धि अधिक की गई है और सार्वजनिक उपयोगिता वाले सरकारी संस्थानों में प्रयोग होने वाले घटिया किस्मों के कोयले के सम्बन्ध में वृद्धि कहीं कम है। सॉफ्ट कोक जन साधारण का ईंधन है और इसकी कीमतों में कोई वृद्धि नहीं की गई है हांलाकि इसकी कीमत इसकी उत्पादन लागत से बहुत कम है।

मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

5096. **श्री भीखा भाई :** क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके प्रशासनिक नियन्त्राधीन सरकारी उपक्रमों में श्रेणी-वार कुल कितने कर्मचारी हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया है ; और

(ग) इन आरक्षित रिक्त पदों को भरने की सरकार की नीति क्या है ?

उर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मंत्रालय के अधीन सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

5097. **श्री भीखा भाई :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों में कर्मचारियों की श्रेणी-वार कुल कितनी संख्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है; और

(ग) इन आरक्षित रिक्त पदों को भरने के बारे में सरकार की नीति क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) रसायन और उर्वरक मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों में श्रेणीवार कर्मचारी दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) पदों की कुछ श्रेणियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में गिरावट आई है । सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार आरक्षित पदों को भरने के लिए योग्य कार्मिकों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

विवरण

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम का नाम	30-9-1983 को कर्मचारियों की संख्या			
		क्षेणी			
		समूह क	समूह ख	समूह ग	समूह घ
1	2	3	4	5	6
1.	फर्टिलाइजर कार्पो. आफ इंडिया लि.	1457	1803	7221	2363
2.	फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावन कोर लि.	578	162	4066	1026
3.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.	915	1085	3275	837
4.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टि. लि.	1125	970	2293	262
5.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.	109	327	769	72
6.	पाइराइट्स फास्पेट्स कैमि. लि.	115	67	655	1702
7.	मैं. हिन्दुस्तान फर्टि. कार्पो. लि.	1711	1881	5051	1385
8.	प्रोजेक्टस एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लि.	1124	632	1572	114

1	2	3	4	5	6
9.	पारादीप फास्फेटस लि.	16	—	8	2
10.	हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइडस लि.	102	206	1522	889
11.	हिन्दुस्तान ओर्गेनिक एण्ड कैमिकल्स लि.	314	131	1044	889
12.	इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मा. लि.	805	977	7486	3523
13.	हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि.	231	195	1199	1040
14.	स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लि.	12	98	368	599
15.	बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मा. लि.	24	184	1837	164

* 1-1-1983 को स्थिति के अनुसार सूचना ।

** 31-3-1983 की स्थिति के अनुसार सूचना ।

मंत्रालय द्वारा किराए पर लिए गए भवनों का ब्यौरा

5098. **श्री के० वी० मणि** : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका मंत्रालय/अधीनस्थ कार्यालयों के अनेक कार्यालय दिल्ली में किराए के भवनों में कार्य कर रहे हैं ; यदि हां, तो कब से किराये के भवनों में कार्य कर रहे हैं;

(ख) ऐसे प्रत्येक कार्यालय का नाम क्या है तथा वे प्रत्येक भवन का कितना मासिक किराया देते हैं ;

(ग) प्रत्येक भवन के लिए किराए पर लिए गए दिन से 29-2-1984 तक कुल कितना किराया दिया गया ;

(घ) क्या सच है कि उनका मंत्रालय अपने कार्यालय किराए के भवनों से हटाकर सरकारी भवनों में ले जाना नहीं चाहता ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ड.) यदि उपरोक्त (घ) का उत्तर नहीं में है, तो उसके क्या कारण है तथा देश की अर्थ-व्यवस्था पर भार कम करने के लिए अपने कार्यालय किराए के मकानों से हटाने के लिए अब तक क्या प्रभावकारी कदम उठाए गए हैं ?

उर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ड.) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में नियुक्त नैमित्तिक श्रमिकों की सेवाओं का नियमित किया जाना

5099. **श्री के० बी० एस० मणि** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय/अधीनस्थ कार्यालयों में कुछ निश्चित दिनों तक काम करने के बाद नैमित्तिक श्रमिकों को स्वत: नियमित कर दिया जाता है; यदि हां, तो ततसम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) उनके मंत्रालय/अधीनस्थ कार्यालयों में कितने ऐसे नैमित्तिक श्रमिक हैं जिन्हें गत एक वर्ष के दौरान नियमित कर दिया गया है ;

(ग) कितने ऐसे नैमित्तिक श्रमिक हैं जो दो वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं और उन्हें नियमित नहीं किया गया है तथा उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने उन्हें नियमित करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया है ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

(घ) नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करने के लिए सरकार द्वारा कोई समयबद्ध कार्यक्रम नहीं बनाया गया है। नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करना समूह "घ" की नियमित रिक्तियों की उपलब्धता तथा नैमित्तिक आधार पर लगाए गए श्रमिकों द्वारा पात्रता की निर्धारित शर्तों को पूरा किए जाने पर निर्भर करता है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा किराये पर लिये गये भवनों का ब्यौरा

5100. **श्री के० बी० एस० मणि** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय/अधीनस्थ कार्यालयों के विभिन्न कार्यालय दिल्ली में किराये के भवनों में हैं, यदि हां तो कब से ;

(ख) प्रत्येक कार्यालय का नाम क्या है और वे कार्यालय किराये पर लिये गये प्रत्येक भवन के लिये कितना मासिक किराया देते हैं ;

(ग) किराये पर लिये जाने के दिन से 29 फरवरी, 1984 तक प्रत्येक भवन के लिए कुल कितने किराये का भुगतान किया गया है ;

(घ) क्या यह सच है कि उनका मन्त्रालय अपने कार्यालयों को किराये भवनों से सरकारी भवनों में स्थानान्तरित नहीं करना चाहता है; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) यदि उपर्युक्त भाग (घ) का उत्तर नकारात्मक है, तो उसके क्या कारण हैं और राजकोष पर व्यय भार कम करने के लिये उनके कार्यालयों को किराये के भवनों से स्थानान्तरिक करने हेतु अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग के राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) इस मन्त्रालय के उन कार्यालयों जो किराए के भवनों में स्थित हैं, के नामों तथा दिए गए किराए को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) इन कार्यालयों को सरकारी भवनों में कार्यालय स्थान की कमी के कारण किराए के भवनों में रखना पड़ा। लोधी रोड कार्यालय कम्प्लेक्स, इत्यादि में सूचना भवन के निर्माण के लिए नक्शों को अन्तिम रूप दे दिया गया है ताकि इन कार्यालयों को उसमें रखा जा सके।

विवरण

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	कब्जे में लेने की तारीख के साथ भवन का नाम और स्थान	मासिक किराया	29-2-84 तक दिया गया कुल किराया
1	2	3	4	5
1.	आकाशवाणी महानिदेशालय :			रुपए
	(1) सिविल निर्माण स्कन्ध, श्रोता अनुसंधान यूनिट, आकाशवाणी पत्रिका समूह (2) प्रशासन शाखा	पी. टी. आई. भवन 8-10-71 से	17,719.57 रु०	26,35,643.13
	(3) आकाशवाणी पत्रिका समूह का गोदाम	केन्द्रीय भण्डार निगम 1-3-77 से	4,000.00 रु०	2,06,750.00
2.	विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय :	पी. टी. आई. भवन, 1-3-71 से	17,749.65 रु०	27,68,945.40
3.	प्रकाशन विभाग :			
	(1) बिक्री एम्पोरियम, नई दिल्ली	सुपर बाजार, कनाट सर्कस, 1-8-73 से	6,875.00 रु० (अगस्त, 73 से जून 81 तक)	9,28,125.00

1	2	3	4	5
			8,593.75 रु० (जुलाई, 81 से फरवरी, 84 तक)	
	(2) पेपर के लिए भण्डार स्थान	केन्द्रीय भण्डार निगम राणा प्रताप बाग, 1-4-74 से	3150.00 रु० (अप्रैल 1974 से अगस्त, 74 तक) 4100.00 रु० (सितम्बर, 1974 से मार्च, 1975 तक) 5000.00 रु० (अप्रैल, 1975 से मार्च, 1976 तक) 5500.00 रु० (अप्रैल, 1976 से नवम्बर, 1979 तक) 7500.00 रु० (दिसम्बर, 1979 से मार्च, 1981 तक)	8,46,450.00

1	2	3	4	5
			8000.00 रु० (अप्रैल, 1981 से अक्तूबर, 1982 तक) 11,250.00 रु० (नवम्बर, 1982 से फरवरी, 1984 तक)	
	(3) पेपर के लिए भण्डारण स्थान	केन्द्रीय भण्डार निगम शाहदरा, 1-1-83 तक	2,295.00 रु० (जनवरी, 1983 से फरवरी, 1984 तक)	32,130.00
	(1) गीत और नाटक प्रभाग	1. स्टरलिंग हाऊस, 15-16 दरियागंज, नई दिल्ली जुलाई/अगस्त, 1968 से	3197.00 रु०	5,94,632.00
		2. गंधर्व महाविद्यालय राऊज एवेन्यू, नई दिल्ली, 28-2-1971 से	3855.00 रु०	6,01,380.00

1	2	3	4	5
	(5) फिल्म प्रभाग	1. भारतीय कला केन्द्र, लिटिन रोड (मई, 1970 से फरवरी, 1963 तक)	7066.00 रु०	2,40,244.00
		2. बंदना बिल्डिंग, 11, टालस्टाय मार्ग (मार्च, 1973 से जनवरी, 1978 तक)	36,223.80 रु०	21,02,656.92
		3. 4 टालस्टाय मार्ग पर भवन (मार्च, 1976 से फरवरी, 1984 तक)	33,712.00 रु०	26,80,706.10
		4. ओल्ड रैड क्रास भवन (अप्रैल, 1982 से फरवरी 1984 तक)	11,154.15 रु०	2,56,545.45

सरकारी क्वार्टरों में रहने वाले कर्मचारियों को गृह निर्माण के लिए दी गई ऋण राशि का ब्योरा

5101. **श्री मनोहर लाल सैनी**
डा० ए० यू० आजमी } : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली/दिल्ली में स्थित उनके मन्त्रालय और उससे सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में सरकारी आवास के आवंटन के पात्र कितने सरकारी कर्मचारियों को गत तीन वर्षों में गृह निर्माण के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई और उनमें से कितने कर्मचारियों के मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारियों के पास सरकारी आवास था और उनमें से कितने अपने घरों में चले गये हैं और उन्होंने सरकारी आवास को खाली कर दिया है ; और

(ग) उक्त विषय से सम्बन्धित नियमों का उल्लंघन करने के दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और वह यथा-समय सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

सरकारी आवास में रह रहे गृह-निर्माण ऋण प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का ब्योरा

5101. **श्री राम सिंह शाक्य**
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री } क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय और दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित इसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालिल में काम करने वाले कितने कर्मचारियों को, सरकारी आवास आवंटन के पात्र हैं, पिछले तीन वर्षों के दौरान गृह निर्माण ऋण मंजूर किए गए और कितने मामलों में उनके मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है;

(ख) उनमें से कितनों के पास सरकारी आवास था और उनमें से कितने व्यक्ति अपने मकानों में चले गए हैं और उन्होंने आवंटित सरकारी आवास खाली कर दिए हैं; और

(ग) इससे संबंधित नियमों और विनियमों का उल्लंघन करने के दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) दस कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋण स्वीकृत किया गया था जिनमें से चार ने निर्माण पूरा कर लिया है।

(ख) और (ग) केवल एक कर्मचारी सरकारी आवास में रह रहा था और वह अभी भी उसमें रह रहा है। सरकार के नवीनतम निर्देशों के अनुसार, ऐसे व्यक्तियों द्वारा सरकारी आवास में रहने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

5103. **श्री भीखा भाई** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में सभी पदों स्तरों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को समुचित आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है ; यदि हां, तो उसके क्या करण हैं ;

(ग) यदि "क" भाग का उत्तर सकारत्मक है तो वहां अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कुल कितने पद आरक्षित हैं तथा कितने-कितने पदों पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लोग भर्ती किये गये हैं ; और

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पीछे से बकाया चले आ रहे रिक्तस्थानों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में कुल कर्मचारियों की संख्या और उसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व नीचे दिया गया है :

कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या	अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या	प्रतिनधित्व %	
			अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
3504	245	19	6.79	·55

पीछे के बकाया रिक्त स्थानों का कारण यह है कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने जुलाई, 1977 से किसी आरक्षित पद को समाप्त नहीं होने दिया यद्यपि इन्हें समाप्त किये जाने की अनुमति है।

(ग) उठाये गये कदम ये हैं :

(1) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की भर्ती के लिए अलग से विज्ञापन देना ।

(2) भर्ती के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में मान-दण्डों में छूट देना ।

(3) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में पदों के लिए ऐसे उम्मीदवारों का पता लगाने के लिए आवश्यकताओं को विभिन्न एजेंसियों में परिचालित किया जाता है ।

(4) वर्ष 1983 में कालिज परिसरों में बहुत अधिक प्रचार करके 44 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के प्रबन्ध प्रशिक्षार्थियों का चयन किया गया ।

(5) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के पूर्वस्नातकों को छात्रवृत्ति प्रदान करना ।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की सहायता से खोले गए थियेटर

5104. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने मध्य प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में थियेटर खोलने के लिए कोई सहायता या मार्ग-निर्देश दिए हैं;

(ख) इस सहायता से जिला-वार कितने थियेटर खोले गए हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग के राज्य मन्त्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम के साथ एक सहयोग व्यवस्था को अंतिम रूप दिया है तथा उसने अब तक मध्य प्रदेश में चार सिनेमाघरों के निर्माण हेतु आर्थिक सहायता दी है ।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश, में सिनेमाघरों के निर्माण हेतु राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा जिन मामलों को आर्थिक सहायता दी गई है, उनका ब्यौरा इस प्रकार है :

क्रम संख्या	पार्टी तथा पता	कुल ऋण	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का हिस्सा	मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम का हिस्सा	क्षेत्र
1	2	3	4	5	6
			(लाख रुपयों में)		
1.	अभिनव टाकीज, मार्फत संबधी ब्रदर्श, देवास, जिला उज्जैन, इन्दौर-452002 ।	6.29	6.29	—	शहरी
2.	सरगम सिनेमा, मार्फत साघवानी एण्ड कम्पनी महाराणा प्रताप नगर, जोन-II भोपाल-462011 ।	7.50	7.50	—	शहरी
3.	श्री जे. पी. भिंडिया जवाहर मार्ग, नागडा-406335 ।	7.15	7.15	—	शहरी
3.	अग्रवाल एम. जे. इंटरप्राइजेज, 1, सिविल सेन्टर, मरहाटल, जबलपुर-482002 ।	7.50	3.75	3.75	शहरी

मध्य प्रदेश में ब्लाक स्तर पर मिट्टी तेल के डीलरों की नियुक्ति

5105. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश में ब्लाक स्तर पर मिट्टी तेल के डीलरों की नियुक्ति की है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय कुल कितने डीलर हैं ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) तेल उद्योग ने मध्य प्रदेश में ब्लाक स्तर पर लगभग 240 एस. के. ओ./एल. डी. ओ. डीलरों को नियुक्त की है।

(ग) उन स्थानों/ब्लाकों के नाम, जहां ये 240 एस. के. ओ./एल. डी. ओ. डीलर कार्य कर रहे हैं, संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

उन स्थानों/ब्लाकों के नाम जहां 240 एस. के. ओ./एल डी. ओ. डीलर कार्य कर रहे हैं।

1. अशोक नगर
2. अम्बीकापुर
3. बिना
4. भोपाल
5. बेतुल
6. बारवाहा
7. बारनगर
8. बुरहानपुर
9. बुरहर
10. बिलासपुर
11. भाटापारा
12. बलोड
13. भिलाई
14. बिओरा
15. भिंड
16. बालाघाट
17. मांडर
18. बरवानी
19. भानपुरा
20. बंडा
21. बागबहारा
22. बिश्रामपुर
23. भानुपरातपुर
24. बोहोरी
25. बड़ा दुवारा
26. चम्पा
27. छतरपुर
28. छीनदवारा

29. चिरीमीरी
30. दमोह
31. धमतारी
32. दालीराजहारा
33. दुर्ग
34. दतिया
35 घर
36. देवास
37. दवरा
38. दोंगरघर
39. गोहद
40. ग्वालियर
41. गादरवारा
42. गंजबसोदा
43. गुना
44. गोटगांव
45. गारियाबाद
46. होशंगाबाद
47. हरदा
48. इंदौर
49. इंगोरिया
50. जबलपुर
51. जगदलपुर
52. जयोरा
53. जशपुरनगर
54. खरगोने/खरगांव
55. खंडवा
56. कचरूद
57. कतनी
58. कोटमा
59. कटघोरा
60. खरसिया
61. कोंडागांव
62. खेतगांव
63. खुराय
64. करेली
65. कवारधा
66. लहार
67. लांजी
68. लखनादो
69. मोरिना
70. मुल्ताई
71. मंडीदीप
72. मंदसाउर
73. विदिशा
74. मुनगेली
75. मनेन्द्रगढ़
76. महु
77. मंडला
78. मुनगोली
79. मेघनगर
80. मनसा
81. मेहर
82. नीमच
83. नरसिंहपुर
84. नारायणपुर

85 नरसिंहघर
86. नीवारी
87. नाउगोंग
88. ओबीदुल्लागंज
89. परकोटा
90. परासिया
91. पिपरिया
92. पिपलिया
93. पेन्दरा रोड
94. पवाई
95. पन्ना
96. रतलाम
97. रायपुर
98. राजगढ़
99. राजीन
100. राजान्नदगांव
101. रायसेन
102 रेवा
103. रामगढ़
104. रेल्ली
105. रामनुजगंज
106. सागर
107. सिहोरा
108. सेहोरे
109. शामगढ़
110. शाजापुर
111. सतना
112. शाहडोल
113. सरायपाली
114. सानाबाद
115. श्रीपुरी
116. सियोनी/वाड़ासियोनी
117. सिधी
118. तिल्ला
119. तिकनगढ़
120. थयोनटर
121. टखातपुर
122. उज्जैन

मध्य प्रदेश में पम्प-स्टोरेज परियोजना

5106. **श्री फूल चन्द्र वर्मा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में पम्प स्टोरेज परियोजना चल रही है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी परियोजनाएं चल रही हैं ;

(ग) उनकी क्षमता क्या है ;

(घ) क्या इस राज्य के लिए निकट भविष्य हेतु कोई अन्य परियोजना तैयार की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) और (ङ) पम्प स्टोरेज परियोजनाओं के सम्बन्ध में, सरदार सरोवर परियोजना (1450 मेगावाट), जो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच एक संयुक्त परियोजना है, में अन्य बातों के साथ-साथ 200-200 मेगावाट की क्षमता वाली 6 पम्प टर्बाइन यूनिटों की प्रतिष्ठापना करने की परिकल्पना है। यह स्कीम केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कर दी गई है।

आई.डी.पी.एल. द्वारा इरीथ्रोमाइसिन का उत्पादन तथा आयात

5107. श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान संसद सदस्यों द्वारा आई.डी.पी.एल. द्वारा मूल फोरमेन्टेशन स्तर में "इरीथ्रोमाइसिन" के उत्पादन तथा आयात की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या "इरीथ्रोमाइसिन" का उत्पादन माध्यमिक के स्थान पर उपलब्ध प्रौद्योगिकी तथा वर्ष 1977 में इटली में आई.डी.पी.एल. के वैज्ञानिकों को दिये गये प्रशिक्षण के आधार पर मूल स्तर पर किया जा रहा है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का प्रत्येक औषधिवार अपनी नीतियों तथा कार्यक्रम की समीक्षा करने तथा अनुसन्धान और विकास के माध्यम से राष्ट्रीय आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए कोई योजना तैयार करने और जहां आवश्यक हो वहां पर तुरन्त प्रौद्योगिकी की खरीद करने का कोई प्रस्ताव है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) 1983-84 में इरिथ्रोमाइसिन बल्क का उत्पादन 1.1 टन हुआ है।

(ग) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि. ने इटली की फार्माफिन से मूल फर्मन्टेशन अवस्था से इरिथ्रोमाइसिन इस्टोलेट के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी प्राप्त की थी। इरिथ्रोमाइसिन स्टीयरेट के उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी का विकास स्वंय इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि. द्वारा किया गया था। इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि. द्वारा इरिथ्रोमाइसिन इस्टोलेट और स्टीयरेट का उत्पादन मूल फर्मन्टेशन अवस्था से किया गया है।

(घ) अधिकतम सम्भावित सीमा तक आत्म निर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से सरकार द्वारा नीतियों की निरन्तर पुनरीक्षा की जाती है।

उड़ीसा में निर्धनों को विधिक सहायता

5108. **श्री हरिहर सोरन :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें पिछले तीन वर्षों के दौरान (वर्ष-वार) अब तक उड़ीसा में निर्धन लोगों की मुफ्त विधिक सहायता दी गई है ;

(ख) उक्त वर्षों के दौरान कितने निर्धन लोगों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की मुफ्त विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

केन्द्र सरकार की स्वीकृति के लिए लम्बित उड़ीसा की पन बिजली परियोजनाएं

5109. **श्री हरिहर सोरन :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार की स्वीकृति के लिए उड़ीसा की कितनी पन बिजली परियोजनायें लम्बित पड़ी हैं ; और

(ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा शीघ्र अनुमति दिए जाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और(ख) उड़ीसा की बहूद्देश्यीय/जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है जिनके लिए केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है ।

विवरण

परियोजना का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	अद्यतन स्थिति
1	2	3
अपर कोलाब विस्तार (चौथा यूनिट)	80	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और पर्यावरण विभाग द्वारा परियोजना स्वीकृत कर दी गई है और

1	2	3
		राज्य योजना में शामिल करने के लिए योजना आयोग से सिफारिश की गई है। योजना आयोग की स्वीकृति की प्रतीक्षा है।
पोत्तेरू	6	—वही—
रंगाली चरण-2	150	जून, 1983 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परियोजना स्वीकृत की गई हैं। तथापि पर्यावरण विभाग की स्वीकृति की अभी प्रतीक्षा है। तत्पश्चात् परियोजना को राज्य योजना में शामिल करने के लिए योजना आयोग से सिफारिश की जायेगी।
भीमकुण्डा बहूद्देश्यीय परियोजना	738	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में परियोजना की जांच की जा रही है। परियोजना प्राधिकारियों द्वारा किए गए संशोधित जल वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि परियोजना के लिए जल की उपलब्धता कम है। इसके परिणामस्वरूप जल की उपलब्धता की कमी को ध्यान में रखते हुए परियोजना की विशिष्टता की समीक्षा करनी पड़ेगी। संशोधित प्रस्ताव की प्रतीक्षा है। बहूद्देश्यीय परियोजना होने के कारण योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्कीम को पहले स्वीकृति देनी होगी। तत्पश्चात् स्कीम के विद्युत सम्बन्धी भाग पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विचार किया जायेगा।

20 शीर्षस्थ भारतीय और विदेशी कम्पनियों द्वारा किया गया पूंजी निवेश

5110. **श्री सत्य नारायण जाटिया :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 20 शीर्षस्थ भारतीय और विदेशी व्यापार घरानों के नाम क्या हैं तथा उनका वर्तमान पूंजी निवेश कितना है ; और

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान किए गए कुल पूंजी निवेश पर प्राप्त लाभांश का ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) तथा (ख) विदेशी नियन्त्रित घरानों सहित वर्ष 1982 में उनकी परिसम्पत्तियों के अनुसार श्रेणी बद्ध 20 शीर्षस्थ औद्योगिक घरानों के नामों का विवरण संलग्न है।

20 शीर्षस्थ औद्योगिक घरानों में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत 410 कम्पनियां समाविष्ट हैं। पिछले पांच वर्षों की अवधि में उनके वर्तमान पूंजी निवेश और उस पर लाभांश के ब्यौरों को एकत्र करने तथा संकलन में सन्निहित समय और श्रम, सम्भवत: प्राप्त किये जाने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं हो। तथापि, अगर माननीय सदस्य महोदय किसी विशेष कम्पनी या औद्योगिक घराने के सम्बन्ध में सूचना जानने के इच्छुक हैं तो वह एकत्र की जा सकती है तथा उनको प्रस्तुत की जा सकती है।

विवरण

भारत में विदेशी नियन्त्रित घरानों सहित 20 शीर्षस्थ औद्योगिक घरानों के नामों, जो एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं और वर्ष 1982 में उनकी परिसम्पत्तियों के अनुसार श्रेणीबद्ध, को दर्शाता हुआ विवरण-पत्र।

क्रमसंख्या	औद्योगिक घराने के नाम
1	2
1.	टाटा
2.	बिड़ला
3.	जे. के. सिंघानिया
4.	मफतलाल
5.	रिलायन्स टैक्सटाइल
6.	ए. सी. सी.
7.	थापर
8.	आई. सी. आई.
9.	साराभाई
10.	मोदी
11.	किर्लोस्कर

1	2
12.	बागुर
13.	बजाज
14.	श्रीराम
15.	लार्सन एण्ड टोब्रो
16.	अशोक लेलैण्ड
17.	हिन्दुस्तान लीवर
18.	टी. वी. एस. आर्यगर
19.	वालचन्द्र
20.	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा

उड़ीसा में तालचेर और जगन्नाथ में कोयला क्षेत्रों का विकास

5111. **श्री के. प्रधानी :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में तालचेर और जगन्नाथ में कोयला क्षेत्रों के विकास के लिए कोई योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस समय इन कोयला खदानों के कोयला दक्षिण राज्यों को पारादीप पतन की बजाय, जो कि निकट और काफी सुविधाजनक है बरास्ता हल्दिया से ले जाया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) उड़ीसा में तालचेर और जगन्नाथ कोयला क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। विद्यमान तालचेर कोलियरी में भूमिगत खनन द्वारा अच्छे ग्रेड की कोयला सीम से कोयला निकालने के लिए कार्यपद्धति विकसित करने के बारे में अध्ययन किए जा रहे हैं। नंदिरा भूमिगत खान से एक मिलियन टन प्रति वर्ष उत्पादन करने के लिए साध्यता रिपोर्ट एक विदेशी परामर्श-दाता से परामर्श करके तैयार की जा रही है। भरतपुर खनन ब्लाक का विकास किया जा रहा है तथा अधिक उत्पादन करने के लिए साउथ बालंदा ओपेनकास्ट खान की परियोजना रिपोर्ट का संशोधन किया जा रहा है। अनंत खान के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम शुरू किया गया है। जगन्नाथ ओपेनकास्ट परियोजना की विद्यमान क्षमता के विस्तार के लिए मंजुरी दे दी गई है। कलिंग ब्लाक में समन्वेषण-कार्य शुरू किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री राम फाईबर द्वारा दिल्ली क्लाथ मिल लिमिटेड के शेयरों की खरीद का समाचार

5112. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीराम फाईबर्स (एस. आर. एफ.) ने हाल ही में डी. सी. एम. के शेयर की भारी खरीद की है, जबकि श्रीराम फाईबर्स इक्विटी का 40 प्रतिशत भाग डी. सी. एम. लिमिटेड के पास है ;

(ख) क्या श्रीराम फाईबर्स ने विदेश के लिए कई सहायक कम्पनियां बनाई हैं जिनको इसने कई करोड़ रुपये उधार दिये हैं ?

(ग) क्या इन बड़े उद्योगिक गृहों ने अपनी ही कम्पनियों में अन्तर्निगमित निदेश के लिए यह तरीका खोज निकाला है जिससे धारक कम्पनियों और इसकी सहायक कम्पनियों पर इसका नियन्त्रण सुदृढ़ रहे ; और

(घ) यदि हां, तो इन कम्पनियों द्वारा किये जाने वाले इस प्रकार के कारोबार को हतोत्साहित करने के लिए उनका क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है विशेष रूप से जबकि डी. सी. एम. लिमिटेड अनिवासी भारतीयों/कम्पनियों द्वारा खरीदे गए शेयरों के अहस्तान्तरण के मामले में विवाद का विषय है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) दिनांक 12-10-1982 तक बनाई गई श्रीराम फाईबर्स लिमिटेड की नवीनतम वार्षिक विवरणी में उल्लिखित सूचना, जो उसके द्वारा कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली को प्रस्तुत की गई, के अनुसार, डी. सी.एम. लिमिटेड, श्रीराम फाईबर्स लिमिटेड की कुल साम्य पूंजी का 33.41% धारित करता है। इसके बाद की वार्षिक विवरणी अभी देय नहीं हुई है और अभी तक कम्पनी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। सरकार को श्रीराम फाईबर्स लिमिटेड द्वारा डी. सी. एम. लिमिटेड के शेयरों की भारी खरीद के सम्बन्ध में जानकारी नहीं है।

(ख) 30-9-1983 तक श्रीराम फाईबर्स लिमिटेड के नवीनतम तुलनपत्र के अनुसार, कम्पनी की पांच निम्नलिखित सहायकें हैं :

(1) अप्पू इन्वैस्टमैन्ट लिमिटेड।

(2) इन्सेट इन्वैस्टमैन्ट लिमिटेड।

(3) बम्पर इन्वैस्टमैन्ट लिमिटेड।

(4) टन इन्वैस्टमैन्ट लिमिटेड।

(5) मौज इन्वैस्टमैन्ट लिमिटेड।

इन सहायकों को अम्पनी द्वारा किये गये कुल 297.02 लाख रु० के ऋणों और अग्रिमों के अतिरिक्त, उक्त पांच सहायकों को पूंजी शेयर में कम्पनी द्वारा किया गया कुल निवेश 15 लाख रु० है।

(ग) तथा (घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 370 और 372 क्रमश: अन्त: नियमित ऋणों और अन्त: निगमित निवेशों को नियमित करती है और अन्यों के साथ-साथ सहायक कम्पनियों को दिये गये ऋणों और शेयरों में किये गये निवेशों को मुक्त करती है।

उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति (सच्चर समिति) ने इस सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम के संशोधन के कतिपय सुझाव दिये हैं। कम्पनी अधिनियम के संशोधन के लिए समिति के सुझावों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

उपभोक्ताउन्मुखी उद्योगों के लागत लेखा परीक्षा के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त

5113. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ताउन्मुखी उद्योगों, जिनमें लाभों की उच्च सीमा विद्यमान है, अर्थात् भेषजकीय उत्पादों, सीमेन्ट, कागज, मानव-निर्मित कपड़ा उद्योग, टायर्स तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की लागत की सावधिक लागत लेखा-परीक्षा के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) उन उद्योगों के क्या नाम हैं जिनकी लागत लेखा परीक्षा के लिए पिछले 2-3 वर्षों के दौरान आदेश दिए गए हैं तथा उनका क्या परिणाम रहा है ; और

(घ) मूल्यों में कमी लाने तथा लाभ को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए लागत-लेखा परीक्षा विशेषज्ञ दल के निष्कर्षों को कार्यान्वयन हेतु क्या तंत्र उपलब्ध कराया गया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) तथा (ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 233 ख के अन्तर्गत लागत लेखा-परीक्षा उद्योग पर आधारित नहीं है। लागत लेखा परीक्षा का कम्पनी से कम्पनी के आधार पर समय-समय पर, जब भी आवश्यक समझा जाता है, आदेश दिया जाता है। अत: किसी विशेष उद्योग में पूर्णरूपेण प्रचलित कार्य

पद्धति के साथ-साथ लाभांश की सीमा से सम्बन्धित विषयों को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत लागत लेखा-परीक्षा के द्वारा नहीं प्रदर्शित किया जाता है। उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए, उद्योग-वार लागत लेखा-परीक्षा मार्गदर्शिका को निर्धारित करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(ग) उपयुक्त (क) तथा (ख) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए, प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(घ) कम्पनी अधिनियम की धारा 233 ख के अन्तर्गत लागत लेखा-परीक्षा का अभिप्राय अन्यों के साथ-साथ कम्पनी द्वारा लागत लेखा रिकार्डों का समुचित रख-रखाव तथा उत्पादन मूल्य और उसके वित्तीय अनधिकृत मामलों के सत्यापन को निश्चित करना है। लेखा-परीक्षा विशेषज्ञ दल के द्वारा की जाती है, जो केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन पर कम्पनियों के निदेशक मण्डल द्वारा नियुक्त किया जाता है। जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है कि लागत लेखा परीक्षा का रूप वास्तविक मूल्यांकन प्रकृति का है और कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित समर्थकारी शक्तियों के न होने के कारण जिसमें कम्पनी के मूल्यों में कमी की जा सके, इसलिए उस उद्देश्य के लिए साधनयन्त्र बनाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

मध्य प्रदेश में इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० के बिक्री एकक

5114. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह :** क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों में इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के कितने बिक्री केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में 1984-85 के दौरान कुछ और बिक्री एकक खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो ये बिक्री एकक कौन-कौन से स्थानों पर खोले जायेंगे ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) इन्दौर, मध्य प्रदेश में इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० का एक क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय व बिक्री केन्द्र है।

(ख) जी, नहीं

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं

5115. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने डाक सर्किल बनाए गए है ;

(ख) मध्य प्रदेश में कितने डाक सर्किल हैं ;

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उन सर्किलों में डाक विकास सम्बन्धी क्या कार्य किये गये हैं ;

(घ) मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में पर्याप्त दूरसंचार सुविधायें प्रदान करने के लिए उन सर्किलों द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) देश में 16 डाक सर्किल हैं ।

(ख) मध्य प्रदेश राज्य के लिए एक डाक सर्किल अर्थात् मध्य प्रदेश डाक सर्किल है जिसका मुख्यालय भोपाल में है ।

(ग) छठी योजना अवधि के दौरान मध्य प्रदेश सर्किल में डाक विकास से सम्बन्धित किया गया कार्य विवरण में दिया गया है ।

(घ) और (ङ) मध्य प्रदेश के पिछड़े इलाकों में पर्याप्त दूरसंचार सुविधा प्रदान करने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

छठी पंचवर्षिय योजना अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में 29 फरवरी, 1984 तक 551 लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन पर प्रदान किए गए । ब्यौरा निम्न प्रकार है :

वर्ष	लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या
1980-81	142
1981-82	85
1982-83	83
1983-84 (फरवरी 1984 तक)	241
	551

विवरण

छठी योजना अवधि के दौरान मध्य प्रदेश सर्किल में डाक विकास से सम्बन्धित किया गया कार्य निम्न प्रकार है :

	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84 (31-1-84 तक)
1. खोले गए डाकघरों की संख्या	209	181	100	231
2. उपलब्ध कराई गई डाक काउंटर सुविधा	323	125	153	201
3. लेटर बक्सों की स्थापना	1800	84	75	206
4. ग्रामीण डाक वितरण व्यवस्था तथा लेटर बक्स से डाक निकासी में सुधार लाने के लिए अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की ओर अधिक नियुक्ति करना ।	420	265	60	211

छठी योजना के अंतिम वर्ष अर्थात् 1984-85 हेतु निर्धारित अंतिम लक्ष्य निम्न प्रकार हैं :

1. डाकघर खोलना	195
2. डाक काउंटर सुविधा की व्यवस्था	160
3. पत्र पेटियां लगाना	45
4. अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की नियुक्ति	75

मध्य प्रदेश में आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना

5116. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में इस समय कितने आकाशवाणी केन्द्र कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश में 1984-85 में कुछ और आकाशवाणी केन्द्र खोलने का सरकार का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो उक्त वर्ष में मध्य प्रदेश में इस प्रकार के नए आकाशवाणी केन्द्र खोलने के लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) नौ ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

बिजली की प्रति व्यक्ति खपत

5117. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता तथा ऊर्जा उत्पादन में सुधार के लिए उठाए गए कदम के बारे में 12 अक्तूबर, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1490 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981-82, 1982-83 और 1983-84 वर्षों में सम्पूर्ण देश में, सम्पूर्ण बिहार में, उत्तरी बिहार में छोटा नागपुर और बाकी के बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत क्या थी ;

(ख) उत्तर बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत के बाकी के बिहार का दसवां हिस्सा होने तथा छोटा नागपुर को छोड़कर राज्य के गैर-औद्योगिक क्षेत्र का एक-तिहाई होने के क्या कारण हैं ;

(ग) उत्तर बिहार के विरुद्ध इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए क्या विशेष कदम उठाए जा रहे है ; और

(घ) क्या कुटीर, लघु (मिनी) और लघु उद्योगों और सिंचाई प्रयोजनों के लिए डीजल चालित ईंजनों के लिए भारी राज सहायता दी जायेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) वर्ष 1981-82 और 1982-83 की भारत, बिहार, उत्तरी बिहार, छोटा नागपुर और शेष बिहार की प्रति व्यक्ति बिजली की खपत नीचे दी गई है :

वर्ष	भारत	बिहार	उत्तरी बिहार	छोटा नागपुर	शेष बिहार
			(आंकड़े यूनिट में)		
1981-82*	140 65	83.21	13.43	240.02	49.14
1982 83**	146.00	84.6	18.55	257.31	62.21

*अनन्तिम ।

**अब तक उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अस्थायी वर्ष 1983-84 की प्रति व्यक्ति खपत वित्तीय वर्ष के अन्त में ही उपलब्ध है ।

(ख) किसी विशेष क्षेत्र में अथवा इलाके में विद्युत की कुल खपत और प्रति व्यक्ति खपत क्षेत्र के विद्युतीकरण की मात्रा औद्योगिकीकरण और कृषि विकास की मात्रा पर निर्भर करती है ।

(ग) किसी क्षेत्र के प्रति कोई भेदभाव नहीं है । उत्तरी बिहार क्षेत्र में कृषि तथा औद्योगिक विकास और ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों से विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि होगी ।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा चलचित्रों का निर्यात

5118. **श्री डी०एस०ए० शिवप्रकाशम्** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम विदेशों में प्रदर्शन के लिए चलचित्रों का निर्यात कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो चलचित्रों के चयन का मापदण्ड क्या है तथा निर्माताओं को कितना धन दिया जाता है ; और

(ग) पिछले 6 महीनों के दौरान राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा कौन-कौन से देशों की किन-किन फिल्मों का निर्यात किया गया और कितना धन कमाया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) विदेशों में प्रदर्शन के लिये फिल्मों का चयन उन देशों के भावी खरीदारों द्वारा किया जाता है। विदेशी खरीदारों से प्राप्त संविदा की समूची राशि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के कमीशन तथा वास्तविक शिपमेंट पर हुए व्यय की राशि काट करके निर्माता को दी जाती है।

(ग) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने एक अगस्त, 1983 से 20 फरवरी, 1984 तक की अवधि के दौरान कमीशन के रूप में 11,11,168.85 रुपये की राशि अर्जित की। इस अवधि के दौरान निर्यात की गई फिल्मों के नाम तथा उन देशों के नाम जिनको ये निर्यात की गई, इस प्रकार है :

	फिल्में	देश
1	2	3
1.	अल्बर्ट पिन्टो को गुस्सा क्यों आता है।	हंगरी
2.	फिल्म प्रभाग की 5 डाकुमेंट्री फिल्में, सद्गति, आक्रोश, भुवन सोम, मंथन, पथेर पंचाली, सगीना महतो, आखिरी खत, शक्ति और गमन।	ईरान
3.	थुम्पु सद्गति, पथेर पंचाली और फटिकचंद।	जापान
4.	शान, तराना, फंदेबाज, राम बलराम और बॉबी	बर्मा
5.	शतरंज के खिलाड़ी और फाणियम्मा	फ्रांस तथा फ्रेंच भाषी अफ्रीका
6.	उमराव जान और राम नगरी	आस्ट्रेलिया
7.	बिन मां के बच्चे, जरा सी जिन्दगी, बेजुबान, डिस्को डांसर, मासूम, चोख, एक ही भूल, प्रेम रोग, शक्ति और सम्राट।	सोवियत संघ

1	2	3
8.	अग्रुहराथिल कजुथै और घटश्रद्धा ।	पश्चिम जर्मनी
9.	पथेर पंचाली ।	ग्रीस
10.	स्वामी दादा और भीगी पलकें ।	तंजानिया
11.	सद्गति ।	फिनलैंड
12.	इलिप्पतयम और मासूम ।	इंगलैंड
13.	मासूम ।	मौरिशस
14.	गांधी ।	हंगरी, इंडोनेशिया और युगोस्लाविया

रामगुन्डय से शेयर पाने के लिए तमिलनाडु का अनुरोध

5119. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम्** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने रामगुन्डम से शेयर पाने के लिए तमिलनाडु में सुपर तापीय स्टेशन से एक शेयर देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस अनुरोध के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां ।

(ख) रामागुन्डम सुपर ताप विद्युत केन्द्र की 2100 मेगावाट की चरम क्षमता में से तमिलनाडु को 470 मेगावाट के एक भाग का आवंटन किया गया है ।

आकाशवाणी कश्मीर, श्रीनगर और दूरदर्शन केन्द्र श्रीनगर से समाचारों का प्रसारण/टेलीकास्ट

5120. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी कश्मीर, श्रीनगर और दूरदर्शन केन्द्र, श्रीनगर से 1 जून, 1983 से 29 फरवरी, 1984 तक समाचारों के अलग-अलग कितने बुलेटिन प्रसारित हुए थे; और

(ख) निम्नलिखित श्रेणियों के समाचारों को कितना समय आबंटित किया गया था और उन्होंने कितना समय लिया (एक) राजनैतिक मामले, (दो) विकास सम्बन्धी मामले, (तीन) सांस्कृतिक मामले और खेल तथा (चार) सामान्य जानकारी सम्बन्धी मामले ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) आकाशवाणी रेडियो कश्मीर, श्रीनगर प्रतिदिन सात बुलेटिन, 4 उर्दू में तथा 3 कश्मीरी में प्रसारित करता करता है।

दूरदर्शन :

दूरदर्शन केन्द्र, श्रीनगर प्रतिदिन 2 भाषायी समाचार बुलेटिन, एक कश्मीरी में तथा दूसरा ऊर्दू में, टेलीकास्ट करता है। यह केन्द्र राष्ट्रीय संजाल पर टेलीकास्ट होने वाले दो राष्ट्रीय समाचार बुलेटिनों (एक अंग्रेजी में तथा दूसरा हिन्दी में) को भी रिले करता है।

(ख) समाचार बुलेटिन अल्प अवधि वाले कार्यक्रम होते हैं और उनमें से प्रत्येक की अवधि 15 मिनट से अधिक नहीं होती। विशिष्ट समाचार बुलेटिनों में समाचारों का शामिल करना प्रत्येक बूलेटिन के लिए संगत समाचारों की मात्रा तथा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजनीतिक, विकासीय आदि स्वरूप के विभिन्न समाचारों के समाचारिक महत्व पर निर्भर करता है। इस प्रकार के समाचारों के लिए प्रत्येक बुलेटिन में समय के आबंटन के बारे में कोई पक्के नियम नहीं है। अतः मांगी गई सूचना संकलित करने योग्य नहीं है।

मध्य प्रदेश के सागर जिले में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

5121. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के किन-किन जिलों में चालू वर्ष के दौरान दुरदर्शन रिले टावर लगाये जाने की संभावना है;

(ख) क्या सागर जिला उनमें से एक है;

(ग) यदि हां, तो सागर जिले में इस केन्द्र के कब तक स्थापित कर दिये जाने की संभावना है और इससे समीप के कौन से क्षेत्र को लाभ पहुंचने की संभावना है; और

(घ) क्या इसमें लगाये जाने वाला ट्रांसमीटर शक्तिशाली होगा अथवा सामान्य होगा और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) भोपल और इन्दौर में उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगाए जा

रहे हैं। जबलपुर, रतलाम, सागर, रीवा, मुरवाड़ा, बिलासपुर, सिंगसेली, बुरहनपुर तथा कोर्बा में अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगाए जा रहे हैं। ग्वालियर में अल्प शक्ति वाला ट्रांसमीटर 5.1.84 को चालू हो गया था।

(ख) से (घ) सागर में लगभग 25 किलो मीटर की सेवा परिधि वाले 100 वाट की शक्ति के अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर के 1984 के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है।

विदेशों में रहने वाले लोगों के साथ टेलीफोन पर बातचीत करने के लिए मध्य-प्रदेश के सागर जिले में एस०टी०डी० की सुविधा

5122. **श्री राम प्रसाद अहिरवार :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में रहने वाले लोगों के साथ टेलीफोन पर बात-चीत करने के लिये सागर जिले (मध्य-प्रदेश) में एस०टी०डी० की सुविधा कब तक उपलब्ध कर दिये जाने की संभावना है; और

(ख) मध्य-प्रदेश के कितने ऐसे जिलों में यह सुविधा पहले ही उपलब्ध है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) इस समय विदेशों को काल करने के लिए एस०टी०डी० सुविधा 4 महानगरों अर्थात् बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास के उपभोक्ताओं को प्राप्त है। सागर से विदेशों के लिए एस०टी०डी० सेवा प्रारंभ करने का चालू योजना में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) शून्य।

पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में असंतोषजनक टेलीफोन सेवा

5123. **श्री चित्त महाटा :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में दूरसंचार प्रणाली की स्थिति अत्यधिक असंतोषजनक है;

(ख) क्या यह सच है कि टेलीफोन उपभोक्ताओं को टेलीफोनों के खराब रहने पर और उपयोग न करने पर भारी राशि के बिलों का भुगतान करना पड़ता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि टेलीफोन एक्सचेंज ट्रंक कॉल के लिये बाहर के नंबरों से संपर्क करने में कई दिनों तक असफल रहते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन०पाटिल) : (क) जी, नहीं। पुरुलिया जिले में दूरसंचार सेवाएं आम तौर से संतोषजनक हैं।

(ख) ऐसा कोई विशेष मामला ध्यान में नहीं आया है।

(ग) जी, नहीं। अंतिम तिमाही अर्थात् अक्तूबर, 83 से दिसम्बर, 83 के दौरान पुरुलिया जिले में औसत ट्रंक कॉल क्षमता लगभग 55 प्रतिशत थी।

(ङ) तारों/केबिलों की अक्सर चोरी होने के कारण ट्रंक सर्किटों में व्यवधान उत्पन्न होता है। इन कठिनाइयों के बावजूद भी ट्रंक सेवाओं में आगे और सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

दिल्ली में और अधिक ई. एस. आई. अस्पतालों की स्थापना

5124. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रशासित क्षेत्र दिल्ली के विभिन्न भागों में कितने कर्मचारी राज्य बीमा (ई. एस. आई.) अस्पताल हैं ;

(ख) क्या दिल्ली में और अधिक ई. एस. आई. अस्पताल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है ;

(ग) यदि हां, तो 1983-84 में अथवा निकट भविष्य में दिल्ली में कितने नए ई. एस. आई. अस्पताल खोले जाने का विचार है ; और

(घ) तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) इस समय बसईदारापुर, रिंग रोड, नई दिल्ली में 400 पलंगों वाला एक कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) झिलमिल, शाहदरा में 200 पलंगों वाला कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल का निर्माण चल रहा है। इस अस्पताल के 1985 के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम का इरादा ओखला, रोहिणी [illegible] और पश्चिम दिल्ली में तीन और अस्पतालों के निर्माण करने का है। इन अस्पतालों के लिए उपयुक्त भूमि प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

तस्करों के अभियोजन के लिए विशेष न्यायालय

5125. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तस्करी में लगे हुए व्यक्तियों के अभियोजन के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) तस्करी में लगे हुए व्यक्तियों के अभियोजन के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। किन्तु केंद्रीय सरकार के अनुरोध पर आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उडीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र ने बारह विनिर्दिष्ट केन्द्रीय अधिनियमों के, अर्थात् केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944, आयात और निर्यात (केन्द्रीय) अधिनियम, 1947, धन-कर अधिनियम, 1957, आय-कर अधिनियम, 196 , सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962, स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 196 , विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973, कम्पनी (लाभ) अंतिकर अधिनियम, 1964, दान-कर अधिनियम, 1958, निर्यात (व्यापार) नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969, अधीन आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए अनन्यत: प्रथक न्यायालय स्थापित किए हैं या इस काय के लिए उन्हें रखा गया है। गुजरात और पश्चिमी बंगाल राज्य सरकारों से भी ऐसे न्यायालय स्थापित करने के लिए अनुरोध किया गया है।

असम में नेल्ली हत्याकांड से प्रभावित लोगों का पुनर्वास

5126. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री**
श्री बी. डी. सिंह
प्रो. अजित कुमार मेहता } : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने असम में फरवरी, 1983 में नेल्ली हत्याकांड से प्रभावित लोगों के पुनर्वास और विभिन्न संप्रदायों के बीच शांतिपूर्ण समझौते और साम्प्रदायिक भेदभाव के लिये उनके मतभेदों को समाप्त करने हेतु अब तक क्या विशिष्ट उपाय किये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : प्रभावित व्यक्तियों के राहत और पुनर्वास के लिए भारत सरकार द्वारा असम सरकार को 54.71 करोड़ रुपये दिए गए हैं। पुनर्वास सहायता में बीज, उर्वरक, भूमि पर ट्रैक्टर चलाना, कृषि परिवारों के खोए गए बैलों के बदले बैल देना तथा प्रत्येक गैर-कृषक परिवार को प्रति परिवार 500/- रुपये की वित्तीय सहायता शामिल है। प्रभावित परिवारों को क्षतिग्रस्त मकानों को पुनः बनाने तथा दुधारू पशु खरीदने के लिए भी सहायता दी गई है। नेल्ली सहित विभिन्न क्षेत्रों में पुनर्वास उपायों का कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। राज्य सरकार ने बताया है कि सभी प्रभावित व्यक्ति अपने-अपने गांवों को लौट गए हैं और पुनर्वास स्थलों पर उन्हें आवश्यक सुरक्षा, भरण-पोषण और पुनर्वास सहायता पदान की गई है।

लोगों में आत्मविश्वास तथा सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने की दृष्टि से 7 नए पुलिस जिलों का गठन किया गया है, गड़बड़ी वाले क्षेत्रों में 283 सशस्त्र पुलिस आरक्षी टुकड़ियां तैनात की गई हैं और 38 नए पुलिस स्टेशन तथा 38 नई पुलिस चौकियां मंजूर की गई हैं। राज्य सरकार का प्रस्ताव है कि शान्ति सेना की चार बटालियन तैयार की जाएं जिसके लिए राज्य में जनसंख्या के विभिन्न ढंगों वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए भर्ती पहले ही शुरू कर दी गई है। स्थाई शांति तथा साम्प्रदायिक सद्भावना सुनिश्चित करने के लिए राज्य एकीकरण परिषद् की पुनः स्थापना की गई है और सभी समुदायों के व्यक्ति इसके सदस्य हैं।

राजनैतिक दलों द्वारा पिछले लोक सभा निर्वाचनों में निर्वाचन अभियान के लिए वायुयान का उपयोग

5127. **श्री अमरराय प्रधान** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1980 में पिछले लोक सभा निर्वाचनों में राजनैतिक दलों द्वारा निर्वाचन अभियान के लिए वायुयान का उपयोग किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा किन-किन राजनैतिक दलों को कितने-कितने वायुयान दिए गए और इस प्रयोजन के लिए मापदण्ड क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) सदस्य महोदय के तारीख 28-2-84 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं० 508 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में जैसा कि पहले ही कहा गया है, अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

डा०सुब्रह्मण्यम् स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : मैंने पिछले सत्र के दौरान आपको एक पत्र भेजा था मैंने कहा था·····(**व्यवधान**)

श्री रामस्वरूप राम :**·····

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है। यह एक राज्य सूची का विषय है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : जब कोई व्यक्ति-विशेष कोई ऐसा काम करता है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। आप पार्टी की बात क्यों करते हैं।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको एलाऊ नहीं किया है। जो कुछ आप कहना चाहते हैं, वह लिख कर दे दीजिए। मैं देखूंगा कि क्या वह हमारे परव्यू में आता है। आप पहले रूल पढिये, फिर बात कीजिये।

(**व्यवधान**)

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : गत सत्र के दौरान जब मैंने जासूसी के बारे में बोलते हुए विश्व शान्ति परिषद् का मामला उठाया था, तब मैने आपको एक पत्र लिखा था जिसमें मैंने यह कहा था कि विश्व शान्ति परिषद् के साथ के०जी०बी० के सम्बन्धों के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिवेदन में व्याख्या की गई है। आपने कहा था कि आप इस पर सभा में चर्चा करने की अनुमति दे देंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिख कर दे दीजिए। मैं देखूंगा। आप मुझसे इस बारे में बात कर लें।

मैं किसी बात से इंकार नहीं करता हूं।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस तरह कर सकते हैं ? मैंने इस सदस्य द्वारा कहे गए एक भी शब्द को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दी है।

** कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : वह जानबूझ कर सभा का ध्यान दूसरी ओर ले जाना चाहते हैं। आप इन्हें रोकते क्यों नहीं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री राम स्वरूप राम, अब आप अवश्य बैठ जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो आप कर रहे हैं वह आप नहीं कर सकते। आप मुझे लिखकर दीजिए ऐसा नहीं हो सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब तक आप मुझे लिखकर नहीं देंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकेगा। आप मुझे लिखकर दीजिए।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि दो वर्ष पूर्व दिल्ली विकास प्राधिकरण ने लगभग 350 सहकारी समितियों से करोड़ों रुपए एकत्र किए गए हैं।.....

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, मैंने इस पर पहले ही विचार करने के लिए कह दिया है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं एक निवेदन कर रहा था।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कल कहा था कि इस पर चर्चा की जायेगी। मैं आपको अवसर दूंगा।

प्रो० मधु दन्डवते : मुझे खुशी है, आपने यह बात कही है। लगभग 350 सहकारी समितियों ने करोड़ों रूपए जमा कराये हैं।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : मैंने 23 तारीख को आपको लिखकर दिया है ..**

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें यह मामला उठाने की अनुमति नहीं दी है। आप उच्च

** कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

न्यायालय के न्यायधीश के आचरण की चर्चा नहीं कर सकते । 'जब तक वह न्यायधीश हैं, वह न्यायधीश हैं, जब वह न्यायधीश नहीं रहेंगे, तब वह न्यायधीश नहीं होंगे । यह कितनी साधारण बात है ।

———

12.05 म०प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

समान पारिश्रमिक (संशोधन) नियम, 1983

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : मैं अपने साथी, श्री घर्मबीर की ओर से समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 की धारा 13 की उपधारा(3) के अंतर्गत, सामान पारिश्रमिक (संशोधन) नियम, 1983, जो 5 नवम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 4095 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखे गयी । देखिए सख्या एल०टी०—8003/84]

ऊर्जा मंत्रायय की वर्ष 1984-85 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें, कोल इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता तथा सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, कोठागुडंमके वर्ष 1982-83के वार्षिक प्रतिवेदन, आदि

ऊर्जा मन्त्रालय में कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) ऊर्जा मन्त्रालय की वर्ष 1984-85 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०-8004/84]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) कोल इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) कोल इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 8005/84]

(ख) (एक) सिंगरेनी कोलिरीज कम्पनी लिमिटेड, कोठागुडम, के वर्ष 1982-83 के कार्य-करण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, कोठागुडम, के वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित, लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम,1944 के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 221 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 21 मार्च, 1984 के भारत के राज्यपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा 1 मार्च, 1984 की अधिसूचना संख्या 32/84-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, सभा पटल पर रखता हूं :

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल० टी० 8007/184]

12.06 म० प०

राज्य-सभा से सन्देश

महासचिव : श्रीमान्, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त हुए निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है :—

"राज्य सभा में प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 1984 की प्रति भेजने का निर्देश मिला है जिसे राज्य सभा ने 22 मार्च, 1984 को हुई अपनी बैठक में परित किया था ।"

12.07 म० प०

कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक

महासचिव : मान्यवर, मैं कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 1984, राज्य सभा द्वारा यथापारित, सभा-पटल पर रखता हूं ।

···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिख कर दे दीजिये। आप बिना वजह गरम होते रहते है। लिख कर दे दीजिये।

···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : जब तक वह न्यायाधिशों की पीठ में हैं; तब तक वह न्यायाधीश हैं। मैं नहीं कह सकता हूं कि वह न्यायाधीश नहीं हैं। न ही यह आप कह सकते हैं। चर्चा करने के लिए कुछ तरीके हैं और इसकी चर्चा की जा सकती है। आप ऐसा एक मूल प्रस्ताव के माध्यम से कर सकते हैं। यह सब ठीक है। आप इस पर चर्चा कर सकते हैं। मैंने इस दृष्टि से कब विवाद खड़ा किया है ? मैंने केवल इतना कहा है कि कुछ चीजें इस प्रकार नहीं की जा सकती।

(व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। आप के निर्देशों और विनिर्णयों के अनुसार ऐसे मामले प्रश्नकाल के पश्चात् आपकी अनुमति से उठाये जा सकते हैं यदि आप अनुज्ञा दे दें और सदस्यों ने पूर्व सूचनायें दी हों। श्री राम स्वरूप राम ने न ही कोई सूचना दी है और न ही आपकी अनुज्ञा प्राप्त की है। उसे चुप रहने और बैठने के लिए आपके कहने के बावजूद ···(व्यवधान)··· इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जा रहा है। यह आपके निर्देश के प्रतिकूल है।

अध्यक्ष महोदय : इसे कैसे सम्मिलित किया जायेगा ? मेरी अनुज्ञा के बिना कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा सकता।

श्री सतीश अग्रवाल : किन्तु इसे तो कार्यवाही वृत्तांत में कर लिया गया है···

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न ही नहीं उठता। कुछ भी नहीं। मेरी अनुज्ञा के बिना मैं अनुमति नहीं दूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आपके निर्देशों के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको जो कहने दिया है वही सम्मिलित किया जायेगा। परन्तु मैंने न तो श्री राम स्वरूप राम को और न ही श्री रामविलास पासवान को अनुमति दी है।

संसद कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आपने श्री रामविलास पासवान द्वारा उठाये गये मामले के बारे में जो निर्देश दिये हैं उनका जिक्र कल समाचारपत्रों में हो सकता है; जिसे आप कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दी है।

अध्यक्ष महोदय : यह नहीं हो सकता।

श्री बूटा सिंह : श्रीमान्, मुझे भय है कि आपके निर्देश के पश्चात् भी यह प्रतिदिन समाचार-पत्रों में छपता है। अध्यक्षपीठ के इस विनिर्णय के बावजूद, कि कार्यवाही-वृत्तांत में इन बातों को सम्मिलित नहीं किया जायेगा ये मामले फिर भी समाचार-पत्रों में छपते हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शोर मत मचाइये। यह ठीक तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : परन्तु, श्रीमान्, जब आप कहते हैं कि फलां बात कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न की जाये, तब सचिवालय आपकी हिदायतों का पालन करता है और उन्हें कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाता रहा है। हम यह देखते रहे हैं। आह उन्हें दोष मत दो।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बात नहीं है। वह कहते हैं कि कुछ समाचार-पत्रों में यह छपता है। मैं समाचार-पत्रों से भी कहूंगा कि वे सावधान रहें।

(व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल : एक और समस्या भी है। कभी कभी जब आप सदस्यों को बोलने से रोकते हैं तब आप कहते हैं कि कार्यवाही-वृतांत में कुछ नहीं जायेगी या इसकी अनुमति नहीं है। अतः समस्या यह है कि यह कैसे जाना जाये कि कार्यवाही-वृतांत में क्या सम्मिलित नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले मेरी बात सुनिये। राम स्वरूप जी, इस तरह करने से कोई फायदा नहीं होगा। आप लिख कर दीजिए। अगर हमारे या सेन्ट्रल गवर्नमेंट के अधीन होगा तो मैं जरूर उसपर विचार करूंगा। अगर नियमों के अन्तर्गत आता है तो डिस्कशन करवाऊंगा। अगर नहीं आता है तो न आपका डिस्कशन करवाऊंगा और न इस तरफ का करवाऊंगा। आपकी कांस्टीट्एन्सी में हुआ है लेकिन मैं नियमों में व्यवधान नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अब आपका नाम लेकर पुकारने जा रहा हूं, यदि आप न बैठे। बहुत ही अधिक हो चुका। आपने सभी सीमायें पार कर ली हैं।

12:13 म०प०

उपदान सदाय (संशोधन) विधेयक, 1984

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री विरेन्द्र पाटिल) : मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि उपदान संदाय अधिनियम, 1972 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उपदान संदाय अधिनियम, 1972 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : श्रीमान मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

12.14 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मध्य प्रदेश में शिक्षित युवकों को ऋण देने तथा उनको प्रशिक्षण देने के लिए राज्य में बैंकों को और अधिक धन देने की आवश्यकता

श्री भानु प्रताप शर्मा (विदिशा) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार युवकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण प्रदान करने का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है जिससे युवकों में असंतोष व्याप्त है। मेरे संसदीय क्षेत्र के विदिशा, रायसेन एवं सीहोर जिलों में भी इस प्रकार के कई प्रकरण राष्ट्रीयकृत बैंकों में लम्बित पड़े हुए हैं, जिनको जिला उद्योग केन्द्र के टास्कफोर्स द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। परन्तु राष्ट्रीयकृत बैंकों से स्वीकृत राशि प्रदान नहीं की जा रही है। बैंक के मैनेजरों से चर्चा करने पर मुझे ज्ञात हुआ है कि उनके मुख्यालय से इस योजना के लिए कम धनराशि का आवंटन किया गया है जिसके कारण वे राशि उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं। अत: मेरा वित्त मन्त्री से अनुरोध है कि प्रधान मन्त्री द्वारा घोषित शिक्षित युवकों को रोजगार के साधन सुलभ कराने वाली इस महत्त्वाकांक्षी योजना के लिए प्राथमिकता के आधार पर बैंकों को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराना चाहिए ताकि भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हो सके तथा लाभार्थी चयन प्रक्रिया में जन प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। ऋण की अधिकतम सीमा बढ़ाकर पचास हजार होना चाहिए एवं लाभार्थी को प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए।

(दो) स्वतंत्रता सेनानी, श्री सुरेन्द्र साई की याद में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने, राजधानी में उनके नाम एक सड़क का नाम रखने तथा उनकी एक मूर्ति स्थापित करने की आवश्यकता

डा० कृपा सिन्धु भोई (सम्बलपुर) : राष्ट्र उसके जन्म स्थान, उड़ीसा सहित देश भर में 28 फरवरी, 1984 से 28 फरवरी, 1985 तक वीर सेनानी सुरेन्द्र साई की पुण्यतिथि मना रहा है।

12.15 बजे म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सुरेन्द्र भाई आधुनिक भारतीय इतिहास में एक वीर रहेंगे। उन्होंने न्याय और स्वाधीनता के लिए ब्रिटि साम्राज्यवाद का जीवन भर विरोध किया। उन्होंने अपना संघर्ष बिना किसी समझौते के जारी रखा। उन्होंने एक बड़े ब्रिटिश साम्राज्य के सामने कभी घुटने न टेके। उन्होंने अपने जीवन के 37 वर्ष जेल में बिताये। राष्ट्रवाद की उद्यत भावना से ओतप्रोत होने के कारण उन्होंने कष्ट सहे। जब स्वतंत्रता की पहली लड़ाई आरम्भ हुई, तब वह हजारीबाग जेल में थे। क्रान्तिकारियों ने भारी संख्या में जेल में पहुच कर उनकी 1857 में बाहर आने में सहायता की। जब उसने अपना संघर्ष जारी रखा, तब उन्हें फिर नागपुर जेल में भेजा गया और तत्पश्चात् उन्हें नागपुर के निकट अमीरगढ़ किले में रखा गया। यद्यपि उसको निरुत्साहित करने तथा उससे जनजाति के क्रांतिकारियों, जो ब्रिटिश प्रशासनिक पद्धति को समाप्त करने में लगे हुए थे, के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें बहुत कष्ट दिये गये, तथापि उन्होंने अनादर और विश्वास-घात की तुलना में मौत को अधिमान दिया।

इस शताब्दी वर्ष के आरम्भ में मैं सुझाव देता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वीर सुरेन्द्र साई के जीवन और कार्य के लिए छात्रवृत्ति देने और अनुसन्धान की व्यवस्था करने की सलाह दी जाये। मैं यह भी सुझाव देता हूं कि दिल्ली में एक सड़क का नाम सुरेन्द्र साई के नाम पर रखा जाये और राष्ट्रीय राजधानी में किसी प्रसिद्ध स्थान पर उनकी मूर्ति स्थापित की जाये। मैं संचार मंत्री से अपील करता हूं कि वह उड़ीसा और राष्ट्र की दीर्घकालिक मांग को पूरा करने के लिए वीर सुरेन्द्र साई की याद में एक विशेष डाक टिकट जारी करें।

(तीन) बिहार में हथकरघा उद्योग का विकास करने की आवश्यकता

श्री विजय कुमार यादव (नालंदा) : बिहार में 5 लाख हथकरघे हैं जिन पर नालंदा सहित कई जिलों में लगभग 5 लाख बुनकर कार्यरत हैं। अपने उत्पाद के लिए बाजार की तथा वित्तीय, तकनीकी और अन्य सुविधाओं के अभाव में बिहार के बुनकरों की दशा बहुत खराब और दयनीय है।

अखिल भारतीय हथकरघा कपड़ा विपणन समिति द्वारा बिहार के हथकरघा के कपड़े क राज्य स्तर पर न खरीदे जाने से कई कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं।

बाजार की परिवर्तनशील मांगों को पूरा करने के लिए नये डिजाइनों की व्यवस्था करने हेतु बिहार में कोई डिजाइन केन्द्र नहीं है।

छोटे बुनकरों को अपने उत्पादों को तैयार करने के प्रयोजनार्थ कलकत्ता पर निर्भर करना पड़ता है जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे उद्योगों के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। एक केन्द्रीय ससाधन यूनिट की स्थापना से बुनकरो की आय दुगनी हो सकती है।

बिहार में केवल 2 बुनकर सेवा केन्द्र हैं, अर्थात्, मधुबनी और भागलपुर। ऐसे स्थानों पर जहां बुनकरों की आबादी अधिक है, अर्थात् बिहारशरीफ, सिवन और रांची में कंम से कम तीन और सेवा केन्द्र अविलम्ब खोले जाने चाहियें।

राज्य के निर्धन बुनकरों के लाभ के लिए नालंदा या पटना में राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम का होना भी बहुत आवश्यक ह।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इन मामलों में ठोस कार्यवाही करे।

(चार) मध्यप्रदेश में सारंगपुर तथा रुथियाई में साबरमती एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रोकने की आवश्यकता

डा० वसंत कुमार पंडित (राजगढ़) : नियम 377 के अधीन मैं निम्नलिखित वक्तव्य देता हूं :

मैं रेलमंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने मध्यप्रदेश में गुना-मक्सी लाईन पर साबरमती एक्सप्रेस चलाने की मंजूरी दी।

यह 165अप—166डाउन साबरमती एक्सप्रेस झांसी और नगदा के बीच एक यात्री गाड़ी के रूप में चल रही है। इसे मक्सी और बीना के बीच एक तेज गाड़ी के रूप में चलाया जाना था। किन्तु यह गाड़ी अब शाजापुर (जिला मुख्यालय), दिसोरा (जिला राजगढ़), गुना (जिला मुख्यालय) और गुना जिला में अशोक नगर मुंगावली में रुकती है। इस प्रकार वह गुना और बीना के बीच एक यात्री गाड़ी बनकर रह गई है। इससे राजगढ़ निर्वाचन क्षेत्र के लोगों, जो अविकसित क्षेत्र के हैं, की भावनाओं को ठेस पहुची है। राजगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में आन्दोलन चल रहा है। वे मांग कर रहे हैं कि इस गाड़ी को कम से कम दो स्थानों, अर्थात् एक सारंगपुर पर, जो एक विकासशील औद्योगिक नगर है, और दूसरे रुथाई पर जो गुना-मक्सी पर एक राजस्थान मध्यप्रदेश जंक्शन है, रोका जाये। प्रस्तावित नेशनल फर्टिलाइजरज लिमिटेड, जो कि गैस पर आधारित मुख्य उर्वरक परियोजना है, रुथाई के निकट विजयपुर में है। इसके अतिरिक्त गुजरात राजस्थान और मध्यप्रदेश के लिए रुथाई यात्री यातायात भी अधिक है, जो रुथाई से वाराणसी, उज्जैन, द्वारका, सोमनाथ आदि धार्मिक स्थानों पर जाते हैं। स्पष्ट है कि थोड़ी दूरी पर अशोक नगर तथा मुंगावली पर गाड़ी को रोकने की व्यवस्था राजनैतिक दबाव के अधीन की गई है। इसके फलस्वरूप जनता की मांग है कि इसे सारंगपुर तथा रुथाई जैसे अधिक महत्वपूर्ण और वित्तीय रूप से क्षम स्टेशनों पर भी रोका जाये। चूंकि साबरमती एक्सप्रेस अब लगभग यात्री गाड़ी ही बन गई है, इसलिए यह उचित है कि इसे सारंगपुर और रुथाई में भी इसके रुकने की

[डा० बसंत कुमार पंडित]

व्यवस्था की जाये। शाजापुर-ब्योरा-गुना के बीच दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। जबकि गुना से अशोकनगर से मुंगावली और मुंगावली से बीना एक दूसरे से 35 किलोमीटर की दूरी पर है।

अब राजगढ़ जिले के लोग इस बात के लिए सत्याग्रह और आन्दोलन करने वाले हैं कि साबरमति एक्सप्रेस सारंगपुर और रुथियाई पर रुकने लगे।

(पांच) बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड, रानीगंज की ऊष्मासह और मृत्तिका इकाइयों को बन्द करने का कथित निर्णय

श्री अजितबाग (सेरामपुर) : नियम 377 के अन्तर्गत मैं निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहता हूं :

मैं सभा का ध्यान बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड रानीगंज के रानीगंज उद्योग ग्रुप के रीफ्रेक्टरी और सिरेमिक उद्योग बन्द करने के तथाकथित निर्णय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह जानकारी बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड के निदेशकमण्डल के चेयरनैन और सदस्य ने इस महीने की बैठक में दी थी। ऐसा लगता है कि इस निर्णय को 29-3-1983 की बैठक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया जायेगा। यह वस्तुतः आश्चर्यचकित करने वाली बात है क्योंकि दिनांक 17-3-1983 के अपने पत्र में उद्योग मंत्री ने श्री समर मुखर्जी, संसद सदस्य को यह आश्वासन दिया था कि "रानीगंज स्थित बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड के रिफ्रेक्टरी एण्ड सिरेमिक एककों को बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।" इसके विपरित यह बताया गया था कि सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति (फजल समिति) ने रिफ्रेक्टरी और सिरेमिक एककों का इस्पात मंत्रालय के साथ विलय करने का प्रस्ताव दिया था जिसके बारे में अन्तिम निर्णय लिया जाना है। इन एककों को बन्द करने के बारे में कहीं भी कोई भी उल्लेख नहीं किया गया था। अतः मैं कहना चाहता हूं कि बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी के रिफ्रेक्टरी और सिरेमिक एकको को बन्द करने का तथाकथित निर्णय मनमाना है और इससे सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत काम कर रहे एककों की महत्ता कम होती है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह पहले दिये गये अपने आश्वासन को पुनः दोहरायें कि इन एककों को बन्द नहीं किया जायेगा।

(छः) विदर्भ क्षेत्र के त्वरित तथा शीघ्र औद्योगिक विकास के लिए अकोला तथा यवतमल जिलों में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के सर्वेक्षण कार्य को शीघ्र पूरा कराने की आवश्यकता

श्री मधुसूदन वैराले (अकोला) : नियम 377 के अन्तर्गत मैं निम्नलिखित वक्तव्य देता हूं :

विदर्भ क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यह तथ्य सरकार और अन्य सभी सम्बद्ध पक्षों ने स्वीकार किया है। इसलिए इस क्षेत्र के औद्योगिक और अन्य विकास की मांग जोर पकड़ती जा रही है।

समाचार पत्रों में हाल ही में यह खबर छपी थी कि इस मांग को देखते हुए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने इस क्षेत्र में सर्वेक्षण किए हैं। खबरों से पता चलता है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा इस क्षेत्र में किए गए सर्वेक्षण से यह स्पष्ट है कि अकोला और यावतमल जिलों में तेल आदि मिलने की काफी अधिक सम्भावना है।

इस क्षेत्र के प्रतिनिधियों में से एक प्रतिनिधि होने के नाते मैं पैट्रोलियम मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस क्षेत्र में सर्वेक्षण शीघ्र करायें और इस बारे में अन्य कार्यवाही शीघ्र करें ताकि राष्ट्रीय सम्पदा के नये स्रोत खुल सकें और इस क्षेत्र का विकास हो सके। इस दिशा में जितनी जल्दी कार्यवाही की जायेगी, वहां के लोगों की उतनी ही जल्दी इच्छा पूरी होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इस दिशा में अपने प्रयासों में तेजी लायेगी, क्योंकि यह एक लोक महत्व का मामला है।

(सात) पटना और पूर्णिया (बिहार) के बीच वायुदूत सेवा आरम्भ करने की आवश्यकता

श्रीमती माधुरी सिंह (पूर्णिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान पटना और पूर्णिया के बीच विमान सेवा की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। इस सम्बन्ध में मैं पहले भी सरकार का ध्यान आकृष्ट कर चुकी हूं। गत समय में जब मैंने नागरिक उड्डयन मंत्री जी से अनुरोध किया था तो उन्होंने पब्लिक मीटिंग में यह आश्वासन दिया था कि शीघ्र ही पूर्णिया से वायुदूत सेवा प्रारम्भ कर दी जायेगी। वहां एक विशाल और उपयोगी एयर फील्ड पहले से ही विद्यमान है। इस की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया था किन्तु अब वह किन्हीं कारणों से रोक दिया गया है।

पूर्णिया बंगला देश और नेपाल की सीमा पर स्थित है। सामरिक दृष्टि से पूर्णिया अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। पटना से पूर्णिया तक रेल सेवा नाम मात्र के लिये है। यात्रियों की असीमित भीड़ रहती है। इस मार्ग पर विमान सेवा अत्यधिक उपयोगी और आर्थिक दृष्टि से लाभदायी सिद्ध होगी। इस विमान सेवा से लोगों की कठिनाई कम होगी और पूर्णिया के अतिरिक्त समीपवर्ती जिलों में भी जनता इस का स्वागत करेगी। शान्ति और संघर्ष दोनों ही स्थिति में इस विमान सेवा की उपयोगिता असंदिग्ध है। मैं सरकार से इस विषय में शीघ्र कार्यवाही करने के लिये अनुरोध करती हूं।

(आठ) आंध्र प्रदेश विधान परिषद् को समाप्त करने के लिए संसद द्वारा विधान बनाने की आवश्यकता

श्री चित्त बसु (बारसाट) : उपाध्यक्ष महोदय, आन्ध्र प्रदेश विधान सभा ने अपने कुल सदस्यों के बहुमत से और विधान सभा में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से यह संकल्प पारित किया है कि आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद् को भंग कर दिया जाये।

सरकार ने इस संकल्प के आधार पर यह राय बनाई है कि आन्ध्र प्रदेश विधान सभा ने

[श्री चित बसु]

यह संकल्प पारित करके संसद को यदि वह चाहे, इस सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार दिया है। परन्तु संघ सरकार ऐसा कानून लाने के लिए बाध्य नहीं है। (**व्यवधान**)** सरकार का तर्क यह है कि अनुच्छेद 169 में "संसद्.....कर सकती है" लिखा है। इसलिए ऐसा करने के लिए सरकार बाध्य नहीं है (**व्यवधान**)**.....

उपाध्यक्ष महोदय : इसको अध्यक्ष महोदय ने स्वीकृति दे रखी है इसलिए उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्री चित्त बसु : आन्ध्र प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित किए गए संकल्प के आधार पर केन्द्र द्वारा संसद में पारित किए गए विधान द्वारा आन्ध्र प्रदेश परिषद् अस्तित्व में आई थी। इस परिषद् का गठन लोगों की इच्छा, जो उन्होंने विधान सभा के माध्यम से 1956 में व्यक्त की थी, के अनुरूप हुआ और अब उन्हीं लोगों ने विधान सभा के माध्यम से 1983 में संकल्प के माध्यम से यह इच्छा व्यक्त की है कि परिषद् को भंग कर दिया जायेगा। भंग करने का प्रस्ताव एक के मुकाबले 210 मतों से पारित किया गया है। पश्चिम बंगाल और पंजाब में विधान परिषदें वहां के राज्यों द्वारा इसी तरीके से व्यक्त की गई इच्छाओं के अनुसार भंग की गई हैं।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह अपने निर्णय पर पुनः विचार करें (**व्यवधान**)** और आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद् को भंग करने के लिए वह संसद में एक कानून बनाये।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल अनुमोदित वक्तव्य ही कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जायेगा और उससे इस इधर-उधर की बातों को कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

12.30 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य)—1984-85

गृह मन्त्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में गृह मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर चर्चा होगी और फिर मतदान होगा। गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री इस चर्चा में 3 बजे मध्याह्न पश्चात् बोलेंगे और यदि यह चर्चा आज समाप्त हो जायेगी तो गृह मंत्री कल इसका उत्तर दे देंगे। अब श्री राठौर अपना भाषण आगे शुरू करें।

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : उपाध्यक्ष महोदय, कल मैंने श्री राम जेठमलानी का भाषण बड़े ध्यान से सुना और मुझे ऐसा लगा कि मंत्रालय में और महाराष्ट्र सरकार में जो

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

राजनीतिज्ञ कार्यरत हैं उनमें से हरेक उस केस में सहभागी है या उसको बढ़ावा देने वाला है जिसका उन्होंने कल उल्लेख किया था। मेरे विचार से उनकी यह मान्यता गलत है।

मैंने यह देखा है कि अपने बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री ने पहली बार यह कहा है कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से "अन्य पिछड़े वर्गों पर भी ध्यान दिया जायेगा" जैसा कि आप जानते हैं गत 35 वर्षों में "अन्य पिछड़े वर्ग" को परिभाषित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में दो आयोग नियुक्त किए गए। पहले आयोग के प्रतिवेदन पर तो विचार ही नहीं किया गया और वह राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया गया। दूसरी बार जब मण्डल आयोग ने अपना प्रतिवेदन दिया तो हमें यह बताया गया इस मामले पर विचार करने के लिए सचिवों की एक समिति गठित कर दी गई है और उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है जो अब मन्त्रिमण्डलीय उपसमिति के सामने है। इस अवसर पर मैं सरकार के सामने आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस बार उन्होंने सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों को, जिन पर अब तक बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था, सुविधाएं देने का निर्णय किया है।

इस सम्बन्ध में दूसरी बात यह है कि 1966 और 1967 में तथा उससे बाद भी अनुसूचित जाती तथा अनुसूचित जनजाती (संशोधन) विधेयक लाया गया था। उस बारे में संयुक्त समितियां नियुक्त की गई जिन्होंने अपनी रिपोर्टें भी दी। परन्तु दुर्भाग्य से उस मामले में कुछ भी नहीं किया गया। इतना ही नहीं कुछ मामले में तो हम देखते हैं कि कुछ राज्यों में जिन जातियों को अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित किया गया था उन पर भी समुचित ध्यान नहीं दिया गया था। मैं यहाँ आपके तमिलनाडू राज्य का उदाहरण देना चाहूंगा जहां "सुगाली" समुदाय को अनुसूचित जनजाति माना गया था लेकिन पिछले 6-7 सालों में उन्हें कोई भी संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ, उन्हें कोई भी सहायता या आरक्षण की सुविधा प्राप्त नहीं हुई। इस बात की ओर मैं मुख्य मंत्री का दो बार ध्यान दिला चुका हूं और सचिव से व्यक्तिगत रूप से मिल चुका हूं। लेकिन यह कहते हुए मुझे दुःख हो रहा है कि तमिलनाडु सरकार ने इस दिशा में कोई भी कार्यवाही नहीं की है और उन्होने तो मेरे पत्र को स्वीकृति भेजने का भी कष्ट नहीं किया है। मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह अभी तक उपेक्षित रहे अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की ओर विशेष रूप से सुगाली लोगों की ओर ध्यान दें।

अनुसूचित जनजातियों को संविधान की अनुसूची पांच और अनुसूची छः के अन्तर्गत विभक्त किया गया है। अनुसूची छः के अन्तर्गत अधिकांश पूर्वोत्तर क्षेत्र की जनजातियां आती हैं। उनकी ओर समुचित ध्यान दिया जा रहा है। जहां तक अनुसूची 5 के अन्तर्गत आने वाली जनजातियों का सम्बन्ध है उनकी उपेक्षा की गई है और वे राष्ट्र की मुख्य धारा में नहीं मिल पाये हैं।

हमारे पास मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़े मौजूद हैं। उनसे पता चलता है कि सरकारी सेवाओं विशेष रूप से "सी" और "डी" श्रेणी तथा "ए" और "बी" में बहुत ज्यादा भिन्नता

[श्री उत्तम राठौर]

नहीं है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से आने वाले लोगों को अपेक्षित आरक्षण की सुविधाएं नहीं दी गई हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए थीं और जो आदमी आरक्षण के आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्त किए गए हैं वे अधिकांशतः पूर्वोत्तर क्षेत्र के हैं जो अनुसूची छः के अन्तर्गत पड़ता है।

भारत सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुसूची पांच के अन्तर्गत आने वाले लोगों को भी आरक्षण की सभी सुविधाएं प्राप्त हों और ऐसे प्रयास किए जायें जिससे वे लोग भी राष्ट्र की मुख्य धारा में मिल जायें।

मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा काडर में जाने वाले लोगों में अनुसूची पांच के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से शायद ही कोई हो। यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है और केन्द्रीय सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।

अनुसूची पांच के अंतर्गत उल्लिखित अनुसूचित क्षेत्रों में ही अधिकतर नक्सलवादी गतिविधियां होती हैं। आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश और उसके आस-पास लगे अन्य राज्यों में नक्सलवादी गतिविधियां हो रही हैं। आखिर लोग नक्सलवादी क्यों बन जाते हैं? इसका कारण यह है कि उनकी ओर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता, उन्हें न्याय नहीं मिलता है; और उनके कल्याण को देखने वाला कोई नहीं होता है। यही कारण है कि वे नक्सलवादी गतिविधियों का सहारा लेते हैं। यदि आप नक्सलवादी प्रवृत्ति से निपटना चाहते हैं तो आप को आदिवासी लोगों को संरक्षण प्रदान करना होगा और आदिवासी लोगों का संरक्षण तब दिया जा सकता है जबकि नक्सलवादियों के साथ अनुसूची छह के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लोगों के समान व्यवहार किया जाये अथवा उनके कल्याण के लिए कोई विशेष कार्य किया जाये।

जहां तक आदिवासी उपयोजना का संबंध है, मैं कहना यह चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस प्रयोजनार्थ बहुत अधिक खर्च कर रही है जबकि राज्य सरकारें इसके लिए अपना अंशदान नहीं दे नहीं दे रही हैं। राज्य सरकारों ने सम्पूर्ण भार केन्द्रीय सरकार के ऊपर छोड़ दिया है और वे केन्द्रीय सरकार के साथ सहयोग नहीं कर रही हैं। परिणामतः आदिवासी लोगों को वे लाभ नहीं मिल पा रहे हैं जो उन्हें मिलने चाहिएं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि इन क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं। इस क्षेत्र में दो लाख रूपये की लागत से एक प्रसूति गृह के लिए भवन का निर्माण भी कर दिया गया है किन्तु दो वर्ष हो गये हैं वहां न कोई महिला डाक्टर है, न कोई नर्स है, फिर औषधियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। ऐसी स्थिति है वहां पर। क्या हम इस इस दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में कुछ करने जा रहे हैं? यदि हम इस बारे में कुछ नहीं करेंगे तो वे लोग निश्चय ही हमारे विरुद्ध हो जायेंगे। वे यह सोचने लगेंगे कि सरकार हमारे क्षेत्र में केवल इमारतें बना रही है और शेष कुछ भी कार्य नहीं करना चाहती। हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे उनमें इस प्रकार की धारणा न पनपने पाये।

एस०आर०सी० अधिनियम के अंतर्गत हमने सरकारी कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया

था कि जिनका स्थानान्तरण नये राज्यों में किया जायेगा उनकी ओर समुचित ध्यान दिया जायेगा। देश के अधिकांश दक्षिणी राज्यों ने, जहां भी सम्भव हुआ ऐसे सरकारी कर्मचारियों को भूमि और इमारतें प्रदान की थीं जो आस-पास के इलाकों से या अन्य राज्यों से वहां आये थे। परन्तु दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में राज्य सरकार और केन्द्र सरकार से बार-बार अनुरोध करने के बावजूद अनेक बार सरकारी कर्मचारियों को में न तो राज्य सरकार से और न ही केन्द्रीय सरकार से संरक्षण प्राप्त हुआ और इसी बीच वे सेवानिवृत्त हो गये। केन्द्रीय सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वह उनकी ओर समुचित ध्यान देगी और वह उन्हें आवास सम्बन्धी तथा अन्य सुविधायें राज्य सरकार के माध्यम से दिलवायेगी। इस पहलू पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

कुछ समय पूर्व सभा में मैंने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन के बारे में एक प्रश्न उठाया था और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस पर वाद-विवाद में हस्तक्षेप किया था। मेरे विचार से यह उपयुक्त समय है जबकि हमें इस सम्बन्ध में कुछ करना चाहिए। हजारों आवेदन सरकार के विचारार्थ पड़े हैं और हर बार राज्य सरकार से कोई न कोई स्पष्टीकरण मांगा जाता है और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए समय पर पेंशन पाना असंभव हो गया है। इन परिस्थितियों में हम स्वतंत्रता सेनानियों को क्यों न पिछले पांच वर्षों की भूतलक्षी प्रभाव से पेंशन दे दें। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते ? चूंकि पेंशन देने में हम विलम्ब करते हैं इसलिए हमें उस तारीख को पेंशन के लिए मान लेना चाहिए जिस तारीख को कोई आवेदन भेजा जाता है या राज्य सरकार द्वारा उस पर सिफारिश की जाती है और इस तारीख से हमें स्वतंत्रता सेनानियों को भूतलक्षी प्रभाव से पेंशन दे देनी चाहिए। यदि हम यह बात मान लेते हैं तो मेरे विचार से स्वतंत्रता सेनानियों को प्रसन्नता होगी और उनके द्वारा शिकायत के लिए कोई गुंजायश न रहेगी। इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 371 (2) के अंतर्गत जो संशोधन सुझाया गया है उसमें यह बताया गया है कि महाराष्ट्र के कौन कौन से क्षेत्रों पर विशिष्ट रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि राष्ट्रपति चाहें तो इनके लिए क्षेत्रीय बोर्डों को नियुक्ति भी की जा सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विशेष रूप से विदर्भ और महाराष्ट्र क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

इस क्षेत्र के लोगों में बहुत अधिक असंतोष है और नवम्बर, 1956 से ही उनकी यह धारणा बनी हुई है कि उनकी उपेक्षा की जा रही है। चाहे आप क्षेत्रीय बोर्ड नियुक्त करें या न करें, उस बारे में तो मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि इन लोगों को पूर्ण संरक्षण मिलना चाहिए और इन क्षेत्रों का विकास भी उसी गति से होना चाहिए जिस गति से अन्य क्षेत्रों का विकास हो रहा है। यदि बोर्ड नियुक्त करना संभव नहीं है या आप सोचते हैं कि बोर्ड नियुक्त करना अनिवार्य नहीं है.....

श्री चित्त बसु (बारसाट) : यह उपबंध तो स्वयं संविधान में दिया गया है।

श्री उत्तम राठौर : मुझे मालूम है। मैं सुझाव यह देना चाहता हूं कि गृह मंत्री उन राज्यों

[श्री उत्तम राठौर]

के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलायें और उनसे यह पूछें कि इन क्षेत्रों में उन्होंने क्या-क्या कार्य किया है। एक मूल्यांकन समिति होनी चाहिए जो प्रति छह मास बाद स्थिति का मूल्यांकन करे। यदि आप ऐसी व्यवस्था कर देते हैं तो मुझे यकीन है कि जो लोग अब, गलत या ठीक, रोष में हैं संतुष्ट हो जायेंगे।

मुझे खुशी है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति अब प्रायः सुधरती जा रही है। ऐसे अवसर पर हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि पुलिस-कर्मियों को हम अधिक सुविधायें प्रदान करें। राज्य सरकारें अपने सीमित साधनों से पुलिस के लिए बहुत कुछ करने में असमर्थ हैं। इन परिस्थितियों में जब केन्द्र सरकार यह कहती है कि शांति और व्यवस्था बनाये रखने का दायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों पर है तो मेरे विचार से पुलिस कर्मियों को आवास सुविधाएं तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने में आने वाले खर्च की दृष्टि से भी केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों की सहायता करनी चाहिए।

अंत में, मैं यह कहना चाहूंगा कि मंडल आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को तत्काल स्वीकार किया जाये और जनजाति के रूप में घोषित किए गए आदिवासी लोगों को विशेष रूप से तमिलनाडु के सुगली के जनजाति लोगों को पूर्ण संरक्षण दिया जाना चाहिए। मंत्री महोदय यह आश्वासन दें कि अब से बाद में सुगली समुदाय के लोगों को सभी लाभ प्रदान किये जायेंगे।

श्री नमनगोम मोहेन्द्रा (आन्तरिक मणिपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, हमारे देश के पंजाब, असम और अन्य क्षेत्रों की घटनाओं के बारे में बहुत कुछ कहा चुका है और इस सम्बन्ध में अधिक न कहते हुए मैं केवल अपने दल के दृष्टिकोण को ही दोहराउंगा। कुछ दिनों पहले सभा में हमारे दल के नेता ने यह स्पष्ट कर दिया था कि हम वार्ता के पक्ष में हैं और हम आशा करते हैं कि यदि दोनों ओर से एक उचित दृष्टिकोण अपनाया गया तो इसके परिणाम अच्छे होंगे।

केन्द्र राज्य सम्बन्धों के बारे में भी हमें अपना दृष्टिकोण कई बार स्पष्ट कर दिया है। हम राज्यों के लिये अधिक स्वायत्ता चाहते हैं। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि केन्द्र को कमजोर बनाया जाये और राज्यों को शक्तिशाली बनाया जाये। मजबूत राज्य होने चाहियें परन्तु केन्द्र को भी कमजोर नहीं करना चाहिये। कुछ सदस्यों ने सरकारिया आयोग के कार्यकरण का उल्लेख किया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस आयोग को बिना किसी अंकुश अथवा दबाव के कार्य करने दिया जाये और मैं आशा करता हूं कि इस आयोग के परिणाम अच्छे ही होंगे।

मैं एक बहुत दर्दनाक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा जो इम्फाल में इस महीने की 14 तारीख को हुई। गृह मंत्री ने कुछ वक्तव्य दिये। जिसमें उन्होंने बताया कि किन्हीं स्थानों पर गोलाबारी हुई है। परन्तु स्थिति इसके विपरीत है। मेरा विश्वास है कि गृह मंत्री को राज्य सरकार का सन्देश मिल गया होगा कि यह सब कांड किस प्रकार हुआ। मैं किसी भी केन्द्रीय पुलिस संगठन पर आरोप नहीं लगाना चाहता। मैं यह बताना चाहता हूं कि श्री रामावतार

शास्त्री ने ध्यानाकर्षण पर बोलते हुए अपने भाषण में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की उस संकट-ग्रस्त राज्य में पिछले 4 वर्षों की गतिविधियों को स्पष्ट किया था। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। 14 मार्च को सी०आर०पी०एफ० का एक सिपाही, मणिपुर राइफल्स का एक जवान और 14 असैनिक उस समय मौत के घाट उतार दिये गये जब वे वालीबाल का एक मैच देख रहे थे और अगले दिन दस वर्ष की एक लड़की की अस्पताल में मौत हो गई और 34 अन्य व्यक्तियों को चोटें आयी जिनमें चार सी०आर०पी०एफ० के लोग थे और छः अन्य नाबलिग थे। यदि गृह मंत्री मणिपुर सरकार से प्राप्त संदेश को पढ़ेंगे तो उनके सामने स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जायेगी। मैं उनसे अपील करता हूं कि वे राज्य सरकार द्वारा भेजी गई जानकारी का अध्ययन करें और जायजा लें कि वहां पर वास्तव में क्या हुआ है। राज्य सरकार ने एक न्यायिक जांच की मांग की है जिसमे मुझे गृह मंत्री से पता चला है कि मंत्रालय इस अनुरोध कि पुष्टि करने में आनाकानी कर रहा है क्योंकि इसका सी०आर०पी०एफ० के मनोबल पर प्रभाव पड़ेगा। अब प्रश्न यह है कि क्या सी०आर०पी०एफ० का मनोबल अथवा राष्ट्र का मनोबल अधिक महत्वपूर्ण है या निर्दोष व्यक्तियों की जानें? मणिपुर में तैनात सुरक्षा बल को बदनाम करने से किसी को लाभ नहीं होगा। हम यह चाहते हैं कि सुरक्षा संघटकों को नियमों और कानूनों के अनुसार कार्य करना चाहिये। उन्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसे वह किसी अधिकृत क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि मणिपुर सरकार और अधिक सेना चाहती है। परन्तु उन्हें अन्धाधुन्ध गोली चलाने वाली सेना नहीं दी जानी चाहिये।

इसलिये सभी लोगों द्वारा और मणिपुर बार एसोसिएशन तथा मणिपुर सरकार द्वारा एक न्यायिक जांच की मांग की गई है। राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच सम्बन्धों में कहीं रूकावट पैदा हो गई है। परन्तु यह गृह मंत्रालय का कार्य है और गृह मंत्री को इस स्थिति की अथवा न्यायिक जांच की मांग की आसाम में इस समय अथवा कुछ समय पूर्व विद्यमान स्थिति से तुलना नहीं करनी चाहिये। इससे कोई लाभ नहीं होगा। हमें इस समस्या के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिये ताकि प्रभावित लोग यह महसूस कर सकें कि कुछ ऐसे लोग हैं जो उनकी समस्याओं पर विचार करना चाहते हैं। यह कहा जाता है कि यदि कानून और व्यवस्था कायम रखने वाले लोगों में अनुशासनहीनता होगी तो यह बड़ा अभिशाप होगा और इसके लिये हमें न्यायिक जांच करानी चाहिए।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में मणिपुर और त्रिपुरा बाकी देश की तुलना में अधिक संगठित हैं। फिर भी स्थानीय शक्तियों की उपेक्षा की गई। हथियारों का प्रयोग करने वाले युवाओं के विचार हमारे देश की अखंडता के लिये अनुकूल नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा था कि मणिपुर पर 1972 तक उनके मंत्रालय का शासन था और वहां न तो कोई राज्यपाल था और न कोई और जब तक मणिपुर एक राज्य नहीं बन गया तब तक गृह मंत्रालय का शासन था। उस समय कोई संयुक्त सचिव अथवा कोई अन्य अधिकारी वहां के मामलों की देखरेख करता था। अतः मणिपुर अथवा मणिपुर जैसे अन्य राज्य क्षेत्रों की समस्याएं गृह मंत्री तक बिल्कुल नहीं पहुंची।

[श्री नगनगोम मोइन्द्र]

इसलिये नौजवानों की भावनाओं पर विदेशी विचार थोपे गये। इसलिये श्रीमन् मैं 16.3.84 के पेट्रीएट के सम्पादकीय का जिक्र करना चाहता हूं। मैं सम्पादकीय के दूसरे भाग को उद्धृत करता हूं :

"नागलैंड और मिजोरम दोनों में भूतपूर्व ब्रिटिश शासन में बाकी देश के साथ अलगाव की भावनाएँ उत्पन्न कर दी। मणिपुर और त्रिपुरा में ऐसा नहीं हुआ।

"सांस्कृतिक रूप में मणिपुर और त्रिपुरा दोनों बाकी देश के साथ बेहतर ढंग से जुड़े हुए हैं। यदि दिल्ली के वे अधिकारी जिन्होंने इन राज्य क्षेत्रों पर शासन किया था, अधिक कल्पनाशीलता से कार्य करते और स्थानीय लोगों के साथ हमदर्दी रखते तो इन दोनों भूत-पूर्व राज्यों में अत्याधिक अलगाव की भावनायें कभी भी नहीं पनपने पातीं। मणिपुर और त्रिपुरा दोनों में अधिकारियों ने स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं की उपेक्षा की जिसके कारण नौजवानों के मस्तिष्क दूषित हो गये। और वे भारतीय एकता के शत्रु आंतरिक और बाह्य शक्तियों का शिकार हो गये। मणिपुर के वासियों ने अपने आपको आदिवासी घोषित नहीं किया जैसा कि नागालैंड और मिज़ोरम के लोगों ने किया था। परन्तु मीटियों को देश के प्रति एकता दिखाने के बदले में यह पुरस्कार मिला कि उन्हें अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा और ये नौकरियां उन आदिवासियों को मिल गईं जिन्हें संवैधानिक संरक्षण प्राप्त था। और इससे भी खराब बात यह है कि दिल्ली से जाने वाले अधिकारी स्थानीय लोगों का शोषण करते हैं और उन्हें तंग करते हैं जिससे वे स्थानीय लोग नाराज रहते हैं। मणिपुर के युवक-युवतियां जो दिल्ली में या ऐसे दूसरे शहरों में अन्य शिक्षा के लिये आते हैं वे यहाँ से नाराज और दुःखी होकर लौटते हैं। त्रिपुरा में स्थानीय लोगों की आशंकाओं की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। दिल्ली और इन भागों के बीच मनोवैज्ञानिक दूरी भौगोलिक दूरी से अधिक है। इसके कारण मणिपुर और त्रिपुरा में निराशा की भावना उत्पन्न हो गई है जिसकी तुष्टि भारत के शत्रु वहां के लोगों को धन और बन्दूकें देकर कर रहे हैं।

श्रीमान यह मत हमारे-बहुत से नवयुकों और शिक्षित वर्ग का है इसकी छानबीन करने का यह कार्य गृह मंत्रालय का है।

मणिपुर और उसके साथ के इलाकों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम के प्रवर्तन के बारे में मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा जैसा कि कुछ दिन पूर्व गृह मंत्री ने कहा था मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ भागों को हमेशा के लिए विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। क्या यह व्यवहार हमारे साथ इसलिए किया गया है क्योंकि हम भारत के साथ मिलना चाहते थे। बहुत से लोगों की वहां पर ऐसी भावनाएं हैं।

इस कड़े अधिनियम के अन्तर्गत सशस्त्र बलों के संघटकों द्वारा हमारे बहुत से युवक और युवतियों को चाहे वे दोषी हो अथवा नहीं ब्रह्म मुहुर्त में अथवा दिन में किसी भी समय उठा लिया जाता है और उसमें से बहुत से अभी तक लापता हैं। मैंने दो लड़कों के नाम बताये थे—

वे हैं लोकेन और लोकेन्दु। उन्हें सेना ने गिरफ्तार किया था और उनका अब कहीं पता नहीं है।

दूसरे मणिपुर सरकार के प्रतिवेदन में एक संख्या 5 सी०आर०पी०एफ० का जिक्र आया है। यह किसी बटालियन का नाम हो सकता है। मेरे विचार में मणीपुर सरकार को उस बटालियन से कुछ शिकायतें हैं इस बटालियन ने 7 बच्चों के एक बाप को गिरफ्तार किया और वह अभी तक लापता है। गृह मंत्री ने सभा में स्वीकार किया है। कि इस तरह के कुछ और मामले भी हैं। ऐसी बातें क्यों होती हैं ? क्यों किसी आदमी को गिरफ्तार किया जाता है और फिर वह कैसे लापता हो जाता है। यह वहां आये दिन हो रहा है। सी०आर०पी० एफ० अथवा कुछ अन्य संगठनों के अधिकारी इस प्रकार का नाटक कर रहे हैं।

1.00 म०प०

यह एक मानवीय समस्या है। गृह मंत्री को इस ओर उदासीनता नहीं बरतनी चाहिए। वहां के लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक दशा के बारे में गृह मंत्री ने बताया था कि छठी पंचवर्षीय योजना में उस क्षेत्र में प्रति व्यक्ति व्यय राष्ट्रीय औसय से अधिक है। मै इस बात को मानता हूं परन्तु कुछ क्षेत्र में इस धन का किस प्रकार प्रयोग किया जा रहा है क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है ? मैं यह प्रश्न पांचवीं बार पूछ रहा हूं। मणिपुर में ऐसे मामले हुए हैं जिन्हें सरकार ने और मंत्रियों ने स्वीकार किया है। मैं इस संबंध में एक उदाहरण देना चाहूंगा। वहां पर एक लाख पचास हजार से अधिक शिक्षित बेरोजगार युवक हैं। और इतने ही ऐसे लोग हैं जिनके नाम दर्ज नही हैं। हम इस विद्रोह के प्रश्न को बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की समस्या से अलग कैसे रख सकते हैं। केन्द्रीय सरकार ने बहुत सहायता की है। उसके लिए मैं आभारी हूं। किन्तु आप अनुगामी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। आप इस धन पर अंकुश नहीं रख रहे हैं।

प्रधान मन्त्री ने 1980 में राजनैतिक दलों के एक प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया था कि मणिपुरी भाषा भारत के संविधान की अष्ठम सूची में शामिल कर ली जायेगी। उस समय मैंने स्वयं पूछा था कि यह चालू सत्र में क्यों नहीं शामिल की गई। तब प्रधान मंत्री ने कहा था कि असम की समस्या को जरा शान्त हो जाने दीजिए। मेरे विचार में सरकार के अनुसार असम की समस्या शान्त हो गई है।

श्री मधु दण्डवते (राजापुर) : अब आपको पंजाब की समस्या हल होने तक इंतजार करना होगा।

श्री नगनगगोम मौहेन्द्रा : यदि किसी एक बात को हल करने के लिए किसी दूसरी बात की शर्त लगा दी जाती है तो इसका अन्त कभी भी नहीं होगा। हमने उच्च न्यायालय की मांग की थी। श्री कौशल ने हमें बताया था कि इस पर विचार किया जायेगा। इस सम्बन्ध मे कोई कार्यवाही नहीं की गई।

एन०आर०ई०पी० और आई०आर०डी०पी० कार्यक्रमों के बारे मे मेरे राज्य में जो हो रहा है उसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं। मेरा राज्य एक छोटा राज्य है। वहां जो होता है

[श्री नगनगाम मोहेन्द्र]

अगले दिन उसका सबको पता चल जाता है। आई०आर०डी०पी० के लिए कुछ धनराशि आवंटित की गई थी। परन्तु लोड बैंकों को वह राशि नहीं मिल रही है। कुछ दूसरे कों बैंको जो वर्तमान सरकार के कृपा पात्र हैं, वह राशि मिल रही है। इसलिए लोड बैंकों ने अब सरकार के चैकों को वापस करना शुरु कर दिया है। एन०आर०ई०पी० कार्यक्रमों के मामलों में भी यही हो रहा है।

गृह मन्त्री ने असम में एक परियोजना के बारे में जिक्र किया था। मणिपुर में 7 ऐसी परियोजनाएं हैं जो निरन्तर चल रही हैं। सिंचाई, कृषि और ऊर्जा विभागों के मंत्रियों ने उस स्थान का दौरा किया। परन्तु उनके इन दौरों का कुछ परिणाम नहीं निकला। इन ज्वलंत समस्याओं को हल करने के लिये आप क्या कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि आप पंजाब की समस्या को छोड़ कर मेरे राज्य को प्राथमिकता दें। परन्तु मैं उदासीनता के रवैये को नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री जैसे कुछ जिम्मेदार व्यक्ति स्पष्ट रूप से बतायें कि वे क्या कार्यवाही करना चाहते हैं। जैसा कि कल एक वक्ता ने कहा था, उनका मंत्रालय सभी मंत्रालयों के कार्यों के बीच समन्वय करता है। इसलिए हमें यह मत बताइये कि यह विषय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित है और वह विषय किसी और मंत्रालय से। गृह मंत्री को एक वरिष्ठ और सुलझे हुए राजनीतिज्ञ की तरह कोई ठोस कार्य करना चाहिए जिसके ठोस परिणाम हों।

धन्यवाद।

श्री दलबीर सिंह (शहडोल): माननीय उपाध्यक्ष जी, गृह मंत्रालय की मांगों पर जो चर्चा हो रही है उसका मैं समर्थन करता हूं। हमारी बहुत दिनों से यह मांग रही है कि गृह मंत्रालय के अन्तर्गत जो एक डिवीजन कार्य कर रहा है वह पर्याप्त नहीं है, उसके स्थान पर पूरा एक विभाग, पूरा एक डिपार्टमेंन्ट होना चाहिए जो कि हरिजन आदिवासियों से संबंधित कल्याण री योजनाओं की देख-भाल कर सके। केवल एक डिवीजन से ही यह कार्य नहीं हो पाता है। राज्यपालों से जो रिपोर्ट समय-समय पर आनी चाहिएं वह रिपोर्टें भी नहीं आ पाती हैं। इसलिए मेरा माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन है कि गृह मंत्रालय के अन्तर्गत एक डिपार्टमेंन्ट बनाया जाए ताकि सुचारु रूप से यह कार्य हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, 1983-84 की निपोर्ट मैंने देखी है, उसमें स्पेशल कापोनेन्ट प्लान के लिए जो राशि रखी गई है वह बहुत कम प्रतीत होती है। इसके साथ ही साथ जैसा कि सब-प्लान के लिए बताया गया है।

> "वर्ष 1983-84 के दौरान, आदिवासियों की उप-योजनाओं के लिए 110 करोड़ रुपये विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में रखे गए हैं। आरम्भ होने वाले वर्ष 1984-85 के लिये 125.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।"

हमारे देश के 17 राज्यों तथा दो केन्द्र शासित प्रदेशों में सब-प्लान की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि ऐसे बहुत से ट्राइबल एरिजाज है जो नान-शेड्यूल्ड हैं, शेड्यूल्ड एरिया में नहीं आते हैं और वहां पर बहुत से आदिवासी रहते हैं। मेरा निवे-

दन है कि पूरे देश में एकरूपता होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के ट्राइबल्स चाहे गौड हों, कोल हों, या भेंगा हों या बनियां हों वे शेड्यूल्ड ट्राइब की श्रेणी में नहीं आते हैं इसलिए उनको जो लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है। मेरा अनुरोध है कि मन्त्री जी उत्तर प्रदेश शासन से इस सम्बन्ध में एक रिपोर्ट मंगायें और उसके आधार पर वहां पर संशोधन विधेयक पारित कराएं ताकि उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में जो आदिवासी हैं उनको भी पूरा-पूरा लाभ मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, सब-प्लान के तहत बहुत सी रिपोर्ट आती हैं। ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की बैठकें होती हैं जिसमें संसद सदस्य, विधायक तथा नान-आफिशियल मेम्बर होते हैं, उनकी रिपोर्टें भी समय-समय पर आनी चाहिए ताकि इस बात का पता चल सके कि किस गति से योजनाओं का कार्य चल रहा है।

एक अहम सवाल और भी है। फारेस्ट ऐक्ट को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया जा रहा है जिससे तमाम आदिवासी भयभीत हैं।

आप हमारे प्रदेश के मुख्य मन्त्री रहे हैं और आप वहां की आदिवासियों की स्थिति से अवगत हैं। सदियों से ग्रामीण अंचल में और जंगलों में आदिवासी निवास करते हैं, न तो उनके पास पट्टा ही है और न ही उनके पास जमीनें हैं। उनको उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है। उनके अन्दर एक प्रकार का भय पैदा हो गया है। चाहे मध्य प्रदेश का सवाल हो या अन्य प्रदेशों का सवाल हो या जो आदिवासी पहाड़ी एरिया और जंगलों में निवास करते हैं, उनके संरक्षण की जिम्मेदारी आपकी है और उनकी रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। आपको यह भी देखना पड़ेगा, इसके लिए चाहे आप कृषि विभाग या इनवार्यनमेंट विभाग से सम्पर्क करना पड़े, जो आदिवासी जंगलों में निवास करते हैं और उनको जो पट्टे मिले हुए हैं, उनको उनसे वंचित नहीं करना चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश में पहले भी एक कानून बना था, लेकिन अभी तक ठीक प्रकार से उस पर अमल नहीं हो रहा है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उसमें सुधार होना चाहिए, इसके लिए हो सकता है कि आप वहां के राजस्व मन्त्री और फारेस्ट मन्त्री की मीटिंग भी बुलानी पड़े, तो इस ओर भी आपको कदम उठाना चाहिए। देखना तो यह चाहिए कि वास्तव में इनको भूमि आवंटित हुई है या नहीं या सिर्फ वह कागजों तक ही सीमित है। इस ओर भी मन्त्री महोदय को ध्यान देना चाहिए।

जहां एलाइट सर्विसेज, आई०पी०एस० या आई०ए०एस० का सवाल है, पूरे देश में लगभग इसके 62 कोचिंग सेंटर्स हैं। लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि डिवीजन लेवल पर भी इनके कोचिंग सेन्टर्स होने चाहिएं, ताकि यह सुविधा भी वहां के लोगों को प्राप्त हो सके।

एक बात मैं वहां आदिवासियों के धर्म परिवर्तन के बारे में कहना चाहता हूं। वहां की संस्कृति की रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। आप वहां के मुख्य मंत्री भी रह चुके हैं। सरगुजा, रायगढ़ आदि ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहां पर आदिवासियों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। उनको यह भी मालूम नहीं कि कौन से धर्म में परिवर्तन किया जा रहा है। इसलिए मैं

[श्री दलबीर सिंह]

माननीय मंत्री जी से बड़े अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो धर्म-परिवर्तन हो रहा है, उसको रोकने के लिए आपको कदम उठाने पड़ेंगे। इसके साथ ही साथ हमारे प्रदेश को जो सब-प्लान में केन्द्रीय सहायता मिल रही है, वह भी पूरी की पूरी खर्च नहीं हो पाती है। चाहे वह कम्पोनेंट प्लान हो या आई आर०डी०पी० का कार्यक्रम हो। इन योजनाओं पर अधिकारी वर्ग ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप निर्देश दें कि जो राशि विभिन्न योजनाओं के लिए दी जाती है, वह पूरी राशि योजनाओं पर खर्च होनी चाहिए। वह जनरल बजट में शामिल नहीं होनी चाहिए। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जहां पर 95 से 100 प्रतिशत तक आदिवासी रहते हैं, जिनको कि इन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता है। इस पर आपको सर्वे कराना चाहिए। जो क्षेत्र नान-शैड्यूल्ड एरिया में आते हैं, उनको शैड्यूल्ड एरिया में शामिल करना चाहिए। तब जाकर उनको पूरा-पूरा लाभ हो सकेगा।

शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमेटी संसद की है, इस की बैठकों की रिपोर्ट भी नहीं आती है कि उस पर क्या कार्यवाही की गई। मंडल कमीशन पर भी यहाँ पर कई बार चर्चा हुई है। काका कालेलकर कमीशन के साथ और बहुत से कमीशन बने हैं, जिनकी रिपोर्ट आनी चाहिए और उन पर इम्पलीमेंटेशन होना चाहिए।

हरिजनों के लिए आपने अलग से कम्पोनेंट प्लान बनाया है, लेकिन बहुत से अधिकारी ऐसे हैं, तो कम्पोनेंट का मतलब नहीं समझते हैं। शहरी क्षेत्र को छोड़ कर ग्रामीण अंचलों में जो हमारे हरिजन भाई रहते हैं इस का उपयोगी उन के लिये नहीं हो पाता है। ऐसा प्रयास किया जाना चाहिये जिससे उन को भी लाभ हो सके।

कुछ शब्द मैं फारेस्ट प्रोड्यूस के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे यहां आमतौर पर महुआ, जामुन, आम आदि फलों की पैदावार होती है लेकिन स्वाईल कन्जर्वेशन के नाम पर इन के पेड़ों को तराश कर कांन्टिनेन्टल पाईन के पौधे लगा देते हैं और ऐसा औद्योगिक दृष्टि से किया जा रहा है, जिस को हमारे आदिवासी पसन्द नहीं करते हैं। मेरा अनुरोध है कि आप इस को रोकिये और फलदार वृक्षों को वहां पर लगाने की व्यवस्था कीजिये। मेरे संसदीय क्षेत्र में महुआ बहुत ज्यादा होता है और भगवान न करे कि कभी अकाल की स्थिति पैदा हो, लेकिन जब भी अकाल होता है वहां के आदिवासियों द्वारा महुआ का भोजन किया जाता है। यद्यपि इस का नेशनलाइजेशन हो गया है, फिर भी उन को इस का सही दाम नहीं मिलता है और न ही उनके उत्पादन का सही उपयोग हो पाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे फारेस्ट प्रोड्यूस पर आदिवासयों का हक है। मध्य प्रदेश में मंडला, सरगुजा और बस्तर ऐसे जिले हैं जहां आदिवासी जनसंख्या बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वे बहुत भोले हैं, उन को नारे लगाना या स्लोगन लगाना नहीं आता है, वे मूक दृष्टि से सब कुछ देखते रहते हैं लेकिन समझते सब कुछ हैं कि शासन उन के लिये क्या कर रहा है। प्रधान मंत्री जी के बीस सूत्री कार्यक्रम में सातवें सूत्र में कहा गया है कि आदिवासियों, हरिजनों का सर्वांगीण विकास करेंगे। उनके साथ जो एट्रासिटिज होती हैं उन मामलों पर हमें ध्यान देना होगा। आदिवासी ग्रामीण अंचलों के पुलिस

स्टेशनों में जो रिपोर्ट लिखाई जाती है उन का समाधान नहीं हो पाता है। आप ने मंत्रालय में भी एक हरिजन सेल बनाया है, मेरा अनुरोध है कि जो भी शिकायतें आप के पास आयें उन पर शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिये जिस से उन की समस्याओं का निराकरण हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, आज गृह मंत्रालय की मांगों पर जो चर्चा हो रही है, मैं उन से सहमत हूं और उन का समर्थन करता हूं। प्रधान मंत्री जी ने अपने 20-सूत्री कार्यक्रम के द्वारा हरिजनों, आदिवासियों के अपलिफ्ट के लिये जो कार्य किया है हम उस के लिये उन को धन्यवाद देते हैं। मैं अपने गृह मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा आप—हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे हैं और बहुत सक्षम मुख्य मंत्री रहे हैं, हमारे मध्य प्रदेश के 45 जिलों में आधे या ज्यादा आदिवासी निवास करते—हैं उन के साथ किसी प्रकार की एट्रोसिटीज न हों, उन को हर तरह से संरक्षण मिले, ऐसा प्रयास सरकार की ओर से किया जाना चाहिये। अन्त में मैं इस बात को पुनः दोहराना चाहता हूं कि केन्द्र में इन के लिये अलग से पूरा डिपार्टमेन्ट कायम किया जाय ताकि सभी क्षेत्रों को आप की योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके।

श्री के० प्रधानी (नौरंगपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने अल्प समय में केवल स्थानीय समस्याओं को ही लूंगा। सर्व प्रथम मैं जन-जातीय विकास के मामले को लूंगा। हमारे देश में जन-जातीय लोगों के लिए 19 उपयोजना क्षेत्र हैं। भारत सरकार के अनुसार उपयोजना क्षेत्र वे हैं जो जन-जातीय क्षेत्रों में स्थित हैं जहां के लोगों जनसंख्या का 50 प्रतिशत जन-जातीय लोगों का है।

उप योजनाएं कैसे कार्य कर रही हैं, इसके चार मुख्य उद्देश्य है। छठी योजना के दौरान जन-जातीय उप-योजना के चार मुख्य उद्देश्य हैं :

(1) जन-जाति के परिवारों के अपने क्षेत्र के क्रिया-कलापों, जैसे कृषि, पशुपालन, लघु उद्योगों इत्यादि में उत्पादकता बढ़ाकर उनके परिवार-परक लाभदायक कार्यक्रमों को हाथ में लेना,

(2) भूमि हस्तान्तरण, ऋण देन, कर्ज बन्धन, उत्पाद-कर तथा व्यापार के मामले में शोषण से मुक्ति,

(3) शिक्षा तथा प्रशिक्षण द्वारा माननीय संसाधनों का विकास, और

(4) संरचना का विकास।

क्रमांक 2 का उद्देश्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना क्रमांक 1 का जन-जातियों का शोषण रोके बिना हम जन-जातिय के विकास की कोई उम्मीद नहीं कर सकते। यह कुछ वैसी ही बात है जैसी बड़े छेद वाले घड़े में पानी डालना। इससे आप संतुलन ला नहीं सकते।

इस संबन्ध में मैं दो बातें कहना चाहता हूं। जहां तक भूमि हस्तान्तरण का प्रश्न है मैं महाराष्ट्र के हाल में उद्धृत किये गये आंकड़ों के उद्धृत करूंगा। कुछ भूमि सम्बन्धी विन्दुम

[श्री के० प्रधानी]

हैं तथा अब तक निपटाये गये 43648 मामले में से केवल 17731 जन-जातियों के पक्ष में थी, शेष उनके विरूद्ध थे। इसका अर्थ है 50प्र०श०से कम जन-जातियों के पक्ष में थे। उड़ीसा में 5504 मामलों में से 16940 आदि जातीयों के पक्ष में निर्णीत हुए। राजस्थान में 1951 में से 40 त्रिपुरा में 1206 में से लगभग 2040 जन-जातियों के पक्ष में निर्णीत हुए। मैं यह कहना चाहता था कि भूमि-विनियमों में किसी कमी के कारण संबद्ध राज्यों में अधिक मामले जन-जातियों के पक्ष में नहीं जा सके। अतः मैं गृह मंत्री का ध्यान इस कमी की ओर दिलाना चाहता हूं ताकि वह इसका अध्ययन कर भूमि विनियमों में संशोधन लायें ताकि जन-जातियों को लाभ पहुंच सके।

ऋण देने तथा अन्य समस्याओं के मामले में एल०ए०एम०पी०एस० जन-जातीय क्षेत्रों में कार्यरत हैं तथा जन-जातियों के शोषण को समाप्त करने के लिए बहुत सी बहु-उद्देश्यीय सहकारी संघ स्थापित किये हैं, जो कि कार्यरत तो हैं, परन्तु उनका कार्य संतोषजनक नहीं है। इसलिए अभी भी उन्हें साहूकारों के शिकंजे में रहना पड़ता है तथा उनका शोषण जारी है। गृह मंत्री को इस पर ध्यान देना है।

जन-जातीय क्षेत्र में अभी भी शराब की दुकानें अनपढ़ लोगों को शराब बेचती हैं जो कि भारी मात्रा में बिक्री कर रही हैं तथा जन-जातीय लोगों का शोषण हो रहा है तथा वे निर्धन बनते जा रहे हैं।

जब छटी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सहायता के रूप में 470 करोड़ रुपए आवंटित किये गये हैं, जो कि पांचवीं योजना के दौरान 190 करोड़ रुपए की थी। और इसके अलावा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा अन्य योजनाओं के लिए हमें प्रति वर्ष बहुत सा धन प्राप्त हो रहा है। धन की कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री की इच्छानुसार हमें बहुत सा धन मिल रहा है परन्तु समस्या यह है कि पूरा धन योजनाओं पर नहीं लग रहा। यह कुछ ऐसी ही बात है कि दाहिने हाथ से धन दिया जाता है तथा बाएं हाथ से वापस ले लिया जाता है। इस प्रकार शेष कुछ नहीं बचता। अतः मैं गृह मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाता हूं कि वह पहले से नियुक्त कार्य दल से कहें कि इस समस्या का अध्ययन कर पता लगायें कि उनका शोषण रोकना कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। तभी हम अपनी जनता के लिए कुछ कर सकते हैं।

फिर मैं गृह मंत्री का ध्यान उड़ीसा के जन-जातियों के लोगों की ओर दिलाता हूं वहां पर एक जन-जाति है भाट्टाडा जो कि उड़ीसा राज्य सूची के क्रमांक 5 पर है। यह जन-जाति पूरे उड़ीसा राज्य की जन-जाति है। मैं एक जिले की जन-जाति का हूं। भाट्टाडा कोरतपुर जिले में जन-जाति है परन्तु दूसरे जिले में नहीं है। इस बात का कोई कारण नहीं है कि एक जिले की जन-जाति दूसरे जिले मे जन-जाति न हो। भाट्टाडा जन-जाति उड़ीसा के दो जिलों कोरतपुर तथा कालहांडी में है। एक जिले में उन्हें जन-जाति माना जाता है तथा उन्हें उसके लाभ मिलते हैं, परन्तु कालहांडी जिले में उन्हें जन-जाति नहीं माना जाता, तथा, उन्हें लाभ

नहीं मिलता। उनकी मांगें कई बार केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के सामने लाई गई, परन्तु इसका निर्णय नहीं हुआ। मैं गृह मन्त्री से निवेदन करता हूं कि इसका अध्ययन करें ताकि इन गरीब लोगों को कुछ लाभ मिल सके।

सातवें वित्त आयोग में 29.31 करोड़ रुपया क्षति पूर्ति भत्ते के रूप में दिया गया तथा 13.3 करोड़ रुपया जन-जातीय लोगों के लिये आवासों के निर्माण के लिए दिया गया। समय-सीमा 1983-84 थी। मैं समझता हूं 31 मार्च तक आवंटित पूरा धन व्यय किया जायेगा तथा वहां कार्यरत कर्मचारियों को क्षति पूर्ति भत्ते के लिए कोई धन नहीं बचेगा। मैं गृह मन्त्री से निवेदन करता हूं कि इसका अध्ययन करें, कि उनके लिए क्या किया जा सकता है।

जन-जाति क्षेत्रों में प्रशासन की दशा बिगड़ी हुई है। क्षेत्र के पिछड़ेपन, चिकित्सा सुविधाओं, संचार सुविधाओं के अभाव के कारण कोई अच्छा अधिकारी वहां जाना पसन्द नहीं करता। जो लोग वहां पर हैं उन पर जहां तो कार्रवाही चल रही है या वे सजा भुगत रहे हैं। वे अपना कार्य उसी तरह करते हैं जैसा वे अन्य स्थानों पर करते हैं। अत: जन-जातीय लोगों को अच्छे प्रशासक का लाभ नहीं मिल पाता। भारत सरकार ने राज्य सरकारों को मार्ग-दर्शन दिए हैं कि जन-जातीय क्षेत्रों के लिए पृथक रूप से नियुक्त किया जाये तथा उन्हें क्षति पूर्ति भत्ते तथा कुछ मंटर प्रोत्साहन दिये जाएं। परन्तु ऐसा लगता है कि राज्य सरकारें इस बारे में दृढ़ नहीं हैं तथा वे केन्द्र के अनुरोधों का पालन नहीं कर रहे। मैं समझता हूं कि यदि कोई विशेष प्रोत्साहन दिये जाते हैं, तो वे कुछ करेंगे।

मैं ऐसे जन-जाति क्षेत्र से हूं जहां के लोगों ने भारी संख्या में स्वतंत्रता संग्राम में जान दी है। एक व्यक्ति, जिसका नाम लखन नायक था को 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लेने के लिए मृत्यु दण्ड दिया गया। मैंने उसके परिवार के सदस्यों के लिए भारत सरकार से कुछ सहायता दिलाने की चेष्टा की। परन्तु वर्तमान नियम के अनुसार उसके पुत्र को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन नहीं मिल सकती। उनकी पत्नी 1973 में मर गई थी। गृह मन्त्री ने अपने फंड में से 2500 रुपए दिये। मैं समझता हूं कि यह काफी नहीं है जो व्यक्ति जेल गये थे तथा छूट गए उन्हें 300 रुपए मासिक पेंशन मिल रही है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जिनके परिवार के मुखिया या तो स्वतंत्रता संग्राम में मारे गए अथवा फांसी पर लटका दिए परन्तु उनके आश्रितों को कोई लाभ नहीं मिल रहे। यदि शहीदों के आश्रितों को भारत सरकार से कुछ लाभ मिल सकें तो वे आपके बहुत आभारी होंगे।

इस समय 1,27,698 व्यक्तियों को पेंशन मिल चुकी है तथा 1,50,588 व्यक्तियों के मामले विचाराधीन हैं। मैंने भी जेल के प्रमाण-पत्रों सहित कुछ आवेदन-पत्र भिजवाएं हैं ऐसे व्यक्तियों के संबन्ध में जो छः महीने तक जेल में रहे हैं, अनुसूचित जातियों जन-जातियों के लिए 3 महीने की रियायत है। परन्तु इनमें से बहुत से मामले अभी भी विचाराधीन हैं। कुछ मामलों में मंजूरी पहले ही मिल चुकी है परन्तु वे अभी भी महालेखा पाल अथवा खजाने में बकाया पड़े हैं। फिर किसी भी व्यक्ति को पेंशन इस रियायत के जारी होने के बाद मंजूरी नहीं दी गई है।

[श्री के० प्रधानी]

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन मामलों का शीघ्र निपटारा करें तथा इनके लिए धन का आवंटन करें।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ (मंजेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान, गृह मंत्रालय की मांगों में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

गृह मंत्रालय अत्यन्त महत्वपूर्ण मंत्रालय है तथा इस महान् देश में कानून और व्यवस्था कायम करना उसका दायित्व है। हमारे देश की प्रतिरक्षा क्षमता बहुत हद तक आंतरिक शांति एवं सौहार्द के साथ बिना भेदभाव के न्याय उपलब्ध किये जाने पर निर्भर करती है। यह दुर्भाग्य की बात है कि जब देश की एकता तथा उसके धर्म-निरपेक्ष ढांचे को अन्दर-बाहर दोनों ओर से चुनौती दी जा रही है, देश की आंतरिक स्थिति कतई संतोषजनक नहीं है विशेषतया पंजाब और असम के मामले में। यह अत्यन्त चिन्ता का मामला है कि प्रतिक्रियावादी फासिस्ट, साम्प्रदायिकतत्व तथा विघटनकारी शक्तियां देश में पनपती जा रही हैं। इन हालात में गृह मंत्रालय का दायित्व हो जाता है कि इन शक्तियों का सर्वथा उन्मूलन किया जाये तथा धर्म-निरपेक्षता के हित में उनका पूर्णत: उन्मूलन किया जाना है।

महोदय, जहां तक असम का प्रश्न है, अल्पसंख्यकों भाषिक तथा धार्मिक को बाहर निकालने, विशेषत: मुस्लिम अल्पसंख्यकों को विदेशी होने के नाम पर, पूरी तरह त्यागा नहीं गया है। मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि हाल के गैर-कानूनी अप्रवासी (अधिकरणों द्वारा निर्धारण) अधिनियम अल्पसंख्यकों के लिए अत्यन्त हानिकर है। पक्षपात-पूर्ण अधिकारी तथा अक्रामक सांप्रदायिकता इस अधिनियम के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों के प्रति विनाशक हो सकती है। उप-निरीक्षक पद के अधिकारी को पता लगाने का अधिकार दिया गया है तथा ऐसी व्यवस्था है 25 रुपये जमा करा कर कोई भी व्यक्ति किसी राष्ट्रीयता का प्रश्न उठा सकता है, इसके अत्यन्त भंयकर परिणाम हो सकते हैं। और भी गंभीर बात यह है कि जो व्यक्ति 25 रुपये देता है वह किसी अधिकारी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, अपितु साफ निकल जाता है सारा भार उसी व्यक्ति पर छोड़ दिया जाता है जिसकी राष्ट्रीयता पर संदेह किया गया है। इससे भी बुरी बात यह है कि इस अधिनियम को देश के अन्य भागों में भी लागू किया जा सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के कैथर जिले में, जो कि मुस्लिम बाहुल्य वाला जिला है उसमें 1800 मुस्लिम परिवारों को अपने राष्ट्रीयता सिद्ध करने के लिए कहा गया। असम जैसी स्थिति पैदा की जा रही है यह वास्तव में भंयकर स्थिति है जिसे गृह मंत्रालय को सख्ती से निपटना है।

असम में आज भी स्थिति सामान्य नहीं है। पुनर्वास कार्य संतोषजनक नहीं है। मैं मानता हूं कि पुनर्वास का कार्य अत्यन्त विस्तृत है। सरकार भी पुनर्वास का कार्य कर रही है। परन्तु उन्हें अधिक सफलता नही मिल पाई। मैं सुझाव दूंगा कि सरकार को लोगों के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए ताकि पुनर्वास के लिए औपचारिक जिला स्तर की समितियां गठित हो सकें। इससे लोग पुनर्वास कार्य से संबंद्ध हो सकेंगे तथा अपने मकानों तथा खेतों से विस्थापित होने वाले लोगों को फिर से बसाया जा सके।

महोदय मुझे खुशी है कि इस वर्ष अभी तक साम्प्रदायिक दंगों की कम घटनाएं हुई हैं। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष हैदराबाद के अलावा कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ। परन्तु एक बात स्पष्ट रूप से समझ ली जानी चाहिए कि प्रशासन की ओर से कोई ढील नहीं बरती जानी चाहिए तथा सरकार को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए। पिछले वर्ष 1983 में अन्य दंगे हुए जिनमें 202 व्यक्तियों की जानें गई तथा 3478 व्यक्ति जख्मी हुए। अतः सरकार को सतर्कता बरतनी चाहिए तथा वर्ष के शेष भाग में साम्प्रदायिक सद्भावना बनी रहे।

पंजाब में निरन्तर चल रही हिंसा की हम सभी निन्दा करते हैं तथा धार्मिक स्थानों का अपराधियों के छिपने तथा उनमें शस्त्रों के जमा करने की निन्दा करते हैं। परन्तु मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार द्वारा नरमपंथी अकालियों पर भी पृथकवादिता का आरोप लगाया जाना आश्चर्यजनक है। मेरा मन्तव्य है कि सरकार की यह नीति सुविचारित नहीं है जबकि सरकार ने इस मामले में बातचीत शुरू की है। पंजाब की समस्या के बारे में मैं निराशावादी नहीं हूं मैं इस बारे में आशावान हूं। मैं जानता हूं कि हिंसा द्वारा इसका हल न होगा अपितु इसका हल द्विपक्षीय अथवा त्रिपक्षीय वार्ता द्वारा किया जा सकता है। पिछले महीने अकालियों से वार्ता हुई थी जबकि हिंसा भड़क उठी। यह पता लगाया जाना चाहिए कि उक्त हिंसा किस ने शुरू की, मुझे अभी भी उम्मीद है कि अच्छा वातावरण पैदा किया जायेगा तथा सरकार तथा अकाली सद्भावना से इसे ला सकते हैं। हमें वास्तविक समस्या को समझना चाहिए। जहां तक उनकी धार्मिक मांगों का प्रश्न है उनमें से अधिकांश मान ली गई हैं। फिर नदियों के पानी के बंटवारे का मामला है। इसके लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश द्वारा एक प्राधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए तथा उसका निर्णय दोनों पक्षों के लिए मान्य होना चाहिए।

क्षेत्रीय विवाद के बारे में मेरा मत है कि चण्डीगढ़ पंजाब को हस्तान्तरित किया जाना चाहिए तथा हरियाणा के साथ सीमा का निर्धारण गांव को इकाई मानते हुए किया जाना चाहिए। सरकार को प्रधान मन्त्री द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार गांधीवाद रवैया अपनाकर बातचीत शुरू करनी चाहिए, जैसा कि कल श्री राम जेठमलानी ने बताया था।

हम सब संविधान के जलाये जाने की निंदा करते हैं। ऐसी कार्यवाही को कोई भी प्रशंसा नहीं कर सकता। परन्तु साथ ही मैं समझता हूं कि यदि सिक्ख यह समझते हैं कि अनुच्छेद 25 उनके अस्तित्व को चुनौती देता है तथा उन्हें कुछ लाभ है तो इसका विकल्प उनके पास है। कोई कारण नहीं कि हम बीच में बाधक बनें। भारत एक धर्म-निरपेक्ष राज्य है तथा वहां सभी सम्प्रदाओं भाषाओं तथा अस्तित्वों को सम्मान दिया जाना चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं तथा यह दुर्भाग्य कि बात है निहित- स्वार्थ तत्वों द्वारा विवादास्पद एवं नाजुक साम्प्रदायिक मसले उठाये जाते हैं। इस वर्ष दंगे तो नहीं हुए परन्तु ऐसी प्रवृत्ति बनी हुई है। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री इस बात को समझें। कई बार यह विवाद न्यायालय में जाते हैं। दुःख की बात है कि स्पष्ट न्यायिक निर्णयों के बावजूद अल्प-मत विरोधी तत्व, उनका उल्लंघन करते हैं जिससे तनाव पैदा होता है। कई प्रशासन अल्पमत विरोधी रवैया अपनाता है

[श्री इब्राहिम सुलेमान सेठ]

तथा उन निर्णयों के विरुद्ध कार्य करता है जो अल्पमत के पक्ष में हैं। मैं बल देना चाहता हूं कि ऐसा रवैया अनुचित है तथा कानून का आदर होना चाहिए। ऐसे मामलों में गृह मंत्रालय को दृढ़ रहना चाहिए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के बराईच जिले में मस्जिद की भूमि का विवाद था। तदानुसार मस्जिद के रख-रखाव के लिए कुछ दुकानों का निर्माण किया जाना था परन्तु समाजविरोधी तत्वों ने तनाव पैदा कर दिया। प्रशासन ने अरुचि दिखलाई तथा इसके कारण मुस्लिम तथा पुलिस का झगड़ा हो गया।

हैदराबाद में भी ऐसी ही घटनाएं हुई हैं, जहां न्यायालय के फैसले से मस्जिद की भूमि की वक्फ सम्पति मानने वाले के बावजूद उस पर अधिकार करने के प्रयत्न किए गए और एल्विन फैक्टरी के कर्मचारियों द्वारा, जिन्हें साम्प्रदायिक तत्वों से समर्थन मिल रहा था, नमाज पढ़ने में बाधा पैदा की गई। इसके कारण वहां झगड़ा हुआ और हैदराबाद शहर में कई जानें गईं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस खतरनाक रुख की ओर विशेष ध्यान दे और यह देखे कि प्रशासन निष्पक्ष रूप से उचित कदम उठाये। साम्प्रदायिक सद्भावना बनाये रखने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

मैं अनेक राज्यों में इस्लाम और मोहम्मद के विरुद्ध अपमानजनक बातें लिखने के खेदजनक रवैये की ओर विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि शिक्षण संस्थाओं में पाठ्यक्रम में लगी पाठ्य पुस्तकों में भी इस तरह की अपमानजनक सामग्री पाई गई है। सरकार यह सुनिश्चित करे कि इस प्रकार की सामग्री प्रकाशित करने के जिम्मेदार लोगों को उचित दंड दिया जाये। पाठ्य पुस्तकों की जांच करने के लिए प्रत्येक स्तर पर उचित समितियां होनी चाहिएं, जो उन्हें पाठ्यक्रम में शामिल करने से पहले उनकी पूरी-पूरी जांच करें तथा इन समितियों में केवल अधिकारी ही न हों बल्कि विभिन्न धर्मों के विद्वान भी इनमें शामिल किये जायें।

मैं एक अन्य महत्वपूर्ण बात का उल्लेख करना चाहूंगा। पिछले वर्ष मई में प्रधानमंत्री ने भिन्न केन्द्रीय मंत्रियों तथा मुख्य मंत्रियों को अल्पसंख्यकों, विशषकर मुसलमानों की प्रगति और भलाई के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिये थे। इन निदेशों का भली प्रकार पालन होता है या नहीं यह देखने के लिए उचित तंत्र की स्थापना करने की आवश्यकता है। प्रधान मंत्री को सम्बन्धित अधिकारियों से समय-समय पर इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।

डा० गोपाल सिंह उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने बहुत पहले सरकार को अपना अन्तिम प्रतिवेदन दे दिया है। यह प्रतिवेदन पिछले वर्ष दिसम्बर में प्रस्तुत किया गया था। परन्तु यह कभी प्रकाशित नहीं किया गया और न ही इसे सभा-पटल पर रखा गया। मेरी मांग है कि इसे सभा-पटल पर रखा जाये। मेरी समझ में नहीं आता कि इस प्रतिवेदन की जानकारी जन-साधारण को देने में विलम्ब क्यों किया जा रहा है।

यह आरोप और प्रतिआरोप लगाये जा रहे हैं कि सुस्थापित राज्य सरकारों को नैतिक और संविधान की अवहेलना करके गिराने का प्रयत्न किया जा रहा है। देश में संसदीय लोकतंत्र

को बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि मतदाताओं द्वारा दिये गये निर्णय का सम्मान किया जाये।

हमारे संविधान मे सभी स्तरों पर प्रशासन में लोगों के सहयोग और विकेन्द्रीकरण पर जोर दिया गया है। परन्तु खेद है कि विभिन्न राज्यों में पिछले अनेकों वर्षों से स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं हुए हैं तथा उनका प्रशासन नाम निर्दिष्ट प्रशासकों के हाथ मे चला आ रहा है। यह संविधान मे निहित लोकतंत्र के कुछ आदर्शों को नकारना है। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में यह बता देना चाहता हूं कि हाल ही में बम्बई नगर निगम को समाप्त करने की बात की गई। मुझे यह बताया गया है कि उसे 31 मार्च, 1984 से समाप्त किया जाना था। ऐसा सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा स्थानीय चुनाव करने मे असफल रहने के कारण किया जा रहा है। परन्तु इस तरह का प्रयत्न करना बहुत ही खेदजनक है। यदि सरकार लोकतंत्र के कुछ सिद्धांतों को बनाये रखने में रुचि रखती है तो उसे राज्य सरकारों से बात करनी चाहिए और उन्हें जनमत का सम्मान करने के लिए बाध्य करना चाहिए, निगम के कार्यकाल को बढ़ाना चाहिए और शीघ्रातिशीघ्र चुनाव की व्यवस्था करनी चाहिए।

अन्त में मैं निर्वाचन पद्धति का उल्लेख करना चाहता हूं। हमारी निर्वाचन पद्धति और विधियां पुरानी पड़ गई हैं और उनमें सुधार करने की आवश्यकता है। निर्वाचन आयोग की अनेकों सिफारिशें भी सरकार के सम्मुख विचाराधीन पड़ी हैं। अनेक राजनीतिक दलों ने भी इनमें सुधार करने के सुझाव दिये हैं। इन सुझावों पर विचार किए जाने और निर्णय लिए जाने में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है। यदि संसद सही मायने में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है तो वह निर्वाचन पद्धति में सुधार करने की मांग करती है। निर्वाचनों में धन की भूमिका को समाप्त करने के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व को अपनाया जाना चाहिए। अतः चुनावों के लिए सरकार द्वारा धन दिये जाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाना चाहिए। संसद, राज्य विधान मंडलों और स्थानीय निकायों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति को लागू करने से अल्पसंख्यकों को बेहतर प्रतिनिधित्व मिल सकेगा और इससे देश के धर्म निरपेक्ष स्वरूप को बनाये रखा जा सकेगा।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में एक दिखावा किया जा रहा है। जहां एक मंत्री उर्दू को दूसरी भाषा बनाये जाने के लिए प्रस्ताव पेश करता है और उसी सरकार का दूसरा मंत्री उसका विरोध करता है। यह एक दिखावा है। इसे समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि इससे मुस्लिम अल्पसंख्यकों में विश्वास की कमी होगी। उर्दू, हिन्दुओं और मुसलमानो की धरोहर है और यदि हमारा राष्ट्र राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना चाहता है तो ऐसा वह उर्दू के द्वारा ही कर सकता है। मैं फिर यह स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि इस दिखावे को समाप्त किया जाये। मैं चाहता हूं कि इस मामले को गम्भीरता से लिया जाये और उर्दू को देश में, विशेष कर उत्तर प्रदेश में उसका उचित स्थान दिया जाये।

मैं आशा करता हूं कि यहां जिन बातों का उल्लेख किया गया है उन पर गृह मंत्रालय और

[श्री इब्राहिम सुलेमान सेठ]

सरकार गहराई से विचार करेगी और जिन समस्याओं का मैंने उल्लेख किया है उनका समाधान करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप में से प्रत्येक को अवसर मिलेगा क्योंकि इसके लिए आपने पर्याप्त समय प्रदान कर दिया है। अपना भाषण समाप्त करने के बाद जाइये नहीं।

श्री चित्त बसु : हम यहां बैठे हुए हैं। सदन में बैठे रहने के लिए कुछ प्रोत्साहन योजना अथवा बोनस होना चाहिए।

श्री बालकृष्ण वासनिक (बुलडाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रालय के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों पर बोलने का अवसर दिये जाने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

कारंजा निर्वाचन क्षेत्र की सदस्या श्रीमती शालिनीताई पटेल ने गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बोलते हुए लम्बे समय से अनिर्णीत पड़ी महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा समस्यायों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने यहां तक कहा कि कर्नाटक विधान सभा में मराठी की तो बात क्या हिन्दी में भी सदस्यों को भाषण नहीं करने दिया गया। यदि एक राज्य विधान सभा में ऐसी बात होता है तो एक लोकतंत्र के लिए यह बड़ी कठिनाई पैदा करने वाली चीज होगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्रीमन्, जब कोई सदस्य बोल रहा हो तो अध्यक्षपीठ और भाषण कर्ता के बीच सदस्यों को चलना-फिरना नहीं चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ऐसी समस्याओं की आदत बन गई है। उन्हें लोकसभा समाचार द्वारा स्मरण कराया जाये।

श्री बालकृष्ण वासनिक : महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच के प्रश्न ने अनेक बार गम्भीर रूप लिया है। इस संबंध में अनेकों आन्दोलन हुए हैं। और उस क्षेत्र के लोगों ने अनेकों बार अपनी इच्छा स्पष्ट की है। उन्होंने ग्रामपंचायतों या नगरपालिका समितियों के लिए ही प्रतिनिधियों को नहीं चुना है वरन् राज्य विधान सभा के लिए भी प्रतिनिधियों को चुना है। मैं नहीं जानता कि और कौन सा तरीका है जिसके द्वारा लोग अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं।

पंजाब की समस्या का मूल भी सीमा संबंधी समस्या है। क्योंकि वह समस्या लम्बे समय से चली आ रही है। और इसे हल करना हमारे लिए संम्भव नहीं हो सका है इसकारण उसमें और बहुत सी बातें जोड़ दी गई हैं। औउसमें आनन्दपुर संकल्प को भी जोड़ दिया गया है। और अब जिस समस्या का हम सामना कर रहे हैं वह हमारे सामने हैं। मैं नहीं जानता कि पंजाब की समस्या का हल हम किस प्रकार निकाल पायेंगे।

कल माननीय सदस्य श्री राम जेठमलानी ने बड़े जोरदार शब्दों में कहा था कि इस समस्या

के हल के लिए महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी ने क्या किया होता। प्रधान मंत्री को गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के अध्यक्ष पद पर अपना समय खोने के बजाये पंजाब जाना चाहिए। और ऐसा कुछ करना चाहिए जैसा महात्मा गाँधी ने किया होता। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि महात्मा गांधी के समान कुछ किया जाना चाहिए। उस देश में जहां प्रत्येक दिन हजारों भगवान जन्म लेते हैं यदि उसके एक भाग में ऐसी स्थिति पैदा होती है तो यह आवश्यक हो जाता है कि वहां अहिंसा और शान्ति का उपदेश देने वाले गाँधी जैसा व्यक्ति होना चाहिए।

आतंकवादियों की गतिविधियां बढ रही है। प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि आतंकवादियों को अपनी सफलताओं से बढ़ावा मिलता है। यदि उनकी गतिविधियों को सफलता न मिले तो वे अधिक दिन तक नहीं चल सकते। उत्तर-पूर्व और उत्तर-दक्षिण के क्षेत्रों में जो हो रहा है उससे यह बात सर्वथा स्पष्ट है। यह बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। परन्तु इन क्षेत्रों में आतंकवादियों को लगातार सफलता मिलती जा रही है। पिछले कई वर्षों से हम यह बात देखते चले आ रहे हैं। असम, पंजाब और जम्मू और काश्मीर में होने वाली गतिविधियों को उनके आरम्भ में ही दबा देने की आवश्यकता है। यदि ऐसा पहले किया जाता तो मैं समझता हूं कि जिस स्थिति का हम इस समय सामना कर रहे हैं वह न पैदा हुई होती। एक दृढ़ कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

सरकार ने कुछ कार्यवाही करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने सन्त लोंगोवाल के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। परन्तु इस तरह अधूरे मन से कार्यवाही करने के पीछे सरकार का उद्देश्य मेरी समझ में नहीं आता। ऐसा समाचार छपा है कि गृह मंत्री ने यह कहा है कि यद्यपि मामला दर्ज कर दिया गया है परन्तु यह केवल तकनीकी तौर पर ही दर्ज किया गया है और इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाही करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। यदि सरकार का आगे कोई कार्यवाही करने का कोई इरादा नहीं है तो मेरी समझ में नहीं आता मामला दर्ज करने की क्या आवश्यकता थी। उन्होंने मामला दर्ज ही क्यों किया ? इस प्रकार की बातों से सन्त लोंगोवाल को यह कहने के लिए बढ़ावा मिला कि मामला दर्ज करने के पीछे सरकार की बुरी नियत थी।

उग्रवादी अथवा तथाकथित उदारवादी लोग भी संविधान के अनुच्छेद 2 को जला रहे हैं। वे यह सब खुलेआम कर रहे हैं और हम केवल मामला दर्ज करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तथा यहां-वहां कुछ गिरफ्तारियां मात्र ही की गई हैं।

पंजाब में बहुत से तथाकथित उग्रवादी गुंडों के अलावा और कुछ नहीं है। वे हत्यारे हैं और शांतिप्रिय लोगों को आतंकित कर रहे हैं।

यह कहते हुए मैं मंत्री महोदय का ध्यान भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री दरबारा सिंह की हत्या के प्रयत्न किए जाने की ओर भी खींचना चाहूंगा। मैं नहीं जानता कि आतंकवादियों की सूची में इस प्रकार कितने लोग दर्ज हैं और वे और कितनी हत्याएं करने वाले हैं। परन्तु जैसी स्थिति में श्री

[श्री बालकृष्ण वासनिक]

दरबारा सिंह पर हमला किया गया और जब हम श्री दरबारा सिंह जैसे व्यक्ति पर भी हमले को रोक नहीं सकते तो मैं नहीं समझता उन लोगों की रक्षा के लिए हमने क्या व्यवस्था की है जिनकी जान खतरे में है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह ऐसे सभी लोगों की जान-माल की रक्षा के लिए उचित उपाय करे। मैं चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में दृढ़ता से कार्यवाही करे और जो भी आवश्यक हो वह कदम उठाये।

इस देश की जनता सरकार को मजबूत बनाने में उसके पीछे है तथा उसने सरकार को आवश्यकता के समय समर्थन देने मे अपनी इस इच्छा को अनेकों बार स्पष्ट किया है।

जब सरकार ने पंजाब राज्य के कुछ जिलों को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया, तो यह अनुभव किया जाने लगा था कि सरकार कोई गम्भीर कार्यवाही करने जा रही है। कुछ समय के लिए स्थिति शांत रही और हमने किसी प्रकार के हिंसा के समाचार नहीं सुने। परन्तु थोड़े समय बाद ही फिर से वैसी ही गड़बड़ी होने के समाचार मिले। सरकार को उपबंधों के अधीन जो कार्यवाही की जानी चाहिए उसे करने में सरकार को हिचकना नहीं चाहिए।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी लगभग ऐसी ही स्थिति विद्यमान है। पिछले दिनों हमने अखबार में मणिपुर में हुई कुछ हत्याओं के बारे में पढ़ा। हमें इनकी ओर ध्यान देना चाहिए। पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं है और हमें इनके प्रति उदासीनता नहीं बरतनी चाहिए। पंजाब की स्थिति का एक समाधान यह हो सकता है कि हमें असम के समान ही वहां भी कार्यवाही करनी चाहिए। ज्योंही असम में हमने लोकप्रिय सरकार स्थापित की स्थिति में सुधार हुआ। वहां मुख्य मंत्री ने स्वयं को बहुत ही योग्य सिद्ध किया है और उन्होंने स्थिति को काबू में कर लिया है।

2.00 म०प०

इसलिए मैं सरकार को सुझाव देता हूं कि यथासम्भव शीघ्र पंजाब से राष्ट्रपति शासन समाप्त किया जाये और वहां लोकप्रिय सरकार की स्थापना की जाये जिससे असम के मुख्य मंत्री के समान योग्यता वाला व्यक्ति वहां आ सके और स्थिति को नियंत्रण में कर सके। क्योंकि यह समस्या मैं जानता हूं कि ताकत से नियन्त्रण में नहीं की जा सकती। इसे राजनीति से ही नियन्त्रण में किया जा सकता है और इसलिए पंजाब में लोकप्रिय सरकार की स्थापना की जाये।

मैं महाराष्ट्र के अल्पविकसित क्षेत्र अर्थात् विदर्भ की समस्याओं की ओर माननीय मंत्री का ध्यान खींचना चाहता हूं। जब विदर्भ महाराष्ट्र का अंग बना तो यह आश्वासन दिया गया था कि यद्यपि इसे महाराष्ट्र राज्य के साथ जोड़ा जा रहा जा रहा है इसके साथ उचित व्यवहार किया जायेगा तथा इसके विकास के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी। परन्तु लगता है स्थिति उससे सर्वथा भिन्न है। जो ध्यान विदर्भ की ओर दिया जाना चाहिए था वह नहीं दिया गया

है । इसकी कई प्रकार से उपेक्षा की गई है । इस क्षेत्र का विकास बहुत पिछड़ गया है, इसलिए उस क्षेत्र के अनेकों लोगों के बार-बार इस ओर सरकार का ध्यान दिलाया है । वहां एक अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन करने की बात भी सुनने में आई मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस प्रकार का कोई आंदोलन शुरू होने से पहले या इस प्रकार की कोई मांग किए जाने से पहले सरकार अपनी ही ओर से आगे आये और लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए उपाय खोजे । इन क्षेत्रों के लिए विकास बोर्डों का गठन करने के हेतु संविधान के अनुच्छेद 371 (2) में व्यवस्था की गई है । अनुच्छेद के सम्बन्धित भाग को पढ़ता हूं उसमें कहा गया है :

> "इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, महाराष्ट्र या गुजरात के सम्बन्ध में किए गए आदेश के द्वारा, राष्ट्रपति निम्नलिखित के सम्बन्ध में राज्यपाल के किसी विशेष उत्तरदायित्व के लिए उपबंध कर सकेगा :
>
> (ब) विदर्भ, मराठवाड़ा, और शेष महाराष्ट्र या, यथास्थिति, सौराष्ट्र, कच्छ और शेष गुजरात के लिए पृथक् विकास मंडलियों की स्थापना तथा इस बाबत उपबंध कि इन मंडलियों में से प्रत्येक के कार्य पर एक प्रतिवेदन राज्य विधान-सभा के समक्ष प्रतिवर्ष रखा जायेगा ।" आदि, आदि ।

यह उपबंध यह सुनिश्चित करने के लिए रखा गया है कि इन अविकसित क्षेत्रों के लिए पर्याप्त धन सुनिश्चित किया जा सके और प्रतिवर्ष तत्संबंधी प्रतिवेदन राज्य विधान सभा में रखा जाये जिससे सदस्य इन प्रतिवेदनों को देख सकें और यह पता लगा सकें कि धन उचित ढंग से व्यय किया जा रहा है या नहीं अथवा सावधानी बरती जा रही है या नहीं । और कार्यक्रम उचित प्रकार से बनाये गये हैं अथवा नहीं । परन्तु संविधान में इस प्रकार का उपबंध होने के बावजूद और 1960 से विभिन्न लोगों द्वारा मांग किये जाने के बावजूद इस प्रकार के विकास बोर्डों का गठन नहीं किया गया है । इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या यह कार्य राज्य सरकारों का है या केन्द्र सरकार को इसे करना है ? क्या सरकार यह चाहती है कि लोग संगठित होकर आंदोलन करें ? और यदि शांतिपूर्ण तरीकों से उनकी शिकायतें दूर नहीं होती हैं तो क्या उन्हें हिंसात्मक ढंग से आंदोलन करना चाहिए और उन्हें भी पंजाब, असम या अन्य भागों में जैसा हो रहा है वैसा करना चाहिए, तभी सरकार का ध्यान उनकी ओर खींचा जा सकता है । सरकार को सावधान रहना चाहिए । लोग केवल अपना विकास किए जाने की ही मांग कर रहे हैं इसलिए मेरा सरकार से कहना है कि वह उनकी इस मांग की उपेक्षा न करे क्योंकि इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया और विदर्भ के लोगों से यह वायदा किया गया है कि उनके क्षेत्र की उपेक्षा नहीं की जायेगी । विदर्भ के बाहर के कुछ नेता लोग विदर्भ के लोगों को पृथक विदर्भ राज्य की मांग के लिए उकसा रहे हैं । पर इस प्रकार वे, लोगों के असंतोष से नाजायज लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं । मैं इसलिए सरकार से आग्रह करता हूं कि यह एक बिल्कुल सही और उपयुक्त समय है जब वह यह देखे कि वहां कुछ किया जाए जिससे लोगों की शिकायतें हल हो सकें ।

[श्री बालकृष्ण वासनिक]

अब मैं कुछ शब्द अनुसूचित जातियों के बारे में भी कहना चाहता हूं। मंत्रालय का यह प्रतिवेदन बहुत छोटा है। इस बार प्रतिवेदन के कुछ ही पृष्ठ हैं। ऐसा लगता है कि यह प्रतिवेदन का संक्षेप है तथा मूल प्रतिवेदन मंत्रालय में ही है, उसने इस बार प्रतिवेदन का संक्षेप ही छपवाया है तथा अगले वर्ष वह प्रतिवेदन के पैरे तथा पैरो के शीर्षक ही छपवायेगा। इसलिए हो सकता है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं तथा उनके साथ होने वाले अत्याचारों तथा दूसरी चीजों के बारे में इस प्रतिवेदन में उचित तथा पर्याप्त रूप से ध्यान न दिया गया हो। हरिजनों के साथ होने वाले अत्याचारों के बारे में आज दोपहर बाद चर्चा होगी इसलिए मैं इस समय उस समस्या के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। किन्तु मैं मंत्री महोदय का ध्यान एक समस्या की ओर अवश्य दिलाना चाहता हूं। यह समस्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं और पदोन्नतियों में आरक्षण की है। वस्तु स्थिति यह है कि जो अधिकारी आरक्षण नियमों को लागू करने के लिए भारसाधक होते हैं वे उन्हें लागू करने के लिए स्वयं अनिच्छुक होते है जिसके कारण अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लोगों के साथ न्याय नहीं हो पाता। ऐसे अनेकानेक उदाहरण देखने में आये है। क्योंकि उनका उदाहरण देने में बहुत समय लगेगा इसलिए मैं उन्हें नहीं दूंगा मैं वे उद्धरण मंत्री महोदय को भेज दूंगा ताकि वे उन्हें ध्यान में रख सकें। किन्तु मैं एक सुझाव भी देना चाहता हूं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह एक ऐसा कानून बनाने की संभावना पर विचार करें जिसके अन्तर्गत ऐसे अधिकारी को, जिसे अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षणों सम्बन्धी उपबन्धों को लागू न करने के लिए दोषी पाया जाए, कानून के अन्तर्गत उत्तरदायी ठहराया जाए तथा जब वह जानबूझ कर ऐसा अपराध करे तो उसे दण्ड दिया जाए। यदि वह अनजाने में या किसी अन्य ऐसे कारण से यूं करता है तो दूसरी बात है। किन्तु क्या मंत्री महोदय ऐसा कानून बनाने की संभावना पर विचार करेंगें जिसके अन्तर्गत ऐसे अधिकारियों को, जो यह सब कुछ जानबूझ कर करते हैं तथा जांच करने वालों सक्षम अधिकारी द्वारा यह सिद्ध कर दिया जाता है कि संबंधित अधिकारिणी ने जानबूझ कर उस उपबन्ध की अवहेलना की है, उसके लिए उत्तरदायी बनाया जाए और दंड दिया जाये।

2 10 म०प०

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए)

मैं तो यहां तक कहूंगा कि जैसाकि छुआछूत करने वाले लोगों को दण्ड देने के बारे में कानून है उसी तरह से आरक्षण संम्बन्धी आदेशों का भावना से अनुपालन न करने वाले अधिकारियों को भी नागरिक अधिकार अनिनियम के अधीन दण्ड दिया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे इस वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर दिया है।

श्री रामनगीना मिश्र (सलेमपुर) : माननीय सभापति जी, मैं आपका बहुत शुकगुजार हूं—आप ने ऐसे महत्वपूर्ण मंत्रालय की माँगों पर अपने विचार प्रकट करने की इजाजत दी है।

मान्यवर, हमें मालूम है कि यह मंत्रालय ऐसे सुयोग्य आदमी के हाथ में है जिस पर हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे देश की रक्षा होगी। किन्तु मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि अपने इस योग्य प्रशासक को भी देश में जो हो रहा है, उससे कुछ अवगत कराऊं।

मैं सिर्फ दो-चार मुद्दों की तरफ मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा--पहला मुद्दा तो यह है कि जिन स्वतन्त्रता सेनानियों के त्याग और तपस्या से यह देश आजाद हुआ, उन को सरकार की ओर से काफी सहायता मिल रही है, लेकिन आज बहुत बड़ी संख्या में ऐसे स्वतन्त्रता सेनानी हैं जिनके पास सब सुबूत मौजूद हैं और जिनको मैं भली-भांति जानता हूं, फिर भी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से सहायता नहीं मिल रही है। ऐसे पर्टिकुलर केसेज मेरे पास हैं, जिन को 6 महीने से ऊपर की सजा हो चुकी है, सारे कागजात सेन्टर और स्टेट गवर्नमेन्ट के पास मौजूद हैं किन्तु आज तक उनको पेन्शन नहीं मिल पाई है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप इस की छानबीन करायें, मैं खास तौर से उत्तर प्रदेश के बारे में कह रहा हूं, कि ऐसे कितने स्वतन्त्रता सेनानी हैं जिन के सारे कागज मौजूद हैं लेकिन वे इस सुविधा से वंचित हैं। मेरा अनुरोध है कि इसमें शीघ्रता बरती जाय।

मान्यवर, अब मैं अपने उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से और बिहार के पश्चिमी हिस्से की तरफ मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा। पहले हम चम्बल घाटी में डाक और हत्यायों की कहानियां सुनते थे, लेकिन आज वही स्थिति उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की हो गई है। आप को आज सुनकर आश्चर्य होगा--आये दिन वहाँ पर हत्यायें हो रही हैं और उन हत्याओं में ऐसे-ऐसे नाम हैं जिनको वहां बड़े-बड़े नेता और अफसर जानते हैं, हमारे विरोधी पक्ष के लोग यहां शासन में रहने वालों पर तरह-तरह के कीचड़ उछालते हैं, लेकिन आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि वहां हत्यारे विरोधी दलों की शह पाते हैं, उनका संरक्षण पाते हैं। कोई महीना ऐसा नहीं जाता जब कि दस-बीस हत्यायें न होती हों। मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र देवरिया, के मलवन ब्लाक के सोनारी गांव में ता० 2 को मशीनगन से गोलियां चलाई गई जिसमें 3 आदमी मर गये और 4 घायल हो गए। इसके पूर्व भी ऐसी बहुत सी घटनायें हो चुकी हैं। लोगों में बहुत ज्यादा भय व्याप्त है, कोई गवाही देना नहीं चाहता। अगर कोई गवाही देने जाता है तो उसकी जान का खतरा पैदा हो जाता है। इतना ही नहीं, हमारे जो न्यायालय हैं, वे भी सुरक्षित नहीं हैं। जजों के यहां, मुन्सिफों के यहां कहलवा दिया जाता है कि तुम्हारी भी बेटे-बेटियां हैं, अगर ठीक से फैसला नहीं किया तो समझ लिया जायगा। न्याय पाना मुश्किल हो रहा है। वहां पर गवाही नहीं मिल रही है और वे हत्यारे छूट जाते हैं और छूटने के बाद आम जनता का मनोबल गिरता है। सरकार के पास सारी सुविधाएं हैं, सरकार के पास विजीलेंस है और सरकार इस बारे में पता लगा ले कि वहां की क्या स्थिति है। इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश और बिहार की उत्तरी दिशा में नारायणी और बांसी नदी के पास करीब 20 किलोमीटर का मैदानी इलाका है, जिसके दोनों तरफ क्रिमिनल निवास करते हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार में चम्पारन के पास एक जंगल पार्टी है, जो अपने को कहती है कि मैं राजा हूं। वहां पर इस तरह की घटनाएं होती हैं कि वहां लोगों का अपहरण कर लिया जाता है और अपहरण करने के बाद एक लाख रुपये, 50 हजार

[श्री राम नगीना मिश्र]

और 40 हजार रुपए की फिरौती मांगी जाती है और यह कहा जाता है कि अगर इतना रुपया नहीं दिया, तो हम हत्या कर देंगे। वहां का जो यह इलाका है, इसमें इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और चम्बल घाटी से भी बदतर वह इलाका हो गया है। मैं चाहूंगा कि आप अपनी सोर्स से इस बारे में पता लगाएं और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार का जो नेपाल से लगा हुआ इलाका है, वहां पर ठीक से व्यवस्था न हुई, तो वहां पर सर्वसाधारण का जीवन संकट में पड़ जाएगा।

हम देहात में रहते हैं और मैं आपको बताऊं कि गांवों में अगर कोई डकैत पकड़ा जाता है, तो उसके लिए गवाही नहीं मिलती है। जो आदमी गवाही देना चाहता है, उसके पास डकैत का आदमी जाता है और कहता है कि खबरदार, अगर गवाही दी तो गोली मार देंगे। इस तरह से जो लोग गवाही भी देना चाहते हैं, उनको कोई संरक्षण नहीं मिल पाता। हमारे यहां ऐसे 10-15 कत्ल के मुकदमे चल रहे हैं और वे लोग राइफल और मशीनगनें ले कर चलते हैं। पता नहीं कहां से उनको मशीनगन और राइफल मिल जाती हैं। वे चार-चार जीपों में, तीन-तीन जीपों में इकट्ठा चलते हैं और ऐसा मालूम होता है कि जैसे उन्हीं का राज है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि अगर यही हालत रही, तो सर्वसाधारण का क्या होगा। कानून में अगर इसके लिए कोई संशोधन करना है, तो वह संशोधन करना चाहिए। अगर एक कत्ल, दो कत्ल, चार कत्ल में या डकैती में कोई आदमी पकड़ा गया है, तो उस की जमानत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऐसा होता है कि जब जमानत हो जाती है, तो फिर गवाही नहीं मिलती। इस का दूसरा पक्ष यह भी है कि पुलिस को इस प्रकार की हिदायत होनी चाहिए कि वह सख्ती से मुकदमों की पैरवी करे। होता क्या है कि पुलिस की पैरवी ठीक नहीं होती है और मुलिजम छूट जाता है। आपको कोई ऐसे रास्ते अपनाने होंगे कि ऐसे लोग न छूटें और आम जनता, जो शान्तिप्रिय है, उस को संरक्षण मिले। आज उसकी सुरक्षा का ठीक इन्तजाम नहीं है। मान्यवर, इससे पहले सामन्ती युग में सामन्त अपने पास कुछ लठैत, बदमाश और गुण्डे रख लेते थे और सर्वसाधारण को उनके द्वारा दबाया जाता था। अब वे तो समाप्त हो गये हैं लेकिन एक नया ठेकेदार वर्ग जन्मा है और आज कोई ठेकेदार ऐसा नहीं है, जिसके पास 10-20 बन्दूकची न हों और कोई अधिकारी उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। आज जो भी ठेके होते हैं, वे उन्हीं को मिल जाते हैं और दूसरों को नहीं मिल पाते। आज रुपए के बल पर और गुण्डागर्दी के बल पर वे ठेका ले लेते हैं और इसमें उनको कुछ बड़े लोगों से संरक्षण मिलता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन अपोजीशन के एक लीडर से उनको संरक्षण मिलता है। गोरखपुर में उन लोगों को संरक्षण ऐसे लोगों से मिलता है।···(व्यवधान)···मैं नाम नहीं लेना चाहता। सरकार अपनी सोर्स से इसको मालूम कर ले, नाम बताने की जरूरत नहीं है।

श्री राम स्वरूप राम (गया) : बिहार में धनवाद में एक क्रिमिनल सेक्यूरिटी एक्ट में बन्द करने की जब बात आई, तो जनता पार्टी के एक नेता ने कहा कि अगर इनको बन्द करोगे, तो ब्लडशेड हो जाएगा।

श्री राम नगीना मिश्र : हमारे विरोधी पक्ष के एक भाई रोज कह रहे थे कि हथियारों को लाइसेंस देने के बारे में स्टेटस की जरूरत नहीं है और सर्व-साधारण को लाइसेंस दिया जाए। मैं निवेदन करूंगा कि डकैतों को हथियार कहां से मिलते हैं। देहातों में रहने वाले डकैती डालने नहीं जाते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि हथियारों के लाइसेंस देने में सतर्कता बरती जाए। ऐसे शख्सों को लाइसेंस न दिये जायें जिनके रिकार्ड खराब हैं, जिनके बारे में बारे में शक है कि उनके हथियार डकैतों को चले जाएंगे, उनको हथियारों के लाइसेंस न दिए जाएं। मैं जानता हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका पेशा ही डकैतों को अपने कारतूस, पिस्तौल और बन्दूक देने का है। ऐसे जिन लोगों को हथियारों के लायसेंस मिले हैं उनकी जांच होनी चाहिए। जिनके बारे में पुलिस या शासन को यह मालूम हो कि उनके कारतूस, पिस्तौल, बन्दूक डकैतों को जाते हैं उनके लाइसेंस केंसिल होने चाहिएं। ऐसे लोगों को हथियार नहीं दिये जाने चाहिएं जो कि समाज के रक्षक नहीं बल्कि भक्षक हैं।

मान्यवर, मैं यह सोच रहा था कि मैं अपने विचारों को यहां प्रकट करूं या न करूं। मेरे मन में एक द्वंद्व था कि मैं अपनी आत्मा की आवाज को यहां रखूं या न रखूं। लेकिन अन्त में मेरी आत्मा ने यही कुबूल किया कि मैं अपनी भावनाओं को सदन के सामने रखूं।

मान्यवर, आज पंजाब की क्या स्थिति है ? हम लोग देहातों में घूमते हैं। वहां हम से लोग पूछते हैं कि पंजाब में क्या हो रहा है, हमारी सरकार वहां क्या कर रही है ? यहां दिल्ली आने पर शायद ही कोई ऐसा दिन मिलता हो जिस दिन पंजाब की घटनाओं से अखबार न रंगे हों। अभी दो दिन पहले हमने अखबार में देखा कि वहां के सिख उग्रपंथियों को यह कहा गया है कि हर सिख एक-एक मोटर साइकिल, रिवाल्वर और बन्दूक रखे और दूसरे लोगों को, एक विशेष वर्ग के लोगो को मारे। यह भी कहा गया कि यह लोक सभा जो है वह हिन्दु सभा है। यह सब कुछ मैंने अखबार में पढ़ा।

मान्यवर, अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे कि समूचे विश्व में भारत ही ऐसा देश है जिसमें धर्म-निरपेक्षता नहीं है। मैं अपने विरोधी पक्ष के भाइयों से कहता हूं कि वे विश्व में किसी देश का नाम बता दें जो भारत जैसी धर्म-निरपेक्षता की मिसाल रखता हो। ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां कि ऐसी धर्मनिरपेक्षता हो। हमारे यहां चाहे कोई हिन्दु हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, सब को अपना-अपना धर्म मानने और उसके अनुसार पूजा-पाठ करने का बराबर का अधिकार दिया गया है। इस पर भी इस देश में अपने धर्म की रक्षा की दुहाई दी जा रही है। पंजाब में जो घटना हो रही हैं उनसे मन को बड़ी चोट पहुंच रही है—

हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम।
वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता॥

[श्री राम नगीना मिश्र]

एक तरफ पंजाब में जो लोग अपनी जान की हिफाजत करना चाहते हैं उनको जेल में बंद कर दिया जाता है, दूसरी तरफ जो लोग हत्याएं करते हैं, लूट-पाट करते हैं, हुकूमत को चेलेंज करते और कहते हैं कि यहां हम किसी को नहीं रहने देंगे और अपना राज बनायेंगे उनके साथ नम्रता का व्यवहार हो रहा है। लोगोंवाल जिस पर राजद्रोह का मुकद्मा अदालत में दायर हो गया है, जो समूचे देश को चैलेंज कर रहा है और खालिस्तान की मांग कर रहा है, उससे हाथ जोड़ कर यह कहा जाता है कि तुम मान जाओ, ऐसी बातों से पता नहीं इस देश का क्या होगा। हमें एक कहानी याद आती है—

अति घर्षण करे न कोई।
अनल प्रकट चन्दन ते होई।।

चन्दन अति शीतल होता। लेकिन जब दो चन्दन भी आपस में रगड़ जाते हैं तो उनसे भी आग पैदा हो जाती है और उस आग से जंगल के जंगल में आग लग जाती है। आज पंजाब की जो स्थिति है उससे समूचे देश को आग लग सकती है। वह आग भिण्डरावाले और लोंगोवाल द्वारा लगाई जा रही है और उनकी ही बात सुनी जाती है।

उनके प्रसारण हो रहे हैं। वे राष्ट्र को आज चैलेंज कर रहे हैं। उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। वे मौजमस्ती कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कितने उग्रवादी नेता बन्द किए गए और कितने हिन्दू नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। यह मैं इसलिए जानना चाहता हूं क्योंकि आज हिन्दुओं को इसलिए पकड़ा जा रहा है कि वे संगठन कर रहे हैं, अपनी हिफाजत के लिए। हिन्दू होना कोई गुनाह नहीं है, ब्राह्मण होना कोई गुनाह नहीं है जब यह देश ही नहीं रहेगा तो हम रह कर क्या करेंगे। आज गुरूद्वारों में किलेबन्दी करने की छूट दी जा रही है, वहां खाइयां खोदी जा रही हैं, फौजी तैयारी करने की उनको छूट दी जा रही है। हमारी फौज हाथ पर हाथ रख कर बैठी है। वहां हथियार जमा किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ हिन्दुओं का माई-बाप कोई नहीं है। इस बात कौन बरदाश्त करेगा और कब तक करेगा।

आप मन्दिर में जा सकते हैं, मस्जिद में छापा मार सकते हैं। लेकिन स्वर्ण मन्दिर में नहीं जा सकते। गुरूद्वारों की पवित्रता तभी कायम रह सकती है जब वहां पर अच्छे लोग रहेंगे। गुण्डे और बदमाश लोगों के रहने से वे भ्रष्ट हो जाएंगे।

इसी सदन में कई बार पंजाब का मामला उठाया गया। काम रोको प्रस्ताव लाया गया। अब सब थक गए हैं कि कितने और प्रस्ताव लाएं, कितनी बहस करें, सब को मालूम ही है। क्या निकट भविष्य में पंजाब का हत्याकाण्ड रुक सकता है। जो देश की अखण्डता के लिए चैलेंज कर रहे हैं वे इसी तरह से मौजमस्ती करते रहेंगे? अगर आप इसको ठीक नहीं करेंगे तो इसकी बागडोर किसी और को अपने हाथ में लेनी होगी। जनता इसको किस समय तक बरदाश्त करेगी। जनता अब इस को और अधिक बरदाश्त नहीं करेगी।

यह वही भगत सिंह और लाला लाजपत राय का पंजाब है जिस पंजाब ने कुरबानी देकर

इस देश को आजाद कराने में मदद की आज उसी पंजाब के लोग इसको खंडित करने की बात कर रहे हैं। आज उन शहीदों की आत्मा रो रही होगी।

हमने अखबारों में देखा है कि यहां दिल्ली के सिक्ख मांग कर रहे हैं कि जो लोग हमारे धर्म स्थानों को अपवित्र कर रहे हैं उनको पकड़ने के लिए स्पर्ण मन्दिर में पुलिस भेजी जाए। आज सिक्ख नाम पर ये उग्रवादी कलंक लगा रहे हैं। सारे सिक्ख ऐसे नहीं हैं। बहुतायत सिक्ख देशभक्त हैं और उनका दिल रो रहा है। लेकिन वे भी इन उग्रपथियों से डरते हैं।

यही नहीं सभापति महोदय, काश्मीर में हमारा झंडा जलाया गया। वहां भी यह हुआ। मैं अपोजीशन से पूछना चाहता हूं कि क्या विरोध पक्ष यह कहने के लिए तैयार है कि हम सब लोग मिल कर के पंजाब के मसले को तय करने के लिए आपके साथ हैं। अपोजीशन का काम सिर्फ आलोचना करना है।

अभी एक सज्जन कह रहे थे कि चंडीगढ़ पंजाब को मिलना चाहिए। चाहे चंडीगढ़ का मामला हो, धारा 25 का मामला हो, या पानी का मामला हो, असल मामला इस देश में अशांति पैदा करना है, और कोई मामला नहीं है। उनको खालिस्तान चाहिए और उनको बगावत करनी है। अगर यह बात सत्य है तो इस देश की हिफाजत के लिए दमन करना चाहिए। राष्ट्र की एकता और अखण्डता के लिए, उसकी रक्षा करने के और विरोधी दल में क्षमता नहीं है। देश की हिफाजत करने की क्षमता कांग्रेस में और श्रीमती इंदिरा गांधी के हाथों में है। उनके हाथों में ही इस देश की बागडोर सुरक्षित रह सकती है। इसलिए मौजूदा माहौल में कोई नई प्रणाली लागू करनी पड़े तो करनी चाहिए जिससे देश एक रह सके। उसको आपको अपनाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मेरी कुछ बातें कड़वी जरूर होंगी लेकिन मैंने देश के लोगों के जजबात को पेश किया है। मुझे विश्वास है कि निकट भविष्य में जरूर कार्यवाही की जाएगी और देश की अखण्डता की रक्षा की जाएगी। बागडोर आपके हाथ में है और मुझे आशा है कि आपको जरूर सफलता मिलेगी।

***श्री एस० टी० के० जक्कायन** (पेरियाकुलम) : माननीय सभापति महोदय, मैं अपने दल आल इन्डिया द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से 1984-85 के लिए गृह मन्त्रालय की अनुदानों की माँगों में बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

केन्द्रीय सरकार ने सभी क्षेत्रों में शक्तियों, कृत्यों तथा जिम्मेवारियों के बारें में संघ और राज्यों के बीच विद्यमान व्यवस्था के कार्यकरण की जांच और पुनरीक्षण करने के लिए श्री आर० एस० सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया है। उसे ऐसे परिवर्तनों तथा अन्य उपायों की सिफारिश करने के लिए भी कहा गया है जो उपयुक्त समझे जायें। इस आयोग द्वारा भेजी गई प्रश्नावली को मैंने पढ़ा है। यह पूर्णतया राजामन्नर समिति के प्रतिवेदन पर आधारित है।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्री एस०टी० जक्कायान]

श्रीमान, आप जानते होंगे कि जैसे ही हमारे स्वर्गीय नेता, अरिग्नर अन्ना तमिलनाडु के मुख्य-मंत्री बने, तभी उन्होंने केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के प्रश्न पर विचार करने के लिए राजामन्नर समिति गठित की। संघ और राज्यों के बीच विद्यमान व्यवस्था का निष्पक्ष रूप से निर्धारण करने तथा स्थिति को सुधारने के लिए दिये गये अपने व्यावहारिक सुझावों के लिए इस प्रतिवेदन की आज भी सराहना की जाती है। मुझे आशा है कि सरकार सरकारिया आयोग के प्रतिवेदन के छप जाने पर उसकी सिफारिशों को क्रियान्वित करेगी। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि केन्द्र एक मानव शरीर की तरह हैं और राज्य इस शरीर के विभिन्न भागों की तरह है। यदि अंग कमजोर हो जाते हैं, तो शरीर भी नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार यदि राज्य कमजोर हो जाते हैं, तो केन्द्र भी स्वत: मजबूत नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं इस पर बल देता हूं कि केन्द्र और राज्यों के बीच सम्बन्धों की नींव मजबूत होनी चाहिए।

कल डी०एम०के० के मेरे माननीय मित्र, श्री दण्डपाणि ने अपने भाषण में आरोप लगाया था कि तमिलनाड् सरकार राज्यों की विशेष संघटक योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अधीन दी गई धनराशि का उपयोग ठीक तरह से नहीं कर रही है। जो कुछ उन्होंने कहा है वह न केवल सच्चाई से बहुत दूर ही है किन्तु निराधार भी है। उन्होंने आरोप लगाया कि धनराशि एक ऐसे गैर-सरकारी निगम पर लगाई गई है जिसके लेखाओं की लेखा-परीक्षा महालेखापाल द्वारा नहीं की जाती है। अनुसूचित जाति विकास निगम एक ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना तमिलनाडु सरकार ने की है और जिसमें 49 प्रतिशत अंश पूंजी केन्द्रिय सरकार की है और 51 प्रतिशत पूंजी राज्य सरकार की है। यह निगम आर्थिक विकास की योजनाओं के बारे में अनुसूचित जातियों के परिवारों तथा वित्तीय संस्थाओं के बीच सम्पर्क स्थापित करता है। केन्द्रीय सरकार ने इन निगमों को 1984-85 में सहायता देने के लिए 16 करोड़ रुपये दिए हैं। इस निगम को राज्य सरकार द्वारा धनराशि दिये जाने के बारे में माननीय मदस्य को क्या आपत्ति है, यह मेरी समझ में नहीं आता आखिरकार इस निगम में लोकधन लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जन-जातियां आर्थिक विकास के लिए सामान्य नियतन से लाभ उठाती हैं।

डा० पुराची थलाईवर थिरु एम०जी०आर०, जिन्होंने राज्य में निर्धनता को समाप्त करने के लिए सत्यनिष्ठ हो कर अपना जीवन लगा दिया है, की अध्यक्षता में तमिलनाडु सरकार पद्दलितों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्न कर रही है। आर्थिक और सामाजिक विकास की सभी योजनाओं को बड़े उत्साह से क्रियान्वित किया जा रहा है। देश भर में विधि और व्यवस्था है। तमिलनाडु के लोग प्रसन्न हैं। हमारे मुख्य मंत्री ने लोगों को दिये गये अपने वचनों को पूरा करना आरम्भ कर दिया है। फिर भी श्री दण्डपाणि तथा डी०एम०के० के अन्य साथी प्राकृतिक मौतों तथा आत्महत्याओं के लिए भी राज्य सरकार को दोषी ठहराना आरम्भ कर दिया है। उनका मृतकों की राजनीति में विश्वास है। वे प्राकृतिक मौतों तथा आत्महत्याओं का भी राजनैतिक शोषण कर रहे हैं। वास्तव में तमिलनाडु ने शान्ति का रास्ता अपनाया है जिसकी अन्य सरकारों को नकल करनी चाहिये। विश्व बैंक के विशेषज्ञों ने राज्य में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक असंतुलन को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयत्नों की

सराहना की है। राज्य सरकार द्वारा किये गये बाढ़ राहत कार्यों की रक्षा मंत्री, श्री आर० वेंकटरमन ने भी सहाहना की है। गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री ने स्वयं देखा है कि राज्य में ग्रामीण विकास कार्यों में कितनी प्रगति हुई है। राजनैतिक प्रभाव में कमी हो जाने वाले वातावरण में डी०एम०के० के नेता हमारे मुख्य मंत्री तथा उसकी सरकार की सफलताओं के महत्व को कम करने के लिए मीन मेख निकालते रहते हैं। चूंकि न्यायाधिपति, राम प्रसाद राव का प्रतिवेदन उनकी आशाओं के अनुरूप नहीं था इसलिए डी०एम०के० के नेताओं ने विधानसभा के अपने सदस्यों को निर्देश दिया कि वह इस प्रतिवेदन को विधान सभा में जला दें। एक न्यायाधीश के रूप में अपनी निष्पक्षता के लिए प्रसिद्ध न्यायाधिपति राम प्रसाद राव को केन्द्रीय सरकार ने रेल दर अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था। सेवानिवृति के पश्चात्, उन्हें डा० करूणानिधि और उनके मित्रों द्वारा लगाये गये आरोपों की जांच करने के लिए कहा गया। उन्होंने पाया कि मुख्य मंत्री तथा उसके साथियों के विरूद्ध डा० करूणानिधि तथा उसके साथियों द्वारा लगाये गये भ्रष्टाचार तथा कदाचार के आरोप निराधार हैं और बिना किसी दस्तावेजी सबूत के हैं। उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री को आरोपों से मुक्त कर दिया है; जो डी० एम० के० मित्रों को अच्छा नहीं लगा।

सभापति महोदय : आपने अपनी बात कह ली है। आपको इस प्रतिवेदन के ब्यौरे में जाने की जरूरत नहीं है।

श्री एस०टी०के० जक्कायन : मैं तो केवल उनकी राजनैतिक संकीर्णता को उजागर करना चाहता था। महाराष्ट्र और कर्नाटक में तमिल लोगों पर बार-बार निर्दयतापूर्वक आक्रमण किया जा रहा है। उनकी सम्पति को जलाया और लूटा जा रहा है। तमिल लोग जहां-कहीं भी हैं, वे उस क्षेत्र के, जहां वे रह रहे हैं, विकास के लिए मेहनत करने और उनके सत्यनिष्ठ होने के लिए विख्यात हैं। परन्तु उनके जान माल की सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। हमारे संविधान के अधीन भाषाई आयुक्त का कार्यालय है जिसका मुख्य कर्तव्य देश के विभिन्न भागों में रह रहे भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण प्रदान करना है। खेद है कि उनके वार्षिक प्रतिवेदन पर इस सभा में एक बार भी विचार नहीं किया गया है। यह भी पता नहीं कि उसने कौन से वर्ष का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। मुझे इस बात की भी शंका है कि क्या उसका प्रतिवेदन संसदीय ग्रन्थालय में उपलब्ध भी है। अनुसूचित-जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों सम्बन्धी आयुक्त के प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए संसदीय समिति है। इसी तरह मैं समझता हूं कि भाषाई आयुक्त के प्रतिवेदन की जांच करने तथा सभा को यह बताने के लिए कि उसकी सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है, एक संसदीय समिति गठित की जानी चाहिये।

अब मैं अपने संसदीय क्षेत्र के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण बात का विशेष रूप से तथा तमिलनाडु के लोगों के बारे में सामान्य रूप से जिक्र करना चाहता हूं। तमिलनाडु में केरल राज्य की सीमा पर कन्नागई मन्दिर है जो मंगला देवी मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मन्दिर का निर्माण तमिल राजाओं ने कराया था और इसका हमारे पास सबूत हैं। यह तमिलनाडु के भूभाग पर स्थित है जिसका आवश्यक भौगोलिक सबूत है। इस मन्दिर की स्थिति की राज्य तथा

[श्री एस०टी०के० जक्कायान]

संघ के सर्वेक्षकों ने जांच की है और उनका कहना है कि यह मन्दिर तमिलनाडु का है। जब अकाठय और अविवाद्य ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक सबूत है कि यह कन्नागई मन्दिर तमिलनाडु का है, तब केरल सरकार इस पर अपना दावा क्यों कर रही है। यही नहीं, उन्होंने पुलिस को निर्देश दिये हैं कि वे इस तमिल देवी को श्रद्धांजली अर्पित करने के लिए चित्रई (अप्रैल) के महीने में पूर्णिमा के दिन तमिलनाडु से प्रतिवर्ष आने वाले लाखों तीर्थयात्रियों को परेशान करें। केरल सरकार के अधिकारी तमिल श्रद्धालुओं के विरुद्ध अनावश्यक और अवैध कार्यवाही कर रहे हैं। वे इस मन्दिर में वार्षिक पूजा पर आन्दोलनकारी वातावरण उत्पन्न कर देते हैं। वे श्रद्धालुओं के साथ बुरी तरह से पेश आते हैं और उन्हें इस तमिल देवी को श्रद्धांजली अर्पित करने से रोकते हैं।

चूंकि मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं, गत वर्ष वार्षिक उत्सव से पूर्व मैं माननीय गृह मंत्री के पास गया था और इस मन्दिर में लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के संरक्षण के लिए उनकी सहायता मांगी। मेरी उपस्थिति में उन्होंने केरल के मुख्य मंत्री से टेलीफोन पर बात की और उसे निर्देश दिया कि वह इस पुनीत अवसर पर इस तमिल देवी के दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। ऐसा करने के लिए मैं उनका आभारी हूं। उनके द्वारा की गई तुरन्त कार्यवाही के लिए मैं अपनी ओर से तथा श्रद्धालुओं की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं। अगले महीने फिर वही त्यौहार आ रहा है और मुझे आशा है कि माननीय गृहमंत्री पूर्णिमा वाले दिन वहां पर आने वाले लाखों तमिल श्रद्धालुओं को संरक्षण प्रदान करेंगे। मुझे विश्वास है कि वह ऐसा करेंगे। मेरा निवेदन है कि वह इस मामले को गत वर्ष की तरह यहीं पर ही न छोड़ दें। जैसा कि मैंने पहले कहा, हमारे इस दावे, कि यह कन्नागई मन्दिर तमिलनाडु का है, के समर्थन में भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक साक्ष्य है। मैं माननीय गृहमंत्री से अपील करता हूं कि वह केन्द्रीय सरकार की ओर से यह घोषणा करें कि मेरे निर्वाचन-क्षेत्र, पेरियाकुलम में स्थित कन्नागई मन्दिर तमिलनाडु का है और इस तरह केरल सरकार की अनावश्यक परेशानी दर हो जायेगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : सभापति महोदय, होम मिनिस्टर साहब को पता है कि मैंने सच-सच बात कहनी है। महात्मा गांधी ने कहा है कि—"मेरे लिए भगवान और सत्य परिवर्तनीय शब्द हैं। यदि कोई मुझे बताये कि ईश्वर असत्य का ईश्वर है या ईश्वर अत्याचार का ईश्वर है। तो मैं ईश्वर की पूजा करना बन्द कर दूंगा। अतः हमें राजनीति में भी स्वर्ग का शासन स्थापित करना होगा।"

जो झूठ बोलता है, उसका कांशस बताता है कि झूठ मारा है। अपनी पार्टी के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए।

आज पंजाब में क्या हालत हो रही है? वहां बड़ी खराब हालत है। लोग चाहते हैं कि

हालत ठीक हो जाये, मगर इसका कोई हल नहीं हो रहा है। हरेक आदमी आज कब्जा जमाने के मगर पड़ा है। आजादी के बाद यह हो रहा हैं कि यह इलाका मुझे मिल जाये, चंडीगढ़ मुझे मिल जाये, फलां मिल जाये। मैं बताना चाहता हूं कि जो कब्जा जमाना चाहता है, हिन्दुस्तान में अपनी अलग चीजों को काबू करना चाहता है, वही मरता है। जो आदमी सब के लिए देता है, वह जिन्दा रहता है। महात्मा गांधी ने कहा है कि—"विश्व का बेहतर दिमाग आज नितांत स्वतंत्र राज्य नहीं, जो एक दूसरे के साथ लड़ते रहें, बल्कि मैं मित्रों की तरह एक दूसरे पर निर्भर राज्यों के पक्ष में हूं।"

सब आदमी महात्मा गांधी का नाम तो लेते हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि हमें पंजाब चाहिये, यह ठीक नहीं है। 30 करोड़ हरिजन हैं, वहां मार-मार कर लोगों को हलाल किया जा रहा है। कोई इन लोगों को पूछता नहीं है।

आज रिजर्वेशन का कोई काम होता नहीं है। 20-प्वाइन्ट प्रोग्राम पीछे रख दिया गया है। इसमें हमें कुछ मिलना था, लेकिन इन्होंने भट्टा बैठा दिया है। इसमें हरिजनों को जमीन, रहने के लिये मकान और खाने की चीजें मिलने वाली थीं, वह सब एक किनारे रहा ये लड़कर लोगों को मार रहे हैं। समझदार आदमी आपस में लड़ रहे हैं। परमात्मा की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। जो आदमी किसी को मारता है, उसे क्या पता नहीं है कि उसे भी मरना है? गुरुद्वारों और मंदिरों का कोई असर नहीं रह गया है।

कित्थे गए बढ-वढेरे राजरिशी वथेरे गये भारत नू छोड़,

उठो जाग हिन्दियों देशभक्ति दी लोड़।

आज पंजाब में हालत यह है कि घर में बच्चे इन्तजार करते हैं कि हमारा बापू अभी आयेगा, लेकिन उसकी लाश आती है। इस गवर्नमेंट के और इस आपोजीशन के रहने से क्या फायदा है? हम लोगों के होते हुए इतने आदमी मारे जा रहे हैं। यह हम सब का कुसूर है और यह सब के लिए पाप है।

श्री राम नगीना मिश्र ने अभी कहा कि कहीं तूफान न आ जाए। जिन के आदमी मर गए हैं, उनके लिए तूफान आ गया है। उन्हें अब इस बात से क्या मतलब कि यह गवर्नमेंट रहे या न रहे। आपोजीशन की तरफ से कहा जाता है कि करनाल में भी हिंसा की घटनाएं हुई हैं। लेकिन करनाल में तो उन्हें फौरन बन्द कर दिया गया। पंजाब में उन्हें बन्द क्यों नहीं किया जाता? वे लोग साफ बात इसलिए नहीं कहते कि उनका खयाल है कि अकाली हमारे साथ मिल कर इलैक्शन लड़ेंगे।

मैंने अपनी जिन्दगी में कभी झूठ नहीं बोला है। मैं अपने हल्के में इलैक्शन के वक्त हमेशा यह स्पीच देता हूं कि मैंने आप लोगों के लिए कभी कोई काम नहीं किया है, मगर आप इतने निकम्मे आदमी हैं कि आप फिर भी मुझे वोट देते हैं। यह सुन कर वे लोग नारा लगाते हैं "चौधरी सुन्दर सिंह जिन्दाबाद"।

[श्री सुन्दरसिंह]

सत्य का पालन करो, चाहे उसका परिणाम कुछ भी निकले।

अपने विचारों को अत्याधिक युक्तियुक्त निष्कर्ष तक ले जाओं।

कायर और पाखण्डी मत बनो।

आप को निश्चित रूप से सफलता मिलेगी।"—विवेकानन्द ;

अगर हम दूसरों की नुकताचीनी करने के बजए अपने आप को सुधारें, तो देश की तरक्की हो सकती है। महात्मा गांधी ने हिन्दुस्तान को आजाद कराया था। हमें उनसे सबक लेना चाहिए।

"प्रत्येक कर्तव्य पवित्र है और कर्तव्य के प्रति सत्यनिष्ठा ईश्वर की सब से बढ़िया उपासना है। यह एक ऐसा साधन है जिससे भूली-भटकी लिप्त आत्मा को ज्ञानवान बनाने तथा उसका उद्धार करने में मदद मिलती है। अपने कर्तव्य का अच्छी तरह से पालन करके इस प्रकार हम अपने आप को धीरे-धीरे मजबूत बना सकते हैं हम ऐसी अवस्था में पहुंच सकते हैं जहां हमें जीवन और समाज में अत्याधिक इच्छित और प्रतिष्ठापूर्ण काम करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। प्रकृति का न्याय समान रूप से कड़ा और कठोर है। अत्याधिक व्यवहार कुशल मानव जीवन को न ही अच्छा और न ही बुरा मानता है। प्रत्येक सफल व्यक्ति के पीछे कहीं न कहीं उसकी अत्यधिक ईमानदारी और सच्चाई छिपी हुई होती है। जीवन में उसकी असाधारण सफलता का यही कारण होता है। चाहे वह पूर्णतया निःस्वार्थी न भी हो फिर भी उसका झुकाव तो उसकी तरफ ही होता है। यदि वह पूर्णतया निःस्वार्थी होता, तो उसका बलिदान बुद्ध और ईसा के बलिदान के समान होता। जितनी निःस्वार्थ भावना होती है, उतनी ही सर्वत्र सफलता मिलती है।"

दुनिया में जो जितना त्याग करता है, उसे उतना ही बड़ा दर्जा मिलता है। आज इतने लोग मारे जा रहे हैं, वह हमारा कुसूर है। जो लोग मार रहे हैं, वे बेचारे सिसलेंड है। उनको समझाना चाहिए। असल में जो लोग मार रहे हैं, वे खुद भी मर रहे हैं। सारा पंजाब मर रहा है। जो मार रहे हैं वह भी हमारे अपने हैं और जिन्हें मारा जा रहा है वह भी हमारे अपने ही हैं।

जो मारता है वह भी एक दिन मरता ही है। उनको आप लोगों ने मिसलीड कर रखा है। आप तो यहां पर आराम से बैठे हुए हैं! आज तो इस देश में महात्मा गांधी है नहीं जो वहां पर जाते और बात करते। आखिर गवर्नमेंट किस बात के लिए है और वह अपोजीशन वाले किस लिए हैं? कह दिया गया कि सभी को लाइसेन्स दे दो। लेकिन आप जानते हैं कि जाट को जब कोई लड़ने वाला न मिले तो आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। जब आप वहां पर लाइसेन्स देंगे और उनके पास हथियार होंगे तो क्या उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे?

जो आपके आफिसर हैं उनमें कुछ तो बड़ी मदद करते हैं लेकिन क्या सभी अफिसर अपनी ड्यूटी देते हैं। कहीं भी कोई ड्यूटी की बात ही नहीं है। सब तरफ पैसा ही पैसा है। हर तरफ

अन्धेरगर्दी है । यहां पर बहुत समझदार आदमी बैठे हैं लेकिन कोई समझाता नहीं है । कोई भी आदमी जो अच्छा काम करता है उसमें उसी का फायदा है, किसी दूसरे का फायदा नहीं होगा । कोई भी अच्छा काम करता है तो अपने बेनिफिट के लिए ही करता है ।

"कर्तव्य ही ईश्वर है । जो कुछ आप करते हैं, आप अपने फायदे के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए करते हैं । परमात्मा खाई में नही गिरा है जिसे आपने और मैंने अस्पताल का निर्माण करके या कोई अन्य कार्य करके उसे बाहर निकालना है। उसने आपको काम करने की स्वतंत्रता दी है, उसकी सहायता के लिए नहीं बल्कि अपनी मदद के लिए । आप समझते हैं कि आपकी सहायता के बिना च्यूंटी मर जायेगी जो कि नितान्त पाखण्ड है । आप कोई सहायता नहीं कर सकते । आप पूजा करते हैं और तत्पश्चात रोटी का एक ग्रास कुत्ते को देते है और इस प्रकार आप कुत्ते को देवता की तरह पूजा करते हैं क्योंकि परमात्मा ही सब कुछ है और वही सभी में में हैं ।—महात्मा गांधी

इसलिए आज जो आदमी मार रहे हैं वह भी हमारे ही बच्चे हैं तो हम किधर जायें और किसका कसूर बतलायें ? यह देश महात्मा गांधी का देश है, यह देश गुरूओं का देश है । जो मरते हैं उनका पैसा भी गुरुद्वारों में लगा हुआ है । आज वे डिमाण्ड रखते हैं लेकिन क्या डिमाण्ड हैं ? हमारी भी डिमाण्ड है कि हमारे हरिजन भी सदियों से बड़े आदमियों के जूते खा रहे हैं, इनकी 20 करोड़ की आबादी है लेकिन हमारी कमजोरी यही है हम लड़ाई नहीं कर सकते हैं । फिर तो आप हिन्दुस्तान बांट दो, चार सूबे हमें भी दे दो । लेकिन क्या यह सही होगा ?

चार सूबे आप हमें भी दे दो, हम भी आराम से रह लेंगे । जो इस तरह की बात करते हैं, उससे देश कहां पहुच जाएगा । मैं कहता हूं कि सारा हिन्दुस्तान हमारा है । मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूं । जब इस प्रकार से लोग मर रहे हैं तो देश में लॉ एंड आर्डर की स्थिति भी खराब हो जाती है । उनको दे दो जो कुछ मांगते हैं, तो हमें भी दे दो, हम भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते हैं । बीस करोड़ की आबादी है, चार सूबे हमें भी दे दो । हमें भी डेवलप होने दो । अभी एक जलसा हुआ था, उसमें स्पैरो साहब भी गए थे । उसमें किसान आए थे, लेकिन जो असल में काम करने वाला है, वह नहीं आया था । वह तो खेतों में काम कर रहा है । खून पसीना तो ये ही बहाते हैं । जिनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है । मैं कहता हूं कि पीस आफ माइंड होना चाहिए । मैं आपको बताता हूं ।

> "सत्य का पालन करो, चाहे उसका परिणाम कुछ भी निकले । अपने विचारों को अत्यधिक युक्तियुक्त निष्कर्ष तक ले जाओ । कायर और पाखण्डी मत बनो, सफलता निश्चित है ।"—विवेकानन्द

जो बातें मैंने कही है, उस पर अमल होना चाहिए। अमल करने से ही दुनिया बनती है, जन्नत और जहन्नुम भी साकी अपनी फितरत में न नारी है न नूरी है ।

एक माननीय सदस्य : बंगाल के बारे में बोलिए ।

श्री सुन्दर सिंह : बंगाल के बारे में मैं क्या बोलूं, जब अपना ही प्रदेश ठीक नहीं है।

3.00 म० प०

जो मरता है उस को ही आगे बढ़ना है, जो मर नहीं सकता वह कैसे आगे बढ़ेगा। यहां पर 78 हरिजन एम०पी० हैं और करोड़ों की हमारी आबादी है—आपको इकट्ठा हो जाना चाहिए। ये हिन्दू लालची आदमी हैं, इन्होंने अपने आप कुछ नहीं देना है ; महात्मा गांधी ने कहा था—जब तक हरिजन ऊपर नहीं आयेगा, हिन्दुस्तान सही मायनों में आजाद नहीं होगा। इन्फीरियोरिटी काम्पलैक्स को छोड़ कर आगे आओ, हम किसी से कम नहीं हैं। ये जो गरीबों का नाम लेते हैं, यूं ही लेते हैं, हमारा काम कोई नहीं करेगा, हम को खुद करना होगा। इस लिए गांधी जी का नाम ले कर, परमात्मा को साथ ले कर आगे बढ़ो, पीस आफ माइण्ड लाओ, तब हमारा कुछ हो सकेगा।

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : सभापति महोदय, गृह मंत्री जी जहां बैठे हुए हैं, यहीं पर कभी ज्ञानी जैल सिंह जी भारत के गृह मंत्री के रूप में बैठे थे। उस समय उन्होंने कहा था कि जो सास अपनी बहू को परेशान करेगी, उस सास के खिलाफ उन की सरकार कड़ी कार्यवाही करेगी, अगर आप बड़ी सास के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकते हैं तो कम से कम छोटी सासों के खिलाफ तो कार्यवाही करनी चाहिए। इस सम्बन्ध में किशनपुर गांव, थाना कानपुर, यू०पी०, की कुसुम लता का केस आप को रेफर कर रहा हूं जिसको दहेज के लिए मार डाला गया।

मैं भारत की प्रधान मंत्री को तहे दिल से बधाई देता हूं—जिन्होंने, स्वराज्य की लड़ाई में जिसने स्वराजियो को मांडा की कोठी में कोड़ों से पिटवाया था उस के लड़के को केन्द्र में मंत्री के रूप में सुशोभित कर दिया। इलाहाबाद की सरजमी पर उत्तर प्रदेश में जब सी०बी० गुप्ता की सरकार थी, उस सरकार में खाद्य मंत्री के रूप में जिस ने प्रधान मंत्री को चुनौती दी थी—अगर आप को अपनी लोकप्रियता पर इतना भरोसा है तो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ कर अपनी हैसियत का मूल्यांकन कर लें—उन्हें भी केन्द्रीय मंत्रालय में ला कर सुशोभित कर दिया। विजय लक्ष्मी जी का चुनाव चल रहा था, प्रधान मंत्री जी, तत्कालीन सूचना मंत्री, फाफामऊ जा रही थी, जिन लोगों ने उनकी कार को रोक कर उनको बाहर ढकेला था, उनके वस्त्र फाड़ दिये थे, उन को भी प्रधान मंत्री जी ने संसद के दोनों सदनों में लाकर संसद सदस्य के रूप में सुशोभित कर दिया, इतना होते हुए भी मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस देश के हरिजन आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, इस देश के अल्पसंख्यकों से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है, जिसकी माफी वे नहीं कर पा रही हैं। 1980 में शेडयूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स की 26वीं रिपोर्ट इस सदन में आई थी और उस पर बहस हुई थी। 27वीं रिपोर्ट भी इस सदन में आ जाय इस दृष्टि से तत्कालीन गृह मंत्री श्री जैल सिंह ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में एप्रूवल के लिए वह फाइल भेजी कि नया कमिश्नर एप्वाइन्ट कर दिया जाय क्योंकि पिछले कमिश्नर रिटायर हो गये थे। लेकिन वह फाइल अभी भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में पड़ी हुई है, चार साल बीत चुके हैं, पांचवा साल शुरू हो गया है—यह साबित करता है

कि आप के गृह मंत्रालय और भारत की प्रधान मंत्री के मन में इस देश के हरिजनों, आदिवासियों के प्रति कितनी हमदर्दी है ।

15.05 म० प०

(श्री आर० एस० स्पैरो पीठासीन हुए ।)

मंडल कमीशन की रिपोर्ट के सम्बन्ध में सारे देश में हलचल मची हुई है । सदन के अन्दर और सदन के बाहर करोड़ों लोग इस तरफ देख रहे हैं लेकिन बारे पर बायदा करने के बाद भी झांसा ही दिखाई दे रहा है ।

गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट, जो माइनोरिटी कमीशन से संबंधित है, पिछले सत्र में ही आप ने इसे पेश करने को कहा था । पर पिछला सत्र चला गया और यह सत्र भी जा रहा है और गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट अभी तक सदन मे पेश नहीं की जा रही है । देश के करोड़ों लोग और खासकर माइनोरिटीज के लोग आशा की निगाह से पार्लियामेंट की ओर देख रहे हैं और गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट को पाने के लिए लालायित हैं । उसके अंजाम को देखने के लिए वे इन्तजार कर रहे हैं लेकिन सरकार मूक बनी हुई है । लगता है कि इस संबंध में सरकार की नीयत साफ नहीं है ।

अभी उर्दू को ले कर उत्तर प्रदेश में सरकार के अन्दर ही, सरकार और एक मंत्री के बीच में जो झगड़ा हुआ है, जो नाटक हो रहा हैं, उस नाटक ने सारे देश के अल्पसंख्यकों के मन में एक आशंका पैदा कर दी है, एक भय पैदा कर दिया है और सरकार की नीयत पर सन्देह पैदा कर दिया है ।

जहां तक 20-सूत्री कार्यक्रम का सवाल है 20-सूत्री कार्यक्रम का ढिंढोरा जनता के बीच में पीटा जा रहा है लेकिन पौबारा है सरकार में बैठे हुए लोगों का, प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच में बैठे हुए लोगों का । उत्तर प्रदेश के मंत्री ने अपने ही गांव के एक हरिजन जोखई, जो केवल 12 डिसमिल (धूर) का मालिक था, की भूमि संख्या 174 को हड़प लिया है और लखनऊ में सरकारी जमीन पर अपनी हवेली खड़ी करके सरकारी जमीन को हड़प लिया है । मैं पूछना चाहता हूं कि वह** मंत्री, जो सरकारी जमीन की चोरी कर रहा है, वह**मंत्री जिस ने हरिजन की जमीन चोरी कर ली है, आप के 20-सूत्री कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के हरिजनों को क्या देगा । मैं तो इस को समझ नहीं पाया, शायद आप बेहतर समझते होंगे क्योंकि आप की निगाह में इस** मंत्री ने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि उस के खिलाफ कार्यवाही की जाए । राजस्थान में हरिजनों और आदिवासियों को कुछ मिले या न मिले,**

सरकारी जमीन का भोजन, पानी कर लिया है और पट्टा संख्या 5146 से 5152 के

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

[श्री आर० एन० राकेश]

तहत एक हरिजन छात्रावास की जमीन को हड़प लिया है लेकिन अभी तक उस** मंत्री की जवाबतलबी नहीं हुई है। 20-सूत्री कार्यक्रम किस ढंग से चल रहा है, इस से बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है। अन्य प्रदेशों में जहां सत्ता पार्टी की सरकार है, उन प्रदेशों में भी इसी ढंग का नाटक हो रहा है, स्वांग रचा जा रहा है।

देश की आई०बी० और रा बहुत महत्वपूर्ण संस्थान हैं जो कि देश की हिफाजत के लिए हैं लेकिन सरकार ने इस पर रा और आई०बी० को अपनी हिफाजत के लिए अपनी पार्टी की हिफाजत के लिए और विरोधियों की जासूसी के लिए लगा दिया है और इस आई०बी० और रा का राजनीतिककरण कर दिया है और आज इस के बीच में कोई तालमेल नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पंजाब है। पंजाब में आई०बी० के आई०पी०एस० रैंक के सीनियर आफिसर वहां डी० आई०जी० की पोस्ट पर जाने के लिए तैयार नहीं है और मजबूर होकर एक जूनियर आफिसर को डी०आई०जी० की पोस्ट पर आफीशियेट करने के लिए रख दिया है और जो सीनियर आफिसर हैं, वे उसका आदेश मानने के लिए तैयार नहीं हैं। पंजाब जल रहा है और वहां के हालात नाजुक हैं और स्थिति आपकी पकड़ के बाहर है लेकिन आप आई० बी० और रा के साथ मखौल उड़ा रहे हैं।

केन्द्रीय सरकार का राज्य सरकारों में एक राज्य सरकार के साथ एक व्यवहार है और दूसरी के साथ दूसरा व्यवहार है। मणिपुर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री की हत्या की जाती है और उस के बारे में सरकार की कोई जवाबदेही नहीं होती है। बिहार में 6 महीने के अन्दर पुलिस ने 40 बार गोलीयां चलाई और आप की पार्टी के एक विधायक की हत्या कर दी गई। इसी सदन के एक संसद सदस्य को प्राणघातक चोट पहुंचाई गई। अभी श्री राम नगीना मिश्र ने कहा कि बिहार चम्बल घाटी हो गया है। 14 बेगुनाह बच्चों की वहां हत्या कर दी जाती है और नक्सलाइट्स के नाम पर अभी 10 हरिजनों की हत्या कर दी गई लेकिन बिहार की सरकार की कोई जवाबदेही नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में विपक्षी नेता श्री मुलायम सिंह यादव पर प्राण-घातंक हमला होता है। आज आपकी ही पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार में मौजूद है। वहां पर विपक्ष के नेता पर हमला होता है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार से कोई जवाब-तलब नहीं होता है।

पंडित कमलापति त्रिपाठी आपकी पार्टी के नेता हैं और इस सदन के भीष्म पितामह हैं। उनके एक रिश्तेदार के एक लड़के का गोरखपुर में अपहरण किया जाता है और उसे अपहरण कर के चम्पारण ले जाया जाता है। बिहार में भी आपकी ही सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी आपकी ही सरकार है लेकिन ये सरकारें उस लड़के को नहीं छुड़ा सकीं। उसको छुड़ाने के लिए पंडित कमलापति जी को 60 हजार रुपये फिरौती के देने पड़े तब जा कर उस लड़के की जान बची। यह है आपके होम मंत्रालय और आपकी प्रदेश सरकार की सबसे अधिक गिरावट का उदाहरण है।

अभी मिश्र जी ने कहा कि पूर्वांचल में खूनी राजनीति का दौर चल रहा है और उससे विपक्ष के लोग भी सम्बन्धित हैं। लगता है कि मिश्र जी ने रविवार, 3 नवम्बर, 1983 का पत्र

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

नहीं पढ़ा है। वे अपनी बात दूसरे के माध्यम से कहना चाहते हैं। पूर्वांचल में कुछ भी नहीं हो रहा है, जो कुछ हो रहा है वह सास-बहू की लड़ाई है। उसमें पूर्वांचल जल रहा है, नष्ट हो रहा है। एक वहां का प्राख्यात कांग्रेस आई का नेता है वही अखबारों में बयान निकालता है, दूसरा युवा प्रणेता विधायक है। एक संजय विचार मंच में है और दूसरा कांग्रेस आई में है। जब वे जाते हैं तो उन से प्रधान मंत्री और उनके बेटे मिलने के लिए विशेष समय देते हैं। पूर्वांचल में कुछ नहीं हो रहा है, केवल सास, बहू की लड़ाई हो रही है, और वह खूनी राजनीति में परिणित हो चुकी है।

जहां तक सरकारी मशीन और तंत्र का ताल्लुक है, वह इस देश की बेहतरी के लिए, इस देश की हिफाजत के लिए है, न कि दुरूपयोग के लिए है। आज इस देश के सहकारी तंत्र का राजनीतिकरण कर दिया गया है। इस राजनीतिकरण का ही यह परिणाम है कि इलाहाबाद के ए०जी० आफिस के हजारों लोग स्ट्राइक पर हैं और वे सड़कों पर खड़े हो गए हैं। किसी भी सत्तापार्टी के नेता को वहां से गुजरना मुश्किल हो गया है। वे विपक्ष के लोगों से पूछते हैं कि सत्तापार्टी के लोगों ने उनसे वायदा किया था कि ए०जी० आफिस का विकेन्द्रीकरण नहीं होगा। सत्ता पार्टी के नेताओं ने चुनाव के दौरान वहां जाकर लम्बा-चौड़ा भाषण किया था कि उस आफिस का विकेन्द्रीकरण नहीं होगा लेकिन आज उस आफिस में एक भयंकर और विस्फोटक स्थिति पैदा की जा रही है। वह स्थिति बहुत ही भयंकर और घातक सिद्ध होगी।

सारी परम्पराओं को तोड़कर प्रधानमन्त्री के बेटे के स्वागत समारोह और निगरानी के लिए सरकारी खजाना लुटाया जा रहा है। प्रधानमन्त्री के बेटे इस सदन के सामान्य सदस्य हैं लेकिन सारे देश में एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि इस देश में दो प्रधानमन्त्री हैं। एक प्रधानमन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी और दूसरा प्रधानमन्त्री उनका बेटा है। गृहमन्त्री महोदय की कुर्सी पर बड़े-बड़े गरिमा के लोग बैठे रहे हैं। इस कुर्सी पर श्री गोविंद वल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौधरी चरण सिंह जैसे लोग बैठे हैं लेकिन आज लगता है कि कुर्सी की गरिमा घट रही है।

सभापति महोदय, इलाहाबाद में एक पोस्टर छपा। उस में लिखा था··· ।

सभापति महोदय : यह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

(व्यवधान)**

सभापति महोदय : पार्टी की शान के हिसाब से आप अपनी बात खत्म करें। जो बात वाजिब नहीं है उसको कोट नहीं किया जा सकता।

(व्यवधान)**

****कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : यह फैसला करना मेरा काम है। इसका फैसला मैं करूंगा। इसे ध्यान में रख लिया गया है।

श्री पी० नामग्याल : मान्यवर मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, मैं जानता हूं, मुझे क्या कहना और करना है।

***श्री पी० शनमुगम** (पाण्डिचेरी) : सभापति महोदय, मैं अब गृह मंत्रालय की 1984-85 की अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

महोदय, पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र पर अब राष्ट्रपति शासन लागू है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि इस पर अब केन्द्रीय गृह मंत्रालय का सीधा शासन है इसलिए मैं इस संघ राज्य क्षेत्र की आवश्यकताओं का उल्लेख करते हुए उनकी ओर माननीय गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

यदि आप गृह मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन, 1983-84 के पृष्ठ 44 को देखेंगे तो मालूम होगा कि पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में केवल 25,597 व्यक्तियों को 1,723 लघु उद्योग एककों और 12 बड़े और मध्यम दर्जे के एककों में रोजगार मिला है इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या लगभग छः लाख है। इस संघ राज्य क्षेत्र में रोजगार के अवसर और अधिक बनाने के लिए यहाँ पर सरकारी क्षेत्र में नये औद्योगिक एककों को खोलने की नितान्त आवश्यकता है।

इसमें 7,500 श्रमिक तो एंगलो-फ्रेंच टेक्साटाइल मिल के हैं जो पिछले 9 महीनों से बन्द पड़ा है। इसके लगभग 30 श्रमिकों भूखा मरने के कारण आत्महत्या कर ली है। इसके अतिरिक्त 7,500 श्रमिक और उनके 40 हजार आश्रितों को भूख का सामना करना पड़ रहा है और यदि और अधिक आत्महत्यायें रोकनी हैं तो एंगलो-फ्रेंच टैक्सटाइल मिल को दोबारा चालू करने के लिए शीघ्र प्रयास किए जाने चाहिएं। यदि राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा इस मिल को अपने हाथ में लेकर इसे पुनः चालू करने के लिये शीघ्र प्रयास न किए गए तो पाण्डिचेरी में शाँति और व्यवस्था की स्थिति और अधिक गंभीर हो जायेगी। इसलिए स्थिति को और अधिक खराब नहीं होने देना चाहिए क्योंकि इससे प्रशासन के आर्थिक विकास के लिए किए गए प्रयासों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह राष्ट्रीय कपड़ा निगम को इस एकक को अपने हाथ में लेने और उसे तुरन्त चालू करने के लिए तुरन्त आदेश दें ताकि 75,000 श्रमिकों और उनके 4,000आश्रितों की जीविका प्राप्त हो सके ;

महोदय, पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के स्वतन्त्रता सेनानियों का प्रतिनिधित्व पाण्डिचेरी फ्रीडम फाइटर्ज एसोसिएशन करता है और वहां के स्वतन्त्रता सेनानियों को स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन मंजूर कर दी जानी चाहिए। उन्होंने अपने ज्ञापन में कई सुझाव दिए हैं। लेकिन उनके सुझावों पर गृह मंत्री ने अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं की है। उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है।

* तमिल में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

भारत छोड़ने से पूर्व और भारत का शासन भारत सरकार को सौंपने से पहले फ्रांसीसी शासकों ने सभी लोगों के रिकार्ड को नष्ट कर दिया था, जिन्होंने फ्रांसीसी शासन के विरुद्ध स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया था। भारत सरकार ने स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन के दावे के लिए कारावास प्रमाणपत्र पेश करने की जो शर्तें लगाई हैं, उसके अनुसार इन लोगों को पेंशन नहीं मिल पाती है। 1966 में पाण्डिचेरी प्रशासन ने इस क्षेत्र के स्वतन्त्रता सेनानियों के नामों की सूची तैयार की थी। इन स्वतन्त्रता सेनानियों को पाण्डिचेरी प्रशासन ने एक सम्मान प्रमाण पत्र भी दिया था। इस सूची में लगभग 500 स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम हैं। इन स्वतन्त्रता सेनानियों को दिए गए सम्मान प्रमाण-पत्र को इन्हें स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन देने के प्रयोजनार्थ सरकार को मान्यता देनी चाहिए। जम्मू और काश्मीर तथा हैदराबाद में स्वतन्त्रता सेनानियों को स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन देने के लिए कुछ अर्हतायें निर्धारित की गई थी। इसी प्रकार पाण्डिचेरी के स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए भी गृह मंत्रालय द्वारा पेंशन देने के लिए कोई प्रथक आधार बनाया जाना चाहिए। यह मामला लम्बे समय से विचाराधीन चल रहा है। इन स्वतन्त्रता सेनानियों की अधिक उम्र को देखते उनके बारे में निर्णय शीघ्र किया जाना चाहिए और उन्हें स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन यथाशीघ्र देनी चाहिए।

इस क्षेत्र की लम्बे समय से चली आ रही दूसरी मांग यह है कि वहां के पुलिस बल का आधुनिकीकरण किया जाये। पाण्डिचेरी प्रशासन पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए बार-बार आग्रह करता रहा है। अत : मैं अनुरोध करता हूं कि पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस बल के आधुनिककीरण के लिए और अधिक धनराशि नियत की जानी चाहिए।

इस संघ राज्य क्षेत्र की राजधानी पाण्डिचेरी नगर है। राजधानी होने के नाते यहां पर केन्द्रीय और राज्य सरकार के कई कार्यालय हैं और यहां पर अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 'जिपमेर' नामक तथा अन्य औद्योगिक उपक्रम हैं। यहां पर 5000 फ्रांसीसी लोग हैं जिन्हें पेंशन की बहुत बड़ी राशि दी जा रही है। जिसके कारण इस नगर में मकान किराये और जीवन निर्वाह सूचकांक में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है। यहां पर आवाश्यक वस्तुओं के मूल्य मद्रास शहर से भी अधिक हैं। इसका सबसे अधिक प्रभाव सरकारी कर्मचारियों पर पड़ता है। इसलिए वे यह मांग कर रहे हैं कि पाण्डिचेरी नगर को बी-II का दर्जा दिया जाये। पाण्डिचेरी नगर को बी-II का दर्जा देने के लिए केवल जनसंख्या को ही आधार नहीं माना जाना चाहिए। बल्कि वहां की भौगोलिक जटिलताओं पर भी विचार किया जाना चाहिए। यदि ऐसातत्काल कर दिया जाता है तो सभी सरकारी कर्मचारियों को राहत की सांस मिलेगी। इस प्रकार नगरपालिका वाले केराक्कल माहे और येनम कस्बें को 'सी' दर्जा दिया जाना चाहिए जिससे वहां रहने वाले कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता मिलने लगे। मुझे विश्वास है कि गृह मंत्री इस मामले पर व्यक्तिगत रुप से ध्यान देंगे और अपेक्षित कार्यवाही करेंगे।

महोदय, इस क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए कई योजनायें आवश्यक हैं। केन्द्रीय योजना आयोग ने पाण्डिचेरी विकास योजना को स्वीकृति दी थी। 1984-85 में पाण्डिचेरी पत्तन के विकास के लिए 1 करोड़ रुपये की राशि नियत की गई थी। जबकि पाण्डिचेरी पत्तन के पूर्ण

[श्री पी० शनमुगम]

विकास के लिए 10 करोड़ रुपये की आवाश्यकता है। फ्रांसीसी शासन के दौरान पाण्डिचेरी एक नि:शुल्क पत्तम था। दक्षिण भारत में पश्चिम तट पर काण्डला जैसा कोई अन्य नि:शुल्क पत्तन नहीं है। यदि केन्द्रीय सरकार पाण्डिचेरी पत्तन को नि:शुल्क पत्तन घोषित कर देती है तो इससे वहां के उद्योगों को अपेक्षित प्रोत्साहन मिलेगा। मैं मांग करता हूं कि पाण्डिचेरी को नि:शुल्क पत्तन करार दिया जाये और इसके अतिरिक्त पत्तन के आस-पास के इलाके को मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया जाये।

पाण्डिचेरी में हवाई अड्डे के निर्माण के लिए 365 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा जा रहा है। इस प्रयोजना के लिए 20 लाख रुपये की राशि भी प्रदान कर दी गई है। मैं यह मांग करता हूं कि यह हवाई अड्डा परियोजना शीघ्र पूरी की जाये ताकि पाण्डिचेरी और मद्रास को विमान सेवा के माध्यम से जोड़ा जा सके।

पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के लिए पण्डित जवाहर लाल नेहरू के हृदय में बड़ा ही प्रेम था और उन्होंने यह कर इसे दर्शाया था कि पाण्डिचेरी को स्वतंत्र दर्जा जब तक प्राप्त रहेगा तब तक वे चाहेंगे। हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा ने भी पाण्डिचेरी के प्रति उस प्यार को पुष्ट किया है। पाण्डिचेरी से द्रविड़ मुनेत्र कषगम द्रमुक के कुशासन को समाप्त करके अब राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत इस क्षेत्र के आर्थिक विकास ने तीव्र गति पकड़ी है। अब वहाँ पर भ्रष्ट शासन नहीं है। जबकि द्रविड़ मुनेत्र कषगम की सरकार ने वहां पर 3 साल तक कुशासन किया।

कल श्री दण्डपाणि जो हमारे द्रविड़ मुनेत्र कषगम् दल के नेता हैं, ने कहा था कि तमिलनाडु में कदाचारों पर केन्द्रीय सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पाण्डिचेरी और तमिलनाडु के लोगों को इन दोनों राज्यों में डी०एम०के० की सरकारों के भ्रष्ट शासनकाल के लिए शर्मिन्दा होना पड़ता है। इस छोटे से संघ राज्य क्षेत्र में डी०एम०के० की सरकार भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था। डी०एम०के० के मुख्यमंत्री श्री रामचन्द्रन भ्रष्टाचार और कदाचार के मुख्य स्रोत थे। उनके मंत्री साथी उनके पद चिन्हों पर चल रहे थे। पाण्डिचेरी प्रशासन के पास डी०एम०के० के मुख्य मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध करने के लिए काफी साक्ष्य उपलब्ध हैं। इस प्रयोजनार्थ गृह मंत्री को इस शासन के राज्यपाल से सम्पर्क करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि डी०एम०के० भूतपूर्व मुख्यमंत्री और उनके साथियों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए।

अब डी०एम०के० पाण्डिचेरी लोगों के मन में बार-बार यह कहकर भ्रम पैदा कर रहा है कि उन्हींने कई विकास योजनायें केन्द्रीय सरकार को भेजी थी। परन्तु केन्द्रीय सरकार ने उन्हें स्वीकृति नहीं दी। अब वे ऐसी तस्वीर पेश कर रहे हैं जैसे कि वे पाण्डिचेरी के लोगों के हितों के संरक्षक हैं और केन्द्रीय सरकार पाण्डिचेरी लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। दूसरी ओर वस्तु स्थिति यह है कि केन्द्र पाण्डिचेरी को पर्याप्त धनराशि दे रहा है। पाण्डिचेरी को सूखे से राहत देने के लिए 75 लाख रुपये की सहायता दी गई थी जिस का डी०एम०के० के मुख्य

मंत्री और उनके साथियों ने दुरुपयोग किया। आई०आर०डी०पी० के लिए नियत राशि का भी दुरुपयोग किया किया गया और उसे अन्यत्र खर्च किया गया। इस मामले में मुख्य मंत्री श्री रामचन्द्रन ने केन्द्रीय सरकार के निर्देशों का पालन नहीं किया। वह आई०आर०डी० ५०० के लिए नियुक्त राशि को मनमाने ढंग से खर्च करते रहे। द्रमुक के अपने शासन के दौरान मुख्यमंत्री और उनके साथियों ने पाण्डिचेरी में भूखण्ड हेतु बिक्री बनाते समय कई लाख रुपये बनाए। केन्द्रीय सरकार को अब द्रमुक के मुख्य मंत्री और उनके साथियों के विरूद्ध सरकारी धन दुरुपयोग करने के आरोप में कार्यवाही करनी चाहिए। ऐसे कदाचार में उनकी साठ-गांठ सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है।

1954 से 1960 तक पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार रही। पाण्डिचेरी के इतिहास में 15 वर्ष की यह अवधि एक स्वर्ण युग था। इस अवधि में स्थिर कांग्रेस सरकार ने पाण्डिचेरी में औद्योगिक आर्थिक और सामाजिक प्रगति की। 1969 से लेकर 1980 तक की 11 वर्ष की अवधि में पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में गैर-कांग्रेसी सरकारों का शासन रहा और कांग्रेसी सरकार विपक्ष में रही। 11 वर्ष की इस अवधि में तीन बार सरकारें गिरीं। ये सरकारें कांग्रेस दल द्वारा किये गये किसी राजनैतिक जोड़-तोड़ के कारण नहीं गिरीं बल्कि अपने ही कुकृत्यों के कारण गिरीं। 1869 से ही पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में अस्थिरता का वातावरण बन गया था। विकास कार्य वहां एकदम बन्द हो गये थे। 1980 में कांग्रेस दल ने पाण्डिचेरी के लोगों के कल्याणार्थ द्रमुक के साथ मिलकर संयुक्त मोर्चा बनाया और वहां पर संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी। परन्तु द्रमुक मुख्य मंत्री और उसके साथी मंत्रियों के कुकृत्यों पर कांग्रेस दल के प्रतिनिधियों द्वारा रोक न लगाई जा सकी। और द्रमुक के मंत्रियों द्वारा एक-दूसरे पर छींटाकशी के कारण पाण्डिचेरी में संयुक्त मोर्चे की सरकार समाप्त हो गई।

मैं चाहता हूं कि पाण्डिचेरी के लोगों में पुनः विश्वास की भावना भरी जाए। मैं मांग करता हूं कि गृह मंत्री द्रमुक के मुख्यमंत्री और उसके साथियों के विरुद्ध कुकृत्यों और भ्रष्टाचार के मामलों की उच्चस्तरीय जांच करने के लिए आदेश दें और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उनके विरुद्ध कार्यवाही करें। जब तक इन भ्रष्ट लोगों को कड़ा दंड नहीं दिया जाता तो लोगों का प्रशासन में विश्वास उठ जायेगा। मैं मांग करता हूं कि गृह मंत्री इस मामले को स्वयं देखें और भ्रष्ट लोगों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करें जिन्होंने पांडिचेरी के लोगों के हितों को बहुत अधिक क्षति पहुंचाई है। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

3.31 म०प०

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए)

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति (अमालापुरम) : मुझे व्यक्तिगत रूप से विश्वास है कि हमारी स्वतंत्रता के गत 36 वर्षों के दौरान हमारे गृह मंत्रालय को एक ही समय इतने अधिक राज्यों से इतनी अधिक चुनौतियों का सामना कभी भी नहीं किया है जितना कि यह आज सामना कर

[श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति]

रहा है। मैं प्रसन्न हूं कि गृह मंत्रालय ने अधिकांश समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान कर लिया है और इनमें से शेष रह रही समस्याओं का निपटान आवश्यक ध्यान और सर्तकता से कर रहा है उसके लिए गृह मंत्री हमारी सराहना के पात्र हैं। जैसा कि मैं समझता हूं कि आवश्यक ध्यान और सतर्कता देने का कारण यह है कि उनके समाधान से कहीं और समस्या न उठ खड़ी हो। उस तरीके को देखकर के संतोष हुआ है जिससे उन्होंने साम्प्रदायिक दंगों, छात्रों में अशांति और श्रमिक अशांति पर नियंत्रण किया है और जिससे असम में और अन्यत्र स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए किये विधायी उपायों से भी हम सन्तुष्ट हैं। मेरे विचार में परिस्थिति के अनुसार गृह मंत्रालय ने इस समस्या से निपटने के लिए हर सम्भव उपाय किया है।

इसके अतिरिक्त, यद्यपि पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यों की है, तथापि गृह मंत्रायल ने राज्यों को सहायता देने के महत्व तथा अत्यावश्यकता को महसूस किया है ताकि उनके पुलिस बलों को आधुनिक बनाया जा सके। तद्नुसार 1983-84 के दौरान 62.69 करोड़ रुपये की राशि राज्यों के लिए मंजूर की गयी थी ताकि उन्हें न केवल अपने बलों को मजबूत बनाने के लिए, बल्कि अपने स्तरों का दर्जा ऊंचा करने तथा उनके लिए आवश्यक वैज्ञानिक उपकरणों की व्यवस्था करने के लिए भी समर्थ बताया जा सके।

इस रिपार्ट में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि गृह मंत्रालय अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विकासात्मक पहलुओं संबंधी सभी मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण मंत्रालय के रूप में कार्य करता है। यह सच है कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए अभिप्रेत आर्थिक कार्यक्रमों के कार्यान्वियन की गति अभी हाल ही में तेज की गई है। कार्यान्वियन तेजी से करने का कारण यह है कि करोड़ो रुपयों को खर्च करने के बावजूद भी, परिणाम उन लोगों तक नहीं पहुंचे है जो इसके पात्र हैं। मैं प्रसन्न हूं कि प्रधान मंत्री ने इस अत्यावश्यवक आवश्यकता पर जोर दिया है और इसलिए सरकार ने पृथक रूप से इस समस्या से निपटने के लिए एक विशेष तंत्र की स्थापना की है, उसके द्वारा उसने व्यापक योजनायें बनायी हैं जिसके द्वारा केन्द्रीय सरकार विशेष व्यापक योजनाओं में उनके नियतनों की कमी को पूरा करने के लिए विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय सहायता दे रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार नवीनतम आंकड़े स्पष्ट रूप से इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि 1979-80 से 1983-84 तक और 1984-85 तक इसमें वृद्धि हुई है। यह 250 करोड़ रुपये से आरम्भ हुई तथा और विशेष केन्द्रीय सहायता का लगभग 780 करोड़ रुपये तक पहुंच गयी। यह 500 करोड़ रुपए से शुरू हुई थी। और 1300 करोड़ रुपए तक पहुंच गयी। इससे स्पष्ट रूप से इस बात की पुष्टि होती है कि सरकार ने इन वर्गों के लिए कार्यक्रमों में वृद्धि करने की आवश्यकता को महसूस किया है। किन्तु महोदय इस समस्या से निपटने के लिए निर्धारित की गयी राशि पर्याप्त नहीं है। वास्तव में, इस बात पर बल दिया गया है कि इन कार्यक्रमों के द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अनु०जा० तथा अनु०जनजा० से सम्बन्धित लगभग 50 प्रतिशत लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाना है। अतः; इस दिशा में धनराशि के नियतनों को बढ़ाने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त 20-सूत्रीय कार्यक्रम है जो मुख्य रूप से इन लोगों के उत्थान के साथ संबंधित है जो उन्हें काफी सहायता भी प्रदान कर रहा है। ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छे हैं किन्तु सभी दिशाओं में इनके कार्यान्वयन में तेजी लाने की आवश्यकता है। हम हरिजन पर हो रहे, अत्याचारों के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा के पश्चात पृथक रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। अतः, मैं विस्तृत रूप से इस बारे में चर्चा नहीं करना चाहता। किन्तु मैं उनसे संबंधित मूल मामलों के बारे में कहना चाहूंगा। सबसे अधिक विक्षुब्ध करने वाली बात अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों पर अत्याचारों की बढ़ती हुई संख्या है। अत्याचारों की औसत संख्या जो लगभग 5 वर्ष पूर्व 8000 थी, की तुलना में आज लगभग 14,000 है। इससे अनु० जा० एवं अनु जनजा० की वास्तविक दुर्दशा का पता चलता है। अतः, यह एक महत्वपूर्ण समस्या है जिसकी ओर मंत्रालय को गम्भीर रूप से ध्यान देना है निस्संदेह यह एक सामाजिक-आर्थिक समस्या है। केन्द्र ने अनु०जा० अनु०/जनजा० संबंधी अत्याचारों का दमन करने के लिए मागदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं। मैं नहीं जानता कि कितने राज्यों ने उन्हें कार्यान्वित किया है। यदि वे इन्हें कार्यान्वित नहीं करते हैं, तो क्या हम केवल इस कारण इसे राज्यों की मनमर्जी पर छोड़ सकते हैं क्योंकि यह कानून और व्यवस्था की एक समस्या है।

मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि हरिजनों पर अत्याचार कानून और व्यवस्था का प्रश्न नहीं है क्योंकि एक ओर तो वे ऊंचे वर्ग के लोगों द्वारा दूसरे वर्गों के लोगों पर सामाजिक श्रेष्ठता को लाने के कारण अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक असमर्थता पैदा कर देने का परिणाम है। अतः सरकार को इस समस्या पर पृथक रूप से विचार करना होगा। और उसे यह कहना चाहिए कि यह कानून और व्यवस्था की एक समस्या है। इसके अतिरिक्त संविधान के अन्तर्गत केन्द्र की विशेष जिम्मेदारी है। संगत अनुच्छेद 46 में स्पष्ट रूप से बताया गया है मैं उद्धृत करता हूं।

> "राज्य अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकारों के शोषण से उनका संरक्षण करेगा"।

अतः इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इन वर्गों के लिए सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए आवश्यक पगों को उठाने की केन्द्र सरकार की विशेष जिम्मेदारी है और उसे सतारूढ़ दलों की मनमर्जी पर नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए। अतः, महोदय, केन्द्र को केवल उन स्थानों से निपटना होगा, बल्कि उसे वास्तविक अपराधियों के विरुद्ध दण्डात्मक उपाय करके उनकी सहायता करने के लिए तुरन्त पग भी उठाने चाहिएं। उपाय इस प्रकार के होने चाहिएं कि वे इन लोगों पर ऐसे अत्याचारों करने वालों पर वास्तविक निवारक के रूप में कार्य करें। गृह मंत्रालय ने इससे पूर्व पुलिस बलों के पुनंगर्ठन के बारे में कुछ मार्गदर्शी सिद्धांन्त जारी किए थे। यह बात पूर्णतयः स्पष्ट कर दी गयी थी कि ऐसे अत्याचारों के लिए आत्मसंवेदनशील क्षेत्रों में थाना अधिकारियों के पद का अवसर अनु०जा०/अनु०जनजा० का अवसर दिया जाना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि कितने राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इन सिद्धान्तों के अनुसार कड़ाई से पुलिस बलों का गठन किया है। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर मंत्रालय को विचार करना

[श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति]

है और यह सुनिश्चित करना है कि मार्गदर्शी सिद्धान्तों का उचित रूप से कार्यान्वयन किया गया है और अनु०जा० एवं अनु० जनजा० से संबंधित इन लोगों को उस स्तर तक के पदों के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए गए हैं ताकि वे उनकी समस्याओं को अच्छी प्रकार समझने में समर्थ हो जाएं तथा समय पर इन एतियाती, निवारक तथा दण्डात्मक उपायों को कार्यान्वित किया जाना चाहिए। इनमें से अधिकांश अत्याचारों को रोकने की गुंजाइश हो जाएगी।

महोदय, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट का अध्ययन करने से स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है कि वे दक्षिणी राज्य जहां अतीत में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों संबंधी अत्याचरों की दर अपेक्षाकृत कम थी, हाल ही में कमजोर वर्गों के विरुद्ध उन्नत समुदायों के लिए युद्ध भूमि बन गए हैं।इससे स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित हो जाता है कि तमिलनाडु में इन लोगों के विरुद्ध अपराध लाभप्रद अनुपात से बढ़ गए हैं।

अब मैं आन्ध्र प्रदेश के बारे में कहूंगा जहां सरकार ने बहुत जोर-शोर से उन हरिजनों के घरों को जलाया था जिन्होंने तेलगु देशम को मत नहीं दिया था। इसके बारे में असाधारण तथ्य यह है कि सत्तारूढ दल, विशेष कर इसके नेता ने जो महिलाओं के हित का समर्थन करते है, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित महिलाओं की पूर्णतयः उपेक्षा कर दी है।

गत वर्ष के दौरान 16 हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 19 हरिजन महिलाओं के हाथों को बान्ध करके पुलिस स्टेशन लाया गया, उनका नृशंसता पूर्वक अपमान किया गया और उनको कई दिनों तक पुलिस स्टेशन में अवैध रूप से रखा गया। मुझे अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं जिनमें बताया गया है कि आन्ध्र प्रदेश में तेलगु देशम के सत्तारूढ़ होने के बाद सैकड़ों हरिजन महिलाओं का विभिन्न अवसरों पर अपमान तथा निरादर किया गया है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सतर्कता नहीं बरती है कि अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाये। मैंने मुख्य मन्त्री का ध्यान इस ओर दिलाया है किन्तु आज तक कुछ नहीं किया गया है। मैंने न्यायिक जांच की मांग की थी किन्तु दिखावा मात्र मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच करायी गयी है। अतः एक ओर तो जहां वे महिलाओं के हित का समर्थन कर रहे हैं, वहां दूसरी ओर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का अपमान किया जाता है उन्हें परेशान किया जाता है और उन्हें सभी प्रकार की यातनायें दी जाती हैं। मैं नहीं जानता कि क्या अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महिलायें आन्ध्र प्रदेश की बहनें नहीं हैं जिस शब्दावली का प्रयोग मुख्य मंत्री समय-समय पर आन्ध्र प्रदेश की महिलाओं के लिए करते रहते हैं। निजामाबाद जिले में 28 वर्षीय पुलीलय्यम नामक एक हरिजन युवक को जिन्दा जला दिया गया। उसका गांव तिम्मोलपुर है और ताल्लुक दोया कोन्डा है। स्वर्ण जाति के 30 हिन्दुओं ने उस पर आक्रमण किया और उसे एक स्थान पर ले जाकर नीम के वृक्ष के साथ बांध दिया गया। उसे नृशंसतापूर्वक पीटा गया और वह बेहोश हो गया। तब उन्होंने उस पर मिट्टी का तेल

छिड़ककर उसे जिन्दा जला दिया। मुख्य मंत्री उस स्थान पर गये थे। उसका असाधारण तथ्य तो यह है कि वास्तविक अपराधी को, जिसने सारी योजना बनायी थी, बच निकलने दिया गया और उसे उचित दण्ड नहीं दिया गया है इससे प्रमाणित होता है कि राज्य सरकार केवल इस कारण अनुसचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को परेशान करने पर तुली हुई है क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री के पक्ष में मतदान नहीं किया था। मैं जोरदार शब्दों में सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह आवश्यक कार्यवाही करे क्योंकि यह केवल मात्र कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है और इन लोगों को वहां सत्तारूढ़ दल की दया पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अतः मैं गृह मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह गृह मन्त्रालय का एक दल उन स्थानों का दौरा करने के लिए न केवल सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए तथा उनके लिए आवश्यक राहत की व्यवस्था करने के लिए ही, बल्कि वास्तविक अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करके यह सुनिश्चित करने के लिए भी भेजें कि इन अत्याचारों की पुनरावृति न हो। वास्तव में अनुसूचित जातियां आतंकित हो चुकी हैं क्यों कि उनके बार-बार अभ्यावेदनों के बावजूद सरकार ने सुरक्षा प्रदान करने की ओर सरकार ने उचित ध्यान नहीं दिया है। अतः सरकार, विशेषकर गृह मंत्रालय को इस मामले को गम्भीरता से लेने तथा यह सुनिश्चित करने की विशेष आवश्यकता है कि इस समस्या से उचित ढंग से निपटा जाये।

इसके अतिरिक्त सरकार ने विशेष न्यायालयों की स्थापना की है। इन न्यायालयों का कार्य उचित नहीं है। और हमें अधिक से अधिक विशेष न्यायालयों की आवयश्कता है। मैं नहीं जानता कि क्या उनके कार्य को राज्य सरकार की मर्जी पर छोड़ दिया गया है क्योंकि ऐसा करने से वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं होगा जिसके लिए इनकी स्थापना की गई थी। अतः इस समस्या पर विचार करना होगा।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं गृह मन्त्री से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध करूंगा कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त तथा अनु० जा० तथा अनु० जनजा० आयोग की रिपोर्टों पर संसद में चर्चा की जाती है ताकि अधिक से ब्यौरों को, जो उन में न दिये गये हों, सभा के समक्ष लाया जा सके और वास्तविक उद्देश्य सिद्ध हो सके जिसके लिए यह रिपोर्टें होती हैं। मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय इन बातों की ओर ध्यान देंगे और यह सुनिश्चित भी करेंगे कि इन समस्याओं का समाधान किया जाये।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : सभापति महोदय, मेरा विचार यह है कि देश को उन जिम्मेदारियों की पूरी तरह जानकारी नहीं है जिन्हें गृह मंत्रालय ने निभाना होता है। हमारे देश वासियों में आम भावना यह है कि केन्द्र में गृह मंत्रालय को अपने दिन प्रति-दिन के कार्यकरण और नित्यक्रम के काम के लिए कानून को लागू करने वाली अथवा अन्य केन्द्रीय एजेंसियों का केवल निरीक्षण करना होता है। मेरे विचार से आप इससे सहमत होंगे जो मैं कह रहा हूं। रिपोर्ट में बहुत ही व्यापक रूप से विचार किया गया है। इससे यह प्रतिलक्षित होता है कि गृह मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जिसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है और इस भूमिका ने

[श्री चित्त वसु]

देश के सामाजिक आर्थिक उद्देश्य को पूरा करने हेतु एक सक्रिय एजेंट के रूप में कार्य करना होता है। भारत जैसे देश में जो विकासशील देश है विभिन्न-विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहा है, ये जाति, धर्म, सामन्तवादी, अत्याचार, रुढ़िवादी तथा पुनर्जागरणवाद संबंधी समस्यायें हैं, चूकि यह एक ऐसा देश है जो समाज के भीतर कार्यरत इस प्रकार की प्रतिक्रियावादी से ग्रस्त है, इसलिए सामाजिक न्याय को दृष्टिगत रख कर के विशेषकर देश के विकास की गति को बढ़ाने के लिए आवश्यक परिस्थितियों को बनाने हेतु गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी और भी अधिक हो जाती है।

सभापति महोदय, जबकि आप सभा की इस ओर से बोले थे, तब आप ने बहुत ही व्यापक रूप से कहा था। यह स्वाभाविक ही है चूंकि मेरे पास बहुत ही थोड़ा समय है इसलिए बहुत अधिक नहीं बोलना है। मैं अपने भाषण को दो सामाजिक मामलों तक ही सीमित रखूंगा।

रिपोर्ट में इसका केवल संक्षेप में उल्लेख किया गया है और हमारे जीवन के इस महत्त्व-पूर्ण सामाजिक पहलु पर उचित विचार नहीं किया गया। एक मामले का सम्बन्ध छात्र असन्तोष से है तथा दूसरे कृषि के क्षेत्र में व्यापत् असंतोष से। आज हमारे देश में कृषि के क्षेत्र में असंतोष न केवल व्यापक है अपितु मेरा मत है कि इसने विस्फोटक स्थिति का रूप ले लिया है। आप देखेंगे कि देश के विभिन्न भागों में ग्रामीण असंतोष बढ़ता जा रहा है। न गहराई में बढ़ रहा है अपितु यह भिन्न रूप भी ले रहा है जो कि हिंसापूर्ण है।

ग्रामीण असंतोष अथवा कृषि संबन्धी असंतोष का संबन्ध हमारे जीवन के कई मूल भूत आर्थिक पहुओं से है, तथा गृह मंत्रालय इन दो तथ्यों की उपेक्षा नहीं कर सकता। एक है, शासक वर्ग में भूमि सुधारों को लागू करने के लिए राजनीतिक इच्छा का अभाव और दूसरा है हमारे देश के कृषि कामगरों में बढ़ता हुआ असंतोष जो कि वैध मानवीय अधिकारी को प्राप्त करने के लिए चल रहा है। उदाहरण के तौर पर आज बिहार में क्या हो रहा है। आन्ध्र प्रदेश में क्या हो रहा है? आज तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर क्या हो रहा है? आज देश के अन्य भागों में क्या हो रहा है जहां पर हमारे समाज के अत्यन्त उपेक्षित तथा वंचित वर्ग—कृषि मजदूरों को तंग किया जा रहा है तथा दबाया जा रहा है वे अपने अधिकार चाहते हैं। क्या गृह मंत्रालय इस मामले में उपेक्षा बरत सकती है? क्या वे अपने देश में ऐसी हालत चाहते हैं जिसमें समाज की प्रगति एवं समृद्धि सुनिश्चित हो।

महोदय, मैंने एक समाचार में पढ़ा था कि पटना में एक स्थान पर 9 कृषि मजदूर मारे गए। यह केवल एक उदारहण है। इस प्रकार के कई अन्य उदाहरण हैं? उन्हें किसने और क्यों मारा है? ये हत्याएं एक संगठन जिसका नाम "भूमिसेना" द्वारा की गई, जो कि भूस्वामियों द्वारा गठित की गई और हत्याएं इस कारण की गईं कि कृषि मजदूर न्यूनतम मजूरी की अपनी वैध मांग कर रहे थे। उन्होंने काम करना बन्द कर दिया और मुझे पता चला है कि जिन्होंने काम करना बन्द कर दिया उन्हें मार दिया गया। महोदय, यह हर किसी का अधिकार है कि वह काम

करे अथवा न करे अथवा कतिपय अधिकारों और सिद्धान्तों के आधार पर काम करे। यह जुल्म भू-स्वामियों द्वारा किया गया, न केवल उन पर दबाव डाला गया अपितु काम छोड़ने के कारण उन्हें मार डाला गया। क्या सरकार इस तथ्य को भूला सकती है। ऐसा इसीलिए हुआ कि भूमि सुधारों को लागू करने की उचित राजनीतिक इच्छा नहीं थी। जब तक सामाजिक-आर्थिक हालात का पुनर्निर्माण नहीं किया जाता। जब तक उत्पादन के साधनों के हमारे समाज के व्यापक वर्ग के हित के लिए नई विचारधारा से रूपान्तरित नहीं किया जाता, यह सामाजिक असंतोष बढ़ता जायेगा।

क्या गृह मंत्रालय, जो कि देश में दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, पर ध्यान दिये बिना ऐसे हालात पैदा कर सकता है जिनमें देश की शान्तिपूर्ण प्रगति हो सके ? गृह मंत्रालय ने कुछ समय पूर्व ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ रहे असंतोष के बारे में छठे दशक में एक रिपोर्ट तैयार की थी। छठे दशक में ग्रामीण क्षेत्र की जो भी स्थिति रही हो, आठवें दशक में यह कई गुणा बढ़ गई है। क्या इस बारे में गृह मंत्रालय की कोई रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में इस बारे में केवल 10 लाइनें आई हैं वे भी इस रूप में कि जैसे यह उग्रवादियों का कार्य हो। उग्रवादियों क्रियाकलापों के बारे में कुछ आंकड़े दिये गए हैं जैसा कि वे इसे कहते हैं, पंजाब, जम्मू तथा देश के अन्य भागों में।

जैसा कि आप जानते हैं भूमि-हीन श्रमिक भूमि-हीन किसान, सीमांत किसान आदि देश के विभिन्न भागों में अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं तथा इन कृषि मजदूरों को पुलिस के साथ मुठभेड़ों के नाम पर समाप्त किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की कई हजार रिपोर्टें है। बिहार में कई रिपोर्टें हैं, तथा कथित पुलिस के साथ मुठभेड़ों की। क्या गृह मंत्रालय कृषि क्षेत्र के असंतोष संबन्धी रिपोर्टें तैयार करेगी तथा उसका पता लगाने के लिए कार्य दल नियुक्त करेगी, तथा इसका संबन्ध कानून और व्यवस्था के प्रश्न से नहीं जोड़ेगी, जैसा कि अब तक किया जाता रहा है। क्या सरकार अथवा गृह मंत्रालय कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में असंतोष, जो कि सरकार द्वारा भूमि सुधारों को क्रियान्वित न किये जाने के कारण पैदा हुआ है, श्वेत-पत्र प्रकाशित करने को तैयार है ? इसका कारण है ग्रामीण सम्पत्तियों की कुछ ही हाथों में केन्द्रित होना। मेरे पास ऐसे आंकड़े हैं जिनसे सिद्ध होता है कि वर्तमान दशक में ग्रामीण सम्पत्ति का कुछ ही व्यक्तियों में केन्द्रित होने में वृद्धि हुई है तथा गावों में नये अमीर वर्ग का पुनः उदय हुआ है। ये लोग सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर हावी रहे हैं तथा कृषि मजदूरों के लोकतंत्रीय अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं की उपेक्षा करते रहे हैं, जोकि अपने अधिकार चाहते हैं। क्या सरकार मेरे छोटे से सुझाव, कि ग्रामीण असंतोष, कृषि क्षेत्र में व्याप्त असंतोष तथा उसे दूर करने के उपायों के बारे में कोई श्वेत-पत्र प्रकाशित करेगी।

दूसरा महत्त्वपूर्ण सामाजिक पहलू जिसकी ओर मैं गृह मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं छात्र असंतोष है। ऐसे आंकड़े मौजुद हैं जिनसे पता चलता है कि छात्र असंतोष एवं विश्व-विद्यालय परिसर में असंतोष में कमी नहीं आई है। क्या सरकार ने कभी इन मूल भूत कारणों

[श्री चित्त बसु]

का पता लगाने की चेष्टा की है जिनके कारण देश के छात्र-वर्ग के मन उत्तेजित होते हैं। क्या उन्होंने कभी देश के छात्रों की उम्मीदों तथा आकांक्षाओं का आकलन किया है? वे अपने को पृथक अनुभव करते हैं उन्हें विश्वविद्यालय परिसर में खुशी अनुभव नहीं होती, उन्हें शैक्षिक पाठ्यक्रम में रूचि नहीं होती तथा वे शिक्षा की वर्तमान प्रणाली से संतुष्ट नहीं है। यदि आप वास्तव में देश में सामाजिक परिवर्तन के हालात पैदा करना चाहते हैं।

4.00 म० (प्र०)

क्या आप इन परिवर्तनों मनोवैज्ञानिक अथवा अन्यों, जोकि विश्वविद्यालय परिसर में हो रहे हैं, से पृथक रह सकते हैं। एक उत्तरदायी गृह मंत्री जो, कि राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व के बारे में सजग है वह इन स्पष्ट तथ्यों के प्रति, सामाजिक जीवन में नये प्रवर्तनों और प्रवृत्तियों के प्रति उपेक्षा नहीं कर सकता।

छात्र यह अनुभव करते हैं कि उन्हें हमारे विश्वविद्यालयों की शैक्षिक संस्थाओं के प्रशासन में अवश्य भाग लेना चाहिए। आपने इस दिशा में क्या किया है? क्या आप जानते कि हैं पंजाब के कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा परिपत्र जारी किए गए हैं कि छात्रों को विश्वविद्यालयओं एवं कालेजों में बिना उनके राजनीतिक पूर्ववृत्त की पुलिस अधिकारी द्वारा जांच नहीं हो जाती। क्या यह सभ्य देश की प्रथा है? क्या किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने वाले छात्र के राजनीतिक पूर्ववृत्त की जांच कर सकते हैं? विभिन्न विश्वविद्यालयों, विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में ऐसा ही हो रहा है। जब हमारे देश के छात्र अधिक स्वतंत्रता अधिक लोकतंत्रीय भागीदारी की चाहते हैं, आप उन पर रोक लगाते हैं, उनकी इच्छाओं, आकाक्षाओं पर रोक लगाते हैं। क्या इससे हम समाज के पुनर्गठन के मामले में युवा पीढ़ी को संबन्धित कर सकते हैं।

क्या आपको पता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्त्वाधान में एक समिति ने सिफारिश की है कि विश्वविद्यालयों तथा शैक्षिक संस्थाओं में सभी श्रमिक संगठनों के क्रियाकलापों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अंग्रेजों के जमाने में जब हम लोग छात्र थे, तक भी हमारे संघ बनाने पर रोक नहीं थी। हमने देश के राजनीतिक आन्दोलन में भाग लिया। मैं समझता हूं कि इससे अधिकांश व्यक्तियों ने श्रमिक संगठनों में एवं स्वतत्रता आन्दोलन में भी भाग लिया। ब्रिटिश सरकार छात्रों द्वारा विश्वविद्यालयों तथा उससे बाहर राजनीतिक गतिविधियों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाये गए। आज शिक्षाविदों की ओर से कुछ व्यक्ति परिसर के भीतर एवं बाहर छात्र समुदाय के लिए अनुशासन कायम करना चाहते हैं तथा उनकी लोकतंत्रीय तथा नागरिक अधिकारों पर रोक लगाना चाहते हैं। इससे तरुण लोगों के लिए रचनात्मक भागीदारी की स्थिति पैदा नहीं करता। क्या गृह मन्त्री इन नयी पैदा हो रही प्रवृत्तियों की उपेक्षा कर सकते हैं? क्या आप मौके पर पूरे उतरेंगे तथा एक सुयोग्य गृह मन्त्री के रूप में देश की बदली हुई परिस्थितियों के साथ समन्वय करेंगे।

अन्त में मैं उनसे अपील करूंगा कि यदि कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में असन्तोष को दूर करने के लिए कार्य दल की नियुक्ति करेंगे तो इससे देश को लाभ पहुंचेगा। सरकार को कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र के असंतोष को दूर करने के लिए उपाय बरतने पडेंगे। दूसरे, यदि वे एक दूसरा कार्य दल नियुक्त करने को तैयार करते हैं ताकि छात्रों में असन्तोष का पता लगाया जा सके तथा उसके मूलभूत कारणों को जाना जा सके तथा उन्हें दूर करने के साधन जुटाये जायें, तब हम वास्तव में ऐसी हालत पैदा कर सकते हैं जो हमारी राष्ट्र को नयी पीढ़ी को राष्ट्र के निर्माण कार्य में भागीदार बनाया जा सकता है।

सभापति महोदय : अब हम नियम 193 के अधीन चर्चा करेंगे। श्री राम विलास पासवान।

4.05 म०प०

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों पर निरन्तर हो रहे अत्याचारों के बारे में चर्चा

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, आज हम लोग फिर एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिस पर पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है। जहां देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, जहां पंजाब जल रहा है और आसाम जलकर राख हो गया है वहीं इस देश में जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग, समाज के सबसे नीचे तबके के लोग, जिनको गांधी जी ने अन टु दी लास्ट कहा था, जो सबसे नीचे का पाया है, उसकी आंख में आंसू हैं। मैं जिन लोगों की जुबान नहीं है, जिनकी आंख गीली है, उनकी जुबान को मैं आज यहां रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय, जब मैं उनकी बात इस सदन में रखता हूं तो जहां हमें उस शोषित समाज के प्रति सहानुभूति है वहीं दूसरी ओर हमें इस समाज के प्रति गुस्सा भी है। आंख में जहां नमी आती है वहीं दूसरी ओर हमें क्रोध भी आता है।

सभापति महोदय, इस सदन में एक बार नहीं दर्जनों बार चर्चाएं हुई हैं और मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि हमारे जो गृह मंत्री हैं वे अक्षम हैं। मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि हमारे गृह मंत्री जी के दिल में उनके प्रति कोई दया या स्नेह और आदर नहीं हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद समस्याएं और गम्भीर होती जा रही हैं और हम लोग सोच रहे थे कि आजादी के बाद समय ज्यों ज्यों बीतता जाएगा। लोग स्वेच्छा से सबसे नीचे के लोगों को स्वतः अंगीकार करेंगे और उनको प्यार से गले लगाएंगे। लेकिन आज दिन प्रति-दिन घटनाओं पर जब दृष्टिपात करते हैं तो कोइ भी आदमी जिसके दिल में दया नाम की कोई चीज है, उसका दिल रोए बैगर नहीं रह सकता है।

[श्री राम विलास पासवान]

जब हम पढ़ते हैं कि आज भी मुजफ्फर नगर में जो रक्षक है, जिसको रक्षा करने का काम सौंपा गया है वह पुलिस सधिकारी एक अछूत से पैसा मांगता है। जब वह पैसा नहीं देता तो खौलते कड़ाह जिसमें गुड़ बनाया जाता है उसमें उसको डाल दिया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है इससे ज्यादा शर्मनाक घटना इस देश में क्या हो सकती है। जब देश के रक्षक इस प्रकार का काम करते हैं? पुलिस और बड़े-बड़े पूंजीपति, दोनों की सांठगांठ से, जिसका जहां मन होता है, किसी को नक्सलाइट के नाम से, किसी को एक्सट्रीमिस्ट के नाम से, गोली से उड़ा दिया जाता है।

सभापति महोदय, अभी होली के दिन की घटना है। होली के दिन एक तरफ जहां गुलाल और रंग की होली खेली गई वहीं इन समुदायों के प्रति खून की होली खेली गई। आठ आदिवासियों को महाराष्ट्र में गोली से उड़ा दिया गया। मध्य प्रदेश में दमोह जिले के गोगरू गांव में मन्दिर का एक पुजारी होली के दिन सबको गुलाल लगाता है। जब गांव का अनुसूचित जाति का एक व्यक्ति पंड़ित जी को गुलाल लगाने के लिए कहता है तो गुलाल के बदले उसको खून लगा दिया जाता है और उसकी हत्या की जाती है। बिहार की राजधानी पटना के पास मैसोड़ी एक जगह है जहां पर उसी दिन आठ लोगों की हत्या की गई। एक तरफ गरीब हैं और एक तरफ बड़े-बड़े पूंजीपति हैं जो बड़े-बड़े। पूजीपति हैं उन्होंने अपने संगठन का नाम भूमि सेना रखा हुआ है। उन्होंने सबके उपर लेवी बांध रखी है कि भूमि सेना फण्ड में इतना रुपया देना पड़ेगा। जो नहीं देता हैं उसे मार दिया जाता है। यह, अधिकारी के नालेज में है। वरिष्ठ आरक्षी अधीक्षक श्री किशोर कुमार ने पटना लौटने के बाद बताया कि अरुण कुमार की हत्या के बाद भूमि सेना के लोगों ने बाजार से लौटते हुए और खेत में सिंचाई करते हुए सात व्यक्तियों की हत्या कर दी। उनका नाम भी बतलाया गया। ये सब के सब लोग अनुसूचित जाति और वीकर सैक्शन के लोग हैं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : आप ही बताइए, ये भूमि सेना के लोग कौन हैं?

श्री राम विलास पासवान : जो बड़े-बड़े जमींदार है, उनका एक संगठन है। मैंने पिछली बार भी सदन में कहा था कि सब जगह ऐसी घटनाएं नहीं होती। कुछ स्थान हैं जहां पर घटनाएं होती रहती हैं। इन घटनाओं को भी स्थानीय प्रशासन रोकने में सफल नहीं हो पाता तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी? बेलछी और पिपरा की घटनाओं में नरसंहार हुआ है। पिपरा की घटना सरकार के आने के बाद हुई है। बेलछी की घटना को भी मैंने उठाया था। यह जनता पार्टी के समय में घटी थी। साठे साहब यहां हैं, इनको मालूम है, मैं पार्टी पालिटिक्स में नहीं जाना चाहता। ···(व्यवधान)··· मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी पार्टी के लोग हों चाहे वे जनता पार्टी के हों, अगर वे हरिजनों के ऊपर जुल्म करते हैं तो उनको रोकने का काम आपका है। पटना जिला है। वहां स्थिति यह है कि पिछले चार सालों से वहां पर पुलिस राज कायम है। पुलिस आफिसर वहां जाता है और जाने के बाद बड़े-बड़े आदमियों के यहां ठहरता है और मुर्गी तथा शराब का सेवन करता है। उसके बाद वह कहता है कि कौन शैडयूल्ड कास्ट्स का आदमी है

जो तुम्हारे सामने सीना तानकर चलता है। जब बताया जाता है तो उसको गोली से उड़ा दिया जाता है। नवादा जिले के गोपालपुर गांव में 21 जनवरी की घटना है। भूमिपति ने पहले एक अनुसूचित जाति के घर में आग लगाई और आग लगाने के बाद 12 वर्ष के एक लड़के को आग में फेंक कर मार डाला। उसी जिले के काश्मीरा गांव की 23 फरवरी की घटना है। 80 हरिजनों के घर में दिन-दहाड़े आग लगाई गई तुलसी मांझी नाम के एक शेड्यूल्ड कास्ट की हत्या कर दी दी गई। कारण क्या ? वह अपनी मजदूरी मांग रहा था। 26 जनवरी को ग्वालियर में बिनौली गाँव में पानी लेने के प्रश्न पर झगड़ा हुआ, एक आदमी गया उसको कहा गया कि पानी नहीं लेने देंगे, और वह पम्पिंग सैट का पानी था, उसका लड़का जाता है राम हेत जिसकी उम्र 21 साल थी, उसकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस वहां पहुचती है, तुरन्त गिरफ्दारी की जाती है और तुरन्त ही छोड़ दिया जाता है।

4.16 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

आप यदि अपनी रिपोर्ट को देखें, आपने जो जवाब दिया है इसी सदन में 14-3-84 को उसमें आपने कबूल किया है कि आन्ध्र प्रदेश में जहां शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों की 1980 में 14 हत्यायें हुई, 1981 में 9, 1982 में 16 और 1983 में 10 हत्यायें हुई। बिहार में जहां हत्यायें हुई 1980 में 57, वहीं 1981 में 69, 1982 में 72 और अक्तूबर 1983 तक 59, शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को देखें तो बिहार में शैड्यूल्ड ट्राइब्स की 1980 में 5 हत्यायें हुई, 1981 में 4, और 1982 में 5, गुजरात में जहां 1980 में 11 हत्यायें हुई, 1981 में 14, 1982 में 13 और 1983 में बढ़कर 20 हो गई। जम्मू कश्मीर में 1980 में 4 हत्यायें हुई, 1981 में 2, 1982 में 2 और 1983 में 1, कर्नाटक में 1980 में 18, 1981 में 24, 1982 में 19 और 1983 में 15 हत्यायें हुई। यह मैं फिगर्स इसलिए पढ़ रहा हूं जिससे आप यह देखते जांयेंगे कि हत्या कहां कहां बढ़ी हैं ? खासकर ऐसी स्टेट्स में बढ़ी हैं जहा आपकी पार्टी का शासन है। और वहां अपोज़ीशन की सरकारें है वहां या तो हत्यायें रुकी हुई हैं, या कम हुई हैं।

मध्य प्रदेश में 1980 में शेड्यूल्ड कास्ट की 68, शैड्यूल्ड ट्राइब्स की 33, 1981 में शैड्यूल्ड कास्ट की 74 और ट्राइब्स की 67, 1982 में शैड्यूल्ड कास्ट्स की 88 और ट्राइब्स की बढ़कर हत्यायें हो गई 94 और 1983 शैड्यूल्ड कास्ट की 108। जहां शैड्यूल्ड कास्ट की 1980 में 68 थीं वहां बढ़ कर के 1983 में हो गई 108, और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की जहाँ 33 थी वहां बढ़कर के हत्यायें 1982 में हो गई 94 और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की 1983 में बढ़कर हो गई 110 हो गई। यह आपका पार्लियामेंट में जवाब है। महाराष्ट्र में जहां 1980 में 23 थीं, वहीं 1981 में 24, 1982 में 19 और 1983 में 17, पंजाब में 10 से बढ़ कर के 13 हो गया। राजस्थान में 35, 35, 37 और दिसम्बर 1983 में 35, उत्तर प्रदेश में अकेले एक साल में 1980 में शैड्यूल्ड कास्ट की हत्यायें 236, 1981 में 214, 1982 208 और 1983 में हो गई 202 यह हैं हत्याओं के मामले। और दूसरी चीजें अलग है।

[श्री राम विलास पासवान]

यदि क्राइम की फिगर्स देखेंगे तो वह घट रही हैं, आपके कथानुसार। और हमेशा सदन में कहा जाता है कि क्राइम रिपोरटिंग घट रही है। इससे अन्दाजा लगा सकते हैं चूंकि मरने वाले को जल्दी नहीं छिपाया जा सकता इसलिए वह संख्या बढ़ती रहती है। लेकिन जो रिपोरटिंग का मामला होता है वह अफसर की मर्जी पर डिपेंड करता है चाहे तो लिखे न चाहे तो न लिखे। आज थाने पर डर के मारे लोग जाते ही नहीं हैं रिपोर्ट दर्ज कराने के लिये क्योंकि लोग डरते हैं कि वहां पहले उनकी शामत आयेगी। क्लप्रिट का तो बाद में कुछ होगा।

इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। मैं आज से दो दिन पहले 25 व 26 तारीख को सासाराम में हो रहे शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड टाइब्ज सम्मेलन में गया था। वहां लोगों ने बताया कि होली के दिन शराब की दुकान बन्द थी। एक पुलिस अफसर ने वहां जाकर शराब की दुकान खुलवा दी और शराब पी ली। उसके बाद वह दुकान खुल गई और दूसरे गरीब लोगों ने भी शराब पी ली। पीने के बाद पुलिस अधिकारी ने गाली दे दी शराब के नशे में उसको भी नशे में लोगों ने गाली दी उस पुलिस अफसर ने उसको मारा और उसके घर में आग आग लगा दी। मैं बताना चाहता हूं कि किस तरह से पुलिस का जुल्म चलता है।

मैं जब 1977 में जीता था तो अपनी कांस्टीटुएन्सी में घूम रहा था। महुआ में शिड्यूल्ड कास्ट के आदमी श्री बालचन्द को पुलिस ने मार-मारकर बेहोश कर दिया था। मुझे लोगों ने यह बात बताई कि पुलिस ने इसको मारा है। मैं उसको उठा लाया और पुलिस हैडक्वार्टर में फोन किया। पता लगा कि एस० पी० सिनेमा गया है, डी० एस० गायब है तब मैंने एस० डी० ओ० को बुलाया। मैंने सिविल सर्जन को बुलाकर मैडिकल करवाया और केस दायर करवाया और एस० पी० से कहा कि पुलिस अधिकारी को सस्पेंड करो, नहीं तो हंगामा होगा। उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया।

दूसरे दिन एस०पी० ने उससे पूछा कि तुमने उसको क्यों मारा था ? उस पुलिस अफसर ने एस० पी० को बताया कि शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी शराब पीकर लोगों को रोड पर गाली दे रहा था, इसलिए मैंने इसको पीटा। उसके बाद एस० पी० ने कहा कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं, एम० पी० साहब ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है, उनसे बात करो। उसके बाद वह पुलिस वाला कुछ लोगों को लेकर मेरे पास आया और लोगों ने कहा कि इसको बचाओ।

मैंने उससे कहा कि क्या घटना घटी थी, साफ-साफ बताओ। उस अफसर ने अपने एस० पी० के सामने कहा था कि यह आदमी पीकर लोगों को गाली दे रहा था, इसलिये मारा, लेकिन मेरे साफ-साफ पूछने पर उसने कहा कि वह खुद पिये हुए था, होश में नहीं था इसलिये इसे मारा देखिए उसके दोनों ब्यानों में कितना अन्तर है। एक्ट अलग है और फैक्ट अलग है।

प्रो० सत्यदेव सिंह (छपरा) : उसके बाद उसका क्या किया आपने ?

श्री रामविलास पासवान : उसके बाद डिस्चार्ज हुआ, आपकी सरकार रहती तो उसे कुछ न कुछ प्रमोशन मिल जाती ।

मैं पश्चिम बंगाल का भी आंकड़े बता रहा हूं जो कि सरकारी आंकड़े हैं । वहां 1980 में 9 हत्याएं हुई, 1981 में 4 और 1983 में 3 घटनाएं घटी हैं ।

एक सवाल पूछा गया था कि जितनी घटनाएं घटी हैं । उनमें से कितनों को सजा हुई हैं ? इसके जवाब में गृह मन्त्री जी ने जो बताया वह यह है कि बेलछी में जो घटना घटी उसमें लोगों को सजा हुई, पिपरा, केला, विश्रामपुर और जैतालपुर में जो घटनाएं घटी उसमें भी लोगों को सजा मिली है । लेकिन यह सदन जानने के लिए चिन्तित है कि सबसे भयंकर घटना देहुली में में घटी थी जिसमें 24, 25 शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों को दिन-दहाड़े गोली से उड़ा दिया गया और उसमें किसी मां के पेट में बच्चा था, उसको भी नहीं बख्शा गया । वहां खून सूखने भी नहीं पाया थी, उसी के बगल में साढूपुर में घटना घटी वहां दर्जनों लोग मारे गये, उसी मैनपुरी जिले के रामपुरा में घटना घटी, वहां लोग मरे, मैं जानना चाहूंगा कि इन तीनों में क्या हुआ ? क्या कोई अभियुक्त पकड़ा गया ? क्या किसी को सजा हुई है ? कफाल्ता में शिड्यूल्ड कास्टस के लोगों का क्या कसूर था ? एक व्यक्ति शादी करने के लिए रास्ते पर जा रहा था । उसको यह कह कर रोका गया कि आजादी के 36 साल बाद भी तुम मेन रोड़ पर नहीं चल सकते । जब वह नहीं रुका,. तो उसको गोली से उड़ा दिया गया और 18 लोगों को मार दिया गया । पुलिस ने भी एक आदमी के खिलाफ एविडैंस पेश नहीं किया और वे सब बरी हो गए ।

विदेशों में हम काले और गोरे की लड़ाई लड़ते हैं, मानवता का उपदेश देते हैं और हयुमन राइट्स की बात करते हैं मगर आजादी मिलने के 36 साल बाद भी दिल्ली के नजदीक ही दर्जनों जगह पर सैकड़ों लोगों की हत्या होती है और एक आदमी को भी सजा नहीं होती है इस हालात में लोगों का कानून पर कैसे विश्वास होगा ? सिंहभूम में गुफा में 16 आदिवासियों की हत्या कर दी गई । क्या किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई ? स्थिति यह है कि किसी के खिलाफकोई ऐक्शन नहीं लिया जाता । गांवों के लोग हमसे कहते हैं हम एस० पी० साहब और गृह मन्त्री, श्री सेठी, हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, तो वह कम से कम से कम शिड्यूल्ड कास्टस के लोगों को एक किनारे पर एक साथ बसा दें । लेकिन अगर स्थिति में कोई सुधार न हुआ, तो कल वे कहेंगे कि हमें जिले के एक किनारे पर बसा दिया जाए । अगर फिर भी मामला बढ़ता गया, तो वे मांग करेंगे कि हमारा अलग प्रान्त बना दिया जाए । उसके बाद फिर वे यह भी मांग कर सकते हैं कि हमारा एक अलग देश बना दिया जाए । सरकार ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ने देती है ? आजादी से पहले देश में जो भी घटनाएं घटी हों, लोगों की कमर में घड़ा या झाड़ू बांधा गया हो, लेकिन आजादी के बाद की पीढ़ी उन वारदातों को बर्दाश्त करने के लिए कतई तैयार नहीं है । सरकार कहती है कि हम उन्हें रोटी देते हैं । रोटी तो जानवर को भी मिलती है । हम

[राम विलास पासवान]

महज रोटी में संतुष्ट नहीं हो सकते। अपनी रोटी जेब में रखिए, हमें इज्जत दीजिए। अगर सरकार इज्जत नहीं दे सकती, तो देश का अछूत और गरीब अब ज्यादा दिन तक इसको बर्दाश्त नहीं करेगा सरकार उन लोगों को नक्सलाइट या क्रिमिनल कह कर कोई भी संज्ञा देकर मारे लेकिन अब पानी सिर से उपर आ गया, अब इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

एक भिंडरांवाले ने सरकार की नाक में पानी डाला हुआ है। अगर इन समुदायों में भी कोई ऐसा व्यक्ति पैदा हो जाए, जो नये नवयुवकों की ललकारे को वे इस देश में दो नम्बर के नागरिक कब तक बने रहेंगे और अपनी माँ-बहनों के साथ बलात्कार होने की घटना कब तक सहन करेंगे, तो गृह मंत्री के पास उसका क्या जवाब होगा। आज हम विद्यार्थियों को रूस की क्रांति और माओ-त्से-तुंग की कहानी पढ़ाते हैं। उनसे प्रेरणा ले कर आज के नौजवान समाज में सम्मान की जिन्दगी जीना चाहते हैं। मगर यदि पूंजीपति उनका उत्पीड़न करता है, उन्हें मारता है तो पुलिस और प्रशासन उसी का साथ देते हैं।

मन्त्री महोदय जवाब देते हुए बताएं कि कितनी जगहों में ये घटनाएं घटीं और कितने लोगों को सजा दी गई। जिन जगहों पर शिड्यूल्ड कास्टस वर्सस बैकवर्ड कम्युनिटी का झगड़ा था, वहां अभियुक्तों को सजा हो गई है, और वह अच्छा हुआ है, लेकिन जहां शिड्यूल्ड कास्ट्स वर्सस अपर कास्ट का झगड़ा हुआ है, ऐसी एक भी जगह सजा क्यों नहीं हुई है ? बैलछी, विपरा और कैला आदि सब जगह यही स्थिति है।

इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि आपने कहा था कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए थाना है। मैं अभी बिहार गया था, वहां पर सासाराम में लोगों ने बतलाया कि हरिजन थाने में कोई ऐसा इंचार्ज आकर बैठ गया है जो दूर से ही आने वाले को डंडा दिखाता है। इसलिए कम से कम आप ऐसे लोगों को वहां पर इंचार्ज बनाइये जो, अगर वहां पर कोई रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जाता है, तो उसकी रिपोर्ट वह दर्ज करे।

मैंने कहा था कि जहां पर इस प्रकार की घटनायें बार बार होती हों वहां पर गरीब आदमियों को आप हथियार देने की बात पर विचार करें। इस पर प्रधान मन्त्री ने कहा था कि आप आइये मैं डिस्कशन करने के लिए तैयार हूं कि हथियार देकर किस प्रकार इस समस्या का निदान हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप 25 मिनट ले चुके हैं। आप कितना समय और लेंगे ? अन्त में सदस्य को उतना समय नहीं मिल पाता। उनमें से प्रत्येक को कम से कम 15 मिनट तो मिलने चाहिए। हम दस बजे तक बैठेंगे। आपको कितना समय और चाहिए।

श्री राम विलास पासवान : मुझे 15-20 मिनट और चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया दस मिनट में समाप्त करें।

श्री राम विलास पासवान : प्रधान मन्त्री ने जो कहा था उस बात में भी दम है। हमारे साथी भी कह रहे हैं कि इससे समस्या का समाधान कैसे होगा ? लेकिन मैं समझता हूं आप एक काम जरूर कर सकते हैं। जहां पर इस तरह की घटनायें हों वहां पर भूमि सेना, जैसे कि बिहार में है, या इस तरह की जो भी सेना हो उसका हथियार जब्त कीजिए। उस संगठन को आप डिसओन कीजिए और जो भी लोग इस तरह की सेना की सदस्यता ग्रहण करेंगे उनको वीकर सैक्शन्स का दुश्मन माना जायेगा और उनसे आप हथियार छीनने का काम भी करें। आप इमीडिएट आर्डर देकर उनके हथियार जब्त कीजिए और फिर दोबारा उनको लाइसेन्स मत दीजिए। ·····(**व्यवधान**)····· अनलाइसेंस्ड हथियारों का इलाज दूसरा है लेकिन कम से कम लाइसेन्सी गनों से वीकर सेक्शन के लोगों को मारने का काम बन्द होना चाहिए।

दूसरा एक और भी काम है जिसको आप कर सकते हैं। हमने अपने समय में उसको किया था। जिस जिले में भी इस तरह की घटनायें घटें सबसे पहले आप यहां के एस० पी० और डी० एस० पी० को मोअत्तल कीजिए। आप सीधे उनके ऊपर रेसपांसिबिलिटी फिक्स कीजिए। आज पटना जिले का डी० एम० अपने को मिनिस्टर से भी पावरफुल समझता है। ···(**व्यवधान**)...

श्री बुद्धि चन्द जैन (बाड़मेर) : उस इलाके के जो एम०पी० और एम०एल०ए० होते हैं उनकी भी कुछ जिम्मेदारी होती है, उनके खिलाफ क्या किया जायेगा ?

श्री राम विलास पासवान : अगर एम०पी० और एम०एल०ए० स्वयं उसमें इन्वाल्व हों तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई किया जायेगा। लेकिन मैं यह कह रहा था कि आप एस०पी० और डी०एम० को मोअत्तल कीजिए। पिछले चार साल में इन दोनों सदनों के जो एम पीज ह्वयूमिलिएट हुए हैं वह कौन है ? वह एम पी हैं परमार जी, राम स्वरूप राम जी, कुंबर राम जी, जटिया जी, कल्पनाथ सोनकर। यह सारे वीकर सेक्शन के लोग हैं। ये एम०पी० बन गए लेकिन समाज में इनकी इज्जत नहीं है। आज भी यू० पी० और बिहार के मोस्टली 90 परसेंट गावों में लोग एक दूसरे का छुआ हुआ पानी नहीं पीते हैं। यह हमारे सामने की बात है। यह है सोशल कस्टम।

कभी-कभी लोग हिन्दू संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं, यदि यही हिन्दू सभ्यता है तो हम उसको सौ बार प्रणाम करते हैं कि जिसने आदमी-आदमी को इतना दूर रख दिया है, आज भी गंगा जल से इस देश को धोया जाता है और जहां आज भी गुलाल लगाने के नाम पर पुजारी द्वारा लोगों की हत्यायें की जाती हैं। इसलिए गृह मन्त्री जी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कम से कम आप रिसपांसिबिलिटी फिक्स कीजिए। संसद सदस्यों की भी अपनी डिगनिटी होती है, उसके पास कोई फोर्स तो है नहीं, यदि वह समाज में काम करने के लिए जाएगा, तो उसकी सुरक्षा नहीं होती है। इस बारे में मेरे पास अखबारों की पूरी की पूरी कतरनें हैं। राम स्वरूप राम जी बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर से उनको मिलने नहीं दिया गया। लोगों के सामने उनको बेइज्जत किया गया और बाद में फिर मुकद्दमा दर्ज कर दिया गया। एक नहीं, दो नहीं, तीन-तीन सांसदों और विधायकों के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज कर दिया गया।

एक माननीय सदस्य : क्यों ?

श्री राम विलास पासवान : इसीलिए कि वे बेचारे प्रधान मन्त्री जी के पास जा रहे थे। वहां के डी० एम० ने उनको धकेल दिया वहां जाने नहीं दिया। धकेलने के बाद वे तैश में आ गए, क्योंकि सारा एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में होता है, इसलिए कह दिया कि इनके खिलाफ मुकद्मा दर्ज करो।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : फर्दर डिटेल चाहिए, तो राम स्वरूप राम से पूछ लीजिए।

श्री राम विलास पासवान : आप राम स्वरूप जी से पूछ लीजिए। मैं माननीय गृह मंत्री जी को बधाई देता हूं कि मेरे केस की उच्च स्तरीय जांच करा रहे हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि जब मैं पटना में शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स सम्मेलन कर रहा था, तो वहां पर मुझे टेंट गाड़ने नहीं दिया, कुछ भी करने नहीं दिया गया। इस मामले को वहां इसलिए नहीं उठाया क्योंकि वहां 9-10 तारीख को राजीव जी का प्रोग्राम था। उस सम्मेलन में लाखों की संख्या में लोग आए थे, दक्षिण से भी लोग आए थे। पाँच सौ रुपया मैंने पहले ही जमा करा दिया था, श्री कृष्ण मैमारियल हाल के लिए। वह उस दिन बन्द था। लेकिन जवाब आता है कि श्री कृष्ण मैमोरियल हाल का ताला तोड़ कर मीटिंग की थी।

माननीय गृह मन्त्री जी मैं आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। यदि यह बात सिद्ध हो जाए कि वहां जाकर एक भी आदमी ने मीटिंग की है, तो जो आप सजा देंगे वह मैं मानने को तैयार हूं। संसद सदस्यता से इस्तीफा देने की बात तो बहुत छोटी है। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स के दिमाग इतने आसमान पर चढ़ जायें, कि मारे वह मुकद्मे चले राम स्वरूप राम पर, गलती करे वह एलीगेशन लगाए हमारे ऊपर—तो गृह मन्त्री जी आपको इसकी रक्षा करनी होगी। इस बारे में मैंने आपको पत्र लिखकर दिया है। लेकिन जवाब तीन तरह का मिलता है। एक जगह की पैसा जमा नही किया गया, दूसरी जगह लिखा है कि कार्यालय बन्द था, और तीसरी जगह पर लिखा है कि ताला तोड़ कर गए। ये तीनों बातें आप ही के जवाब में हैं। आप इसको पढ़ लें तो सारी स्थिति आपकों मालूम हो जायेगी।

मैं 22.3.1984 को दूरदर्शन समाचार देख रहा था। आपका दूरदर्शन समाचार कहता है पिछले 17 वर्षों में केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है, पर्याप्त वृद्धि क्या हुई, इसका जवाब मेरे पास है। यह बात गृह मंत्रालय के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की 1983-84 की रिपोर्ट में बताई गई है। जनवरी, 1982 के केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लगभग 5 लाख 21 हजार कर्मचारी थे, जो कि सरकारी कर्मचारियों की संख्या का 16.67 प्रतिशत है। संविधान में यह कहा गया गया है कि कुल सरकारी कर्मचारियों में से 15 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के होने चाहिएं।

अनुसूचित रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए अनेक ट्रेनिंग

कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, कर्मचारियों के कल्याण की तरफ पर्याप्त ध्यान दिया गया और सरकारी काम में हिन्दी का अधिक उपयोग किया गया।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कहां किस संविधान में लिखा हुआ है यह 15 प्रतिशत होना चाहिए। यह आप का जवाब है। 7.3.1984 को एक अतारांकित प्रश्न सं० 1650 के जवाब में आप कहते हैं 1.1.1982 के अनुसार ग्रुप ए समूह में शैडयूल्ड कास्ट्स 5 परसेन्ट और शैडयूल्ड ट्राइब्स 1.66 परसेन्ट हैं, इस का मतलब 20 परसेन्ट अभी भी कम हैं। ग्रुप बी में, साढ़े 22 परसेन्ट रिजर्वेशन होना चाहिए, वहां भी 10.46 परसेन्ट है। तृतीय श्रेणी में भी साढ़े बाइस परसेन्ट होना चाहिए लेकिन उसमें भी 16.86 परसेन्ट है। चतुर्थ श्रेणी में जो झाड़ू देने वाले, पाखाना साफ करने वाले हैं, उनमें पूरा है। लेकिन उनके बारे में भी बतला दूं—एक नई टैकनीक मेरे सामने आई है—बरौनी के सम्बन्ध में मैंने क्वेश्चन किया था, मालूम हुआ कि वहां दूसरों के लिए रिजर्वेशन है—हमने कहा, ठीक है, देखेंगे, दूसरे लोग भी पाखाना साफ करने का काम करेंगे, लेकिन मालूम हुआ कि उनकी बहाली स्वीपर की पोस्ट पर होगी, लेकिन उनसे काम लिया जायेगा पीउन का। शेडयूल्ड कास्ट के लोगों से, चाहे उनमें कुछ भी योग्यता हो, उनकी बहाली झाड़ू देने वाले के रूप में, पाखाना साफ करने वाले के रूप में करेंगे, लेकिन इनकी बहाली अगर झाड़ू देने वाले के रूप में होती है तो काम दूसरा लेंगे।

आप मसौरी की घटना की लीजिए—भूतपूर्व मुख्य मंत्री जगन्नाथ मिश्र दौरा करके आये और उन्होंने कहा—

> "भूतपूर्व मुख्य मंत्री डॉ० जगन्नाथ मिश्र ने आज बताया कि यह बात गलत है कि पटना जिले के मसौटी ब्लाक में नक्सलवादी गतिविधियों के कारण 8 कृषि मजदूर मारे गये।"
>
> "उन्होंने बताया कि वास्तव में किसी भी मजदूर का उग्रवादियों से कोई सम्बन्ध नहीं है।"

वह कहते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट्स कहीं नहीं हैं दूसरी तरफ आपका पुलिस प्रशासन कहता है—पूरे का पूरा एरिया एक्सट्रिमिस्ट हो गया है, नक्सलाइट हो गया है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा—आप रेस्पोसिबिलिटीफिक्स कीजिये। आज स्थिति यह हो गई है कि आप भूमि विवाद को सुलझा नहीं सकते हैं, आपने कह दिया है कि यह कोर्ट का मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपकी रिपोर्ट के मुताबिक 40 लाख एकड़ जमीन निकलनी चाहिए थी, 23 लेकिन लाख निकली है और आपने केवल 17 लाख डिस्ट्रीब्यूट की है जबकि सिर्फ 5 लाख एकड़ जमीन हरीजन को मिली है। 40 में से 22 लाख निकली, बाकी जमीन भूमिपतियों के पास है। इतना ही नहीं, 22 लाख एकड़ में से 5 लाख एकड़ दी गई तो बाकी जमीन कहां है ? आप लैंड रिफार्म नहीं कर सकते हैं, आप मिनिदम वेज का नारा देते हैं। आपके 20 प्वाइन्ट प्रोग्राम में कहीं भी एक प्वाइन्ट ऐसा नहीं है कि जहां हरिजनों की एट्रोसिटीज का उल्लेख हो।

[श्री राम विलास पासवान]

इसलिये अब आप एक काम कीजिए—प्रत्येक ब्लाक के स्तर पर हम को अलग बसाने का प्रत्यन कीजिए। आजादी के 36 वर्षों के बाद भी यह सरकार हमारी रक्षा करने में विफल रही है, अब हमको अपनी रक्षा खुद करनी होगी। जो कोई भी हत्या करे, आप में ताकत हो तो सजा दिलवाइए, उसकी सम्पति को जब्त कराइये। मैं आपसे पूछना चाहता हूं—पिपरा काण्ड से प्रभावित कितने लोगों को आपने सर्विस दी है। उस काण्ड के एक लड़के के लिए, जिसके परिवार के सब लोग मर गए थे, लिखते-लिखते मैं थक गया हूं। एक बात मैं कह सकता हूं—हम जब भी किसी मामले को लेकर गृह मंत्री जी के पास जाते हैं, तुरन्त उसके लिए लिखते हैं लेकिन जिस को करना है वह उनकी बात को कितना मानता है ? मैं पूछता हूं—जहां घटनायें हुई हैं वहां कितने लोगों को नौकरी दी गई ? बेलछी, पिपरा, साडूपुर, रामपुर, देवली में घटनायें घटी—ये घटनायें वहीं घटती हैं जहां रोड-लिंक नहीं है। इसलिए मैं आप से यह कहना चाहूंगा कि आप वहां रोड की व्यवस्था करवाइए। आप गांवों के लोगों की एक लिस्ट रखिए **पूअरेस्ट एमंग दि पूअर** की और जो गरीब लोग हैं, उनकी काआपरेटिव सोसाइटी बनाइए और जो भी योजना का पैसा जाता है, वह उस के द्वारा खर्च हो। मैं आप को एक बात यह कहूंगा कि आप एक नया कार्यक्रम चलाइए और आर्थिक क्रान्ति के साथ सामाजिक क्रांति को आप जोड़िए और उसके साथ-साथ आपको जोर देना होगा सामाजिक क्रान्ति पर। यह जो रूढ़िवाद है, जिस के कारण हजारों साल से देश पिछड़ा हुआ है और हजारों साल से ऊंच-नीच की बात चली हुई हैं, इस को आप खत्म कीजिए और सामाजिक क्रन्ति ला कर इस को खत्म कीजिए।

आप शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट को देखिए। उसमें भूमिहीनों के बारे में यह लिखा हुआ है कि एक हजार भूमिहीनों में जहां 1961 में शेड्यूल्ड कास्ट्स के भूमिहीन 345 थे, वे 1981 में बढ़ कर 518 हो गए और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के जहां 1961 में 197 थे, वे 1981 में बढ़ कर 320 हो गये। जहां हरिजन किसान 1961 में 378 थे, वे 1981 में घट कर 279 हो गए और जहां शैड्यूल्ड ट्राइब्स किसान 1961 में 681 थे, वे 1981 में घट कर 573 रह गये। इसलिए मैं आप से आग्रह करूंगा कि यह एक बहुत सेंसेटिव मामला है और लोग निराश हो चले हैं। आज लोग निराश हो गए हैं प्रशासन से, आज लोग निराश हो गए हैं शासन से और आज लोग निराश हो गए हैं सरकार से। इसलिए आप इन निराश लोगों के लिए कुछ कीजिए और यदि आप ने कुछ नहीं किया तो यह जो ज्वालामुखी भभक रहा है, यह एक दिन फटने वाला है। देश के करोड़ों अछूत, देश के करोड़ों गरीब और वीकर सेक्शन्स के लोग अपने अधिकार के लिए आगे आएंगे और फिर आपकी पुलिस, आप का प्रशासन बन्दूकों और राइफलों के बल पर उनको दबा कर नहीं रख सकता। वे अपना अधिकार लेकर ही रहेगें। मैं आप से आग्रह करता हूं कि आप यह न कहें कि यह केन्द्रीय सरकार की जिम्मेवारी नहीं हैं और यह तो राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। मेरा कहना यह है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकार की जिम्मेवारी है और कांस्टीट्यूशन के मुताबिक आप को इस रेस्पोंसीबिलिटी को अपने ऊपर

लेना होगा। आप राज्य सरकारों के ऊपर इसको नहीं छोड़ सकते हैं। राज्य सरकारों को तो हम ने देख लिया है। अगर आप अपने ऊपर यह रेस्पोंसीबिलिटी नहीं लेते हैं, तो आप जानते ही हैं कि पेट में आग लगी होती है, तो फिर उसे देश और धर्म का पता नहीं होता है और आज तो वे कहते हैं कि हमें गांवों के किनारे बसाओ, कल का कहेगें कि देश के किनारे बसाओ, फिर क्या हश्र होगा इसलिए आपको यह जिम्मेवारी अपने ऊपर लेनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव मूव करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आज आपने कोई टोका-टाकी नहीं की।

श्री अन्नत रामुलु मल्लु (नगरकुरनूल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय तथा संसदीय कार्य मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस विशेष समस्या पर चर्चा के लिए अवसर दिया है।

दूसरे पक्ष में मेरे मित्र श्री राम विलास पासवान ने बहुत सी समस्याओं का उल्लेख किया है। मैंने सोचा था कि वह उस समस्या को भी इस सभा में लेंगे तथा इसे राजनीतिक रूप दिये बिना इस पर चर्चा करेंगे। परन्तु दुर्भाग्य से श्री राम विलास पासवान ने कहा कि शासक दल द्वारा अधिक अत्याचार होते हैं, विपक्ष द्वारा कम।

श्री राम विलास पासवान : मैंने इतनी बात नहीं कही। मैं इसे दलीय राजनीति से ऊपर रखना चाहता हूं।

श्री अन्नत रामुलु मल्लु : मैं इस मामले पर विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता। मैं जो कहना चाहता हूं वे अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है। निःसन्देह यह ऐसा अवसर है कि राजनीतिक पार्टियां जहां अपनी सही रूप में प्रकट होंगी।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता) : वह तथ्य पहले ही बता चुके हैं।

श्री राम विलास पासवान : मैं गृह मंत्री द्वारा दिए गए तथ्य बता दिये हैं। यह मेरा उत्तर नहीं है। मैंने केवल वही बात कही है जो कि गृह मंत्री ने बतायी थी।

श्री अन्नत रामुलु मल्लु : जब उन्होंने चर्चा में हिस्सा लिया तब मैंने व्यवधान नहीं डाला।

अत्याचारों के मामले में मुझे इस समस्या की अधिक चिन्ता नहीं है। विकासशील राज्यों में अत्याचार होते ही हैं। यह मामला अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों में जागृति का है।

मैं आपको बताता हूं कि किस लिए मैं यह बात कह रहा हूं।

श्री ए०नीलालोहितदसन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : एक नया सिद्धान्त रखा जा रहा है।

श्री अन्नत रामुलु मल्लु : चूंकि माननीय सदस्य इस बात को उठा रहे हैं, मैं उत्तर दूंगा.....

उपाध्यक्ष महोदय : आप जैसे चाहें जारी रख सकते हैं। आप अपने विचार व्यक्त करें।

श्री अन्नत रामुलु मल्लु : मेरे अपने राज्य आन्ध्र प्रदेश में अत्यचार हुए हैं। कुछ समय पूर्व मैंने इस विशेष समस्या पर, इस महान सभा में चर्चा के लिए, नोटिस दिया था। विधान सभा के निर्वाचन के तुरन्त बाद, प्राय: उसी दिन तेलगू देशम के व्यक्तियों द्वारा एक हरिजन गांव को जला दिया गया.....

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : कृपया इस पर दलीय राजनीति न लायें।

(व्यवधान)

श्री अन्नत रामुलु मल्लु : चूंकि उन्होंने मामला उठाया है अतः मैं भी चर्चा करूंगा। तथ्य यह है—86 मकान तथा चार व्यक्ति जिन्दा जला दिये गए। वह विपक्ष कृव्यों की प्रशंसा कर रहे थे। मैं उन्हें बताऊंगा कि क्या हुआ है। उसी राज्य के समाज कल्याण मंत्री अभी तक भी वहां नहीं गए जबकि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री ने गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री वेंकटा-सुब्बदेया से कहा.....

श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार : उन्होंने बेलची की यात्रा उस समय की थी जब वह सत्ता में नहीं थीं।

संसदीय कार्य, खेल, निर्माण तथा आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : अब भी, जहां भी घटना घटती है, वह वहां पर जाती हैं।

श्री अनन्नत रामुलु मल्लु : माननीय मंत्री श्री वेंकटसुब्बया ने कृपापूर्वक उस विशेष गांव की यात्रा की। सरकारी तंत्र के कृत्यों की जानकारी मैं सभा को दूंगा। उस विशेष जिले चित्तौड़ के पुलिस अधिक्षक ने मुख्य मंत्री को 5 तारीख को तेलगु देशम के लोगों के कारण हुई उस घटना की सूचना मुख्यमंत्री को दी। परन्तु जैसे ही परिणाम आये उन्होंने अपना वक्तव्य बदल दिया। हमने सोचा था कि चूंकि विपक्ष सत्ता में आ गया है, वे समाज के कमजोर वर्गों अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लोगों की कामना पूरी करेंगे। हमें उम्मीद थी कि वह कुछ करेंगे परन्तु ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे प्रधान मंत्री ने प्रधान मंत्री सहायता निधि में से प्रत्येक परिवार के लिए 2000 रुपए की मंजूरी दी। माननीय मंत्री श्री वेंकटसुब्बया ने राज्य के मुख्य सचिव को चैक सौंपा तथा निवेदन किया कि इसे उस विशेष गावों के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लाभ के लिए वितरित कर दिया जाए। परन्तु यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है कि राज्य सरकार दस मास से अधिक समय में भी उस राशि को पडरीकुप्पम गांव के लोगों में वितरित करने में विफल रही। जब मैंने प्रेस के माध्यम से वक्तव्य दिया राज्य सरकार ने जिला अधिकारियों को उसे वितरित करने के आदेश जारी किए। परन्तु आज तक भी वे राशि अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों के लोगों को वितरित नहीं की गई। वहां की स्थिति यह है। इसीलिए मैंने सभा अपील में की है कि दलीय राजनीति से ऊपर उठकर इस

राष्ट्रीय समस्या के समाधान का यत्न करें। सभा को इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि स्वतंत्रता के 35 वर्ष के पश्चात् भी इन अत्याचारों के क्या कारण हैं तथा इस बारे में देश के राजनीतिक दल क्या योगदान दे रहे हैं। दलित, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के लोगों की रक्षा करना न केवल कांग्रेस (इ) का अपितु सभी राजनीतिक दलों का कर्त्तव्य है। हम यहां पर एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए नहीं हैं। जब कभी भी सभा में अनुसूचित जातियों की समस्या उठती है, विपक्ष इसे कांग्रेसी नेतृत्व के साथ जोड़ने की चेष्टा करता है। कांग्रेस (इ) का क्या दोष है। हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी जब सत्ता में नहीं थी तब भी उन्होंने बेलची की यात्रा की थी। परन्तु आपके प्रिय नेता चरण सिंह जो कि उस समय गृह मन्त्री थे कभी बेलची नहीं गए···।

श्री रामविलास पासवान : बेलची नामक हाथी कहां पर है ?

श्री अनन्त रामुलु मल्लु : श्री पासवान ने देवली का उल्लेख किया है। बेशक यह कांग्रेस (इ) शासित राज्य में है प्रधान मंत्री स्वयं उस स्थान पर गये। श्री नाडर, आप वहां जाकर स्वयं देखिए। तब आप समझ जायेंगे। मैं वहां गया···।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : वह वहां गये थे। हम देवली गये थे।

श्री अनन्त रामलु मल्लु : अतः मैं विपक्ष के नेताओं से अपील करता हूं कि इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करें तथा निर्णय लें आइए इस सभा में एकमत से निर्णय लें। कि किस प्रकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के हितों का संरक्षण किया जा सकता है तथा इस देश में अत्याचारों को कैसे रोका जा सकता है।

मैं गृह मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कृपापूर्वक राज्य सरकारों को अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन-जाति के हितों के संरक्षण के लिए लिखा। मुझे बताया गया है कि गृह मंत्री ने मार्च 1980 को सभी राज्यों के मुख्य-मंत्रियों को अर्द्ध-सरकारी पत्र लिखा था परन्तु दुर्भाग्य से अभी तक केवल 19 राज्यों ने अपने राज्यों में विशेष सेल गठित किये हैं। मैं नहीं समझता कि इस विशेष पहलु पर कोई समस्या है। मैं एक बार फिर गृह मंत्री से निवेदन करता हूं कि इस समस्या पर चर्चा करने के लिए एक सम्मेलन बुलायें तथा इस समस्या का स्थायी रूप से समाधान करें।

उन्होंने कृपापूर्वक राज्यों सरकारों को समुचित अनुदेश दिये थे कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के अधिकारियों को चुन उन्हें उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में मुख्य पदों पर नियुक्त किया जाये। इस अनुदेश के लिए मैं उनका अत्यन्त धन्यवादी हूं। आन्ध्र प्रदेश में जब कांग्रेस (इ) सत्ता में थी वहां पर 6-7 कलक्टर तथा 4-5 पुलिस अधीक्षक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के थे परन्तु जैसे ही तेलगु देशम सराकार सत्ता में आई उन्होंने तुरन्त अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को उन जिलों से स्थानान्तरित कर दिया···(**व्यवधान**) निःसन्देह यह बंगाल नहीं है।

[श्री अन्नत रामलु मल्लु]

महोदय यह सभी कुछ हो रहा है तथा मैं गृह मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि राज्य सरकारों को अनुदेश जारी करें कि केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों को सही रूप में लागू करें।

कुछ समय पूर्व राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किये गये थे कि इस समस्या का सामना करने के लिए विशेष न्यायालय गठित करें। मुझे यह बताते हुए गर्व है कि जब आन्ध्र प्रदेश में कांग्रेस (इ) सत्ता में थी हमने इन अत्याचारों पर निर्णय लेने के लिए 5 विशेष चल न्यायालय गठित किये थे, मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में भी उनका गठन किया गया है तथा मुझे बताया गया है कि वे कार्यरत हैं। मैं गृह मंत्री महोदय से अपील करता हूं कि सभी राज्य सरकारों को समुचित अनुदेश जारी करें कि न केवल 4-5 राज्यो में अपितु पूरे देश में विशेष चल न्यायालय गठित करें। मैं नहीं समझता इस समस्या पर भारत सरकार द्वारा निदेश जारी करने की आवश्यकता है।

मैं समझता हूं इस सभा को नागरिक अधिकारों पर फिर चर्चा करनी चाहिए। इस अधिनियम में क्या कमियां हैं तथा इन अत्याचारों के मामले में कितने लोग संबद्ध हैं जोकि बड़ी चतुरता से अधिनियम की पकड़ से बच जाते हैं। इस सब पर विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए। श्री पासवान ने इसका उल्लेख किया था। मुझे खुशी है कि कार्य करने का यह रचनात्मक तरीका है। मैं गृह मंत्री से सुझाव देता हूं तथा निवेदन करता हूं कि नागरिक अधिकारों पर विचार करने के लिए एक संयुक्त प्रवर समिति गठित करें ताकि अत्याचारों से सम्बद्ध व्यक्तियोंको दण्ड देने के लिए अधिकाधिक शक्तियां मिल सकें।

महोदय, हमने अस्पृश्यता अधिनियम बनाया है। परन्तु कितने मामले सामने आये तथा कितने प्रमाणित हो पाये। इस प्रकार आशा के अनुरूप मामले सिद्ध नहीं किये जा सके। बहुत से व्यक्ति इस विशेष अधिनियम के अधीन दण्ड से बच निकले। अतः मैं गृह मंत्री से अपील करता हूं कि इस विशेष पहलु पर भी विचार करें तथा नागरिक अधिकार अधिनियम तथा अस्पृश्यता अधिनियम के अधीन संयुक्त समिति गठित की जाये।

विधिक सहायता के मामले में भारत सरकार ने राज्य सरकारों को अनुदेश दिए हैं कि विधिक सहायता दी जाये। परन्तु दुर्भाग्य से कुछ मामलों में कानूनी सहायता दी गई तथा अन्यों में ऐसा नहीं किया गया। यदि विधिक सहायता दी भी गई तो योग्य एडवोकेट नहीं दिये गये। केवल कुछ कनिष्ठ एडवोकेट ही नियत किये गये जो कि इन विशेष मामलों की पैरवी नहीं कर पाते तथा अन्तनत अनुसूचित जाति के लोग मुकद्मे हार जाते। अतः इन विशेष मामलों में पक्का प्रबन्ध किये जाने की आवश्यकता है ताकि अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन- जातियों के लोगों की रक्षा हो सके।

अन्य समस्याओं के बारे में जब मेरे मित्र श्री पासवान लाइसेंस शुदा बंदूकों की चर्चा कर रहे थे, मैं गृह मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि देश में इन बंदूकों के लाइसेंस रद्द कर दें।

अन्यथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के लोगों को भी लाइसेंस दिये जायें। इसके साथ ही मैं सरकार को सुझाव देता हूं कि अनुसूचित जातियों/जन-जातियों को प्राशिक्षण दिया जाये तथा बना मूल्य बंदूके भी दी जायें।

देश में उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक व्यवस्था है। इस प्रयोजन के लिए औद्योगिक सुरक्षा बल है। इसलिए सरकार को पूरे देश में सभी राज्यों को एक ऐसा सुरक्षा बल प्रदान करने के प्रश्न पर क्यों विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों की रक्षा करने के लिए स्थानीय पुलिस आगे नहीं आती है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां अनुसूचित जाति के लोग स्थानीय डी०एस०पी० तक नहीं पहुंच पाते हैं। मंत्रालय इस प्रश्न पर विचार क्यों नहीं करता, कि अनुसूचित जाति के जो लोग अत्याचारों के शिकार होते हैं उनकी शिकायतों को सुनने के लिए अलग से अधिकारी नियुक्त किए जायें। इस बात पर सरकार को विचार करना चाहिए।

दूसरी समस्या यह है। हम मृत व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को सहायता देने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। जो लोग सरकार के अधीन विदेशों में काम कर रहे हैं उन्हें भी हम ऐसी सहायता देने पर विचार कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों को कुछ अन्य सुविधाएं देने पर भी विचार किया जा रहा है। राज्यों में जो लोग अत्याचार के शिकार होते हैं उन मृत व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को रोजगार देने के लिए भारत सरकार आगे क्यों नहीं आती? ऐसे लोगों को मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। इस समस्या पर मानवीय आधार पर विचार किया जाना चाहिए। जहां कहीं भी लोग अत्याचार के शिकार होते हैं और उन मामलों को प्रधान मंत्री के ध्यान में लाया जाता है तो वह ऐसे लोगों को प्रधान मंत्री राहत कोष से तुरन्त सहायता देती हैं। ऐसे मामलों पर सरकार को स्वयं ही विचार करना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनूसूचित जनजाति के लोगों की रक्षा के लिए संविधान में उपबंध है। और सरकार को मृत व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को मुआवजा और रोजगार देने के अपने दायित्व को पूरा करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सभी क्षेत्रों में इन लोगों पर अत्याचार किया जाना एक आम बात हो गई है। बेलची, देवली, पदरीकुप्पम या अन्य स्थानों पर जिन लोगों पर अत्याचार हुए हैं, उन्हें आप जानते हैं। एक दिन पहले भी हमने इसी प्रकार की मांग की थी और आज पुनः यह अनुरोध करता हूं कि इस मामले की छानबीन करने के लिए समिति नियुक्त की जाये। मैं कहां आन्ध्र प्रदेश का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा। संविधान के अनुछेद 36 से 51 के अन्तर्गत ऐसा उपबंध है जिसका मैं उद्धरण देना चाहूंगा :

> "राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे भरसक कार्यसाधक रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा।"

मैं आगे अनुच्छेद 46 का उद्धरण देता हूं :

> "राज्य जनता के दुर्बलतर वर्गों विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनु-

[श्री अजित कुमार साहा]

सूचित व आदिम जातियों के शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकारों के शोषण से उनका संरक्षण करेगा।"

महोदय, हरिजनों पर अत्याचार होने का मूल कारण शिक्षा का अभाव और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ापन है। अत: मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन तथ्यों पर विचार करके आवश्यक कार्यवाही करे। मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता और उपाध्यक्ष महोदय को समय देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

5.06 म० प०

(डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी पीठासीन हुई)

***श्री अजीत कुमार साहा** (विष्णुपुर) : सभापति महोदया, मैं आपकी अनुमति से बंगला भाषा में बोलना चाहता हूं। हरिजनों पर अत्याचार के विषय पर इस सभा में कई बार चर्चा हुई है। इन चर्चाओं का उत्तर देते हुए सरकार ने भी कई बार यह बताया है कि इन अत्याचारों के लिए वह क्या उपाय कर रही है लेकिन अनुभव यह बताता है कि अत्याचार रूकने के बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी घटनाओं के बारे में हम समाचार-पत्रों में पढ़ते रहते हैं लेकिन कई घटनाएं ऐसी हैं जो समाचार पत्रों में नहीं छपती हैं और उनके बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाती हैं। अब प्रश्न यह है कि ऐसी घटनाएं होती ही क्यों है। स्वतंत्रताप्राप्ति के पश्चात अब 37 वें वर्ष से गुजर रहे हैं और अब भी हम ऐसी घटनाओं को होते हुए देखते हैं। एक स्वतन्त्र देश में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं ? अब समय आ गया है जबकि हमें इस समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। यदि हम हरिजनों पर अत्याचार के प्रश्न की उपेक्षा करेंगे तो ऐसा समय आ जायेगा, जैसा कि श्री रामविलास पासवान ने कहा है, कि ये लोग एक मोड़ लेंगे और अपनी रक्षा के लिए संयुक्त रूप से संघर्ष करेंगे। मैं आशा करता हूं कि ये लोग एक दिन अवश्य ही संगठित होकर उठेंगे और जो अत्याचार तथा अन्याय इन पर किए जा रहे हैं उनके विरुद्ध एक जूट होकर संघर्ष करेंगे। सरकार ने इस दिशा में किए गए अनेक उपायों की चर्चा की है परन्तु हरिजनों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर ऐसे अत्याचार किए जाने का मूल कारण क्या है ? हमें उस मूल कारण तक पहुंचाना है। सरकार ने 20-सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में अनेक बातें कही हैं जैसे आदिवासी उपयोजना आदि। सरकार ने आदिवासी उपयोजना के लिए, निर्धन आदिवासी लोगों के उत्थान हेतु बजट में राशि का नियत न किया है। लेकिन हम नहीं जानते कि ऐसी उपयोजनाओं को कार्यरूप भी दिया जाता है या नहीं। क्या इन उपयोजनाओं का लाभ उन लोगों को मिल पाता है जिनके लिए ये बनी है ? आदिवासी उपयोजनाओं में आदिवासी लोगों के उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में कई बातों का उल्लेख किया गया है। इन उपयोजनाओं को अपने-अपने आदिवासी कल्याण विभागों के माध्यम से कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारो को दे दी गई है परन्तु राज्यों के आदिवासी कल्याण विभागों की स्थिति बड़ी ही दयनीय है। उस विभाग में केवल एक आदिवासी कल्याण अधिकारी होता है

* बंगला में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

और उस अकेले अधिकारी के लिए इस प्रयोजनार्थ नियत की गई कुल राशि के अनुपात में योजनाओं को कार्यान्वित करना सम्भव नहीं होता है। इन विभागों में कर्मचारियों के अभाव के कारण आदिवासी लोगों के लाभ के लिए आवंटित धनराशि का समुचित उपयोग नहीं हो पाता है। ये बेचारे केवल इस बात से ही सन्तुष्ट हो जाते हैं कि उनके कल्याण के लिए अमुक राशि का प्रावधान किया गया है। वे यह भी सुनते हैं कि विधान सभाओं में हम संसद सदस्यों या विधान सभा के सदस्यों ने आदिवासी उपयोजना में उनके कल्याण के लिए धनराशि आवंटित किए जाने के लिए भाषण दिये हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि इन आवंटित राशियों का लाभ उन्हें नही मिल पाया क्योंकि इन योजनाओं की क्रियान्विति ठीक से नहीं होती है। श्री रामविलास पासवान ने हरिजनों तथा अन्य दुर्बल वर्गों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में बहुत से आंकड़े दिये हैं इसलिए मैं उनको दुबारा दोहराना नहीं चाहता। मैं इन लोगों को जान से मारे जाने या इनके साथ बलात्कार किए जाने जैसे अत्याचारों के अतिरिक्त दूसरे प्रकार के अत्याचारों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। मैं अपने जिले बांकुरा, जो कि एक पिछड़ा हुआ जिला है, के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। दक्षिण बांकुरा में चेण्डापेयर नाम का एक स्थान है। इस पूरे क्षेत्र में अदिवासी जनजाति और सन्थाल लोग रहते हैं इस क्षेत्र में 'उल्फोर्म' नाम की एक खान है जिससे बहुत ही कीमती धातु निकलता है जिनका नाम टंगस्टन है। इस खान का एक स्वामित्व एक गैर-सरकारी व्यक्ति के हाथ में है। मजदूर और कर्मचारी जो अधिकांशतः आदिवासी हैं, इस कीमती धातु को इस गैर-सरकारी मालिक के लिए निकालते हैं। ये मालिक इससे बहुत अधिक मुनाफा कमा रहे हैं लेकिन क्या यह आप जानते हैं कि ये लोग श्रमिकों को किस दर से मजदूरी दे रहे हैं। चार वर्ष पूर्व पुरुष को केवल 1.50 रुपये तथा महिला श्रमिक को केवल 75 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दी जाती थी। जब श्रमिकों को रेडियों तथा अन्य माध्यमों से यह मालूम हुआ कि खान-मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जा रही है तो उन्होंने भी अपनी मजदूरी बढ़ाये जाने के लिए इन मालिकों से माँग की लेकिन उस खान के मालिकों ने उनकी मांगों कोअस्वी कार कर दिया और बेचारे मजदूर कुछ भी न कर पाये। इसी समय हम जैसे कुछ श्रमिक संघ नेता वहाँ पहुचे और वहां के मजदूरों को संघटित किया तथा उनकी उचित मांगों को मनवाने के लिए संघर्ष शुरू किया जिनके परिणामस्वरुप उनकी मजदूरी में वृद्धि हुई।

लेकिन इन बेचारे आदिवासियों के साथ उन मालिकों ने एक चाल खेली। उनको अधिक मजदूरी देने का वायदा तो किया परन्तु एक वर्ष तक लगभग 4 लाख रुपये के मूल्य का टंगस्टन खनिज पदार्थ वहां से निकलवाकर जुलाई, 1982 से वह खान बन्द कर दी। अब 400 या 500 मजदूर वहां बेकार हैं और उन्हे उनकी मजदूरी भी नहीं दी गई है। इस गरीब और दुर्बल वर्ग के मजदूरों पर यह एक अन्य प्रकार का अत्याचार किया जा रहा है। हमने केन्द्रीय सरकार को बताया है कि आप लोग 20 सूत्रीय कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों जो आदिवासियों के लिए हैं, के बारे में बहुत सी बातें कर रहे हैं। अब आपको इस खान को अपने हाथों में ले लेना चाहिए जिसमें कि केवल आदिवासी और जनजाति के लोग ही काम करते हैं। हमने श्रम मन्त्री से बातचीत की है। और इस खान को लेने का अनुरोध करते हुए माननीय प्रधान मन्त्री को भी ज्ञापन दिया है लेकिन इस दिशा में अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। आदिवासी और दुर्बल वर्ग

के लोग इस प्रकार के अत्याचार के शिकार हो रहे हैं। सरकार द्वारा इन लोगों को यह आश्वासन दिया था कि आमूलभूत भूमि सुधार किए जायेंगे लेकिन उस दिशा में भी कुछ नहीं किया गया। इसके विपरीत इन दुर्बल वर्ग के लोगों के पास जो थोड़ी बहुत जमीन थी वह भी जबरदस्ती उनसे छीन ली गई। अब जबकि ये गरीब लोग और आदिवासी लोग संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं और मिलजुल कर संयुक्त रूप से संघर्ष करने के लिए उठे हैं तो उन पर अन्य प्रकार के अत्याचार किए जा रहे हैं, जैसाकि हम बिहार में व्यापक रूप से देखते हैं। इन गरीब लोगों को भूमि तो आवंटित कर दी जाती है लेकिन जब वे भूमि का कब्जा लेने के लिए मौके पर जाते हैं तो बडे जमींदार उन पर 'भूमि सेना' के माध्यम से हमला करते हैं और इन लोगों को वहां से भगा दिया जाता है तथा इस प्रक्रिया में कुछ बेचारे तो मारे भी जाते हैं। सरकार भूमि सुधारों के बारे में लम्बी चौड़ी बातें करती है। लेकिन जिस व्यापक रूप से और जिस तरीके से भूमि सुधार किये जाने आवश्यक हैं और उस प्रकार से भूमि सुधार नहीं किये जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त ये आदिवासी और दुर्बल वर्ग के लोग आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछडे हुए लोग हैं। सरकार ने उन्हें कोई ऐसी सुविधा नहीं दी है जिससे कि वे अपनी मातृ भाषा में शिक्षा प्राप्त कर सकें। केवल पश्चिम बंगाल में वामपंथी संयुक्त मोर्चे की सरकार ने इस दिशा में कुछ कार्यवाही की है। पश्चिम बंगाल सरकार से आदिवासी लोगों की अलचीकी भाषा को मान्यता दी है। और प्राथमिक स्कूलों में इस भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई हैं ताकि आदिवासी और सन्थासी लोग अपनी मातृ भाषा में शिक्षा प्राप्त कर सकें। वहां इन लोगों को शिक्षित करने और उनमें लोकतांत्रिक चेतना जगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जहां कहीं भी इन लोगों में लोकतांत्रिक चेतना आ गई है वहीं उन पर अत्याचार होने बन्द हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में हरिजनों पर अत्याचारों की घटनाओं के बारे में हम बहुत कम सुनते हैं जबकि अन्य राज्यों में इस तरह की घटनायें प्रायः होती रहती हैं। कुछ दिन पहले इस सभा में माननीय श्री परमार ने, जो कांग्रेस (आई) के सदस्य हैं, सभा में यह मामला उठाने का प्रयास किया था कि उनके ही घर को आग लगाने की कोशिश की गई। उन्होंने इस मामले को उठाने का कई बार प्रयास किया परन्तु उन्हें यह मामला उठाने की अनुमति न दी गई। उन्हें ऐसा करने के उनके अधिकार से वंचित किया गया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने हरिजनों के विरुद्ध कुछ बातें कही थी। यदि किसी राज्य का राज्यपाल ही हरिजनों के विरूद्ध इस प्रकार की बातें कहता है तो इनके अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? जिस व्यक्ति को उनके अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है वही उनके विरुद्ध बोलता है। यह बहुत ही दुर्भाग्य पूर्ण बात है। इन लोगों पर अत्याचार होने की समस्या से निपटने के लिए हमें भूमि-सुधारों को शीघ्रता से लागू करना होगा चूंकि मूल समस्या यही है। इन लोगों को ऐसी सुविधा दी जानी चाहिए जिससे ये अपनी मातृ-भाषा में शिक्षा प्राप्त कर सकें और जिससे ये लोग संगठित हो सकें तथा अत्याचार करने वालों के विरुद्ध एकजूट होकर संघर्ष कर सकें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि इन लोगों को ऐसी सुविधायें दी गई तो ये लोग परस्पर संगठित हो सकेंगे और अत्याचारों और अन्याय के विरुद्ध लड़ सकेंगे।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : (हाथरस) परम आदरणीय सभापति जी, इस सदन में देश के उन करोड़ों-करोड़ अछूत कहे जाने वाले लोगों पर जुल्म तथा अत्याचारों के सम्बन्ध में चर्चा हो रही है। सन् 1971 से जबसे कि मैं इस सदन में आया हूं तबसे अब तक मैं समझता हूं अनेकों बार इस सम्बन्ध में चर्चा हुई है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे-जैसे दवा की जा रही है वैसे-वैसे मर्ज बढ़ता जा रहा है। मैं सदियों, वर्षों या महिनों की बात नहीं कहता, इसी मार्च के महीने में चार-पांच ऐसी दुःखद घटनाऐं हुई हैं शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों पर कि जिनको सुन कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मानवता का सिर शर्म से झुक जाता है। हम अभी तक इस बात को नहीं समझ पाए हैं कि इसकी जड़ में क्या चीज हैं। (व्यवधान) जहां तक मेरा अपना खयाल है, आजादी से पहले क्या होता था उसमें मैं नहीं जाना चाहता, आजादी के बाद, जब यह देश कांग्रेस के नेतृत्व में आजाद हो गया तो इस देश में हम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना चाहते थे और धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद जैसे महान सिद्धांतों को हमने अपनाया, हमारी सरकार ने और हमारे कर्णधारों ने इन महान सिद्धांतों को अपनाया तो स्वाभाविक था इस देश के कुछ दकियानूसी विचारधारा के लोगों को, कुछ धर्म के ठेकेदारों को यह अच्छा नहीं लगा और हजारों सालों से जिनको बहुत चाण्डाल और शूद्र कहा जाता था, जिनको जरखरीद गुलाम माना जाता था उनको भी आजादी के बाद हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका दिया—शिक्षा, उद्योग सभी क्षेत्रों में उनको बराबरी का अधिकार सरकार ने दिया तो उन लोगों को बुरा लगा। परिणाम स्वरूप आज हम देख रहे हैं कि किसी न किसी रूप में वे चाहे भूपति हों या बड़े उद्योगपति हों या धर्म के ठेकेदार हों, जो भी सबल वर्ग के लोग हैं जो हमेशा इन लोगों से गुलामी और बेगार करवाते थे वे आज भी इन लोगों पर जुल्म और अत्याचार कर रहे हैं।

सभापति जी, सबसे पहले तो मुझे इस शब्द "हरिजन" पर ही आपत्ति है हालांकि यह शब्द सरकार द्वारा प्रतिपादित नहीं है। हमारे पूज्य बापू महात्मा गांधी ने इसलिए यह शब्द दिया था कि लोग इनको भगवान का बेटा समझ कर समानता का अधिकार देंगे, लेकिन आज उसके बिल्कुल उल्टा हो रहा है। आज हरिजन को हजारों में भी पहचान लिया जाता है। हालांकि सरकार ने इस शब्द को मान्यता नहीं दी है लेकिन फिर भी हम देखते हैं राज्यों में हरिजन कल्याण निदेशालय, हरिजन समाज कल्याण निदेशालय खुले हुए हैं और जिलों में हरिजन कल्याण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। मैं समझता हूं सरकारी स्तर पर इस प्रकार से इस शब्द को इस्तेमाल किया जाए यह उचित नहीं है और इसको रोकना चाहिए (व्यवधान) मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि इस शब्द को गढ़ने के पीछे बापू जी की भावनायें बहुत अच्छी थीं लेकिन चूंकि आज इसका दुरुपयोग किया जा रहा है इसलिए इस पर रोक लगाना आवश्यक है।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार में बड़े-बड़े जमींदारों ने भूमि सेना की एक आर्गेनिजेशन खड़ी कर रखी है। जिसका काम यह है कि जो भूमिहीन लोग हैं, मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, अछूत लोग हैं, शैड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब के लोग हैं, इन लोगों को मारना-पीटना। ये लोग खेतों में काम करने जाते हैं और ये भूमि के बंटवारे की बात करते हैं तो इनको गोलियों से भून दिया जाता है। उनके घरों को जला दिया जाता है। उनकी स्त्रियों, माताओं और बहनों को बेइज्जत किया जाता है। इसलिए मेरा गृह मंत्री जी से निवेदन है कि बिहार में जिस तरह से भूमि सेना का

[श्री चन्द्रपाल शैलानी]

इलाज नहीं किया गया तो यह बहुत बड़ी समस्या बनकर खड़ी हो जाएगी। इसका हल क्या हो सकता है, यह तो आप ही जानते हैं, क्योंकि इन लोगों की रक्षा करने का काम आपके जिम्मे है। मुझे यह भी भय है कि भूमि सेना के लोग बिहार की सीमा को लांघ कर दूसरे राज्यों में भी जायेंगे और वहां भी इस प्रकार की स्थिति पैदा करने की कोशिश करेंगे।

दूसरी बात, सरकारी दफ्तरों में भी छूआछूत की बीमारी कम नहीं है। मेरा सरकार से निवेदन है कि यदि किसी भी सरकारी दफ्तर में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोगों की ओर शिकायत आए तो उस पर आपको तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए। बड़े-बड़े शहरों में, जैसे दिल्ली और राज्य की राजधानियों में किसी हद तक लोग समझदार हैं। लेकिन देहात में जहां पर भी बी. डी. ओ और तहसीलदार के दफ्तर हैं इन छोटी-छोटी जगहों पर यह बीमारी भयंकर में विराजमान है। जिसके शिकार अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग होते हैं। इसका भी रूप आपके द्वारा इलाज किया जाना चाहिए।

मुझे भूमि सुधार के विषय में कुछ नहीं कहना है, क्योंकि कह-कह कर बहुत कह चुके हैं, लेकिन अभी तक इस दिशा की ओर कोई कदम नहीं उठाया गया है। मेरा विचार है कि जब तक सही मायनों में भूमि सुधार नहीं होगा, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। एक आदमी के पास बीस हजार एकड़ जमीन है और एक आदमी के पास एक इंच भी जमीन नहीं है। यह इतनी बड़ी असमानता है, जिसको दूर करना चाहिए। यदि इस ओर अब भी ध्यान नहीं दिया गया तो ये जुल्म और अत्याचार दिन-प्रति-दिन बढ़ते जाएंगे। हालांकि हमारी नेता, श्रीमती इंदिरा गांधी और उससे पहले स्व० पंडित जवाहर लाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री आदि नेताओं ने भी इन कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए, इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये बहुत कुछ काम किया है। और आज भी किया जा रहा है। फिर भी हम देखते हैं कि जब आर्थिक स्थिति नहीं सुधरती है, तो हमारी महान नेता ने नए सिरे से बीस सूत्री कार्यक्रम का सृजन किया। इस नए बीस सूत्री कार्यक्रम के द्वारा भी जितना लाभ इन लोगों को पहुंचना चाहिए था, वह नहीं पहुंच पा रहा है। मैं आपको एक छोटी-सी घटना बताता हूं। आज भी बैंकों के दरवाजों पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग खड़े रहते हैं, खड़े हुए उनको महीनों गुजर जाते हैं, लेकिन उनको किसी भी कार्यक्रम के अन्दर किसी भी प्रकार का लोन नहीं दिया जाता है। उनको उद्योग लगाने के लिए पैसा नहीं दिया मेरे क्षेत्र के लोगों ने कहा है कि उनको लोन नहीं दिया जा रहा है। आफिसर बैंकों में बैठे हुए हैं, कहते हैं कि तुम शूद्र हो, तुम्हारा काम गुलामी करना है, गुलामी करो। बनने चले हो उद्योगपति। मैं चाहता हूं कि इसकी गम्भीर रूप से जांच की जानी चाहिए। इस बीस सूत्री कार्यक्रम से टाटा-बिरला को फायदा नहीं होने वाला है, इसका फायदा कमजोर वर्ग के लोगों को होगा।

मैं आपको एक यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि रेडियो और दूरदर्शन पर जिस तरह से हम सद्भावना के प्रचार करते हैं, उसी तरह से इन जातियों पर जो जुल्म होते हैं, उनको जिन्दा जलाया जाता है, इस प्रकार की घटनाओं का रेडियो और दूरदर्शन पर प्रचार करना चाहिए, कम से कम 24 घण्टे में पांच मिनट का समय इसको भी दिया जाना चाहिए।

इन लोगों के साथ अगर कोई ज्यादती करेगा, अत्याचार करेगा, तो उसको भयंकर परिणाम भुगतने होंगे ।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं—मैं 1971 से मांग करता आ रहा हूं—इस देश में मुर्गी पालन के लिए, पशु पालन के लिए, सूअर पालन के लिए मंत्रालय बने हुए हैं लेकिन इस देश के करड़ों शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स की समस्याओं के समाधान के लिए कोई अलग मंत्रालय नहीं है । मैं चाहता हूं कि इनके लिए अलग से मंत्रालय हो, जिसका काम यह हो कि वह देखे कि कहीं उनके ऊपर जुल्म तो नहीं हो रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनकी शिक्षा की स्थिति क्या है, उनकी नौकरियों की क्या स्थिति है । वे सारी चीजें जो उनके साथ सम्बन्ध रखती है वह मंत्रालय देखे । मुझे पूरा विश्वास है—हमारे माननीय विद्वान गृह मंत्री जी जब इस डिबेट का जबाब देंगे, वे निश्चित रूप से इस बात की घोषणा करेंगे कि इह देश के करोड़ों शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों की समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार उनके लिए एक अलग मंत्रालय की स्थापना करेगी ।

श्री मनीराम बागडी (हिसार) : सभापति जी, जब कोई चर्चा चलती है तो उससे कुछ न कुछ ज्ञान लाभ और कुछ क्षणों के लिए मन का दुख मिट जाता है । यह हजारों साल पुरानी बीमारी है; सैकड़ों सालों की अंग्रेजों की गुलामी का कोढ़ है और आजादी के जमाने से लेकर आज तक तो यह कैन्सर बन गया है—अब इसका इलाज हो ही जाना चाहिए । कुछ साथियों को भय है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो हरिजन अलग हो जायेंगे । महात्मा गांधी, डाक्टर अम्बेदकर और डाक्टर लोहिया आज इस संसार में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपने कुछ चिह्न छोड़े हैं, कहीं-कहीं चिन्गारी सुलग रहीं है और कहीं-कहीं छोटी-छोटी रोशनी नजर आ रही है, हम लोग अपना रास्ता उनसे तलाश कर लेते हैं, उससे अपने स्वार्थ को पूरा कर लेते हैं, लेकिन जहां अपने स्वार्थ को चोट लगती है वहां उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं । मैं आज उनको नमस्कार करता हूं—उन्होंने इस ज्वाला को, इस रोशनी को इस देश में फैलाने की कोशिश की थी ।

यह शासन समाज का प्रतीक है और समाज शासन का प्रतीक है । पार्टी, समाज, सरकार, देश इनमें बहुत अन्तर नहीं हो सकता है, सब एक दूसरे से ओतप्रोत हैं । लेकिन भारत के गरीब अछूत, हरिजनों का यह समाज बुनियादी तौर पर दुश्मन रहा है और सरकार समाज के साथ रही है । अगर कहीं दया से कोई काम हो जाय तो दुसरी बात है, लेकिन अपने तौर से इस समाज और सरकार की यह इच्छा नहीं हुई कि उनको समानता व मानवता का दर्जा दिया जाय । मानवता और बराबरी तो बहुत बड़ी चीज है, पशुओं जितना दर्जा भी मिले, उसके योग्य भी नहीं समझा गया । उनका कोई अधिकार, कोई हक नहीं माना गया । भारत का बंटवारा हुआ, कितने लोग पाकिस्तान से यहां आये, आज उनकी हालत क्या है—बहुत बेहतर हालत है, लेकिन जो हजारों सालों के दबाये हुए थे बद से भी बदतर है । इस जड़ को पकड़िये । नहीं चाहते हैं लोग । कैनाट प्लेस में कौन बसता है । राम विलास भाई कहते हैं कि किनारे बस जाएंगे । ऐसी मांग करते हैं । आप को कैनाट प्लेस में किस ने बसने दिया है । आज ये लोग कहां बस रहे हैं । जहां गांधी वाल्मीकि बस्ती में रहते थे, तो उसको उठाकर यमुना पार फैंक दिया और वहां कोठी आ गई, तो

और आगे फेंक देंगे। हर गांव में, हर शहर में और हर अच्छी जगह पर अच्छे आदमी रहेंगे और देवता रहेंगे। कि इस देश के अन्दर वे लोग जिनकी हैसियत पशु से बदतर है, उनको रहने की जगह कहां है। आप यह गत समझना कि जनता पार्टी दोषी थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी शुद्ध है और कांग्रेस पार्टी दोषी थी, इसलिए जनता पार्टी शुद्ध है। क्या ये पार्टियां हैं ? इधर का कचूमर उधर और उधर का कचूमर इधर। ये क्या पार्टियां हैं। हिन्दुस्तान में एक करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि हिन्दुस्तान में शोषण को, जुल्म को, हिन्दुस्तान में अन्याय को, हिन्दुस्तान में पाप को बल देते हैं और वही कारण है कि देश कमजोर होता है। जब ऐयाशी और बदमाशी होती है, तो देश का गरीब लुटता है और जब देश पर संकट आता है, तो ये लोग दूर भागते हैं और हिन्दुस्तान गुलाम होता है। यह कहते हैं कि काश, कभी वह दिन आ आए, काश वह दिन आ जाए, ऐसा दिन नहीं कि हरिजनों के बड़ों को मारो दो, तो फिर हरिजनों की तबियत करे कि बड़ों से मुकाबला नहीं तो उसके बच्चों को मार आओ। वे तो दोनों शूद्र हैं। ऐसा दिन भी न आए और भिंडरावाला जैसा दिन भी न आए इस देश के अन्दर कि भाई कन्हैया को मारने वाला आदमी भाई कन्हैया के उसूलों के विपरीत चले और ऐसा नहीं कि रामायण में अगर लिख दिया गया :

चाहे विप्र हो गुणहीना चाहे शूद्र हो ज्ञान परवीना
कहू धर्म नहीं जग दूजा करहू विप्र पद पंकज पूजा ।।

अगर यह ऐसे हो जाए, तो ठीक होगा :

चाहे शुद्ध हो गुणहीना चाहे विप्र हो ज्ञान परवीना
एकहू धर्म नहीं जग दूजा करहू शूद्र पद पंकज पूजा ।

राष्ट्र का कौन सा फायदा है, इन्सानियत और मानवता का कौन सा फायदा है। मैं तो कहूंगा कि आग लगे, आग जले और आग उठे, जिसके अन्दर यह असमानता जल जाए। मुर्गी पालन, सुअर पालन की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि बुनियाद को पकड़ो। मैं अपनी सोचता हूं। मेरे बाद मेरा कुनबा, उसका क्या हो, मेरे बाद मेरा लड़का, उसका क्या हो, मेरे बाद मेरी लड़की उसका क्या हो और लड़के-लड़की से दूर जाऊं, तो फिर परिवार और दोस्तों का क्या हो। हिन्दुस्तान में ऐसे बहुत कम लोग होंगे, जो ऐसा न सोचते हों। कम-से-कम मैं तो पूर्ण नहीं हूं, कुछ लोग पूर्ण होंगे। आज जिन लोगों की चर्चा हम करते हैं, उनमें से कुछ लोग जीवित होते या उनका कुछ अंश जीवित होता, तो कुछ हो सकता था। आज तो यह होता है कि सरकार चले कैसे, सरकार टूटे कैसे, सरकार दोषी कैसे हो, सरकार गुणी कैसे हो। आज यहीं बैठकर बातें करते हैं लेकिन आज कहीं कोई है गांधी जी की तरह जोकि नवाखाली के अंदर आग लगी, तो वे गए थे। आज कोई इस तरह से जाने वाला है। गुजरात के अन्दर आग लग रही थी और गुजरात के अन्दर केंद्र का शासन था लेकिन हिम्मत नहीं होती थी जो कह देते कि शासन को बर्खास्त करो।

जब हिन्दू-मुस्लिम विवाद हुआ, उस वक्त गोपी चन्द भार्गव जिन्दा थे। गोपी चन्द भार्गव से बड़ा गांधीवादी कोई नहीं था। जब गाँधी जी को मारा गया तो वह पंजाब के शासन में था। उसने कहा कि गाँधी के मारने वाले पर धिक्कार है। वह दो मिनट में भागा हुआ आया। कहां है वे लोग ? कहां हैं डा० अम्बेदकर, कहां हैं डा० लोहिया, कहां हैं जयप्रकाश नारायण ? कहां है

ऐसे शक्तिशाली आदमी ? आज तो ऐसे शक्तिशाली आदमी हैं जो रुपयों में, नोटों में और वोटों में तुलेंगे। फिर उनके हाथियों से जुलूस निकलेंगे, जय-जयकार होंगे। उनके ही नहीं तीन पुस्तों तक जयजयकार होंगे। लेकिन आज कानून की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। समाज के अन्दर प्रतिभाशाली कोई नहीं है जो बिना हथियारों के जुल्म के खिलाफ बात कर सके। कोई है ऐसा राष्ट्र का नेता ? कोई नहीं है।

इसका इलाज कुछ नहीं है। इसका इलाज यह नहीं है कि हर दबी जबान में बात करें। राम विलास जी अगर दबी जबान में हम हरिजनों की बात करते हैं, मन में डा० अम्बेदकर का नाम बोलते हैं और ऊपर से हेअर-हेअर कहते हैं तो बात नहीं बन सकती। जब हिन्दुस्तान के हर हरिजन की आत्मा उठेगी, जब हिन्दुस्तान के करोड़ों हरिजन उठेंगे तब इसका इलाज होगा। गांधी जी ने जो ज्योति जलाई थी, वह ज्योति पंडित जवाहर लाल नेहरू के राज में भी थी क्योंकि उस वक्त भी कांग्रेस वालों में हिम्मत थी उस वक्त जो जुल्म होता था उसके खिलाफ वे बोलते थे। लेकिन आज प्रोफेसर रंगा भी हेअर-हेअर के सिवाय और कुछ नहीं बोल सकते। कमलापति जी भी बिचारे वहां उठकर जा सकते हैं। हम लोग भी लावारिस हैं, हमारा ग्रुप भी लावारिस है। आज सच बात और अक्ल की बात कहने वाला कहां है। आज हम गांधी जी की बस्ती जमनापार ले जायेंगे।

मैं हिन्दू और सिख की लड़ाई नहीं चाहता, मैं हिन्दू और मुसलमान की लड़ाई नहीं चाहता। लड़ाई में कौन मरेगा ? कम्बख्त मजहबी। मजहबी कौन, निहंग। निहंग कौन, मजहबी। पानीपत में कौन मरेगा, मजहबी। कौन मरेगा ? औरत मरेगी, अबला नारी मरेगी, बच्चे-बच्चियां मरेंगी। तो सेठी साहब यह आपके बस की बात नहीं है। यह समाज का दोष है आप इसको 30-35 साल में दूर नहीं कर पाये, न कर पाओगे। क्योंकि यह एक समाज का प्रतिबिम्ब हैं। जैसे सूरज का प्रतिबिम्ब पानी में पड़ता है, उसी तरीके से समाज पर समाज के करोड़ों लोगों का, करोड़ों ऊंचे लोगों का प्रतिबिम्ब पड़ता है। उन ऊंचे प्रतिष्ठावान लोगों के प्रतीक हम हो गये हैं। एक चन्द्रपाल शैलानी बिचारा डा० अम्बेदकर के रिजर्वेशन के आधार पर और किसी पार्टी के टिकट-विकट के आधार पर जीत कर आ जायेगा। चौधरी सुन्दर सिंह जैसे आदमी के मन के अन्दर तो आग लगी हुई है लेकिन बिचारा चुप बैठा हुआ है।

मैं कहता हूं कि आज हम अपने अन्दर से कमजोरी निकालें और देश के शोषितों, पीड़ितों, हरिजनों के दिमाग के अन्दर जुल्म के खिलाफ विद्रोह करने की आग लगाएं। वे किसी को मारें या कत्ल न करें। गांधी जी और डा० लोहिया के यह उद्देश्य नहीं थे। गांधी जी ने भूख-हड़ताल की, मरण व्रत किया। उनकी जान को बचाने के लिए डा० अम्बेदकर जैसे सिद्धान्तवादी नेता ने अपने सिद्धान्तों को भी दाव पर लगाया। उन्होंने बापू से कहा कि क्या ये फौरन लोग अछूतों को बड़े लोगों से दूध और शक्कर, या शक्कर और पानी की तरह मिला सकेंगे ?

आज कहां हैं वे लोग जो** यह पूछ लें कि तुम** मंत्री हो, तुमने

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री मनी राम बागड़ी]

हरिजन का मकान क्यों छीना ? हरियाणा के अन्दर एक हरिजन औरत को उसके बेटे के साथ नंगा रात को हवालात में बन्द रखा गया। उस साजिश में एक मंत्री भी शामिल था। यह कहां गई मानवता ? यह अखबार है जिसके अन्दर लिखा है कि 8 से 12-14 वर्ष तक की बच्चे-बच्चियों को बेचा जाता है। बेचने वालों के अड्डे हैं। क्या हम पांच-सात सौ आदमी यह मानकर नहीं चल सकते कि मेरा अपना लड़का, मेरा लड़का नहीं है, बल्कि सारा राष्ट्र मेरा है ? अगर हम, इंदिरा जी यह मान लें कि राजीव ही मेरा बेटा नहीं है, ये बच्चे-बच्चियां भी मेरे हैं तो इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। अगर हम यह मान लें कि सारा राष्ट्र हमारा अपना है तो इस मर्ज का कुछ फैसला हो जाए।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : बागड़ी की जाति-पांत के सवाल का ड्रामा कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उनकी बिरादरी के लोग ही इस तरह का व्यवहार करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों का उन्होंने समाज से बहिष्कार किया है ?

कितने लोगों के खिलाफ आपने बगावत की है, कितने लोगों के खिलाफ आपने जेहाद छेड़ी है। इसका क्या जवाब है आपके पास ?

श्री मनीराम बागड़ी : आप ठीक कहते हैं। अगर जुल्म करने वालों के भरोसे जिन्दा हैं तो डा० अम्बेडकर, गांधी और लोहिया को आपने पढ़ा ही नहीं। आप तो इधर से उधर चले गये हैं इसलिए आपका बोलना जरूरी है। नहीं तो लोग समझेंगे कि हमसे मिला हुआ है। (व्यवधान)

श्री चन्द्रपाल शैलानी : मैं कभी चौधरी साहब के दरवाजे पर टिकट मांगने नहीं गया और न ही चौधरी साहब कभी मेरे क्षेत्र में आये हैं। मैं अपनी टिकट पर जीतकर आया हूं। (व्यवधान)

श्री मनीरम बागड़ी : मेरी बिरादरी कौन-सी है। मेरी बिरादरी गांधी जी की बिरादरी है। अगर मैं आदमी हूं। मैं इन्सान हूं तो मेरी बिरादरी डा० अम्बेडकर और लोहिया की बिरादरी है। अगर मैं नहीं हूं तो मैं भी पापी हूं और सबसे ज्यादा पापी हूं। मेरी कोई बिरादरी नहीं है, मेरी राष्ट्र बिरादरी है। अगर मेरी कथनी और करनी में फर्क है तो गृह मंत्री महोदय ऐसे संसद सदस्यों के दो-चार के खिलाफ कम से कम मुकदमा दायर कर दें कानून के मुताबिक। कम से कम उनकी पकड़-धकड़ करनी चाहिए। ये **मिश्र, ये **शर्मा जी···।

सभापति महोदया : जो इस सदन का सदस्य नहीं है, उनका नाम मत लीजिए। (व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : आकाशवाणी से यह जो मिश्र, शर्मा, पंडित ये जो नाम हैं, इनको तो आप कम से कम हटा दें। ये प्रचार तो कम से कम खत्म हो। कहीं तो इस वर्ण व्यवस्था को तोड़ने की शुरुआत करिए।

गरीबी मिटाने का तो लम्बा सिलसिला है। बहन जी बैठी हैं इसलिए डरना पड़ता है। इसलिए मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि इसका कोई हल निकालिए। बाकी बीस सूत्रीय कार्यक्रम से क्या होने वाला है। सूत्र तो बस दो ही हैं, इंदिरा जी और राजीव जी, बाकी तो सब जीरो हैं।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया गया।

श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : सभापति महोदय, हरिजनों के बारे में बहस हो रही है। देश में उन पर अन्याय हो रहा है। यह बड़ा गम्भीर मामला है। हम माननीय सदस्य यहाँ पर बैठकर इस पर चर्चा कर रहे हैं। मैं यह समझता हूं कि जहां तक देश की आर्थिक स्थिति का सवाल है, आर्थिक स्थिति इससे जुड़ी हुई है। हिन्दुस्तान आजाद हुआ। हिन्दुस्तान के हरिजन और गरीब लोग सुख की साँस ले रहे हैं। आज उनमें पढ़े-लिखे लोग भी आगे आये हैं और समाज के प्रति उनकी वफादारी पर भी कोई शक नहीं कर सकता है। समाज के लिए उन्होंने काम किया है। डा० अम्बेडकर यहां मंत्री भी बने और उन्होंने हरिजनों को मार्गदर्शन दिया।

इसी प्रकार महात्मा गांधी जी ने भी हरिजनों और गरीबों को उठाने की बात की थी। आज, हरिजन ही गरीब नहीं हैं बल्कि पण्डित, राजपूत तथा दूसरी जाति के लोग भी गरीब हैं। आज समाज दो वर्गों में बंटा हुआ है। एक अमीर हैं और दूसरे गरीब हैं। यह सही है कि हिन्दुस्तान में बहुत ज्यादा गरीबी है। पानी पीने के बारे में जो कुछ यहां अभी कहा गया है, मैं समझता हूं आज के समय में ऐसा नही होना चाहिए। अगर होता है तो बहुत बुरी बात है।

श्री राम विलास पासवान : होम मिनिस्ट्री पर बोल रहे हैं या शेड्यूल्ड कास्ट्स की एट्रोसिटीज पर बोल रहे हैं। यह मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

सभापति महोदया : इसको पाइन्ट आफ आर्डर नहीं माना जा सकता।

श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी : यहां पर कुछ सदस्यों ने हरिजनों के कत्ल की बात की है। मैं पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कितने केसेज दर्ज कराए हैं ? सासाराम की बात यहां पर कही गई। वह हमारी रिजर्व्ड कास्टीच्युएन्सी है। जब इन्दिरा जी और राजीव जी को दो सूत्री प्रोग्राम बताया तो उस वक्त क्यों नहीं पाइन्ट आफ आर्डर उठाया ? भिण्डरावाले की बात भी यहाँ पर कही गई। मैं कह सकता हूं कि कोई हरिजन आपकी बात में नहीं आयेगा। जो इस मुल्क को बेदर्दी के साथ तबाह करना चाहता है, उसको हरिजन कैसे मान सकते हैं ? अगर हमारी पार्टी न होती तो आज हमें इस सदन में आने का मौका नहीं मिलता।''' (व्यवधान) हमारे पहाड़ी क्षेत्र में सभी हरिजनों को जमीनें दे दी गई हैं।

दूसरी जाति के ब्राह्मण या राजपूत हैं, उनको भी जमीन लेने का अधिकार होना चाहिये। हमारी सरकार हमेशा यही कहती है कि हरिजनों पर ज्यादती नहीं होनी चाहिये। हमारी सरकार जितनी हरिजनों की मदद कर सकती है, उतनी कोई और सरकार नहीं कर सकती। आई. ए. एस., आई. पी. एस. या दूसरी जितनी भी कैटेगिरी है, उसमें भी हरिजनों को हिस्सा मिलना चाहिये। पढ़े-लिखे लोगों के सामने जात-बिरादरी का कोई मतलब नहीं होता। जात-बिरादरी तब पैदा होती है जब कोई आदमी मूर्ख-मण्डल में शामिल हो जाता है। इन्सान के नाते हम समाज में पैदा हुए हैं, इन्सान के नाते ही हमें देश में काम करना है। अगर हम जात-बिरादरी में बंटें रहे, जिस तरह से ये पार्टियां विभाजित करती हैं, इनकी भी 18 कौम हैं। पता नहीं यह कौन-सी कौम है सवेरे हमारे खिलाफ इकट्ठी हो जाती हैं लेकिन बाहर इनकी कौमें बन जाती हैं।

अगर हमें देश को आगे ले जाना है तो उस तरफ के हमारे साथी, जो माननीय नेता बैठे

[श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी]

हैं, उनको भी यह बात सोचनी है कि देश में अगर कौमों को बढ़ावा देंगे तो ये बढ़ेंगी इसलिए हमें यह बात उठानी चाहिए कि जहां जुल्म होता है, उसके मुकाबले में हमको लड़ना है लेकिन इस तरह नहीं कि कृपाणों से, जिस तरह उन्होंने कहा कि भिण्डरावाला बन जायेंगे। यह बात नहीं है।

पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दूसरी जगहों की हालत अगर खराब है तो यही वजह है। हरिजन और गिरिजनों के नाम पर आज एक सीधा कानून बना दिया है, उनको आइडिसन्टीफाई कर दिया है कि गरीबी की रेखा से कितने आदमी नीचे हैं, विकास खण्डों में काम चल रहा है। सरकार पता लगा रही है कि कितने आदमी गरीबी की रेखा के नीचे हैं। उनमें जो हमने टारगैट बनाए हैं, उनका एचीवमैन्ट करना है। मैं यह कहना चाहूंगा कि टारगैट पूरा होना चाहिए। जहां कहीं जुल्म होता है, उसके खिलाफ हमारी गवर्नमैंट कभी नहीं कहती कि जुल्म होना चाहिए।

हमारे सेठी जी जैसे आदमी, जो बहुत समझदार हैं, जिन्होंने बुनियादी तौर पर काम किया है, नीचे से लेकर ऊपर तक आज होम मिनिस्टर के पद पर हैं, मैं उनसे आशा करता हूं कि हरिजनों पर ज्यादती का मौका नहीं देंगे।

ये 18 कौमों के आदमी यहां इकट्ठे हुए हैं, 18 पार्टियां बनी हुई हैं, कोई कलकत्ता की बात करता है तो कोई बम्बई की। इस देश को एकता के रूप में रखने के लिए यह जरूरी है कि जहां-जहां ज्यादती होती है, उसका समाधान हो और गरीब आदमियों पर अत्याचार न हों।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री सूरजभान (अम्बाला) : सभापति महोदय, हिन्दुस्तान के करोड़ों हरिजन इन अत्याचारों के कारण आज अपनी जबान से कह रहे हैं—

गुनाहगारों में शामिल हैं, गुनाहों से नहीं वाकिफ,
सजा तो जानते हैं, पर खुदा जाने खता क्या है ?

मैं कह रहा हूं—

जब कभी बिकता है बाजार में मजदूरों का गोश्त
और शाह राहों पर गरीबों का लहू बहता है,
इक हूक सी उठती है मेरे दिल में ऐ दोस्त,
और मेरा दिल मेरे काबू में नहीं रहता है।

एट्रासिटीज की डैफीनिशन क्या है, यह तो आज तक डिफाइन नहीं किया गया है। अत्याचार की परिभाषा क्या है ? पहला अत्याचार तो यह सदन हमारे ऊपर कर रहा है। इस मजमून पर बहस करने के लिए भी हमें झगड़ा करना पड़ता है। झगड़े के बिना इस पर बहस भी नहीं होती। जिस दिन से यह सरकार बनी है, शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के कमिश्नर

की रिपोर्ट पर बहस नहीं हुई है, क्या यह कम अत्याचार है ?

बाबा साहिब स्वर्गीय डा० अम्बेडकर ने विधान के आर्टिकल 338 के मुताबिक लिखा था—

"अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।"

उसका डैजिगनेशन था कमिश्नर फार शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब्ज। पहला अत्याचार हुआ, उसके दफ्तर सभी स्टेट्स में थे, वह बिल्कुल एवालिश कर दिए गए। दिल्ली में अब एक दफ्तर रह गया है। उसके बाद अब एक पोस्ट रह गई है वह भी 3 साल से खाली है, कोई कमिश्नर उस पर नहीं आया है।

उसके बाद देखिये बाबा साहब ने आर्टिक 335 में लिखा—

"पदों और सेवाओं में आरक्षण किया जाएगा।"

उस पर अमल करने के लिए इस सरकार ने आज तक कोई कानून नहीं बनाया है जिसके कारण कुछ भी इम्पलीमैंटेशन नहीं हुआ है। इससे बड़ा अत्याचार और क्या होगा ? इसको अगर आप दूर करना चाहते हैं तो आपकी नियत का पता लग जाएगा अगली 6 अप्रैल को। उस दिन मेरा एक बिल है सर्विसेज में रिजर्वेशन को इम्पलीमैंट करने के लिये। यह प्राइवेट मेम्बरी बिल है, इस पर डिस्कशन शुरू हो चुका है कि उसके लिए एक्ट बने। मैं देखता हूं कि उसको आप मानते हैं या नहीं ?

6.00 म० प०

इससे पता चल जाएगा कि सरकार अत्याचारों को रोकना चाहती है या नहीं।

1982 में 5201 एट्रासिटीज हुई और 1983 में—ये अधूरे आंकड़े हैं, क्योंकि कुछ स्टेट्स से इनफर्मेशन नहीं आई—5177 एट्रासिटीज हुई। पिछले साल—ये आंकड़े भी लगभग आठ, नौ महीनों के हैं—557 हरिजन और आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, 487 हरिजन आदिवासियों का कत्ल हुआ और 1356 हरिजन आदिवासी गंभीर रूप से घायल हुए। कुछ घटनाओं का जिक्र मैं यहां पर करना चाहता हूं।

महाराष्ट्र के घमीरगाद गांव में खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए सातवीं जमात में पढ़ने वाले 14 साल के आदिवासी लड़के माघो को आठ बार छुरा मारा गया और उसको खत्म कर दिया गया और उसके खून को खेत में डाल दिया गया। खेतों में आदिवासियों से काम लिया जाता है और खेत की पैदावार बढ़ाने के लिए भी उन्हीं के खून को इस्तेमाल किया जाता है।

दुर्गापाली, सांवलपुर के पास जमीन के झगड़े के कारण तीन हरिजन जिन्दा जला दिए गए।

मध्य प्रदेश में किशनगढ़ इलाके में डाकू सुराज लोधी ने 70 आदिवासियों को कत्ल कर दिया है। वह कहता है कि देवी को खुश करने के लिए उसने 108 आदिवासियों को कत्ल करना है।

एक माननीय सदस्य : वह देवी कौन सी है ?

श्री सूरजभान : देवी कौन सी है, मैं नहीं कह सकता। वह डाकू ही इसका जवाब दे सकता है।

किशनगंज ब्लाक, जिला पूर्णिया, बिहार में दो हजार मतियाओं ने 5 आदिवासियों को कत्ल कर दिया और 5 को जख्मी कर दिया और वे उनके सारे सुअर मारे और सामान उठाकर ले गए।

ग्राम बापूवीघा में 40 डाकुओं ने हरिजन महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया। उनमें से 50 साल की एक महिला, जानकी देवी, और 14 साल की एक लड़की, प्रवाती कुमारी, बेहोश हो गई।

6.02 म० प०

[श्री एन० के० शेजवलकर पीठासीन हुए]

भूमि सेना और लाल सेना की कहानी श्री पासवान कह चुके हैं, इसलिए मैं उसके बारे में नहीं कहूंगा।

ग्राम गोगरी, दमोह, मध्य प्रदेश में होली के त्यौहार पर मंदिर के पुजारी ने लोगों के मुंह पर गुलाल लगा रहे थे। हरिजनों का कसूर इतना था कि उन्होंने कहा कि सरकार कहती है भेदभाव खत्म हो गया है, तो हमारे मुंह पर गुलाल लगा दो। लेकिन उनके मुंह पर दूर से गुलाल छिड़का गया। उन्होंने कहा कि वह तो ज्यादती है। उसके बाद गांव के सरपंच और कुछ दूसरे लोगों ने मिलकर दो हरिजनों की वहीं पर हत्या कर दी।

इन अत्याचारों का एक नया पहलू सामने आया है कि जमींदारों और ऊंची जाति के लोगों द्वारा तो ये अत्याचार किए ही जाते हैं, मगर अब पुलिस भी अत्याचार कर रही है। मेरी अपनी कांस्टीट्युएन्सी में रायपुर रानी का बीस-पच्चीस दिन पहले का वाकिया है। एक हरिजन लड़के पर चोरी का इल्जाम लगा। वह उल्जाम झूठा था, लेकिन मान लीजिये कि वह सच था। उसको उसके बाप और माँ को थाने में बुलाया गया और पीटा गया। यह भी काबिले-बर्दाश्त था। लेकिन कालू नाम के उस लड़के और उसकी मां प्रेमोदेवी दोनों को मार-पीट के बाद कमरे में नंगा किया गया, एक-दूसरे पर लिटाया गया और उन्हें कुकर्म करने के लिये कहा गया। मां-बेटे का पवित्र रिश्ता भी आज पुलिस से बचा हुआ नहीं है।

जब मैंने इसका विरोध करते हुए धरना दिया, तो डी एस. पी. ने मुझे धक्का दिया और कहा कि बकवास मत करो। जब मैंने यहां पर प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया, तो आदरणीय स्पीकर साहब ने होम मिनिस्ट्री से रिपोर्ट माँगी और होम मिनिस्ट्री ने वहाँ से रिपोर्ट माँगी। वहाँ से यह जवाब दिया गया कि किसी ने धक्का नहीं दिया। दिन 11 बजे का वह वाकिया था, जब कि 150 वर्कर मेरे साथ थे और चार-पांच सौ बाजार के लोग वहाँ मौजूद थे। सवाल यह है कि यहाँ किसने,एनक्वायरी की, कब एनक्वायरी की। मुझसे किसी ने इस बारे में नहीं पूछा। वहाँ पर एक एम. एल. ए. को भी धक्का दिया गया। जब एम पीज की यह हालत है, चाहे वह सत्यनारायण जटिया हो, सोनकर हो, रामस्वरूप राम हो या कोई भी हो, तो गरीब हरिजनों की हालत क्या होगी?

मैं रायपुर वीरा की एक घटना के बारे में बताना चाहता हूं।

गरीब हरिजनों के पास अस्सी साल से जमीन है, धर्मशाला बनी हुई है, रविदास मंदिर बनाने के लिए तीन साल से झण्डा गढ़ा हुआ है, इस पर भी मार-पिटाई होती है। इसके लिए तो कोर्ट-कचहरी से निपटा जा सकता है। लेकिन वहां का डी. एस. पी. पढ़े लिखे सरपंच को कहता है कि चूढ़े-चमार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इसके खिलाफ प्रोटैस्ट किया; जुलूस निकाला, इश्तिहार निकाले, लेकिन कुछ कार्यवाही नहीं की गई। पुलिस कानून की रक्षा करने के लिए है। यदि बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो खेत की क्या हालत होगी। मैं चाहता हूं कि डी. एस. पी. के खिलाफ आपको कदम उठाना चाहिए और उसको हथकड़ी लगानी चाहिये। लेकिन कुछ नहीं हो रहा है।

मैं आपको मुजफ्फरपुर, उत्तर प्रदेश की एक घटना बताता हूं। जिसका जिक्र पासवान जी ने भी किया है। स्वराज नाम का एक हरिजन लड़का, जिसके पास पैसे नहीं थे, उसको रस के उबलते हुए रस के कडाहे में डाल दिया। जिसको 14 तारीख को जख्मी किया और 17 तारीख को अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। इसी प्रकार कु० हसनूर तदवी, 16 वर्ष, पुलिस स्टेशन पिम्पल गांव, नासिक, महाराष्ट्र के पास, दो कांस्टेबिल द्वारा उस लड़की को बुलाया गया और बुलाकर इलैक्ट्रिक शॉट लगाकर उसको टोचंर किया गया। यह सब पुलिस की कहानियां हैं। इन बातों में मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं।

मेरी दृष्टि में इन सब चीजों के चार कारण हैं। पहला नान इम्पिलिमेंटेशन आफ एग्रेरियन रिफार्म-लैंड रिफार्म के कानून किताबों में ही पड़े हुए हैं। उनको ठीक ढंग से इम्पलीमेंट कर दीजिए तो समस्या कुछ कम हो जाएगी। दूसरा नान इम्पलीमेंटेशन आफ दि मिनिमम वेज एक्ट-जो कम से कम मजदूरी तब की गई है, यदि वे मांगते हैं तो नहीं दी जाती है। इसको ठीक ढंग से इम्पलीमेंट करा दीजिये, तो कुछ समस्या हल हो जायेगी। तीसरा—मेंटल एटीचूड—लोगों के दिमाग से यह बात निकलनी चाहिये कि ये नीच हैं। जब तक यह बात नहीं निकलेगी, तब तक कोई सुधार नहीं हो सकता है। चौथी—जागृति—अब हरिजन नौजवानों में जागृति आई है। पहले तो वे लोग मार खा लिया करते थे और कहते थे कि एक थप्पड़ मारा है तो दूसरा भी मार लो। यदि आज किसी नौजवान को मारा जाता है तो वे कहते हैं कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईट का जवाब पत्थर से देंगे। यह कम नहीं होना चाहिये और इसको तो और आगे बढ़ना चाहिये।

प्रो. एन. जी. रंगा (गुन्टूर) : क्या ऐसा नहीं हुआ ? आज अनुसूचित जातियों में अधिक जागृति है, अधिक मात्य निर्भरता, मात्य सन्मान है। यह सब श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ।

श्री राम विलास पासवान : श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्यों नहीं हटाया।**

श्री सूरज भान : मैं रंगा जी की बहुत इज्जत करता हूं। वे इसको पार्टी का सवाल न बनाएं। यह एक नेशनल प्राब्लम है। मैं समझता हूं कि यह जो ज्यादतियां हो रही हैं यह एक नेशनल शेम है।

देहुली और साढूपुर में जो कुछ हुआ है, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। सरकार ने उन लोगों से कुछ वायदे किए थे। पहला—देहुली के हर पीड़ित परिवार को पक्के मकान दिए जायेंगे। ग्यारह परिवार में छः को तो दिए गए हैं। एक की सिर्फ दीवारें हैं, छत नहीं है और

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नही किया गया।

[श्री सूरज भान]

बाकी चार को नहीं दिए गए। साढ़ूपुर में एक को भी पक्के मकान नहीं दिए गए हैं। दूसरे—पीड़ित परिवारों में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। दोनों जगहों पर से आज तक एक को भी नौकरी नहीं दी गई है। तीसरा—हर पीड़ित परिवार को भूमि दी जाएगी; जिस पर कि वे काश्त कर सकें। भूमि न देहुली में दी और न ही साड़पुर में ही दी—सरकार पहले अपने वायदों को तो पूरा करे।

सभापति महोदय, साढ़ूपुर की घटना के समय तत्कालीन गृह मंत्री ज्ञानी जैलसिंह ने घोषणा की थी कि हम साढ़ूपुर को एक आदर्श गांव बनायेंगे, लेकिन अभी तक उसके लिए कोई कदम नहीं उठाया गया।

सभापति महोदय, अब मैं वे सुझाव देना चाहता हूं—जिनसे इन बातों को ठीक किया जा सकता है। मेरा पहला सुझाव है कि आप एक कमीशन सैट-अप कीजिए—सैन्टर की जो गाइड लाइन्ज एट्रासिटीज को बन्द करने के लिए या कम करने के लिए हैं उनको वह कमीशन देखरेख कर सके, मानिटर कर सके और उनका इम्प्लीमेंटेशन करा सके।

दूसरा सुझाव—शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों को पुलिस कांस्टेबिली में और माल महकमे में ज्यादा से ज्यादा तादाद में भरती किया जाए, उनकी संख्या बढ़ाई जाए।

तीसरा सुझाव—सरकार ने माना था कि 48 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, जिनको आइडेन्टिफाई किया गया है जहां एट्रोसिटीज ज्यादा होती हैं, लेकिन उसके बाद कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स को भी आइडेन्टिफाई किया गया होगा। मैं यह चाहता हूं कि 48 या 60 जितने भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनके लिये आप महसूस करते हैं कि वे वाकई एट्रोसिटी-प्रोन एरियाज हैं—आप ऐसे 60 आई. ए. एस. अफसर या आई. पी. एस. अफसर छांटिये जो डाउन ट्राडन के लिये सिम्पेथैटिक हों और ऐसे जिलों में उनको पोस्ट कीजिये, कम से कम जिले का डी. सी. या एस. पी. दोनों में से एक हरिजन या आदिवासी जरूर होना चाहिये और उस जिले की जिम्मेदारी उनके ऊपर होनी चाहिये और उनको साफ कह दिया जाये, अगर कहीं भी एट्रोसिटी होती है तो उनको सस्पेण्ड किया जायेगा, उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

चौथा सुझाव—जो एट्रासिटी-प्रोन एरियाज है, वहां शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों को लिबरली, खुले दिल से, आर्म्ज लाइसेंस दिये जाय। इतना ही नहीं उनको आर्म्ज (हथियार) भी कास्ट पर दिये जायें क्योंकि वे मंहगे आर्म्ज नहीं खरीद सकते हैं। वैसे तो उनको मुफ्त दिये जाने चाहिए, लेकिन मुफ्त न दे सकें तो 10 या 20 रुपये कास्ट में दिये जायें।

पांचवां सुझाव—एट्रोसिटीज को कम करने के लिए आप ने कहा था कि विलेज गार्ड फोर्स बनायेंगे, लेकिन अभी तक उसके लिए आपने कुछ नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि होम गार्ड के पैटर्न पर विलेज-गार्ड-फोर्स बनाई जाय और उसमें ज्यादा से ज्यादा शैडयूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों को रखा जाय, दूसरी कम्यूनिटीज के लोग भी जो अच्छे विचारों के हों, उनको भी रखा जा सकता है।

छटा सुझाव—मैं यहां पर पार्लियामैन्ट्री कमेटी की बात रिपोर्ट करना चाहता हूं। हमारी शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था—मैं उसको पढ़कर सुनाता हूं—उनके इस सुझाव को इम्प्लीमेन्ट करना चाहिए—

"समिति को बताया गया कि "अत्याचार" शब्द की परिभाषा दण्ड नियमों में नहीं की गई तथा यह विषय फौजदारी अपराधों के अंतर्गत आता है, जो कि सार्वजनिक कानून का मामला है तथा राज्य का विषय है। केन्द्रीय सरकार का इस पर पूर्णतः विधिक एवं सांवैधानिक रीति से कोई क्षेत्रअधिकार नहीं है। समिति गृह मंत्रालय द्वारा व्यक्त विचारों से सहमत नहीं है ।..." "इस बारे में संविधान में संबद्ध अनुच्छेद अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है तथा उसे उसके सही रूप में समझा जाना चाहिए ताकि उसका समुचित एवं अर्थपूर्ण रूप से क्रियान्वय हो सके। विधिक एवं संवैधानिक संरचना में केन्द्रीय सरकार को प्राप्त स्व-विवेक का पूरी तरह उपयोग किया जाना चाहिए ताकि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों को समाज में अपनी स्थिति के कारण हानि न उठानी पड़े। अतः समिति अनुभव करती है कि "अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों पर अत्याचार" के मामले एक विस्तृत कानून बनाने की शीघ्र आवश्यकता है।

मेरा सातवां सुझाव—मेरी दृष्टि में एट्रासिटीज को कम करने के लिए एक बेहतरीन तरीका यह है कि शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिये हमारी तीनों फोजों में—आर्मी, नेवी और एअर-फोर्स में रिजर्वेशन किया जाय। आर्टीकल 335 के वर्डिंग्ज हैं —पदों एवं सेवाओं में आरक्षण होगा उसमें यह नहीं लिखा है—रक्षा सेवाओं को छोड़कर अगर एक-एक गांव से 5-7 आदमी भरती होंगे तो उन का नजरिया बदलेगा, उनकी जिन्दगी में तरक्की आयेगी और वे डिस्प्लिण्ड होंगे। जब वह छुट्टी पर या रिटायर हो कर गांव में लौटेंगे तो अपने सामने कभी भी एट्रासिटी नहीं होने देंगे। पहले चमार रेजिमेन्ट और महार रेजिमेन्ट हुआ करती थी, आपने उनको तोड़ दिया, बाद में महार रेजिमेन्ट रेस्टोर कर दी गई, चमार रेजिमेन्ट को भी रेस्टोर किया जाना चाहिए था। जब आपके यहां जाट रेजिमेन्ट है, राजपूत रेजीमेंट है तो चमार रेजिमेन्ट क्यों नहीं रह सकती। या तो सबको तोड़िये, महाराणा प्रताप रेजिमेन्ट रखिए या नम्बर 1 रेजिमेन्ट, नम्बर 2 रेजिमेन्ट रखिए, लेकिन अगर ऐसा नही करते हैं और उनको रखते हैं तो चमार रेजिमेन्ट को भी रखना चाहिए।

मेरा आठवां सुझाव है कि जहां कहीं एट्रोसिटी होती है, तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट और सेशन्स जज को कहा जाए कि वह इंक्वायरी कराए। आर०एस०पी०एस०पी० को कह देते हैं कि इंक्वायरी करो, तो दोनों की मिलीभगत होती है और इंक्वायरी ठीक ढंग से नहीं होती है। इसलिए यह जरूरी है कि डिस्ट्रिक्ट और सेशन्स जज इसको देखें।

एक आखरी बात कह कर मैं बैठ रहा हूं। मैं आदरणीय सेठी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपसे पहले जितने भी गृह मंत्री हुए हैं, सभी हरिजन और आदिवासी एम० पीज० से मिलकर के बातें किया करते थे। मुझे पता नहीं है कि आपने वह खायत क्यों नहीं एडोप्ट की है। मैं चाहता हूं कि उस रवायत को आप को कायम रखना चाहिए और हरिजन एम०पीज० और आदिवासी एम० पीज०से आप अलग अलग मिलें क्योंकि उनकी समस्याऐं अलग-अलग हैं। यहां पर आ कर हाऊस में हम सारी बातें नहीं कह सकते हैं और खुल कर बातें नहीं कर सकते

[श्री सूरज भान]

हैं। इसलिए उस चीज को आप रिवाइव कीजिए और हरिजन और आदिवासी एम०पीज० से आप अलग अलग मिलें।

मैंने जो ये 9-10 सुझाव दिए हैं अगर इनको मान लिया जाए, तो मैं समझता हूं कि स्थिति में कुछ सुधार आएगा। इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं।

श्री राम स्वरूप राम (गया) : सभापति महोदय, हरिजन और आदिवासी लोगों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में जो प्रस्ताव उपस्थित है, उस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

इस प्रस्ताव के मूवर श्री राम विलास पासवान जब बोल रहे थे, तो उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि सरकार हरिजनों और आदिवासियों की समस्याओं के प्रति उदासीन है और उन्होंने यहां तक कह दिया कि 36 वर्षों की आजादी में हरिजनों और आदिवासियों के सवाल पर सरकार ने कोई गौर ही नहीं किया। मैं तो यह समझता था कि यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है और राजनीतिक स्तर से ऊपर उठकर लोग बात करेंगे और सरकार को कोई कांस्ट्रक्टिव सुझाव देंगे ताकि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, उन पर अंकुश लगे लेकिन वे राजनीति की दल-दल में आकर फंस गये।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचार की घटनाओं पर डिस्कशन इस सम्मानित सदन में इस बार ही नहीं कर रहे हैं बल्कि 4-5 बार पहले भी यह डिस्कशन हो चुका है लेकिन ठोस कदम न उठाए जाने की वजह से यह समस्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। हरिजनों और आदिवासियों पर जो अत्याचार होते हैं, ये जुल्म सदियों से हो रहे हैं और यह सामाजिक कारणों से होता आ रहा है लेकिन आज जो ऐसे अत्याचार होते हैं, उन की मुखालफत करने के लिए तमाम हरिजन और आदिवासी भाई विरोध करते हैं और यह कहते हैं कि हम इस तरह के अत्याचार नहीं होने देंगे। इसका कारण यह है कि एक सवेकनिंग हुई है और हरिजन और आदिवासी अपने अधिकारों के प्रति सजग हुए हैं।

पहले भी घटनाएं होती थीं और हरिजनों पर अत्याचार होते थे। लेकिन उनके लिए कोई मुकद्मे नहीं होते थे, न कोई किसी को उनके लिए पकड़ा जाता था। वे अत्याचार गांव तक ही रह जाते थे। आज मैं अपनी सरकार को, प्राइम मिनिस्टर को और अपने होम मिनिस्टर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हिन्दुस्तान के हरिजनों और आदिवासियों को उनकी झोपड़ियों में यह सन्देश पहुंचा दिया है कि तुम किसी का जुल्म मत सहो, सरकार की सारी शक्ति तुम्हारे पास है। यह जागृति मैं आज हरिजनों और आदिवासियों में देखता हूं।

मैं जिस जगह से आता हूं वहां भी हमारे हरिजन और आदिवासी भाई रहते हैं। और भी दूसरी कौमें रहती हैं, वीकर सेक्शंस के लोग रहते हैं। वे सब भी आज अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं। यह जो उनमें अवेकनिंग आई है, यह आपने नहीं दी है, यह कांग्रेस पार्टी ने दी

है, यह इन्दिरा जी ने दी है। यह आपकी देन नहीं है। (**व्यवधान**) आप भी ऐसी बात कर रहे हैं। हकीकत तो हकीकत रहेगी, उसको कोई नहीं झूठला सकता।

पहले हरिजनों पर जो अत्याचार होते थे, उनमें उनको जिन्दा नहीं जलाया जाता था। यह जिन्दा जलाने जैसे अत्याचार हमें आपसे जनता पार्टी से विरासत में मिले हैं।। पहले हरिजनों और आदिवासियों को मारा जाता था लेकिन उनको जिन्दा जलाने की बात तो चौधरी चरण सिंह के जमाने से शुरू हुई। (**व्यवधान**) मैं बिहार की बात कह रहा हूं, मैं आंध्र की बात नहीं कह रहा हूं। बिहार के बेलछी में क्या हुआ ?

मैं आपका ध्यान एक अखबार की तरफ ले जाना चाहता हूं (**व्यवधान**) आप उत्तेजित मत होइये, शांति से मेरी बात को सुनिये। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हरिजनों को कितनी जमीन हमारी सरकार ने दी, लेकिन आपकी सरकार ने कितनी दी। आज आंध्र में क्या हो रहा है। आंध्र में विभिन्न स्थानों पर हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं। ये अत्याचार पहले से बढ़े हैं। आज भी वहां किसी आदिवासी को पंचायत समिति की बैठक में जूते पहन कर भाग नहीं लेने दिया जाता। उनसे कह दिया जाता है कि जूते उतारकर आओ। जब तक मीटिंग होती रहती है, आदिवासी खड़े रहते हैं और खड़े रह कर ही मीटिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ता है।

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय, इसी सदन के पिछले सेसन में मैंने कहा था कि वहां पर 84 घर हरिजनों के जला दिए गए। इस पर मैंने कालिंग अटेंशन नोटिस दिया था और स्पीकर साहब ने यह कहा था कि वे बहस करवाएंगे लेकिन उस पर बहस नहीं हुई और सेसन समाप्त हो गया। आज भी आंध्र में क्या हो रहा है। (**व्यवधान**) यह बहुत दिनों की बात नहीं है, चार-पांच दिनों की बात कर रहा हूं। (**व्यवधान**)

श्री राजेश कुमार सिंह : यह प्रश्न शेड्युल्ड कास्ट्स के लोगों पर हो रहे अत्याचार का है। माननीय सदस्य इसमें पार्टी का प्रश्न क्यों ला रहे हैं ?

श्री अनन्त रामुलु मल्लु : यह सच है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी एकमात्र नेता हैं जिन्होंने अनुसूचित जातियों के लोगों में बहुत जागृति पैदा की है। यह सच है(**व्यवधान**)क्या देश में राष्ट्रीय स्तर की कोई ऐसी पार्टी है जो अनुसूचित जातियों के लोगों का नेतृत्व कर सके। यह मात्र कांग्रेस (इ) ही है। जब वे श्रीमती गांधी का नाम लेते हैं तो आप उत्तेजित मत हों।

श्री रामस्वरूप राम : मैंने पहले ही कहा था कि यह राष्ट्रीय मुद्दा है, इसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए। आंध्र में आपकी गवर्नमेंट बनी हुई है। वहां रीजनल और प्रतिक्रियावादी फोर्सिज बढ़ रही हैं। इस अखबार की कटिंग में यह स्पष्ट लिखा है—मैं आन्ध्र प्रदेश के बारे में एक अखबार की खबर पढ़कर सुनाना चाहता हूं—

"कड़पा जिले के 50 हरिजन परिवारों ने जिलाधीश से शिकायत की है कि बड़ी जाति के

[श्री राम विलास राम]

जमींदार उनके खेतों पर जबर्दस्ती अधिकार करते जा रहे हैं। सरकार ने हरिजनों को खेती करने के लिए बहुत सी जमीन दी थी। उनके पास इस जमीन के वैध पट्टे भी हैं, किन्तु बड़े जमींदार बलपूर्वक उनसे भूमि छीन रहे हैं।"

आप देखिए कि आंध्र में क्या हो रहा है। इसलिए यह सवाल किसी पार्टी का नहीं है। यह सामाजिक सवाल है। हमको अपनी रूढ़िवादिता से लड़ना होगा। इससे जाति और मजहब की दीवार खड़ी कर के नहीं लड़ा जा सकता। जैसा कि अभी बागड़ी जी ने कहा कि राष्ट्र ही मजहब है, राष्ट्र ही बिरादरी है, इस तरह की बात अगर सभी लोग मान लें तो ये चीज बन्द हो सकती है। लेकिन पता नहीं ये हमारे बुजुर्ग नेता हैं, यहाँ क्या बोलते हैं और बाहर क्या बोलते हैं, इस बात का हमको पता नहीं है।

बिहार में एक "भूमिसेना" बन गई है। पूरे बिहार में नहीं है, यह सिर्फ पटना जिले में मसौड़ी, धनरुआ में है और पालीगंज, विक्रम में भी कुछ यह एक्टिव हुई थी।

श्री मनीराम बागड़ी : क्या यह वही भूमि सेना है जिसने श्री कर्पूरी ठाकुर के कत्ल की धमकी दी है ?

श्री रामस्वरूप राम : कपूरी ठाकुर तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। उनको वे क्या धमकी दे सकते हैं। मैं भूमि सेना का इतिहास बतला देना चाहता हूं। ये कुर्मी जाति के लोग हैं जिनके पास काफी जमीनें हैं। चार-चार हथियार एक-एक आदमी के पास हैं। मशीनगनें तक इनके पास हैं। जब खेतीहर मजदूर मिनिमम वेजेज मांगता है या लैंड रेफार्म की बात करता है तो उसमें ये टेरर क्रिएट करते हैं। हरिजनों के गांवों पर हमला किया जाता है और इनको प्रोटेक्शन कौन दे रहा है। कर्पूरी ठाकुर इनको प्रोटेक्शन देते रहे हैं। लैंडेड क्लास को इतने लायसेंस देकर उनको इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हरिजन निहत्था है और इसलिए वहां ये अपराध हो रहे हैं। मेरा गृहमंत्री महोदय से आग्रह है कि उन तमाम लोगों के लायसेंस कैंसिल कर दिए जाएं और एक सर्वे करके पता कराया जाए कि कितने लीगल और इल्लीगल हथियार वहां पर हैं। उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। गरीबों पर अत्याचार इसलिए हो रहे हैं कि बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत वे अपने अधिकारों की मांग न करें।

राम विलास जी बतला रहे थे कि फार्वर्ड लोगों को सजा नहीं हुई है, बैकवर्ड लोगों को सजा हो गई है। मेरा कहना है कि जात-पात के आधार पर काम नहीं हो सकता। मजहब के आधार पर इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इस समस्या के हल के लिए हमें महात्मा गांधी और पंडित जवाहर लाल नेहरू और डा० अंबेडकर के बनाए हुए सिद्धांतों पर चलना होगा। महात्मा गांधी बैकवर्ड क्लास के थे और पंडित जवाहर लाल नेहरू ब्राह्मण थे। लेकिन जवाहरलाल जी ने उनके चरणों में रह कर देश का काम किया। तो बैकवर्ड और फारवर्ड की बात कहां आती है। मैं तो बापू की जाति को मानता हूं जैसा कि बागड़ी जी कहते हैं।

एक जगह एक हरिजन जाट की खाट पर बैठ गया तो उसका नतीजा यह हुआ कि दो हरिजनों की वहां पर हत्या हुई और यह केस जयपुर हाईकोर्ट में गया तो 5 आदमियों को इसमें

कैद की सजा सुनाई गई। खाट पर तो बैठने नहीं देते लेकिन फारवर्ड और बैकवर्ड की पंक्ति बना कर लड़ना चाहते हैं। हरिजन के दिल में देश भक्ति का उतना ही खून दौड़ता है। जितना की आपका दौड़ता है आप भले ही देश के साथ धोखा-धड़ी कर दें लेकिन हरिजन नहीं कर सकता। आज, पंजाब में किस बात की कमी है। प्रत्येक गांव सड़क से जुड़ा हुआ है। हर खेत को पानी और हर हाथ को काम मिला हुआ है। इसके बाद भी नेशनल इंटीग्रेशन के नाम पर पंजाब अलग होना चाहता है। पंजाब ने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया है। लेकिन, भारत माता के सीने पर कुछ प्रतिक्रियावादी ताकतें खंजर भोंकने के लिए सक्रिय हैं। हमें, सन् 75 का होम मिनिस्टर चाहिए। आप बड़ी मुस्तैदी के साथ इन अलगाव-वादी फोर्सेस को खत्म करें। सारे देश की जनता आज होम मिनिस्टर के साथ है। हम लोगों के बीच में पंजाब की समस्या एक चुनौती बनकर खड़ी हो गई है। लोग कहते हैं कि पंजाब की समस्या क्यों नहीं सुलझाई जा रही है।.....(**व्यवधान**) मैंने 28 अगस्त 1981, को एक प्राईवेट मैम्बर रेजोल्युशन मूव किया था। मैंने कहा था कि जो मैट्रिक, बी०ए० या एम०ए० पढ़े-लिखे हरिजन हैं, वे गांवों में लेबर की जिन्दगी बिता रहे हैं। नतीजा यह हो रहा है कि हरिजनों में शिक्षा की तरफ रूझान कम हो रहा है। इसका कारण यह है कि पढ़े-लिखे हरिजनों में बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। बिहार में टोटल नम्बर आफ एम्पलाइज चार लाख हैं। उसमें सभी श्रेणी के हैं। इसमें से 96 हजार रिजर्वड सीटें मिलनी चाहिए थीं जबकि बीस हजार हरिजन ही वहां काम कर रहे हैं। इसलिए, 76 हजार का जो कोटा था, उसको नहीं भरा गया। अगर इन पोस्टों पर हरिजनों को रख लिया गया होता तो कम से कम 76 हजार लोग तो पावर्टी लाईन से ऊपर आ सकते थे। यह कहा जाता है कि 600 परिवारों को हर ब्लाक में गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जायेगा। लेकिन कितने लोगों की गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया गया है ? जीरो—ऑवर में भी मैंने स्पीकर साहब से कहा था कि इस मामले पर डिसकशन होना चाहिए। एन०आर०इ०पी० और दूसरे प्रोग्रामों के तहत इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, लेकिन कितने लोग अब तक ऊपर उठे हैं ? इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि शिक्षित बेरोजगार हरिजनों के लिए जॉब गारन्टी स्कीम लागू की जानी चाहिए।

रिजर्वेशन की जगह पर अगर गारन्टी फार जाब होगी तो इन समस्याओं का समाधान हो सकता है।

मैं बार बार कहता रहा हूं कि इस देश में हरिजनों की आबादी 22 करोड़ है और आदिवासियो की 10 करोड़ है। क्या इन 32 करोड़ की आबादी के लिए एक अलग महकमा नहीं बन सकता है ? जहां 32 करोड़ हरिजनों की आबादी हो, हिन्दुस्तान की आधी आबादी के बराबर हो, क्या हम इसके लिए एक महकमा नहीं बना सकते हैं ?

मेरा निवेदन है कि जहां हरिजनों पर एट्रोसिटीज हों, वहां के लोगों से सिटीजनशिप छीन लेनी चाहिए नहीं तो ये लोग इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते रहेंगे। आज बिहार, हिसार और पंजाब में बराबर मर्डर हो रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी बात सुनी।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी बात संक्षेप में कहें, क्योंकि किसी भी सदस्य को 10 मिनट से अधिक समय नहीं दिया जायेगा, जैसा कि पहले निर्देश दिया जा चुका है। अब श्री रामावतार शास्त्री अपना भाषण देंगे।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, सामंती पूंजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं दूसरे कमजोर वर्गों पर धनी वर्ग शोषकों तथा अपने को उच्च मानने वाले लोगों की ओर से सदियों से जुल्म और सितम ढ़ाये जा रहे हैं। इन शोषित वर्गों के लिए यह पूंजीवादी समाज सबसे बड़ा अभिशाप है जिसे उखाड़ फेंके बिना इन कमजोर वर्गों का कल्याण नहीं हो सकता। इसके लिए जरूरत है जोरदार और जंगूज वर्ग-संघर्ष को अधिक से अधिक तेज कर उनके शोषण-दोहन की व्यवस्था को समाप्त करने की।

कांग्रेस सरकार हो या जनता पार्टी की, दोनों इस बात में एक रहे हैं कि इसी पूंजीवादी व्यवस्था के ढांचे में रहते हुए अपना शासन चलाते रहें। परिणाम यह हुआ कि शोषण वर्ग का जुल्म शोषितों पर दिन-पर दिन बढ़ता जा रहा है। कौन नहीं जानता कि जनता पार्टी के शासन काल में बिहार के बेलछी, पिपरा, कैली और उत्तर प्रदेश में विश्रामपुर जैसी अमानवीय घटनाएं घटीं और दर्जनों बेगुनाह व्यक्तियो की हत्यायें की गई, जो इन्हीं कमजोर वर्ग से आते हैं। कांग्रेस राज में तो उनकी हत्याओं और उन पर जुल्मों का सिलसिला और तेज हो गया है जिसके उदाहरण बिहार के पथड्डा, मध्यप्रदेश के जगदलपुर, अभी हाल में बिहार के पिपरिया, लहसुना-कराई, सगौल थाने के मुस्तफापुर एवं अन्य ग्रामों की पाश्विक घटनाएं हैं।

सरकारी आंकड़े यह बतलाते हैं कि आदिवासियों, हरिजनों तथा दूसरे कमजोर वर्ग के लोगों की सबसे अधिक हत्यायें उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और बिहार में हुई, जहां कांग्रेस की सरकारें कायम हैं। सन् 1980 में उत्तर प्रदेश में 236, 1981 में 214, 1982 में 208 और 1983 में 202 अनुसूचित जाति के लोग मारे गए। मध्यप्रदेश में 1980 में अनुसूचित जाति के और 68 अनुसूचित जनजाति के 5, 1981 में अनुसूचित जाति के 74 और अनुसूचित जन-जाति के 67, 1982 में अनुसूचित जाति के 88 और 1983 में अनुसूचित जाति के 108 और जनजातियों के 118 व्यक्तियों की हत्यायें की गई। इसी प्रकार बिहार में सन 1980 में अनुसूचित जाति के 57 और अनुसूचित जनजाति के 5, 1981 में के अनुसूचित जाति के 69 और जनजाति के 4, 1982 में अनुसूचित जाति के 72 और अनुसूचित जन जाति के 5 तथा 1983 में अनुसूचित जाति के 59 और जनजाति के 6 लोगों को मौत के घाट उतारा गया। इसी प्रकार कांग्रेस-शासित अन्य राज्यों में भी इनकी अनेकों हत्यायें की गईं, जिनका उल्लेख समया-भाव के कारण करना संभव नहीं है। परन्तु, दूसरी ओर मार्के की बात यह है कि कम्युनिस्ट एवं वामपंथी दलों द्वारा शासित त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल की सरकारों की तस्वीर कुछ और है, जिससे परिलक्षित होता है कि दोनों प्रकार की सरकारों का वर्ग-चरित्र क्या है और वे किन वर्गों के स्वार्थों एवं हितों की रक्षक हैं। त्रिपुरा में सन् 1980 में हत्या की कोई भी घटना नहीं घटी। 1981 में वहां केवल 2 अनुसूचित जाति के लोग मारे गए। फिर 1982 में भी कोई घटना नहीं घटी। 1983 साल का भी यही हाल रहा।

पश्चिम बंगाल में 1980 में केवल 9 अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जन-जाति के लोग मारे गए। 1981 में वहां 4 हरिजन और 3 आदिवासी, 1983 में 6 हरिजन और 2 आदिवासी तथा 1983 में केवल 3 हरिजन मारे गए। ये घटनाएं आंखें खोलने वाली हैं।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं अन्य कमजोर वर्गों पर हुए जुल्मो-सितम के आंकड़ों का ब्यौरा इस प्रकार है। 1979 में 13,975, 1980 में 13,866 और 1981 में 14,308। इस प्रकार जनता पार्टी के राज की तुलना में कांग्रेसी राज बाजी मार ले गए। इधर के वर्षों में यानी 1982-83 में स्थिति और भी अधिक बिगड़ी है। अपराधों के मामलों में भी उत्तर प्रदेश को प्रथम, मध्यप्रदेश को द्वितीय और बिहार को तृतीय स्थान प्राप्त है। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, उड़ीसा, केरल आदि राज्यों की स्थिति भी अपराधों के मामले में गंभीर है। हां, त्रिपुरा में 1979, 1980 में कोई भी घटना नहीं घटी, 1981 में 18, 1982 में 3 अपराध हुए। 1983 में वहां कोई भी अपराध की घटना नहीं घटी। पश्चिम बंगाल में 1979 में 2, 1980 में 33, 1981 में 23, 1982 में 17 घटनाएं घटीं। 1983 में कोई भी घटना नहीं घटी।

बिहार में तो शायद ही कोई जिला हो, जहां हरिजनों, खेत मजदूरों, आदिवासियों एवं पिछड़े लोगों की जमीन एवं मजदूरी सवाल को लेकर हत्यायें नहीं की गई हों, उन पर जुल्म नहीं ढाये गए हों, उनकी बहू-बेटियों की अस्मत नहीं लूटी गई हो, उनकी झोंपड़ियों को जला कर खाक नहीं कर दिया गया हो या उनके सामानों की लूट-पाट नहीं की गई हो।

बिहार में भूमिपति बड़े पैमाने पर पटना, गया, औरंगाबाद, नवादा, नालंदा, बेगूसराय, मुंगेर, सहर्षा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, रोहतास, पलामू, रांची, धनबाद आदि जिलों में जमीन और मजदूरी के सवालों को लेकर आन्दोलन करने वाले खेत मजदूरों एवं आदिवासियों पर बड़े पैमाने पर हमले कर रहे हैं, जिसकी ताजा मिसाल पटना जिलान्तर्गत मसौढ़ी थाने के लहसुना, कराई तथा कुछ अन्य ग्रामों में 16-3-84 को हुआ नरसंहार है। होली के एक दिन पूर्व भूमिपतियों ने भूमि-सेना के नेतृत्व में निरपराध हरिजनों और पिछड़ी जाति के यादवों पर बाजार लौटते समय अस्त्र-शस्त्रों से हमला कर आठ व्यक्तियों की हत्या कर दी। पटना जिले के मसौढ़ी, धनरुआ, पुनपुन, नौबतपुर, विक्रम, पालीगंज आदि थानों में आतंक राज्य कायम कर रखा है। नौवतपुर थाने के बहुआरा ग्राम, विक्रम थाने के नरही-पिरही तथा अन्य ग्रामों में उनके हमलों की कहानी आज भी ताजी है।

भूमिपतियों ने भूमि सेना का जाल बिहार के प्रायः सभी जिलों में फैला रखा है और उनकी घोषणा है कि वह कथित नक्सलवादियों से लड़ने के नाम पर सम्पूर्ण हरिजन समुदाय को कष्ट कर के ही दम लेंगे। यही कारण है कि वे जगह-जगह जमीन और मजदूरी के लिए आंदोलन करने वाले खेत मजदूरों एवं उनके नेताओं पर दिन-दहाड़े हमले कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने कुछ दिन पहले पटना विश्वविद्यालय की छात्र यूनियन के भूतपूर्व महासचिव श्री प्रेमचन्द्र सिन्हा की गोली मार कर हत्या कर दी। गया जिले के जहानाबाद सबडिविजन के घासी प्रखंड के सिकरिया ग्राम

[श्री रामावतार शास्त्री]

के राजेन्द्र और वंशी मोची की देवरा मठ के गुंडों ने 1-12-84 को हत्या कर दी। उन लोगों ने कई ग्रामों में लूटपाट और आगजनी भी की। भूमि सेना के गुण्डों ने भवानी चन्द की दो लड़कियों के साथ बलात्कार किया। नवादा जिले के अकबरपुर थाने के गोपालपुर ग्राम के भूमि-पतियों ने 12 वर्षीय उमेश नामक लड़के को आग में झोंक कर जिन्दा जला दिया। यह घटना 21-22 जनवरी, 1984 की है। झगड़ा गैर मजरूआ जमीन को लेकर हुआ था। इसी जिले के खमारा ग्राम के 85 हरिजनों के घर जला दिये दिये। 23-2-84 को श्री तुलसी माझी की हत्या कर दी गई। पटना जिले के खगौला थाने के दानापुर खगौल रोड पर 22 मार्च को मुस्तफापुर ग्राम के निवासी नाथू राम इंदर, पासवान एवं एक अन्य की जघन्य हत्या कर दी गई। मुंगेर-मुजफ्फरपुर, भोजपुर, नालंदा गया तथा अन्य जिलों में भी हत्यायें की गई और भूमि सेना के गुंडे सर्वत्र आतंक राज्य कायम किए हुए हैं। पुलिस और सरकारी अधिकारी इसे रोक पाने में नाकामयाब है। कहते हैं कि भूमि सेना और अपराध कर्मियों के साथ उनकी मिलीभगत है। जब हरिजन खेत मजदूर भूमि सेना का मुकाबला करने की तैयारी करते हैं तो सरकार उन्हें नक्सल वादी कह कर कुचल देती है। जिससे जमीदारों की हिम्मत बढ़ जाती है। बिहार में इतने बड़े पैमाने पर हत्यायें इस कारण हो रही हैं कि राज्य सरकार, सरकारी अधिकारी और पुलिस में भूमि सेना के एजेंट शामिल हैं जो न जमीन का बंटवारा होने देना चाहते हैं न मजदूरी देना चाहते हैं और न उन्हें मनुष्य समझते हैं। उनके साथ उनका व्यवहार जानवरों जैसा होता है। नक्सलवाद की हत्या की नीति के खिलाफ राजनीतिक तरीके से संघर्ष करने की जरूरत है न कि हरिजनों और उनके नेताओं की हत्या करने की।

भूमि सेना और अपराध कर्मियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है कुछ सांसदों, विधायकों एवं राजनीतिक नेताओं के संरक्षण भी उन्हें प्राप्त हैं। जिसमें दुख है कि कुछ विरोधी दलों के सांसद, विधायक और नेता भी शामिल हैं। इसे समाप्त करने की आवश्यकता है।

जनशक्ति समाचार पत्र जो पटना से प्रकाशित होता है उसके 24-3-84 के अंक में प्रकाशित निम्न वाक्यों को देखें। इसमें लिखा है—भूमिसेना का उद्देश्य है सामाजिक न्याय, न्यूनतम मजदूरी के कार्यान्वियन तथा भूमि सुधार लागू करने के लिए खेत मजदूरों और बटाईदारों के आंदोलनों को खत्म करना। दरअसल, धीरे-धीरे उभर रहे वर्ग संघर्ष को कुचलने के लिए सामंती मानसिकता वाले भू-स्वामियों ने इन सेनाओं का गठन किया क्यों कि बदलती स्थितियां उनके शोषण में बाधक बनने लगी है। सरकारी और प्रशासन के परोक्ष-अपरोक्ष संरक्षण के बावजूद सामंती तत्वों को अपने पैरों तले से जमीन खिसकती हुई महसूस हो रही है। सरकार पर कड़ी गिरफ्त के कारण भूमि सुधार कानून लागू नहीं होते। न्यूनतम मजदूरी भुगतान करने में आना-कानी होती है और प्रभावशाली लोगों की चाकरी करने वाला प्रशासनतंत्र भी इनके सामने घुटने टेके रहता है। इन सबों के बावजूद ये तत्व अपनी मजबूत स्थिति के खोखलेपन से वाकिफ हैं।"

राजनीतिक हत्यायें भी बड़े पैमाने पर हो रही हैं। बिहार में एक सौ से अधिक नेताओं, कार्यकर्ताओं की हत्यायें की जा चुकी हैं जिनमें सबसे बड़ी संख्या कम्युनिस्टों एवं अन्य वामपंथी

दलों के कार्यकर्ताओं की है। कांग्रेसी एम०एल०ए० राम नगीना सिंह की हत्या भी अभी हाल ही में की गई है, इतना ही नहीं, इस सदन के माननीय सदस्य श्री नगीना राय पर पटना जंक्शन पर बमों से हत्या करने का प्रयास किया गया पर वह बाल-बाल बच गए। गंभीर रूप से घायल होने के कारण उनकी चिकित्सा आज भी चल रही है।

इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए भूमि सुधार कानून को सख्ती के साथ लागू करने की आवश्यकता है। जरूरत इस बात की है कि खेत मजदूरों को कानूनी मजदूरी दी जाए। भूमि सेना पर रोक लगाई जाए, केवल हथियार जब्त करने से कम नहीं चलेगा। उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए, हरिजनों एवं आम लोगों में व्याप्त आतंक राज को खत्म किया जाए। हरिजनों आदिवासियों के पुर्नवास की व्यवस्था की जाए, अपराध कर्मियों को राजनैतिक संरक्षण देना बन्द किया जाए, पुलिस के रवैये को बदला जाए। हथियारों को जब्त किया जाए, सामाजिक आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू कर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया जाए। गैर कानूनी बन्दूकों के कारखानों को जब्त किया जाए।

इस प्रकार की हत्याओं एवं आतंक राज को समाप्त करने के लिए जरूरत है वर्तमान पूंजीवादी सरकार के स्थान पर वामपंथी एवं जनवादी सरकार की स्थापना करने की। यथा स्थितिवाद से पिंड छुड़ाना होगा, तभी समाज में आमूल परिवर्तन लाया जा सकता है।

श्री भीखा भाई (बांसवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं सब से पहले हमारी प्रधान मंत्री जी को, और गृह मन्त्री जी को, और बीस-सूत्री कार्यक्रम को नमन करता हूं, जिन के कारण देश के अन्दर जागृति हुई है। हमारे संविधान के अन्दर जो व्यवस्था अनुसूचित जातियों तथा अनुसूजित जनजातियों के लिए की गई है, डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्ज और फाण्डामैन्टल राइट्स के अन्दर जो अधिकार दिये गये हैं उन मूलभूत अधिकारों के कारण हमारे अन्दर यह जागृति आई है जिससे आज हम खड़े हो कर अपनी अवाज़ को बुलन्द कर सकते हैं। एक ज़माना ज़मीदारों का था, जागीरदारों का था, राजाओं और महाराजों का था, यदि पृष्ठभूमि से देखें तो आप को याद आयेगा कि उस समय ऐसी चीजें सामने ही नहीं आती थीं, कोई भी अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों की आवाज़ उठा नहीं सकता था, लेकिन आज यह चीज़ सामने आने लगी है, हमारे लोगों को अपने ग्रीवेन्सेज वेन्टिलेट करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। आज हम अपनी बात को कह सकते हैं और इसके लिए मैं संसद को, महात्मा गांधी को, जवाहर लाल नेहरू को, देश के उन सभी महान नेताओं को चाहे वे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों, नमन करता हूं, जिन्होने हम को बोलना सिखाया है। आज हम अपने लोगों की बात यहाँ रख सकते हैं।

हमारे देश के अन्दर हरिजनों और अदिवासियों की बहुत बड़ी संख्या है—उस संख्या के अनुपात से यदि संरक्षण दिया जाता है, राजनितिक या अन्य प्रकार का संरक्षण दिया जाता है तो उससे काम चलने वाला नहीं है। वास्तव में हमारी सामाजिक और अर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसके कारण हम पर जुल्म होते हैं। अभी जैसा श्री रामावातर शास्त्री जी ने कुछ बातें कही हैं—उन्होंने उन बातों को अपने ढंग से कहा है, पूंजीवादी व्यवस्था के बारे में कहा, वैस्ट बंगाल और

[श्री भीखा भाई]

त्रिपुरा की उन्होंने बहुत तारीफ की, मैं उनकी बातों से सहमत नहीं हूं, लेकिन वास्तविकता यह है कि जब हम उन पर होने वाली एट्रोसिटिज को डिस्कस कर रहे हैं तो हमें राजनीतिक रंग देकर बातें नहीं करनी चाहिएं। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि यह मानवता का प्रश्न है। शैड्ल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स का प्रश्न मानवता का प्रश्न है और इस मानवता के प्रश्न को कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से लेने की आवश्यकता नहीं है। यह ठीक है कि हमारे देश के सभी नेताओं ने मिलकर एक संविधान बनाया और उस संविधान में हम को, जो गरीब लोग थे, जो गिरे हुए लोग थे, जो जमीन पर पड़े हुए लोग थे, उस तबके को उठाने के लिए कुछ डाइरेक्टिव प्रिंसपिल्स और कुछ प्रावधान रखे, जिस के कारण आज हम यहां आ कर बोलने की क्षमता रखते हैं। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि यह बात सही है कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की जागृति हुई है और उन की आर्थिक स्थिति सुधारी है और प्रधान मंत्री के बीस-सूत्री कार्यक्रम के कारण हम आग बढ़ते जा रहे हैं परन्तु एक बात जरूर है कि जो सामाजिक दृष्टिकोण हैं, वह नहीं बदला है और सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने के लिए सरकार किस हद यह तक कारगर हो सकती है, आप सभी जानते हैं। जब तक समाजिक संस्थाएं और जब तक विरोधी पार्टी इस काम में हमारे साथ सहयोग नही करती, तब तक यह काम संभव नहीं हो सकता।

आज सामाजिक दृष्टिकोण का मतलब क्या है। आज सामाजिक दृष्टिकोण की सब से बड़ी बात यह है कि हम पार्लियामेंट के सदस्य हैं और अगर हम गांवों में जाते हैं, देहातों में जाते हैं और वहां जा कर लोगों से मिलते हैं, वहां पर लोगों की बातें सुनते हैं, तो हम में से कितने ऐसे हैं, जोकि गरीब की झौंपड़ी में जाना पसन्द करेंगे। जब वोट लेने का वक्त आता है, उस वक्त वहाँ जाएंगे, चाहे इस पार्टी का सवाल हो और चाहे उस पार्टी का सवाल हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम ने उस सामाजिक दृष्टिकोण को नहीं अपनाया है, जिसकी राष्ट्र के लिए आवश्यकता है, इस देश के अन्दर देश-भक्ति के लिए जिसकी आवश्यकता है। इसलिए सामाजिक दृष्टिकोण से कमजोर तबके ऊपर नहीं उठे हैं। हमारा जो शरीर है, उस शरीर के अगर हाथ और पैर लूले और लंगड़े होंगें, तो शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता, मन स्वस्थ नहीं रह सकता। उसी तरह से मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोग भी स्थस्थ नहीं हैं क्योंकि हमारे राष्ट्र के अन्दर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है, जो कि कमजोर तबका है। यह ठीक है कि हर प्रकार की योजनाएं बन रही हैं चाहे वह योजना आदिवासी योजना के रूप में हो, चाहे कम्पोनेन्ट प्लान के रूप में हो और चाहे कोई दूसरी विशेष योजना हो। ये सारी योजनाएं चल रही हैं लेकिन इस के बावजूत स्थिति यह है कि हमारी सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं आ रहा है। इस का कारण या तो यह है कि हम जागरूक ज्यादा हो गये हैं और या यह है कि हम ज्यादा चाहने लगे हैं।

6.57 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मैं एक बात और कहना चाहता था। आदिवासी और हरिजनों के बारे में जब हम बातें कर रहे हैं, उन पर अत्याचार होते हैं, जुल्म होते हैं, उन की बहनों और बेटियों की इज्जत लूटी

जाती है, उनकी जमीनें लूटी जाती हैं, उनके घर जलाए जाते हैं और इस तरह की और बातें होती हैं, जिन को हम हर दिन अखबारों के अन्दर पढ़ते हैं और पढ़ते ही नहीं बल्कि अखबारों से कटिंग्स ले कर रोज हमारे प्रतिनिधि चाहे इधर के हों और चाहे उधर के हों, ये प्रश्न पूछते रहते हैं कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स पर कितने अत्याचार हुए, कितने मर्डर हुए, कितने जुल्म हुए। अभी रामावतार शास्त्री जी ने ठीक ही कहा है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में ये जुल्म ज्यादा हुए हैं और बिहार तो इस मामलों में सरताज है। मेरे हिसाब से बिहार सरताज है इस मुल्क में, हरिजनों पर ज्यादतियों के मामले में और परेशानियों के मामले में वह सबसे अग्रणी है। बिहार में आप देखिए कि वहां पर देवली कांड से ले कर दूसरे कितने कांड हुए हैं और बिहार में सबसे ज्यादा ज्यादतियां हुई हैं और जैसा कि कहा जाता है कि एक फल दूसरे फल को देख कर रंग बदलता है, उसी तरह से बिहार में जो कुछ होता है, उस का असर उत्तर प्रदेश में होता है और उत्तर प्रदेश से वह बात मध्य प्रदेश में पहुंचती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो जुल्म हैं, ये जो ज्यादतियां हैं, ये बढ़ती ही चली जा रही हैं, इस में कोई शक नहीं है। इस के आंकड़े दिये गये हैं और अभी रामावतार शास्त्री जी ने आंकड़े दिये और मेरे पास भी आंकडे हैं लेकिन मैं आंकडों में क्यों पड़ूं। मैं खास तौर से मन्त्री महोदय का ध्यान "ओपरेस्ट इंडिया" नामक पुस्तक की तरफ दिलाना चाहता हूं। वह पुस्तक उनके पास भेजी थी इसमें लिखा है, "इन्डियन स्टेट्स" एण्ड दि आपरेस्ड इण्डिया"। यह अगस्त 1980, का है। इसमें फिर लिखा है "ट्राइबल इन्डिया"। ट्राइबल का मतलब यह है कि हिन्दुस्तान के अन्दर ट्राइबल की क्या हालत है, उन के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा है कि कई जगहों पर उनके खिलाफ ज्यादतियां हुई हैं। अभी मेरे मित्र श्री रामावतार शास्त्री जी कह रहे थे कि बंगाल में सब ठीक है। मैं कहता हूं कि बंगाल में ठीक नहीं है। इस में एक न्यूजआइटम है, जिस का हैड़िंग है "**बंगाल ट्राइबल्स प्रोटेस्ट एबेन्सट गवर्नमेंट निगलेक्ट**"। "**आपरेस्ड इन्डिया**" अगस्त का संस्करण है और उस के अन्दर यह लिखा हुआ है। उसी तरह में यह लिखा हुआ है कि भील की स्त्रियों पर जुल्म हुआ है, बलात्कार हुआ है और एक औरत के साथ 165 दिन तक बलात्कार हुआ है। इसी तरह से यह लिखा हुआ है "**माइनर ट्राइबल गर्ल्स रेप्स इन 80**"। इस प्रकार के कई उदाहरण इस में दिये हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कहना चाहता था कि इस का हल केवल यही है कि समाज के अन्दर सरकार और प्राइवेट संस्थाएं इस बात का प्रचार करें कि ऐसी बुराईयां नहीं होनी चाहिए और सरकार उन की आर्थिक स्थिति को सुधारने की बात करे। जब ऐसा होगा तो ये अत्याचार और जुल्म रोके जा सकते हैं।

7.00 म०प०

इसके अलावा मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि ऐसे केसेज के ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट्स हों और वे शीघ्रता से ऐसे मामलों को निपटाएं और ऐसा जुल्म करने वाले लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए।

[श्री भीखा भाई]

आकड़ों की जो बात है, वे काफी दिये जा चुके हैं और हमारी लोक सभा में और राज्य सभा में बराबर इस के आंकड़े प्रस्तुत होते रहते हैं लेकिन मैं एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के किए एक अलग से मंत्रालय स्थापित किया जाए। अगर ऐसा किया गया, तो यह सब से अच्छा काम होगा और आदिवासी और हरिजन लोग हमेशा सेठी साहब को याद करते रहेंगे कि हमारे गृह मन्त्री इतने बहादुर बने, जिन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए अलग से एक मन्त्रालय स्थापित किया।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम लाल राही (मिसरिख): उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले तो मैं आप से विनती करूंगा कि आप क्योंकि मुझे 10 मिनट ही दे रहे हैं, इसलिए बीच में डिस्टर्ब मैं न हूं, तो अच्छा होगा। 10 मिनट में कोई भाषण नहीं दिया जाता है और मैं दो-तीन बातें ही कहना चाहता हूं। पहले तो मैं भाई राम विलास पासवान जी को और श्रीमती प्रमिला दंडवते जी को, जो इस समय यहां पर नहीं हैं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे यह प्रस्ताव यहां पर ले कर आए और बहस का अच्छा अवसर दिया।

श्रीमन्, अखबारों में एक लम्बे अर्से से हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों की खबरें सुनने को मिलती थीं। हम ही नहीं सुनते थे बल्कि सरकार में बैठे लोग और हमारे माननीय गृह मंत्री जी को भी रोजाना अखबार पढ़ने को मिलते होंगे और वे इन के बारे में सुनते भी होंगे। मैं यहां सदन में भी जब कभी बैठता हूं, तो इनकी चर्चा होती है और सदन की प्रोसीडिंग्स को देखने का जब मौका मिलता है, और मंत्री जी के जवाब को जब देखने का मौका मिलता है, तो निश्चित रूप से यह ताज्जुब होता है कि यह सरकार और इस सरकार में बैठे लोग यह जानते हुए भी कि हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिन को छिपाया नहीं जा सकता, इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, जिन को कम नहीं किया जा सकता और वे निरन्तर बढ़ रही हैं, उस के बावजूद भी खामोश हैं। उस के बावजूद भी सरकार उदासीन है और उन को रोकने में सरकार कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। मैं जानता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी जब जवाब देंगे, तो कहेंगे कि हम ने यह किया और हमने वह किया अगर उन्होंने इस के बारे में कुछ किया है, तो फिर ये ज्यादतियां बढ़ती क्यो जा रही हैं। यहां पर सदन में आंकड़े पढ़े जा चुके हैं और शास्त्री जी ने भी पढ़े और राम विलास पासवान जी ने भी पढ़े। इसलिए मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। मैं जानना चाहता हूं कि इन को रोकने के लिए आप ने क्या उपाय किये हैं। अखबारों में जो घटनाएं छपती हैं, अखबारों के अलावा बहुत सी घटनाएं हो जाती हैं जो अखबारों तक नहीं पहुंच पाती, हम और आप तक नहीं पहुंच पाती और यहां इस सदन तक नहीं पहुंच पाती।

एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि हरिजनों और आदिवासियों पर जो अत्याचार होते हैं, उन के लिए जो लोग थानों मे रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, तो वहां पर रिपोर्ट भी लिखी नहीं जाती

हैं। अभी एक भाई ने कहा कि अस्पृश्यता निवारण विधेयक जो है, उस को प्रभावी बनाने पर विचार हो रहा है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि मन्त्री जी सदन में जवाब देते हुए यह बताएं कि कितनी रिपोर्टें अस्पृश्यता के सम्बन्ध में किन-किन प्रदेशों में लिखी गई ?

क्या आज अस्पृश्यता नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खानपान तो दूर की बात है, आज भी सवर्ण के सामने हरिजन अपनी ही खाट पर नहीं बैठ सकता है। अगर वह खड़ा नहीं होता। तो यह बेअदबी होता है और पुलिस से या सामत के गुंडों से उसको पिटवाया जाता है यह कोई एक घटना नहीं है। बड़ी अच्छी बात है यदि आप अस्पृश्यता निवारण कानून में संशोधन लाते हैं। इसको सुधारिए, कुछ उपाय किजिए जिससे अस्पृश्यता दूर हो।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर): मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर। है ये तकलीफें सुना रहे हैं जो हम सुन चुके हैं। कोई उपाय भी बताएं। (**व्यवधान**)

श्री रामलाल राही : वह भी मैं बता रहा हूं। हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में मैं गृहमन्त्री जी को बहुत चिट्ठियां लिखता हूं और उनका जवाब भी मुझको मिलता है कि राज्य को लिखा गया है। लेकिन राज्य सरकार से कोई जवाब नहीं मिलता वहां के मन्त्री और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इसको मजाक समझते हैं। वहां पर लगता है आपका कोई प्रभाव नहीं है। (**व्यवधान**) मैं अखबार का नाम नहीं लूंगा, एक अखबार ने आपकी तस्वीर छापी थी। उसमें लिखा है कि आपकी हैसियत क्या है आपका मन्त्रीमण्डल में क्या प्रभाव है। आपको भी देखना चाहिए। क्यों इस तरीके की बातें आज की जा रही हैं। मैं भी इस सदन का सदस्य हूं और जिन लोगों ने चुनकर भेजा है, उनकी बात करता हूं। मैं जिस दिन चुना जाता हूं उसी दिन कह देता हूं कि मैं अब पार्टी का व्यक्ति नहीं रहा, मैं जनता का व्यक्ति हो गया हूं। आप में यह फर्क है। आपकी सरकार का काम करने का तरीका अलग है। आपके यहां क्या होता है। आप यह देखते हैं कि कौन कह रहा है। आप यह नहीं देखते कि क्या कहा जा रहा है। जिस दिन आपकी सरकार तय कर ले कि समस्या क्या लाई जा रही है, उसी दिन से समस्याओं का हल होना शुरू हो जाएगा।

आज हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं। आजकल एक बड़ा मीठा तरीका निकाला गया है हरिजनों पर अत्याचार करने का, "स्वीट प्वाइजन" इसको कहा जा सकता। आज बड़े लोग क्या करते हैं कि हरिजनों के नाम से बैंको से, कोआपरेटिव सोसायटियों से और दूसरे संस्थान जहां से कर्जा मिलता है, उनके नाम से कर्जे निकाल लेते हैं सरकारी कर्मचारियो से मिल कर। 10-15-25 हजार रुपया उनके नाम से निकाल लिया जाता है। उनको तब पता चलता है जब 3 साल बाद नोटिस उनके पास पहुंचता है। जब तीन साल बाद कुड़की उनके पास पहुंचती है। जब कुर्की हो जाती है तब उनको पता चलता है। पिछले तीन सालों में यह नयी चीज पैदा हुई है। आप इसको रोक नहीं पायेंगे। मन्त्री जी जब जवाब देंगे तो यहीं कहेंगे कि मैंने कमाल कर दिया। आपकी जानकारी में यह बात अवश्य होगी। मैं पूछना चाहता हूं मुठभेड़ में कितने लोग मारे गए

[श्री राम लाल राही]

हैं ? क्या यह सही नहीं है कि जितने एनकाउन्टर हुए हैं उनमें दो-तिहाई हरिजन हैं । क्या इस देश में दो-तिहाई हरिजन नहीं है ? फिर, कैसे इतने हरिजनों का एनकाउन्टर होता है । मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सामन्त और पुलिस प्रशासन पर आपका बस नहीं है । ये दोनों मिलकर गांव का प्रशासन चलाते हैं और जब चाहें हरिजन को मार दें और जितने दिन चाहें उसे जिन्दा रखें । वहां कौन है, क्या हो रहा है, इसका आपको कुछ पता नहीं है । आप सिर्फ थानेदार पर निर्भर करते हैं । नागपुर कैन्टोन्मेंट की घटना आपको बताना चाहता हूं । वहां चार-पांच सौ गरीब हरिजनों ने उबड़-खाबड़ जमीन पर पैसा लगाकर पैदावर की । जब उनकी पैदावर होने लगी तो आपके एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां जाकर उनकी झोपड़ियां उखाड़ दी और कब्जा कर लिया । इस बारे में मैंने प्रधान मन्त्री और गृह मन्त्री जी को लिखा था ।

मुझे पता है, उन लोगों से जमीन छुड़वा ली गई । मेरे पास मध्य प्रदेश के बुरहानपुर और दौलतपुरा कस्बे के लोगों की फोटो हैं । इनके साथ भी वही ज्यादती हुई । वहां पर लकड़ी के पचास घरों को वन अधिकारियों को ले जाकर तोड़ दिया गया । रोते-बिलखते बच्चों की कोई सुनवाई नहीं होती । कोई औरत हाथ जोड़ती है तो उसको लात मारकर भगा दिया जाता है । यह आपके प्रशासन का काम है । कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होती । मैं यह कहना चाहता हूं कि बड़े-बड़े पूंजीपति या भू-स्वामी किसी जगह पर कब्जा कर लें तो उसको जस्टीफाइ कर दिया जाता है । एक गरीब आदमी नहीं बल्कि सैकड़ो सालों से लोग रह रहे हो, क्या कभी उसको जस्टीफाई किया है ? आपने उनको इंदिरा जी की या संजय गांधी की जय बोलने पर विवश कर दिया । बहुत सी जगहों पर जय बोलने पर भी कुछ नही किया गया । पिछले 37 सालों में जातीय आधार बहुत मजबूत हुआ हैं । जब तक इसको तोड़ने के उपाय नहीं करेंगे तब तक साम्प्रदायिक दंगे होते रहेंगे । सामन्त लोगों के शिकार छोटे घराने के लोग होते रहेंगे, उनको आप बचा नहीं पायेंगे ।

मैं चार्ज करता हूं कि 37 सालों के राज्यों, में चाहे जो जितने दिन बैठा हो, उसने इसको मजबूत किया है, इसे तोड़ा नहीं हैं । उसने इस जातिय आधार को अपनी सत्ता कायम रखने के लिए इस्तेमाल किया है । जब टिकट देना होता है तो कहने लगते हैं कि इस क्षेत्र में कौन लोग ज्यादा हैं ? आपने जातीय आधार को मजबूत किया है, मैं निवेदन करूंगा कि इस जातीय आधार को आपको तोडना पड़ेगा । इसमें प्रशासन का ज्यादा हाथ नहीं है, इस जातीय आधार को मजबूत करने में राजनेताओं का ज्यादातर हाथ है । राजनेता लोग पहले अपने को सुधारें क्योंकि इनके सहारे ही इलाके में सामन्तवाद पलता है । मैं आपको इंगित कर के नहीं कहता हूं, यह एक सार्वजनिक बात है । चाहे इधर के बैठे हुए नेता हों या उस तरफ के हों, यहां आकर भाषण देंगे कि जातीय-विहीन समाज बनना चाहिए, जब यहाँ आयेंगे तो कहेंगे कि 40 सीटों में 20 हमारी जाति की हैं और 20 में आप सब हो जायें ।

हरिजनों पर हो रहे अत्याचार और अन्याय को दबाने में सफलता न मिलने का सबसे बडा कारण जातीय आधार है । हमें इसको कमजोर करना होगा । इसको कमजोर शासन या प्रशासन नहीं कर सकता है, राजसत्ता में बैठे हुए लोगों को करना होगा । उनको अपनी बात सफाई से कहनी पड़ेगी ।

आज हम यहां सदन में बैठे हैं, हमारे शास्त्री जी समझते होंगे कि भाई पासवान ने सही बात कही थी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब लड़ रहा है, लोंगोवाल लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको 2 नम्बर का नागरिक माना जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सत्य यह है कि इस देश में 37 साल में आपने हरिजनों को नम्बर 2 का नागरिक बना रखा है। आपको इस भावना को बदलनी होगी तभी काम चलेगा।

श्री हीरा लाल आर० परमार (पाटन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं संसदीय कार्य मंत्री श्री बूटा सिंह जी का आभारी हूं कि 22 करोड़ दलितों की समस्या पर यहां चर्चा का मौका दिया।

मैं एक बात खास दोहराना चाहता हूं। मैं 150 घर की आबादी वाले गांव से आता हूं जिसमें मेरा चमार जाति का एक ही घर है। मेरे अपने 3 वोट हैं, फिर मैं इस सदन में आया, किस नाम पर आया और किस बात पर आया यह मैं बताना चाहता हूं, हालांकि सबको पता है।

देश की आजादी के टाइम पर देश के दलितों ने हक और रक्षा के लिए और इनकी बातों को समझने के लिए, बल्कि इन लोगों को न्याय दिलवाने के लिए डा० अम्बेडकर ने संविधान में आरक्षण दिया है। मैं 3 वोट वाला आदमी, अगर आरक्षण का अधिकार न मिला होता, तो आज यहां नहीं पहुंच पाता। 22 करोड़ दलितों के प्रतिनिधि के नाते मैं उनके हक और अधिकारों की रक्षा के लिए इस सदन में आया हूं इसलिए मैं अपनी आत्मा की आवाज को नहीं रोक सकता। मेरी आत्मा की आवाज यह कह रही है कि जिन लोगों के प्रतिनिधि के नाते मैं आया हूं उनकी समस्या और जो बीमारी है उसे मरीज के नाते अगर हम डाक्टर के सामने पेश नहीं करेंगे तो गलत आपरेशन हो जायेगा। और वह बीमारी भी नहीं मिटेगी। मंत्री महोदय डाक्टर है और हम मरीज हैं। उनसे बीमारी को छिपाना हमारे लिए ठीक नहीं है।

प्रधान मन्त्री ने गरीबों को ऊपर उठाने के लिए बहुत से कार्यक्रम बनाए हैं और वह हमारे लिए चिन्तित हैं। इस सामाजिक समस्या ने कितना उग्र रूप धारण किया हुआ है, यह इस बात से प्रकट है कि आजादी के 36 साल के बाद भी देश के गांव-गांव में दलितों की हत्याएं हो रही हैं। मैं गुजरात में अहमदाबाद के पास स्थित एक छोटे गांव जेतलपुर का उदाहरण देना चाहता हूं।

जेतलपुर में गरीब हरिजनों को जमीन देने की बात थी। कुछ गवर्नमेंट अधिकारी और गांव के लोग उन्हें परेशान कर रहे थे। जब एक दलित लड़के ने इसमें ज्यादा दिलचस्पी दिखाई, तो ग्राम पंचायत के दफ्तर में दिन-दहाड़े उसको जिन्दा जला दिया गया। दलितों की हत्या के बाद पहले तो केस दर्ज नहीं होता और अगर केस दर्ज होता है, तो कोर्ट में गवाही नहीं मिलती, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त छूट जाते हैं। जेतलपुर की घटना के चार अभियुक्तों को आजीवन कैद की सजा दी गई। मैं आपको बताना चाहता हू कि हमारी सरकार और जाति-

[श्रीहीरालाल आर०परमार]

वाद क्या कर रहें हैं। सब अभियुक्तों को एक साल के 365 दिनों में से 218 दिन या उससे भी अधिक समय के लिए पैरोल पर छोड़ दिया जाता है और वे लोग आज बाहर घूम रहे हैं। मैंने गुजरात के गृह मंत्री, श्री प्रबोध रावल, से पूछा कि वे लोग कितने दिनों से बाहर हैं। पहले तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन जब मैंने हाउस में प्रश्न उठाया, तो उन्होंने लिख कर बताया कि एक अभियुक्त को 218 दिन, दूसरे को 215 दिन, तीसरे को 220 दिन और चौथे को 230 दिन के लिए पैरोल पर छोडा गया है और अभी भी वे लोग जेल से बाहर हैं। मैं निवेदन करना हूं कि दलितों की हत्या करने वाले लोगों को सजा दिलवाना भी कठिन है। लेकिन अगर सजा होने के बाद उन्हें जेल में नहीं रखा जाएगा, तो फिर दलितों की रक्षा कैसे होगी ?

मेरे क्षेत्र में ग्यारह महीने पहले मेरे साथी और सहयोगी, श्री अर्जुन भाई दुलाभाई की हत्या कर दी गई, जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत, न्याय पंचायत और पुलिस की कोआर्डिनेशन कमेटी के सदस्य थे और कोआपरेटिव सोसायटी के अध्यक्ष थे। उन्होंने डी०एस०पी० को बार-बार कहा कि जमीन की तकरार में लोलाडा गांव, तहसील समी, जिला मेहसाना के लोग मुझे मार डालेंगे, मेरी रक्षा की जाए। लेकिन उनकी रक्षा के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। कोर्ट में केस गया और जब वह गवाही दे कर निकले, तो कोर्ट के सामने ही उनको मार दिया गया।

मैंने माननीय गृह मन्त्री को तीन दफा और प्रधानमन्त्री को भी लिखा है कि वहां पर तीन हत्याएं हुई हैं, वहां के डी०एस०पी, मि० पटेल, को हटाया जाए। लेकिन कोई सुनता नहीं है। उसकी ट्रांसफर भी नहीं होती है।

यह मैं अपने दिल का दर्द सदन में रख रहा हूं। अगर हर अपनी बीमारी डाक्टर को नहीं बताएंगे, अगर गरीबों के प्रतिनिधि गरीबों की बात सदन के सामने पेश नहीं करेंगे, तो वे अपना फर्ज कैसे पूरा करेंगे। जब चुनाव आते हैं, तो सब दलों के लोग गरीबों की बात करते हैं। लेकिन आज जब गरीबों की समस्या पर डिसकशन हो रहा है, तो मैं देख रहा हूं कि सदन में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के सदस्यों के अलावा सिर्फ छः सदस्य और दिखाई दे रहे हैं। हम अपनी बात किसको सुनाएं ? मंत्री महोदय ने हम लोगों को इस समस्या पर डिसकशन का मौका दिया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यह समस्या बड़ी गम्भीर और कठिन है। मैं बार-बार कह चुका हूं कि गुजरात में दलित लोग चारपाई पर नहीं बैठ सकते, कुंए से पानी नहीं ले सकते, मंदिर नहीं जा सकते हैं। कानून बहुत बनाए हैं, लेकिन कानून का अनुपालन करने वाले जो लोग हैं, उनकी वजह से जातिवाद ज्यादा भड़क रहा है। मैं एक बात आपको दिल से कहना चाहता हूं। एक साल या दो साल का लड़का बचपन में अपनी मां के साथ बिना कपड़ों के सो सकता है, लेकिन 25-26 साल की उम्र हो जाने के बाद यदि कोई कहे कि तुम अपन माँ के साथ सो जाओ, तो क्या यह उचित है। देश के दलित 36 साल की आजादी के बाद अपना स्वाभिमान समझते हैं। इसलिए अब इस प्रकार की बात से आग भड़केगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको गम्भीरता से देखिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लोर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो सदन में भाषण दिए, समझ में नहीं आता है कि ये सुना किसको रहे हैं। किसी ने किसी को मार दिया, मैं उनसे कहता हूं कि तुम क्यों नहीं मर गए। जिसके इलाके में जुल्म होता है, वहां होम मिनिस्टर क्या करेगा (**व्यवधान**) इंदिरा जी ने कह दिया है कि इसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा और लड़ाई करनी चाहिए। यहां आ कर बातें बताते हैं, यहां क्या होगा। राही चला गया है वह कहता है कि इतने मर गए, इतने मर गए, इनकी बातें सुनते-सुनते तो मेरा हार्ट-एटैक हो जाएगा। जिसके इलाके में कोई मरता है, वहां का मैम्बर क्यों नहीं मर जाता है। मैं बड़ा हैरान हूं, किस तरह से समस्या को सोल्व करते हैं। पासवान जी भी बड़ा अच्छा बोलता है, आंकड़े रखता है। यदि मैं इसके आंकड़े सुन भी लूं तो मर जाऊंगा। मेरे इलाके में भी बड़े-बड़े जमींदार है, राजपूत हैं। एक दफा वे हमारी जमीन पर ट्रैक्टर ले आए, बन्दूकें ले आए, लेकिन मेरा एक आदर्श रहा है, जो मार खा कर आ आता है, मैं उसको मारता हूं और जो उसको मार कर आता है, मैं उसकी मदद करता हूं। ···(**व्यवधान**)···चौधरी साहब हुआ यह कि ट्रैक्टर फूंक दिए, उनको पकड़ लिया और हमारा जमीन पर कब्जा रहा। यह जमीन कौन देगा, क्या कागज देगा। कागज में भी जाट है, वे क्या जमीन देंगे। ···(**व्यवधान**)···यदि मैं कुछ कहूंगा तो तुम्हारा काम भी खराब हो जाएगा। सरदार प्रताप सिंह कहने लगा कि हरिजनों को दूंगा, हरिजनों को दूंगा, लेकिन देना कुछ भी नहीं हैं। एक जगह मीटिंग कर ली और कह दिया लेकिन दे किसी को नहीं रहे हैं। मैंने कहा चौधरी जी सरदार प्रताप सिंह यह कह रहा है और वहां किसानों को बुला कर कहा है। मैंने पंडित जवाहर लाल जी से कहा कि यह बात है। मुझे वहां रहने का कोई हक नहीं है। जमीन के बगैर नहीं रह सकता हूं, कोई भी नहीं रह सकता है। मैं पाकिस्तान में 100 एकड़ में काश्त करता था और मुझे पता है जिसके पास जमीन होती है उसके पास लाठी होती है, वह खुद अपनी जमीन की हिफाजत करता है। जब प्रताप सिंह कैरों को मैंने रगड़ा दिया तो उसने मेरे पास एक आदमी भेजा और कहलाया कि चौधरी साहब, मैं आपको फुल-फलेज्ड मिनिस्टर बना देता हूं, मेरे से से लड़ाई बन्द कर दो। पंडित जी मेरे दोस्त थे, इसलिये मैं उसकी क्या परवाह करता, मैंने उसके आदमी को कह दिया—उसको जाकर मेरा यह पैगाम दे दो, मैं चमार नहीं हूं, आदमी हूं। उनसे कहो कि वह जमीन की बात करे। अगर मिनिस्ट्री की बात की तो ठीक नहीं होगा। इस तरह से हमने जमीन ली ! हम ने जमीदारों से लड़ कर अपनी जमीन ली है। जाहिर बात है—हम जमीन के बगैर नहीं रह सकते हैं, हमको जमीन जरूर चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता है कि जो आप के यहां असेम्बली के मेम्बर हैं वे लड़ाई क्यों नहीं करते हैं। अगर उन की सरकार नहीं करती है तो उस सरकार को तोड़ दो।

आप क्या समझते हैं—क्या ये लैंड रिफार्म करेंगे ? ये कभी भी लैंड रिफार्म नहीं करेंगे। कांग्रेस वालों की यह पालिसी है—बड़े-बड़े बढ़िया रेजोल्सूशन पास करते हैं लेकिन इम्लीमेन्टेशन किसी का नहीं होता। आपको असेम्बली का मेम्बर बना दिया, पार्लियामेन्ट का मेम्बर बना दिया, लेकिन आप लड़ाई नहीं कर सकते तो इस मेम्बरी का क्या फायदा है ? जितने हरिजन भाई यहां है, उन की काफी तादाद है सब को एक मत से मिल कर में इस काम को करना चाहिये। सब को मिल कर इस काम सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट की सिम्पैथी लेनी है। इस लिये मैं कहता हूं कि लैंड रिफार्म की बात छोड़ो; मिल कर जमीन हासिल करो।

[श्री सुन्दर सिंह]

बागड़ी साहब बहुत नेक आदमी हैं, दिल से बोलते हैं। चाहे इन की बात जमींदार न मानें, लेकिन ये दिल से बोलते हैं। जो आदमी दिल से बोलता है, पता लग जाता है। जहां बेइन्साफी होती है, वहां बोलना चाहिए, मिनिस्टर की भी परवाह नहीं करनी चाहिये। आप कहते हैं कि वहां यह हो गया, वह हो गया वे हम को चारपाई पर भी नहीं बैठने देते। मेरे साथ भी शुरू में ऐसा हुआ था, मैंने कहा कि मैं तुम को भी बैठने नहीं दूंगा जब मैंने ऐसा किया तो भागे हुए आये, कहने लगे, महाराज, रोटी भी खाओ, आपको चारपाईभी मिलेगी। इस लिए मैं कहता हूं कि अपने हक के लिए गांव में लड़ाई करनी चाहिए। आप गावों में जा कर बात नहीं करते हैं, यहां आकर बात करते हैं। यह बिल्कुल गलत बात है। आपको चाहिए कि हरिजनों को कहें कि वे शादी न करें। हमारे नौजवान ऐसे शानदार और तन्दुरुस्त होने चाहिएं जिससे कि उनकी तरफ कोई आंख उठा कर न देख सके।

न जमीन, न दुकान, न आसमान, भारतमाता ज़िन्दाबाद।

जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो भारतमाता जिन्दाबाद ही होगा, और क्या हो सकता है।

हमारे पाकिस्तान में दो-तीन सौ आदमी रह गये हैं। जब से पाकिस्तान बना, तब से बहुत सारे परिवार तो यहां आ गये लेकिन अभी भी दो-तीन सौ परिवार वहां हैं। उनको वहां वाले तंग करते हैं। मैं सेठी जी से कहूंगा कि बराये मेहरबानी उनको यहां आने दो, वे यहां आना चाहते हैं। वे वहां शादी कैसे करेंगे ? आप इन दो-चार सौ घरों का ख्याल करो जो वहां रह गये हैं।

बाकी रही लेण्ड रिफार्म्स की बात इसको तो जमींदार लोग होने नहीं देंगे। आप कहते हैं कि आपका राज कांग्रेस से अच्छा से था तो मैं आपको बताऊं कि आपके लोगों के पास, जनसंघ वालों के पास, दो-दो, तीन-तीन सौ एकड़ ज़मीन है। ये जमींदार लोग लेण्ड रिफार्म्स नहीं होने देंगे। अगर शुरू से लेण्ड रिफार्म्स हो जाता तो हो जाता। यह भूमि सेना बनी हुई है, यह भूमि सेना भी कुछ नहीं करेंगी।

मेरा आप से एक यह सुझाव है कि आप हरिजनों को पुलिस में भर्ती करो। पुलिस में भर्ती करवाने के लिए, मैंने उनकी एक इंच छाती कम और एक इंच ऊंचाई कम रखवाई थी। अब दूसरी गवर्नमेंट आ गई है, उसने यह बंद कर दी है। मैं फिर इस गवर्नमेंट से मिलकर आया हूं जिससे कि हरिजनों की पुलिस में भर्ती हो जाए।

हरिजन हिन्दूस्तान के बहुत अच्छे लोग हैं और पक्के नेशलिस्ट्स हैं। इनको मेहरबानी करके पुलिस में भर्ती करो। जो हमारे सिख भाई हैं ये भी बहुत शानदार आदमी हैं, ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं। हरिजन भी इनके जैसा अच्छा काम कर सकते है। फिर इनके हाथ से जमीन भी नहीं निकलेगी।

ये दो सुझाव मैंने आपको दिये हैं ये याद रखने चाहिएं और इस बात की कोशिश करनी

चाहिए जो आदमी इस बात की कोशिश करता है कि हरिजनों का कोई भला न हो, उस आदमी को ऊपर नहीं उठने देना चाहिए। आप जा कर गांवों में जोर लगाओ।

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री राम विलास पासवान तथा अन्य सदस्यों को चर्चा में भाग लेने के लिए धन्यवाद देता हूं। वाद-विवाद में 13 अथवा 14 सदस्यों ने भाग लिया।

जहां तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के साथ अत्याचारी का मामला है, यह एक ऐसी बुराई है जो शताब्दियों से चली आ रही है। परन्तु महात्मा गान्धी, डा० अम्बेडकर तथा बहुत से अन्य व्यक्तियों ने इसे दूर करने की चेष्टा की, उन्होंने हमारे समाज पर इस इस काले धब्बे को दूर करने के लिए अपने जीवन की बाजी भी लगा दी।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के संरक्षण का प्रश्न इस सभा, केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों का ध्यान आकृष्ट करता रहा है। यह बात इस तथ्य से पैदा होती है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जानियों के सदस्य कमजोर तथा असुरक्षित देशों में रह रहे हैं। अतः उन पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवाश्यकता है। इस नीति का पालन करने हुए इन अपराधों का प्रभावी रूप से मुकाबला करने के लिए विस्तृत मार्गदर्शन तैयार किये गए तथा उन्हें क्रियान्वित के लिए राज्य सरकारों के पास भेजा गया। इन मार्ग-दर्शनों का अनुसरण करते हुए राज्य सरकारों ने कई उपाय किए, जिनमें से महस्वपूर्ण निम्न प्रकार हैं :—

शीघ्र निर्णय सुनिश्चित किए जाने के लिए आन्ध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान तथा तमिलनाडु ने विशेष न्यायालय गठित किए गये।

बहुत से राज्यों ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जातियों के आयुक्त ने अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए क्षतिपूर्ति तथा राहत की दर नियत की हैं। कुछ राज्यों ने क्षतिपूर्ति की अपनी दरें निर्धारित की हैं।

अनूसूचित जातियों के विरुद्ध अत्याचारों के मामलों के पंजीकरण के लिए बिहार में 11 तथा मध्य प्रदेश ने 7 पृथक पुलिस स्टेशन स्थापित किए हैं। मैं मानता हूं कि इन समुदायों के विरुद्ध किये गए अपराधों का पंजीकरण करने के लिए स्थापित इन पुलिस स्टेशनों में जब तक, ऐसे अधिकारी जोकि इन समुदायों के हैं, अथवा उनके प्रति सहानुभूति पूर्ण हैं, नियुक्त नही किये जाते तब तक इन पुलिस स्टेशनों की स्थापना मात्र से लाभ नहीं होगा···

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : जो अपने हरिजनों के थाने बनाये हैं उनमें जितनी पोस्ट्स होनी चाहिएं, उतनी पोस्ट्स नहीं है। उन थानों में सक्षम लोग भी नहीं है। जो केस जरूरत थानों से वहां ट्रांसफर हो कर आते हैं, उनकी पूरी छानवीन नहीं हो पाती है क्योंकि वहां पर्याप्त और सक्षम लोग नहीं हैं। आप उन थानों को प्रभावी बनाइये जिससे कि हरिजनों को न्याय मिल सके।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि न केवल ऐसे पुलिस अधिकारी होने चाहिएं जो इन समुदायों के प्रति सहानुभूति पूर्ण हो, परन्तु इन थानों को अन्य थानों के समान पर्याप्त शक्तियां भी होनी चाहिए ।

अधिकांश राज्यों में अनुसूचित तथा जातियों अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण सम्बन्धी पहलुओं पर विचार करने के लिए राज्य स्तर की समितियां मुख्य मंत्री के सभापतित्व में गठित की गई हैं।

बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, मध्य-प्रदेश तथा महाराष्ट्र में कुल 48 जिले, अनुसूचित जन-जातियों के विरुद्ध अपराधों के मामले में नाजुक जिले माने गये हैं।

जब कभी भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों पर अत्याचार का कोई समाचार छपता है अथवा कोई संसद सदस्य किसी विशेष मामले की ओर मेरे मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट करता है, हम तुरन्त राज्य सरकार को लिखते हैं कि अपराधी व्यक्तियों को दण्डित किया जाये तथा अत्याचारों से पीड़ित व्यक्तियों तथा उनके परिवारों के पुनर्वास के उपाय बरते जायें।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के विरुद्ध अपराधों के मुख्य मामलों में अभियोग चलाया जाना चाहिए। ऐसी कुछ घटनाएं भीष्मपुर (बिहार), कफल्टा (उत्तर-प्रदेश), जेटलपुर (गुजरात), पालपुर (उत्तर-प्रदेश) और पीपरा (बिहार)। हाल के समय में 7 प्रमुख मामलों में 2 अपराधियों को मृत्यु दण्ड दिया जा चुका है, 136 को आजीवन कारावास दिया गया तथा आठ को दो वर्ष का कठोर कारावास दिया गया।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों के आर्थिक दयनीय दशा तथा अत्याचार तथा सामाजिक उपेक्षा सहने पड़ते हैं। इसलिए सरकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के विकास को उच्चतम अग्रता दी गई। विशेष संगटक योजनाओं तथा आदिम जातीय योजनाएं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए राज्यों द्वारा विशेष रूप से तैयार किये गए। छठी योजना का लक्ष्य कम से कम इन परिवारों के 50 प्रतिशत का गरीबी की रेखा उपर उठाना था। यह कार्य प्रधान मंत्री के नये बीस सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 7 में सम्मिलित है। छठी योजना के लिए राज्यों विशेष संगटक योजना का परिव्यय 4483 करोड़ रुपए का है तथा राज्यों के जन-जातिय उप योजना की राशि 3504 करोड़ रुपए है। इसके अलावा केन्द्रीय सरकार विशेष संघटक योजना तथा जन-जातिय उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता देती है। छठी योजना के लिए ऐसी केन्द्रीय सहायता 1000 करोड़ रुपए से अधिक है।

माननीय सदस्य जानते हैं छठी योजना अवधि में इन बड़े पूंजी नियोजनों के अलावा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के शैक्षिक तथा संबद्ध विकास के लिए बहुत से केन्द्र समर्थित योजनाएं हैं। केन्द्र समर्थित इन योजनाओं में मैट्रिक के बाद अनुसूचित जतियों एवं अनुसूचित जन-जातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियां देने की योजना प्रमुख है। इन छात्र-वृत्तियों

की संख्या प्रति वर्ष बढ़ रही है । 1980-81 में यह 5.65 लाख थी तथा 1983-84 में अनुमानत: 8.11 लाख रुपए पहुंचने की संभावना है केन्द्रीय सहायता जो कि 1980-81 में 10.76 करोड़ रुपए थी, 1983-84 में 32 करोड़ रुपए हो गई है । वर्ष 1984-85 के दौरान 39.88 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। एक अन्य केन्द्र समुचित योजना शिक्षण तथा अन्य योजनाओं के अन्तर्गत 62 शिक्षण केन्द्र खोले गए हैं तथा 775 उम्मीदवार शिक्षण प्राप्त करके भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं में नियुक्त हो चुके हैं। 1981 में सफल उम्मीदवारों की संख्या 31 थी वह 1982 में 55 हो गई। 1983 के अंतिम परिणामों की घोषणा होने वाली है फिर भी मैं स्वीकार करता हूं कि प्रथम तथा द्वितिया वर्ग के नियुक्त का प्रतिशत उनके निर्धारित कोटे के अनुरूप नहीं रहा और इसलिए वह बकाया बचा हुआ है ।

श्री राम विलास पासवान : और वर्ग 3 भी । और यदि आप अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों का प्रतिशत 22 न होकर केवल 16 है ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : पिछली बकाया प्रतिशत को पूरा करने के लिए हम तीन वर्ष तक आगे बढ़ाते हैं तथा उसकी पूर्ति के लिए हम पूरी चेष्टा कर रहें हैं । हमने, मेरे पूर्ववर्ती ने राज्य को इन लक्ष्यों के पूरा करने तथा पिछली कमी को पूरा करने के लिए लिखा था ।

मैं आज के वाद-विवाद में भाग लेने वाले सदस्यों को धन्यवाद देता हूं मैं पहले बता चुका हूं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों पर अत्याचारों का उनके अर्थिक पिछड़ेपन से घनिष्ठ सम्बन्ध है । अत: एक समेकित नीति आवश्यक है अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना को गम्भीरता से क्रियान्वित किया जाना चाहिए तथा साथ ही यह भी आवश्यक है कि स्थायी सद्भावना का वातावरण बना रहे । सरकार इस सष्ट्रीय प्रयास के लिए सभी प्रयत्न कर रही है । मैं सभी सदस्यों, पार्टियों तथा सामान्य समाज से अपील करता हूं कि वे इस मामले में सहायता तथा सहयोग दें ।

इसके अलावा कुछ बातों को लेना चाहता हूं जिनकी माननीय सदस्यों ने चर्चा की है। श्री राम विलास पासवान उत्तर प्रदेश के देवली, साधोंपुर तथा मैनपुरी का मामला उठाया । जांच पूरी हो गई है तथा आरोप-पत्र दे दिए गए हैं । अब मामले न्यायालयों में हैं । उन दोनों गावों में व्यक्तियों का पुनर्वास किया जा चुका है, उन्हें क्षतिपूर्ण दी जा चुकी है तथा उनके मकान बना दिए गए हैं ।

श्री सूरज भान : यह ठीक नहीं है सेठी जी । साधोपुर में एक भी मकान नहीं बना है। देवली में 11 में से 6 बने हैं ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मुझे यह जानकारी राज्य सरकारों से मिली है ।

श्री सूरज भान : आप इसकी जानकारी कीजिए ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : पूरे गांव को आर्थिक विकास कार्यक्रम के अधीन ले लिया गया है। मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उल्लिखित नामों को नोट कर लिया है। बेशक मैं हर मामले को पृथक रूप से नहीं में सकता, मैं निश्चय ही राज्य सरकार से पता लगाउंगा। का फलता के मामले में राज्य सरकार ने अपराधी के मुक्त किये जाने के विरुद्ध अपील की है। अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री सुरज भान : मैंने एक केस बताया था जिसमें मां और बेटे को नंगा करके एक-दूसरे पर डाला गया। उसकी सी०बी०आई० द्वारा इंक्वायरी होनी चाहिए।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहां तक केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच का प्रश्न है इसे प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकारों को लिखना है और उनकी अनुमति मिलने के बाद ही हम कार्यवाही कर सकते हैं।

जहां तक मेरा संबन्ध है मैं केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच के लिए तैयार हूं।

श्री मनी राम बागड़ी : उ०प्र० के मुख्य मन्त्री ने किसी हरिजन की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। अगर उसको ही लिखेंगे तो क्या फायदा होगा ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : इसे माननीय प्रधान मंत्री की जानकारी में लाया जाना चाहिए। जहां तक अनुसूचित जातियों तथाअनुसूचित जन-जातियों के आयुक्त के पद का प्रश्न है हमने अधिकारी का चयन पहले ही कर लिया है, उन्होंने कार्यभार सम्भालना है। परन्तु आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। इसे पूरा किया जायेगा। मैं माननीय सदस्यों को पुनः उनके भाषणों के लिए धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप किसी स्पष्टीकरण का उत्तर देंगे। मैं एक एक करके उनकी अनुमति दूंगा।

श्री राम विलास पासवान : मैंने आपको लिखा था।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति देता हूं।

श्री हीरालाल आर० परमार : मैंने पैरोल के बारे में पूछा था। उसके बारे में बताइये।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं उस बारे में लिखूंगा। जहां तक श्री परमार द्वारा उठाये गये प्रश्न का संबन्ध है, 365 दिन में से वह 240 दिन पैरोल पर होते हैं इस मामले पर गुजरात सरकार से पता करना है।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने उन्हें उत्तर दे दिया है। श्री मल्लु।

श्री अनन्त रामुलु मल्लु : राज्य सरकार द्वारा आदेश की गई न्यायिक जांच तेलगू देशम

के विधान सभा सदस्य * * के विरूद्ध रही, जोकि हरिजनों पर अत्याचार करने के लिए न्यायिक जांच के अनुसार उत्तरदायी हैं। परन्तु राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए।

श्री अनन्त रामुलु मल्लु : न्यायिक जांच के वावजूद ** के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पासवान।

श्री राम विलास पासवान : मैं यहां पर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैंने कहा था कि बिहार में जो घटनाएं हो रही है, उसमें भूमि सेना का हाथ है। यह बड़े-बड़े पूंजीपतियों का आरगेनाइजेशन है। उसको बैन किया जाना चाहिए। उनके हथियारों कों सील किया जाए। जनता पार्टी के समय डी०एम०और एस०पी० पर उत्तरदायित्व डाला गया था। आप उससे भी आगे जाकर इन आफिसर्स को सस्पेंड कीजिए। श्री कर्पूरी ठाकुर, जो वहां पर अपोजिशन के लीड़र हैं इनको थ्रटनिंग लैटर मिले हैं कि जान से मार दिया जायेगा। गवर्नमेंट लाइसेंसों को सील कीजिए। इस संस्था पर प्रतिबन्ध लगायेंगे तो सदन में और बाहर आपकी छाप पड़ेगी।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : महोदय जहां तक संगठन पर रोक लगाने [का] प्रश्न है जैसे की पंजाब सरकार द्वारा अखिल भारतीय सिख छात्र संघ पर रोक लगाई गई थी, हमें रिपोर्ट प्राप्त हुई है। मैं बिहार के मुख्य मंत्री से कहूंगा कि भूमि सेना के विरूद्ध कोई मामला चलायें ताकि इस संगठन के विरूद्ध हम कार्यवाही कर सकें।

जहां तक जिला स्तर के अधिकारियों का प्रश्न है मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह सहमत हूं कि जैसा कि उन्होंने साम्प्रदायिक दंगों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के लिए किया था, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों के विरूद्ध दंगों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया पाये। अच्छे कार्य के लिए उनकी प्रशंसा की जाये परन्तु गलत काम के लिए उन्हें दण्ड दिया जाये।

श्री राम विलास पासवान : कर्पूरी ठाकुर की जान पर खतरा है, उन्हें थ्रटनिंग मिल रहा है, आप बिहार गवर्नमेंट को कहें।

(व्यवधान

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं बिहार सरकार से पता लगाऊंगा। **(व्यवधान)**

श्री अनन्त रामुलु मल्लु : श्री वेंकट सुब्बैया ने उस स्थान की यात्रा की है। न्यायिक जांच से पता चला है कि तेलगु देशम के विधान सभा सदस्य श्री गोपाल राजू के अनुयायी उत्तरदायी हैं।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इस काम को केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा करायें मैं इस बारे में मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : जांच का आदेश राज्य सरकार द्वारा दिया गया था। केन्द्र कैसे हस्ताक्षेप कर सकता है। इस पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है तथा मंत्री महोदय ने भी स्पष्टीकरण दे दिया है।

7.57 म०प०

**इसके पश्चात् लोक सभा 28 मार्च, 1984/8 चैत्र, 1905 (शक)
के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।**

मुद्रक : सनलाईट प्रिंटर्स दिल्ली